



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

# व्यय बजट 2025-2026

वित्त मंत्रालय  
बजट प्रभाग

फरवरी, 2025

[अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों सहित]





वर्ष 2025-2026 के लिए बजट प्रावधान, निवल प्राप्तियां और वसूलियां निम्नवत हैं:  
(अधिक जानकारी इस विवरण के अंतिम स्तंभ में दर्शाये गए पृष्ठ पर है)

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
<b>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय</b>	<b>137664.35</b>	<b>92.20</b>	<b>137756.55</b>	
1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	127202.29	87.87	127290.16	1-6
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	10462.06	4.33	10466.39	7-9
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>	<b>12071.46</b>	<b>11977.64</b>	<b>24049.10</b>	
3. परमाणु ऊर्जा	12071.46	11977.64	24049.10	10-15
<b>आयुष मंत्रालय</b>	<b>3937.45</b>	<b>55.45</b>	<b>3992.90</b>	
4. आयुष मंत्रालय	3937.45	55.45	3992.90	16-19
<b>रसायन और उर्वरक मंत्रालय</b>	<b>161946.49</b>	<b>18.72</b>	<b>161965.21</b>	
5. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	192.07	1.98	194.05	20-22
6. उर्वरक विभाग	156487.26	15.18	156502.44	23-26
7. औषध विभाग	5267.16	1.56	5268.72	27-31
<b>नागर विमानन मंत्रालय</b>	<b>2330.31</b>	<b>70.00</b>	<b>2400.31</b>	
8. नागर विमानन मंत्रालय	2330.31	70.00	2400.31	32-35
<b>कोयला मंत्रालय</b>	<b>499.00</b>	<b>2.20</b>	<b>501.20</b>	
9. कोयला मंत्रालय	499.00	2.20	501.20	36-38
<b>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</b>	<b>12699.92</b>	<b>5746.13</b>	<b>18446.05</b>	
10. वाणिज्य विभाग	5246.99	54.00	5300.99	39-43
11. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	7452.93	5692.13	13145.06	44-50
<b>संचार मंत्रालय</b>	<b>55362.00</b>	<b>52743.10</b>	<b>108105.10</b>	

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

(ii)

## अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2025-2026

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
12. डाक विभाग	26141.51	958.35	27099.86	51-52
13. दूरसंचार विभाग	29220.49	51784.75	81005.24	53-58
<b>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	<b>215662.44</b>	<b>104.65</b>	<b>215767.09</b>	
14. उपभोक्ता मामले विभाग	4276.30	84.42	4360.72	59-61
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	211386.14	20.23	211406.37	62-65
<b>सहकारिता मंत्रालय</b>	<b>1184.68</b>	<b>1.61</b>	<b>1186.29</b>	
16. सहकारिता मंत्रालय	1184.68	1.61	1186.29	66-68
<b>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</b>	<b>11444.86</b>	<b>116.33</b>	<b>11561.19</b>	
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	11444.86	116.33	11561.19	69-71
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>	<b>3168.51</b>	<b>192.45</b>	<b>3360.96</b>	
18. संस्कृति मंत्रालय	3168.51	192.45	3360.96	72-74
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	<b>488822.65</b>	<b>192387.62</b>	<b>681210.27</b>	
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	16295.35	12387.62	28682.97	75-78
20. रक्षा सेवा (राजस्व)	311732.30	...	311732.30	79-81
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	180000.00	180000.00	82-84
22. रक्षा पेंशन	160795.00	...	160795.00	85-86
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	<b>1882.76</b>	<b>4032.24</b>	<b>5915.00</b>	
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1882.76	4032.24	5915.00	87-89
<b>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>	<b>2770.78</b>	<b>879.03</b>	<b>3649.81</b>	
24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2770.78	879.03	3649.81	90-92

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
<b>शिक्षा मंत्रालय</b>	<b>128638.98</b>	<b>11.07</b>	<b>128650.05</b>	
25. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	78571.30	0.80	78572.10	93-96
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	50067.68	10.27	50077.95	97-106
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>25583.11</b>	<b>443.14</b>	<b>26026.25</b>	
27. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	25583.11	443.14	26026.25	107-111
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	<b>3276.82</b>	<b>136.00</b>	<b>3412.82</b>	
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3276.82	136.00	3412.82	112-115
<b>विदेश मंत्रालय</b>	<b>19519.73</b>	<b>996.88</b>	<b>20516.61</b>	
29. विदेश मंत्रालय	19519.73	996.88	20516.61	116-119
<b>वित्त मंत्रालय</b>	<b>1717466.84</b>	<b>221534.42</b>	<b>1939001.26</b>	
30. आर्थिक कार्य विभाग	2400.24	46613.63	49013.87	120-126
31. व्यय विभाग	540.52	63.31	603.83	127-128
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	1620.01	68.13	1688.14	129-133
33. लोक उद्यम विभाग	28.60	0.57	29.17	134-135
34. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)	55.43	1.70	57.13	136-136
35. राजस्व विभाग	132235.12	609.24	132844.36	137-140
36. प्रत्यक्ष कर	9473.29	1425.16	10898.45	141-142
37. अप्रत्यक्ष कर	40904.23	1984.60	42888.83	143-145
38. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	6238.41	172.61	6411.02	146-147
39. ब्याज अदायगियां	1276337.98	...	1276337.98	148-150
40. ऋण की अदायगी	...	...	...	151-152
41. पेंशन	90186.00	...	90186.00	153-154
42. राज्यों को अंतरण	157447.01	170595.47	328042.48	155-157

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
<b>मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय</b>	<b>6935.50</b>	<b>608.57</b>	<b>7544.07</b>	
43. मत्स्यपालन विभाग	2681.05	22.62	2703.67	158-159
44. पशुपालन और डेयरी विभाग	4254.45	585.95	4840.40	160-163
<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>	<b>4361.58</b>	<b>2.64</b>	<b>4364.22</b>	
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4361.58	2.64	4364.22	164-166
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>	<b>96232.86</b>	<b>3625.70</b>	<b>99858.56</b>	
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	92333.43	3624.44	95957.87	167-175
47. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3899.43	1.26	3900.69	176-177
<b>भारी उद्योग मंत्रालय</b>	<b>7178.23</b>	<b>502.00</b>	<b>7680.23</b>	
48. भारी उद्योग मंत्रालय	7178.23	502.00	7680.23	178-181
<b>गृह मंत्रालय</b>	<b>210799.27</b>	<b>22411.41</b>	<b>233210.68</b>	
49. गृह मंत्रालय	4161.22	395.97	4557.19	182-186
50. मंत्रिमंडल	765.72	258.58	1024.30	187-188
51. पुलिस	143811.87	16579.19	160391.06	189-194
52. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5656.98	555.08	6212.06	195-199
53. चंडीगढ़	5547.17	640.31	6187.48	200-202
54. दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1710.00	1070.00	2780.00	203-206
55. लद्दाख	2450.00	2242.15	4692.15	207-209
56. लक्षद्वीप	1296.04	290.12	1586.16	210-213
57. दिल्ली को अंतरण	968.01	380.00	1348.01	214-215
58. जम्मू और कश्मीर को अंतरण	41000.07	...	41000.07	216-217
59. पुदुचेरी को अंतरण	3432.19	0.01	3432.20	218-218
<b>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</b>	<b>59153.62</b>	<b>37623.38</b>	<b>96777.00</b>	

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59153.62	37623.38	96777.00	219-226
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>	<b>4314.59</b>	<b>43.79</b>	<b>4358.38</b>	
61. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4314.59	43.79	4358.38	227-230
<b>जल शक्ति मंत्रालय</b>	<b>98945.31</b>	<b>557.54</b>	<b>99502.85</b>	
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	24720.49	556.34	25276.83	231-238
63. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	74224.82	1.20	74226.02	239-241
<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>	<b>32606.92</b>	<b>39.27</b>	<b>32646.19</b>	
64. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	32606.92	39.27	32646.19	242-245
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>	<b>5600.78</b>	<b>249.59</b>	<b>5850.37</b>	
65. विधि और न्याय	4807.22	191.02	4998.24	246-249
66. निर्वाचन आयोग	302.98	2.00	304.98	250-250
67. भारत का उच्चतम न्यायालय	490.58	56.57	547.15	251-251
<b>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>	<b>22452.42</b>	<b>715.73</b>	<b>23168.15</b>	
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22452.42	715.73	23168.15	252-258
<b>खान मंत्रालय</b>	<b>2958.91</b>	<b>79.09</b>	<b>3038.00</b>	
69. खान मंत्रालय	2958.91	79.09	3038.00	259-261
<b>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>	
70. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3346.28	3.72	3350.00	262-265
<b>नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	<b>26542.18</b>	<b>7.20</b>	<b>26549.38</b>	
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	26542.18	7.20	26549.38	266-269

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
<b>पंचायती राज मंत्रालय</b>	<b>1170.90</b>	<b>14.10</b>	<b>1185.00</b>	
72. पंचायती राज मंत्रालय	1170.90	14.10	1185.00	270-271
<b>संसदीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>	
73. संसदीय कार्य मंत्रालय	59.90	6.66	66.56	272-272
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>	<b>2459.14</b>	<b>249.39</b>	<b>2708.53</b>	
74. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2408.69	247.77	2656.46	273-275
75. केंद्रीय सतर्कता आयोग	50.45	1.62	52.07	276-276
<b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>	<b>12700.77</b>	<b>6626.13</b>	<b>19326.90</b>	
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	12700.77	6626.13	19326.90	277-281
<b>योजना मंत्रालय</b>	<b>972.35</b>	<b>33.71</b>	<b>1006.06</b>	
77. योजना मंत्रालय	972.35	33.71	1006.06	282-283
<b>पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय</b>	<b>1709.23</b>	<b>1761.35</b>	<b>3470.58</b>	
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	1709.23	1761.35	3470.58	284-287
<b>विद्युत मंत्रालय</b>	<b>21188.59</b>	<b>658.41</b>	<b>21847.00</b>	
79. विद्युत मंत्रालय	21188.59	658.41	21847.00	288-294
<b>राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय</b>	<b>1830.85</b>	<b>76.05</b>	<b>1906.90</b>	
80. राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते	125.63	16.20	141.83	295-296
81. लोक सभा	878.10	24.90	903.00	297-298
82. राज्य सभा	400.89	13.00	413.89	299-300
83. उप-राष्ट्रपति सचिवालय	12.11	0.31	12.42	301-301

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
84. संघ लोक सेवा आयोग	414.12	21.64	435.76	302-302
<b>रेल मंत्रालय</b>	<b>3445.18</b>	<b>252000.00</b>	<b>255445.18</b>	
85. रेल मंत्रालय	3445.18	252000.00	255445.18	303-307
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>	<b>15092.01</b>	<b>272241.15</b>	<b>287333.16</b>	
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15092.01	272241.15	287333.16	308-311
<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>	<b>190400.28</b>	<b>5.25</b>	<b>190405.53</b>	
87. ग्रामीण विकास विभाग	187750.29	4.24	187754.53	312-316
88. भूमि संसाधन विभाग	2649.99	1.01	2651.00	317-318
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>	<b>18515.86</b>	<b>20097.46</b>	<b>38613.32</b>	
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	8413.05	20095.85	28508.90	319-322
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3446.64	...	3446.64	323-325
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6656.17	1.61	6657.78	326-327
<b>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>	
92. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	6017.04	83.06	6100.10	328-330
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>	<b>14873.22</b>	<b>12.78</b>	<b>14886.00</b>	
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	13599.42	11.58	13611.00	331-337
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1273.80	1.20	1275.00	338-340
<b>अंतरिक्ष विभाग</b>	<b>7312.57</b>	<b>6103.63</b>	<b>13416.20</b>	
95. अंतरिक्ष विभाग	7312.57	6103.63	13416.20	341-343
<b>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>	<b>5426.19</b>	<b>44.87</b>	<b>5471.06</b>	

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2025-2026			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
96. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5426.19	44.87	5471.06	344-345
<b>इस्पात मंत्रालय</b>	<b>364.22</b>	<b>2997.78</b>	<b>3362.00</b>	
97. इस्पात मंत्रालय	364.22	2997.78	3362.00	346-348
<b>वस्त्र मंत्रालय</b>	<b>5252.89</b>	<b>19.11</b>	<b>5272.00</b>	
98. वस्त्र मंत्रालय	5252.89	19.11	5272.00	349-352
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>	<b>2534.93</b>	<b>6.13</b>	<b>2541.06</b>	
99. पर्यटन मंत्रालय	2534.93	6.13	2541.06	353-356
<b>जनजातीय कार्य मंत्रालय</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>	
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	14894.08	31.73	14925.81	357-361
<b>महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>	<b>26884.99</b>	<b>4.70</b>	<b>26889.69</b>	
101. महिला और बाल विकास मंत्रालय	26884.99	4.70	26889.69	362-365
<b>युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय</b>	<b>3788.49</b>	<b>5.81</b>	<b>3794.30</b>	
102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3788.49	5.81	3794.30	366-369
<b>कुल जोड़</b>	<b>3944255.27</b>	<b>1121089.77</b>	<b>5065345.04</b>	



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
मांग संख्या 1  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	203249.75	40.58	203290.33	227186.13	95.64	227281.77	239040.58	118.63	239159.21	235044.56	87.87	235132.43
<b>वसूलियां</b>	-94934.30	-0.26	-94934.56	-104753.00	...	-104753.00	-107964.00	...	-107964.00	-107842.27	...	-107842.27
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>108315.45</b>	<b>40.32</b>	<b>108355.77</b>	<b>122433.13</b>	<b>95.64</b>	<b>122528.77</b>	<b>131076.58</b>	<b>118.63</b>	<b>131195.21</b>	<b>127202.29</b>	<b>87.87</b>	<b>127290.16</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	160.67	11.18	171.85	248.41	14.30	262.71	227.73	15.75	243.48	263.49	14.73	278.22
1.02 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	773.30	29.40	802.70	455.92	81.34	537.26	511.89	102.88	614.77	443.81	73.14	516.95
जोड़- सचिवालय	933.97	40.58	974.55	704.33	95.64	799.97	739.62	118.63	858.25	707.30	87.87	795.17
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.10	-0.26	-0.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>933.87</b>	<b>40.32</b>	<b>974.19</b>	<b>704.33</b>	<b>95.64</b>	<b>799.97</b>	<b>739.62</b>	<b>118.63</b>	<b>858.25</b>	<b>707.30</b>	<b>87.87</b>	<b>795.17</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. फसल बीमा योजना												
3.01 कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में अंतरण	12994.84	...	12994.84	14600.00	...	14600.00	15864.00	...	15864.00	12242.27	...	12242.27
3.02 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	12948.50	...	12948.50	14600.00	...	14600.00	15864.00	...	15864.00	12242.27	...	12242.27
3.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-12994.84	...	-12994.84	-14600.00	...	-14600.00	-15864.00	...	-15864.00	-12242.27	...	-12242.27
<b>निवल</b>	<b>12948.50</b>	...	<b>12948.50</b>	<b>14600.00</b>	...	<b>14600.00</b>	<b>15864.00</b>	...	<b>15864.00</b>	<b>12242.27</b>	...	<b>12242.27</b>
4. संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)												
4.01 कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अंतरण	14251.93	...	14251.93	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
4.02 संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	14251.93	...	14251.93	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
4.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-14251.93	...	-14251.93	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00
<b>निवल</b>	<b>14251.93</b>	...	<b>14251.93</b>	<b>22600.00</b>	...	<b>22600.00</b>	<b>22600.00</b>	...	<b>22600.00</b>	<b>22600.00</b>	...	<b>22600.00</b>
5. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएसएस-पीएसएस)	...	...	...	...	...	...	75.13	...	75.13	...	...	...
6. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा)	2200.00	...	2200.00	6437.50	...	6437.50	6437.50	...	6437.50	6941.36	...	6941.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को दाल का वितरण	446.30	...	446.30	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	...	...	...
8. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)												
8.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	60000.00	...	60000.00	60000.00	...	60000.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
8.02 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	61440.74	...	61440.74	60000.00	...	60000.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
8.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-60000.00	...	-60000.00	-60000.00	...	-60000.00	-63500.00	...	-63500.00	-63500.00	...	-63500.00
<i>निवल</i>	<i>61440.74</i>	<i>...</i>	<i>61440.74</i>	<i>60000.00</i>	<i>...</i>	<i>60000.00</i>	<i>63500.00</i>	<i>...</i>	<i>63500.00</i>	<i>63500.00</i>	<i>...</i>	<i>63500.00</i>
9. प्रधानमंत्री किसान मन - धन योजना	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
10. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	428.86	...	428.86	581.67	...	581.67	584.19	...	584.19	584.00	...	584.00
11. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	475.23	...	475.23	600.00	...	600.00	750.00	...	750.00	900.00	...	900.00
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	22.50	...	22.50	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
13. कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता	...	...	...	62.50	...	62.50	62.50	...	62.50	71.50	...	71.50
14. नमो ड्रोन दीदी	...	...	...	500.00	...	500.00	250.00	...	250.00	676.85	...	676.85
15. कपास प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
16. दालों हेतु मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
17. सब्जियों और फलों के लिए मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
18. हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
19. मखाना बोर्ड हेतु सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
20. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	4500.00	...	4500.00	...	...	...	6000.00	...	6000.00	...	...	...
21. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
21.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
22. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-1507.60	...	-1507.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>95306.46</b>	<b>...</b>	<b>95306.46</b>	<b>105856.67</b>	<b>...</b>	<b>105856.67</b>	<b>116598.32</b>	<b>...</b>	<b>116598.32</b>	<b>108910.98</b>	<b>...</b>	<b>108910.98</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
23. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	36.68	...	36.68	50.00	...	50.00	55.85	...	55.85	40.00	...	40.00
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
24. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	20.26	...	20.26	22.00	...	22.00	21.50	...	21.50	22.00	...	22.00
25. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
26. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00	17.00	...	17.00	5.00	...	5.00
27. नारियल विकास बोर्ड	39.13	...	39.13	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
28. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	18.00	...	18.00	20.99	...	20.99	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>88.39</b>	<b>...</b>	<b>88.39</b>	<b>89.49</b>	<b>...</b>	<b>89.49</b>	<b>102.50</b>	<b>...</b>	<b>102.50</b>	<b>91.00</b>	<b>...</b>	<b>91.00</b>
<b>अन्य</b>												
29. कृषि गणना	40.62	...	40.62	50.00	...	50.00	43.25	...	43.25	40.00	...	40.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	216.56	...	216.56	230.00	...	230.00	246.93	...	246.93	200.00	...	200.00
31. आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	21.75	...	21.75	25.00	...	25.00
32. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	55.45	...	55.45	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00
33. राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>342.63</b>	<b>...</b>	<b>342.63</b>	<b>367.00</b>	<b>...</b>	<b>367.00</b>	<b>373.93</b>	<b>...</b>	<b>373.93</b>	<b>337.00</b>	<b>...</b>	<b>337.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>467.70</b>	<b>...</b>	<b>467.70</b>	<b>506.49</b>	<b>...</b>	<b>506.49</b>	<b>532.28</b>	<b>...</b>	<b>532.28</b>	<b>468.00</b>	<b>...</b>	<b>468.00</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
34. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना												
34.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	5759.92	...	5759.92	7553.00	...	7553.00	6000.00	...	6000.00	8500.00	...	8500.00
34.02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5760.94	...	5760.94	7553.00	...	7553.00	6000.00	...	6000.00	8500.00	...	8500.00
34.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-5827.37	...	-5827.37	-7553.00	...	-7553.00	-6000.00	...	-6000.00	-8500.00	...	-8500.00
<i>निवल</i>	<i>5693.49</i>	<i>...</i>	<i>5693.49</i>	<i>7553.00</i>	<i>...</i>	<i>7553.00</i>	<i>6000.00</i>	<i>...</i>	<i>6000.00</i>	<i>8500.00</i>	<i>...</i>	<i>8500.00</i>
35. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	30.19	...	30.19	365.64	...	365.64	100.00	...	100.00	616.01	...	616.01
36. कृषोन्नति योजना	5736.20	...	5736.20	7447.00	...	7447.00	7106.36	...	7106.36	8000.00	...	8000.00
37. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. वास्तविक वसूली	-352.46	...	-352.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>11607.42</b>	<b>...</b>	<b>11607.42</b>	<b>15365.64</b>	<b>...</b>	<b>15365.64</b>	<b>13206.36</b>	<b>...</b>	<b>13206.36</b>	<b>17116.01</b>	<b>...</b>	<b>17116.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>108315.45</b>	<b>40.32</b>	<b>108355.77</b>	<b>122433.13</b>	<b>95.64</b>	<b>122528.77</b>	<b>131076.58</b>	<b>118.63</b>	<b>131195.21</b>	<b>127202.29</b>	<b>87.87</b>	<b>127290.16</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. कृषि कार्य	82135.70	...	82135.70	75775.58	...	75775.58	85070.98	...	85070.98	76941.08	...	76941.08
2. मृदा और जल संरक्षण	32.92	...	32.92	35.75	...	35.75	35.75	...	35.75	38.25	...	38.25
3. कृषि वित्तीय संस्थान	15249.71	...	15249.71	20700.00	...	20700.00	19755.00	...	19755.00	21313.68	...	21313.68
4. अन्य कृषि कार्यक्रम	1935.21	...	1935.21	3262.71	...	3262.71	3220.86	...	3220.86	3323.66	...	3323.66
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	160.57	...	160.57	248.41	...	248.41	227.73	...	227.73	263.49	...	263.49
6. फसल कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.13	21.13	...	71.84	71.84	...	92.03	92.03	...	66.83	66.83
7. मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.51	4.51	...	4.25	4.25	...	4.25	4.25	...	1.75	1.75
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.50	3.50	...	5.25	5.25	...	6.60	6.60	...	4.56	4.56
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.18	11.18	...	14.30	14.30	...	15.75	15.75	...	14.73	14.73
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>99514.11</b>	<b>40.32</b>	<b>99554.43</b>	<b>100022.45</b>	<b>95.64</b>	<b>100118.09</b>	<b>108310.32</b>	<b>118.63</b>	<b>108428.95</b>	<b>101880.16</b>	<b>87.87</b>	<b>101968.03</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>अन्य</b>												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	12122.24	...	12122.24	13675.20	...	13675.20	13394.46	...	13394.46
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8708.90	...	8708.90	10132.99	...	10132.99	8894.46	...	8894.46	11804.24	...	11804.24
12. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	92.44	...	92.44	155.45	...	155.45	196.60	...	196.60	123.43	...	123.43
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>8801.34</b>	<b>...</b>	<b>8801.34</b>	<b>22410.68</b>	<b>...</b>	<b>22410.68</b>	<b>22766.26</b>	<b>...</b>	<b>22766.26</b>	<b>25322.13</b>	<b>...</b>	<b>25322.13</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>108315.45</b>	<b>40.32</b>	<b>108355.77</b>	<b>122433.13</b>	<b>95.64</b>	<b>122528.77</b>	<b>131076.58</b>	<b>118.63</b>	<b>131195.21</b>	<b>127202.29</b>	<b>87.87</b>	<b>127290.16</b>

नोट: ब.अ. 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन रु 128290.16 करोड़ रुपये (127290.16 करोड़ रुपये और प्लस 1000 करोड़ रुपये) है। ब.अ. 2025-26 में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये पीएमएफवीवाई और आरकेवीवाई योजना के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) से शेष राशि से पूरा किए जाने हैं।

1. **सचिवालय:** बजट प्रावधानों में मंत्रालयों विभागों और इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं।

3. **फसल बीमा योजना:** प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है ताकि किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी नैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह स्कीम मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

4. **संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस):** एमआईएसएस फसल कृषि कार्य करने वाले किसानों और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे अन्य संबद्ध गतिविधियों को करने के लिए रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है। यह एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रु.3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% सहायता भी दी जाती है जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

5. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन कृषि एवं बागवानी संबंधी वस्तुओं की खरीद के लिए कार्यान्वित की जा रही है जो नाशवान प्रकृति की हैं और जिनके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य फसल प्राप्ति की व्यस्ततम अवधि के दौरान जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाते हैं, भरपूर फसल होने की स्थिति में इन वस्तुओं के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना है।

6. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा):** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक ऐसी योजना है जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक हैं। इसका उद्देश्य मूल रूप से किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। इसे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करने

के लिए लागू किया जा रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए भी लागू किया जा रहा है।

7. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को ढाल का वितरण:** मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत खरीदे गए चने के वितरण की योजना राज्यों/संघ राज्यों-क्षेत्रों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन (एमडीएम), एकीकृत वाल विकास सेवा (आईसीडीएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि के तहत उपयोग के लिए रियायती दर पर अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पीएसएस के तहत खरीदे गए चने का विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उपयोग के माध्यम से निपटान करना था।

8. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य अपवर्जन के अध्यधीन भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पद्धति से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान चार मासिक किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

9. **प्रधानमंत्री किसान मन - धन योजना:** प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) का उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक अंशदायी योजना है, जो अपवर्जन मानदण्डों के अध्यधीन, पेंशन निधि में मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं।

10. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन वर्ष 2020 में व्यापकता का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सके। उक्त योजना के तहत, एफपीओ को 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, एफपीओ को संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थान से एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्यों को 2,000 रुपये तक की इकटिटी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, जिसकी सीमा 15.00 लाख रुपये एफपीओ है और प्रति एफपीओ परियोजना ऋण पर 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा भी दी जा रही है।

11. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना को 8.7.2020 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया था ताकि फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश करने हेतु मध्यम-दीर्घावधि ऋण का वित्तपोषण ब्याज छूट एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सके। इस योजना के तहत, प्राथमिक कृषि ऋण

सोसायटियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुदेशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केन्द्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजना के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ रूपए तक सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 3% की व्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा (सीजीटीएमएसई) से पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी बीमा उपलब्ध होगा। इस बीमा के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

12. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम):** राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, महिलाओं पर विशेष ध्यान, संवर्धन और उत्पादन के लिए इनपुट समर्थन, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) की स्थापना अन्य बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण/ऑनलाइन पंजीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजार समर्थन, आदि और 3 मिनी मिशन (एमएम) के तहत अनुसंधान एवं विकास पर जोर देकर देश में "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

13. **कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्टअप्स की गतिविधियों में अन्य बातों के अलावा, फार्म स्तर पर किराये के आधार पर किसानों के लिए मशीनरी और एफपीओ के लिए आईटी-आधारित समर्थन सहित प्रौद्योगिकी शामिल होगी।

14. **नमो ड्रोन दीदी:** इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान कृषि प्रयोजनों लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

15. **कपास प्रौद्योगिकी मिशन:** कपास प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य देश में कपास उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना है। मिशन के लक्ष्यों में उत्पादकता, गुणवत्ता, विपणन, प्रसंस्करण और किसान की आय में वृद्धि करना शामिल है।

16. **दालों हेतु मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी दालों के लिए दालों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना है। खरीद के अलावा वेयरहाउसिंग समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

17. **सब्जियों और फलों के लिए मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

18. **हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोध आदि के साथ संकरों का लक्षित विकास और प्रसार करना है।

19. **मखाना बोर्ड हेतु सहायता:** मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए विहार में स्थापित किया जाना है।

20. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** इस योजना का उद्देश्य पीएम-किसान योजना (2000 करोड़ रुपये), पीएमएफबीवाई (2000 करोड़ रुपये) और एमआईएसएस (2000 करोड़ रुपये) के कार्यात्मक शीर्षों से कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) को 6000 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करना है।

21. **आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि:** बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 128290.16 करोड़ रुपये (127290.16 करोड़ रुपये और प्लस 1000 करोड़ रुपये) हैं। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 1000 हजार करोड़ रुपये पीएमएफबीवाई और आरकेबीवाई योजना के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) निधि के शेष व्यय को पूरा करने हेतु है।

23. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजन से वर्ष 2001 में बने एक विधान के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं (ब्रीडर्स) के अधिकारों के संरक्षण और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया है।

24. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** यह संस्थान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव-सुरक्षा एवं क्षिप्रक्रमण (इनकर्सन) प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए कार्यरत है।

25. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुविधाजनक बनाता है ताकि वे संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुआरों को सर्वोत्तम कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

26. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों को परामर्श और नीतिगत समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

27. **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

28. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत हार्ड-टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/केंद्र विकसित करना, कटाई के बाद और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने इत्यादि को बढ़ावा देना है।

29. **कृषि गणना:** कृषि गणना कृषि सांख्यिकी के संग्रहण की एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय परिचालन है।

30. **कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी:** इस योजना का समग्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का एक डेटाबेस एकत्र करना, संकलित करना और बनाए रखना, कृषि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण करना और नीतिगत सुझाव देना है।
31. **आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र:** आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र एक क्षेत्रीय सुविधा है जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के संस्थानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रशिक्षण और सेवा की व्यवस्था में सहायता करता है।
32. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक राशि ,खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी) को आवंटित की जाती है।
33. **राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस):** राष्ट्रीय किसान कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस) एक स्वायत्त सोसायटी है और पीएम-किसान योजना के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में स्थापित की गई है।
34. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) मूल रूप से कृषि-उद्यमिता, नवाचारों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने सहित पूर्व और पश्चात उपज के अवसंरचना पर प्रमुख ध्यान देने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।
35. **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन:** राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को स्थिरता, जलवायु प्रतिरोधकता सुरक्षित भोजन की दिशा में कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बदलाव के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन और प्रसार में प्राकृतिक खेती के लिए संस्थागत क्षमता बनाना, अभ्यास करने वाले किसानों को प्रचार रणनीति में भागीदार बनाना, किसानों को प्रशिक्षण और निरंतर सहायता सुनिश्चित करना और इस तरह प्रणाली की योग्यता के आधार पर स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को आकर्षित करना है।
36. **कृषोन्नति योजना:** कृषोन्नति योजना को लागू करने का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना है ताकि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
मांग संख्या 2  
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	9801.00	3.39	9804.39	9934.59	6.50	9941.09	10152.53	3.82	10156.35	10462.06	4.33	10466.39
वसूलियां	-13.61	...	-13.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>9787.39</b>	<b>3.39</b>	<b>9790.78</b>	<b>9934.59</b>	<b>6.50</b>	<b>9941.09</b>	<b>10152.53</b>	<b>3.82</b>	<b>10156.35</b>	<b>10462.06</b>	<b>4.33</b>	<b>10466.39</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	31.54	3.39	34.93	51.64	6.50	58.14	36.15	3.82	39.97	42.84	4.33	47.17
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>कृषि शिक्षा</b>												
2. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)	54.60	...	54.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का सुदृढीकरण	249.91	...	249.91	234.89	...	234.89	234.89	...	234.89	204.23	...	204.23
4. सतत कृषि विकास हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के साथ बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन और उत्पादन पश्चात तंत्र	70.09	...	70.09	91.24	...	91.24	91.24	...	91.24	95.74	...	95.74
5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	239.97	...	239.97	252.16	...	252.16	252.16	...	252.16	229.09	...	229.09
6. खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान	930.95	...	930.95	930.22	...	930.22	930.22	...	930.22	965.46	...	965.46
7. पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान)	210.19	...	210.19	257.07	...	257.07	257.07	...	257.07	318.91	...	318.91
8. पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास	304.22	...	304.22	415.15	...	415.15	415.15	...	415.15	504.04	...	504.04
9. संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन	150.00	...	150.00	200.92	...	200.92	200.92	...	200.92	192.81	...	192.81
10. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढीकरण	322.67	...	322.67	398.74	...	398.74	630.17	...	630.17	708.94	...	708.94
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2532.60</b>	<b>...</b>	<b>2532.60</b>	<b>2780.39</b>	<b>...</b>	<b>2780.39</b>	<b>3011.82</b>	<b>...</b>	<b>3011.82</b>	<b>3219.22</b>	<b>...</b>	<b>3219.22</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
11. आईसीएआर मुख्यालय	6569.83	...	6569.83	6378.70	...	6378.70	6370.70	...	6370.70	6425.83	...	6425.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय	666.27	...	666.27	723.55	...	723.55	733.55	...	733.55	774.17	...	774.17
13. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी	0.76	...	0.76	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31	...	...	...
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>7236.86</b>	<b>...</b>	<b>7236.86</b>	<b>7102.56</b>	<b>...</b>	<b>7102.56</b>	<b>7104.56</b>	<b>...</b>	<b>7104.56</b>	<b>7200.00</b>	<b>...</b>	<b>7200.00</b>
<b>अन्य</b>												
14. वास्तविक बसूली	-13.61	...	-13.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>7223.25</b>	<b>...</b>	<b>7223.25</b>	<b>7102.56</b>	<b>...</b>	<b>7102.56</b>	<b>7104.56</b>	<b>...</b>	<b>7104.56</b>	<b>7200.00</b>	<b>...</b>	<b>7200.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>9787.39</b>	<b>3.39</b>	<b>9790.78</b>	<b>9934.59</b>	<b>6.50</b>	<b>9941.09</b>	<b>10152.53</b>	<b>3.82</b>	<b>10156.35</b>	<b>10462.06</b>	<b>4.33</b>	<b>10466.39</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9763.44	...	9763.44	9303.22	...	9303.22	9513.56	...	9513.56	9772.86	...	9772.86
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.95	...	23.95	43.98	...	43.98	28.49	...	28.49	35.02	...	35.02
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.39	3.39	...	6.50	6.50	...	3.82	3.82	...	4.33	4.33
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>9787.39</b>	<b>3.39</b>	<b>9790.78</b>	<b>9347.20</b>	<b>6.50</b>	<b>9353.70</b>	<b>9542.05</b>	<b>3.82</b>	<b>9545.87</b>	<b>9807.88</b>	<b>4.33</b>	<b>9812.21</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	587.39	...	587.39	610.48	...	610.48	654.18	...	654.18
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>587.39</b>	<b>...</b>	<b>587.39</b>	<b>610.48</b>	<b>...</b>	<b>610.48</b>	<b>654.18</b>	<b>...</b>	<b>654.18</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>9787.39</b>	<b>3.39</b>	<b>9790.78</b>	<b>9934.59</b>	<b>6.50</b>	<b>9941.09</b>	<b>10152.53</b>	<b>3.82</b>	<b>10156.35</b>	<b>10462.06</b>	<b>4.33</b>	<b>10466.39</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. एग्रिप्रोवेट इंडिया लिमिटेड	...	7.40	7.40	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	10.00	
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	<b>...</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>...</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>...</b>	<b>10.00</b>	

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) के वेतन और स्थापना व्यय पर होने वाले खर्च के लिए है। डीएआरई का एक संबद्ध कार्यालय एएसआरबी है।

2. **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह विश्व बैंक और सरकार द्वारा वित्तपोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के बाह्य सहायता प्राप्त घटक के लिए है। जिसका उद्देश्य बुनियादी

ढांचे, शिक्षकों और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों के समतुल्य हो।



3. **कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के क्रियाकलापों के लिए है जिससे फ्रंटलाइन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन, प्रसार और परिष्करण हो। इसमें प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, स्थानीय प्रौद्योगिकियों के संबंध में किसानों और एक्सटेंशन कार्मिकों का प्रशिक्षण, तथा बीज, रोपण सामग्रियों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच आदि शामिल हैं।

4. **सतत कृषि विकास हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के साथ बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन और उत्पादन पश्चात तंत्र:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए है।

5. **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान कम कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता, भूमि क्षरण, कम जल उत्पादकता, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और कम पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र संस्थाओं में गिरावट, अजैविक दबाव आदि को चिह्नित करने के लिए अनुसंधान करने हेतु है। कृषि विकास की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए गिरते प्राकृतिक संसाधन आधार का सामना करना आवश्यक है।

6. **खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान:** अनुसंधान का प्रावधान विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दबावों के अतिरिक्त कीटनाशक और रोग सहनशीलता के लिए है। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्व दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने के कार्य में लगे हैं।

7. **पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान):** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दबावों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र के साथ नई खेती का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और संधारणीयता को सहायता प्रदान करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

9. **संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन:** यह प्रावधान मतस्यपालन और जलजीव पालन में अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। यह मत्स्यपालन संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन, जलजीवपालन हैचरी और ग्रो-आउट कल्चर प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण, डिस्पांसिबल फिशिंग सिस्टम और जलजीव पालन के लिए अतः स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनिटरिंग आदि करने के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक, सलाहकार-सहायता और परामर्शदाता सेवाएं भी प्रदान करता है।

10. **कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन, ii) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध

कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

11. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान आईसीएआर के तहत मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और विभिन्न योजनाओं प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता संबंधी व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

12. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में व्यास कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

13. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** यह प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने हेतु कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।

परमाणु ऊर्जा विभाग  
मांग संख्या 3  
परमाणु ऊर्जा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	18778.66	17107.30	35885.96	20251.14	15908.79	36159.93	21142.56	15421.68	36564.24	22668.29	14814.64	37482.93
<b>वसूलियां</b>	-186.43	-2565.22	-2751.65	-121.15	-2048.00	-2169.15	-144.41	-2666.00	-2810.41	-153.40	-2837.00	-2990.40
<b>प्राप्तियां</b>	-7251.43	...	-7251.43	-9021.80	...	-9021.80	-9044.07	-259.10	-9303.17	-10443.43	...	-10443.43
<b>निवल</b>	<b>11340.80</b>	<b>14542.08</b>	<b>25882.88</b>	<b>11108.19</b>	<b>13860.79</b>	<b>24968.98</b>	<b>11954.08</b>	<b>12496.58</b>	<b>24450.66</b>	<b>12071.46</b>	<b>11977.64</b>	<b>24049.10</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	66.03	0.45	66.48	75.68	0.90	76.58	79.90	1.10	81.00	83.33	1.81	85.14
2. आण्विक ऊर्जा विनियामक बोर्ड	104.05	...	104.05	115.42	...	115.42	113.79	...	113.79	123.78	...	123.78
3. आण्विक अनुसंधान केन्द्र												
3.01 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	2852.11	...	2852.11	3058.26	...	3058.26	2986.58	...	2986.58	3206.02	...	3206.02
	-110.58	...	-110.58	-70.50	...	-70.50	-71.30	...	-71.30	-70.53	...	-70.53
<i>निवल</i>	<i>2741.53</i>	<i>...</i>	<i>2741.53</i>	<i>2987.76</i>	<i>...</i>	<i>2987.76</i>	<i>2915.28</i>	<i>...</i>	<i>2915.28</i>	<i>3135.49</i>	<i>...</i>	<i>3135.49</i>
3.02 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	541.01	...	541.01	529.54	...	529.54	576.54	...	576.54	575.39	...	575.39
3.03 राजा रमन सेंटर फॉर एडवान्स्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर	415.49	...	415.49	416.10	...	416.10	421.90	...	421.90	447.10	...	447.10
3.04 बैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता	155.93	...	155.93	189.48	...	189.48	182.57	...	182.57	200.19	...	200.19
3.05 परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	325.14	...	325.14	352.81	...	352.81	376.65	...	376.65	387.50	...	387.50
<i>जोड़- आण्विक अनुसंधान केन्द्र</i>	<i>4179.10</i>	<i>...</i>	<i>4179.10</i>	<i>4475.69</i>	<i>...</i>	<i>4475.69</i>	<i>4472.94</i>	<i>...</i>	<i>4472.94</i>	<i>4745.67</i>	<i>...</i>	<i>4745.67</i>
4. ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड)	666.83	...	666.83	670.81	...	670.81	761.24	...	761.24	740.61	...	740.61
5. सेवा इकाइयां	479.21	3.66	482.87	496.65	4.45	501.10	478.90	1.40	480.30	511.27	2.87	514.14
	-44.57	...	-44.57	-35.50	...	-35.50	-37.50	...	-37.50	-37.50	...	-37.50
<i>निवल</i>	<i>434.64</i>	<i>3.66</i>	<i>438.30</i>	<i>461.15</i>	<i>4.45</i>	<i>465.60</i>	<i>441.40</i>	<i>1.40</i>	<i>442.80</i>	<i>473.77</i>	<i>2.87</i>	<i>476.64</i>
6. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी)	121.97	...	121.97	109.97	...	109.97	127.33	...	127.33	152.56	...	152.56
7. प्रबंधन सेवा समूह	0.78	...	0.78	1.15	...	1.15	0.99	...	0.99	1.24	...	1.24
8. नाभिकीय ईंधन परिसर												
8.01 सकल वजतीय सहायता	4001.11	...	4001.11	2864.46	...	2864.46	3801.74	...	3801.74	3243.25	...	3243.25

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाएं - प्राप्तियां	-2999.43	...	-2999.43	-2916.07	...	-2916.07	-2985.05	...	-2985.05	-2980.05	...	-2980.05
8.03 घटाएं - वसूलियां	-0.19	...	-0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>1001.49</i>	<i>...</i>	<i>1001.49</i>	<i>-51.61</i>	<i>...</i>	<i>-51.61</i>	<i>816.69</i>	<i>...</i>	<i>816.69</i>	<i>263.20</i>	<i>...</i>	<i>263.20</i>
<b>9. भारी जल उत्पादन सुविधा-केंद्र</b>												
9.01 सकल बजटीय सहायता	102.77	1710.05	1812.82	110.82	1374.39	1485.21	129.45	1550.62	1680.07	155.76	1577.31	1733.07
9.02 घटाएं-वसूली	-20.79	-1700.11	-1720.90	-15.15	-1701.00	-1716.15	-35.61	-1601.00	-1636.61	-45.37	-1701.00	-1746.37
<i>निवल</i>	<i>81.98</i>	<i>9.94</i>	<i>91.92</i>	<i>95.67</i>	<i>-326.61</i>	<i>-230.94</i>	<i>93.84</i>	<i>-50.38</i>	<i>43.46</i>	<i>110.39</i>	<i>-123.69</i>	<i>-13.30</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>6656.87</b>	<b>14.05</b>	<b>6670.92</b>	<b>5953.93</b>	<b>-321.26</b>	<b>5632.67</b>	<b>6908.12</b>	<b>-47.88</b>	<b>6860.24</b>	<b>6694.55</b>	<b>-119.01</b>	<b>6575.54</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>अनुसंधान एवं विकास</b>												
10. भाभा परमाणुअनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (बीएआरसी)	...	973.80	973.80	204.37	895.63	1100.00	183.54	774.82	958.36	219.46	880.54	1100.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>-0.68</i>	<i>-0.68</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
11. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (आईजीसीएआर)	...	189.48	189.48	28.27	196.73	225.00	9.28	152.21	161.49	20.23	204.77	225.00
12. राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी)	...	152.60	152.60	...	130.00	130.00	...	161.60	161.60	8.77	169.83	178.60
13. परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	...	158.07	158.07	110.53	111.23	221.76	119.25	69.17	188.42	126.25	95.51	221.76
14. अन्य संस्थानों को अनुदान	78.21	...	78.21	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
<b>जोड़-अनुसंधान एवं विकास</b>	<b>78.21</b>	<b>1473.27</b>	<b>1551.48</b>	<b>433.17</b>	<b>1333.59</b>	<b>1766.76</b>	<b>402.07</b>	<b>1157.80</b>	<b>1559.87</b>	<b>464.71</b>	<b>1350.65</b>	<b>1815.36</b>
15. ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरवी)	...	887.17	887.17	0.30	804.90	805.20	0.30	699.70	700.00	0.30	499.70	500.00
<b>आवासन और पास-पड़ोस विकास परियोजनाएं</b>												
16. आवासीय परियोजनाएं	...	169.53	169.53	...	161.20	161.20	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00
<b>भारी जल सुविधाएं</b>												
17. भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन	...	33.60	33.60	...	40.00	40.00	...	35.00	35.00	...	45.00	45.00
<b>18. फीडस्टॉक</b>												
18.01 सकल बजटीय सहायता	...	1700.00	1700.00	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	1700.00	1700.00
18.02 घटाएं - वसूलियां	...	-864.43	-864.43	...	-347.00	-347.00	...	-1065.00	-1065.00	...	-1136.00	-1136.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>835.57</i>	<i>835.57</i>	<i>...</i>	<i>1253.00</i>	<i>1253.00</i>	<i>...</i>	<i>535.00</i>	<i>535.00</i>	<i>...</i>	<i>564.00</i>	<i>564.00</i>
<b>19. भारी जल पूल प्रबंधन</b>												
19.01 सकल बजटीय सहायता	1550.00	...	1550.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	3000.00	...	3000.00
19.02 घटाएं - प्राप्तियां	-1550.00	...	-1550.00	-2000.00	...	-2000.00	-2000.00	...	-2000.00	-3000.00	...	-3000.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-भारी जल सुविधाएं</b>	<b>...</b>	<b>869.17</b>	<b>869.17</b>	<b>...</b>	<b>1293.00</b>	<b>1293.00</b>	<b>...</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>...</b>	<b>609.00</b>	<b>609.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20. विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना (बीआरआईटी)	...	32.06	32.06	...	40.00	40.00	...	73.02	73.02	...	88.22	88.22
21. नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं	1337.69	76.97	1414.66	1881.98	345.85	2227.83	1423.00	77.00	1500.00	1820.17	265.83	2086.00
	-10.28	...	-10.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>1327.41</i>	<i>76.97</i>	<i>1404.38</i>	<i>1881.98</i>	<i>345.85</i>	<i>2227.83</i>	<i>1423.00</i>	<i>77.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>1820.17</i>	<i>265.83</i>	<i>2086.00</i>
22. नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं	...	849.53	849.53	...	763.61	763.61	...	690.00	690.00	...	595.00	595.00
23. परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड विस्तार परियोजना	...	8.94	8.94	...	15.81	15.81	...	10.00	10.00	...	14.00	14.00
24. वेरिफ़ाबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (बीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	...	48.28	48.28	22.84	32.15	54.99	22.84	37.16	60.00	7.34	32.66	40.00
25. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	7.28	1084.92	1092.20	1063.69	136.31	1200.00	1060.47	108.10	1168.57	1115.79	134.21	1250.00
26. उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं	10.00	52.45	62.45	5.00	26.74	31.74	5.00	54.18	59.18	14.42	17.58	32.00
27. फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकल प्रोजेक्ट्स (एफआरएफसीएफ) कलपक्कम	...	421.92	421.92	28.03	446.97	475.00	28.50	446.50	475.00	33.20	566.80	600.00
28. नाभिकीय ईंधन भण्डार												
28.01 सकल बजटीय सहायता	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	2800.00
28.02 घटाएं - प्राप्तियां	-2702.00	...	-2702.00	-4105.73	...	-4105.73	-4059.02	...	-4059.02	-4463.38	...	-4463.38
<i>निवल</i>	<i>98.00</i>	<i>...</i>	<i>98.00</i>	<i>-1305.73</i>	<i>...</i>	<i>-1305.73</i>	<i>-1259.02</i>	<i>...</i>	<i>-1259.02</i>	<i>-1663.38</i>	<i>...</i>	<i>-1663.38</i>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1520.90</b>	<b>5974.21</b>	<b>7495.11</b>	<b>2129.28</b>	<b>5400.13</b>	<b>7529.41</b>	<b>1683.16</b>	<b>4083.46</b>	<b>5766.62</b>	<b>1792.55</b>	<b>4333.65</b>	<b>6126.20</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
29. अन्य स्वायत्त निकाय	3115.26	...	3115.26	2969.98	...	2969.98	3307.80	...	3307.80	3529.36	...	3529.36
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
30. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)	...	8353.82	8353.82	...	7597.92	7597.92	...	7861.00	7861.00	...	7389.00	7389.00
31. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)	...	200.00	200.00	...	1184.00	1184.00	...	600.00	600.00	...	374.00	374.00
32. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	259.10	259.10	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	-259.10	-259.10	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>...</b>	<b>8553.82</b>	<b>8553.82</b>	<b>...</b>	<b>8781.92</b>	<b>8781.92</b>	<b>...</b>	<b>8461.00</b>	<b>8461.00</b>	<b>...</b>	<b>7763.00</b>	<b>7763.00</b>
<b>अन्य</b>												
33. अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान	47.77	...	47.77	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>3163.03</b>	<b>8553.82</b>	<b>11716.85</b>	<b>3024.98</b>	<b>8781.92</b>	<b>11806.90</b>	<b>3362.80</b>	<b>8461.00</b>	<b>11823.80</b>	<b>3584.36</b>	<b>7763.00</b>	<b>11347.36</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>11340.80</b>	<b>14542.08</b>	<b>25882.88</b>	<b>11108.19</b>	<b>13860.79</b>	<b>24968.98</b>	<b>11954.08</b>	<b>12496.58</b>	<b>24450.66</b>	<b>12071.46</b>	<b>11977.64</b>	<b>24049.10</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. विद्युत	1434.90	...	1434.90	584.88	...	584.88	173.04	...	173.04	168.34	...	168.34
2. उद्योग	2502.45	...	2502.45	1601.34	...	1601.34	2474.48	...	2474.48	2191.85	...	2191.85

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	7337.42	...	7337.42	8846.29	...	8846.29	9226.66	...	9226.66	9627.94	...	9627.94
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	66.03	...	66.03	75.68	...	75.68	79.90	...	79.90	83.33	...	83.33
5. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2067.18	2067.18	...	2908.91	2908.91	...	2908.01	2908.01	...	3658.84	3658.84
6. परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3294.01	3294.01	...	3271.83	3271.83	...	2549.40	2549.40	...	2456.18	2456.18
7. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	2616.44	2616.44	...	1460.15	1460.15	...	1408.07	1408.07	...	1490.81	1490.81
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.45	0.45	...	0.90	0.90	...	1.10	1.10	...	1.81	1.81
9. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	6564.00	6564.00	...	6219.00	6219.00	...	5630.00	5630.00	...	4370.00	4370.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>11340.80</b>	<b>14542.08</b>	<b>25882.88</b>	<b>11108.19</b>	<b>13860.79</b>	<b>24968.98</b>	<b>11954.08</b>	<b>12496.58</b>	<b>24450.66</b>	<b>12071.46</b>	<b>11977.64</b>	<b>24049.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>11340.80</b>	<b>14542.08</b>	<b>25882.88</b>	<b>11108.19</b>	<b>13860.79</b>	<b>24968.98</b>	<b>11954.08</b>	<b>12496.58</b>	<b>24450.66</b>	<b>12071.46</b>	<b>11977.64</b>	<b>24049.10</b>

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	30.39	30.39	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00			
2. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	...	120.56	120.56	...	150.00	150.00	...	105.00	105.00	...	135.00	135.00	...	135.00	135.00			
3. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	...	4.01	4.01	...	44.53	44.53	...	14.00	14.00	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50			
4. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	200.00	9.39	209.39	1184.00	7.00	1191.00	600.00	4.00	604.00	374.00	1.00	375.00	...	...	...			
5. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8353.82	10009.00	18362.82	7597.92	10562.00	18159.92	7861.00	12447.00	20308.00	7389.00	12941.00	20330.00	...	...	...			
<b>जोड़</b>	<b>8553.82</b>	<b>10173.35</b>	<b>18727.17</b>	<b>8781.92</b>	<b>10778.53</b>	<b>19560.45</b>	<b>8461.00</b>	<b>12585.00</b>	<b>21046.00</b>	<b>7763.00</b>	<b>13130.50</b>	<b>20893.50</b>	...	...	...			

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय की जिम्मेदारी इस विभाग की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही देशभर में फैली संघटक इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन छह अनुसंधान एवं विकास इकाइयां, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) हरियाणा सहित तीन औद्योगिक इकाइयां, तीन सेवा संगठनों और 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा नौ सहायता-प्राप्त संस्थान भी हैं। डीएई की एक शाखा-सचिवालय नई दिल्ली में भी है।

2. **आण्विक ऊर्जा विनियामक बोर्ड:** परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) विकिरणीय संरक्षा अनुबंधों को लागू करता है। विकिरणीय, नाभिकीय एवं औद्योगिक सुरक्षा नियमनों के निर्धारण के कार्य में प्रचालनरत संयंत्रों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसएआरसीओपी), विकिरण अनुप्रयोगों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसआरसी) एवं अन्य समितियों द्वारा इसकी सहायता की जाती है।

3.01. **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र:** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) एक बहुविषयक मल्टी डिस्प्लिनरी संगठन है जो समाज के लाभ हेतु परमाणु ऊर्जा एवं उसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकासात्मक (आर एंड डी) कार्यक्रमों को चलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), डीएई की अन्य सभी इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता लगातार उपलब्ध कराता है।

3.02. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम:** केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का दायरा रिएक्टर घटकों के हाइड्रॉलिक अध्ययनों और रिएक्टर इंजीनियरी अध्ययनों, सोडियम इंस्ट्रुमेंटेशन, पदार्थ विकास एवं विशिष्टीकरण तक फैला है। केन्द्र ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैच्युअर फास्ट ब्रीडर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया है।

3.03. **राजा रमन सेंटर फॉर एडवान्स्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर:** राजा रमन उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरसीएटी), इंदौर, कण त्वरकों और लेजरों की प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोगों के विकास में लगा है।

3.04. **वैरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता:** कोलकाता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी), राष्ट्र के सबसे बड़े और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम साइक्लोट्रॉन का प्रचालन कर रहा है और इसने भारत में प्रथम बार एनर्जेटिक नियॉन 20 और आर्गन 40 बीमों का उत्पादन किया है। एक विशाल नाभिकीय भौतिक समुदाय द्वारा राष्ट्रीय सुविधा भारतीय गामा रे एरे (आईएनजीए) की राष्ट्रीय सुविधा हेतु संचालित कई प्रयोगों को पूरा किया गया था।

3.05. **परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद:** परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु आवश्यक परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वक्षण एवं अन्वेषण का कार्य करता है।

4. **ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड):** न्यूक्लियर रिसाईकल बोर्ड (एनआरबी) को नाभिकीय ईंधन पुनः प्रसंस्करण संबंधी कार्यकलापों को करने हेतु सृजित किया गया है।

5. **सेवा इकायां:** इसमें तीन सेवा संस्थान शामिल हैं : (i) क्रय एवं भंडार निदेशालय डीपीएस, मुंबई, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ii) निर्माण, सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम), मुंबई, डीएई की संपदा हेतु आवंटन और सुरक्षा सहित रिहायशी फ्लेटों, दुकानों, सरकारी इमारतों और संपदा प्रबंधन के संचालन, अनुभव और स्तरोन्नयन के लिए मुंबई में भी उत्तरदायी है, (iii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ), कलपक्कम एक ऐसा सेवा संगठन है जो कलपक्कम में रिहायशी आवास, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

6. **विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी):** विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का दायित्व निम्नवत है:- विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पादों, जिनमें रेडियोभेषज एवं संबंधित उत्पाद, रेडियो इम्यूनोऐसे फिट, रेडियो रसायन, रेडियो चिह्नित यौगिक तथा न्यूक्लियोटाइड तथा सीलबंद विकिरण स्रोत, जैसे, कोबाल्ट-60, इरिडियम-192, कैसियम-137 आदि का उत्पादन तथा आपूर्ति करना। विकिरण प्रौद्योगिकी उपस्कर, जैसे गामा रेडियोग्राफी कैमरे, रक्त किरणक एवं प्रयोगशाला गामा किरणकों का उत्पादन और आपूर्ति; स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, खाद्य संसाधन एवं कृषि में उपयोग हेतु विकिरण संसाधन प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना तथा चिकित्सा उत्पाद, मसालों एवं अन्य उत्पादों के लिए विकिरण संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराना, विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रसार करना तथा वाणिज्यिक स्तर पर गामा विकिरण संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को सेवाएं उपलब्ध कराना।

7. **प्रबंधन सेवा समूह:** विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में समन्वयन हेतु उत्तरदायी है।

8. **नाभिकीय ईंधन परिसर:** नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) सभी दाबयुक्ती हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए जिरकोनियम एलाय क्लाड, प्राकृतिक तथा समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड फ्यूल असेम्बलीज सहित केलोन्ड्रिनया तथा पीएचडब्ल्यूआर के लिए प्रेसरूब तथा वीडब्ल्यूआर के लिए स्क्वेयर चैनल सहित इन रिएक्टरों हेतु बांडलिंग वाटर रिएक्टर्स (बीडब्ल्यूआर) जिरकोनियम एलाय स्ट्रक्चरल

संघटक के विनिर्माण हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा, एनएफसी नाभिकीय तथा गैर-नाभिकीय प्रयोगों हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के सीमलैस स्टेनलैस स्टील तथा स्पेशल एलॉय ट्यूब्स एवं सामरिक उपयोग हेतु विशेष तथा उच्च परिशुद्धता सामग्रियों का उत्पादन करता है।

9. **भारी जल उत्पादन सुविधा-केन्द्र:** भारी जल बोर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित दो भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) कोटा और मनुगुरु तथा अमोनिया-हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित दो संयंत्र थल एवं हजीरा में प्रचालित करता है।

10. **भाभा परमाणुअनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (बीएआरसी):** अनुसंधान एवं विकास के प्रयास नाभिकीय विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मूलभूत विज्ञान तथा संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित हैं और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल एवं उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए अग्रसर हैं।

11. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (आईजीसीएआर):** इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ईंधन संविरचन और री-प्रोसेसिंग समर्थित नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण के भाग के रूप में देश में तरल सोडियम शीतलित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के डिजाइन तथा विकास में लगा हुआ है। एफबीआर कार्यक्रम के आरंभ में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्वदेशी रूप से विकसित यूरेनियम-प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन से प्रचालनरत है।

12. **राजा रमना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी):** टेन एमईवी लिनेक प्रणाली की डिजाइन तथा संस्थापन, कृषि विकिरण संसाधन सुविधाओं के लिए आईसोलेथन शील्ड तथा त्वरक की दीवार में ओजोन कंटेन्मेंट का विकास किया जा रहा है।

13. **परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** इनकी गतिविधियों में परमाणु खनिजों का मूल्यांकन, विश्लेषण, अभिलक्षण तथा वर्गीकरण, रेडियोमीट्रिक उपकरणों का संविरचन तथा अयस्क निष्पन्न फ्लो शीटों का विकास शामिल है।

14. **अन्य संस्थानों को अनुदान:** परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) तथा होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के माध्यम से क्रमशः नाभिकीय एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा गणित में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

15. **ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरबी):** नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ईंधन की आपूर्ति में सुधार के लिए एकीकृत नाभिकीय पुनःचक्रण परियोजना का निर्माण।

16. **आवासीय परियोजनाएं:** आवासीय परियोजनाएं विभाग के कर्मचारियों के आवास सहित विभिन्न निर्माण गतिविधियों का संचालन करती है। यह निदेशालय विभिन्न आवासीय फ्लेटों, दुकानों, सरकारी इमारतों की यूटिलिटी बिल्डिंगों की विभिन्न सेवाओं के प्रचालन, अनुरक्षण एवं उन्नयन की जिम्मेदारी निभाता है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय अपने सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए भी निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है।

17. **भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन:** चिकित्सा, जीव विज्ञान, संचार तथा माइक्रो इलेक्टॉनिक्स के क्षेत्र में ज्यूटोरियम (डी) तथा एच डब्ल्यू के गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में कार्य करता है। भारी जल बोर्ड ने विभिन्न डी-चिह्नित यौगिकों के संश्लेषण का कार्य किया है।

18. **फीडस्टॉक:** वित्तीय वर्ष के दौरान भारी जल के अधिग्रहण तथा उत्पादन का मूल्या।
19. **भारी जल पूल प्रबंधन:** पूल प्रबंधन में धारित भारी जल के लिए नियोजित सरकार पूंजी का व्याज।
20. **विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना (बीआरआईटी):** विकिरणित सीओ-60 के भंडारण के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए विखण्डन मोली परियोजना का निर्माण।
21. **नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं:** इनमें विभाग की ओर से ऊर्जा क्षेत्रों की संघटक इकाइयों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित योजनाएं शामिल हैं।
22. **नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं:** पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन बंडल के उत्पादन हेतु जिरकोलॉय संविचरन सुविधा सहित ईंधन संविचरन सुविधा की स्थापना।
23. **परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड विस्तार परियोजना:** प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एईआरबी के क्षमता निर्माण हेतु मुख्यालय में नए भवन तथा क्षेत्रीय नियामक केंद्रों का निर्माण।
24. **वेरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (बीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:** मेडिकल साइक्लोट्रॉन की संस्थापना, एडवांस कंप्यूटिंग, एएनयूआरआईबी की डिजाइन और सुपरकंडक्टिंग एक्सीलेरेटर घटकों के विकास से भविष्य में नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान होगा।
25. **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:** विभाग की ओर से अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले आईटीईआर में योगदान के लिए प्रावधान के अतिरिक्त मेगा साइंस, पब्लिक आउटरीच, प्रबंधन कार्यक्रम, अणुनेट परियोजनाएं जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
26. **उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं:** वे परियोजनाएं शामिल हैं जो आईएंडएम क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।
27. **फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकल प्रोजेक्ट्स (एफआरएफसीएफ) कल्पक्रम:** आईजीसीएआर की ईंधन चक्र परियोजनाएं एफआरएफसीएफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संवृत्त ईंधन चक्र की एकीकृत सुविधा है।
28. **नाभिकीय ईंधन भण्डार:** यह भारी जल उत्पादन की विभिन्न सुविधाओं से भारी जल उत्पादन का मालसूची प्रबंधन है।
29. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्यारह स्वायत्त निकाय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, टाटा स्मारक केन्द्र द्वारा किए जा रहे कैंसर केयर, शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए अलग प्रावधान भी शामिल हैं।
30. **न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल):** न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु बिजलीघर की अभिकल्पना, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने वाली एक नोडल एजेंसी है।
31. **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी):** भाविनी का लक्ष्य वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए पीएफवीआर से शुरूआत करते हुए द्रुत प्रजनक प्रौद्योगिकी आधारित नाभिकीय बिजलीघरों के एकीकृत कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यान्वित करना तथा प्रचालित करना है।
32. **इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड:** वर्ष 2020-21 और 2023-24 में बोनस शेयर जारी करने के लिए।
33. **अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण को अंशदान:** भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रारंभ से ही उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिमोडियो एवं अन्य फेलोशिप विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त विशेषज्ञता वाले कार्यों हेतु विभागीय वैज्ञानिकों की सेवायें इस संस्था को उपलब्ध कराता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रावधान इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के लिए विभाग द्वारा किए गए योगदान को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं।

आयुष मंत्रालय  
मांग संख्या 4  
आयुष मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2912.59	3.72	2916.31	3703.74	8.75	3712.49	3483.99	13.65	3497.64	3937.45	55.45	3992.90
वसूलियां	-244.57	...	-244.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2668.02</b>	<b>3.72</b>	<b>2671.74</b>	<b>3703.74</b>	<b>8.75</b>	<b>3712.49</b>	<b>3483.99</b>	<b>13.65</b>	<b>3497.64</b>	<b>3937.45</b>	<b>55.45</b>	<b>3992.90</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	50.81	1.44	52.25	49.98	5.00	54.98	51.63	8.55	60.18	59.60	48.95	108.55
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	12.76	0.03	12.79	14.38	0.25	14.63	16.50	0.25	16.75	18.34	0.25	18.59
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी औषधकोश आयोग	13.64	2.25	15.89	17.30	3.50	20.80	17.36	4.85	22.21	15.71	6.25	21.96
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>77.21</b>	<b>3.72</b>	<b>80.93</b>	<b>81.66</b>	<b>8.75</b>	<b>90.41</b>	<b>85.49</b>	<b>13.65</b>	<b>99.14</b>	<b>93.65</b>	<b>55.45</b>	<b>149.10</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>आयुष संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं</b>												
4. सूचना, शिक्षा एवं संचार	33.12	...	33.12	43.20	...	43.20	33.12	...	33.12	43.20	...	43.20
5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	22.85	...	22.85	137.42	...	137.42	137.07	...	137.07	136.00	...	136.00
6. चैम्पियन सेवा क्षेत्र स्कीम	6.67	...	6.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. आयुर्जनि	14.99	...	14.99	49.50	...	49.50	27.00	...	27.00	50.00	...	50.00
8. आयुस्वास्थ्य योजना	20.83	...	20.83	72.59	...	72.59	29.00	...	29.00	62.60	...	62.60
9. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (एओजीयूएसवाई)	11.59	...	11.59	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00	27.00	...	27.00
10. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय सेंटर योजना	19.53	...	19.53	49.49	...	49.49	40.00	...	40.00	65.00	...	65.00
<b>जोड़-आयुष संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं</b>	<b>129.58</b>	<b>...</b>	<b>129.58</b>	<b>377.20</b>	<b>...</b>	<b>377.20</b>	<b>281.19</b>	<b>...</b>	<b>281.19</b>	<b>383.80</b>	<b>...</b>	<b>383.80</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>129.58</b>	<b>...</b>	<b>129.58</b>	<b>377.20</b>	<b>...</b>	<b>377.20</b>	<b>281.19</b>	<b>...</b>	<b>281.19</b>	<b>383.80</b>	<b>...</b>	<b>383.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
11. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	145.00	...	145.00	144.05	...	144.05	134.55	...	134.55	165.20	...	165.20



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	13.37	...	13.37	20.00	...	20.00	16.50	...	16.50	20.00	...	20.00
13. भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग	27.00	...	27.00	32.43	...	32.43	32.43	...	32.43	34.00	...	34.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>185.37</b>	<b>...</b>	<b>185.37</b>	<b>196.48</b>	<b>...</b>	<b>196.48</b>	<b>183.48</b>	<b>...</b>	<b>183.48</b>	<b>219.20</b>	<b>...</b>	<b>219.20</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
14. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	394.89	...	394.89	413.54	...	413.54	441.73	...	441.73	457.20	...	457.20
15. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	140.25	...	140.25	144.00	...	144.00	150.50	...	150.50	165.00	...	165.00
16. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	174.10	...	174.10	228.05	...	228.05	197.05	...	197.05	214.50	...	214.50
17. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
17.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	280.18	...	280.18	227.20	...	227.20	242.20	...	242.20	251.20	...	251.20
18. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
18.01 सकल बजटीय सहायता(जीबीएस)से मदद	83.69	...	83.69	91.69	...	91.69	86.09	...	86.09	93.96	...	93.96
19. अन्य स्वायत्त निकाय												
19.01 सकल बजटीय सहायता(जीबीएस) से मदद	578.02	...	578.02	743.92	...	743.92	770.26	...	770.26	783.94	...	783.94
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1651.13</b>	<b>...</b>	<b>1651.13</b>	<b>1848.40</b>	<b>...</b>	<b>1848.40</b>	<b>1887.83</b>	<b>...</b>	<b>1887.83</b>	<b>1965.80</b>	<b>...</b>	<b>1965.80</b>
<b>अन्य</b>												
20. वास्तविक वसूलियां	-244.57	...	-244.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1591.93</b>	<b>...</b>	<b>1591.93</b>	<b>2044.88</b>	<b>...</b>	<b>2044.88</b>	<b>2071.31</b>	<b>...</b>	<b>2071.31</b>	<b>2185.00</b>	<b>...</b>	<b>2185.00</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</b>												
21. राष्ट्रीय आयुष मिशन	869.30	...	869.30	1200.00	...	1200.00	1046.00	...	1046.00	1275.00	...	1275.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>2668.02</b>	<b>3.72</b>	<b>2671.74</b>	<b>3703.74</b>	<b>8.75</b>	<b>3712.49</b>	<b>3483.99</b>	<b>13.65</b>	<b>3497.64</b>	<b>3937.45</b>	<b>55.45</b>	<b>3992.90</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1882.11	...	1882.11	2414.39	...	2414.39	2329.88	...	2329.88	2570.40	...	2570.40
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	50.79	...	50.79	49.98	...	49.98	51.63	...	51.63	59.60	...	59.60
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.72	3.72	...	8.75	8.75	...	13.65	13.65	...	55.45	55.45
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1932.90</b>	<b>3.72</b>	<b>1936.62</b>	<b>2464.37</b>	<b>8.75</b>	<b>2473.12</b>	<b>2381.51</b>	<b>13.65</b>	<b>2395.16</b>	<b>2630.00</b>	<b>55.45</b>	<b>2685.45</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	214.37	...	214.37	196.71	...	196.71	214.45	...	214.45
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	665.25	...	665.25	925.00	...	925.00	831.77	...	831.77	988.00	...	988.00
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	69.87	...	69.87	100.00	...	100.00	74.00	...	74.00	105.00	...	105.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	735.12	...	735.12	1239.37	...	1239.37	1102.48	...	1102.48	1307.45	...	1307.45
कुल जोड़	2668.02	3.72	2671.74	3703.74	8.75	3712.49	3483.99	13.65	3497.64	3937.45	55.45	3992.90

1. **सचिवालय:** सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वस्त गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीम चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य-क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्याय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी औषधकोश आयोग:** यह आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह भारत में सभी आयुष औषधियों से संबंधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलिय प्राधिकरण है। इसके अलावा, यह सभी आयुष औषधियों के लिए मानक निश्चित करता है जो भेषज संहिता के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

4. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना। इस प्रावधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।

5. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतरराष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता का संवर्धन करना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष हितधारकों की अंतःक्रिया और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।

6. **चैम्पियन सेवा क्षेत्र स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर अस्पताल की स्थापना और कौशल विकास और आयुष प्रिड की स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।

7. **आयुर्ज्ञान:** आयुष मंत्रालय ने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' योजना लागू की है।

8. **आयुर्स्वास्थ्य योजना:** यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें आयुष मंत्रालय की पिछली स्कीम "आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य" (पी एच आई) और "उत्कृष्टता केंद्र" (सी ओ ई) शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पी एच आई) के लिए आयुष का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य -2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य -3 (एसडीजी 3) प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष अन्तर्षेप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठन के अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है। विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष अन्तर्षेपों के माध्यम से आयुष प्रणालियों की प्रभावकारिता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। उत्कृष्टता

केंद्र (सी ओ ई) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है।

9. **आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (एओजीयूएसवाई):** आयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए है।

10. **औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संघारणीय प्रबंधन संबंधी केंद्रीय सेंटर योजना:** आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के स्वस्थानों और/या बाह्यस्थानों संरक्षण, संसाधन संवर्धन को बढ़ावा देना। औषधीय पौधों के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, कृषि तकनीकों का विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण वर्णन उपकरण विकसित करना आदि। किसानों, संग्रहकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पौधों पर आधारित आजीविका प्रणाली को बढ़ाना। गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना और बाजार संबंध बनाना/इष्टतम करना और मूल्यवर्धन करना। सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उचित अंतर-राज्याय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास। दस्तावेजों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिन, वृत्तचित्र, ब्रोशर, पोस्टर, अन्य प्रचार सामग्री आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना। औषधीय पौधों की जैव विविधता के संदर्भ में भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कदम उठाना और द्विपक्षीय/अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

11. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

12. **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग:** एक अधिनियम जो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के लिए गुणवत्ता प्रदान करने में सुधार करता है और उच्च गुणवत्ता की पर्याप्त सस्ती चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों व सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाली समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। परिप्रेष्य और होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की सेवाएं सभी नागरिकों के लिए सुलभ और वृहत्नीय बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को नवीनतम चिकित्सा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने काम में अनुसंधान और अनुसंधान में योगदान करने के लिए; जिसका एक उद्देश्य आवधिक है और चिकित्सा संस्थानों का पारदर्शी मूल्यांकन और रखरखाव की सुविधा भारत के लिए एक होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर और उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में; जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इसमें शिकायत से जुड़े या उसके अनुपंगिक मामलों हेतु एक प्रभावी निवारण तंत्र है।

13. **भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग:** एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है , जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है ; जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेष्य को प्रोत्साहित

करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को भी सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है, जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इसमें एक प्रभावी शिकायत से जुड़े या उसके अनुपंगिक मामलों हेतु निवारण तंत्र एक प्रभावी निवारण तंत्र है।

14. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषज संहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

15. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

16. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

17. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं डाक्टरोपरांत (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक-आधार तैयार करना।

18. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना।

19. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई, राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग, पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट, राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान, राष्ट्रीय सोवा-रिग्या संस्थान तथा राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनआईआईएफएमआर), पासीघाट के लिए प्रावधान शामिल हैं।

21. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के रूप में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के उन्नयन के जरिए व्यापक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मेशियों, औषधि परीक्षण का उन्नयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता युक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पञ्चवर्ती एवं अष्टवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
मांग संख्या 5  
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	178.24	400.63	578.87	136.82	122.29	259.11	139.70	122.29	261.99	192.07	1.98	194.05
<i>वसूलियां</i>	-6.47	...	-6.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	-104.25	...	-104.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>67.52</b>	<b>400.63</b>	<b>468.15</b>	<b>136.82</b>	<b>122.29</b>	<b>259.11</b>	<b>139.70</b>	<b>122.29</b>	<b>261.99</b>	<b>192.07</b>	<b>1.98</b>	<b>194.05</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	25.46	1.45	26.91	29.47	2.21	31.68	27.40	2.21	29.61	30.19	1.88	32.07
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. पेट्रोरसायनों की नयी स्कीमें	18.00	...	18.00	25.00	...	25.00	33.50	...	33.50	50.50	...	50.50
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
3. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता	16.41	...	16.41	25.33	0.02	25.35	17.45	0.02	17.47	20.75	0.10	20.85
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)	...	...	...	36.37	...	36.37	44.20	...	44.20	78.48	...	78.48
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>-0.04</i>	...	<i>-0.04</i>	<i>36.37</i>	...	<i>36.37</i>	<i>44.20</i>	...	<i>44.20</i>	<i>78.48</i>	...	<i>78.48</i>
5. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	7.69	...	7.69	20.65	...	20.65	17.15	...	17.15	12.15	...	12.15
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>												
	<b>7.65</b>	...	<b>7.65</b>	<b>57.02</b>	...	<b>57.02</b>	<b>61.35</b>	...	<b>61.35</b>	<b>90.63</b>	...	<b>90.63</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. पीएसयू के संबंध में ऋणों को बढ़े खाते डालना/माफ करना												
6.01 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	104.25	...	104.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-104.25	...	-104.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. पीएसयू को ऋण	...	399.18	399.18	...	120.06	120.06	...	120.06	120.06	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	399.18	399.18	...	120.06	120.06	...	120.06	120.06	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	24.06	399.18	423.24	82.35	120.08	202.43	78.80	120.08	198.88	111.38	0.10	111.48
<b>कुल जोड़</b>	<b>67.52</b>	<b>400.63</b>	<b>468.15</b>	<b>136.82</b>	<b>122.29</b>	<b>259.11</b>	<b>139.70</b>	<b>122.29</b>	<b>261.99</b>	<b>192.07</b>	<b>1.98</b>	<b>194.05</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	42.06	...	42.06	104.85	...	104.85	108.95	...	108.95	156.83	...	156.83
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.46	...	25.46	29.47	...	29.47	27.40	...	27.40	30.19	...	30.19
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.45	1.45	...	2.23	2.23	...	2.23	2.23	...	1.98	1.98
4. रसायन और औषध उद्योगों के लिए ऋण	...	399.18	399.18	...	120.06	120.06	...	120.06	120.06	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>67.52</b>	<b>400.63</b>	<b>468.15</b>	<b>134.32</b>	<b>122.29</b>	<b>256.61</b>	<b>136.35</b>	<b>122.29</b>	<b>258.64</b>	<b>187.02</b>	<b>1.98</b>	<b>189.00</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2.50	...	2.50	3.35	...	3.35	5.05	...	5.05
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2.50</b>	<b>...</b>	<b>2.50</b>	<b>3.35</b>	<b>...</b>	<b>3.35</b>	<b>5.05</b>	<b>...</b>	<b>5.05</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>67.52</b>	<b>400.63</b>	<b>468.15</b>	<b>136.82</b>	<b>122.29</b>	<b>259.11</b>	<b>139.70</b>	<b>122.29</b>	<b>261.99</b>	<b>192.07</b>	<b>1.98</b>	<b>194.05</b>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
(₹ करोड़)												
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>एचआईएल इंडिया लिमिटेड</b>												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	399.18	...	399.18	120.06	1.00	121.06	120.06	...	120.06	...	...	...
<b>जोड़-एचआईएल इंडिया लिमिटेड</b>	<b>399.18</b>	<b>...</b>	<b>399.18</b>	<b>120.06</b>	<b>1.00</b>	<b>121.06</b>	<b>120.06</b>	<b>...</b>	<b>120.06</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>जोड़</b>	<b>399.18</b>	<b>...</b>	<b>399.18</b>	<b>120.06</b>	<b>1.00</b>	<b>121.06</b>	<b>120.06</b>	<b>...</b>	<b>120.06</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

1. **सचिवालय:** सचिवालय से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान आवश्यक है।

2. **पेट्रो-रसायनों की नयी स्कीम:** यह प्रावधान विभिन्न गतिविधियों के लिए है जैसे पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क की स्थापना और पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना। रासायनिक संवर्धन और विकास उप-योजना (सीपीडीएस) को एनएसपी योजना के तहत विलय कर दिया गया है। इस घटक के तहत किया गया प्रावधान रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रचार और विकास के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए है।

3. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि भुगतान एवं भोपाल कल्याण आयोग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 20.85 करोड़ का प्रावधान है।

4. **केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी):** यह प्रावधान सीआईपीईटी योजना के अंतर्गत अकादमियों में क्षमता संवर्धन तथा कौशल विकास एवं अनुसंधान एवं अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी सहायता में क्षमता संवर्धन के लिए किया गया है।

5. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन तथा पूंजी आस्तियों) के लिए है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	195465.10	1.62	195466.72	168127.20	3.61	168130.81	189320.93	15.36	189336.29	184067.26	15.18	184082.44
<b>वसूलियां</b>	-7137.78	...	-7137.78	-3980.00	...	-3980.00	-6333.00	...	-6333.00	-27580.00	...	-27580.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>188327.32</b>	<b>1.62</b>	<b>188328.94</b>	<b>164147.20</b>	<b>3.61</b>	<b>164150.81</b>	<b>182987.93</b>	<b>15.36</b>	<b>183003.29</b>	<b>156487.26</b>	<b>15.18</b>	<b>156502.44</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	39.70	1.62	41.32	44.88	3.36	48.24	43.92	3.36	47.28	48.56	2.88	51.44
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. यूरिया सस्मिडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	100831.18	...	100831.18	100340.00	...	100340.00	101307.50	...	101307.50	100839.50	...	100839.50
2.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	...	...	...	...	...	...	2000.00	...	2000.00	10000.00	...	10000.00
2.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-2000.00	...	-2000.00	-10000.00	...	-10000.00
2.04 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	28193.94	...	28193.94	22634.00	...	22634.00	21000.00	...	21000.00	21000.00	...	21000.00
2.05 उर्वरक सस्मिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	4.63	...	4.63	5.80	0.20	6.00	14.00	12.00	26.00	27.70	12.30	40.00
2.06 वसूली	-5937.71	...	-5937.71	-3980.00	...	-3980.00	-3333.00	...	-3333.00	-2980.00	...	-2980.00
<b>निवल</b>	<b>123092.04</b>	...	<b>123092.04</b>	<b>118999.80</b>	<b>0.20</b>	<b>119000.00</b>	<b>118988.50</b>	<b>12.00</b>	<b>119000.50</b>	<b>118887.20</b>	<b>12.30</b>	<b>118899.50</b>
3. पोषक तत्व आधारित सस्मिडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	36270.00	...	36270.00	26500.00	...	26500.00	33810.00	...	33810.00	30000.00	...	30000.00
3.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00	3000.00	...	3000.00
3.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-3000.00	...	-3000.00
3.04 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	28929.58	...	28929.58	18500.00	...	18500.00	18500.00	...	18500.00	19000.00	...	19000.00
<b>जोड़- पोषक तत्व आधारित सस्मिडी</b>	<b>65199.58</b>	...	<b>65199.58</b>	<b>45000.00</b>	...	<b>45000.00</b>	<b>52310.00</b>	...	<b>52310.00</b>	<b>49000.00</b>	...	<b>49000.00</b>
4. भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संबद्धन स्कीम	...	...	...	2.50	...	2.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
5. जैविक उर्वरक संवर्धन नीति	0.25	...	0.25	100.00	...	100.00	45.00	...	45.00	150.00	...	150.00
6. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
6.01 यूरिया सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में	...	...	...	...	...	...	10000.00	...	10000.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अंतरण												
6.02 पोषक तत्व आधारित सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	1600.00	...	1600.00	...	...	...
जोड़- आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण	...	...	...	...	...	...	11600.00	...	11600.00	...	...	...
7. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
7.01 यूरिया सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-10000.00	...	-10000.00
7.02 पोषक तत्व आधारित सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1600.00	...	-1600.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-11600.00	...	-11600.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>188291.87</b>	<b>...</b>	<b>188291.87</b>	<b>164102.30</b>	<b>0.20</b>	<b>164102.50</b>	<b>182944.00</b>	<b>12.00</b>	<b>182956.00</b>	<b>156438.70</b>	<b>12.30</b>	<b>156451.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सहायता	...	...	...	0.01	0.05	0.06	...	...	...	...	...	...
<b>अन्य</b>												
9. अनुसंधान एवं विकास	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
10. वसूली	-4.25	...	-4.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-4.25	...	-4.25	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-4.25</b>	<b>...</b>	<b>-4.25</b>	<b>0.02</b>	<b>0.05</b>	<b>0.07</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>188327.32</b>	<b>1.62</b>	<b>188328.94</b>	<b>164147.20</b>	<b>3.61</b>	<b>164150.81</b>	<b>182987.93</b>	<b>15.36</b>	<b>183003.29</b>	<b>156487.26</b>	<b>15.18</b>	<b>156502.44</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. कृषि कार्य	65195.36	...	65195.36	45000.00	...	45000.00	53910.00	...	53910.00	47400.00	...	47400.00
2. उद्योग	123092.29	...	123092.29	119102.31	...	119102.31	129034.01	...	129034.01	109038.70	...	109038.70
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	39.67	...	39.67	44.88	...	44.88	43.92	...	43.92	48.56	...	48.56
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.62	1.62	...	3.56	3.56	...	15.36	15.36	...	15.18	15.18
6. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.05	0.05	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>188327.32</b>	<b>1.62</b>	<b>188328.94</b>	<b>164147.20</b>	<b>3.61</b>	<b>164150.81</b>	<b>182987.93</b>	<b>15.36</b>	<b>183003.29</b>	<b>156487.26</b>	<b>15.18</b>	<b>156502.44</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>188327.32</b>	<b>1.62</b>	<b>188328.94</b>	<b>164147.20</b>	<b>3.61</b>	<b>164150.81</b>	<b>182987.93</b>	<b>15.36</b>	<b>183003.29</b>	<b>156487.26</b>	<b>15.18</b>	<b>156502.44</b>

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------



	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	4.14	4.14	...	...	...	...	15.00	15.00	...	35.00	35.00
2. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	501.71	501.71	...	480.97	480.97	...	946.07	946.07	...	1576.97	1576.97
3. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	23.85	23.85	...	26.07	26.07	...	-83.02	-83.02	...	-66.23	-66.23
4. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	292.13	292.13	...	672.17	672.17	...	596.50	596.50	...	1266.13	1266.13
5. एफएसीटी	...	173.76	173.76	...	303.25	303.25	...	300.25	300.25	...	102.75	102.75
6. एफएजीएमआईएल	...	0.99	0.99	...	112.00	112.00	...	5.25	5.25	...	25.67	25.67
7. एमएफएल	...	48.53	48.53	...	133.10	133.10	...	54.51	54.51	...	45.94	45.94
8. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	1.57	1.57	...	...	...	...	6.19	6.19	...	7.79	7.79
<b>जोड़</b>	...	<b>1046.68</b>	<b>1046.68</b>	...	<b>1727.56</b>	<b>1727.56</b>	...	<b>1840.75</b>	<b>1840.75</b>	...	<b>2994.02</b>	<b>2994.02</b>

(₹ करोड़)

ब.अ. 2025-26 के तहत उर्वरक विभाग के लिए निवल आवंटन 156502.44 करोड़ रुपये है अर्थात ओआईडीएफ से निवल 11600.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की पूर्ति हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग के अधिकार में व्यय करने के लिए उपलब्ध कुल निधि 168102.44 करोड़ रुपये होगी।

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01. **देशी यूरिया के लिए भुगतान:** यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु दुलाई सन्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सन्सिडी के लिए है। यह सन्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सन्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सन्सिडी की राशि रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.02. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण:** यह प्रावधान यूरिया सन्सिडी योजना के स्वदेशी यूरिया घटक के भुगतान के तहत ओआईडीएफ को अंतरित करने के लिए है।

2.03. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि:** स्वदेशी यूरिया के भुगतान के उद्देश्य से ओआईडीएफ से प्राप्त राशि।

2.04. **यूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में मौटे तौर पर आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान होता है। उर्वरकों की किसानों को की गई विक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर सन्सिडी को दर्शाता है।

2.05. **उर्वरक सन्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** यह प्रावधान ऑनलाइन विलों पर सन्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए है।

3.01. **स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** यह प्रावधान किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मुदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण:** यह प्रावधान स्वदेशी पीएंडके उर्वरकों के भुगतान के तहत ओआईडीएफ में अंतरण के लिए है।

3.03. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि:** स्वदेशी पी एंड के उर्वरकों के भुगतान के उद्देश्य से ओआईडीएफ से पूरी की गई राशि।

3.04. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** यह प्रावधान किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मृदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

4. **भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 14 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आमंत्रित वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सन्सिडी के रूप में पांच वर्षों की अवधि में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है।

5. **जैविक फर्टीलाइजर संवर्द्धन नीति:** बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने और गोबरधन पहल के रूप में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की एक नई योजना शुरू की गई है।

6. **आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण:** यह प्रावधान ओआईडीएफ को अतिरिक्त निधि अंतरण के लिए है।

7. **आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि:** सार्वजनिक खाते/ओआईडीएफ में उपलब्ध शेष राशि से अतिरिक्त निधि की पूर्ति की जाएगी।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

औषध विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2431.65	0.80	2432.45	4088.69	1.26	4089.95	3347.77	40.19	3387.96	5267.16	1.56	5268.72
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	-64.25	...	-64.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2367.40</b>	<b>0.80</b>	<b>2368.20</b>	<b>4088.69</b>	<b>1.26</b>	<b>4089.95</b>	<b>3347.77</b>	<b>40.19</b>	<b>3387.96</b>	<b>5267.16</b>	<b>1.56</b>	<b>5268.72</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	18.32	0.56	18.88	20.58	0.80	21.38	20.67	0.86	21.53	22.05	1.10	23.15
2. राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	16.72	0.24	16.96	19.60	0.40	20.00	19.60	0.27	19.87	20.60	0.40	21.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>35.04</b>	<b>0.80</b>	<b>35.84</b>	<b>40.18</b>	<b>1.20</b>	<b>41.38</b>	<b>40.27</b>	<b>1.13</b>	<b>41.40</b>	<b>42.65</b>	<b>1.50</b>	<b>44.15</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	228.80	...	228.80	242.00	...	242.00	248.00	...	248.00	200.07	...	200.07
4. जन औषधी स्कीम	110.00	...	110.00	284.50	...	284.50	284.50	...	284.50	353.50	...	353.50
5. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी	2.95	...	2.95	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
<b>औषध उद्योग विकास</b>												
6. औषध उद्योग का विकास												
6.01 औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)	2.77	...	2.77	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
6.02 औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता	23.84	...	23.84	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
6.03 औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस)	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	100.00	...	100.00
6.04 बल्क ड्रग पार्कों का संवर्द्धन	2.24	...	2.24	1000.00	...	1000.00	300.00	...	300.00	1460.00	...	1460.00
6.05 मेडिकल डिवाइस पार्कों का संवर्द्धन	0.90	...	0.90	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...
6.06 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
6.07 चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता	...	...	...	40.00	...	40.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़- औषध उद्योग का विकास</b>	<b>29.75</b>	<b>...</b>	<b>29.75</b>	<b>1300.00</b>	<b>...</b>	<b>1300.00</b>	<b>359.00</b>	<b>...</b>	<b>359.00</b>	<b>1615.00</b>	<b>...</b>	<b>1615.00</b>
<b>उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>7. उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना</b>												
7.01 भारत में क्रिटीकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलू उत्पादकता और सक्रीय औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	11.66	...	11.66	58.00	...	58.00	22.00	...	22.00	40.00	...	40.00
7.02 मेडिकल डिवाइस की घरेलू उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	40.30	...	40.30	85.00	...	85.00	82.00	...	82.00	104.93	...	104.93
7.03 औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	1552.46	...	1552.46	2000.00	...	2000.00	2046.50	...	2046.50	2300.00	...	2300.00
<b>जोड़- उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना</b>	<b>1604.42</b>	...	<b>1604.42</b>	<b>2143.00</b>	...	<b>2143.00</b>	<b>2150.50</b>	...	<b>2150.50</b>	<b>2444.93</b>	...	<b>2444.93</b>
8. फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी)	...	...	...	75.00	...	75.00	95.00	...	95.00	245.00	...	245.00
<b>9. चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना</b>												
9.01 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	125.00	...	125.00
9.02 चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	60.00	...	60.00
9.03 चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00
9.04 आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	60.00	...	60.00
9.05 चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
9.06 चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
<b>जोड़- चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना</b>	...	...	...	...	...	...	<b>166.00</b>	...	<b>166.00</b>	<b>360.00</b>	...	<b>360.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1975.92</b>	...	<b>1975.92</b>	<b>4048.50</b>	...	<b>4048.50</b>	<b>3307.50</b>	...	<b>3307.50</b>	<b>5224.50</b>	...	<b>5224.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	356.44	...	356.44	0.01	0.06	0.07	...	39.06	39.06	0.01	0.06	0.07
11. औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में ऋण बट्टे खाते डालना/भाफ करना												
11.01 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि. (आरडीपीएल)	64.25	...	64.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-64.25	...	-64.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>356.44</b>	...	<b>356.44</b>	<b>0.01</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>	...	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>	<b>0.01</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>356.44</b>	...	<b>356.44</b>	<b>0.01</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>	...	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>	<b>0.01</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2367.40</b>	<b>0.80</b>	<b>2368.20</b>	<b>4088.69</b>	<b>1.26</b>	<b>4089.95</b>	<b>3347.77</b>	<b>40.19</b>	<b>3387.96</b>	<b>5267.16</b>	<b>1.56</b>	<b>5268.72</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	2349.08	...	2349.08	4015.46	...	4015.46	3273.85	...	3273.85	5189.69	...	5189.69
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.32	...	18.32	20.58	...	20.58	20.67	...	20.67	22.05	...	22.05

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. रसायन और औषध उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.80	0.80	...	1.20	1.20	...	1.13	1.13	...	1.50	1.50
5. रसायन और औषध उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.06	0.06	...	39.06	39.06	...	0.06	0.06
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2367.40</b>	<b>0.80</b>	<b>2368.20</b>	<b>4036.04</b>	<b>1.26</b>	<b>4037.30</b>	<b>3294.52</b>	<b>40.19</b>	<b>3334.71</b>	<b>5211.74</b>	<b>1.56</b>	<b>5213.30</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	52.65	...	52.65	53.25	...	53.25	55.42	...	55.42
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>52.65</b>	<b>...</b>	<b>52.65</b>	<b>53.25</b>	<b>...</b>	<b>53.25</b>	<b>55.42</b>	<b>...</b>	<b>55.42</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2367.40</b>	<b>0.80</b>	<b>2368.20</b>	<b>4088.69</b>	<b>1.26</b>	<b>4089.95</b>	<b>3347.77</b>	<b>40.19</b>	<b>3387.96</b>	<b>5267.16</b>	<b>1.56</b>	<b>5268.72</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	...	11.32	11.32	...	12.00	12.00	...	21.50	21.50	...	23.65	23.65	...	23.65	23.65	...	23.65	23.65
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	39.01	...	39.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
4. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
5. बंगाल इम्युनिटी लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
7. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	0.01	...	...	0.01
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>11.32</b>	<b>11.32</b>	<b>0.06</b>	<b>12.00</b>	<b>12.06</b>	<b>39.06</b>	<b>21.50</b>	<b>60.56</b>	<b>0.06</b>	<b>23.65</b>	<b>23.71</b>	<b>0.06</b>	<b>23.65</b>	<b>23.71</b>	<b>0.06</b>	<b>23.65</b>	<b>23.71</b>

- सचिवालय:** यह प्रावधान औषध विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।
- राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन, स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।
- जन औषधि स्कीम:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत है।
- उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनितों को सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 6.01. **औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस):** यह प्रावधान संगठितियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत आने और भारत से जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ निवेश अध्ययन के संचालन/विकास को सुविधाजनक

बनाने के लिए परामर्श निर्यात के साथ-साथ फार्मा सेक्टर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हैं।

**6.02. औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता:** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के लिए पहचान की गई बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सके।

**6.03. औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस):** इस उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए व्याज वाली आर्थिक सहायता प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना होगा।

**6.04. बल्क ड्रग्स पार्कों का संवर्धन:** थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग्स पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

**7.01. भारत में क्रिटीकल की स्टाटींग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलू उत्पादकता और सक्रीय औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएमएस/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

**7.02. मेडिकल डिवाइस की घरेलू उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

**7.03. औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

**8. फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी):** इस योजना का उद्देश्य उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना और उद्योग-शिक्षा सह संबंध का संवर्धन करके देश में वैज्ञानिकों के समूह का पोषण करना, जिससे सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त होगा और देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

**9. चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना:** दहाई अंकों की वृद्धि दर के साथ चिकित्सा उपकरण भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है। पिछले दशक में एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और पीएलआई योजना के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सरकार के प्रयासों के कारण, भारत में सीटी स्कैन, एमआरआई, सी-आर्म आदि जैसे प्रौद्योगिकी गहन चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि, एक नवजात उद्योग के रूप में, इस क्षेत्र को निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

**9.01. चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रगामी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहीनीयता होगी।

**9.02. चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में विद्यमान अंतर को भरना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता का पोषण सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवप्रवर्तनशील बहुविषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का महत्वपूर्ण समूह तैयार किया जा सके और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

**9.03. चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं:** सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ बनाने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना। इसके अलावा, 1.10.2022 से चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंसिंग शासन के लागू होने के कारण चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने या उन्हें मजबूत करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सरकारी या निजी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत अनिवार्य रूप से निर्माताओं की ओर से चिकित्सा उपकरणों के मूल्यांकन के लिए अधिक परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

**9.04. आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना:** चिकित्सा उपकरण उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेष इनपुट/घटकों की आवश्यकता होती है। इनका उत्पादन सामान्य उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है और अक्सर चिकित्सा उपकरण निर्माताओं द्वारा इनका आयात किया जाता है। उन्हें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक/मुख्य घटकों या अपस्ट्रीम सामग्रियों या सहायक उपकरणों या निकट से संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। वर्तमान में 354 चिकित्सा उपकरणों के संबंध में, 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की निविदाओं के लिए वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) के लिए व्यय विभाग के निर्देशों से छूट उपलब्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार के अस्पतालों की खरीद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन उपकरणों का घरेलू विनिर्माण नहीं हो पा रहा है। देश के भीतर इन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए सीमांत निवेश सहायता से इन वस्तुओं के आयात में कमी आएगी।

**9.05. चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना:** चिकित्सा उपकरण के लिए नैदानिक जांच या पूर्व-नैदानिक पशु अध्ययन या नए आईवीडी के नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू निर्माताओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे।

**9.06. चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकें। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उद्योग निकायों/संघों और शैक्षणिक संस्थानों को बैठकें/सेमिनार/कार्यशालाएँ/कार्यक्रम/रोड-शो/एक्सपो आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रचार और विकास के लिए निर्माता मूल्यांकन अध्ययन, डेटाबेस का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग उद्योग विकास गतिविधियों पर सीधे खर्च भी कर सकता है।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता: 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ये प्रावधान ऋण के तहत रखे गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 8

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2002.22	755.18	2757.40	2257.79	99.35	2357.14	2556.94	101.74	2658.68	2330.31	70.00	2400.31
वसूलियां	-0.26	...	-0.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2001.96</b>	<b>755.18</b>	<b>2757.14</b>	<b>2257.79</b>	<b>99.35</b>	<b>2357.14</b>	<b>2556.94</b>	<b>101.74</b>	<b>2658.68</b>	<b>2330.31</b>	<b>70.00</b>	<b>2400.31</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	46.99	13.87	60.86	53.50	4.31	57.81	63.85	13.70	77.55	65.00	25.00	90.00
2. नागर विमानन महानिदेशालय	234.27	117.02	351.29	280.00	22.64	302.64	278.00	22.64	300.64	300.00	30.00	330.00
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	64.93	24.29	89.22	74.00	15.00	89.00	79.00	8.00	87.00	80.00	15.00	95.00
4. रेल सुरक्षा आयुक्त												
4.01 रेल सुरक्षा आयुक्त	18.28	...	18.28	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
5. कौशल विकास हेतु अनुदान												
5.01 कौशल विकास हेतु अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना	51.00	...	51.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	125.00	...	125.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>415.47</b>	<b>155.18</b>	<b>570.65</b>	<b>512.52</b>	<b>41.95</b>	<b>554.47</b>	<b>527.87</b>	<b>44.34</b>	<b>572.21</b>	<b>592.02</b>	<b>70.00</b>	<b>662.02</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
8. क्षेत्रीय संपर्क स्कीम	822.22	...	822.22	502.00	...	502.00	800.00	...	800.00	540.00	...	540.00
9. कृषि उड़ान योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
10. ट्रोन और ट्रोन घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	31.22	...	31.22	57.00	...	57.00	57.00	...	57.00	...	...	...
11. टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क	...	...	...	...	...	...	124.17	...	124.17	142.75	...	142.75



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>853.44</b>	...	<b>853.44</b>	<b>559.01</b>	...	<b>559.01</b>	<b>981.17</b>	...	<b>981.17</b>	<b>682.75</b>	...	<b>682.75</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
12. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय वैमानिकी विश्वविद्यालय	9.00	...	9.00	10.02	...	10.02	8.02	...	8.02	10.02	...	10.02
13. विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	29.88	...	29.88	17.45	...	17.45	22.20	...	22.20	20.00	...	20.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>38.88</b>	...	<b>38.88</b>	<b>27.47</b>	...	<b>27.47</b>	<b>30.22</b>	...	<b>30.22</b>	<b>30.02</b>	...	<b>30.02</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
14. एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड(एसपीवी)	650.00	...	650.00	1158.79	...	1158.79	1017.67	...	1017.67	1025.51	...	1025.51
15. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	44.43	...	44.43	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	...	...	...	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	...	...
17. एआईएएचएल में इक्विटी निवेश												
17.01 अलाएंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल) को वित्तीय सहायता के लिए एआईएएचएल में इक्विटी निवेश	...	600.00	600.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	57.14	57.14	...	57.14	57.14	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>694.43</b>	<b>600.00</b>	<b>1294.43</b>	<b>1158.79</b>	<b>57.40</b>	<b>1216.19</b>	<b>1017.68</b>	<b>57.40</b>	<b>1075.08</b>	<b>1025.52</b>	...	<b>1025.52</b>
<b>अन्य</b>												
19. वास्तविक वसूलियां	-0.26	...	-0.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>733.05</b>	<b>600.00</b>	<b>1333.05</b>	<b>1186.26</b>	<b>57.40</b>	<b>1243.66</b>	<b>1047.90</b>	<b>57.40</b>	<b>1105.30</b>	<b>1055.54</b>	...	<b>1055.54</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2001.96</b>	<b>755.18</b>	<b>2757.14</b>	<b>2257.79</b>	<b>99.35</b>	<b>2357.14</b>	<b>2556.94</b>	<b>101.74</b>	<b>2658.68</b>	<b>2330.31</b>	<b>70.00</b>	<b>2400.31</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.88	9.88	...	...	...	...	...	...	...	7.55	7.55
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	<b>9.88</b>	<b>9.88</b>	...	...	...	...	...	...	...	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. नागर विमानन	1954.97	...	1954.97	2002.32	...	2002.32	2291.12	...	2291.12	2025.34	...	2025.34
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	46.99	...	46.99	53.50	...	53.50	63.85	...	63.85	65.00	...	65.00
4. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	...	741.31	741.31	...	95.04	95.04	...	88.04	88.04	...	45.00	45.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.99	3.99	...	4.31	4.31	...	13.70	13.70	...	17.45	17.45
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2001.96</b>	<b>745.30</b>	<b>2747.26</b>	<b>2055.82</b>	<b>99.35</b>	<b>2155.17</b>	<b>2354.97</b>	<b>101.74</b>	<b>2456.71</b>	<b>2090.34</b>	<b>62.45</b>	<b>2152.79</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	201.97	...	201.97	201.97	...	201.97	239.97	...	239.97
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>201.97</b>	...	<b>201.97</b>	<b>201.97</b>	...	<b>201.97</b>	<b>239.97</b>	...	<b>239.97</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2001.96</b>	<b>755.18</b>	<b>2757.14</b>	<b>2257.79</b>	<b>99.35</b>	<b>2357.14</b>	<b>2556.94</b>	<b>101.74</b>	<b>2658.68</b>	<b>2330.31</b>	<b>70.00</b>	<b>2400.31</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(₹ करोड़)												
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	4612.62	4612.62	...	3448.14	3448.14	...	3912.92	3912.92	...	4193.83	4193.83
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>4612.62</b>	<b>4612.62</b>	<b>...</b>	<b>3448.14</b>	<b>3448.14</b>	<b>...</b>	<b>3912.92</b>	<b>3912.92</b>	<b>...</b>	<b>4193.83</b>	<b>4193.83</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नागरिक उड्डयन महानिदेशक और इसके क्षेत्रीय और फिल्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। यह प्रशिक्षण परियोजनाओं, ईजीसीए परियोजना के लिए प्रावधान करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के योगदान के लिए प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने, सुरक्षा उपकरणों की खरीद, आईटी उपकरण, आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत के योगदान और सम्मेलन के लिए है।

4. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है जो कि रेल यात्रा और प्रचालनों में सुरक्षा से संबंधित है।

5. **कौशल विकास हेतु अनुदान:** यह प्रावधान कौशल विकास के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संस्थानों के लिए सहायता अनुदान हेतु है।

6. **ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान:** यह प्रावधान एयरो स्पोर्ट्स के संवर्धन / विकास के लिए नागर विमानन में संस्थानों को सहायता अनुदान हेतु है।

7. **एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना:** विनिवेश के बाद एआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है।

8. **क्षेत्रीय संपर्क स्कीम:** यह प्रस्ताव नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए वायुबिलिटी गैप फंडिंग हेतु हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और आरसीएस मार्गों को शुरू करने के लिए है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एयर कनेक्टिविटी और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक नई योजना भी तैयार की गई है।

9. **कृषि उड़ान योजना:** कृषि उड़ान योजना के लिए कोई अपेक्षित व्यय नहीं।

10. **ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** यह प्रावधान ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनियों के लिए उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है।

11. **टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कागों लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क:** यह प्रावधान टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कागों लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलए) को सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क के लिए है।

12. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय वैमानिकी विश्वविद्यालय:** एनएयू का प्रावधान मशीनरी और उपकरण और अन्य स्थापना व्यय और आईजीआरयू के लिए टोकन प्रावधान के लिए किया गया है।

13. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान एईआरए के वेतन के लिए सहायता अनुदान और इसके स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान है।

14. **एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड(एसपीवी):** यह प्रावधान एअर इंडिया की वित्तीय पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप एसपीवी को ऋण की सर्विसिंग के लिए रखा गया है।

15. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए टोकन प्रावधान किया गया है।
16. **रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड:** प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को शुल्क और स्टॉप शुल्क के भुगतान के लिए रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड में निवेश के लिए यह प्रावधान किया गया है।
18. **होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) के तहत इसके वैधानिक और अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए एचसीआईएल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 57.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है।

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 9

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	603.53	1.42	604.95	920.35	2.20	922.55	869.01	2.20	871.21	1249.00	2.20	1251.20
<i>वसूलियां</i>	-426.77	...	-426.77	-730.00	...	-730.00	-730.00	...	-730.00	-750.00	...	-750.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>176.76</b>	<b>1.42</b>	<b>178.18</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>	<b>139.01</b>	<b>2.20</b>	<b>141.21</b>	<b>499.00</b>	<b>2.20</b>	<b>501.20</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	34.47	1.38	35.85	40.08	1.49	41.57	43.15	1.79	44.94	44.28	1.49	45.77
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>34.46</i>	<i>1.38</i>	<i>35.84</i>	<i>40.08</i>	<i>1.49</i>	<i>41.57</i>	<i>43.15</i>	<i>1.79</i>	<i>44.94</i>	<i>44.28</i>	<i>1.49</i>	<i>45.77</i>
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	27.11	0.04	27.15	26.66	0.71	27.37	15.04	0.41	15.45	21.79	0.71	22.50
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>61.57</b>	<b>1.42</b>	<b>62.99</b>	<b>66.74</b>	<b>2.20</b>	<b>68.94</b>	<b>58.19</b>	<b>2.20</b>	<b>60.39</b>	<b>66.07</b>	<b>2.20</b>	<b>68.27</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>कोयला और लिग्नाइट</b>												
3. अनुसंधान और विकास	18.00	...	18.00	21.00	...	21.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	86.54	...	86.54	92.50	...	92.50	50.00	...	50.00	92.50	...	92.50
5. कोयला और लिग्नाइट की खोज												
5.01 कार्यक्रम घटक	426.76	...	426.76	730.00	...	730.00	730.00	...	730.00	750.00	...	750.00
6. राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि से प्राप्त राशि	-426.75	...	-426.75	-730.00	...	-730.00	-730.00	...	-730.00	-750.00	...	-750.00
7. कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
<b>जोड़-कोयला और लिग्नाइट</b>	<b>104.55</b>	<b>...</b>	<b>104.55</b>	<b>113.50</b>	<b>...</b>	<b>113.50</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>422.50</b>	<b>...</b>	<b>422.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>104.55</b>	<b>...</b>	<b>104.55</b>	<b>113.50</b>	<b>...</b>	<b>113.50</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>422.50</b>	<b>...</b>	<b>422.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. कोयला खान पेंशन स्कीम	10.64	...	10.64	10.11	...	10.11	10.82	...	10.82	10.43	...	10.43
<b>कुल जोड़</b>	<b>176.76</b>	<b>1.42</b>	<b>178.18</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>	<b>139.01</b>	<b>2.20</b>	<b>141.21</b>	<b>499.00</b>	<b>2.20</b>	<b>501.20</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	10.64	...	10.64	10.11	...	10.11	10.82	...	10.82	10.43	...	10.43
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>10.64</b>	<b>...</b>	<b>10.64</b>	<b>10.11</b>	<b>...</b>	<b>10.11</b>	<b>10.82</b>	<b>...</b>	<b>10.82</b>	<b>10.43</b>	<b>...</b>	<b>10.43</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. कोयला और लिग्नाइट	131.66	...	131.66	128.81	...	128.81	77.94	...	77.94	432.04	...	432.04
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.46	...	34.46	40.08	...	40.08	43.15	...	43.15	44.28	...	44.28
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.42	1.42	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>166.12</b>	<b>1.42</b>	<b>167.54</b>	<b>168.89</b>	<b>2.20</b>	<b>171.09</b>	<b>121.09</b>	<b>2.20</b>	<b>123.29</b>	<b>476.32</b>	<b>2.20</b>	<b>478.52</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	11.35	...	11.35	7.10	...	7.10	12.25	...	12.25
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>11.35</b>	<b>...</b>	<b>11.35</b>	<b>7.10</b>	<b>...</b>	<b>7.10</b>	<b>12.25</b>	<b>...</b>	<b>12.25</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>176.76</b>	<b>1.42</b>	<b>178.18</b>	<b>190.35</b>	<b>2.20</b>	<b>192.55</b>	<b>139.01</b>	<b>2.20</b>	<b>141.21</b>	<b>499.00</b>	<b>2.20</b>	<b>501.20</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	4270.18	4270.18	...	2429.00	2429.00	...	4948.86	4948.86	...	5078.31	5078.31
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	23475.41	23475.41	...	15500.00	15500.00	...	15500.00	15500.00	...	16000.00	16000.00
3. एससीसीएल	...	1704.08	1704.08	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	1700.00	1700.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>29449.67</b>	<b>29449.67</b>	<b>...</b>	<b>19529.00</b>	<b>19529.00</b>	<b>...</b>	<b>22048.86</b>	<b>22048.86</b>	<b>...</b>	<b>22778.31</b>	<b>22778.31</b>

टिप्पणी: सं. अ. 2024-25 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 871.21 करोड़ रुपए (141.21 करोड़ रुपये और 730 करोड़ रुपये) है और बजट अनुमान 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 1251.20 करोड़ रुपए (501.20 करोड़ रुपए जमा 750 करोड़ रुपए) है। सं.अ. 2024-25 और व.अ. 2025-26 में क्रमशः 730 करोड़ रुपए और 750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) निधि के तहत उपलब्ध शेष राशियों से पूरी की जा रही है। इस राशि का उपयोग कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के लिए किया जाएगा।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कोयला मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान मनोनीत प्राधिकार एवं कोयला नियंत्रण संगठन के लिए स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।

3. **अनुसंधान और विकास:** कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए यह प्रावधान है। मुख्य जोर कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर है।

4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** यह प्रावधान सुरक्षा कार्यों और सुरक्षा में सुधार के माध्यम से कोयले के संरक्षण के लिए है। इसमें कोलफील्ड क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना का विकास भी शामिल है और कोलफील्ड क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसाव नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण उपाय करने के लिए यह प्रावधान है।

5. **कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में अधिक वृद्धि को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता का आंकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करने के कार्य के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोल माइनिंग ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग हेतु प्रावधान भी शामिल है ताकि तैयार की गई भू-गर्भीय रिपोर्ट कोयला खनन के संबंध में निवेश करने संबंधी निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को सहायता करेगी और खनन योजना बनाने में कम समय लगेगा। इस कदम से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। निधियां एनएमईटी फंड से पूरी की जाती हैं।

7. **कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना:** इसमें भारत की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा स्वतंत्रता के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक 100 मि.ट. कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शुरू की गई कोयला गैसीकरण स्कीम के लिए यह प्रावधान किया गया है।

8. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना- 1998 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन का एक और दो तिहाई प्रतिशत योगदान करती है बशर्ते कि किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन 1600/- रुपए प्रति माह से अधिक है, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान केवल 1600/- रुपये प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगी। तदनुसार प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	6005.52	27.29	6032.81	4954.84	59.22	5014.06	5557.64	66.36	5624.00	5246.99	54.00	5300.99
<i>वसूलियां</i>	-14.94	...	-14.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>5990.58</b>	<b>27.29</b>	<b>6017.87</b>	<b>4954.84</b>	<b>59.22</b>	<b>5014.06</b>	<b>5557.64</b>	<b>66.36</b>	<b>5624.00</b>	<b>5246.99</b>	<b>54.00</b>	<b>5300.99</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	146.06	7.65	153.71	134.00	10.23	144.23	148.60	10.42	159.02	158.14	10.50	168.64
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	34.05	0.17	34.22	34.00	25.05	59.05	32.18	25.05	57.23	34.45	14.00	48.45
3. व्यापार आयुक्त	251.77	...	251.77	246.00	...	246.00	247.53	0.43	247.96	252.93	0.50	253.43
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	99.23	2.61	101.84	116.53	2.94	119.47	114.96	2.99	117.95	121.05	3.00	124.05
5. <i>विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन</i>												
5.01 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	48.67	...	48.67	41.00	...	41.00	41.00	...	41.00	48.00	...	48.00
5.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	19.96	0.20	20.16	21.39	1.00	22.39	21.79	1.00	22.79	21.93	1.00	22.93
5.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	139.03	16.66	155.69	142.00	20.00	162.00	152.84	26.47	179.31	157.68	25.00	182.68
5.04 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	15.08	...	15.08	310.00	...	310.00	275.41	...	275.41	20.74	...	20.74
<i>जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन</i>	<i>222.74</i>	<i>16.86</i>	<i>239.60</i>	<i>514.39</i>	<i>21.00</i>	<i>535.39</i>	<i>491.04</i>	<i>27.47</i>	<i>518.51</i>	<i>248.35</i>	<i>26.00</i>	<i>274.35</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>753.85</b>	<b>27.29</b>	<b>781.14</b>	<b>1044.92</b>	<b>59.22</b>	<b>1104.14</b>	<b>1034.31</b>	<b>66.36</b>	<b>1100.67</b>	<b>814.92</b>	<b>54.00</b>	<b>868.92</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
6. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	102.30	...	102.30	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	133.00	...	133.00
8. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसररचना (टीआईईईएस)	51.66	...	51.66	51.67	...	51.67	51.67	...	51.67	50.67	...	50.67
9. शुल्क वापसी स्कीम	194.73	...	194.73	180.00	...	180.00	258.20	...	258.20	181.90	...	181.90
10. चाय बोर्ड	123.96	...	123.96	721.50	...	721.50	500.00	...	500.00	771.55	...	771.55
11. कॉफी बोर्ड	226.20	...	226.20	280.00	...	280.00	250.00	...	250.00	280.00	...	280.00
12. रबड़ बोर्ड	244.29	...	244.29	320.00	...	320.00	348.38	...	348.38	360.31	...	360.31
13. मसाला बोर्ड	115.50	...	115.50	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	153.81	...	153.81

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>निर्यात संवर्धन योजनाएं</b>												
14. बाजार संबंधी पहल	249.99	...	249.99	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	...	...	...
15. रत्न तथा आभूषण क्षेत्र												
15.01 आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लेब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना	95.00	...	95.00	39.17	...	39.17	36.73	...	36.73	...	...	...
16. ब्याज समकरण स्कीम	3699.99	...	3699.99	1700.00	...	1700.00	2482.00	...	2482.00	...	...	...
17. निर्यात संवर्धन मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2250.00	...	2250.00
<b>जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं</b>	<b>4044.98</b>	...	<b>4044.98</b>	<b>1939.17</b>	...	<b>1939.17</b>	<b>2718.73</b>	...	<b>2718.73</b>	<b>2250.00</b>	...	<b>2250.00</b>
18. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	30.75	...	30.75	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	48.15	...	48.15
19. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>5214.37</b>	...	<b>5214.37</b>	<b>3857.35</b>	...	<b>3857.35</b>	<b>4491.98</b>	...	<b>4491.98</b>	<b>4309.39</b>	...	<b>4309.39</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
20. स्वायत्त संस्थाएं												
20.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	34.99	...	34.99	45.00	...	45.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
20.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	96.32	...	96.32
जोड़- स्वायत्त संस्थाएं	<b>35.99</b>	...	<b>35.99</b>	<b>50.00</b>	...	<b>50.00</b>	<b>30.00</b>	...	<b>30.00</b>	<b>121.32</b>	...	<b>121.32</b>
<b>अन्य</b>												
21. विदेश गमन प्रतिनिधिमंडल	0.17	...	0.17	0.47	...	0.47	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
22. विदेशी प्रतिनिधिमंडल	0.71	...	0.71	1.30	...	1.30	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
23. विदेश व्यापार विवाद संबंधी व्यय	0.43	...	0.43	0.80	...	0.80	0.50	...	0.50	0.46	...	0.46
24. वास्तविक बसूली	-14.94	...	-14.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-13.63</b>	...	<b>-13.63</b>	<b>2.57</b>	...	<b>2.57</b>	<b>1.35</b>	...	<b>1.35</b>	<b>1.36</b>	...	<b>1.36</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>22.36</b>	...	<b>22.36</b>	<b>52.57</b>	...	<b>52.57</b>	<b>31.35</b>	...	<b>31.35</b>	<b>122.68</b>	...	<b>122.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5990.58</b>	<b>27.29</b>	<b>6017.87</b>	<b>4954.84</b>	<b>59.22</b>	<b>5014.06</b>	<b>5557.64</b>	<b>66.36</b>	<b>5624.00</b>	<b>5246.99</b>	<b>54.00</b>	<b>5300.99</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. प्लांटेशन	709.95	...	709.95	1009.61	...	1009.61	845.98	...	845.98	1119.25	...	1119.25
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	143.01	...	143.01	134.00	...	134.00	148.60	...	148.60	158.14	...	158.14
3. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	5137.62	...	5137.62	3363.94	...	3363.94	4175.26	...	4175.26	3517.78	...	3517.78
4. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.61	2.61	...	2.94	2.94	...	2.99	2.99	...	3.00	3.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	24.68	24.68	...	56.28	56.28	...	63.37	63.37	...	51.00	51.00



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5990.58	27.29	6017.87	4507.55	59.22	4566.77	5169.84	66.36	5236.20	4795.17	54.00	4849.17
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	447.29	...	447.29	387.80	...	387.80	451.82	...	451.82
जोड़-अन्य	...	...	...	447.29	...	447.29	387.80	...	387.80	451.82	...	451.82
कुल जोड़	5990.58	27.29	6017.87	4954.84	59.22	5014.06	5557.64	66.36	5624.00	5246.99	54.00	5300.99

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. आईटीपीओ	...	100.05	100.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
जोड़	...	100.05	100.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्यालय भवन 'वाणिज्य भवन के निर्माण हेतु प्रावधान सहित विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है।

3. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संबंधन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

4. **विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संबंधन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातान्मुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार हैं।

5.01. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान

5.02. **व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा:** इसमें व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5.03. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** यह भारतीय निर्यात के संबंधन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, माने गए निर्यात, शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संबंधन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

5.04. **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:** इसमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व एक्सपो 2025, ओसाका, जापान में भागीदारी के लिए 400 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय का प्रावधान शामिल है। विश्व एक्सपो 2025 ओसाका में भारत का पैत्रेलियन जापान में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपये और 2025-26 में 100 करोड़ है। मेगा इवेंट में भागीदारी भारत की उपलब्धि क्षमताओं के साथ-साथ क्षेत्र और दुनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाएगी और यह संदेश भी देगी कि भारत के पास दुनिया की सबसे अच्छी पेशकश के साथ नए संबंध बनाने के लिए सही मायने में वैश्विक मंच तक पहुंच होगी। एक्सपो से जुड़ी अरबों डालर की परियोजनाएं भारत में विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेंगी। भारत व्यापार संबंधन संगठन को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

6. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए):** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संबंधन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए):** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

8. **निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईएस):** इस स्कीम में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुल्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।

9. **शुल्क वापसी स्कीम:** इनपुट पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क की वापसी, डीमड निर्यात उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल / टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की वापसी।

10. **चाय बोर्ड:** भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास की दिशा में काम करने के लिए चाय बोर्ड की स्थापना की गई है। बोरड का ध्यान चाय उद्योग और व्यापार के विकास विशेष रूप से उत्पादन के क्षेत्र में, खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों का बढ़ावा देना और चाय में अनुसंधान और विकास के प्रयास, चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान चलाना और पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने जैसे नियामक कार्य करने पर केंद्रित है। चाय बोर्ड चाय के आंकड़ों के संग्रह और प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाता है और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करता है, जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 जैसे वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, यह प्रस्ताव किया गया था कि असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। इस घोषणा के अलावा, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएमसीएसपीवाई) को अंतिम रूप दिया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में आवश्यकता- आधारित पहल करना है, ताकि चाय श्रमिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

11. **काँफी बोर्ड:** काँफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार संबंधी जानकारी आसूचना, विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है। बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : काँफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए काँफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली काँफी की विक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना , काँफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना है।

12. **रबर बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है; रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्बेस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद विनिर्माताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

13. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

14. **बाजार संबंधी पहल:** बाजार पहुंच पहल स्कीम को संधारणीय आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभारों के लिए प्रावधान हैं। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संगठनों निर्यात संवर्धन परिषदों पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों वस्तु बोर्डों, मान्यताप्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र गतिविधियों के तहत विदेशों में विपणन परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता, अध्ययन, परियोजना विकास आदि शामिल हैं।

15. **रत्न तथा आभूषण क्षेत्र:** आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रीन डायमंड (आईएनसेंट-एलजीडी) की स्थापना 5 साल की अवधि में 242.96 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के साथ प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) मशीनरी, बीज और रेसिपी के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

16. **व्याज समकरण स्कीम:** निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ श्रम गहन तथा अन्य निर्यात उन्मुक्त क्षेत्रों को सस्सिडी प्रदान करना

17. **निर्यात संवर्धन मिशन:** नई योजना नामतः निर्यात संवर्धन मिशन को भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धा संबंधी सुविधाओं को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है।

18. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन सीआरआईटी (सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड) है, जो आईआईएफटी का हिस्सा बना रहेगा।

19. **विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना:** यह योजना कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल-भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल-भाड़ा के अंतराष्ट्रीय घटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा तथा कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगा जिससे विदेशी बाजारों में ब्रेंडेड कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है।

20.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** मानव संसाधन विकास डाटा के सृजन विश्लेषण प्रसार तथा अनुसंधान के संचालन के माध्यम से देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने तथा निर्यात बढ़ाने में मदद के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का गठन किया गया था।

20.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना अच्छी पैकेजिंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पैकेजिंग तथा पैकेजिंग डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान एवं विकास करने और प्रोत्साहित करने, पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश करने, पैकेजों के पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण करने मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, कारगर सुधार के लिए वस्तुवार और देशवार निर्यात के लिए पैकेजिंग का अध्ययन करने ,संगम ज्ञापन में यथा निर्धारित पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।

21. **विदेश गमन प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान।

22. **विदेशी प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए प्रावधान।
23. **विदेश व्यापार विवाद संबंधी व्यय:** इसमें विदेशी व्यापार पर विवाद होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
मांग संख्या 11  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	<b>4706.17</b>	<b>1655.89</b>	<b>6362.06</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
<i>वसूलियां</i>	-8.15	...	-8.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	220.55	6.21	226.76	228.34	4.47	232.81	229.76	4.48	234.24	251.98	4.48	256.46
2. <i>बौद्धिक संपदा</i>												
2.01 पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक	257.61	0.07	257.68	276.93	2.25	279.18	268.54	0.65	269.19	275.59	0.60	276.19
2.02 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	27.53	0.03	27.56	20.74	0.10	20.84	34.38	0.05	34.43	34.10	0.05	34.15
2.03 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	19.09	19.09	...	18.00	18.00	...	15.00	15.00	...	11.00	11.00
<i>जोड़- बौद्धिक संपदा</i>	<i>285.14</i>	<i>19.19</i>	<i>304.33</i>	<i>297.67</i>	<i>20.35</i>	<i>318.02</i>	<i>302.92</i>	<i>15.70</i>	<i>318.62</i>	<i>309.69</i>	<i>11.65</i>	<i>321.34</i>
3. <i>संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	57.03	0.29	57.32	56.75	4.17	60.92	61.20	0.71	61.91	63.51	0.66	64.17
3.02 नमक आयुक्त	32.06	0.16	32.22	43.30	0.25	43.55	35.56	0.39	35.95	37.18	0.34	37.52
3.03 बॉयलर सर्वेक्षण	0.24	...	0.24	1.20	...	1.20	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<i>जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>	<i>89.33</i>	<i>0.45</i>	<i>89.78</i>	<i>101.25</i>	<i>4.42</i>	<i>105.67</i>	<i>97.26</i>	<i>1.10</i>	<i>98.36</i>	<i>101.19</i>	<i>1.00</i>	<i>102.19</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>595.02</b>	<b>25.85</b>	<b>620.87</b>	<b>627.26</b>	<b>29.24</b>	<b>656.50</b>	<b>629.94</b>	<b>21.28</b>	<b>651.22</b>	<b>662.86</b>	<b>17.13</b>	<b>679.99</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	258.35	...	258.35	250.00	...	250.00	316.00	...	316.00	350.00	...	350.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस)	4.00	...	4.00	0.01	...	0.01	15.93	...	15.93	...	...	...
6. मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी	17.55	...	17.55	17.00	...	17.00	19.64	...	19.64	21.60	...	21.60
<b>राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर</b>												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	35.36	...	35.36	500.00	...	500.00	1500.00	...	1500.00	25.01	2474.99	2500.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>मेक इन इंडिया</b>												
8. निवेश संवर्धन योजना	204.11	0.04	204.15	179.85	0.15	180.00	179.85	0.15	180.00	191.18	...	191.18
9. निधियों की निधि	...	1470.00	1470.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00
10. फंड ऑफ फंड्स 2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2000.00	2000.00
11. क्रेडिट गारंटी निधि	250.00	...	250.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01
12. स्टार्ट-अप इंडिया	55.60	...	55.60	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
13. स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम (एसआईएसएफएस)	...	160.00	160.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	0.01	0.01
14. व्यापार करने की सुगमता	8.73	...	8.73	10.00	...	10.00	9.93	...	9.93	...	...	...
15. व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	74.20	...	74.20	298.02	...	298.02	213.57	...	213.57	444.54	...	444.54
16. विनिर्माण मिशन - मेक इन इंडिया को आगे ले जाना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
<b>जोड़-मेक इन इंडिया</b>	<b>592.64</b>	<b>1630.04</b>	<b>2222.68</b>	<b>587.88</b>	<b>1375.15</b>	<b>1963.03</b>	<b>503.35</b>	<b>1375.15</b>	<b>1878.50</b>	<b>735.73</b>	<b>3200.01</b>	<b>3935.74</b>
17. खिलौनों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
18. फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
19. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024	...	...	...	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	175.00	...	175.00
<b>पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>												
20. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	219.75	...	219.75	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	50.00	...	50.00
21. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	399.99	...	399.99	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
22. परिवहन/ मालभाड़ा सन्निडी स्कीम	84.98	...	84.98	...	...	...	1.30	...	1.30	...	...	...
23. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	4.36	...	4.36	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
24. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	35.36	...	35.36	100.00	...	100.00	24.20	...	24.20	26.13	...	26.13
25. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	350.00	...	350.00	567.00	...	567.00	401.39	...	401.39	150.00	...	150.00
26. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास	168.87	...	168.87	300.00	...	300.00	175.00	...	175.00	300.00	...	300.00
<b>जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>	<b>1263.31</b>	<b>...</b>	<b>1263.31</b>	<b>1447.01</b>	<b>...</b>	<b>1447.01</b>	<b>1081.89</b>	<b>...</b>	<b>1081.89</b>	<b>926.13</b>	<b>...</b>	<b>926.13</b>
27. लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना	1749.68	...	1749.68	1382.35	...	1382.35	2291.78	...	2291.78	1852.83	...	1852.83
29. प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2500.00	...	2500.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3920.89</b>	<b>1630.04</b>	<b>5550.93</b>	<b>4219.27</b>	<b>1375.15</b>	<b>5594.42</b>	<b>5758.59</b>	<b>1375.15</b>	<b>7133.74</b>	<b>6586.30</b>	<b>5675.00</b>	<b>12261.30</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
30. स्वायत्त संगठन												
30.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	133.54	...	133.54	138.45	...	138.45	117.08	...	117.08	123.96	...	123.96
30.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)	0.86	...	0.86	1.00	...	1.00	0.87	...	0.87	0.90	...	0.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	19.68	...	19.68	30.35	...	30.35	29.94	...	29.94	25.50	...	25.50
30.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	36.18	...	36.18	34.35	...	34.35	26.60	...	26.60	23.40	...	23.40
जोड़- स्वायत्त संगठन	190.26	...	190.26	204.15	...	204.15	174.49	...	174.49	173.76	...	173.76
<b>अन्य</b>												
31. स्टार्टअप इंडिया	...	...	...	...	...	...	51.55	...	51.55	30.00	...	30.00
32. भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
33. वास्तविक बसूली	-8.15	...	-8.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-8.15	...	-8.15	0.01	...	0.01	51.55	...	51.55	30.01	...	30.01
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>182.11</b>	...	<b>182.11</b>	<b>204.16</b>	...	<b>204.16</b>	<b>226.04</b>	...	<b>226.04</b>	<b>203.77</b>	...	<b>203.77</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	56.92	...	56.92	56.75	...	56.75	61.20	...	61.20	63.51	...	63.51
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	19.09	19.09	...	18.00	18.00	...	15.00	15.00	...	11.00	11.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.29	0.29	...	4.17	4.17	...	0.71	0.71	...	0.66	0.66
जोड़-सामान्य सेवाएं	<b>56.92</b>	<b>19.38</b>	<b>76.30</b>	<b>56.75</b>	<b>22.17</b>	<b>78.92</b>	<b>61.20</b>	<b>15.71</b>	<b>76.91</b>	<b>63.51</b>	<b>11.66</b>	<b>75.17</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
4. उद्योग	1069.09	...	1069.09	1070.07	...	1070.07	1081.01	...	1081.01	3810.78	...	3810.78
5. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	3048.35	...	3048.35	1679.07	...	1679.07	2441.45	...	2441.45	799.45	...	799.45
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	220.18	...	220.18	228.34	...	228.34	229.76	...	229.76	251.98	...	251.98
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	303.48	...	303.48	314.91	...	314.91	322.83	...	322.83	331.59	...	331.59
8. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1636.51	1636.51	...	1382.22	1382.22	...	1380.72	1380.72	...	5680.47	5680.47
जोड़-आर्थिक सेवाएं	<b>4641.10</b>	<b>1636.51</b>	<b>6277.61</b>	<b>3292.39</b>	<b>1382.22</b>	<b>4674.61</b>	<b>4075.05</b>	<b>1380.72</b>	<b>5455.77</b>	<b>5193.80</b>	<b>5680.47</b>	<b>10874.27</b>
<b>अन्य</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1701.55	...	1701.55	2478.32	...	2478.32	2195.62	...	2195.62
जोड़-अन्य	...	...	...	<b>1701.55</b>	...	<b>1701.55</b>	<b>2478.32</b>	...	<b>2478.32</b>	<b>2195.62</b>	...	<b>2195.62</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
--	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2474.99	...	2474.99
<b>जोड़</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	<b>2474.99</b>	...	<b>2474.99</b>

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2.01. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन तीन स्कीमों, नामतः बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम), समग्र शिक्षा और शिक्षा के लिए आईपीआर में शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान की स्कीम (एसपीआरआईएचए) (पूर्व में प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर का संवर्धन) और भौगोलिक संकेतक जागरूकता पहल का संशोधित संस्करण है। यह स्कीम, राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप है और भारत में आईपीआर जागरूकता, वाणिज्यीकरण और प्रवर्तन तथा संस्थाओं में आईपी शिक्षण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है। एसपीआरआईएचए का उद्देश्य, बौद्धिक संपदा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।

2.03. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीटीएम):** महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) कार्यालय में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीटीएम) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** संगठन की स्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है, जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों का प्रशासन करता है। यह संगठन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर बेसेल्स के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह संगठन, पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक संबंधी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली 1989 का भी प्रशासन करता है। यह प्रतिष्ठान उक्त अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को परामर्श देता है। संगठन जन्तु किए गए और खराब विस्फोटक पदार्थों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) को नष्ट करने का कार्य करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन, संबंधित लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी, अभिरक्षा एवं इससे संबंधित न्यायिक मामलों सहित विभागी लवण भूमि की देख भाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और युक्तिसंगत वितरण को विनियमित करता है। यह नमक की कीमतों और उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी भी करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और नमक कामगारों के विकास/कल्याण स्कीमों तथा एससीओ भूमि के प्रबंधन पर होने वाले व्यय की लागत हेतु प्रावधान किया जाता है।

3.03. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर के प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जांच हेतु प्रावधान किया जाता है।

4. **फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी):** फुटवेयर, चमड़ा और सहायक-सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) स्कीम को वर्ष 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के रूप में इसका नाम परिवर्तित करके दिनांक 19.01.2022 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से चुनिंदा कार्यशील क्लस्टरों में अवसंरचना विकास किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी:** यह स्कीम, मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी स्कीम, 2017-18 में जारी दो पुरानी स्कीमों का विलय करके बनाई गई थी। 12वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक स्कीमगत स्कीम अर्थात् व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक विकास का संचालन कर रहा था। इसी प्रकार, डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी सुदृढीकरण स्कीम का संचालन कर रहा था। इन दोनों योजनाओं का विलय एएस एंड एफ ए के अनुमोदन से किया गया। इस स्कीम के तहत आर्बिट्रि निधियों का उपयोग केवल राजस्व व्यय (पेशेवर सेवाओं) के लिए है तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के अन्वेषकों और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए किया जाता है, जो एनएसएसओ द्वारा डेटा संग्रहण करते हैं तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय (ओईए) द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान अथवा पेशेवर सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए किया जाता है।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को अनुमोदित किया था और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया गया था। एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वर्तमान में 11 विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर तथा भविष्य में आने वाले विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की रूपरेखा, भारत सरकार और राज्य सरकार (सरकारों) के बीच साझेदारी दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां भारत सरकार मुख्य अवसरचना के विकास के लिए शहर/नोड/परियोजना विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में निधियां प्रदान करती है, राज्य, शहर/नोड/एसपीवी को अपनी इक्विटी के भाग के रूप में भूमि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

8. **निवेश संवर्धन योजना:** निवेश संवर्धन एक बहुआयामी रणनीतिक कार्यक्रम है, जो मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए निवेश के अवसर लाने का प्रयास करता है। किसी देश के लिए पूंजी, रोजगार, कौशल, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और नवप्रयोग के आगमन का लाभ प्राप्त करने के लिए, निवेश संवर्धन हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार, निवेश सुविधा और लक्षित आउटरीच जैसे मुख्य कार्य कलापों के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) विभिन्न पहलें और सुधार कार्य कर रहा है जैसे मेक इन इंडिया की शुरुआत करना, चैंपियन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना करना, औद्योगिक सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय निवेश मंजूरी प्रकोष्ठों की स्थापना करना। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निवेश संवर्धन स्कीम को जारी रखने वाले घटकों में निवेशक को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्य कलाप, निवेश संवर्धन-प्रवर्धन और आउटरीच कार्य कलाप, परियोजना प्रबंधन कार्य कलाप और विदेश यात्रा शामिल हैं।

9. **निधियों की निधि:** स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष स्कीम को जून 2016 में 10,000 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया था ताकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक बढ़ावा दिया जा सके और वे घरेलू पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस स्कीम का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है। एफएफएस के तहत, स्कीम सीधे तौर पर स्टार्टअप में निवेश नहीं करती बल्कि डॉटर फंड के नाम से जानी जाने वाली सेबी-पंजीकृत बैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी उपलब्ध कराती है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी संबद्ध साधनों के जरिए विकासशील भारतीय स्टार्टअप में निवेश करते हैं। सिडबी को, उपयुक्त डॉटर फंड का चयन करके तथा प्रतिबद्ध पूंजी के संवितरण की निगरानी करके इस निधि के संचालन का अधिदेश दिया गया है। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ को एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना स्टार्टअप में निवेश करना अपेक्षित है।

10. **फंड ऑफ फंड्स 2.0:** नई योजना अर्थात् फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भारतीय स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और घरेलू पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने के लिए विस्तारित दायरे के साथ स्टार्टअप योजना के रूप में तैयार किया गया है।

11. **क्रेडिट गारंटी निधि:** सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत बैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) की स्थापना को अधिसूचित किया है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं अर्थात् डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋण गारंटी प्रदान

करना है। सीजीएसएस को संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस योजना को हाल ही में 01 अप्रैल, 2023 को शुरू किया गया है।

12. **स्टार्ट-अप इंडिया:** घटक को स.अ. 2024-25 के बाद से क्रम सं. 28 पर अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

13. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):** स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य, स्टार्टअप को अवधारणा के साथ, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित की गई है।

एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह ईएसी स्कीम के तहत निधि के आबंटन के लिए इंक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, चयनित इंक्यूबेटर्स स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर स्टार्टअप का चयन करते हैं।

14. **व्यापार करने की सुगमता:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य नियामक बोझ की पहचान करके और मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अनावश्यक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करके अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाना है। व्यय मुख्य रूप से परामर्श शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क और वेबसाइट रखरखाव शुल्क आदि की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है।

15. **व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 अप्रैल, 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए 6,238 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16 अप्रैल, 2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और स्कीम के दिशा-निर्देश 4 जून, 2021 को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्कीम, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और भारत में व्हाइट गुड्स विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी। कुल मिलाकर, इस स्कीम के तहत 64 आवेदकों को मंजूरी दी गई है और इससे एसी और एलईडी लाइट उद्योग के घटक विनिर्माण इकोसिस्टम में 6,766 करोड़ रूपए का निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है।

16. **विनिर्माण मिशन - मेक इन इंडिया को आगे ले जाना:** केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, रोडमैप के निष्पादन, शासन और निगरानी ढांचे प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है।

17. **खिलौनों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** खिलौनों के लिए पीएलआई योजना की सिफारिश रुपये 3489 करोड़ के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए की गई है। सरकार की किसी अन्य पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस उत्पाद के लिए पात्र नहीं होगी। इस योजना को अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।

18. **फुटबियर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** भारत के चमड़ा और जूते निर्माताओं के लिए पीएलआई योजना का कुल परिव्यय 2600 करोड़ रूपए है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023 -24 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। प्रोत्साहनों का वार्षिक व्यय अनेक चरों पर निर्भर करता है। मौजूदा आईएफएलडीपी योजना के तहत एक निर्माता द्वारा प्राप्त लाभों को इस पीएलआई योजना के तहत उसी इकाई के लिए प्रोत्साहन की गणना करते समय समायोजित किया जाएगा। इस योजना को अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।



19. **उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024:** उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण स्कीम (उन्नति), 2024:- पूर्वोत्तर में औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा विभिन्न गतिविधियों और पात्र नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से नए निवेश को आकर्षित करने के लिए, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024 नामक एक नई योजना 09.03.2024 को अधिसूचित की गई है।

20. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को 31.03.2017 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

21. **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 नामक एक स्कीम दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी, जो दिनांक 01.04.2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हुई है। (दिनांक 31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के बंद होने के बाद)। यह स्कीम दिनांक 31/03/2022 को बंद हो गई है, हालांकि, स्कीम के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों दिनांक 31/03/2028 तक स्कीम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।

22. **परिवहन/ मालभाड़ा सस्मिडी स्कीम:** परिवहन/माल-भाड़ा सस्मिडी स्कीम (एफएसएस), 2013 को दिनांक 22.11.2016 से बंद कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 22.11.2016 को डीआईपीपी की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले स्कीम के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों स्कीम के लाभों के लिए पात्र रहेंगी।

23. **विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम हेतु है जिसका उद्देश्य इन संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।

24. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** यह स्कीम 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी), व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) तथा केंद्रीय व्याज प्रोत्साहन (सीआईआईपीसी) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन और रोजगार प्रोत्साहन को शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल तैयार किया गया है। यह स्कीम दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2022 तक वैध है।

इस स्कीम के तहत उच्चधिकार प्राप्त समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 225 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर- 215, लद्दाख- 10) को पंजीकरण प्रदान किया है।

25. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** यह स्कीम दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक वैध है जो 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) और व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) शामिल हैं।

26. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और दिनांक 31.03.2037 तक जारी रहेगी जो स्कीम की अवधि के दौरान 28400/- करोड़

रुपये के कुल परिव्यय से निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत व्याज सहायता, iii. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज सहायता प्रदान करती है।

27. **लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022:** संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम वर्ष 2023-24 से 3500/- करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ होगी। स्कीम अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत व्याज सहायता, iii. वस्तु एवं सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज सहायता प्रदान करती है।

28. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना:** सिक्किम सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता की स्कीम दिनांक 05.10.2017 को सद्भावना के उपाय के रूप में अधिसूचित की गई थी, ताकि दिनांक 01.07.2017 से शेष अवधि हेतु, लेकिन यह अवधि 30.06.2027 से अधिक नहीं होगी, उनके दावों की प्रतिपूर्ति के जरिए नई जीएसटी व्यवस्था में अंतरण के दौरान पात्र इकाइयों की सहायता की जा सके, जो राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण के बाद बनाए रखे गए करों में केंद्र सरकार के हिस्से के 58 प्रतिशत तक सीमित है।

29. **प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना:** पूर्ण अवसंरचना के साथ इवेंटमेंट-रेडी प्लग तथा प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई योजना बनाई गई।

30.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के अंतर्गत, स्वायत्त संस्थाओं अर्थात् पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम, केंद्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

30.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ):** डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

30.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

30.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद, कागज, लुग्दी और संबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

31. **स्टार्टअप इंडिया:** देश में नवाचार को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप और स्टार्टअप परिवेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंड होल्डिंग", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों की 19 कार्य मदें शामिल हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा स्टार्ट-अप को पहचानने, विकसित करने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाते हैं ताकि वे निजी निवेश-हासिल करने में समर्थ बन सकें। इस दिशा में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, सरकार ने डीपीआईआईटी के द्वारा 30 अप्रैल 2023 तक 98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में

मान्यता प्रदान की है। सरकार ने देश में तबप्रयोग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, देश के 80% से अधिक जिलों में फैले हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप हैं। मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप से 30 अप्रैल 2023 तक 10.34 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

32. **भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन:** भारत और कोरिया ने 9 जुलाई, 2018 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य भारत पक्ष की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोरिया पक्ष की ओर से विज्ञान और आईसीटी तथा व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के बीच भारत-कोरिया भविष्य के रणनीतिक समूह की स्थापना करना है ताकि अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ाया जा सके और आर एण्ड डी के अनुप्रयोग तथा टेक्नो-वाणिज्यीकरण के लिए संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके। समझौता जापान दोनों पक्षों द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रावधान करता है। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) को डीएसटी और एमओसी की ओर से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे भारत-कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा।

संचार मंत्रालय  
मांग संख्या 12  
डाक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	35645.52	1386.89	37032.41	37654.64	1262.60	38917.24	38160.73	1238.92	39399.65	40128.62	958.35	41086.97
<i>वसूलियां</i>	-1255.88	...	-1255.88	-1300.00	...	-1300.00	-1400.00	...	-1400.00	-1500.00	...	-1500.00
<i>प्राप्तियां</i>	-11321.36	...	-11321.36	-12238.77	...	-12238.77	-12207.01	...	-12207.01	-12487.11	...	-12487.11
<b>निवल</b>	<b>23068.28</b>	<b>1386.89</b>	<b>24455.17</b>	<b>24115.87</b>	<b>1262.60</b>	<b>25378.47</b>	<b>24553.72</b>	<b>1238.92</b>	<b>25792.64</b>	<b>26141.51</b>	<b>958.35</b>	<b>27099.86</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. स्थापना संबंधी व्यय												
1.01 वेतन और भत्ते	20256.77	...	20256.77	21004.96	...	21004.96	22300.00	...	22300.00	23458.00	...	23458.00
1.02 पेंशन	11711.46	...	11711.46	12500.00	...	12500.00	12250.00	...	12250.00	13125.00	...	13125.00
1.03 अन्य व्यय	3527.12	13.50	3540.62	2672.78	40.00	2712.78	3455.48	31.25	3486.73	3393.15	45.45	3438.60
	-1255.88	...	-1255.88	...	...	...	-1400.00	...	-1400.00	-1500.00	...	-1500.00
<i>निवल</i>	<i>2271.24</i>	<i>13.50</i>	<i>2284.74</i>	<i>2672.78</i>	<i>40.00</i>	<i>2712.78</i>	<i>2055.48</i>	<i>31.25</i>	<i>2086.73</i>	<i>1893.15</i>	<i>45.45</i>	<i>1938.60</i>
1.04 घटाएं- डाक प्राप्तियां	-11321.36	...	-11321.36	-12238.77	...	-12238.77	-12207.01	...	-12207.01	-12487.11	...	-12487.11
<i>निवल</i>	<i>22918.11</i>	<i>13.50</i>	<i>22931.61</i>	<i>23938.97</i>	<i>40.00</i>	<i>23978.97</i>	<i>24398.47</i>	<i>31.25</i>	<i>24429.72</i>	<i>25989.04</i>	<i>45.45</i>	<i>26034.49</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. डाक प्रचालन	115.28	85.91	201.19	140.40	85.58	225.98	123.25	51.75	175.00	120.00	57.00	177.00
3. भारतीय डाक भुगतान बैंक	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	...	...
4. मानव संसाधन प्रबंधन	34.89	0.39	35.28	36.50	6.00	42.50	32.00	2.50	34.50	32.47	6.90	39.37
5. संपदा प्रबंधन	...	117.46	117.46	...	133.00	133.00	...	119.75	119.75	...	120.00	120.00
6. आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0	...	919.63	919.63	...	748.02	748.02	...	783.67	783.67	...	729.00	729.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>150.17</b>	<b>1373.39</b>	<b>1523.56</b>	<b>176.90</b>	<b>1222.60</b>	<b>1399.50</b>	<b>155.25</b>	<b>1207.67</b>	<b>1362.92</b>	<b>152.47</b>	<b>912.90</b>	<b>1065.37</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>23068.28</b>	<b>1386.89</b>	<b>24455.17</b>	<b>24115.87</b>	<b>1262.60</b>	<b>25378.47</b>	<b>24553.72</b>	<b>1238.92</b>	<b>25792.64</b>	<b>26141.51</b>	<b>958.35</b>	<b>27099.86</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. डाक सेवाएं	23068.28	...	23068.28	24100.07	...	24100.07	24537.47	...	24537.47	26133.43	...	26133.43
2. डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1136.89	1136.89	...	913.45	913.45	...	893.88	893.88	...	859.89	859.89
3. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>23068.28</b>	<b>1386.89</b>	<b>24455.17</b>	<b>24100.07</b>	<b>1163.45</b>	<b>25263.52</b>	<b>24537.47</b>	<b>1143.88</b>	<b>25681.35</b>	<b>26133.43</b>	<b>859.89</b>	<b>26993.32</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	15.80	...	15.80	16.25	...	16.25	8.08	...	8.08
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	99.15	99.15	...	95.04	95.04	...	98.46	98.46
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>15.80</b>	<b>99.15</b>	<b>114.95</b>	<b>16.25</b>	<b>95.04</b>	<b>111.29</b>	<b>8.08</b>	<b>98.46</b>	<b>106.54</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>23068.28</b>	<b>1386.89</b>	<b>24455.17</b>	<b>24115.87</b>	<b>1262.60</b>	<b>25378.47</b>	<b>24553.72</b>	<b>1238.92</b>	<b>25792.64</b>	<b>26141.51</b>	<b>958.35</b>	<b>27099.86</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

1. **स्थापना संबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन और विभाग के सभी कार्यचालन व्यय के लिए होता है।

2. **डाक प्रचालन:** डाक प्रचालन में सड़क परिवहन तंत्र स्थापित करने और डाक वाहनों में जीपीएस का प्रावधान करने के अलावा बड़े शहरों में स्पीड पोस्ट हब एवं पार्सल बुकिंग केन्द्र स्थापित करने संबंधी घटक शामिल हैं। इस स्कीम में पोस्टल ई-कमर्स बुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 800 डाकघर केन्द्रों (डीएनके) को स्थापित करने के साथ-साथ डाक घरों, पार्सल केन्द्रों और अंतर-राष्ट्रीय व्यवसायिक केन्द्रों में अवसंरचनाओं के उन्नयन के घटक भी शामिल हैं। डाक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रामीण व्यवसाय में बामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में डाक घरों की शाखाएं खोलने और डाक घरों की सुलभता पर भी विचार किया गया है। सामान्य सेवा केन्द्रों को स्थापित किया गया है जिनका उद्देश्य विभिन्न नागरिक उन्मुखी सेवाओं जैसा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट बैंड्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएमएसबीए निधि), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (पीएम-एलबीएम ) आदि की प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है।

सोशल मेडिया, टिकट संग्रहण गतिविधियों और अन्य विपणन संबंधी रणनीतियों के माध्यम से विज्ञापन, प्रचार और विपणन के लिए एक सहायक घटक जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा, नए डाक घरों के लिए सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रमाणपत्र और मौजूदा क्यूओएस प्रमाणपत्र का नवीकरण प्राप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है।

3. **भारतीय डाक भुगतान बैंक:** यह प्रावधान 'भारत डाक भुगतान बैंक' को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए है।

4. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

5. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।

6. **आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0:** यह प्रावधान आईटी आधुनिकीकरण 2.0 के लिए है जिसमें कंप्यूटरीकरण, अत्याधुनिकीकरण और देश में डाकघरों की नेटवर्किंग शामिल है।

संचार मंत्रालय  
मांग संख्या 13  
दूरसंचार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	33067.19	62455.72	95522.91	38475.54	93152.44	131627.98	57169.79	82646.52	139816.31	35851.50	73784.76	109636.26
<i>वसूलियां</i>	-5323.95	-3075.54	-8399.49	-10500.00	-8656.18	-19156.18	-7200.00	-7651.23	-14851.23	-6400.00	-22000.01	-28400.01
<i>प्राप्तियां</i>	-239.48	...	-239.48	-556.37	...	-556.37	-556.37	...	-556.37	-231.01	...	-231.01
<b>निवल</b>	<b>27503.76</b>	<b>59380.18</b>	<b>86883.94</b>	<b>27419.17</b>	<b>84496.26</b>	<b>111915.43</b>	<b>49413.42</b>	<b>74995.29</b>	<b>124408.71</b>	<b>29220.49</b>	<b>51784.75</b>	<b>81005.24</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	911.34	11.80	923.14	958.83	27.31	986.14	1114.53	64.44	1178.97	1132.19	162.12	1294.31
2. पेंशन	17373.18	...	17373.18	17510.00	...	17510.00	19306.00	...	19306.00	20133.42	...	20133.42
3. श्रम रोजगार और कौशल विकास	0.01	...	0.01	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
4. <i>विनियामक निकाय</i>												
4.01 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि	112.00	199.90	311.90	100.00	10.00	110.00	108.00	22.00	130.00	130.00	1.00	131.00
4.02 दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	27.96	0.28	28.24	23.20	0.50	23.70	26.98	2.20	29.18	28.94	0.77	29.71
<i>जोड़- विनियामक निकाय</i>	<i>139.96</i>	<i>200.18</i>	<i>340.14</i>	<i>123.20</i>	<i>10.50</i>	<i>133.70</i>	<i>134.98</i>	<i>24.20</i>	<i>159.18</i>	<i>158.94</i>	<i>1.77</i>	<i>160.71</i>
5. मानव संसाधन प्रबंधन	11.23	25.00	36.23	12.00	10.58	22.58	27.50	28.58	56.08	65.78	62.46	128.24
6. स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता	1.26	...	1.26	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
7. दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई)	0.66	...	0.66	1.20	0.20	1.40	1.20	0.20	1.40	1.20	0.20	1.40
8. कार्यालय भवन का निर्माण	...	...	...	...	...	...	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
9. संपन्न 2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	5.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>18437.64</b>	<b>236.98</b>	<b>18674.62</b>	<b>18607.63</b>	<b>48.59</b>	<b>18656.22</b>	<b>20586.61</b>	<b>121.42</b>	<b>20708.03</b>	<b>21493.93</b>	<b>235.55</b>	<b>21729.48</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि</b>												
10. <i>दूरसंचार अवसंरचना के मुजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति</i>												
10.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि में अंतरण	1000.00	1000.00	2000.00	1000.00	1000.00	2000.00	7200.00	1000.00	8200.00	4000.00	16000.00	20000.00
10.02 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति	5276.48	...	5276.48	10100.00	...	10100.00	7000.00	...	7000.00	6000.00	...	6000.00
10.03 भारत नेट	...	3075.54	3075.54	...	8500.00	8500.00	...	6500.00	6500.00	...	22000.00	22000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10.04 आर एंड डी (राजस्व)	28.48	...	28.48	400.00	...	400.00	200.00	...	200.00	400.00	...	400.00
10.05 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से पूरी की गई राशि	-5304.96	-3075.54	-8380.50	-10500.00	-8500.00	-19000.00	-7200.00	-1000.00	-8200.00	-4000.00	-16000.00	-20000.00
<i>निवल</i>	<i>1000.00</i>	<i>1000.00</i>	<i>2000.00</i>	<i>1000.00</i>	<i>1000.00</i>	<i>2000.00</i>	<i>7200.00</i>	<i>6500.00</i>	<i>13700.00</i>	<i>6400.00</i>	<i>22000.00</i>	<i>28400.00</i>
11. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
11.01 यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिवेशन फंड	...	...	...	...	...	...	10300.00	...	10300.00	...	...	...
12. अतिरिक्त राशि आरक्षित निधि से पूरी की गई												
12.01 यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिवेशन फंड	...	...	...	...	...	...	...	-5500.00	-5500.00	-2400.00	-6000.00	-8400.00
<b>जोड़-सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>17500.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>18500.00</b>	<b>4000.00</b>	<b>16000.00</b>	<b>20000.00</b>
<b>रक्षा स्पेक्ट्रम</b>												
13. रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क												
13.01 रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क	...	1093.44	1093.44	...	...	...	...	1315.96	1315.96	...	1456.25	1456.25
<b>दूरसंचार विभाग परियोजनाएं</b>												
14. घरेलू उद्योग प्रोत्साहन स्कीम	413.17	...	413.17	1910.80	...	1910.80	1539.82	...	1539.82	2006.34	...	2006.34
15. वायरलैस आयोजना एवं समन्वय												
15.01 बेतार आयोजना एवं समन्वय	18.93	...	18.93	20.86	163.24	184.10	27.70	76.44	104.14	22.63	25.00	47.63
15.02 बेतार निगरानी सेवाएं	49.06	20.31	69.37	54.14	61.76	115.90	58.01	109.08	167.09	47.85	54.00	101.85
<i>जोड़- वायरलैस आयोजना एवं समन्वय</i>	<i>67.99</i>	<i>20.31</i>	<i>88.30</i>	<i>75.00</i>	<i>225.00</i>	<i>300.00</i>	<i>85.71</i>	<i>185.52</i>	<i>271.23</i>	<i>70.48</i>	<i>79.00</i>	<i>149.48</i>
16. दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	...	0.02	0.02	...	0.17	0.17	...	0.37	0.37	...	0.37	0.37
17. दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	...	1.88	1.88	...	6.00	6.00	...	11.65	11.65	...	8.00	8.00
18. दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	...	191.46	191.46	...	8.54	8.54	...	167.00	167.00	...	73.00	73.00
19. अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क सुदृढीकरण हेतु वीएसएनएल को निधियां प्रदान करना	1.51	...	1.51	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
20. 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	4.46	...	4.46	2.92	...	2.92	4.51	...	4.51	...	...	...
21. डिजिटल इन्टेलिजेंस यूनिट परियोजना	...	50.00	50.00	...	85.00	85.00	...	85.71	85.71	...	52.00	52.00
22. सैटेलाइट गेटवे की स्थापना (वीएसएनएल को सहायता)	...	1.05	1.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी इनकमिंग कॉल प्रणाली 'सीआईओआर' की रोकथाम	...	...	...	...	38.76	38.76	...	16.00	16.00	...	7.50	7.50
24. एकल पोर्टल	...	...	...	...	...	...	...	5.01	5.01	...	10.00	10.00
<b>जोड़-दूरसंचार विभाग परियोजनाएं</b>	<b>487.13</b>	<b>264.72</b>	<b>751.85</b>	<b>1989.72</b>	<b>363.47</b>	<b>2353.19</b>	<b>1631.04</b>	<b>471.26</b>	<b>2102.30</b>	<b>2077.82</b>	<b>229.87</b>	<b>2307.69</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1487.13</b>	<b>2358.16</b>	<b>3845.29</b>	<b>2989.72</b>	<b>1363.47</b>	<b>4353.19</b>	<b>19131.04</b>	<b>2787.22</b>	<b>21918.26</b>	<b>6077.82</b>	<b>17686.12</b>	<b>23763.94</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
25. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	590.00	...	590.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	400.00	...	400.00
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
26. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
26.01 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एमटी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के रिफंड/एमटीएनएल बांडों/एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता	383.22	...	383.22	311.74	...	311.74	311.74	...	311.74	...	...	...
26.02 एमटीएनएल बांडों की मूलधन राशि का भुगतान	865.00	...	865.00	3668.97	...	3668.97	3668.97	...	3668.97	...	...	...
26.03 भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/निवेश	154.29	...	154.29	...	168.00	168.00	...	59.00	59.00	...	105.50	105.50
26.04 बीएसएनएल में पूंजी निवेश	...	56785.04	56785.04	...	82916.20	82916.20	...	72027.65	72027.65	...	33757.58	33757.58
26.05 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल)	2127.42	...	2127.42	0.01	...	0.01	3822.16	...	3822.16	0.01	...	0.01
26.06 जीएसटी के भुगतान के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान	2218.00	...	2218.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26.07 व्यवहार्यता अंतराल निधियन	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00
26.08 बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रत्याभूति राशि की माफी	239.48	...	239.48	556.37	...	556.37	556.37	...	556.37	231.01	...	231.01
26.09 घटाएं प्राप्ति	-239.48	...	-239.48	-556.37	...	-556.37	-556.37	...	-556.37	-231.01	...	-231.01
26.10 सरकारी गारंटी लागू करने के लिए एमटीएनएल को ऋण	...	...	...	...	156.18	156.18	...	1151.23	1151.23	...	0.01	0.01
26.11 गारंटी मोचन निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	-156.18	-156.18	...	-1151.23	-1151.23	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	<i>6947.93</i>	<i>56785.04</i>	<i>63732.97</i>	<i>5180.72</i>	<i>83084.20</i>	<i>88264.92</i>	<i>9002.87</i>	<i>72086.65</i>	<i>81089.52</i>	<i>1200.01</i>	<i>33863.08</i>	<i>35063.09</i>
<b>अन्य</b>												
27. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	41.06	...	41.06	141.10	...	141.10	192.90	...	192.90	48.73	...	48.73
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>7578.99</b>	<b>56785.04</b>	<b>64364.03</b>	<b>5821.82</b>	<b>83084.20</b>	<b>88906.02</b>	<b>9695.77</b>	<b>72086.65</b>	<b>81782.42</b>	<b>1648.74</b>	<b>33863.08</b>	<b>35511.82</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>27503.76</b>	<b>59380.18</b>	<b>86883.94</b>	<b>27419.17</b>	<b>84496.26</b>	<b>111915.43</b>	<b>49413.42</b>	<b>74995.29</b>	<b>124408.71</b>	<b>29220.49</b>	<b>51784.75</b>	<b>81005.24</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	17373.18	...	17373.18	17510.00	...	17510.00	19306.00	...	19306.00	20133.42	...	20133.42
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>17373.18</b>	<b>...</b>	<b>17373.18</b>	<b>17510.00</b>	<b>...</b>	<b>17510.00</b>	<b>19306.00</b>	<b>...</b>	<b>19306.00</b>	<b>20133.42</b>	<b>...</b>	<b>20133.42</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	0.01	...	0.01	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>0.40</b>	<b>...</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>...</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>...</b>	<b>0.40</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. अन्य संचार सेवाएं	9219.23	...	9219.23	7889.94	...	7889.94	28242.49	...	28242.49	7314.48	...	7314.48
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	911.34	...	911.34	958.83	...	958.83	1114.53	...	1114.53	1132.19	...	1132.19
5. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	168.00	168.00	...	59.00	59.00	...	105.50	105.50
6. अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	59380.18	59380.18	...	83478.26	83478.26	...	74154.69	74154.69	...	49333.62	49333.62
7. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>10130.57</b>	<b>59380.18</b>	<b>69510.75</b>	<b>8848.77</b>	<b>83646.26</b>	<b>92495.03</b>	<b>29357.02</b>	<b>74213.69</b>	<b>103570.71</b>	<b>8446.67</b>	<b>49439.12</b>	<b>57885.79</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1060.00	...	1060.00	750.00	...	750.00	640.00	...	640.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	850.00	850.00	...	781.60	781.60	...	2345.63	2345.63
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1060.00</b>	<b>850.00</b>	<b>1910.00</b>	<b>750.00</b>	<b>781.60</b>	<b>1531.60</b>	<b>640.00</b>	<b>2345.63</b>	<b>2985.63</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>27503.76</b>	<b>59380.18</b>	<b>86883.94</b>	<b>27419.17</b>	<b>84496.26</b>	<b>111915.43</b>	<b>49413.42</b>	<b>74995.29</b>	<b>124408.71</b>	<b>29220.49</b>	<b>51784.75</b>	<b>81005.24</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड	154.29	36.24	190.53	168.00	100.00	268.00	59.00	29.21	88.21	105.50	12.61	118.11						
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	...	87.63	87.63	156.18	8571.08	8727.26	1151.23	...	1151.23	0.01	...	0.01						
3. सी डॉट	...	406.64	406.64	...	110.00	110.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00						
4. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इण्डिया लि0	...	5.76	5.76	...	313.00	313.00	...	18.70	18.70	...	102.20	102.20						
5. भारत संचार निगम लिमिटेड	56785.04	513.40	57298.44	82916.20	500.00	83416.20	72027.65	500.00	72527.65	33757.58	500.00	34257.58						
<b>जोड़</b>	<b>56939.33</b>	<b>1049.67</b>	<b>57989.00</b>	<b>83240.38</b>	<b>9594.08</b>	<b>92834.46</b>	<b>73237.88</b>	<b>697.91</b>	<b>73935.79</b>	<b>33863.09</b>	<b>764.81</b>	<b>34627.90</b>						

नोट: ब.अ. 2025-26 में इस मांग के लिए कुल निवल आवंटन रु. 89,405.24 करोड़ (रु. 81,005.24 करोड़ और रु. 8,400 करोड़) रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से 8,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान पूरा किया जाएगा और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारतनेट और अनुसंधान विकास को सुआवजा योजनाओं के लिए किया जाएगा।

1. **सचिवालय- आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग और प्रशासन महानिदेशालय, जिसमें सीसीए/टीईआरएम युनिट, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, प्रशासक यूएसओ निधि तथा केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली शामिल है, से संबंधित हिस्से के लिए संचार मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **पेंशन:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनगत लाभों के लिए किया गया है, जिसमें दिनांक 1.4.2014 से भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एमटीएनएल में आमेहित किए गए कर्मचारी शामिल हैं।

3. **श्रम रोजगार और कौशल विकास:** यह प्रावधान पं. दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान खोलने के लिए प्रायोगिक योजना हेतु है।

4. **विनियामक निकाय:** यह प्रावधान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निधि अंतरित करने तथा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए है। यह प्रावधान दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण से संबंधित व्यय के लिए है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) के परिचालन व्यय के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए है।

6. **स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान स्वच्छता कार्य योजना के लिए विशेष सहायता के लिए है।

7. **दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई):** यह प्रावधान दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए है।



8. **कार्यालय भवन का निर्माण:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग बिल्डिंग के निर्माण के लिए है।
9. **संपन्न 2.0:** यह प्रावधान संपन्न 2.0 के लिए है।
10. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए मुआवजा प्रदान करने और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों तक विभिन्न दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए है, जिसमें ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन का संचालन और रखरखाव शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का प्रावधान भी शामिल है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड में अंतरण का प्रावधान भी शामिल है। इस योजना के तहत आवंटन में स.अ. 2024-25 में 11.89 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के लिए ब.अ. 2025-26 में 100 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना के तहत आवंटन के लिए स.अ. 2024-25 में 50 करोड़ रुपये और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए ब.अ. 2025-26 में 125 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- 10.03. **भारत नेट:** देश में सभी पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपेक्षित टेलीकॉम अवसंरचना के सृजन के लिए भारत नेट परियोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भेद-भाव रहित सुलभता प्रदान करने के लिए प्रावधान है। इस योजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- 10.04. **आर एंड डी (राजस्व):** यह अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकियों और सॉल्यूशन्स के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में किरायायती ब्राडबैंड और मोबाइल सेवा प्रोलिफेरेशन (प्रसार) का समर्थन करना है। इस योजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- 11.01. **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड:** सार्वजनिक खाते में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (यूएसओएफ) में किए गए अतिरिक्त अंतरण।
- 12.01. **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड:** स.अ. 2024-25 और ब.अ. 2025-26 में क्रमशः 5500 करोड़ रुपये और 8400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (यूएसओएफ) के सार्वजनिक खातों में उपलब्ध बकाया राशि से पूरा किया गया है।
13. **रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है।
14. **घरेलू उद्योग प्रोत्साहन स्कीम:** वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन के लिए 2006.34 करोड़ रुपये (39.74 करोड़ रुपये), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (1.10 करोड़ रुपये) और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (1965.50 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।
15. **वायरलैस आयोजना एवं समन्वय:** (i) यह प्रावधान वायर लैस आयोजना और समन्वय स्क्ंध के व्यय से संबंधित है। यह स्क्ंध भारतीय वायरलैस टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत विभिन्न प्रावधानों में लाइसेंस जारी करती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वायरलैस संचालकों के लिए प्रेषण एवं प्राप्त स्टेशनों और परीक्षा संचालन कराने से है; और (ii) यह प्रावधान बेतार निगरानी संगठन के व्यय हेतु है जो रेडियो आवृत्ति प्रबंधन हेतु निगरानी प्रेक्षकों के आधार पर तकनीकी और संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को

लागू करता है तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कतिपय सांविधिक प्रकार्यों का निष्पादन करने के साथ-साथ कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंधन के लिए रेडियो ट्रांसमिशन के संबंध में चौबीसों घंटे निगरानी करता है। इसमें सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रावधान भी शामिल है।

16. **दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र से संबंधित व्यय के लिए है।
17. **दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र के लिए है।
18. **दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट):** यह प्रावधान दूरसंचार कम्प्यूटर आकस्मिक कार्य दल के लिए है।
19. **अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करना:** यह प्रावधान अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करने हेतु है।
20. **5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड:** यह प्रावधान 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड के लिए है।
21. **डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट परियोजना:** डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट (डीआईयू) परियोजना का उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों संबंधी धोखाधड़ी के क्रियाकलापों की जांच करना है, जैसे कि अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) आदि।
22. **सैटेलाइट गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता):** यह प्रावधान सैटेलाइट गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता) के लिए है।
23. **अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी इनकमिंग कॉल प्रणाली 'सीआईओआर' की रोकथाम:** भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय जाली इनकमिंग कॉल की रोकथाम के लिए केंद्रीकृत अंतरराष्ट्रीय आउट रोमर (सीआईओआर) प्रणाली।
24. **एकल पोर्टल:** यह प्रावधान एकीकृत पोर्टल के लिए है।
25. **टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** यह प्रावधान टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डीओटी) के व्यय को पूरा करने के लिए है।
- 26.01. **महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एमएटी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के रिफंड/एमटीएनएल बांडों/ एफटीडीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता:** यह प्रावधान स्पेक्ट्रम प्रभार/सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्रभारों की वापसी के एवज में एमटीएनएल द्वारा जारी बांडों पर ब्याज भुगतान के लिए है।
- 26.02. **एमटीएनएल बांडों की मूलधन राशि का भुगतान:** यह प्रावधान एमटीएनएल बाण्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए है।
- 26.03. **भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/निवेश:** यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/इक्विटी प्रदान करने के लिए है।

- 26.04. **बीएसएनएल में पूंजी निवेश:** यह प्रावधान बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पुनः संरचना के लिए पूंजी लगाने हेतु किया गया है।
- 26.05. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल):** यह प्रावधान बीएसएनएल/एमटीएनएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए किया गया है।
- 26.06. **जीएसटी के भुगतान के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान:** यह प्रावधान 4जी स्पेक्ट्रम आबंटित होने के संबंध में जीएसटी का भुगतान करने के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान देने के लिए किया है।
- 26.07. **व्यवहार्यता अंतराल निधियन:** यह प्रावधान अव्यवहार्य प्रामाण वायर-लाइन संचालन के लिए बीएसएनएल को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।
- 26.08. **बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रत्याभूति राशि की माफी:** यह प्रावधान बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा सॉवरेन गारंटी जुटाने संबंधी गारंटी शुल्क माफ करने के लिए है।
- 26.10. **सरकारी गारंटी लागू करने के लिए एमटीएनएल को ऋण:** यह प्रावधान एमटीएनएल द्वारा जुटाए गए बांडों पर संप्रभु गारंटी के लागू करने के लिए है।
27. **अन्तरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 14

उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	262.90	48.65	311.55	10293.49	66.32	10359.81	7331.90	69.34	7401.24	4332.50	84.42	4416.92
<i>वसूलियां</i>	-38.99	...	-38.99	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	125.43	0.87	126.30	133.34	1.27	134.61	139.27	1.27	140.54	129.08	0.82	129.90
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>उपभोक्ता संरक्षण</b>												
2. मूल्य स्थिरीकरण कोष	...	...	...	10000.00	...	10000.00	7000.00	...	7000.00	4019.83	...	4019.83
3. कॉन्फोनेट	36.21	...	36.21	42.00	...	42.00	70.00	...	70.00	52.00	...	52.00
4. उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार)	24.55	...	24.55	17.99	...	17.99	17.99	...	17.99	17.99	...	17.99
5. उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	6.20	...	6.20	8.00	...	8.00	10.49	...	10.49	8.90	...	8.90
6. मूल्य निगरानी ढांचा	7.24	...	7.24	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7. उपभोक्ता फोरम का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता	4.99	...	4.99	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	11.00	...	11.00
	-2.00	...	-2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>2.99</i>	<i>...</i>	<i>2.99</i>	<i>5.00</i>	<i>...</i>	<i>5.00</i>	<i>7.00</i>	<i>...</i>	<i>7.00</i>	<i>11.00</i>	<i>...</i>	<i>11.00</i>
8. उपभोक्ता कल्याण निधि												
8.01 उपभोक्ता कल्याण निधि	36.85	...	36.85	56.20	...	56.20	56.20	...	56.20	56.20	...	56.20
8.02 उपभोक्ता कल्याण निधि से प्राप्त राशि	-36.85	...	-36.85	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20	-56.20	...	-56.20
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-उपभोक्ता संरक्षण</b>	<b>77.19</b>	<b>...</b>	<b>77.19</b>	<b>10073.00</b>	<b>...</b>	<b>10073.00</b>	<b>7105.48</b>	<b>...</b>	<b>7105.48</b>	<b>4109.72</b>	<b>...</b>	<b>4109.72</b>
<b>वैश्विक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन</b>												
9. भारतीय मानक ब्यूरो												
9.01 भारत में सोने के संबंध में हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना	0.95	...	0.95	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	13.25	10.73	23.98	17.45	17.55	35.00	17.45	20.57	38.02	23.20	42.60	65.80
11. तेल एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण	7.23	37.05	44.28	12.50	47.50	60.00	12.50	47.50	60.00	13.30	41.00	54.30
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>7.19</i>	<i>37.05</i>	<i>44.24</i>	<i>12.50</i>	<i>47.50</i>	<i>60.00</i>	<i>12.50</i>	<i>47.50</i>	<i>60.00</i>	<i>13.30</i>	<i>41.00</i>	<i>54.30</i>
<b>जोड़-विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन</b>	<b>21.39</b>	<b>47.78</b>	<b>69.17</b>	<b>30.95</b>	<b>65.05</b>	<b>96.00</b>	<b>30.95</b>	<b>68.07</b>	<b>99.02</b>	<b>37.50</b>	<b>83.60</b>	<b>121.10</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>98.58</b>	<b>47.78</b>	<b>146.36</b>	<b>10103.95</b>	<b>65.05</b>	<b>10169.00</b>	<b>7136.43</b>	<b>68.07</b>	<b>7204.50</b>	<b>4147.22</b>	<b>83.60</b>	<b>4230.82</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
12. वास्तविक वसूलियां	-0.10	...	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	0.95	...	0.95	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	59.26	...	59.26	65.72	...	65.72	67.21	...	67.21	70.17	...	70.17
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.12	...	34.12	35.28	...	35.28	38.78	...	38.78	35.66	...	35.66
4. नागरिक आपूर्ति	116.16	...	116.16	9106.72	...	9106.72	6436.34	...	6436.34	3735.52	...	3735.52
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15.42	...	15.42	20.62	...	20.62	20.67	...	20.67	21.02	...	21.02
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	10.73	10.73	...	14.05	14.05	...	16.76	16.76	...	37.52	37.52
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.92	37.92	...	43.42	43.42	...	42.77	42.77	...	36.82	36.82
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>225.91</b>	<b>48.65</b>	<b>274.56</b>	<b>9229.24</b>	<b>57.47</b>	<b>9286.71</b>	<b>6563.90</b>	<b>59.53</b>	<b>6623.43</b>	<b>3863.27</b>	<b>74.34</b>	<b>3937.61</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1008.05	...	1008.05	711.80	...	711.80	413.03	...	413.03
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-2.00	...	-2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	8.85	8.85	...	9.81	9.81	...	10.08	10.08
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-2.00</b>	<b>...</b>	<b>-2.00</b>	<b>1008.05</b>	<b>8.85</b>	<b>1016.90</b>	<b>711.80</b>	<b>9.81</b>	<b>721.61</b>	<b>413.03</b>	<b>10.08</b>	<b>423.11</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>223.91</b>	<b>48.65</b>	<b>272.56</b>	<b>10237.29</b>	<b>66.32</b>	<b>10303.61</b>	<b>7275.70</b>	<b>69.34</b>	<b>7345.04</b>	<b>4276.30</b>	<b>84.42</b>	<b>4360.72</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मूल्य स्थिरीकरण कोष:** दाल, प्याज तथा आलू का बफर स्टॉक बनाए रखने तथा बाजार में उक्त वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता कराने की व्यवस्था का प्रावधान है ताकि जरूरत पड़ने पर मूल्यों को कम किया जा सके।

3. **कॉनफोनेट:** यह प्रावधान नेटवर्किंग तथा संपूर्ण देश में उपभोक्ता मंचों को हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा तकनीकी सहायता वाले व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए है।
4. **उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार):** यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।
5. **उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ:** यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराया जाए। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वार्षिक बैठकें संचालित करने तथा राष्ट्रीय/विश्व-उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए व्यय।
7. **उपभोक्ता फोरम का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 8.01. **उपभोक्ता कल्याण निधि:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा उपभोक्ता वस्तुओं की जांच और तुलनात्मक जांच करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
- 8.02. **उपभोक्ता कल्याण निधि से प्राप्त राशि:** सीडब्ल्यूएफ से पूरा किया जाना वाला व्यय, सामान्य पद्धति के अनुसार, प्रारंभ में भारत की संचित निधि से व्यय माना जाएगा, जिसका लेखा एक पृथक लघु-शीर्ष ,उपभोक्ता कल्याण निधि , मुख्य शीर्ष-3456-नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत किया जाएगा।
- 9.01. **भारत में सोने के संबंध में हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।
10. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/अपग्रेडेशन के लिए है जिसमें (आग्नेयास्त्रों को छोड़कर) भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।
11. **तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए है। कार्यशील मानक/गौण मानक प्रयोगशालाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	221336.67	22994.16	244330.83	212976.21	50043.54	263019.75	205366.31	50108.66	255474.97	211386.14	50020.23	261406.37
वसूलियां	-2.36	...	-2.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	-12105.00	-12105.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
<b>निवल</b>	<b>221334.31</b>	<b>10889.16</b>	<b>232223.47</b>	<b>212976.21</b>	<b>43.54</b>	<b>213019.75</b>	<b>205366.31</b>	<b>108.66</b>	<b>205474.97</b>	<b>211386.14</b>	<b>20.23</b>	<b>211406.37</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	320.84	6.68	327.52	75.83	5.02	80.85	88.34	6.80	95.14	92.97	5.22	98.19
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	25.78	1.71	27.49	26.32	4.63	30.95	27.81	4.83	32.64	28.96	5.00	33.96
3. खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय	20.71	3.51	24.22	48.31	7.37	55.68	36.08	3.56	39.64	21.36	1.00	22.36
4. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>367.27</b>	<b>11.90</b>	<b>379.17</b>	<b>150.46</b>	<b>17.02</b>	<b>167.48</b>	<b>152.23</b>	<b>15.19</b>	<b>167.42</b>	<b>143.29</b>	<b>11.22</b>	<b>154.51</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>खाद्य सस्मिडी</b>												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सस्मिडी	139661.03	...	139661.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए खाद्य सस्मिडी	71733.36	...	71733.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)	...	...	...	205250.00	...	205250.00	197000.00	...	197000.00	203000.00	...	203000.00
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सस्मिडी	420.00	...	420.00	0.01	...	0.01	420.00	...	420.00	420.00	...	420.00
<b>जोड़-खाद्य सस्मिडी</b>	<b>211814.39</b>	<b>...</b>	<b>211814.39</b>	<b>205250.01</b>	<b>...</b>	<b>205250.01</b>	<b>197420.00</b>	<b>...</b>	<b>197420.00</b>	<b>203420.00</b>	<b>...</b>	<b>203420.00</b>
<b>9. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम</b>												
9.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	22805.00	22805.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00
9.02 भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-12105.00	-12105.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
<b>निवल</b>	<b>...</b>	<b>10700.00</b>	<b>10700.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
10. चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए स्कीम	0.46	...	0.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी	400.00	...	400.00	450.00	...	450.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम												
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	0.91	...	0.91	0.54	...	0.54	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
13. भंडारण और गोदाम	2.68	177.26	179.94	...	0.01	0.01	5.11	66.97	72.08	...	...	...
14. इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्रामि (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
<b>चीनी उद्योग का विकास</b>												
15. चीनी उद्योग विकास स्कीम												
15.01 चीनी उपकरणों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
16. वास्तविक वसूलियां	-2.30	...	-2.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>212226.14</b>	<b>10877.26</b>	<b>223103.40</b>	<b>205700.56</b>	<b>0.01</b>	<b>205700.57</b>	<b>198085.61</b>	<b>66.97</b>	<b>198152.58</b>	<b>204080.50</b>	<b>...</b>	<b>204080.50</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
17. माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण	20.10	...	20.10	25.69	...	25.69	24.69	...	24.69	20.25	...	20.25
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
18. भारतीय खाद्य निगम की इक्रिटी पूंजी में निवेश	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>अन्य</b>												
19. पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.29	...	0.29	1.00	...	1.00	3.93	...	3.93	0.10	...	0.10
20. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के लाभभागियों में जागरूकता पैदा करना	1.18	...	1.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. गन्ने की कीमतों के निर्धारण और किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े लंबित भुगतान (एकमुश्त भुगतान) का समय पर पूरा किए जाने हेतु सहायता देने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सन्धि	...	...	...	...	...	...	1.35	...	1.35	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1.47</b>	<b>...</b>	<b>1.47</b>	<b>1.00</b>	<b>...</b>	<b>1.00</b>	<b>5.28</b>	<b>...</b>	<b>5.28</b>	<b>0.10</b>	<b>...</b>	<b>0.10</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>21.57</b>	<b>...</b>	<b>21.57</b>	<b>26.69</b>	<b>0.01</b>	<b>26.70</b>	<b>29.97</b>	<b>...</b>	<b>29.97</b>	<b>20.35</b>	<b>0.01</b>	<b>20.36</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
22. चावल का पीछिकीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण	0.11	...	0.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन	8703.59	...	8703.59	7075.00	...	7075.00	7075.00	...	7075.00	7075.00	...	7075.00
24. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)	15.63	...	15.63	23.50	26.50	50.00	23.50	26.50	50.00	67.00	9.00	76.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>8719.33</b>	<b>...</b>	<b>8719.33</b>	<b>7098.50</b>	<b>26.50</b>	<b>7125.00</b>	<b>7098.50</b>	<b>26.50</b>	<b>7125.00</b>	<b>7142.00</b>	<b>9.00</b>	<b>7151.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>221334.31</b>	<b>10889.16</b>	<b>232223.47</b>	<b>212976.21</b>	<b>43.54</b>	<b>213019.75</b>	<b>205366.31</b>	<b>108.66</b>	<b>205474.97</b>	<b>211386.14</b>	<b>20.23</b>	<b>211406.37</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	212307.64	...	212307.64	205827.38	...	205827.38	198199.86	...	198199.86	204207.17	...	204207.17
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	320.78	...	320.78	75.83	...	75.83	88.34	...	88.34	92.97	...	92.97
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	189.16	189.16	...	43.53	43.53	...	49.13	49.13	...	20.23	20.23
4. खाद्य, भंडारण और माल गोदाम के लिए ऋण	...	10700.00	10700.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>212628.42</b>	<b>10889.16</b>	<b>223517.58</b>	<b>205903.21</b>	<b>43.53</b>	<b>205946.74</b>	<b>198288.20</b>	<b>49.13</b>	<b>198337.33</b>	<b>204300.14</b>	<b>20.23</b>	<b>204320.37</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	711.00	...	711.00	716.11	...	716.11	721.00	...	721.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8565.72	...	8565.72	6195.00	...	6195.00	6195.00	...	6195.00	6132.00	...	6132.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	140.17	...	140.17	167.00	...	167.00	167.00	...	167.00	233.00	...	233.00
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	59.53	59.53	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>8705.89</b>	<b>...</b>	<b>8705.89</b>	<b>7073.00</b>	<b>0.01</b>	<b>7073.01</b>	<b>7078.11</b>	<b>59.53</b>	<b>7137.64</b>	<b>7086.00</b>	<b>...</b>	<b>7086.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>221334.31</b>	<b>10889.16</b>	<b>232223.47</b>	<b>212976.21</b>	<b>43.54</b>	<b>213019.75</b>	<b>205366.31</b>	<b>108.66</b>	<b>205474.97</b>	<b>211386.14</b>	<b>20.23</b>	<b>211406.37</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>भारतीय खाद्य निगम</b>												
1. भारतीय खाद्य निगम	177.26	47664.00	47841.26	0.02	26976.00	26976.02	66.97	25000.00	25066.97	0.01	28000.00	28000.01
<b>जोड़-भारतीय खाद्य निगम</b>	<b>177.26</b>	<b>47664.00</b>	<b>47841.26</b>	<b>0.02</b>	<b>26976.00</b>	<b>26976.02</b>	<b>66.97</b>	<b>25000.00</b>	<b>25066.97</b>	<b>0.01</b>	<b>28000.00</b>	<b>28000.01</b>
<b>जमा सहकारी समितियों को ऋण</b>												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	613.00	613.00	...	651.00	651.00	...	500.00	500.00	...	723.00	723.00
<b>जोड़-जमा सहकारी समितियों को ऋण</b>	<b>...</b>	<b>613.00</b>	<b>613.00</b>	<b>...</b>	<b>651.00</b>	<b>651.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>723.00</b>	<b>723.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>177.26</b>	<b>48277.00</b>	<b>48454.26</b>	<b>0.02</b>	<b>27627.00</b>	<b>27627.02</b>	<b>66.97</b>	<b>25500.00</b>	<b>25566.97</b>	<b>0.01</b>	<b>28723.00</b>	<b>28723.01</b>

3. **खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला और गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद की सदस्यता शुल्क के लिए है।

2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की स्थापना व्यय के लिए है।



7. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई):** सरकार के निर्णय के अनुसार दो खाद्य सस्मिडी योजनाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में सम्मिलित की गई हैं। स्कीम के तहत लक्ष्य आधारित लोक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से पीएचएच, एएवाई और एनएफएसए के अंतर्गत अन्य पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य अनाज वितरण किया जा रहा है।

8. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सस्मिडी:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अल्पोद्यम अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को सस्मिडी दर पर चीनी प्रदान करने के लिए है।

9. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग के लिए अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।

11. **इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम:** यह प्रावधान चीनी मिलों के लिए एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए इंसीनरेशन बॉयलरों की स्थापना करके मौजूदा डिस्टिलरियों में वर्ष के दौरान कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर तथा चीनी मिलों से संबद्ध नई डिस्टिलरियों की स्थापना करके एथनॉल उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए है।

12. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित स्कीमों यथा - राज्य खाद्य आयोग और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सहायता के लिए है।

13. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा भंडारण क्षमता के निर्माण (गोदाम और साइलो) के लिए है।

14. **इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्राप्ति (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना:** यह प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए है, जिसका उद्देश्य बैंकों को वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलटरी अथॉरिटी (पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत उपज पर किसानों और व्यापारियों को ई-एनडब्ल्यूआर के विरुद्ध गिरवी वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

15.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय:** यह प्रावधान एसडीएफ स्कीम के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

17. **माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों/ट्रांसफार्मेशन प्लान की ऑनलाईन मानीटरिंग हेतु स्थापना व्यय एवं आई टी समर्थित प्रणाली संबंधी व्यय के लिए अनुदान-सहायता-वेतन तथा अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

18. **भारतीय खाद्य निगम की इक्रीटी पूंजी में निवेश:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की इक्रीटी में पूंजी निवेश करने के लिए है।

19. **पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** यह प्रावधान (पीडीएस संचालन योजना के सुदृढीकरण का पूर्वी घटक) के तहत प्रावधान फेज -II (2024-28) के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में एनएफएसए के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन में लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है।

21. **गन्ने की कीमतों के निर्धारण और किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े लंबित भुगतान (एकमुश्त भुगतान) का समय पर पूरा किए जाने हेतु सहायता देने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सस्मिडी:** यह प्रावधान दो चीनी मिलों के 1.35 करोड़ रुपये के लंबित पड़े दावों को निपटने के लिए है जो व्यय के अंतर्गत है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.07.2023 को आदेश द्वारा विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।

23. **एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलर को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

24. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस):** यह प्रावधान टीपीडीएस ऑपरेशन्स के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण द्वारा लागू गए प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने और पीडीएस में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत है।

सहकारिता मंत्रालय  
मांग संख्या 16  
सहकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	687.67	1.21	688.88	1182.38	1.01	1183.39	746.90	2.88	749.78	1184.68	1.61	1186.29
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	687.67	1.21	688.88	1182.38	1.01	1183.39	746.90	2.88	749.78	1184.68	1.61	1186.29
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	26.04	1.21	27.25	27.93	0.63	28.56	28.85	1.53	30.38	30.85	0.63	31.48
1.02 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	13.63	...	13.63	10.46	0.38	10.84	14.06	1.35	15.41	15.83	0.98	16.81
जोड़- सचिवालय	39.67	1.21	40.88	38.39	1.01	39.40	42.91	2.88	45.79	46.68	1.61	48.29
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी)	300.00	...	300.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सहकारी शिक्षा	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
4. सहकारी प्रशिक्षण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान												
5.01 सहकारी शर्करा मिलों (सीएसएम) का सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...
5.02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
जोड़- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>300.00</b>	<b>...</b>	<b>300.00</b>	<b>500.02</b>	<b>...</b>	<b>500.02</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	36.51	...	36.51	43.00	...	43.00	38.00	...	38.00	42.00	...	42.00
7. वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैन्नीकॉम)	8.28	...	8.28	12.00	...	12.00	9.99	...	9.99	11.00	...	11.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	44.79	...	44.79	55.00	...	55.00	47.99	...	47.99	53.00	...	53.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	44.79	...	44.79	55.00	...	55.00	47.99	...	47.99	53.00	...	53.00
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
8. प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण	298.64	...	298.64	500.00	...	500.00	131.00	...	131.00	560.00	...	560.00
9. सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
10. आईटी पहल के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना	4.57	...	4.57	88.96	...	88.96	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>303.21</b>	<b>...</b>	<b>303.21</b>	<b>588.97</b>	<b>...</b>	<b>588.97</b>	<b>156.00</b>	<b>...</b>	<b>156.00</b>	<b>585.00</b>	<b>...</b>	<b>585.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>687.67</b>	<b>1.21</b>	<b>688.88</b>	<b>1182.38</b>	<b>1.01</b>	<b>1183.39</b>	<b>746.90</b>	<b>2.88</b>	<b>749.78</b>	<b>1184.68</b>	<b>1.61</b>	<b>1186.29</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. सहकारिता	400.20	...	400.20	733.44	...	733.44	602.78	...	602.78	687.01	...	687.01
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.04	...	26.04	27.93	...	27.93	28.85	...	28.85	30.85	...	30.85
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.21	1.21	...	1.01	1.01	...	2.88	2.88	...	1.61	1.61
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>426.24</b>	<b>1.21</b>	<b>427.45</b>	<b>761.37</b>	<b>1.01</b>	<b>762.38</b>	<b>631.63</b>	<b>2.88</b>	<b>634.51</b>	<b>717.86</b>	<b>1.61</b>	<b>719.47</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	259.34	...	259.34	415.72	...	415.72	112.86	...	112.86	462.08	...	462.08
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.09	...	2.09	5.29	...	5.29	2.41	...	2.41	4.74	...	4.74
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>261.43</b>	<b>...</b>	<b>261.43</b>	<b>421.01</b>	<b>...</b>	<b>421.01</b>	<b>115.27</b>	<b>...</b>	<b>115.27</b>	<b>466.82</b>	<b>...</b>	<b>466.82</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>687.67</b>	<b>1.21</b>	<b>688.88</b>	<b>1182.38</b>	<b>1.01</b>	<b>1183.39</b>	<b>746.90</b>	<b>2.88</b>	<b>749.78</b>	<b>1184.68</b>	<b>1.61</b>	<b>1186.29</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है और इसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय, सहकारी चुनाव प्राधिकरण का कार्यालय और लोकपाल का कार्यालय शामिल हैं।

5. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान:** व.अ. 2025-26 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के लिए सहायता अनुदान हेतु प्रावधान किया गया है।

6. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी):** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक सोसायटी है। यह प्रावधान वेतन सहायता अनुदान के लिए है।

7. **वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैसीकोम):** यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह एनसीसीटी के प्रशासनिक दायरे में आता है | यह प्रावधान वेतन सहायता अनुदान के लिए है।

8. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण:** इस योजना का उद्देश्य 67,930 कार्यात्मक पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण करना है जिससे पीएसीएस के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

10. **आईटी पहल के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना:** आईटी पहलों के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर केंद्र प्रायोजित परियोजना के दो घटक हैं :

(क) कृषि ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण परियोजना।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण।

इसका उद्देश्य एआरडीबी और आरसीएस की दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	573.06	37.73	610.79	2636.96	55.10	2692.06	1053.33	55.10	1108.43	11469.86	116.33	11586.19
<b>वसूलियां</b>	-27.19	...	-27.19	-25.00	...	-25.00	-30.00	...	-30.00	-25.00	...	-25.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>545.87</b>	<b>37.73</b>	<b>583.60</b>	<b>2611.96</b>	<b>55.10</b>	<b>2667.06</b>	<b>1023.33</b>	<b>55.10</b>	<b>1078.43</b>	<b>11444.86</b>	<b>116.33</b>	<b>11561.19</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	126.87	...	126.87	163.98	...	163.98	181.22	...	181.22	199.12	...	199.12
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	68.84	...	68.84	77.00	...	77.00	80.01	...	80.01	77.87	...	77.87
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	278.04	...	278.04	296.98	...	296.98	326.20	...	326.20	333.87	...	333.87
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	346.88	...	346.88	373.98	...	373.98	406.21	...	406.21	411.74	...	411.74
3. वास्तविक वसूलियां	-1.03	...	-1.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>472.72</b>	<b>...</b>	<b>472.72</b>	<b>537.96</b>	<b>...</b>	<b>537.96</b>	<b>587.43</b>	<b>...</b>	<b>587.43</b>	<b>610.86</b>	<b>...</b>	<b>610.86</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>कारपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली</b>												
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	4.17	...	4.17	4.00	1.00	5.00	4.90	10.10	15.00	8.46	2.54	11.00
5. न्यू इंटरनेटिंग प्रोग्राम	...	...	...	2000.00	...	2000.00	380.00	...	380.00	10771.30	59.77	10831.07
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>4.17</b>	<b>...</b>	<b>4.17</b>	<b>2004.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2005.00</b>	<b>384.90</b>	<b>10.10</b>	<b>395.00</b>	<b>10779.76</b>	<b>62.31</b>	<b>10842.07</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
6. भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	...	...	...	0.03	...	0.03
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	49.98	...	49.98	51.00	...	51.00	51.00	...	51.00	54.21	...	54.21
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>68.98</b>	<b>...</b>	<b>68.98</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>51.00</b>	<b>...</b>	<b>51.00</b>	<b>54.24</b>	<b>...</b>	<b>54.24</b>
<b>अन्य</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
8.01 निवेशकों को दावा न किए गए लाभों की वापसी	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
8.02 आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं	-20.00	...	-20.00	-25.00	...	-25.00	-30.00	...	-30.00	-25.00	...	-25.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन	...	37.73	37.73	...	54.10	54.10	...	45.00	45.00	...	54.02	54.02
<b>जोड़-अन्य</b>	...	<b>37.73</b>	<b>37.73</b>	...	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>	...	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	...	<b>54.02</b>	<b>54.02</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>68.98</b>	<b>37.73</b>	<b>106.71</b>	<b>70.00</b>	<b>54.10</b>	<b>124.10</b>	<b>51.00</b>	<b>45.00</b>	<b>96.00</b>	<b>54.24</b>	<b>54.02</b>	<b>108.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>545.87</b>	<b>37.73</b>	<b>583.60</b>	<b>2611.96</b>	<b>55.10</b>	<b>2667.06</b>	<b>1023.33</b>	<b>55.10</b>	<b>1078.43</b>	<b>11444.86</b>	<b>116.33</b>	<b>11561.19</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	181.02	...	181.02	2214.98	...	2214.98	612.22	...	612.22	11024.63	...	11024.63
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	364.85	...	364.85	396.98	...	396.98	411.11	...	411.11	420.23	...	420.23
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.73	37.73	...	55.10	55.10	...	55.10	55.10	...	116.33	116.33
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>545.87</b>	<b>37.73</b>	<b>583.60</b>	<b>2611.96</b>	<b>55.10</b>	<b>2667.06</b>	<b>1023.33</b>	<b>55.10</b>	<b>1078.43</b>	<b>11444.86</b>	<b>116.33</b>	<b>11561.19</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>545.87</b>	<b>37.73</b>	<b>583.60</b>	<b>2611.96</b>	<b>55.10</b>	<b>2667.06</b>	<b>1023.33</b>	<b>55.10</b>	<b>1078.43</b>	<b>11444.86</b>	<b>116.33</b>	<b>11561.19</b>

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय, ई-गवर्नेंस (एमसीए-21) परियोजना ;और आईपीआई परियोजना के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक दोनों प्रकारों अर्थात् पूंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक परिसमापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन के अधीन वाली कंपनियों के प्रभारी होते हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएपी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), विशेष न्यायालय और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान है।

4. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में मौजूद सूचना के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितधारकों को अधिक सुगम तरीके से प्रामाणिक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीतिगत या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचित तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

5. **न्यू इंटर्नेशिप प्रोग्राम:** बजट 2024-25 में शुरू की गई एक नई योजना, न्यू इंटर्नेशिप प्रोग्राम (पीएम इंटर्नेशिप स्कीम) है। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नेशिप के अवसर प्रदान करना है।

6. **भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड:** बैंकरप्सी और इंसोलवेंसी संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय बैंकरप्सी और इनसोलवेंसी बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सरकारी देयराशियों के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय बैंकरप्सी और इनसोलवेंसी संहिता तैयार की जा सके।

7. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान और वेतन -सहायता अनुदान आदि का प्रावधान है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई है। पूर्ववर्ती एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं।

8.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी:** निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का संवितरण करने के लिए प्रावधान है।

8.02. **आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि में से आहरण का प्रावधान है।

9. **मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन:** भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर के निर्माण/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पूंजीगत मदों पर व्यय का प्रावधान है।

संस्कृति मंत्रालय  
मांग संख्या 18  
संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3343.41	63.49	3406.90	3070.92	190.01	3260.93	3070.92	190.01	3260.93	3168.51	192.45	3360.96
वसूलियां	-21.68	...	-21.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3321.73</b>	<b>63.49</b>	<b>3385.22</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3168.51</b>	<b>192.45</b>	<b>3360.96</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	58.34	3.60	61.94	65.54	3.45	68.99	70.79	2.63	73.42	71.42	3.08	74.50
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)	1129.93	16.20	1146.13	1133.53	140.38	1273.91	1057.13	134.86	1191.99	1142.59	135.90	1278.49
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	102.27	23.57	125.84	166.10	22.11	188.21	119.56	28.38	147.94	128.99	27.56	156.55
4. संग्रहालय	105.22	11.42	116.64	110.66	13.06	123.72	114.21	13.13	127.34	111.75	14.88	126.63
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.)	38.00	8.70	46.70	43.78	11.01	54.79	43.53	11.01	54.54	44.76	11.03	55.79
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1433.76</b>	<b>63.49</b>	<b>1497.25</b>	<b>1519.61</b>	<b>190.01</b>	<b>1709.62</b>	<b>1405.22</b>	<b>190.01</b>	<b>1595.23</b>	<b>1499.51</b>	<b>192.45</b>	<b>1691.96</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
6. शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीम	334.39	...	334.39	90.00	...	90.00	110.00	...	110.00	35.00	...	35.00
7. कला संस्कृति विकास योजना	218.36	...	218.36	207.24	...	207.24	207.24	...	207.24	198.50	...	198.50
8. संग्रहालयों का विकास	95.70	...	95.70	165.60	...	165.60	165.60	...	165.60	210.72	...	210.72
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	4.69	...	4.69	27.24	...	27.24	21.61	...	21.61	53.19	...	53.19
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	24.93	...	24.93	12.10	...	12.10	10.50	...	10.50	4.65	...	4.65
11. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन	19.71	...	19.71	18.06	...	18.06	9.47	...	9.47	22.46	...	22.46
12. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50	60.00	...	60.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>697.78</b>	<b>...</b>	<b>697.78</b>	<b>520.24</b>	<b>...</b>	<b>520.24</b>	<b>527.92</b>	<b>...</b>	<b>527.92</b>	<b>584.52</b>	<b>...</b>	<b>584.52</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
13. अकादमियों को सहायता	476.59	...	476.59	389.37	...	389.37	497.30	...	497.30	411.42	...	411.42
14. संग्रहालयों को सहायता	425.47	...	425.47	373.70	...	373.70	366.01	...	366.01	379.58	...	379.58



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. पुस्तकालयों को सहायता	102.19	...	102.19	110.04	...	110.04	104.92	...	104.92	114.69	...	114.69
16. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	158.07	...	158.07	137.77	...	137.77	144.86	...	144.86	158.60	...	158.60
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1162.32</b>	<b>...</b>	<b>1162.32</b>	<b>1010.88</b>	<b>...</b>	<b>1010.88</b>	<b>1113.09</b>	<b>...</b>	<b>1113.09</b>	<b>1064.29</b>	<b>...</b>	<b>1064.29</b>
<b>अन्य</b>												
17. अनुदानग्राही निकाय	49.55	...	49.55	20.19	...	20.19	24.69	...	24.69	20.19	...	20.19
18. वास्तविक वसूलियां	-21.68	...	-21.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>27.87</b>	<b>...</b>	<b>27.87</b>	<b>20.19</b>	<b>...</b>	<b>20.19</b>	<b>24.69</b>	<b>...</b>	<b>24.69</b>	<b>20.19</b>	<b>...</b>	<b>20.19</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1190.19</b>	<b>...</b>	<b>1190.19</b>	<b>1031.07</b>	<b>...</b>	<b>1031.07</b>	<b>1137.78</b>	<b>...</b>	<b>1137.78</b>	<b>1084.48</b>	<b>...</b>	<b>1084.48</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3321.73</b>	<b>63.49</b>	<b>3385.22</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3168.51</b>	<b>192.45</b>	<b>3360.96</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. कला और संस्कृति	3263.39	...	3263.39	2953.35	...	2953.35	2947.34	...	2947.34	3038.64	...	3038.64
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	58.34	...	58.34	65.54	...	65.54	70.79	...	70.79	71.42	...	71.42
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.89	59.89	...	186.56	186.56	...	187.38	187.38	...	189.37	189.37
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.60	3.60	...	3.45	3.45	...	2.63	2.63	...	3.08	3.08
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3321.73</b>	<b>63.49</b>	<b>3385.22</b>	<b>3018.89</b>	<b>190.01</b>	<b>3208.90</b>	<b>3018.13</b>	<b>190.01</b>	<b>3208.14</b>	<b>3110.06</b>	<b>192.45</b>	<b>3302.51</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	52.03	...	52.03	52.79	...	52.79	58.45	...	58.45
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>52.03</b>	<b>...</b>	<b>52.03</b>	<b>52.79</b>	<b>...</b>	<b>52.79</b>	<b>58.45</b>	<b>...</b>	<b>58.45</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3321.73</b>	<b>63.49</b>	<b>3385.22</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3070.92</b>	<b>190.01</b>	<b>3260.93</b>	<b>3168.51</b>	<b>192.45</b>	<b>3360.96</b>

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.):** यह प्रावधान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व धरोहर स्मारकों और पुरावशेषों सहित संरक्षित स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास, उद्यानों का रखरखाव और केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के आसपास नए उद्यानों का विकास, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और खुदाई, शिलालेख और भारतीय वास्तुकला का विशेष अध्ययन, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का रखरखाव, पुरावशेष और कला सम्पदा अधिनियम का संचालन और पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें 3693 (22 विश्व धरोहर, 10 प्रतिष्ठित और 100 आदर्श स्मारकों सहित) केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक (विश्व धरोहर स्मारकों सहित) हैं जिनमें प्रागैतिहासिक पाषाण युग के स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और किले शामिल हैं। एएसआई में स्मारकों और पुरावशेषों संबंधी राष्ट्रीय मिशन भी संचालित किया गया है ताकि पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान को संयोजित करते हुए बहुआयामी हिंद महासागर 'विश्व' का अन्वेषण किया जा सके।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.):** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत के लोगों का जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान करता है तथा भारत के लोगों के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें:** वर्ष 2025-2026 के दौरान शताब्दी और वर्षगांठ समारोह योजना के तहत प्रावधान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ, संविधान हत्या दिवस, सहज मार्ग के संस्थापक पूज्य बापू जी महाराज की 125वीं जयंती, डॉ हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती, किन्नोर में रानी चन्नम्मा की जीत की 200वीं वर्षगांठ, अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती और तुलनात्मक दर्शन एवं धर्म अकादमी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जाएगा।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** यह वित्तीय प्रावधान कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के लिए है। इस व्यापक योजना में मिशन और योजनाएं शामिल हैं जैसे; राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप, सांस्कृतिक अवसरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता योजना, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और सेवा भोज योजना।

8. **संग्रहालयों का विकास:** संग्रहालय के विकास के अंतर्गत यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान की संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, केदारनाथ परियोजना का पुनर्विकास, वाडनगर में राष्ट्रीय आनुभाषिक स्थल संग्रहालय से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुरालेखीय निधान सरकारी पुस्तकालय और संग्रहालय के लिए वित्तीय सहायता की योजना, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने और दुर्लभ दस्तावेजों के परिरक्षण, संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना, पंजीकृत स्वैच्छिक अभिलेखों के इतिहास से संबंधित गतिविधियों के खर्च के लिए है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए योजना को अनुदान, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यात्रा अनुदान के लिए है।

11. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत प्रावधान में डेटा, मानचित्रण, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और बेहतर निष्कर्षों के लिए सभी सांस्कृतिक कार्यकलापों को एकछत्र के अंतर्गत लाना शामिल है।

12. **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से संबंधित कार्यविधियों पर व्यय के लिए है जिसका उद्देश्य देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने के उद्देश्य से इस मिशन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

13. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

17. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (सुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोचेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।

रक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 19  
रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	40829.76	10776.53	51606.29	42097.33	10350.85	52448.18	46372.00	11144.47	57516.47	46995.35	12503.12	59498.47
<b>वसूलियां</b>	...	-117.63	-117.63	...	-110.00	-110.00	...	-110.00	-110.00	...	-115.50	-115.50
<b>प्राप्तियां</b>	-28420.57	-356.00	-28776.57	-26375.00	...	-26375.00	-30700.00	-49.82	-30749.82	-30700.00	...	-30700.00
<b>निवल</b>	<b>12409.19</b>	<b>10302.90</b>	<b>22712.09</b>	<b>15722.33</b>	<b>10240.85</b>	<b>25963.18</b>	<b>15672.00</b>	<b>10984.65</b>	<b>26656.65</b>	<b>16295.35</b>	<b>12387.62</b>	<b>28682.97</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	2523.21	115.43	2638.64	3414.27	115.85	3530.12	3430.65	169.85	3600.50	3627.06	119.71	3746.77
2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय	3973.75	8.55	3982.30	4290.41	12.00	4302.41	4391.91	12.00	4403.91	4001.00	12.00	4013.00
3. तटरक्षक संगठन	4062.65	4125.24	8187.89	4151.80	3500.00	7651.80	4080.00	4199.50	8279.50	4676.70	5000.00	9676.70
4. रक्षा संपदा संगठन	667.29	4.01	671.30	614.61	3.15	617.76	718.59	9.15	727.74	647.10	5.84	652.94
5. जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री	2098.81	...	2098.81	1936.24	...	1936.24	1894.40	...	1894.40	2074.03	...	2074.03
6. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण	47.50	6.65	54.15	68.00	2.60	70.60	52.45	2.10	54.55	54.11	2.00	56.11
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>13373.21</b>	<b>4259.88</b>	<b>17633.09</b>	<b>14475.33</b>	<b>3633.60</b>	<b>18108.93</b>	<b>14568.00</b>	<b>4392.60</b>	<b>18960.60</b>	<b>15080.00</b>	<b>5139.55</b>	<b>20219.55</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य</b>												
7. सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य	...	5985.04	5985.04	...	6500.00	6500.00	...	6500.00	6500.00	...	7134.50	7134.50
8. सामरिक सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	20.76	...	20.76	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	45.00	...	45.00
9. अन्य कार्य	1173.34	...	1173.34	1250.00	...	1250.00	1275.00	...	1275.00	1300.00	...	1300.00
<b>जोड़-सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य</b>	<b>1194.10</b>	<b>5985.04</b>	<b>7179.14</b>	<b>1305.00</b>	<b>6500.00</b>	<b>7805.00</b>	<b>1330.00</b>	<b>6500.00</b>	<b>7830.00</b>	<b>1345.00</b>	<b>7134.50</b>	<b>8479.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1194.10</b>	<b>5985.04</b>	<b>7179.14</b>	<b>1305.00</b>	<b>6500.00</b>	<b>7805.00</b>	<b>1330.00</b>	<b>6500.00</b>	<b>7830.00</b>	<b>1345.00</b>	<b>7134.50</b>	<b>8479.50</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
<b>आवासन</b>												
10. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत	62.09	...	62.09	67.00	...	67.00	74.00	...	74.00	70.35	...	70.35

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर	...	22.42	22.42	...	24.50	24.50	...	29.00	29.00	...	26.00	26.00
<b>जोड़-आवासन</b>	<b>62.09</b>	<b>22.42</b>	<b>84.51</b>	<b>67.00</b>	<b>24.50</b>	<b>91.50</b>	<b>74.00</b>	<b>29.00</b>	<b>103.00</b>	<b>70.35</b>	<b>26.00</b>	<b>96.35</b>
<b>लोक कार्य</b>												
12. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	31.67	31.67	...	55.50	55.50	...	35.50	35.50	...	58.28	58.28
13. विविध ऋण	...	2.69	2.69	...	3.00	3.00	...	2.80	2.80	...	3.10	3.10
14. कैंटीन स्टोर विभाग												
14.01 कैंटीन स्टोर विभाग	26200.36	1.20	26201.56	26250.00	24.25	26274.25	30400.00	24.75	30424.75	30500.00	26.19	30526.19
14.02 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-28420.57	...	-28420.57	-26375.00	...	-26375.00	-30700.00	...	-30700.00	-30700.00	...	-30700.00
<i>निवल</i>	<i>-2220.21</i>	<i>1.20</i>	<i>-2219.01</i>	<i>-125.00</i>	<i>24.25</i>	<i>-100.75</i>	<i>-300.00</i>	<i>24.75</i>	<i>-275.25</i>	<i>-200.00</i>	<i>26.19</i>	<i>-173.81</i>
15. बोनस शेयरों को जारी करना												
15.01 भारत डायनामिक लिमिटेड	...	91.64	91.64	...	...	...	...	49.81	49.81	...	...	...
15.02 भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड	...	264.36	264.36	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
15.03 घटाएं अनुमानित प्राप्तियां	...	-356.00	-356.00	...	...	...	...	-49.82	-49.82	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-2158.12</b>	<b>57.98</b>	<b>-2100.14</b>	<b>-58.00</b>	<b>107.25</b>	<b>49.25</b>	<b>-226.00</b>	<b>92.05</b>	<b>-133.95</b>	<b>-129.65</b>	<b>113.57</b>	<b>-16.08</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-2158.12</b>	<b>57.98</b>	<b>-2100.14</b>	<b>-58.00</b>	<b>107.25</b>	<b>49.25</b>	<b>-226.00</b>	<b>92.05</b>	<b>-133.95</b>	<b>-129.65</b>	<b>113.57</b>	<b>-16.08</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12409.19</b>	<b>10302.90</b>	<b>22712.09</b>	<b>15722.33</b>	<b>10240.85</b>	<b>25963.18</b>	<b>15672.00</b>	<b>10984.65</b>	<b>26656.65</b>	<b>16295.35</b>	<b>12387.62</b>	<b>28682.97</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	47.50	...	47.50	68.00	...	68.00	52.45	...	52.45	54.11	...	54.11
2. सीमा शुल्क	4062.65	...	4062.65	4151.80	...	4151.80	4080.00	...	4080.00	4676.70	...	4676.70
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	7164.25	...	7164.25	8319.29	...	8319.29	8541.15	...	8541.15	8275.16	...	8275.16
4. पुलिस	2098.81	...	2098.81	1936.24	...	1936.24	1894.40	...	1894.40	2074.03	...	2074.03
5. लोक निर्माण कार्य	33.98	...	33.98	37.00	...	37.00	39.00	...	39.00	40.35	...	40.35
6. विविध सामान्य सेवाएं	-2220.21	...	-2220.21	-125.00	...	-125.00	-300.00	...	-300.00	-200.00	...	-200.00
7. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4125.24	4125.24	...	3500.00	3500.00	...	4199.50	4199.50	...	5000.00	5000.00
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	31.67	31.67	...	55.50	55.50	...	35.50	35.50	...	58.28	58.28
9. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	127.99	127.99	...	131.00	131.00	...	191.00	191.00	...	137.55	137.55
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.85	7.85	...	26.85	26.85	...	26.85	26.85	...	28.19	28.19
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>11186.98</b>	<b>4292.75</b>	<b>15479.73</b>	<b>14387.33</b>	<b>3713.35</b>	<b>18100.68</b>	<b>14307.00</b>	<b>4452.85</b>	<b>18759.85</b>	<b>14920.35</b>	<b>5224.02</b>	<b>20144.37</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
11. आवासन	28.11	...	28.11	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	30.00	...	30.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	22.42	22.42	...	24.50	24.50	...	29.00	29.00	...	26.00	26.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>28.11</b>	<b>22.42</b>	<b>50.53</b>	<b>30.00</b>	<b>24.50</b>	<b>54.50</b>	<b>35.00</b>	<b>29.00</b>	<b>64.00</b>	<b>30.00</b>	<b>26.00</b>	<b>56.00</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
13. सड़क और पुल	1173.34	...	1173.34	1250.00	...	1250.00	1275.00	...	1275.00	1300.00	...	1300.00
14. अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	5985.04	5985.04	...	5850.00	5850.00	...	5850.00	5850.00	...	6409.50	6409.50
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1173.34</b>	<b>5985.04</b>	<b>7158.38</b>	<b>1250.00</b>	<b>5850.00</b>	<b>7100.00</b>	<b>1275.00</b>	<b>5850.00</b>	<b>7125.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>6409.50</b>	<b>7709.50</b>
<b>अन्य</b>												
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	4.50	...	4.50
18. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.76	...	20.76	49.50	...	49.50	49.50	...	49.50	40.50	...	40.50
19. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	650.00	650.00	...	650.00	650.00	...	725.00	725.00
20. विविध ऋण	...	2.69	2.69	...	3.00	3.00	...	2.80	2.80	...	3.10	3.10
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>20.76</b>	<b>2.69</b>	<b>23.45</b>	<b>55.00</b>	<b>653.00</b>	<b>708.00</b>	<b>55.00</b>	<b>652.80</b>	<b>707.80</b>	<b>45.00</b>	<b>728.10</b>	<b>773.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12409.19</b>	<b>10302.90</b>	<b>22712.09</b>	<b>15722.33</b>	<b>10240.85</b>	<b>25963.18</b>	<b>15672.00</b>	<b>10984.65</b>	<b>26656.65</b>	<b>16295.35</b>	<b>12387.62</b>	<b>28682.97</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	...	23.47	23.47	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00			
2. बीईएमएल लिमिटेड	...	86.66	86.66	...	484.32	484.32	...	484.32	484.32	...	684.01	684.01	...	684.01	684.01			
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	...	558.00	558.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	650.00	650.00	...	650.00	650.00			
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड	...	81.95	81.95	...	100.00	100.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00			
5. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	...	309.94	309.94	...	300.00	300.00	...	450.00	450.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00			
6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड	...	78.89	78.89	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00			
7. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	...	30.00	30.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00			
8. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00			
9. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	...	2002.00	2002.00	...	1600.00	1600.00	...	1600.00	1600.00	...	1750.00	1750.00	...	1750.00	1750.00			
<b>जोड़</b>	...	<b>3220.91</b>	<b>3220.91</b>	...	<b>3254.32</b>	<b>3254.32</b>	...	<b>3554.32</b>	<b>3554.32</b>	...	<b>4064.01</b>	<b>4064.01</b>	...	<b>4064.01</b>	<b>4064.01</b>			

14.01. **कैटीन स्टोर विभाग:** कैटीन स्टोर्स विभाग, मंत्रालय का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह संपूर्ण भारत में रक्षा

सेवाओं के सदस्यों को उचित और किफायती दर पर दैनिक आवश्यकताओं के घरेलू सामान तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस शीर्ष में निवल कार्यचालन व्यय (सकल व्यय से अधिक प्राप्तियां) का प्रावधान किया गया है।

कैटीन स्टोर की राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2023-24 में 30,700 करोड़ रुपये एवं बजट अनुमान 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान रक्षा सचिवालय (अर्थात् रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, भू-पू.सैनिक कल्याण विभाग, वित्त प्रभाग तथा आईडीएसए) और रक्षा लेखा विभाग के व्यय हेतु है। इस प्रावधान में रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम, रक्षा कोरिडोर और आईडीएक्स योजना हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और आईडीएक्स के साथ नवाचार प्रौद्योगिकियों के विकास(अदिति) की नई योजना के लिए सहायता अनुदान भी शामिल है।
2. **सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय:** स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।
3. **तटरक्षक संगठन:** तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।
4. **रक्षा संपदा संगठन:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजनों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि के लिए है।
5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैंट्री जो कि मई 1977 तक जे एंड के मिलिशिया के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं।
6. **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के लिए किया गया है।
7. **सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे विस्तार विकास के लिए है जो कि सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपा गया है और राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में बीआरडीबी द्वारा किए गए कतिपय रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए है।
10. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन /कैटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए है।
11. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर:** यह प्रावधान कैटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।
12. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल से संबंधित कार्यालय भवन के निर्माण के लिए और रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि के लिए कार्यालय भवन/चारदीवारी/बाउंडरी खम्भों/संरचना के लिए है।
13. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।

रक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 20  
रक्षा सेवा (राजस्व)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	297899.57	...	297899.57	289687.14	...	289687.14	305024.51	...	305024.51	318884.68	...	318884.68	
<b>वसूलियां</b>	-161.10	...	-161.10	-141.00	...	-141.00	-161.10	...	-161.10	-161.10	...	-161.10	
<b>प्राप्तियां</b>	-7295.55	...	-7295.55	-6773.47	...	-6773.47	-7641.06	...	-7641.06	-6991.28	...	-6991.28	
<b>निवल</b>	<b>290442.92</b>	...	<b>290442.92</b>	<b>282772.67</b>	...	<b>282772.67</b>	<b>297222.35</b>	...	<b>297222.35</b>	<b>311732.30</b>	...	<b>311732.30</b>	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. थलसेना													
1.01	थलसेना के वेतन और भत्ते	116243.07	...	116243.07	114717.34	...	114717.34	113817.59	...	113817.59	113756.24	...	113756.24
1.02	सहायक बलों के वेतन और भत्ते तथा विविध खर्च	3282.00	...	3282.00	2916.79	...	2916.79	2216.79	...	2216.79	3184.84	...	3184.84
1.03	असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	6704.97	...	6704.97	7705.39	...	7705.39	7453.35	...	7453.35	8039.74	...	8039.74
1.04	परिवहन	4807.86	...	4807.86	4760.00	...	4760.00	5547.86	...	5547.86	5400.00	...	5400.00
1.05	मिलिट्री फार्म	0.15	...	0.15	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15
1.06	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	9840.80	...	9840.80	6968.00	...	6968.00	9429.00	...	9429.00	8317.00	...	8317.00
1.07	निरीक्षण गुणवत्ता लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	961.56	...	961.56	1460.78	...	1460.78	1339.59	...	1339.59	1420.00	...	1420.00
1.08	भंडार	23663.21	...	23663.21	22035.96	...	22035.96	26210.46	...	26210.46	28654.01	...	28654.01
1.09	निर्माण कार्य	11330.79	...	11330.79	12174.94	...	12174.94	12177.29	...	12177.29	12488.90	...	12488.90
1.10	राष्ट्रीय राइफल	9431.45	...	9431.45	10534.50	...	10534.50	10397.36	...	10397.36	11290.00	...	11290.00
1.11	राष्ट्रीय कैडेट वाहिनी	2433.86	...	2433.86	2726.41	...	2726.41	2805.81	...	2805.81	2900.00	...	2900.00
1.12	अग्निपथ योजना	2542.32	...	2542.32	5207.28	...	5207.28	6274.66	...	6274.66	9414.22	...	9414.22
1.13	अन्य व्यय	5779.24	...	5779.24	5887.31	...	5887.31	6959.66	...	6959.66	7166.18	...	7166.18
1.14	घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-4460.93	...	-4460.93	-4415.47	...	-4415.47	-4961.56	...	-4961.56	-4510.78	...	-4510.78
1.15	अधिक भुगतान की वसूली में कटौती	-1.16	...	-1.16	...	...	...	-1.60	...	-1.60	-1.50	...	-1.50
	<b>निवल</b>	<b>192559.19</b>	...	<b>192559.19</b>	<b>192680.38</b>	...	<b>192680.38</b>	<b>199667.41</b>	...	<b>199667.41</b>	<b>207520.00</b>	...	<b>207520.00</b>
2. नौसेना													
2.01	नौसेना के वेतन और भत्ते	8865.32	...	8865.32	9454.00	...	9454.00	9835.52	...	9835.52	10975.97	...	10975.97
2.02	असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	3032.71	...	3032.71	3766.11	...	3766.11	3309.47	...	3309.47	3779.55	...	3779.55

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.03 परिवहन	877.94	...	877.94	700.00	...	700.00	1097.16	...	1097.16	1307.19	...	1307.19
2.04 मरम्मत और पुनर्सजा	3388.33	...	3388.33	2700.00	...	2700.00	2683.00	...	2683.00	2725.87	...	2725.87
2.05 भंडार	11348.81	...	11348.81	9391.84	...	9391.84	10891.84	...	10891.84	11248.21	...	11248.21
2.06 निर्माण कार्य	2057.08	...	2057.08	1942.00	...	1942.00	2518.12	...	2518.12	2190.90	...	2190.90
2.07 संयुक्त स्टाफ	3371.14	...	3371.14	3722.78	...	3722.78	3842.78	...	3842.78	4000.00	...	4000.00
2.08 अग्रिमपथ योजना	258.17	...	258.17	352.00	...	352.00	579.42	...	579.42	772.29	...	772.29
2.09 अन्य व्यय	1948.30	...	1948.30	1500.00	...	1500.00	1800.00	...	1800.00	2019.82	...	2019.82
2.10 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-886.27	...	-886.27	-750.00	...	-750.00	-870.00	...	-870.00	-870.00	...	-870.00
2.11 अधिक भुगतान की वसूली में कटौती	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>34261.53</i>	...	<i>34261.53</i>	<i>32778.73</i>	...	<i>32778.73</i>	<i>35687.31</i>	...	<i>35687.31</i>	<i>38149.80</i>	...	<i>38149.80</i>
<b>3. वायुसेना</b>												
3.01 वायुसेना के वेतन और भत्ते	18881.64	...	18881.64	21912.26	...	21912.26	19746.59	...	19746.59	21017.03	...	21017.03
3.02 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	1831.52	...	1831.52	2043.50	...	2043.50	1646.00	...	1646.00	1670.00	...	1670.00
3.03 परिवहन	1025.99	...	1025.99	1100.00	...	1100.00	1220.00	...	1220.00	1220.00	...	1220.00
3.04 भंडार	28073.26	...	28073.26	17683.68	...	17683.68	23598.57	...	23598.57	25000.00	...	25000.00
3.05 निर्माण कार्य	3424.20	...	3424.20	3259.97	...	3259.97	3417.23	...	3417.23	3859.97	...	3859.97
3.06 अग्रिमपथ योजना	281.91	...	281.91	420.00	...	420.00	618.00	...	618.00	853.00	...	853.00
3.07 विशेष परियोजनाएं	9.07	...	9.07	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
3.08 अन्य व्यय	1214.74	...	1214.74	1103.08	...	1103.08	1628.38	...	1628.38	1379.00	...	1379.00
3.09 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-1717.41	...	-1717.41	-1300.00	...	-1300.00	-1500.00	...	-1500.00	-1300.00	...	-1300.00
3.10 अधिक भुगतान की वसूली में कटौती	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>53024.92</i>	...	<i>53024.92</i>	<i>46223.49</i>	...	<i>46223.49</i>	<i>50376.77</i>	...	<i>50376.77</i>	<i>53700.00</i>	...	<i>53700.00</i>
<b>4. समन्वय और सेवाएं (आयुध निर्माणी निदेशालय)</b>												
4.01 निदेशन एवं प्रशासन	400.74	...	400.74	450.46	...	450.46	470.35	...	470.35	480.00	...	480.00
4.02 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-7.14	...	-7.14	-8.00	...	-8.00	-9.50	...	-9.50	-10.50	...	-10.50
<i>निवल</i>	<i>393.60</i>	...	<i>393.60</i>	<i>442.46</i>	...	<i>442.46</i>	<i>460.85</i>	...	<i>460.85</i>	<i>469.50</i>	...	<i>469.50</i>
<b>5. अनुसंधान और विकास</b>												
5.01 प्रशिक्षण	19.99	...	19.99	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
5.02 अनुसंधान/अनुसंधान विकास	776.07	...	776.07	865.00	...	865.00	1000.00	...	1000.00	1100.00	...	1100.00
5.03 सेवा कार्मिक के वेतन एवं भत्ते	520.65	...	520.65	580.00	...	580.00	660.00	...	660.00	747.00	...	747.00
5.04 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	3852.07	...	3852.07	3931.72	...	3931.72	4040.00	...	4040.00	4596.00	...	4596.00
5.05 परिवहन	163.00	...	163.00	230.00	...	230.00	210.00	...	210.00	220.00	...	220.00
5.06 भंडार	3098.37	...	3098.37	3181.89	...	3181.89	3181.89	...	3181.89	3198.50	...	3198.50
5.07 निर्माण कार्य	1338.07	...	1338.07	1440.00	...	1440.00	1512.97	...	1512.97	1556.50	...	1556.50
5.08 अन्य व्यय	659.26	...	659.26	695.00	...	695.00	700.15	...	700.15	750.00	...	750.00



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.09 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-223.80	...	-223.80	-300.00	...	-300.00	-300.00	...	-300.00	-300.00	...	-300.00
<i>निवल</i>	<i>10203.68</i>	...	<i>10203.68</i>	<i>10647.61</i>	...	<i>10647.61</i>	<i>11030.01</i>	...	<i>11030.01</i>	<i>11893.00</i>	...	<i>11893.00</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>290442.92</b>	...	<b>290442.92</b>	<b>282772.67</b>	...	<b>282772.67</b>	<b>297222.35</b>	...	<b>297222.35</b>	<b>311732.30</b>	...	<b>311732.30</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>290442.92</b>	...	<b>290442.92</b>	<b>282772.67</b>	...	<b>282772.67</b>	<b>297222.35</b>	...	<b>297222.35</b>	<b>311732.30</b>	...	<b>311732.30</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. रक्षा सेवाएं-थल सेना	192559.19	...	192559.19	192680.38	...	192680.38	199667.41	...	199667.41	207520.00	...	207520.00
2. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	34261.53	...	34261.53	32778.73	...	32778.73	35687.31	...	35687.31	38149.80	...	38149.80
3. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	53024.92	...	53024.92	46223.49	...	46223.49	50376.77	...	50376.77	53700.00	...	53700.00
4. रक्षा सेवाएं - समन्वय और सेवाएं (आयुध निदेशालय)	393.60	...	393.60	442.46	...	442.46	460.85	...	460.85	469.50	...	469.50
5. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	10203.68	...	10203.68	10647.61	...	10647.61	11030.01	...	11030.01	11893.00	...	11893.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>290442.92</b>	...	<b>290442.92</b>	<b>282772.67</b>	...	<b>282772.67</b>	<b>297222.35</b>	...	<b>297222.35</b>	<b>311732.30</b>	...	<b>311732.30</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>290442.92</b>	...	<b>290442.92</b>	<b>282772.67</b>	...	<b>282772.67</b>	<b>297222.35</b>	...	<b>297222.35</b>	<b>311732.30</b>	...	<b>311732.30</b>

अनुमानों का ब्यौरा रक्षा सेवाओं के 'रक्षा सेवा अनुमान' में दिया गया है।

रक्षा आयुध कारखानों को 1.10.2021 से सात (7) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगमित किया गया है। बजट अनुमान 2025-26 समन्वय और सेवाओं (आयुध निर्माणी निदेशालय ) को व्यय प्रदान करता है।

रक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 21  
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>थल सेना</b>												
1. भूमि-थल सेना	...	258.78	258.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. निर्माण कार्य - थल सेना	...	5267.37	5267.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. वायुयान एवं एयरो इंजन - थल सेना	...	4601.93	4601.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. भारी और मध्यम वाहन	...	1520.86	1520.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य उपस्कर - थल सेना	...	16689.61	16689.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. रॉलिंग स्टॉक	...	97.45	97.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. राष्ट्रीय राइफल्स	...	150.46	150.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. राष्ट्रीय कैडेट कोर	...	5.41	5.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	...	4.23	4.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. सैनिक फार्म	...	-1.68	-1.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-थल सेना</b>	...	<b>28594.42</b>	<b>28594.42</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>नौसेना</b>												
11. भूमि - नौ सेना	...	29.79	29.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. निर्माण कार्य - नौ सेना	...	1507.26	1507.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. वायुयान एवं एयरो इंजन	...	3095.75	3095.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. भारी और मध्यम वाहन	...	30.09	30.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. अन्य उपस्कर - नौ सेना	...	15326.55	15326.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. नौसेना बेड़े	...	24647.18	24647.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. नौसेना गोदीबाड़ा/ परियोजनाएं	...	5222.38	5222.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. संयुक्त स्टाफ	...	903.62	903.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-नौसेना</b>	...	<b>50762.62</b>	<b>50762.62</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>वायु सेना</b>												
19. भूमि - वायु सेना	...	77.76	77.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. निर्माण कार्य - वायु सेना	...	2218.37	2218.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. वायुयान एवं एयरो इंजन - वायु सेना	...	17283.35	17283.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. भारी एवं मध्यम वाहन - वायु सेना	...	204.41	204.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. अन्य उपस्कर - वायु सेना	...	39890.55	39890.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. विशेष परियोजनाएं	...	1033.97	1033.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-वायु सेना</b>	...	<b>60708.41</b>	<b>60708.41</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25. समन्वय और सेवाएं (आयुध निर्माणा कारखाना निदेशालय)	...	...	...	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
26. नवनिर्मित डीपीएसयू हेतु आपातकालीन प्राधिकार	...	84.00	84.00	...	...	...	...	142.00	142.00	...	...	...
27. अनुसंधान एवं विकास	...	12723.84	12723.84	...	13208.00	13208.00	...	13666.93	13666.93	...	14923.82	14923.82
28. निरीक्षण-गुणवत्ता लेखा परीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)	...	4.69	4.69	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
<b>रक्षा सेवाएँ</b>												
29. भूमि	...	...	...	...	2329.36	2329.36	...	842.95	842.95	...	1021.38	1021.38
30. विमान एवं एयरो इंजन	...	...	...	...	40277.86	40277.86	...	46591.66	46591.66	...	48614.06	48614.06
31. भारी और मध्यम वाहन	...	...	...	...	4637.88	4637.88	...	4092.87	4092.87	...	3650.52	3650.52
32. अन्य उपस्कर	...	...	...	...	62198.02	62198.02	...	46589.48	46589.48	...	63099.03	63099.03
33. संयुक्त कर्मचारी	...	...	...	...	1352.98	1352.98	...	2464.98	2464.98	...	2352.82	2352.82
34. रोलिंग स्टॉक की खरीद	...	...	...	...	200.00	200.00	...	176.00	176.00	...	500.00	500.00
35. पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	...	...	...	...	41.50	41.50	...	41.50	41.50	...	20.00	20.00
36. राष्ट्रीय राइफल्स	...	...	...	...	200.00	200.00	...	227.00	227.00	...	150.00	150.00
37. राष्ट्रीय कैडेट कोर	...	...	...	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	46.00	46.00
38. निर्माण कार्य	...	...	...	...	12016.75	12016.75	...	10561.62	10561.62	...	11451.74	11451.74
39. नौसेना का वेड़ा	...	...	...	...	23800.00	23800.00	...	25605.00	25605.00	...	24390.95	24390.95
40. नौसेना गोदीवाड़ा/परियोजनाएं	...	...	...	...	6830.00	6830.00	...	5418.00	5418.00	...	4500.00	4500.00
41. विशेष परियोजनाएं	...	...	...	...	1574.17	1574.17	...	1150.54	1150.54	...	1731.52	1731.52
<b>जोड़-रक्षा सेवाएँ</b>	...	...	...	...	<b>155475.52</b>	<b>155475.52</b>	...	<b>143778.60</b>	<b>143778.60</b>	...	<b>161528.02</b>	<b>161528.02</b>
<b>प्रायोगिकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटोटाइप विकास के लिए सहायता</b>												
42. थल सेना की परियोजनाएं	...	...	...	...	100.00	100.00	...	30.00	30.00	...	335.00	335.00
43. वायु सेना की परियोजनाएं	...	68.30	68.30	...	1697.48	1697.48	...	377.47	377.47	...	1702.16	1702.16
<b>जोड़-प्रायोगिकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटोटाइप विकास के लिए सहायता</b>	...	<b>68.30</b>	<b>68.30</b>	...	<b>1797.48</b>	<b>1797.48</b>	...	<b>407.47</b>	<b>407.47</b>	...	<b>2037.16</b>	<b>2037.16</b>
<b>लोक उद्यमों में निवेश</b>												
44. लोक उद्यमों में निवेश	...	1310.00	1310.00	...	1494.00	1494.00	...	1494.00	1494.00	...	1494.00	1494.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
<b>कुल जोड़</b>	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00
<b>कुल जोड़</b>	...	154256.28	154256.28	...	172000.00	172000.00	...	159500.00	159500.00	...	180000.00	180000.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड	290.00	...	290.00	173.86	...	173.86	173.86	...	173.86	173.00	...	173.00
2. एडवांस्ड वेपन्स एंड इन्फ्रामेंट इंडिया लिमिटेड	225.00	...	225.00	329.26	...	329.26	329.26	...	329.26	329.00	...	329.00
3. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	2.00	...	2.00	2.14	...	2.14	2.14	...	2.14	2.50	...	2.50
4. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	6.00	...	6.00	5.18	...	5.18	5.18	...	5.18	6.00	...	6.00
5. म्यूनिथन्स इंडिया लिमिटेड	580.00	...	580.00	745.45	...	745.45	745.45	...	745.45	745.50	...	745.50
6. ड्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	7.00	...	7.00	9.96	...	9.96	9.96	...	9.96	10.00	...	10.00
7. यंत्र इंडिया लिमिटेड	200.00	...	200.00	228.15	...	228.15	228.15	...	228.15	228.00	...	228.00
<b>जोड़</b>	<b>1310.00</b>	...	<b>1310.00</b>	<b>1494.00</b>	...	<b>1494.00</b>	<b>1494.00</b>	...	<b>1494.00</b>	<b>1494.00</b>	...	<b>1494.00</b>

अनुमानों का ब्यौरा रक्षा सेवाओं के 'रक्षा सेवा अनुमान' में दिया गया है।

रक्षा आयुध कारखानों को 1.10.2021 से सात (7) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगमित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 22  
रक्षा पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	142092.99	...	142092.99	149205.00	...	149205.00	157681.00	...	157681.00	168795.00	...	168795.00
वसूलियां	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	142092.99	...	142092.99	141205.00	...	141205.00	157681.00	...	157681.00	160795.00	...	160795.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
1.01 थल सेना	121190.79	...	121190.79	127636.00	...	127636.00	133733.50	...	133733.50	141751.00	...	141751.00
1.02 नौसेना	7095.75	...	7095.75	7731.80	...	7731.80	8552.60	...	8552.60	9463.80	...	9463.80
1.03 वायु सेना	13778.48	...	13778.48	13813.00	...	13813.00	15367.00	...	15367.00	17553.50	...	17553.50
जोड़- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	142065.02	...	142065.02	149180.80	...	149180.80	157653.10	...	157653.10	168768.30	...	168768.30
2. जमा खाते से वसूली घटाएं	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00
3. बैंको को देय सेवा प्रभार	3.78	...	3.78	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50	4.50	...	4.50
4. पुरस्कार-थलसेना, नौसेना, वायुसेना	24.19	...	24.19	22.20	...	22.20	24.40	...	24.40	22.20	...	22.20
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>142092.99</b>	...	<b>142092.99</b>	<b>141205.00</b>	...	<b>141205.00</b>	<b>157681.00</b>	...	<b>157681.00</b>	<b>160795.00</b>	...	<b>160795.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>142092.99</b>	...	<b>142092.99</b>	<b>141205.00</b>	...	<b>141205.00</b>	<b>157681.00</b>	...	<b>157681.00</b>	<b>160795.00</b>	...	<b>160795.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ												
जोड़-सामान्य सेवाएं	142092.99	...	142092.99	141205.00	...	141205.00	157681.00	...	157681.00	160795.00	...	160795.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>142092.99</b>	...	<b>142092.99</b>	<b>141205.00</b>	...	<b>141205.00</b>	<b>157681.00</b>	...	<b>157681.00</b>	<b>160795.00</b>	...	<b>160795.00</b>

टिप्पणी: बजट अनुमान 2025 -26 में मांग के लिए कुल आबंटन 1,68,795 करोड़ रुपए (1,60,795 करोड़ रुपए जमा 8,000 करोड़ रुपए) है। बजट अनुमान 2025 -26 में 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जमा खाते के अंतर्गत उपलब्ध शेष धनराशि से पूरी की जाएगी।

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** यह प्रावधान तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना, वायु सेना और आयुध फैक्ट्री आदि के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक (रक्षा ,सिविल कर्मचारियों सहित) से संबंधित पेंशन हेतु है। इसमें सेवा पेंशन ('वन रैंक वन पेंशन' के नियमित भुगतान सहित), उपदान, पारिवारिक पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, पेंशन का समेकित मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि के भुगतान को कवर करता है।

3. **बैंकों को देय सेवा प्रभार:** यह प्रावधान स्पर्श सेवाओं के लिए बैंकों को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए किया गया है।

अनुमोदित बजट अनुमान 2024-25 के संदर्भ में संशोधित अनुमान 2024-25 में सकल स्तर पर अंतर लगभग 8,476 करोड़ रुपये है। यह अंतर महंगाई राहत में वृद्धि और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति में सामान्य वृद्धि तथा ओआरओपी -III (लगभग 4000 करोड़ रुपये) के वित्तीय प्रभाव के कारण है। संशोधित अनुमान 2024-25 में पिछले वर्ष की पेंशन देयता 2,441.75 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। संशोधित अनुमान 2024-25 में उपशीर्षकों - (सेना, नौसेना, वायुसेना) के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत दो नए वस्तु शीर्ष पेश किए गए हैं, जिनके नाम हैं 'विकलांगता पेंशन और 'अनुग्रह एकमुक्त राशि'।

संशोधित अनुमान 2024-25 में इन वस्तु शीर्षों के अंतर्गत पूरक राशि का प्रावधान निम्नानुसार है : (क) लघु शीर्ष सेना के तहत (विकलांगता पेंशन 3247.01 करोड़ रुपये ,अनुग्रह एकमुक्त राशि 952.55 करोड़ रुपये)। (ख ) लघु शीर्ष वायु सेना के अंतर्गत - (विकलांगता पेंशन 164.08 करोड़ रुपये और अनुग्रह एकमुक्त राशि 10.13 करोड़ रुपये )। (ग) लघु शीर्ष वायु सेना के अंतर्गत - (विकलांगता पेंशन 182.57 करोड़ रुपये तथा अनुग्रह एकमुक्त राशि 2.85 करोड़ रुपये ।

बजट अनुमान 2024-25 के संदर्भ में बजट अनुमान 2025-26 में सकल स्तर पर अंतर 19,590 करोड़ रुपये है। यह अंतर महंगाई राहत में वृद्धि तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सामान्य वृद्धि तथा ओआरओपी -III के प्रभाव के कारण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  
मांग संख्या 23  
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	864.56	1112.20	1976.76	2040.68	3859.32	5900.00	1436.99	2569.01	4006.00	1882.76	4032.24	5915.00
<i>वसूलियां</i>	-277.79	-71.08	-348.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>586.77</b>	<b>1041.12</b>	<b>1627.89</b>	<b>2040.68</b>	<b>3859.32</b>	<b>5900.00</b>	<b>1436.99</b>	<b>2569.01</b>	<b>4006.00</b>	<b>1882.76</b>	<b>4032.24</b>	<b>5915.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	28.64	0.66	29.30	31.74	0.60	32.34	39.37	0.63	40.00	34.44	0.60	35.04
	-0.48	...	-0.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>28.16</i>	<i>0.66</i>	<i>28.82</i>	<i>31.74</i>	<i>0.60</i>	<i>32.34</i>	<i>39.37</i>	<i>0.63</i>	<i>40.00</i>	<i>34.44</i>	<i>0.60</i>	<i>35.04</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें</b>												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम	771.67	16.53	788.20	810.63	9.37	820.00	756.62	43.38	800.00	763.29	58.71	822.00
	-23.07	...	-23.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>748.60</i>	<i>16.53</i>	<i>765.13</i>	<i>810.63</i>	<i>9.37</i>	<i>820.00</i>	<i>756.62</i>	<i>43.38</i>	<i>800.00</i>	<i>763.29</i>	<i>58.71</i>	<i>822.00</i>
<b>पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
3.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	11.74	1028.51	1040.25	149.15	2341.85	2491.00	55.87	1444.13	1500.00	95.53	2385.47	2481.00
3.02 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल	...	-71.08	-71.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-249.89	...	-249.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>-249.89</i>	<i>-71.08</i>	<i>-320.97</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र में शासन के लिए बकालत और प्रचार और श्रमता वृद्धि	-4.35	...	-4.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>-242.50</i>	<i>957.43</i>	<i>714.93</i>	<i>149.15</i>	<i>2341.85</i>	<i>2491.00</i>	<i>55.87</i>	<i>1444.13</i>	<i>1500.00</i>	<i>95.53</i>	<i>2385.47</i>	<i>2481.00</i>
4. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम तत्कालीन (नीड्स) ऋण	...	60.00	60.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	80.00	80.00
5. विशेष विकास पैकेज												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए विशेष पैकेज	14.96	...	14.96	174.66	...	174.66	32.00	...	32.00	50.00	...	50.00
5.02 कार्बी आंगलॉग (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	6.41	...	6.41	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
5.03 दिमा हासाओ (डीएचएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	25.08	...	25.08	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00	100.00	...	100.00
जोड़- विशेष विकास पैकेज	46.45	...	46.45	284.66	...	284.66	202.00	...	202.00	200.00	...	200.00
6. प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन)	6.06	4.50	10.56	764.50	1435.50	2200.00	383.13	1010.87	1394.00	789.50	1507.46	2296.96
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>558.61</b>	<b>1038.46</b>	<b>1597.07</b>	<b>2008.94</b>	<b>3856.72</b>	<b>5865.66</b>	<b>1397.62</b>	<b>2568.38</b>	<b>3966.00</b>	<b>1848.32</b>	<b>4031.64</b>	<b>5879.96</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
7. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>586.77</b>	<b>1041.12</b>	<b>1627.89</b>	<b>2040.68</b>	<b>3859.32</b>	<b>5900.00</b>	<b>1436.99</b>	<b>2569.01</b>	<b>4006.00</b>	<b>1882.76</b>	<b>4032.24</b>	<b>5915.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	28.16	...	28.16	31.74	...	31.74	39.37	...	39.37	34.44	...	34.44
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.24	...	23.24	29.33	...	29.33	27.78	...	27.78	32.65	...	32.65
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.30	1.30	...	4.37	4.37	...	3.35	3.35	...	4.97	4.97
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.66	0.66	...	0.60	0.60	...	0.63	0.63	...	0.60	0.60
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>51.40</b>	<b>1.96</b>	<b>53.36</b>	<b>61.07</b>	<b>4.97</b>	<b>66.04</b>	<b>67.15</b>	<b>3.98</b>	<b>71.13</b>	<b>67.09</b>	<b>5.57</b>	<b>72.66</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
5. अन्य सामाजिक सेवाएं	-4.35	...	-4.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>-4.35</b>	<b>...</b>	<b>-4.35</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
6. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...	...	...	...
7. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	60.00	60.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	80.00	80.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	<b>...</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>	<b>...</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>...</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	789.61	...	789.61	1979.61	...	1979.61	1369.84	...	1369.84	1815.67	...	1815.67
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-249.89	...	-249.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	977.16	977.16	...	3782.35	3782.35	...	2495.03	2495.03	...	3946.67	3946.67
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>539.72</b>	<b>977.16</b>	<b>1516.88</b>	<b>1979.61</b>	<b>3782.35</b>	<b>5761.96</b>	<b>1369.84</b>	<b>2495.03</b>	<b>3864.87</b>	<b>1815.67</b>	<b>3946.67</b>	<b>5762.34</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>586.77</b>	<b>1041.12</b>	<b>1627.89</b>	<b>2040.68</b>	<b>3859.32</b>	<b>5900.00</b>	<b>1436.99</b>	<b>2569.01</b>	<b>4006.00</b>	<b>1882.76</b>	<b>4032.24</b>	<b>5915.00</b>

(₹ करोड़)



	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	...	3.63	3.63	...	2.00	2.00	...	4.50	4.50	...	5.00	5.00
2. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा निगम विकास लि0	2.00	7.72	9.72	2.00	5.19	7.19	...	35.55	35.55	...	44.58	44.58
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड एनईडीएफआई	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00
<b>जोड़</b>	<b>62.00</b>	<b>11.35</b>	<b>73.35</b>	<b>72.00</b>	<b>7.19</b>	<b>79.19</b>	<b>70.00</b>	<b>40.05</b>	<b>110.05</b>	<b>80.00</b>	<b>49.58</b>	<b>129.58</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए लागू किया जाता है। यह योजना युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के अंतराल को भरा जा सकेगा।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम:** ये योजनाएं सिद्धि सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का व्यय भी शामिल है। एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सुअर-पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, एनईआर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलें आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान देती है।

3.01. **एनईएसआईडीएस कार्यक्रम:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के लिए है, जिसे दिनांक 04.01.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था ताकि जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी -विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं; और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

4. **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम तत्कालीन (नीडस) ऋण:** नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एनईडीएफआई) को दिनांक 9 अगस्त, 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है। एनईएफडीआई का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचना और कृषि बागवानी परियोजनाओं की पहचान, वित्तपोषण और पोषण करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट एंटरप्राइस डेवलपमेंट स्कीम (नीडस) कर दिया गया है। यह प्रावधान एनईडीएफआई को दीर्घकालिक सॉफ्ट लोन को बढ़ावा देने के लिए है।

5. **विशेष विकास पैकेज:** यह क्षेत्र की अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अनुदान देने के लिए एक विशेष विकास पैकेज है।

6. **प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन):** पीएम - डिवाइन को पूर्वोत्तर परिषद/ केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों के विभागों के माध्यम से पी एमगतिशक्ति की भावना के अनुरूप अवसंरचना को वित्तपोषित करने और पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
मांग संख्या 24  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2259.12	150.33	2409.45	2514.46	558.34	3072.80	2469.52	1171.26	3640.78	2779.05	879.03	3658.08
वसूलियां	-14.84	-0.05	-14.89	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00	-8.27	...	-8.27
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2244.28	150.28	2394.56	2506.46	558.34	3064.80	2461.52	1171.26	3632.78	2770.78	879.03	3649.81
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	536.89	1.95	538.84	633.94	2.14	636.08	70.91	6.66	77.57	82.87	3.96	86.83
2. मौसम विज्ञान	529.01	1.47	530.48	532.08	5.00	537.08	606.50	2.60	609.10	632.11	1.07	633.18
	-8.62	...	-8.62	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00	-8.27	...	-8.27
निवल	520.39	1.47	521.86	524.08	5.00	529.08	598.50	2.60	601.10	623.84	1.07	624.91
3. राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	10.62	...	10.62	14.00	...	14.00	15.43	...	15.43	15.97	...	15.97
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1067.90</b>	<b>3.42</b>	<b>1071.32</b>	<b>1172.02</b>	<b>7.14</b>	<b>1179.16</b>	<b>684.84</b>	<b>9.26</b>	<b>694.10</b>	<b>722.68</b>	<b>5.03</b>	<b>727.71</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	279.57	25.42	304.99	280.00	30.00	310.00	...	...	...	...	...	...
5. वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां तथा सेवाएं (एकरॉस)	271.09	82.85	353.94	243.80	256.20	500.00	...	...	...	...	...	...
6. ध्रुव विज्ञान और क्रायोस्फियर (पेसर)	159.88	...	159.88	146.00	...	146.00	...	...	...	...	...	...
7. भूकंप विज्ञान और भूगर्भविज्ञान (सेज)	33.44	8.83	42.27	45.00	15.00	60.00	...	...	...	...	...	...
8. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण जन संपर्क (रीचआउट)	52.82	...	52.82	55.00	...	55.00	...	...	...	...	...	...
9. गहरा महासागर मिशन (डीओएम)	174.37	29.81	204.18	350.00	250.00	600.00	500.00	100.00	600.00	300.00	300.00	600.00
10. मिशन मौसम	...	...	...	...	...	...	400.00	271.00	671.00	799.60	529.40	1329.00
11. उच्च निष्पादन गणना प्रणाली	...	...	...	...	...	...	...	756.00	756.00	50.00	5.00	55.00
12. पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)	...	...	...	...	...	...	650.00	35.00	685.00	660.40	39.60	700.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>971.17</b>	<b>146.91</b>	<b>1118.08</b>	<b>1119.80</b>	<b>551.20</b>	<b>1671.00</b>	<b>1550.00</b>	<b>1162.00</b>	<b>2712.00</b>	<b>1810.00</b>	<b>874.00</b>	<b>2684.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
13. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकोइस)	26.82	...	26.82	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	29.00	...	29.00
14. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)	52.44	...	52.44	55.00	...	55.00	64.29	...	64.29	68.00	...	68.00
15. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा	29.00	...	29.00	28.75	...	28.75	31.00	...	31.00	32.00	...	32.00
16. भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)	86.17	...	86.17	85.50	...	85.50	85.50	...	85.50	91.50	...	91.50
17. राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस)	17.00	...	17.00	17.39	...	17.39	17.89	...	17.89	17.60	...	17.60
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>211.43</b>	<b>...</b>	<b>211.43</b>	<b>214.64</b>	<b>...</b>	<b>214.64</b>	<b>226.68</b>	<b>...</b>	<b>226.68</b>	<b>238.10</b>	<b>...</b>	<b>238.10</b>
<b>अन्य</b>												
18. वास्तविक बसूलियां	-6.22	-0.05	-6.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>205.21</b>	<b>-0.05</b>	<b>205.16</b>	<b>214.64</b>	<b>...</b>	<b>214.64</b>	<b>226.68</b>	<b>...</b>	<b>226.68</b>	<b>238.10</b>	<b>...</b>	<b>238.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2244.28</b>	<b>150.28</b>	<b>2394.56</b>	<b>2506.46</b>	<b>558.34</b>	<b>3064.80</b>	<b>2461.52</b>	<b>1171.26</b>	<b>3632.78</b>	<b>2770.78</b>	<b>879.03</b>	<b>3649.81</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	717.49	...	717.49	887.75	...	887.75	1273.29	...	1273.29	1089.40	...	1089.40
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	63.18	...	63.18	69.00	...	69.00	15.43	...	15.43	15.97	...	15.97
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	536.57	...	536.57	633.94	...	633.94	70.91	...	70.91	82.87	...	82.87
4. मौसम विज्ञान	927.04	...	927.04	915.77	...	915.77	1101.89	...	1101.89	1582.54	...	1582.54
5. समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	55.23	55.23	...	280.00	280.00	...	135.00	135.00	...	339.60	339.60
6. मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	...	93.10	93.10	...	276.20	276.20	...	1029.60	1029.60	...	535.47	535.47
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.95	1.95	...	2.14	2.14	...	6.66	6.66	...	3.96	3.96
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2244.28</b>	<b>150.28</b>	<b>2394.56</b>	<b>2506.46</b>	<b>558.34</b>	<b>3064.80</b>	<b>2461.52</b>	<b>1171.26</b>	<b>3632.78</b>	<b>2770.78</b>	<b>879.03</b>	<b>3649.81</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2244.28</b>	<b>150.28</b>	<b>2394.56</b>	<b>2506.46</b>	<b>558.34</b>	<b>3064.80</b>	<b>2461.52</b>	<b>1171.26</b>	<b>3632.78</b>	<b>2770.78</b>	<b>879.03</b>	<b>3649.81</b>

1. **सचिवालय:** सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए बजट प्रावधान अपेक्षित है।

2. **मौसम विज्ञान:** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसके प्राथमिक उद्देश्य (i) मौसम संबंधी प्रेक्षण और कृषि सिंचाई, विमानन, तीर्थयात्रा आदि जैसी मौसम संबन्धित गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम संबंधी सूचना प्रदान करना, (ii) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, धूल भरे तूफानों, भारी बारिश, बर्फ शीत और लू आदि जैसी प्रचंड मौसमी परिघटनाओं, जिनके कारण जान और माल की हानि होती है, की चेतावनी देना; तथा (iii) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कस्टमाइज्ड मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायु प्रदूषण निगरानी और पूर्वानुमान के क्षेत्र में देश के अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना है।

3. **राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.):** राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में विश्वसनीयता और सटीकता के साथ उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां लगातार विकसित कर रहा है तथा नए एवं नवीन अनुप्रयोगों का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान, कौशल और तकनीकी आधारों के उच्चतम स्तर को बनाए रख रहा है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ की वास्तविक समय डेटा आत्मसात प्रणाली वास्तविक समय में निर्बाध मौसम भविष्यवाणी मॉडल चलाने के लिए प्रारंभिक स्थितियां तैयार करती है जो दिन और मौसम पूर्वानुमानों को मुहैया करती है, और आईएमडी के पूर्वानुमानकर्ताओं को मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में चलाए जा रहे उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले वैश्विक और क्षेत्रीय समष्टि भविष्यवाणी मॉडल का उपयोग गंभीर मौसम चेतावनी के लिए संभावित पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक रूप से किया जाता है।

4-8 इन पाँच योजनाओं को नई योजना पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) में मिला दिया गया है।

9. **गहरा महासागर मिशन (डीओएम):** गहरा महासागर मिशन का उद्देश्य गहरे महासागरीय संसाधनों का पता लगाना और उनके स्थायी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। मिशन में छह प्रमुख विषय शामिल हैं, अर्थात् (i) गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त पनडुब्बी और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास; (ii) महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास; (iii) गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार; (iv) गहरे महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण; (v) महासागर से ऊर्जा और ताज़ा पानी और (vi) महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्थेशन। मिशन में गहरे महासागरों के तल का मानचित्रण और 6000 मीटर पानी की गहराई रेंजिंग के साथ मानवयुक्त पनडुब्बी, गहरे समुद्र में खनन के लिए खनन प्रणाली, गहरे समुद्र के जैव संसाधनों का स्थायी उपयोग और अपतटीय थर्मल ऊर्जा-संचालित बिलवणीकरण संयंत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करने जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में अनुसंधान के रूपांतरण के माध्यम से समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता विकसित की जाएगी।

10. **मिशन मौसम:** यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक महत्वाकांक्षी पहल/योजना है जिसे कृषि, विमानन, शहरी नियोजन, रक्षा, खेल और आपदा तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की मौसम और जलवायु पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। . मिशन मौसम की निगरानी, भविष्यवाणी और डेटा विश्लेषण में क्रांति लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग और उन्नत मॉडलिंग तकनीकों का लाभ उठाना चाहता है। मौसम की निगरानी को आगे बढ़ाकर, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों को शामिल करके, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, मिशन मौसम का लक्ष्य खराब मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करते हुए अधिक सटीक और समय पर पूर्वानुमान प्रदान करना है। कार्यक्रम मजबूत अवसंरचना के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है कि मौसम संबंधी जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, जिससे राष्ट्रीय विकास, आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन में योगदान मिले। अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, मिशन मौसम का लक्ष्य भारत में उन्नत मौसम और जलवायु भविष्यवाणी के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क स्थापित करना है।

11. **उच्च निष्पादन गणना प्रणाली:** पिछली योजना अवधि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के विभिन्न संस्थानों में तैनात उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली पिछले दशक में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने और अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। . इन एचपीसी प्रणालियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (एनडब्ल्यूपी) मॉडल दोनों से विस्तारित लीड समय के साथ निर्बाध डेटा समीकरण और सटीक पूर्वानुमान तैयार करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे मौसम, जलवायु और महासागर स्थिति की भविष्यवाणियों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य मौसम और जलवायु पूर्वानुमान, बुनियादी अनुसंधान और डेटा समीकरण के लिए संख्यात्मक मॉडलिंग का समर्थन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों के लिए पेटाफ्लॉप्स-स्केल एचपीसी सुविधा स्थापित करना है। यह अनुसंधान और विकास करने तथा परिचालन पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करने और पूर्वानुमान कौशल को बढ़ाने के लिए अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास समुदाय को कम्प्यूटेशनल संसाधन भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल पृथ्वी विज्ञान क्षेत्र में अत्याधुनिक बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई/एमएल अनुप्रयोगों का समर्थन करने, मौसम/जलवायु अनुप्रयोगों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और एआई/एमएल एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कम्प्यूटेशनल और विज्ञान-आधारित वातावरण विकसित करेगी।

12. **पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी):** यह योजना अंटार्कटिका आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय, भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान के साथ-साथ अनुसंधान शिक्षा, प्रशिक्षण और आऊटरीच पर विशेष जोर देने के साथ महासागर, ध्रुवीय और क्रायोस्फीयर के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है।

13. **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकोइस):** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकोइस) हैदराबाद: यह निरंतर समुद्री अवलोकन और व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान से होने वाले निरंतर सुधार के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।

14. **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी):** राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) चेन्नई: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एनआईओटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) जो भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 है, में सजीव और निर्जीव संसाधनों की हार्वेस्टिंग से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी तकनीक विकसित करना है।

15. **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा:** राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) गोवा प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य ध्रुवीय और महासागर विज्ञान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ और अरब सागर में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग आदि हैं।

16. **भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम):** भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) , पुणे मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और दीर्घकालिक भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के प्रक्षेपण हेतु पृथ्वी प्रणाली मॉडल के विकास के लिए आवश्यक महासागर-वायुमंडलीय जलवायु प्रणाली पर बुनियादी अनुसंधान करता है। इन्हें प्रासंगिक वैज्ञानिक कार्यक्रम (अवलोकन और मॉडलिंग सहित) शुरू करके और अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए मानव संसाधन विकास में निरंतर निवेश के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके महासागर-वायुमंडल में अनुसंधान की प्रगति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

17. **राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस):** राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), तिरुवनंतपुरम ठोस पृथ्वी विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए इस ज्ञान का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करता है और चयनित क्षेत्रों में नेतृत्व क्षमताएं उत्पन्न करता है।

शिक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 25  
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	103325.02	0.45	103325.47	127874.34	0.76	127875.10	122233.53	0.27	122233.80	142695.30	0.80	142696.10
<i>वसूलियां</i>	-35353.19	...	-35353.19	-54867.00	...	-54867.00	-54662.60	...	-54662.60	-64124.00	...	-64124.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>67971.83</b>	<b>0.45</b>	<b>67972.28</b>	<b>73007.34</b>	<b>0.76</b>	<b>73008.10</b>	<b>67570.93</b>	<b>0.27</b>	<b>67571.20</b>	<b>78571.30</b>	<b>0.80</b>	<b>78572.10</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	37.25	0.45	37.70	54.26	0.76	55.02	47.93	0.27	48.20	51.71	0.80	52.51
2. प्रौढ शिक्षा निदेशालय	1.97	...	1.97	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>39.22</b>	<b>0.45</b>	<b>39.67</b>	<b>54.27</b>	<b>0.76</b>	<b>55.03</b>	<b>47.94</b>	<b>0.27</b>	<b>48.21</b>	<b>51.72</b>	<b>0.80</b>	<b>52.52</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	...	...	...	0.01	...	0.01	7.50	...	7.50	55.00	...	55.00
4. <i>नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम</i>												
4.01 नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम	313.11	...	313.11	377.00	...	377.00	352.60	...	352.60	374.00	...	374.00
4.02 मस्क-छात्रवृत्ति को अंतरण	...	...	...	377.00	...	377.00	352.60	...	352.60	374.00	...	374.00
4.03 मस्क-छात्रवृत्ति से पूरी की गई राशि	...	...	...	-377.00	...	-377.00	-352.60	...	-352.60	-374.00	...	-374.00
<i>निवल</i>	<i>313.11</i>	<i>...</i>	<i>313.11</i>	<i>377.00</i>	<i>...</i>	<i>377.00</i>	<i>352.60</i>	<i>...</i>	<i>352.60</i>	<i>374.00</i>	<i>...</i>	<i>374.00</i>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>313.11</b>	<b>...</b>	<b>313.11</b>	<b>377.01</b>	<b>...</b>	<b>377.01</b>	<b>360.10</b>	<b>...</b>	<b>360.10</b>	<b>429.00</b>	<b>...</b>	<b>429.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. <i>केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)</i>												
5.01 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	8500.00	...	8500.00	9302.67	...	9302.67	8727.00	...	8727.00	9503.84	...	9503.84
5.02 मस्क-केवीएस को अंतरण	...	...	...	2000.00	...	2000.00	4500.00	...	4500.00	5000.00	...	5000.00
5.03 मस्क-केवीएस से पूरी की गई राशि	...	...	...	-2000.00	...	-2000.00	-4500.00	...	-4500.00	-5000.00	...	-5000.00
<i>निवल</i>	<i>8500.00</i>	<i>...</i>	<i>8500.00</i>	<i>9302.67</i>	<i>...</i>	<i>9302.67</i>	<i>8727.00</i>	<i>...</i>	<i>8727.00</i>	<i>9503.84</i>	<i>...</i>	<i>9503.84</i>
6. <i>नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)</i>												
6.01 नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	5469.80	...	5469.80	5800.00	...	5800.00	5370.79	...	5370.79	5305.23	...	5305.23

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.02 मस्क-एनवीएस को अंतरण	...	...	...	3000.00	...	3000.00	2800.00	...	2800.00	5000.00	...	5000.00
6.03 मस्क-एनवीएस से पूरी की गई राशि	...	...	...	-3000.00	...	-3000.00	-2800.00	...	-2800.00	-5000.00	...	-5000.00
<i>निवल</i>	<i>5469.80</i>	...	<i>5469.80</i>	<i>5800.00</i>	...	<i>5800.00</i>	<i>5370.79</i>	...	<i>5370.79</i>	<i>5305.23</i>	...	<i>5305.23</i>
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	342.97	...	342.97	510.00	...	510.00	560.77	...	560.77	593.71	...	593.71
8. राष्ट्रीय बाल भवन	19.04	...	19.04	26.00	...	26.00	24.33	...	24.33	27.80	...	27.80
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>14331.81</b>	...	<b>14331.81</b>	<b>15638.67</b>	...	<b>15638.67</b>	<b>14682.89</b>	...	<b>14682.89</b>	<b>15430.58</b>	...	<b>15430.58</b>
<b>अन्य</b>												
9. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	17000.00	...	17000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	-6000.00	...	-6000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>11000.00</b>	...	<b>11000.00</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>25331.81</b>	...	<b>25331.81</b>	<b>15638.67</b>	...	<b>15638.67</b>	<b>14682.89</b>	...	<b>14682.89</b>	<b>15430.58</b>	...	<b>15430.58</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय शिक्षा मिशन</b>												
<i>11. समग्र शिक्षा</i>												
11.01 समग्र शिक्षा (एसएस) को सहायता	32829.70	...	32829.70	37499.99	...	37499.99	37009.99	...	37009.99	41249.98	...	41249.98
11.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
11.03 मस्क - एसएस को अंतरण	...	...	...	6000.00	...	6000.00	5010.00	...	5010.00	6250.00	...	6250.00
11.04 मस्क - एसएस से पूरी की गई राशि	...	...	...	-6490.00	...	-6490.00	-5010.00	...	-5010.00	-6250.00	...	-6250.00
11.05 पीएसके-एसएस को अंतरण	...	...	...	31000.00	...	31000.00	32000.00	...	32000.00	35000.00	...	35000.00
11.06 पीएसके-एसएस से पूरी की गई राशि	...	...	...	-31000.00	...	-31000.00	-32000.00	...	-32000.00	-35000.00	...	-35000.00
<i>निवल</i>	<i>32829.70</i>	...	<i>32829.70</i>	<i>37010.00</i>	...	<i>37010.00</i>	<i>37010.00</i>	...	<i>37010.00</i>	<i>41250.00</i>	...	<i>41250.00</i>
<i>12. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)</i>												
12.01 पीएम पोषण को सहायता	8457.73	...	8457.73	12467.39	...	12467.39	10000.00	...	10000.00	12500.00	...	12500.00
12.02 पीएसके-पीएमपी को अंतरण	...	...	...	12000.00	...	12000.00	10000.00	...	10000.00	12500.00	...	12500.00
12.03 पीएसके से पूरी की गई राशि	...	...	...	-12000.00	...	-12000.00	-10000.00	...	-10000.00	-12500.00	...	-12500.00
<i>निवल</i>	<i>8457.73</i>	...	<i>8457.73</i>	<i>12467.39</i>	...	<i>12467.39</i>	<i>10000.00</i>	...	<i>10000.00</i>	<i>12500.00</i>	...	<i>12500.00</i>
13. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स)	699.47	...	699.47	1250.00	...	1250.00	850.00	...	850.00	1250.00	...	1250.00
14. प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री)	1214.68	...	1214.68	6050.00	...	6050.00	4500.00	...	4500.00	7500.00	...	7500.00
15. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	39.30	...	39.30	160.00	...	160.00	120.00	...	120.00	160.00	...	160.00
16. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	28400.00	...	28400.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-28400.00	...	-28400.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>43240.88</b>	...	<b>43240.88</b>	<b>56937.39</b>	...	<b>56937.39</b>	<b>52480.00</b>	...	<b>52480.00</b>	<b>62660.00</b>	...	<b>62660.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
18. वास्तविक वसूलियां	-953.19	...	-953.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>67971.83</b>	<b>0.45</b>	<b>67972.28</b>	<b>73007.34</b>	<b>0.76</b>	<b>73008.10</b>	<b>67570.93</b>	<b>0.27</b>	<b>67571.20</b>	<b>78571.30</b>	<b>0.80</b>	<b>78572.10</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामान्य शिक्षा	26187.52	...	26187.52	17431.83	...	17431.83	16592.24	...	16592.24	17325.32	...	17325.32
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	37.23	...	37.23	54.26	...	54.26	47.93	...	47.93	51.71	...	51.71
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.45	0.45	...	0.76	0.76	...	0.27	0.27	...	0.80	0.80
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>26224.75</b>	<b>0.45</b>	<b>26225.20</b>	<b>17486.09</b>	<b>0.76</b>	<b>17486.85</b>	<b>16640.17</b>	<b>0.27</b>	<b>16640.44</b>	<b>17377.03</b>	<b>0.80</b>	<b>17377.83</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	7029.63	...	7029.63	6599.16	...	6599.16	7497.45	...	7497.45
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	40441.72	...	40441.72	46315.76	...	46315.76	42311.25	...	42311.25	51505.21	...	51505.21
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1305.36	...	1305.36	2175.86	...	2175.86	2020.35	...	2020.35	2191.61	...	2191.61
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>41747.08</b>	...	<b>41747.08</b>	<b>55521.25</b>	...	<b>55521.25</b>	<b>50930.76</b>	...	<b>50930.76</b>	<b>61194.27</b>	...	<b>61194.27</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>67971.83</b>	<b>0.45</b>	<b>67972.28</b>	<b>73007.34</b>	<b>0.76</b>	<b>73008.10</b>	<b>67570.93</b>	<b>0.27</b>	<b>67571.20</b>	<b>78571.30</b>	<b>0.80</b>	<b>78572.10</b>

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

3. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित/ प्रमुख व्यक्तियों से मार्गदर्शन कराने की एक पहल है।

4. **नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम:** नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम की शुरुआत वर्ष 2008 में 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रति माह) की एक लाख छात्रवृत्ति कक्षा IX के स्तर से कक्षा XII तक पात्रता पूरा किए जाने के अध्येक्षी प्रदान किए जाने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जिससे उनको कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने से रोका जा सके और उनको उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

5. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, स्थापित, नियंत्रित और प्रबंधित केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

6. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) -1986 के अनुसरण में (1992 में यथा संशोधित) आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में देश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) की स्थापना की गई थी। ये जेएनवी एक स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा चलाए जाते हैं, सोसाइटी पंजीरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत जिसकी स्थापना 1986 में नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) है।

7. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

8. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीवी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

11. **समग्र शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने की पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाकर समग्र शिक्षा योजना बनाई गई है। इस विलय का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण देना है। इस योजना के तहत आवंटन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय माहाभियान (पी एम-जनमन) के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 489.17 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 538.11 करोड़ रुपये शामिल है। इसी तरह इस योजना के तहत आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 203.13 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 688.00 करोड़ रुपये शामिल है।

12. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।

13. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स):** राज्यों के लिए शिक्षण - ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने, उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। स्टार्स परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

14. **प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना पूर्व में एग्जाम्प्लर के नाम से जानी जाती थी जिसका उद्देश्य 15000 से ज्यादा उत्कृष्ट स्कूल तैयार करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने में और समय बीतने के साथ-साथ एग्जाम्प्लर और उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में उभरने में मदद करती है। वे न्यायोचित, समावेशी और हर्षमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे, जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और भिन्न शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे और उन्हें एनईपी 2020 के वीजन के अनुसार स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बनाएंगी।

15. **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन शिक्षा' संबंधी सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)/ उल्लास ' प्रौढ़ शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।



शिक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 26  
उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	61933.79	7.32	61941.11	63309.20	11.06	63320.26	62308.38	8.56	62316.94	69064.94	10.27	69075.21
<b>वसूलियां</b>	-6548.43	...	-6548.43	-15700.49	...	-15700.49	-15834.59	...	-15834.59	-18997.26	...	-18997.26
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>55385.36</b>	<b>7.32</b>	<b>55392.68</b>	<b>47608.71</b>	<b>11.06</b>	<b>47619.77</b>	<b>46473.79</b>	<b>8.56</b>	<b>46482.35</b>	<b>50067.68</b>	<b>10.27</b>	<b>50077.95</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	134.57	2.55	137.12	157.85	4.65	162.50	151.65	5.08	156.73	167.23	5.05	172.28
2. हिन्दी निदेशालय	16.28	...	16.28	16.54	...	16.54	20.95	...	20.95	25.25	...	25.25
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	12.13	...	12.13	14.59	0.46	15.05	17.00	0.11	17.11	17.74	0.03	17.77
4. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	38.05	4.77	42.82	40.32	5.75	46.07	37.56	3.25	40.81	43.50	5.10	48.60
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	9.37	...	9.37	11.15	0.20	11.35	9.27	0.12	9.39	11.08	0.09	11.17
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>210.40</b>	<b>7.32</b>	<b>217.72</b>	<b>240.45</b>	<b>11.06</b>	<b>251.51</b>	<b>236.43</b>	<b>8.56</b>	<b>244.99</b>	<b>264.80</b>	<b>10.27</b>	<b>275.07</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>उच्चतर शिक्षा</b>												
6. राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक	0.26	...	0.26	0.27	...	0.27	0.25	...	0.25	0.24	...	0.24
7. विश्व स्तरीय संस्थान	1436.28	...	1436.28	1800.00	...	1800.00	1000.00	...	1000.00	475.12	...	475.12
8. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	1.31	...	1.31	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
9. भारतीय ज्ञान प्रणाली	3.09	...	3.09	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
10. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए न्यू अनुदान	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
<b>जोड़-उच्चतर शिक्षा</b>	<b>1440.94</b>	<b>...</b>	<b>1440.94</b>	<b>1813.27</b>	<b>...</b>	<b>1813.27</b>	<b>1013.25</b>	<b>...</b>	<b>1013.25</b>	<b>528.36</b>	<b>...</b>	<b>528.36</b>
<b>छात्र वित्तीय सहायता</b>												
11. पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना												
11.01 पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना	1097.86	...	1097.86	1558.00	...	1558.00	1000.00	...	1000.00	1560.00	...	1560.00
11.02 मस्क-पीएम-यूएसपी को अंतरण	...	...	...	1558.00	...	1558.00	1000.00	...	1000.00	1550.00	...	1550.00
11.03 मस्क-पीएम-यूएसपी से पूरी की गई राशि	-1000.00	...	-1000.00	-1558.00	...	-1558.00	-1000.00	...	-1000.00	-1550.00	...	-1550.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	97.86	...	97.86	1558.00	...	1558.00	1000.00	...	1000.00	1560.00	...	1560.00
<b>जोड़-छात्र वित्तीय सहायता</b>	<b>300.09</b>	...	<b>300.09</b>	<b>350.00</b>	...	<b>350.00</b>	<b>282.40</b>	...	<b>282.40</b>	<b>600.00</b>	...	<b>600.00</b>
<b>डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>	<b>397.95</b>	...	<b>397.95</b>	<b>1908.00</b>	...	<b>1908.00</b>	<b>1282.40</b>	...	<b>1282.40</b>	<b>2160.00</b>	...	<b>2160.00</b>
13. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	395.82	...	395.82	480.00	...	480.00	1575.00	...	1575.00	655.00	...	655.00
14. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	5.03	...	5.03	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
15. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	16.00	...	16.00
<b>जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>	<b>404.85</b>	...	<b>404.85</b>	<b>505.00</b>	...	<b>505.00</b>	<b>1595.00</b>	...	<b>1595.00</b>	<b>681.00</b>	...	<b>681.00</b>
<b>अनुसंधान और नवाचार</b>												
16. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	6.45	...	6.45	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
17. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	53.00	...	53.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. उन्नत भारत अभियान	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
19. इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	...	...	...	10.00	...	10.00	2.50	...	2.50	...	...	...
20. शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क)	9.00	...	9.00	100.00	...	100.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
21. विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स)	58.00	...	58.00	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	40.00	...	40.00
22. तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई)	4.49	...	4.49	200.00	...	200.00	2.00	...	2.00	220.00	...	220.00
<b>जोड़-अनुसंधान और नवाचार</b>	<b>135.94</b>	...	<b>135.94</b>	<b>355.00</b>	...	<b>355.00</b>	<b>74.50</b>	...	<b>74.50</b>	<b>327.00</b>	...	<b>327.00</b>
23. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन	22.50	...	22.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीपी)	...	...	...	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	70.00	...	70.00
25. राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क	4.50	...	4.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान)	...	...	...	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00
27. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस)	460.00	...	460.00	600.00	...	600.00	750.00	...	750.00	1178.00	...	1178.00
28. भारत में अध्ययन	7.50	...	7.50	20.00	...	20.00	12.00	...	12.00	14.00	...	14.00
29. आसियान अध्येतावृत्ति	1.52	...	1.52	2.66	...	2.66	2.00	...	2.00	2.52	...	2.52
30. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	16.00	...	16.00	255.00	...	255.00	110.00	...	110.00	200.00	...	200.00
<b>चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना</b>												
31. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण	50.00	...	50.00	104.00	...	104.00	104.00	...	104.00	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2941.70</b>	...	<b>2941.70</b>	<b>5672.93</b>	...	<b>5672.93</b>	<b>4998.15</b>	...	<b>4998.15</b>	<b>5175.88</b>	...	<b>5175.88</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
32. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)												
32.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	6324.12	...	6324.12	2500.00	...	2500.00	3014.00	...	3014.00	3335.97	...	3335.97
32.02 मस्क-यूजीसी को अंतरण	...	...	...	2000.00	...	2000.00	2034.59	...	2034.59	2447.26	...	2447.26

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32.03 मस्क-यूजीसी से पूरी की गई राशि	-1000.00	...	-1000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2034.59	...	-2034.59	-2447.26	...	-2447.26
<i>निवल</i>	<i>5324.12</i>	...	<i>5324.12</i>	<i>2500.00</i>	...	<i>2500.00</i>	<i>3014.00</i>	...	<i>3014.00</i>	<i>3335.97</i>	...	<i>3335.97</i>
33. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	352.25	...	352.25	400.00	...	400.00	137.50	...	137.50	200.00	...	200.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>5676.37</b>	...	<b>5676.37</b>	<b>2900.00</b>	...	<b>2900.00</b>	<b>3151.50</b>	...	<b>3151.50</b>	<b>3535.97</b>	...	<b>3535.97</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
34. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू)												
34.01 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को सहायता	11718.23	...	11718.23	15472.00	...	15472.00	15538.23	...	15538.23	16146.11	...	16146.11
34.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	81.96	...	81.96	84.00	...	84.00	87.25	...	87.25	83.06	...	83.06
34.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	312.14	...	312.14	372.00	...	372.00	372.14	...	372.14	462.14	...	462.14
34.04 मस्क-सीयू को अंतरण	...	...	...	5000.00	...	5000.00	4500.00	...	4500.00	5500.00	...	5500.00
34.05 मस्क-सीयू से पूरी की गई राशि	-1000.00	...	-1000.00	-5000.00	...	-5000.00	-4500.00	...	-4500.00	-5500.00	...	-5500.00
<i>निवल</i>	<i>11112.33</i>	...	<i>11112.33</i>	<i>15928.00</i>	...	<i>15928.00</i>	<i>15997.62</i>	...	<i>15997.62</i>	<i>16691.31</i>	...	<i>16691.31</i>
35. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	112.08	...	112.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	36.40	...	36.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय	495.01	...	495.01	596.00	...	596.00	573.00	...	573.00	604.00	...	604.00
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
38. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता												
38.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	9224.74	...	9224.74	9632.50	...	9632.50	9703.13	...	9703.13	10659.00	...	10659.00
38.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	195.23	...	195.23	270.00	...	270.00	220.00	...	220.00	240.00	...	240.00
38.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	422.00	...	422.00	450.00	...	450.00
38.04 मस्क-आईआईटी को अंतरण	...	...	...	2642.49	...	2642.49	3000.00	...	3000.00	4000.00	...	4000.00
38.05 मस्क-आईआईटी से पूरी की गई राशि	-1500.00	...	-1500.00	-2642.49	...	-2642.49	-3000.00	...	-3000.00	-4000.00	...	-4000.00
<i>निवल</i>	<i>8219.97</i>	...	<i>8219.97</i>	<i>10202.50</i>	...	<i>10202.50</i>	<i>10345.13</i>	...	<i>10345.13</i>	<i>11349.00</i>	...	<i>11349.00</i>
39. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	479.74	...	479.74	122.00	...	122.00	122.00	...	122.00	...	...	...
<b>जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>8699.71</b>	...	<b>8699.71</b>	<b>10324.50</b>	...	<b>10324.50</b>	<b>10467.13</b>	...	<b>10467.13</b>	<b>11349.00</b>	...	<b>11349.00</b>
<b>भारतीय प्रबंधन संस्थान</b>												
40. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता												
40.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	12.18	...	12.18	12.00	...	12.00	16.00	...	16.00	30.00	...	30.00
40.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	46.34	...	46.34	60.00	...	60.00	62.00	...	62.00	72.00	...	72.00
40.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	248.72	...	248.72	140.21	...	140.21	149.89	...	149.89	149.89	...	149.89
<i>जोड़- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता</i>	<i>307.24</i>	...	<i>307.24</i>	<i>212.21</i>	...	<i>212.21</i>	<i>227.89</i>	...	<i>227.89</i>	<i>251.89</i>	...	<i>251.89</i>
41. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता												
41.01 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और आईआईईएसटी को अनुदान	4651.88	...	4651.88	4839.40	...	4839.40	5180.20	...	5180.20	5473.87	...	5473.87
41.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	40.54	...	40.54	80.60	...	80.60	62.60	...	62.60	80.60	...	80.60
41.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	60.93	...	60.93	120.00	...	120.00	133.00	...	133.00	133.00	...	133.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
41.04 मस्क-एनआईटी को अंतरण	...	...	...	4500.00	...	4500.00	5300.00	...	5300.00	5500.00	...	5500.00
41.05 मस्क-एनआईटी से पूरी की गई राशि	-1500.00	...	-1500.00	-4500.00	...	-4500.00	-5300.00	...	-5300.00	-5500.00	...	-5500.00
<i>निवल</i>	<i>3253.35</i>	...	<i>3253.35</i>	<i>5040.00</i>	...	<i>5040.00</i>	<i>5375.80</i>	...	<i>5375.80</i>	<i>5687.47</i>	...	<i>5687.47</i>
<b>भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)</b>												
<i>42. भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता</i>												
42.01 सकल वजतीय सहायता (जीबीएस) से मदद	1446.29	...	1446.29	1529.00	...	1529.00	1468.75	...	1468.75	1331.33	...	1331.33
42.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	1.20	...	1.20	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
42.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	12.00	...	12.00
<i>जोड़- भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता</i>	<i>1447.49</i>	...	<i>1447.49</i>	<i>1540.00</i>	...	<i>1540.00</i>	<i>1479.75</i>	...	<i>1479.75</i>	<i>1353.33</i>	...	<i>1353.33</i>
<i>43. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता</i>												
43.01 सकल वजतीय सहायता (जीबीएस) से मदद	890.36	...	890.36	913.77	...	913.77	843.77	...	843.77	894.00	...	894.00
43.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	2.72	...	2.72	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
<i>जोड़- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता</i>	<i>893.08</i>	...	<i>893.08</i>	<i>918.27</i>	...	<i>918.27</i>	<i>848.27</i>	...	<i>848.27</i>	<i>900.00</i>	...	<i>900.00</i>
<b>भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)</b>												
<i>44. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता</i>												
44.01 सकल वजतीय सहायता (जीबीएस) से मदद	373.11	...	373.11	314.91	...	314.91	350.67	...	350.67	397.00	...	397.00
44.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
44.03 एचईएफए ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
<i>जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता</i>	<i>373.11</i>	...	<i>373.11</i>	<i>315.91</i>	...	<i>315.91</i>	<i>351.67</i>	...	<i>351.67</i>	<i>407.00</i>	...	<i>407.00</i>
45. सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	141.25	...	141.25	200.00	...	200.00	87.76	...	87.76	115.20	...	115.20
<b>जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)</b>	<b>514.36</b>	...	<b>514.36</b>	<b>515.91</b>	...	<b>515.91</b>	<b>439.43</b>	...	<b>439.43</b>	<b>522.20</b>	...	<b>522.20</b>
46. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	275.74	...	275.74	315.00	...	315.00	321.70	...	321.70	332.80	...	332.80
47. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	272.30	...	272.30	310.10	...	310.10	308.44	...	308.44	347.03	...	347.03
48. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	73.48	...	73.48	37.45	...	37.45	38.85	...	38.85	...	...	...
49. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	26.81	...	26.81	38.76	...	38.76	37.15	...	37.15	43.00	...	43.00
50. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)	150.10	...	150.10	185.87	...	185.87	154.50	...	154.50	169.00	...	169.00
51. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इस्यू)	124.76	...	124.76	140.00	...	140.00	130.00	...	130.00	147.00	...	147.00
52. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	100.50	...	100.50	110.00	...	110.00	156.50	...	156.50	159.00	...	159.00
<i>53. अन्य संस्थानों को सहायता</i>												
53.01 सकल वजतीय सहायता (जीबीएस) से मदद	462.02	...	462.02	562.33	...	562.33	538.33	...	538.33	613.00	...	613.00
53.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	0.23	...	0.23	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता	462.25	...	462.25	565.33	...	565.33	541.33	...	541.33	614.00	...	614.00
54. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय	...	...	...	100.00	...	100.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>28356.99</b>	...	<b>28356.99</b>	<b>36877.40</b>	...	<b>36877.40</b>	<b>37122.36</b>	...	<b>37122.36</b>	<b>39196.03</b>	...	<b>39196.03</b>
<b>अन्य</b>												
55. राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ)	...	...	...	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00
56. योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता	62.27	...	62.27	97.99	...	97.99	67.85	...	67.85	75.00	...	75.00
57. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	18500.00	...	18500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>18562.27</b>	...	<b>18562.27</b>	<b>102.99</b>	...	<b>102.99</b>	<b>70.35</b>	...	<b>70.35</b>	<b>80.00</b>	...	<b>80.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>52595.63</b>	...	<b>52595.63</b>	<b>39880.39</b>	...	<b>39880.39</b>	<b>40344.21</b>	...	<b>40344.21</b>	<b>42812.00</b>	...	<b>42812.00</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय शिक्षा मिशन</b>												
59. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	186.06	...	186.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उपा)	...	...	...	1814.94	...	1814.94	895.00	...	895.00	1815.00	...	1815.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>186.06</b>	...	<b>186.06</b>	<b>1814.94</b>	...	<b>1814.94</b>	<b>895.00</b>	...	<b>895.00</b>	<b>1815.00</b>	...	<b>1815.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
61. वास्तविक बसूलियां	-548.43	...	-548.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>55385.36</b>	<b>7.32</b>	<b>55392.68</b>	<b>47608.71</b>	<b>11.06</b>	<b>47619.77</b>	<b>46473.79</b>	<b>8.56</b>	<b>46482.35</b>	<b>50067.68</b>	<b>10.27</b>	<b>50077.95</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामान्य शिक्षा	29026.92	...	29026.92	22456.10	...	22456.10	22440.72	...	22440.72	22710.92	...	22710.92
2. तकनीकी शिक्षा	26044.20	...	26044.20	19594.13	...	19594.13	19465.61	...	19465.61	21663.68	...	21663.68
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	134.43	...	134.43	157.85	...	157.85	151.65	...	151.65	167.23	...	167.23
4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.77	4.77	...	6.41	6.41	...	3.48	3.48	...	5.22	5.22
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.55	2.55	...	4.65	4.65	...	5.08	5.08	...	5.05	5.05
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>55205.55</b>	<b>7.32</b>	<b>55212.87</b>	<b>42208.08</b>	<b>11.06</b>	<b>42219.14</b>	<b>42057.98</b>	<b>8.56</b>	<b>42066.54</b>	<b>44541.83</b>	<b>10.27</b>	<b>44552.10</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	3795.69	...	3795.69	3715.41	...	3715.41	4020.85	...	4020.85
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	179.81	...	179.81	1504.94	...	1504.94	643.27	...	643.27	1355.00	...	1355.00
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	100.00	...	100.00	57.13	...	57.13	150.00	...	150.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>179.81</b>	...	<b>179.81</b>	<b>5400.63</b>	...	<b>5400.63</b>	<b>4415.81</b>	...	<b>4415.81</b>	<b>5525.85</b>	...	<b>5525.85</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>55385.36</b>	<b>7.32</b>	<b>55392.68</b>	<b>47608.71</b>	<b>11.06</b>	<b>47619.77</b>	<b>46473.79</b>	<b>8.56</b>	<b>46482.35</b>	<b>50067.68</b>	<b>10.27</b>	<b>50077.95</b>
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>185.98</b>	<b>185.98</b>	<b>...</b>	<b>203.00</b>	<b>203.00</b>
	<b>...</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>185.98</b>	<b>185.98</b>	<b>...</b>	<b>203.00</b>	<b>203.00</b>

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रभागों आदि के लिए है जिनकी जरूरत मंत्रालय के दोनों विभागों के भीतर ई-गवर्नेंस कार्यकलापों के सुदृढीकरण के लिए है। यह प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावित नए भवन के लिए भी है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार आदि प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक योजना चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और यह क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्यस्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।

4. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों (आरएलसी) की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी जो क्रमशः भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं। यह भारत सरकार की भाषा नीति के विकास/कार्यान्वयन में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा समाज में भाषा के उपयोग के क्षेत्र में शोध करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी शिष्टमंडल (पीडीआई) पेरिस और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास(सीजीआई) के लिए प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक:** यह योजना राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना यथोचित समय में समर्थकारी विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध योजना में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

8. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह योजना जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 2015 के पीएम विकास पैकेज में शिक्षा मंत्रालय का घटक है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

9. **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह योजना एनईपी की अनुशंसाओं पर आधारित है। प्राचीन भारत से तात्विक ज्ञान और इसका आधुनिक भारत में योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों को जहां कहीं भी संगत हो पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में, विशेष रूप से जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी एवं ज्ञान अर्जन के पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा।

10. **उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान:** भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए औपचारिक परिप्रेष्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से ग्लू ग्रांट को अलग रखा गया है, ताकि स्वायत्तता कायम रखते हुए बेहतर तालमेल बनाए जा सके।

11. **पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना:** व्याज सस्मिडी और गारंटी निधि के योगदान के माध्यम से, केंद्र सरकार 4.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान व्याज सस्मिडी प्रदान करती है। छात्र ऋण में पुनर्भुगतान में चूक के विरुद्ध गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी न्यास के प्रबंधन के तहत एक छात्र ऋण गारंटी कोष सृजित किया जाएगा। यह ऋण देने वाली संस्थाओं को छात्र चूक से सुरक्षा प्रदान करेगा जिससे उन्हें अधिक छात्र ऋण देने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर व्याज दर भी कम होगी। कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति घटक के माध्यम से, प्रति वर्ष कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को 2 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विलंब कम करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को इ-बैंकिंग के माध्यम से सीधी संवितरित की जाती है। जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना घटक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के अन्य सहभागियों के साथ परस्पर बातचीत का अवसर मिलेगा जो उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में सहायता करेगा। हर वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या की कमी से हुई बचतों के अध्यधीन, मेडिकल और इंजीनियरिंग धारा स्टाड्स में अंतर-बदलाव का प्रावधान है। शिक्षा शुल्क और रख-रखाव भत्ते हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

12. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र, जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी से बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है, उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र को, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रुपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष प्रतिमाह 75,000 रुपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन किया जाएगा।

13. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना की गई है। इसमें आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि की मार्गदर्शिका और शिक्षकों की ऑन-लाइन उपलब्धता के लिए ई-शिक्षा हेतु उपयुक्त पैडगॉजी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है, शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं।

14. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य सरकारी सांख्यिकी प्रणाली को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आवधिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सुदृढ़ करना है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा क्षेत्र के निष्पादन एवं क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन एवं समीक्षा की जा सके।

15. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी):** इस योजना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के स्टोरेज एवं डिलीवरी हेतु एक डिजिटल निक्षेपागार के विकास की परिकल्पना की गई है। क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

16. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना करना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन शिक्षा की पहुंच और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के स्तर को बढ़ाएगा।

17. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** 'प्रौद्योगिकी अंतरण की राष्ट्रीय पहल' की पूर्ववर्ती स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय संयोजनों को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के फ्रेमवर्क के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने में अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

18. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और सतत विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान विकसित करके ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियां उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बावत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

19. **इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में लगाने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंफ्रिट-II को संशोधित कार्यनीति के साथ शुरू किया गया है।

20. **शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पाकी):** शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पाकी स्कीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान स्थिति में सुधार लाना है।

21. **विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्सी):** इस योजना का उद्देश्य सतत और साम्यापूर्ण भारत के लिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का समेकन करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकाय में अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना, विज्ञान को स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख केंद्रों में देश की जरूरतों तथा मुद्दों का निराकरण करने की दिशा में अभिमुख करना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क हासिल करना स्कीम के प्रमुख उद्देश्य हैं।

22. **तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई):** यह नई योजना है जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों के साथ एकीकरण करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसे देश भर में लगभग 350 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी संस्थानों और मान्यता-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) होगी जिसके तहत आईईए के अंतर्गत विश्वबैंक से विदेशी ऋण लिए जाएंगे।

23. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समय क्षेत्र पर व्यापक ध्यान देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षक/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए



व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए संस्थागत अवसंरचना को बढ़ाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 से इस योजना का नाम बदलकर क्रम संख्या 28 पर मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) कर दिया गया है।

24. **मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी):** वित्त वर्ष 2024-25 से क्रम सं. 27 पर पीएमएमएमएनएमटीटी का नाम मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर व्यापक ध्यान (फोकस) देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए संस्थागत अवसंरचना को बढ़ाएगा।

25. **राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क:** वर्ष 2024-25 से यह योजना क्रम संख्या 55 पर अन्य केंद्रीय व्यय में परिवर्तित कर दी गई है।

26. **वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उनके उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, पूर्ण गुणवत्ता सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

27. **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस):** प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) कर दिया गया है।

28. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमान्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुविधाजनक हो पाएगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

29. **आसियान अध्येतावृत्ति:** भारत और आसियान के बीच गहन और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए, इस स्कीम का उद्देश्य आसियान देशों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1000 तक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

30. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई):** कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतःविषयक अनुसंधान करने, आधुनिक अनुप्रयोगों और बड़ी समस्याओं के समाधान के संबंध में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए "मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" दृष्टिकोण की आवश्यकता के लिए सतत विकास वाले शहरों के साथ बजट घोषणा 2023 के परिणास्वरूप इस योजना की परिकल्पना की गई है।

31. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा क्षेत्र के लिए सरकार की कार्य योजना का एक घटक है। इससे विभिन्न अभिजात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

32. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के मानदंडों के समन्वय और निर्धारण कार्य के लिए की गई थी। यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सुस्पष्ट सहायता दी जाती है।

33. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियोजित गुणवत्तापरक विकास एवं विनियमन तथा उचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।

34. **केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू):** केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और शिक्षणपरक सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर-विषयक अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के सृजन और प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

35. **केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश:** केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आबंटन का प्रावधान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 से इसे बजट लाइन में क्र.सं. 34 में विलयित कर दिया गया है।

36. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन का प्रावधान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 से इसे बजट लाइन में क्र.सं. 34 में विलयित कर दिया गया है।

37. **केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानद विश्व विद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्तर एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानद विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

38. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और शिक्षा अर्जन को बढ़ावा देने एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करना है। इन प्रमुख संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

39. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आबंटन का प्रावधान करता है।

40. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और कन्सल्टेंसी के उद्देश्यों से उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।



41. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है।।

42. **भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल हैं जहां शिक्षण और शिक्षा को आधुनिक शोध के साथ पूर्णतः एकीकृत किया गया है जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो अपने स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री देते हैं।

43. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) वर्ष 1909 में स्थापित किया गया था। कालांतर में आईआईएससी भारत में उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

44. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** इसमें इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और कुरुलूल में स्थित केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है।

45. **सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और अधिक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

46. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** इस पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएच), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसईआर), शिमला, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली हैं।

47. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल हैं।

48. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई (एनआईटीआईई) को वर्ष 1963 में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता से भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

49. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्यशील वातावरण में नौकरी पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देकर नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना है।

50. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुविद विद्यालयों को देश तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी प्रकार के शीर्ष संस्थानों के रूप में माना जाता है जो मानव बस्तियों को उसके सभी पहलुओं में अभिकल्पित और विकसित करने में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। इस बजट लाइन में नए तथा पुराने एसपीए के लिए प्रावधान शामिल हैं।

51. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इयू):** इयू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने; महिला, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इयू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इयू के कार्यक्रमों के लिए सहायता से इतर इयू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

52. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य देश के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना भी है।

53. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (निएपा), अरुविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी, सीआईटी कोकराझार और जीकेसीआईटी मालदा सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

54. **राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय:** यह बजट लाइन बजट घोषणा 2022-23 के परिणामस्वरूप देश भर के छात्रों को उनके समीप व्यक्तिगत अध्ययन के अनुभव को विश्व स्तरीय गुणवत्तापरक सार्वभौमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए तैयार की गई है। यह सुविधा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा आईसीटी प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाएगी। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें हब निर्माण की अत्याधुनिक विशेषता होगी। देश में ये श्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय व संस्था हब-स्पोक नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

55. **राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ):** यह फ्रेमवर्क देश भर के संस्थानों का रैंक निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रदान करती है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की समग्र अनुशंसाओं व व्यापक जानकारी द्वारा तैयार की गई है।

56. **योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता:** इसमें वैश्विक सहभागिता, प्रबंधन हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, फार्मसी शिक्षा व होटल प्रबंधन, अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के लिए सेमिनार, समिति बैठक आदि व्यय/टीए/डीए, शास्त्री इंडो केनेडियन संस्थान युनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर और सीमा शुल्क वापसी, युनेस्को के योगदान, युनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधिमंडल, भारत में विदेशी प्रतिनिधिमंडल दौरा और युनेस्को उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए समिति की बैठक/सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकॉक, इंटरनेशनल टेक्निकल कॉपरेशन शामिल हैं।

59. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिनमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए परस्पर-संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक,

प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 से इस योजना का नाम बदलकर क्र.सं. 60 पर पीएम-उषा कर दिया गया है।

60. **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा):** वर्ष 2024-25 से, इस योजना को क्रम संख्या 59 पर रूसा योजना से नाम बदल कर पीएम-उषा कर दिया गया है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य राज्य के उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं का विकास करेंगे, जिससे विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए पारस्पर -संबद्ध कार्यनिति का प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के साथ जोड़ा जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
मांग संख्या 27  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	12457.46	389.63	12847.09	21355.89	581.01	21936.90	17209.75	356.56	17566.31	25583.11	443.14	26026.25
<i>वसूलियां</i>	-80.75	...	-80.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>12376.71</b>	<b>389.63</b>	<b>12766.34</b>	<b>21355.89</b>	<b>581.01</b>	<b>21936.90</b>	<b>17209.75</b>	<b>356.56</b>	<b>17566.31</b>	<b>25583.11</b>	<b>443.14</b>	<b>26026.25</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	123.80	28.93	152.73	125.80	49.20	175.00	158.85	51.15	210.00	164.97	45.28	210.25
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1264.00	142.19	1406.19	1399.94	348.70	1748.64	1399.73	138.61	1538.34	1384.60	215.40	1600.00
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	102.46	33.92	136.38	137.50	37.50	175.00	128.85	21.15	150.00	134.65	35.35	170.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	65.07	184.21	249.28	93.04	144.96	238.00	96.00	145.00	241.00	109.00	146.00	255.00
3.03 प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	10.64	0.38	11.02	13.39	0.61	14.00	14.39	0.61	15.00	14.39	0.61	15.00
3.04 डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड	...	...	...	1.96	0.04	2.00	1.96	0.04	2.00	4.50	0.50	5.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	178.17	218.51	396.68	245.89	183.11	429.00	241.20	166.80	408.00	262.54	182.46	445.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1565.97</b>	<b>389.63</b>	<b>1955.60</b>	<b>1771.63</b>	<b>581.01</b>	<b>2352.64</b>	<b>1799.78</b>	<b>356.56</b>	<b>2156.34</b>	<b>1812.11</b>	<b>443.14</b>	<b>2255.25</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</b>												
4. इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	552.86	...	552.86	631.50	...	631.50	631.50	...	631.50	590.00	...	590.00
4.02 ईएपी घटक	18.78	...	18.78	18.50	...	18.50	24.50	...	24.50	27.00	...	27.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन	571.64	...	571.64	650.00	...	650.00	656.00	...	656.00	617.00	...	617.00
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	581.94	...	581.94	240.26	...	240.26	490.26	...	490.26	0.25	...	0.25
6. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	694.27	...	694.27	750.00	...	750.00	677.68	...	677.68	712.00	...	712.00
7. आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन	115.76	...	115.76	130.00	...	130.00	128.50	...	128.50	130.00	...	130.00
8. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	316.51	...	316.51	759.00	...	759.00	322.00	...	322.00	782.00	...	782.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. आईटी / इलेक्ट्रॉनिक्स / सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	877.09	...	877.09	1148.25	...	1148.25	1183.56	...	1183.56	1249.75	...	1249.75
10. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	582.75	...	582.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना	434.16	...	434.16	537.50	...	537.50	537.50	...	537.50	575.00	...	575.00
12. डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा)	...	...	...	1.50	...	1.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
<b>जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम</b>	<b>4174.12</b>	<b>...</b>	<b>4174.12</b>	<b>4216.51</b>	<b>...</b>	<b>4216.51</b>	<b>4000.00</b>	<b>...</b>	<b>4000.00</b>	<b>4071.00</b>	<b>...</b>	<b>4071.00</b>
13. इंडिया एआई मिशन	...	...	...	551.75	...	551.75	173.00	...	173.00	2000.00	...	2000.00
14. भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम												
14.01 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रेट सेमिकंडक्टर फैब और सेमिकंडक्टर एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्सिड सेमीकंडक्टर एसेम्बली और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं की व्यवस्था के लिए संशोधित योजना	644.32	...	644.32	4203.00	...	4203.00	2500.00	...	2500.00	3900.00	...	3900.00
14.02 भारत में सेमिकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	1500.00	...	1500.00	1200.00	...	1200.00	2499.96	...	2499.96
14.03 भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04
14.04 सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण, मोहाली	6.23	...	6.23	900.00	...	900.00	11.00	...	11.00	400.00	...	400.00
14.05 डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना	30.56	...	30.56	200.00	...	200.00	105.46	...	105.46	200.00	...	200.00
<b>जोड़- भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम</b>	<b>681.11</b>	<b>...</b>	<b>681.11</b>	<b>6903.00</b>	<b>...</b>	<b>6903.00</b>	<b>3816.47</b>	<b>...</b>	<b>3816.47</b>	<b>7000.00</b>	<b>...</b>	<b>7000.00</b>
15. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)												
15.01 बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4230.30	...	4230.30	6125.00	...	6125.00	5747.00	...	5747.00	8885.00	...	8885.00
15.02 आई टी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधार पर प्रोत्साहन	54.10	...	54.10	75.00	...	75.00	30.00	...	30.00	115.00	...	115.00
<b>जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)</b>	<b>4284.40</b>	<b>...</b>	<b>4284.40</b>	<b>6200.00</b>	<b>...</b>	<b>6200.00</b>	<b>5777.00</b>	<b>...</b>	<b>5777.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>...</b>	<b>9000.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>9139.63</b>	<b>...</b>	<b>9139.63</b>	<b>17871.26</b>	<b>...</b>	<b>17871.26</b>	<b>13766.47</b>	<b>...</b>	<b>13766.47</b>	<b>22071.00</b>	<b>...</b>	<b>22071.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
16. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	275.00	...	275.00
17. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र	83.02	...	83.02	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
18. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	150.00	...	150.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00
19. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
20. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	23.90	...	23.90	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00
21. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	409.94	...	409.94	540.00	...	540.00	490.00	...	490.00	500.00	...	500.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1736.86</b>	<b>...</b>	<b>1736.86</b>	<b>1700.00</b>	<b>...</b>	<b>1700.00</b>	<b>1630.00</b>	<b>...</b>	<b>1630.00</b>	<b>1685.00</b>	<b>...</b>	<b>1685.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>अन्य</b>												
22. डिजिटल इंडिया कापरिशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	15.00	...	15.00	13.00	...	13.00	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
23. वास्तविक वसूलियां	-80.75	...	-80.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-65.75</b>	<b>...</b>	<b>-65.75</b>	<b>13.00</b>	<b>...</b>	<b>13.00</b>	<b>13.50</b>	<b>...</b>	<b>13.50</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>15.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1671.11</b>	<b>...</b>	<b>1671.11</b>	<b>1713.00</b>	<b>...</b>	<b>1713.00</b>	<b>1643.50</b>	<b>...</b>	<b>1643.50</b>	<b>1700.00</b>	<b>...</b>	<b>1700.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12376.71</b>	<b>389.63</b>	<b>12766.34</b>	<b>21355.89</b>	<b>581.01</b>	<b>21936.90</b>	<b>17209.75</b>	<b>356.56</b>	<b>17566.31</b>	<b>25583.11</b>	<b>443.14</b>	<b>26026.25</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	10190.21	...	10190.21	17443.02	...	17443.02	13674.52	...	13674.52	21226.44	...	21226.44
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1386.50	...	1386.50	1525.74	...	1525.74	1558.58	...	1558.58	1549.57	...	1549.57
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	218.51	218.51	...	183.11	183.11	...	166.80	166.80	...	182.46	182.46
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	171.12	171.12	...	397.90	397.90	...	189.76	189.76	...	260.68	260.68
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>12376.71</b>	<b>389.63</b>	<b>12766.34</b>	<b>19568.76</b>	<b>581.01</b>	<b>20149.77</b>	<b>15833.10</b>	<b>356.56</b>	<b>16189.66</b>	<b>23376.01</b>	<b>443.14</b>	<b>23819.15</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1787.13	...	1787.13	1376.65	...	1376.65	2207.10	...	2207.10
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1787.13</b>	<b>...</b>	<b>1787.13</b>	<b>1376.65</b>	<b>...</b>	<b>1376.65</b>	<b>2207.10</b>	<b>...</b>	<b>2207.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12376.71</b>	<b>389.63</b>	<b>12766.34</b>	<b>21355.89</b>	<b>581.01</b>	<b>21936.90</b>	<b>17209.75</b>	<b>356.56</b>	<b>17566.31</b>	<b>25583.11</b>	<b>443.14</b>	<b>26026.25</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान एमईआईटीवाई सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) है जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** एमईआईटीवाई के तहत एक संबद्ध कार्यालय मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों (केंद्र और राज्य) को परीक्षण, अंशांकन और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001), सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001) और उत्पाद प्रमाणन सेवाएं जैसे सुरक्षा (एसएस मार्क और सीआरएस), सुरक्षा (आईओटी और बायोमेट्रिक उपकरण) ईपीएस, जीआईजीडब्ल्यू आदि जैसी प्रक्रिया प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा एसटीक्यूसी इन संगठनों को पैललबद्ध किये जाने के लिए एमईआईटीवाई को सक्षम करने वाली सीएसपी और डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की प्रक्रिया ऑडिट में भी शामिल है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, सीईआरटी-इन की स्थापना की गई है। सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों जैसे साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, सूचना सुरक्षा पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और श्वेतपत्र जारी करने साइबर घटनाओं की प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा घटनाओं के पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, साइबर सुरक्षा की घटनाओं का समन्वय आदि जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर संदूषक की घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैकिंग डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत एजेंसी भी है।

3.03. **प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए, प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजी को प्रमाणित करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल अन्य कार्य करता है।

3.04. **डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड:** डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि निजी डाटा का संसाधन इस ढंग में किया जाए कि व्यक्तियों के दोनों अधिकारों अर्थात् अपने निजी डाटा

की सुरक्षा और उससे जुड़े अथवा उसके अनुपांगिक मामलों से संबंधित विधिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निजी डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। डिजिटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अध्याय V में एक डाटा संरक्षण बोर्ड-डीपीवी की स्थापना का प्रावधान है। डीपीवी के वेतन और अन्य स्थापना व्यय की पूर्ति का बजटीय प्रावधान है।

4. **इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन:** व्यापक रूप से ई-गवर्नेंस का उद्देश्य, सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, कई तरीकों से एकीकृत और अंतर-संचालित प्रणालियों के माध्यम से अपने स्थान पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। विश्व बैंक समर्थित भारत: सार्वजनिक सेवा परियोजना की ई-डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह एक मजबूत, गतिशील और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधारशिला के रूप में डिजिटल शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की कल्पना करता है। इस आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयू) के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना सरकारी नेटवर्क के साथ अनुसंधान और शिक्षा फोकस के साथ देश भर के ज्ञान संस्थानों को जोड़ने के लिए बहु गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई है जो भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करने में मदद करेगा।

6. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार, देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "भेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इस आशय का एक शानदार प्रदर्शन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) में चिपसेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्प और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

7. **आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में वीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए और आईटी/आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु, नौकरी स्तंभ के लिए आईटी के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईवीपीएस और आईवीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

8. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना- पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सक्षम कानूनी फ्रेमवर्क और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

9. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन, आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और तकनीकी जानकारी तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली अभिकल्प और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय

भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम), उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्वान्टम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परसेप्टन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, विंग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

11. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्र से सामने आती कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम की योजना बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल है। इस योजना का पीएमजीडीआईएसएचए घटक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस उपकरणों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान हेतु, प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सशक्त करने पर लक्षित है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागिता कर सकें।

12. **डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा):** इस योजना का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए प्रणालियों, ऐप्स के विकास के लिए समग्र डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, जो देश में डिजिटल लेनदेन के विकास में मदद करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने और मापने के लिए अध्ययन सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, योजना के लिए व्यापक प्रभाव वाले अंतर-संबंधित मामले शामिल हैं जिसमें एक मापन फ्रेमवर्क का सुझाव देना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुशासन करना शामिल है।

13. **इंडिया एआई मिशन:** भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जो देश में एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने और उत्प्रेरित करने और भारत के एआई स्टार्टअप और शोधकर्ताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यात्मक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास, शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित करना, उद्योग सहयोग को सक्षम करना, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करना, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करना और नैतिक एआई को मजबूत करके, यह भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी विकास को प्रेरित करेगा। मिशन में निम्नलिखित 7 घटक शामिल होंगे: इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई।

14. **भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम:** आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइनिंग और विनिर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम – ईएसडीएम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों या संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, जिसमें एमईएमएस, फैब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एटीएमपी या ओसैट और सेमीकंडक्टर डिजाइन शामिल हैं।

15. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई):** दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं धरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित माल की वृद्धिशील विक्री (आधार वर्ष 2019-20 से) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की निवल वृद्धिशील विक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर लगभग 5% (घटकों/उप-घटकों के स्थानीयकरण के आधार पर) का औसत प्रोत्साहन छह साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को प्रदान करती है। लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और (v) यूएसएफएफ (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर) शामिल हैं।

16. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक): यह मुख्य रूप से एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में लगा हुआ है। इसे मूल रूप से अनुसंधान करने और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है, सी-डैक का अनुसंधान और विकास ने क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी (आपातकालीन/आपदा प्रबंधन सहित), डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी (डीआईआर-वी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी (क्लाउड और बांस सहित), ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी वर्टिकल में विस्तार किया है। वर्तमान में, देश भर में सी-डैक के बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर और तिरुवनंतपुरम शहरों में 12 केंद्र हैं।

17. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र:** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रहे एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित और 2डी सामग्री शामिल हैं। सी-मैट अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर (एसआईसी), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और आरओएचएस कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मैटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्ट्यूएटर्स / सेंसर के लिए मल्टीलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मैटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

18. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो इन प्रौद्योगिकियों के लिए विकास अनुप्रयोगों के विशेष लक्ष्य के साथ माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत-चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साथ काम कर रहा है, इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केंद्र हैं।

19. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना आधार (टारगेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेंसियल एण्ड अदर सर्विसेज, बेनिफिट्स एण्ड सर्विसेज) एक्ट, 2016 को लागू करने के लिए की गई है, ताकि सर्विसेज, लाभ और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण का प्रावधान किया जा सके, जिसके लिए ब्यय भारत की संचित निधि / राज्यों की समेकित निधि से किया जाता है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायसंगत निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन की सुगमता की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

20. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी अन्तरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

21. **सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और देश की कार्यनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहा है। यह हाइ-रेल बोर्डों, रेडियो साउंड सिस्टमों के फेब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण का भी कार्य कर रहा है।

22. **डिजिटल इंडिया कांपैरिशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** डिजिटल इंडिया कांपैरिशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया): डिजिटल इंडिया कांपैरिशन (डीआईसी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में अग्रणी और मार्गदर्शक है। यह ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, विभिन्न डोमेन में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का पोषण करने के माध्यम से डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को कार्यात्मक सहायता प्रदान करता है। लंबे समय में संगठन की स्वायत्तता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, डीआईसी सेवा वितरण के लिए मॉडल विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी भी करता है और जुटाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	3444.26	77.85	3522.11	3885.37	93.25	3978.62	3627.96	93.25	3721.21	3920.07	136.00	4056.07
<b>वसूलियां</b>	-406.28	...	-406.28	-633.25	...	-633.25	-587.25	...	-587.25	-633.25	...	-633.25
<b>प्राप्तियां</b>	-2.22	...	-2.22	-15.00	...	-15.00	-8.00	...	-8.00	-10.00	...	-10.00
<b>निवल</b>	<b>3035.76</b>	<b>77.85</b>	<b>3113.61</b>	<b>3237.12</b>	<b>93.25</b>	<b>3330.37</b>	<b>3032.71</b>	<b>93.25</b>	<b>3125.96</b>	<b>3276.82</b>	<b>136.00</b>	<b>3412.82</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	276.33	2.73	279.06	370.71	8.92	379.63	301.37	11.77	313.14	286.01	18.94	304.95
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	47.85	2.07	49.92	56.00	5.00	61.00	55.00	5.00	60.00	57.29	8.55	65.84
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	3.70	...	3.70	7.50	...	7.50	7.39	0.11	7.50	6.49	0.18	6.67
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	41.00	3.49	44.49	39.17	6.83	46.00	45.10	6.83	51.93	47.00	7.13	54.13
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	55.00	7.94	62.94	63.00	8.00	71.00	63.00	13.00	76.00	66.35	17.45	83.80
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	17.00	14.00	31.00	18.00	15.00	33.00	17.00	12.00	29.00	18.29	12.14	30.43
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	11.11	0.14	11.25	13.00	0.50	13.50	12.00	0.50	12.50	13.50	0.36	13.86
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	83.21	14.48	97.69	112.00	15.00	127.00	102.47	13.00	115.47	112.36	23.70	136.06
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	101.52	7.83	109.35	112.00	12.00	124.00	110.00	10.00	120.00	112.85	16.50	129.35
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	13.41	6.48	19.89	16.00	5.00	21.00	16.00	5.00	21.00	16.97	6.70	23.67
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	28.39	8.69	37.08	44.00	9.00	53.00	36.00	8.00	44.00	43.58	9.10	52.68
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	402.19	65.12	467.31	480.67	76.33	557.00	463.96	73.44	537.40	494.68	101.81	596.49
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	25.35	10.00	35.35	30.00	8.00	38.00	30.50	8.04	38.54	39.07	15.25	54.32
3.02 घटाएं-गेट प्राप्तियां	-2.22	...	-2.22	-15.00	...	-15.00	-8.00	...	-8.00	-10.00	...	-10.00
<b>निवल</b>	<b>23.13</b>	<b>10.00</b>	<b>33.13</b>	<b>15.00</b>	<b>8.00</b>	<b>23.00</b>	<b>22.50</b>	<b>8.04</b>	<b>30.54</b>	<b>29.07</b>	<b>15.25</b>	<b>44.32</b>
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	209.26	...	209.26	463.25	...	463.25	463.25	...	463.25	463.25	...	463.25
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-209.26	...	-209.26	-463.25	...	-463.25	-463.25	...	-463.25	-463.25	...	-463.25



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>701.65</b>	<b>77.85</b>	<b>779.50</b>	<b>866.38</b>	<b>93.25</b>	<b>959.63</b>	<b>787.83</b>	<b>93.25</b>	<b>881.08</b>	<b>809.76</b>	<b>136.00</b>	<b>945.76</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
5. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण	73.97	...	73.97	78.34	...	78.34	99.94	...	99.94	102.70	...	102.70
<b>राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम</b>												
6. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
6.01 कार्यक्रम घटक	32.45	...	32.45	50.00	...	50.00	8.00	...	8.00	2.00	...	2.00
7. पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास	79.26	...	79.26	87.40	...	87.40	65.00	...	65.00	101.96	...	101.96
8. प्रदूषण नियंत्रण	845.37	...	845.37	858.50	...	858.50	858.00	...	858.00	853.90	...	853.90
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1031.05</b>	<b>...</b>	<b>1031.05</b>	<b>1074.24</b>	<b>...</b>	<b>1074.24</b>	<b>1030.94</b>	<b>...</b>	<b>1030.94</b>	<b>1060.56</b>	<b>...</b>	<b>1060.56</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	105.05	...	105.05	113.00	...	113.00	112.00	...	112.00	126.00	...	126.00
10. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	10.05	...	10.05	12.00	...	12.00	11.85	...	11.85	13.20	...	13.20
11. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	15.20	...	15.20	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.95	...	16.95
12. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण	11.37	...	11.37	35.00	...	35.00	30.86	...	30.86	36.75	...	36.75
13. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	16.31	...	16.31	16.00	...	16.00	16.23	...	16.23	38.98	...	38.98
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>157.98</b>	<b>...</b>	<b>157.98</b>	<b>192.00</b>	<b>...</b>	<b>192.00</b>	<b>186.94</b>	<b>...</b>	<b>186.94</b>	<b>231.88</b>	<b>...</b>	<b>231.88</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
14. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	31.73	...	31.73	35.00	...	35.00	38.50	...	38.50	38.00	...	38.00
15. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	467.08	...	467.08	300.00	...	300.00	337.50	...	337.50	354.00	...	354.00
16. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	18.46	...	18.46	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	10.30	...	10.30
17. भारतीय वन्यजीव संस्थान	45.05	...	45.05	43.00	...	43.00	48.00	...	48.00	52.32	...	52.32
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>562.32</b>	<b>...</b>	<b>562.32</b>	<b>391.00</b>	<b>...</b>	<b>391.00</b>	<b>437.00</b>	<b>...</b>	<b>437.00</b>	<b>454.62</b>	<b>...</b>	<b>454.62</b>
<b>अन्य</b>												
18. वास्तविक वसूलियां	-76.49	...	-76.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम	3.61	...	3.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामले	126.09	...	126.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>53.21</b>	<b>...</b>	<b>53.21</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>773.51</b>	<b>...</b>	<b>773.51</b>	<b>583.00</b>	<b>...</b>	<b>583.00</b>	<b>623.94</b>	<b>...</b>	<b>623.94</b>	<b>686.50</b>	<b>...</b>	<b>686.50</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>												
21. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन												
21.01 साँवरेन ग्रीन फंड को अंतरण	119.15	...	119.15	170.00	...	170.00	124.00	...	124.00	170.00	...	170.00
21.02 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	118.58	...	118.58	170.00	...	170.00	124.00	...	124.00	170.00	...	170.00
21.03 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	0.56	...	0.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.04 साँवरेन ग्रीन फंड से पूरी की गई राशि	-119.14	...	-119.14	-170.00	...	-170.00	-124.00	...	-124.00	-170.00	...	-170.00
21.05 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	39.98	...	39.98	50.00	...	50.00	36.00	...	36.00	50.00	...	50.00
जोड़- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	159.13	...	159.13	220.00	...	220.00	160.00	...	160.00	220.00	...	220.00
22. प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण												
22.01 जैव विविधता संरक्षण	3.11	...	3.11	5.00	...	5.00	3.50	...	3.50	10.00	...	10.00
22.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	16.75	...	16.75	35.50	...	35.50	23.50	...	23.50	35.00	...	35.00
22.03 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण (ईएपी घटक)	0.60	...	0.60	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
जोड़- प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	20.46	...	20.46	43.50	...	43.50	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
23. वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास												
23.01 वन्य जीव का पर्यावास विकास	109.30	...	109.30	148.00	...	148.00	143.00	...	143.00	148.00	...	148.00
23.02 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	1.06	...	1.06	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
23.03 बाघ और हाथी परियोजना	239.60	...	239.60	290.00	...	290.00	245.00	...	245.00	290.00	...	290.00
जोड़- वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास	349.96	...	349.96	450.00	...	450.00	400.00	...	400.00	450.00	...	450.00
<b>जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव</b>	<b>529.55</b>	...	<b>529.55</b>	<b>713.50</b>	...	<b>713.50</b>	<b>590.00</b>	...	<b>590.00</b>	<b>720.00</b>	...	<b>720.00</b>
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>529.55</b>	...	<b>529.55</b>	<b>713.50</b>	...	<b>713.50</b>	<b>590.00</b>	...	<b>590.00</b>	<b>720.00</b>	...	<b>720.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3035.76</b>	<b>77.85</b>	<b>3113.61</b>	<b>3237.12</b>	<b>93.25</b>	<b>3330.37</b>	<b>3032.71</b>	<b>93.25</b>	<b>3125.96</b>	<b>3276.82</b>	<b>136.00</b>	<b>3412.82</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. वानिकी और वन्य जीव	861.99	...	861.99	715.67	...	715.67	780.96	...	780.96	829.97	...	829.97
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1409.97	...	1409.97	1378.32	...	1378.32	1297.35	...	1297.35	1388.47	...	1388.47
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	276.33	...	276.33	370.71	...	370.71	301.37	...	301.37	286.01	...	286.01
4. वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.64	37.64	...	43.33	43.33	...	45.48	45.48	...	61.06	61.06
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.48	37.48	...	41.00	41.00	...	36.00	36.00	...	56.00	56.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.73	2.73	...	8.92	8.92	...	11.77	11.77	...	18.94	18.94
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2548.29</b>	<b>77.85</b>	<b>2626.14</b>	<b>2464.70</b>	<b>93.25</b>	<b>2557.95</b>	<b>2379.68</b>	<b>93.25</b>	<b>2472.93</b>	<b>2504.45</b>	<b>136.00</b>	<b>2640.45</b>
<b>अन्य</b>												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	181.84	...	181.84	165.11	...	165.11	180.84	...	180.84
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	486.47	...	486.47	576.58	...	576.58	478.48	...	478.48	577.53	...	577.53
9. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	...	1.00	14.00	...	14.00	9.44	...	9.44	14.00	...	14.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	487.47	...	487.47	772.42	...	772.42	653.03	...	653.03	772.37	...	772.37
कुल जोड़	3035.76	77.85	3113.61	3237.12	93.25	3330.37	3032.71	93.25	3125.96	3276.82	136.00	3412.82

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना शामिल हैं। चार केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, खतरनाक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को गैर-योजना में अन्तर्गत किया गया है और सचिवालय के अधीन रखा गया है। आईडीडीब्ल्यूएच के केंद्रीय क्षेत्र घटक - बाघ और हाथी परियोजना को भी सचिवालय के अधीन रखा गया है।

5. **पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण:** सर्वसमावेशी केंद्रीय क्षेत्र योजना की दो उप-योजनाएं- (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क फोर्स योजना को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर अवक्रमण के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. **राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम):** मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी कार्यान्वित की गई है।

7. **पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास:** पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए सर्वसमावेशी केंद्रीय क्षेत्र योजना निर्णय समर्थन प्रणाली को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास नया रूप दिया गया है: यह योजना जागरूकता पैदा करती है और प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरणीय सूचना का संग्रह, बड़ी संख्या में हितधारकों के लिए सूचना का प्रसार शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

8. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का वित्तपोषण शामिल है।

9-12. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय है - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

13. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** नव गठित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

14- 17. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

18 - 19. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 73.10 करोड़ रुपए की वास्तविक बसूली |अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीएल) द्वारा किए गए इन्फ्रिटी अंशदान को बढ़ेखाते डालने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 3.61 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय किया गया है।

20. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामले:** भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित उपचारात्मक एवं अपशिष्ट निपटान कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 126.09 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय किया गया है।

21. **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन:** वन क्षेत्र को बढ़ाने और मौजूदा वन भूमि की रक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजना स्कीमें हैं, हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। जीआईएम - एनएपी के लिए निधियां सांवरन ग्रीन फंड से पूरी की जाएंगी।

22. **प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

23. **वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास:** मंत्रालय के पास देश के वन्य जीवों की रक्षा के लिए दो मुख्य योजनाएं हैं, अर्थात् प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी और वन्यजीव पर्यावासों का विकास। इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी 2 अलग-अलग योजनाएं थीं जिनका प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी विलय में कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय  
मांग संख्या 29  
विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	27036.28	10159.76	37196.04	20479.50	6058.58	26538.08	23602.03	6058.58	29660.61	19519.74	996.88	20516.62
<i>वसूलियां</i>	-88.41	-8193.12	-8281.53	-0.01	-4383.40	-4383.41	-0.01	-4383.40	-4383.41	-0.01	...	-0.01
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>26947.87</b>	<b>1966.64</b>	<b>28914.51</b>	<b>20479.49</b>	<b>1675.18</b>	<b>22154.67</b>	<b>23602.02</b>	<b>1675.18</b>	<b>25277.20</b>	<b>19519.73</b>	<b>996.88</b>	<b>20516.61</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	1339.64	...	1339.64	789.68	...	789.68	750.72	...	750.72	676.44	...	676.44
2. दूतावास एवं मिशन	3759.99	...	3759.99	3867.64	...	3867.64	3969.19	...	3969.19	4206.22	...	4206.22
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	1724.66	...	1724.66	970.65	...	970.65	1907.24	...	1907.24	1913.47	...	1913.47
4. विदेश में महिला कल्याण योजना												
4.01 वन स्टॉप सेंटर (निर्भया फंड से वित्तपोषित)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4.02 निर्भया फंड से पूरी की गई राशि	...	...	...	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	90.30	354.95	445.25	127.79	685.48	813.27	123.86	805.48	929.34	134.40	621.88	756.28
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>6914.59</b>	<b>354.95</b>	<b>7269.54</b>	<b>5755.76</b>	<b>685.48</b>	<b>6441.24</b>	<b>6751.01</b>	<b>805.48</b>	<b>7556.49</b>	<b>6930.53</b>	<b>621.88</b>	<b>7552.41</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रों को सहायता</b>												
6. भूटान	720.03	1611.99	2332.02	1078.86	989.70	2068.56	1673.78	869.70	2543.48	1775.00	375.00	2150.00
7. अफगानिस्तान	207.26	...	207.26	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
8. बांग्लादेश	157.63	...	157.63	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
9. नेपाल	657.38	...	657.38	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
10. श्रीलंका	119.37	...	119.37	245.00	...	245.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
11. मालदीव	832.83	...	832.83	400.00	...	400.00	470.00	...	470.00	600.00	...	600.00
12. म्यांमार	352.96	...	352.96	250.00	...	250.00	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00
13. मंगोलिया	3.45	...	3.45	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
14. अफ्रीकी देश	184.76	...	184.76	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	28.75	...	28.75	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
16. लैटिन अमरीकी देश	51.13	...	51.13	30.00	...	30.00	90.00	...	90.00	60.00	...	60.00
17. अन्य विकासशील देश	112.85	...	112.85	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	150.00	...	150.00
18. आपदा राहत	41.18	...	41.18	10.00	...	10.00	60.00	...	60.00	64.00	...	64.00
19. चाबहार पत्तन	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
20. मॉरीशस	358.87	...	358.87	370.00	...	370.00	576.00	...	576.00	500.00	...	500.00
21. मेशेल्स	6.18	...	6.18	40.00	...	40.00	37.00	...	37.00	19.00	...	19.00
<b>जोड़-राष्ट्रों को सहायता</b>	<b>3934.63</b>	<b>1611.99</b>	<b>5546.62</b>	<b>3893.86</b>	<b>989.70</b>	<b>4883.56</b>	<b>4936.78</b>	<b>869.70</b>	<b>5806.48</b>	<b>5108.00</b>	<b>375.00</b>	<b>5483.00</b>
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	1131.89	...	1131.89	769.00	...	769.00	1260.53	...	1260.53	1247.00	...	1247.00
23. सांस्कृतिक और विरासत परियोजना हेतु सहायता	7.98	...	7.98	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>5074.50</b>	<b>1611.99</b>	<b>6686.49</b>	<b>4677.86</b>	<b>989.70</b>	<b>5667.56</b>	<b>6212.31</b>	<b>869.70</b>	<b>7082.01</b>	<b>6375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>6750.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	298.24	...	298.24	331.25	...	331.25	331.25	...	331.25	351.25	...	351.25
25. अन्य स्वायत्त निकायों को सहायता	32.65	...	32.65	38.60	...	38.60	37.44	...	37.44	42.93	...	42.93
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>330.89</b>	<b>...</b>	<b>330.89</b>	<b>369.85</b>	<b>...</b>	<b>369.85</b>	<b>368.69</b>	<b>...</b>	<b>368.69</b>	<b>394.18</b>	<b>...</b>	<b>394.18</b>
<b>अन्य</b>												
26. विशेष राजनयिक व्यय	4738.75	...	4738.75	4659.01	...	4659.01	4900.01	...	4900.01	4900.00	...	4900.00
27. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	499.91	...	499.91	282.12	...	282.12	617.12	...	617.12	481.28	...	481.28
28. नालंदा विश्वविद्यालय	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	123.00	...	123.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	170.00	...	170.00
30. सीमाओं का सीमांकन	1.73	...	1.73	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
31. प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	14.39	...	14.39	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
32. विदेशी तीर्थयात्राओं से संबंधित व्यय	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33. विनिमय द्वारा हानि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
34. प्रशिक्षण	24.80	...	24.80	27.48	...	27.48	25.47	...	25.47	24.72	...	24.72
35. वास्तविक बसूलियां	-88.41	-0.30	-88.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण												
36.01 संदेहास्पद ऋणों के प्रति ली गई गारंटियों के लिए एक्जिम बैंक को भुगतान	...	8192.82	8192.82	...	4383.40	4383.40	...	4383.40	4383.40	...	...	...
36.02 गारंटी मोचन निधि से प्राप्त बसूलियां घटाएं	...	-8192.82	-8192.82	...	-4383.40	-4383.40	...	-4383.40	-4383.40	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. आरक्षित निधि में अंतरण - गारंटी मोचन निधि	9013.72	...	9013.72	4383.40	...	4383.40	4383.40	...	4383.40	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>14627.89</b>	<b>-0.30</b>	<b>14627.59</b>	<b>9676.02</b>	<b>...</b>	<b>9676.02</b>	<b>10270.01</b>	<b>...</b>	<b>10270.01</b>	<b>5820.02</b>	<b>...</b>	<b>5820.02</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>14958.78</b>	<b>-0.30</b>	<b>14958.48</b>	<b>10045.87</b>	<b>...</b>	<b>10045.87</b>	<b>10638.70</b>	<b>...</b>	<b>10638.70</b>	<b>6214.20</b>	<b>...</b>	<b>6214.20</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>26947.87</b>	<b>1966.64</b>	<b>28914.51</b>	<b>20479.49</b>	<b>1675.18</b>	<b>22154.67</b>	<b>23602.02</b>	<b>1675.18</b>	<b>25277.20</b>	<b>19519.73</b>	<b>996.88</b>	<b>20516.61</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1339.44	...	1339.44	789.68	...	789.68	750.72	...	750.72	676.44	...	676.44
2. विदेशी मामले	11586.41	...	11586.41	10628.54	...	10628.54	12255.58	...	12255.58	12468.27	...	12468.27
3. विविध सामान्य सेवाएं	9013.72	...	9013.72	4383.41	...	4383.41	4383.41	...	4383.41	0.02	...	0.02
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	161.40	161.40	...	324.00	324.00	...	382.49	382.49	...	275.00	275.00
5. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.79	59.79	...	89.67	89.67	...	89.50	89.50	...	99.27	99.27
6. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.72	11.72	...	21.81	21.81	...	15.09	15.09	...	17.61	17.61
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>21939.57</b>	<b>232.91</b>	<b>22172.48</b>	<b>15801.63</b>	<b>435.48</b>	<b>16237.11</b>	<b>17389.71</b>	<b>487.08</b>	<b>17876.79</b>	<b>13144.73</b>	<b>391.88</b>	<b>13536.61</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
7. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	121.74	121.74	...	250.00	250.00	...	318.40	318.40	...	230.00	230.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>121.74</b>	<b>121.74</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>318.40</b>	<b>318.40</b>	<b>...</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>अन्य</b>												
9. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	5008.30	...	5008.30	4677.86	...	4677.86	6212.31	...	6212.31	6375.00	...	6375.00
10. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	1611.99	1611.99	...	989.70	989.70	...	869.70	869.70	...	375.00	375.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>5008.30</b>	<b>1611.99</b>	<b>6620.29</b>	<b>4677.86</b>	<b>989.70</b>	<b>5667.56</b>	<b>6212.31</b>	<b>869.70</b>	<b>7082.01</b>	<b>6375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>6750.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>26947.87</b>	<b>1966.64</b>	<b>28914.51</b>	<b>20479.49</b>	<b>1675.18</b>	<b>22154.67</b>	<b>23602.02</b>	<b>1675.18</b>	<b>25277.20</b>	<b>19519.73</b>	<b>996.88</b>	<b>20516.61</b>

1. **सचिवालय:** इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय का प्रावधान है।

2. **दूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों, पदों पर भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटों का पट्टा (लीज), पासपोर्ट प्रिंटों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्प्रवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिला कल्याण योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने, युद्ध/सिविल उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्च स्तरीय दोरों, लोक निर्माण कार्य एवं आवासन के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुआयामी एवं द्विपक्षीय सहायता और सहायता कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमरीकी देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं भारत प्रवास केंद्र के लिए वेतन अनुदान मांगों और सामान्य अनुदान मांगों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-34. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इसमें प्रवासी भारतीय दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र- यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था है।

36. **सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण:** यह एक्जिम बैंक को अन्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए है, जो भारत सरकार की गारंटियों को लागू करने के प्रति प्रदान की गई तिथियों के लिए है, जिन्हें संदिग्ध माना जाता है। इसे गारंटी मोचन निधि से पूरा किया जाता है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 30  
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	13006.83	14560.74	27567.57	14715.53	69915.28	84630.81	45819.72	16942.21	62761.93	2987.75	110884.50	113872.25
<b>वसूलियां</b>	-0.19	-1962.36	-1962.55	...	-2568.00	-2568.00	...	-2931.50	-2931.50	...	-3120.85	-3120.85
<b>प्राप्तियां</b>	-691.45	-7040.98	-7732.43	-639.89	-1150.01	-1789.90	-639.89	-1282.73	-1922.62	-587.51	-61150.02	-61737.53
<b>निवल</b>	<b>12315.19</b>	<b>5557.40</b>	<b>17872.59</b>	<b>14075.64</b>	<b>66197.27</b>	<b>80272.91</b>	<b>45179.83</b>	<b>12727.98</b>	<b>57907.81</b>	<b>2400.24</b>	<b>46613.63</b>	<b>49013.87</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 आर्थिक कार्य विभाग	241.09	11.97	253.06	222.66	15.48	238.14	204.23	10.64	214.87	210.06	13.57	223.63
2. संबद्ध कार्यालय												
2.01 दूतावास, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	19.19	...	19.19	19.70	0.60	20.30	22.77	0.84	23.61	25.81	0.34	26.15
2.02 वायदा बाजार आयोग	0.13	...	0.13	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24
2.03 सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण	14.26	...	14.26	16.87	1.00	17.87	17.55	1.35	18.90	13.99	0.50	14.49
2.04 सोलहवां वित्त आयोग	1.43	0.96	2.39	35.35	1.70	37.05	35.97	1.89	37.86	31.26	1.01	32.27
जोड़- संबद्ध कार्यालय	35.01	0.96	35.97	72.16	3.30	75.46	76.53	4.08	80.61	71.30	1.85	73.15
3. वास्तविक वसूलियां	-0.19	...	-0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>275.91</b>	<b>12.93</b>	<b>288.84</b>	<b>294.82</b>	<b>18.78</b>	<b>313.60</b>	<b>280.76</b>	<b>14.72</b>	<b>295.48</b>	<b>281.36</b>	<b>15.42</b>	<b>296.78</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ)												
4.01 सकल बजटीय सहायता	1.02	2858.10	2859.12	1.05	1500.00	1501.05	1.11	1500.00	1501.11	1.12	3000.00	3001.12
5. व्यवहार्यता अंतर निधियन	410.00	...	410.00	490.00	10.00	500.00	1686.44	13.89	1700.33	490.00	0.01	490.01
<b>ब्याज समकरण सहायता</b>												
6. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली	2350.00	...	2350.00	3849.00	...	3849.00	3849.00	...	3849.00	27.10	...	27.10
7. भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	0.91	...	0.91	25.00	...	25.00	17.00	...	17.00	25.00	...	25.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2761.93</b>	<b>2858.10</b>	<b>5620.03</b>	<b>4365.05</b>	<b>1510.00</b>	<b>5875.05</b>	<b>5553.55</b>	<b>1513.89</b>	<b>7067.44</b>	<b>543.22</b>	<b>3000.01</b>	<b>3543.23</b>



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
<b>अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>												
8. आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान	...	...	...	0.29	...	0.29	0.58	...	0.58	0.30	...	0.30
9. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	124.32	...	124.32	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20
10. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	100.61	...	100.61	126.48	...	126.48	128.64	...	128.64	108.83	...	108.83
11. एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान												
11.01 सकल बजटीय सहायता	4.79	...	4.79	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
11.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-4.79	...	-4.79	-4.84	...	-4.84	-4.84	...	-4.84	-4.84	...	-4.84
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. आईडीए को अंशदान												
12.01 सकल बजटीय सहायता	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67
12.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई)	16.59	...	16.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	77.32	...	77.32	81.31	...	81.31	80.67	...	80.67	85.66	...	85.66
15. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
15.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	89.15	...	89.15	...	...	...
<b>जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>	<b>407.99</b>	<b>...</b>	<b>407.99</b>	<b>436.43</b>	<b>...</b>	<b>436.43</b>	<b>438.24</b>	<b>...</b>	<b>438.24</b>	<b>333.99</b>	<b>...</b>	<b>333.99</b>
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान-14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	121.00	...	121.00
<b>अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>												
17. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
17.01 सकल बजटीय सहायता	103.99	...	103.99	52.38	...	52.38	52.38	...	52.38	...	...	...
17.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-103.99	...	-103.99	-52.38	...	-52.38	-52.38	...	-52.38	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. एसएआरटीटीएसी को अंशदान	100.00	...	100.00	112.50	...	112.50	107.84	...	107.84	217.50	...	217.50
19. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20. क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान</b>	<b>100.00</b>	<b>...</b>	<b>100.00</b>	<b>112.53</b>	<b>...</b>	<b>112.53</b>	<b>107.87</b>	<b>...</b>	<b>107.87</b>	<b>217.53</b>	<b>...</b>	<b>217.53</b>
22. उधार के लिए नई व्यवस्था												
22.01 सकल बजट	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
22.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
23. मुद्रा, सिक्का और टकसाल												
23.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	337.95	337.95	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00
23.02 वसूलियां घटाएं	...	-337.95	-337.95	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. आरक्षित निधि												
24.01 गारंटी मोचन निधि	...	...	...	...	...	...	10000.00	...	10000.00	0.01	...	0.01
24.02 गोल्ड आरक्षित फंड	3552.80	...	3552.80	8551.00	...	8551.00	28605.73	...	28605.73	697.19	...	697.19
24.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	5000.00	...	5000.00	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<i>जोड़- आरक्षित निधि</i>	<i>8552.80</i>	...	<i>8552.80</i>	<i>8551.00</i>	...	<i>8551.00</i>	<i>38605.74</i>	...	<i>38605.74</i>	<i>697.21</i>	...	<i>697.21</i>
25. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
25.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठक हेतु व्यय (त्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन इंटरस एलायंस/मया विकास बैंक/ एससीओ ) और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	20.00	...	20.00	24.03	...	24.03	24.03	...	24.03	24.03	...	24.03
26. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
26.01 आईएफआई में निवेश	...	7309.77	7309.77	...	1406.51	1406.51	...	1539.22	1539.22	...	61291.71	61291.71
26.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	-6922.15	-6922.15	...	-1000.00	-1000.00	...	-1132.72	-1132.72	...	-61000.01	-61000.01
26.03 घटाइए- वसूलियां घटाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	<i>387.62</i>	<i>387.62</i>	...	<i>406.51</i>	<i>406.51</i>	...	<i>406.50</i>	<i>406.50</i>	...	<i>291.70</i>	<i>291.70</i>
27. अन्य व्यय												
27.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान।	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
27.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
27.03 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	79.22	...	79.22	178.71	...	178.71	75.00	...	75.00	83.52	...	83.52
27.04 नई योजनाएं	...	...	...	...	62592.88	62592.88	...	9068.29	9068.29	0.01	41700.00	41700.01
27.05 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	43.66	...	43.66	46.00	...	46.00	36.07	...	36.07	39.67	...	39.67
<i>जोड़- अन्य व्यय</i>	<i>122.95</i>	...	<i>122.95</i>	<i>224.78</i>	<i>62592.88</i>	<i>62817.66</i>	<i>111.14</i>	<i>9068.29</i>	<i>9179.43</i>	<i>123.27</i>	<i>41700.00</i>	<i>41823.27</i>
28. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण	7.34	...	7.34	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
29. सरकारी कर्मचारी को ऋण												
29.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	132.97	132.97	...	165.00	165.00	...	165.00	165.00	...	170.00	170.00
29.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	...	...	...	0.24	0.24	...	0.24	0.24	...	0.14	0.14
29.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	45.17	45.17	...	59.76	59.76	...	59.76	59.76	...	54.86	54.86
29.04 घटाएं प्राप्ति	...	-118.83	-118.83	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00
<i>निवल</i>	...	<i>59.31</i>	<i>59.31</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>	...	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30. लघु बचत योजनाएं	6.27	...	6.27	7.00	0.04	7.04	6.50	0.02	6.52	6.63	0.04	6.67
31. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
32. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना												
32.01 स्वर्ण जमा	...	1896.79	1896.79	...	1530.00	1530.00	...	1893.50	1893.50	...	2082.85	2082.85
32.02 वसूलियां घटाएं	...	-1624.41	-1624.41	...	-1530.00	-1530.00	...	-1893.50	-1893.50	...	-2082.85	-2082.85
<i>निवल</i>	...	272.38	272.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	34.46	34.46	...	35.95	35.95	...	31.45	31.45	...	31.45	31.45
34. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	55.47	55.47	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10	...	...	...
35. मध्यम आय समूह के लिए किरायायती आवासन	...	1877.13	1877.13	...	1000.00	1000.00	...	1560.00	1560.00	...	1500.00	1500.00
36. एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन	...	...	...	...	500.00	500.00	...	...	...	...	...	...
37. कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>9277.35</b>	<b>2686.37</b>	<b>11963.72</b>	<b>9415.77</b>	<b>64668.49</b>	<b>74084.26</b>	<b>39345.52</b>	<b>11199.37</b>	<b>50544.89</b>	<b>1575.66</b>	<b>43598.20</b>	<b>45173.86</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>9277.35</b>	<b>2686.37</b>	<b>11963.72</b>	<b>9415.77</b>	<b>64668.49</b>	<b>74084.26</b>	<b>39345.52</b>	<b>11199.37</b>	<b>50544.89</b>	<b>1575.66</b>	<b>43598.20</b>	<b>45173.86</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12315.19</b>	<b>5557.40</b>	<b>17872.59</b>	<b>14075.64</b>	<b>66197.27</b>	<b>80272.91</b>	<b>45179.83</b>	<b>12727.98</b>	<b>57907.81</b>	<b>2400.24</b>	<b>46613.63</b>	<b>49013.87</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	6.22	...	6.22	7.29	...	7.29	7.08	...	7.08	6.93	...	6.93
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	240.98	...	240.98	222.66	...	222.66	204.23	...	204.23	210.06	...	210.06
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	15.67	...	15.67	52.22	...	52.22	53.52	...	53.52	45.25	...	45.25
4. विविध सामान्य सेवाएं	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	10000.04	...	10000.04	0.05	...	0.05
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	...	272.38	272.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.04	0.04	...	0.02	0.02	...	0.04	0.04
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.93	12.93	...	18.78	18.78	...	14.72	14.72	...	15.42	15.42
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>262.90</b>	<b>285.31</b>	<b>548.21</b>	<b>282.21</b>	<b>18.82</b>	<b>301.03</b>	<b>10264.87</b>	<b>14.74</b>	<b>10279.61</b>	<b>262.29</b>	<b>15.46</b>	<b>277.75</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
9. अन्य सामाजिक सेवाएं	5000.00	...	5000.00	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>5000.04</b>	...	<b>5000.04</b>	<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
11. कृषि वित्तीय संस्थान	124.32	...	124.32	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20	139.20	...	139.20
12. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	61.02	...	61.02	51.05	...	51.05	51.11	...	51.11	51.12	...	51.12
13. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	205.74	...	205.74	201.68	...	201.68	197.02	...	197.02	338.53	...	338.53

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4213.85	...	4213.85	9447.13	...	9447.13	30573.89	...	30573.89	1472.27	...	1472.27
15. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	4735.23	4735.23	...	3000.00	3000.00	...	3060.00	3060.00	...	4500.00	4500.00
16. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	387.62	387.62	...	406.51	406.51	...	406.50	406.50	...	291.70	291.70
17. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	62602.88	62602.88	...	9082.18	9082.18	...	41700.01	41700.01
18. कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण	...	55.47	55.47	...	58.10	58.10	...	58.10	58.10	...	...	...
19. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	34.46	34.46	...	35.95	35.95	...	31.45	31.45	...	31.45	31.45
20. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>4604.93</b>	<b>5212.78</b>	<b>9817.71</b>	<b>9839.06</b>	<b>66103.44</b>	<b>75942.50</b>	<b>30961.22</b>	<b>12638.23</b>	<b>43599.45</b>	<b>2001.12</b>	<b>46523.16</b>	<b>48524.28</b>
<b>अन्य</b>												
21. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2447.32	...	2447.32	3954.34	...	3954.34	3953.70	...	3953.70	136.79	...	136.79
22. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	59.31	59.31	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2447.32</b>	<b>59.31</b>	<b>2506.63</b>	<b>3954.34</b>	<b>75.00</b>	<b>4029.34</b>	<b>3953.70</b>	<b>75.00</b>	<b>4028.70</b>	<b>136.79</b>	<b>75.00</b>	<b>211.79</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12315.19</b>	<b>5557.40</b>	<b>17872.59</b>	<b>14075.64</b>	<b>66197.27</b>	<b>80272.91</b>	<b>45179.83</b>	<b>12727.98</b>	<b>57907.81</b>	<b>2400.24</b>	<b>46613.63</b>	<b>49013.87</b>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0	2858.10	...	2858.10	2000.00	...	2000.00	1500.00	...	1500.00	3000.00	...	3000.00
2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण की अदायगी	34.46	...	34.46	35.95	...	35.95	31.45	...	31.45	31.45	...	31.45
3. एसडब्ल्यूएएमआईएच	1877.13	...	1877.13	1000.00	...	1000.00	1560.00	...	1560.00	1500.00	...	1500.00
<b>जोड़</b>	<b>4769.69</b>	<b>...</b>	<b>4769.69</b>	<b>3035.95</b>	<b>...</b>	<b>3035.95</b>	<b>3091.45</b>	<b>...</b>	<b>3091.45</b>	<b>4531.45</b>	<b>...</b>	<b>4531.45</b>

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) एवं सोलहवें वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अन्तरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।

5. **व्यवहार्यता अंतर निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली:** यह प्रावधान रियायती वित्तपोषण, एक्जिम बैंक को पुराने व्याज अतिदियों इत्यादि सहित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्थाओं के लिए व्याज समकरण सहायता के लिए है।
7. **भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ):** यह प्रावधान भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) के संबंध में बजटीय सहायता के लिए है।
8. **आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान के लिए है।
9. **अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
10. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है, जिसमें तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोषीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास (आईसीडी) नेटवर्क संगठनों को अंशदान, जीएफएटीएम और जीएवीआई के अंतर्गत अंशदान शामिल है।
11. **एफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि (एफडीएफ) की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
12. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
13. **अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा में अंशदान (एडीएफआई):** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि के अफ्रीका डिजिटल वित्तीय समावेशन सुविधा (एडीएफआई) के मद में योगदान के लिए था।
14. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान):** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-13:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-13 में अंशदान करने के लिए था।
16. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-14:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-14 की पुनःपूर्ति में भारत के योगदान को प्रदान करने के लिए है जिसका भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की चार किस्तों में किया जाएगा।
17. **एफडीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीका विकास निधि (एफडीएफ-16) के मद में योगदान के लिए है।
18. **एसएआरटीडीएसी को अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीडीएसी) के लिए है।
19. **एसईईटीएफ के लिए अंशदान:** यह प्रावधान साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईईटीएफ) में योगदान के लिए है।
20. **क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान:** क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) में भारत के योगदान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
21. **महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि):** यह प्रावधान विश्व बैंक के महामारी रोकथाम तैयारी और रिस्पांस (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि ) के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि में योगदान करने के लिए है।
22. **उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार हेतु नई व्यवस्था (एनएवी) में निवेश के लिए नोट खरीद करार (एनपीए) को आगे बढ़ाने के लिए है।
23. **मुद्रा, सिक्का और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड(एसपीएमसी आईएल ) से सिक्कों की खरीद के लिए है।
24. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, साँवरेन स्वर्ण बांड स्कीम , स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में अंतरण के लिए है।
25. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक (त्रिक्स / सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स अलायंस) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।
26. **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईवीआरडी), यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (ईवीआरडी), अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीवी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान और भारत के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्य अनुसंधान (एमओवी) दायित्व के लिए निवेश हेतु प्रावधान शामिल है।
27. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान कालातीत मामलों में केंद्रीय प्रतिभूति पर व्याज भुगतान और सरकारी खातों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत स्कीमों के भुगतान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि के अंतर्गत अन्य व्यय और स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए किया जाता है। नई घोषणाओं के लिए सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।
28. **केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण:** यह प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए है।
29. **सरकारी कर्मचारी को ऋण:** यह एक सम्मिश्रित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है। जिन प्रयोजनों के लिए सव्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है, उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटर्स आदि की खरीद शामिल है।

30. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।
31. **आवासन पर पूंजीगत परिव्यय:** यह सांकेतिक प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए रखा गया है।
32. **स्वर्ण मुद्राकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।
33. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (आईएल एण्ड एफएस) द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।
34. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) को रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल) के भुगतान के लिए रखा गया है।
35. **मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन:** यह प्रावधान मध्यम-आय समूह के लिए किफायती आवास निर्माण हेतु विशेष बिंडो के लिए है।
36. **एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन:** यह प्रावधान एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्तपोषण प्लेटफॉर्म में पूंजी समावेशन हेतु है जिसमें असीम अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एआईएफएल) और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल) शामिल हैं।
37. **कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना:** यह प्रावधान कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना(जीएससीडी) के लिए है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 31  
व्यय विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	380.68	48.56	429.24	412.68	91.46	504.14	477.38	53.55	530.93	540.52	63.31	603.83
वसूलियां	-0.29	...	-0.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>380.39</b>	<b>48.56</b>	<b>428.95</b>	<b>412.68</b>	<b>91.46</b>	<b>504.14</b>	<b>477.38</b>	<b>53.55</b>	<b>530.93</b>	<b>540.52</b>	<b>63.31</b>	<b>603.83</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएँ	328.57	48.16	376.73	353.94	90.65	444.59	420.12	52.15	472.27	496.27	62.37	558.64
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	7.59	0.40	7.99	12.14	0.81	12.95	11.76	1.40	13.16	12.86	0.94	13.80
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्क्रोरीटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) प्रभार	30.04	...	30.04	31.50	...	31.50	33.00	...	33.00	...	...	...
4. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.20	...	20.20
5. वास्तविक वसूलियां	-0.29	...	-0.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>365.91</b>	<b>48.56</b>	<b>414.47</b>	<b>397.58</b>	<b>91.46</b>	<b>489.04</b>	<b>464.88</b>	<b>53.55</b>	<b>518.43</b>	<b>529.33</b>	<b>63.31</b>	<b>592.64</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
6. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	14.48	...	14.48	15.10	...	15.10	12.50	...	12.50	11.19	...	11.19
<b>कुल जोड़</b>	<b>380.39</b>	<b>48.56</b>	<b>428.95</b>	<b>412.68</b>	<b>91.46</b>	<b>504.14</b>	<b>477.38</b>	<b>53.55</b>	<b>530.93</b>	<b>540.52</b>	<b>63.31</b>	<b>603.83</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	328.36	...	328.36	353.94	...	353.94	420.12	...	420.12	496.27	...	496.27
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	52.03	...	52.03	58.74	...	58.74	57.26	...	57.26	44.25	...	44.25
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	48.56	48.56	...	91.46	91.46	...	53.55	53.55	...	63.31	63.31
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>380.39</b>	<b>48.56</b>	<b>428.95</b>	<b>412.68</b>	<b>91.46</b>	<b>504.14</b>	<b>477.38</b>	<b>53.55</b>	<b>530.93</b>	<b>540.52</b>	<b>63.31</b>	<b>603.83</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	380.39	48.56	428.95	412.68	91.46	504.14	477.38	53.55	530.93	540.52	63.31	603.83

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान लेखा महानियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के लिए नये आवास हेतु लोक निर्माण कार्य के लिए है।

2. **शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।

4. **8वां केंद्रीय वेतन आयोग:** यह प्रावधान आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के व्यय के लिए है।

6. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए प्रभारित शुल्क की प्रतिपूर्ति और वेतन व्यय के अनुदान के लिए है।



वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 32  
वित्तीय सेवाएं विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	3969.15	8588.42	12557.57	2783.21	322.97	3106.18	3376.66	809.18	4185.84	1620.01	68.14	1688.15
<b>वसूलियां</b>	-19.69	-1100.00	-1119.69	...	-261.02	-261.02	...	-261.00	-261.00	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	-6973.25	-6973.25	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	-0.01	-0.01
<b>निवल</b>	<b>3949.46</b>	<b>515.17</b>	<b>4464.63</b>	<b>2783.21</b>	<b>61.94</b>	<b>2845.15</b>	<b>3376.66</b>	<b>548.18</b>	<b>3924.84</b>	<b>1620.01</b>	<b>68.13</b>	<b>1688.14</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	65.08	5.61	70.69	76.51	5.80	82.31	73.92	7.10	81.02	82.06	10.73	92.79
	-0.11	...	-0.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>64.97</b>	<b>5.61</b>	<b>70.58</b>	<b>76.51</b>	<b>5.80</b>	<b>82.31</b>	<b>73.92</b>	<b>7.10</b>	<b>81.02</b>	<b>82.06</b>	<b>10.73</b>	<b>92.79</b>
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	5.49	0.03	5.52	4.25	0.06	4.31	7.39	0.06	7.45	4.61	0.06	4.67
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	5.55	0.01	5.56	7.29	0.06	7.35	5.93	0.06	5.99	6.85	0.05	6.90
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	162.47	9.52	171.99	174.46	5.96	180.42	179.42	40.95	220.37	198.43	57.23	255.66
	-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>162.39</b>	<b>9.52</b>	<b>171.91</b>	<b>174.46</b>	<b>5.96</b>	<b>180.42</b>	<b>179.42</b>	<b>40.95</b>	<b>220.37</b>	<b>198.43</b>	<b>57.23</b>	<b>255.66</b>
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
<b>जोड़- निदेशन और प्रशासन</b>	<b>173.45</b>	<b>9.56</b>	<b>183.01</b>	<b>186.03</b>	<b>6.08</b>	<b>192.11</b>	<b>192.77</b>	<b>41.07</b>	<b>233.84</b>	<b>209.92</b>	<b>57.34</b>	<b>267.26</b>
3. वास्तविक वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>238.42</b>	<b>15.17</b>	<b>253.59</b>	<b>262.54</b>	<b>11.88</b>	<b>274.42</b>	<b>266.69</b>	<b>48.17</b>	<b>314.86</b>	<b>291.98</b>	<b>68.07</b>	<b>360.05</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण</b>												
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
5.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5.02 पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए पूरी की गई राशि घटाएं	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	-0.01	-0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण</b>	...	...	...	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	...	...	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>												
6. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान												
6.02 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण												
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.02 सकल बजटीय सहायता	...	1100.00	1100.00	...	261.00	261.00	...	261.00	261.00	...	0.01	0.01
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त की गई राशि	...	-1100.00	-1100.00	...	-261.00	-261.00	...	-261.00	-261.00	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	<i>0.01</i>	<i>0.01</i>
8. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इकटिरी सहायता	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01
9. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.80	...	0.80
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>	<b>0.83</b>	<b>500.00</b>	<b>500.83</b>	<b>0.83</b>	<b>0.02</b>	<b>0.85</b>	<b>0.83</b>	<b>500.00</b>	<b>500.83</b>	<b>0.80</b>	<b>0.03</b>	<b>0.83</b>
<b>सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>												
10. अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान	481.00	...	481.00	521.00	...	521.00	500.75	...	500.75	308.00	...	308.00
11. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सन्निधि	134.96	...	134.96	134.96	...	134.96	101.15	...	101.15	159.20	...	159.20
	-19.50	...	-19.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>115.46</i>	...	<i>115.46</i>	<i>134.96</i>	...	<i>134.96</i>	<i>101.15</i>	...	<i>101.15</i>	<i>159.20</i>	...	<i>159.20</i>
12. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
13. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)	422.78	...	422.78	422.78	...	422.78	507.22	...	507.22	423.01	...	423.01
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>	<b>1019.24</b>	...	<b>1019.24</b>	<b>1078.74</b>	<b>0.01</b>	<b>1078.75</b>	<b>1109.12</b>	...	<b>1109.12</b>	<b>890.21</b>	<b>0.01</b>	<b>890.22</b>
<b>क्रेडिट गारंटी निधियां</b>												
14. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा की गई अन्य पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	...	...	...	...	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां</b>	...	...	...	<b>0.02</b>	<b>50.00</b>	<b>50.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>
17. रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन योजना	2484.97	...	2484.97	1441.00	...	1441.00	2000.00	...	2000.00	437.00	...	437.00
<b>एक्जिज्म बैंक</b>												
18. भारतीय आयात-निर्यात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
19. बीमा कंपनियों का पुनर्पूँजीकरण												
19.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19.02 सकल बजटीय सहायता	...	6973.25	6973.25	...	0.02	0.02	...	...	...	...	...	...
19.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	6973.25	6973.25	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>20. बोनस शेयर का निर्गम</b>												
20.01 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.02 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईएसीएल)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.03 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.04 ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. (ओआईसीएल)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.05 समतुल्य अनुमानित प्राप्ति	...	-6973.25	-6973.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	-6973.25	-6973.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>												
21. बाह्य सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
22. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
23. आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सस्मिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
24. दबावग्रस्त अस्तित्व स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
24.01 सकल बजटीय सहायता	206.00	...	206.00	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>	<b>206.00</b>	...	<b>206.00</b>	<b>0.04</b>	...	<b>0.04</b>	...	...	...	...	...	...
<b>सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>												
25. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>क्रेडिट गारंटी निधियां</b>												
26. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
27. स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा की गई अन्य पहल के संबंध में प्रचार और जागरूकता पैदा करना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां</b>	...	...	...	<b>0.02</b>	...	<b>0.02</b>	...	...	...	...	...	...
28. आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी लागू करने पर दावों को पूरा करने के लिए ऋण												
28.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
28.02 घटाएं: गारंटी मोचन निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29. शिशु ऋण की तुरंत अदायगी (सस्मिडी) हेतु 2 प्रतिशत की व्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सस्मिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3711.04</b>	<b>500.00</b>	<b>4211.04</b>	<b>2520.67</b>	<b>50.06</b>	<b>2570.73</b>	<b>3109.97</b>	<b>500.01</b>	<b>3609.98</b>	<b>1328.03</b>	<b>0.06</b>	<b>1328.09</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>3949.46</b>	<b>515.17</b>	<b>4464.63</b>	<b>2783.21</b>	<b>61.94</b>	<b>2845.15</b>	<b>3376.66</b>	<b>548.18</b>	<b>3924.84</b>	<b>1620.01</b>	<b>68.13</b>	<b>1688.14</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	11.04	...	11.04	11.54	...	11.54	13.32	...	13.32	11.46	...	11.46
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	64.97	...	64.97	76.51	...	76.51	73.92	...	73.92	82.06	...	82.06
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	162.39	...	162.39	174.46	...	174.46	179.42	...	179.42	198.43	...	198.43
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.13	15.13	...	11.76	11.76	...	48.05	48.05	...	67.96	67.96
5. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.04	0.04	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12	...	0.11	0.11
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>238.40</b>	<b>15.17</b>	<b>253.57</b>	<b>262.51</b>	<b>11.88</b>	<b>274.39</b>	<b>266.66</b>	<b>48.17</b>	<b>314.83</b>	<b>291.95</b>	<b>68.07</b>	<b>360.02</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
6. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1019.24	...	1019.24	1078.75	...	1078.75	1109.12	...	1109.12	890.21	...	890.21
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1019.24</b>	<b>...</b>	<b>1019.24</b>	<b>1078.75</b>	<b>...</b>	<b>1078.75</b>	<b>1109.12</b>	<b>...</b>	<b>1109.12</b>	<b>890.21</b>	<b>...</b>	<b>890.21</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
7. कृषि वित्तीय संस्थान	0.83	...	0.83	0.84	...	0.84	0.83	...	0.83	0.80	...	0.80
8. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	206.00	...	206.00	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
9. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	2484.97	...	2484.97	1441.04	...	1441.04	2000.02	...	2000.02	437.02	...	437.02
10. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
11. कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.02	0.02
12. अन्य उद्योग और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	...	500.00	500.00	...	0.02	0.02	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	...	...	...	0.02	0.02	...	...	...	...	0.01	0.01
14. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	...	...	...	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
15. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2691.82</b>	<b>500.00</b>	<b>3191.82</b>	<b>1441.95</b>	<b>50.06</b>	<b>1492.01</b>	<b>2000.88</b>	<b>500.01</b>	<b>2500.89</b>	<b>437.85</b>	<b>0.06</b>	<b>437.91</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3949.46</b>	<b>515.17</b>	<b>4464.63</b>	<b>2783.21</b>	<b>61.94</b>	<b>2845.15</b>	<b>3376.66</b>	<b>548.18</b>	<b>3924.84</b>	<b>1620.01</b>	<b>68.13</b>	<b>1688.14</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	0.01			
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	1100.00	...	1100.00	261.00	...	261.00	261.00	...	261.00	0.01	...	0.01	...	...	0.01			

	बजट			बजट			बजट			बजट		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
3. भारतीय निर्यात आयात बैंक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	0.02	...	0.02
5. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01
6. बीमा कम्पनियों का पुनः पूँजीकरण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>1600.00</b>	<b>...</b>	<b>1600.00</b>	<b>261.06</b>	<b>...</b>	<b>261.06</b>	<b>761.00</b>	<b>...</b>	<b>761.00</b>	<b>0.05</b>	<b>...</b>	<b>0.05</b>

(₹ करोड़)

- सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- निवेशन और प्रशासन:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन से संबंधित अपराधों के मुकदमें) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय, कस्टोडियन कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण:** हाल के निष्पादन के आधार पर समीक्षा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आगे पूँजी को शामिल करने के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- 5.01. सकल बजटीय सहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पुनर्पूँजीकरण (बॉन्ड के माध्यम से) के लिये है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूँजी में अभिदान हेतु है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए है।
- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को व्यापार कार्यक्रम और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इक्विटी सहायता के लिए है।
- इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस कोआपरेशन VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।
- अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार के सह-अंशदान, एग्रीगेटर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत संवर्धन अभियान के लिए है।

- वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।
- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस):** यह सांकेतिक प्रावधान कोविड प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएस) के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
- प्रधान मंत्री वय बंदन योजना (पीएमवीवीवाई):** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है, ताकि 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के वयोवृद्ध व्यक्तियों को बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण भविष्य में उनकी ब्याज की आय में होने वाली गिरावट से उन्हें संरक्षण देने हेतु, साथ ही प्रधान मंत्री वय बंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा की गई अन्य पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना:** यह प्रावधान मुद्रा लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई):** यह प्रावधान सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु किया गया है।
- रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन योजना:** यह प्रावधान अधिग्रहणकर्ता बैंक को प्रोत्साहन भुगतान करने के लिए है जिसे वे जारीकर्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) और तृतीय पक्ष एप प्रदाता (टीआरएपी) के साथ साझा करते हैं।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 33  
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	28.08	2.57	30.65	25.91	0.69	26.60	26.08	0.64	26.72	28.60	0.57	29.17
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	28.08	2.57	30.65	25.91	0.69	26.60	26.08	0.64	26.72	28.60	0.57	29.17
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	21.52	2.57	24.09	17.53	0.69	18.22	19.61	0.64	20.25	22.11	0.57	22.68
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
2. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना	0.04	...	0.04	2.00	...	2.00	1.21	...	1.21	1.21	...	1.21
3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	6.52	...	6.52	6.38	...	6.38	5.26	...	5.26	5.28	...	5.28
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>6.56</b>	<b>...</b>	<b>6.56</b>	<b>8.38</b>	<b>...</b>	<b>8.38</b>	<b>6.47</b>	<b>...</b>	<b>6.47</b>	<b>6.49</b>	<b>...</b>	<b>6.49</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>28.08</b>	<b>2.57</b>	<b>30.65</b>	<b>25.91</b>	<b>0.69</b>	<b>26.60</b>	<b>26.08</b>	<b>0.64</b>	<b>26.72</b>	<b>28.60</b>	<b>0.57</b>	<b>29.17</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	6.56	...	6.56	7.54	...	7.54	5.86	...	5.86	5.65	...	5.65
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	21.52	...	21.52	17.53	...	17.53	19.61	...	19.61	22.11	...	22.11
3. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.57	2.57	...	0.69	0.69	...	0.64	0.64	...	0.57	0.57
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>28.08</b>	<b>2.57</b>	<b>30.65</b>	<b>25.07</b>	<b>0.69</b>	<b>25.76</b>	<b>25.47</b>	<b>0.64</b>	<b>26.11</b>	<b>27.76</b>	<b>0.57</b>	<b>28.33</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.84	...	0.84	0.61	...	0.61	0.84	...	0.84
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.84</b>	<b>...</b>	<b>0.84</b>	<b>0.61</b>	<b>...</b>	<b>0.61</b>	<b>0.84</b>	<b>...</b>	<b>0.84</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	28.08	2.57	30.65	25.91	0.69	26.60	26.08	0.64	26.72	28.60	0.57	29.17

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) विभाग के सचिवालय, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पीएसई के गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु खोज समिति के लिए व्यय हेतु निधियों का प्रावधान करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण और साथ ही साथ विकास, सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण और कार्यालय परिसरों के आधुनिकीकरण शामिल है, के लिए निधियों का प्रावधान करता है। (ii) विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी), एक कंपनी, जिसे गैर कोर अस्तियों, जिसमें मुख्यतया सरकार के मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अधिशेष भूमि शामिल है, को मुद्रिकृत करने के लिए स्थापित किया गया है, में इक्विटी निवेश के लिए प्रावधान करता है।

2. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों और वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को सहायता अनुदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है। इस योजना की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी निधि का उपयोग किया जाता है। परामर्शदाताओं के भुगतान सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए हैं।

3. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श:** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने के लिए किया जाता है, (ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारियों और कर्मचारियों तथा डीपीई अधिकारियों के प्रशिक्षण को कार्यकारियों तथा कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है, (v) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अनुदान का भुगतान करना, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) सीपीएसई/एसएलपीई के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	52.30	1.23	53.53	48.27	1.47	49.74	68.96	1.52	70.48	55.43	1.70	57.13
वसूलियां	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>52.27</b>	<b>1.23</b>	<b>53.50</b>	<b>48.27</b>	<b>1.47</b>	<b>49.74</b>	<b>68.96</b>	<b>1.52</b>	<b>70.48</b>	<b>55.43</b>	<b>1.70</b>	<b>57.13</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	52.30	1.23	53.53	48.27	1.47	49.74	68.96	1.52	70.48	55.43	1.70	57.13
	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>52.27</i>	<i>1.23</i>	<i>53.50</i>	<i>48.27</i>	<i>1.47</i>	<i>49.74</i>	<i>68.96</i>	<i>1.52</i>	<i>70.48</i>	<i>55.43</i>	<i>1.70</i>	<i>57.13</i>
<b>कुल जोड़</b>	<b>52.27</b>	<b>1.23</b>	<b>53.50</b>	<b>48.27</b>	<b>1.47</b>	<b>49.74</b>	<b>68.96</b>	<b>1.52</b>	<b>70.48</b>	<b>55.43</b>	<b>1.70</b>	<b>57.13</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	52.27	...	52.27	48.27	...	48.27	68.96	...	68.96	55.43	...	55.43
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.23	1.23	...	1.47	1.47	...	1.52	1.52	...	1.70	1.70
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>52.27</b>	<b>1.23</b>	<b>53.50</b>	<b>48.27</b>	<b>1.47</b>	<b>49.74</b>	<b>68.96</b>	<b>1.52</b>	<b>70.48</b>	<b>55.43</b>	<b>1.70</b>	<b>57.13</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>52.27</b>	<b>1.23</b>	<b>53.50</b>	<b>48.27</b>	<b>1.47</b>	<b>49.74</b>	<b>68.96</b>	<b>1.52</b>	<b>70.48</b>	<b>55.43</b>	<b>1.70</b>	<b>57.13</b>

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। डीआईपीएम को प्रशासनिक मंत्रालयों/नीति आयोग की अनुशंसा पर निर्णयों, पूंजी अवसंरचनाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति मामले, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्रिटी के विनिवेश सहित इक्रिटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त है।



वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 35  
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	190017.08	260.39	190277.47	165054.05	531.96	165586.01	162602.37	475.74	163078.11	133271.01	609.24	133880.25
<i>वसूलियां</i>	-43184.84	-0.44	-43185.28	-13158.22	...	-13158.22	-7147.65	...	-7147.65	-709.09	...	-709.09
<i>प्राप्तियां</i>	-226.05	...	-226.05	-334.00	...	-334.00	-287.58	...	-287.58	-326.80	...	-326.80
<b>निवल</b>	<b>146606.19</b>	<b>259.95</b>	<b>146866.14</b>	<b>151561.83</b>	<b>531.96</b>	<b>152093.79</b>	<b>155167.14</b>	<b>475.74</b>	<b>155642.88</b>	<b>132235.12</b>	<b>609.24</b>	<b>132844.36</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	324.27	47.52	371.79	349.38	55.71	405.09	371.22	120.66	491.88	382.45	81.02	463.47
2. मूल्य वृद्धित कर (वैट) स्कीम का कार्यान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
3. प्रवर्तन निदेशालय	502.12	...	502.12	470.00	...	470.00	519.93	...	519.93	550.75	...	550.75
4. स्वापक नियंत्रण	54.88	...	54.88	56.58	...	56.58	63.30	...	63.30	62.13	...	62.13
5. विशेष जांच दल (एसआईटी)	2.52	...	2.52	3.09	...	3.09	3.05	...	3.05	3.13	...	3.13
6. वास्तविक वसूलियां	-0.45	...	-0.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>883.34</b>	<b>47.52</b>	<b>930.86</b>	<b>879.06</b>	<b>55.71</b>	<b>934.77</b>	<b>957.50</b>	<b>120.66</b>	<b>1078.16</b>	<b>998.46</b>	<b>81.02</b>	<b>1079.48</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	10.50	...	10.50	14.79	...	14.79	10.88	...	10.88	11.53	...	11.53
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
8. अन्य राजकोषीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	39.22	39.22	...	86.71	86.71	...	49.21	49.21	...	136.71	136.71
<b>अन्य</b>												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	9.32	...	9.32	11.28	...	11.28	11.05	...	11.05	11.55	...	11.55
10. अन्य व्यय	66.30	...	66.30	183.78	...	183.78	120.00	...	120.00	196.00	...	196.00
11. <i>अफीम एवं धारोद्य कारखाना</i>												
11.01 अफीम और धारोद्य कारखानों में कार्यशील व्यय	300.88	...	300.88	412.51	...	412.51	350.29	...	350.29	353.85	...	353.85
11.02 कम राजस्व प्राप्ति	-226.05	...	-226.05	-334.00	...	-334.00	-287.58	...	-287.58	-326.80	...	-326.80
11.03 अफीम और धारोद्य कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	7.96	7.96	...	6.43	6.43	...	5.87	5.87	...	8.00	8.00
<i>जोड़- अफीम एवं धारोद्य कारखाना</i>	<i>74.83</i>	<i>7.96</i>	<i>82.79</i>	<i>78.51</i>	<i>6.43</i>	<i>84.94</i>	<i>62.71</i>	<i>5.87</i>	<i>68.58</i>	<i>27.05</i>	<i>8.00</i>	<i>35.05</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. लोक निर्माण कार्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	165.25	165.25	...	383.10	383.10	...	300.00	300.00	...	383.50	383.50
13. आवास संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
14. जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	561.89	...	561.89	394.38	...	394.38	565.00	...	565.00	350.00	...	350.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>712.34</b>	<b>173.21</b>	<b>885.55</b>	<b>667.95</b>	<b>389.54</b>	<b>1057.49</b>	<b>758.76</b>	<b>305.87</b>	<b>1064.63</b>	<b>584.60</b>	<b>391.51</b>	<b>976.11</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>722.84</b>	<b>212.43</b>	<b>935.27</b>	<b>682.74</b>	<b>476.25</b>	<b>1158.99</b>	<b>769.64</b>	<b>355.08</b>	<b>1124.72</b>	<b>596.13</b>	<b>528.22</b>	<b>1124.35</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
15. बेट को लागू करने एवं बेट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
16. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.02	...	0.02
17. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
17.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	143109.49	...	143109.49	150000.00	...	150000.00	153440.00	...	153440.00	130640.51	...	130640.51
17.02 राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों को जारी	44945.52	...	44945.52	13000.00	...	13000.00	6950.00	...	6950.00	500.00	...	500.00
17.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त की गई राशि	-43055.00	...	-43055.00	-13000.00	...	-13000.00	-6950.00	...	-6950.00	-500.00	...	-500.00
	<i>निवल</i> 145000.01	...	145000.01	150000.00	...	150000.00	153440.00	...	153440.00	130640.51	...	130640.51
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>145000.01</b>	...	<b>145000.01</b>	<b>150000.03</b>	...	<b>150000.03</b>	<b>153440.00</b>	...	<b>153440.00</b>	<b>130640.53</b>	...	<b>130640.53</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>146606.19</b>	<b>259.95</b>	<b>146866.14</b>	<b>151561.83</b>	<b>531.96</b>	<b>152093.79</b>	<b>155167.14</b>	<b>475.74</b>	<b>155642.88</b>	<b>132235.12</b>	<b>609.24</b>	<b>132844.36</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	1144.87	...	1144.87	1068.15	...	1068.15	1221.09	...	1221.09	1113.58	...	1113.58
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	324.27	...	324.27	349.39	...	349.39	371.22	...	371.22	382.45	...	382.45
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	62.21	...	62.21	65.75	...	65.75	72.12	...	72.12	71.51	...	71.51
4. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	39.22	39.22	...	86.71	86.71	...	49.21	49.21	...	136.71	136.71
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	165.25	165.25	...	383.10	383.10	...	300.00	300.00	...	383.50	383.50
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	47.52	47.52	...	55.71	55.71	...	120.66	120.66	...	81.02	81.02
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>1531.35</b>	<b>251.99</b>	<b>1783.34</b>	<b>1483.29</b>	<b>525.52</b>	<b>2008.81</b>	<b>1664.43</b>	<b>469.87</b>	<b>2134.30</b>	<b>1567.54</b>	<b>601.23</b>	<b>2168.77</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
7. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	...	...	...	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	...	...	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अन्य उद्योग	74.83	...	74.83	78.51	...	78.51	62.71	...	62.71	27.05	...	27.05
9. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.96	7.96	...	6.43	6.43	...	5.87	5.87	...	8.00	8.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>74.83</b>	<b>7.96</b>	<b>82.79</b>	<b>78.51</b>	<b>6.43</b>	<b>84.94</b>	<b>62.71</b>	<b>5.87</b>	<b>68.58</b>	<b>27.05</b>	<b>8.00</b>	<b>35.05</b>
<b>अन्य</b>												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	130500.01	...	130500.01	145000.02	...	145000.02	146940.00	...	146940.00	126000.00	...	126000.00
11. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	14500.00	...	14500.00	5000.01	...	5000.01	6500.00	...	6500.00	4640.53	...	4640.53
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>145000.01</b>	<b>...</b>	<b>145000.01</b>	<b>150000.03</b>	<b>...</b>	<b>150000.03</b>	<b>153440.00</b>	<b>...</b>	<b>153440.00</b>	<b>130640.53</b>	<b>...</b>	<b>130640.53</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>146606.19</b>	<b>259.95</b>	<b>146866.14</b>	<b>151561.83</b>	<b>531.96</b>	<b>152093.79</b>	<b>155167.14</b>	<b>475.74</b>	<b>155642.88</b>	<b>132235.12</b>	<b>609.24</b>	<b>132844.36</b>

- सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक मादक पदार्थ और प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- मूल्य वृद्धि कर (वैट) स्कीम का कार्यान्वयन:** मूल्य वृद्धि कर (वैट) को समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
- प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।
- स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- विशेष जांच दल (एसआईटी):** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।
- अन्य राजकोषीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान जीएसटीएन एसपीवी में शेयरों के अधिग्रहण और ईडी, सीईएसटीएटी, एटीएफपी और एए – पीएमएलए और जीएसटीएटी के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मॉन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।
- अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकरण और जीएसटीएटी के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
- अफीम एवं क्षारोघ कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोघ कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रसंस्करण एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
- लोक निर्माण कार्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण, ईडी और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्य से संबंधित अवसंरचना के लिए है।
- आवास संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।
- जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** संचालन पश्चात व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।
- वैट को लागू करने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे के लिए है।

16. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को**

**क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।

17.01. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** यह प्रावधान जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की समेकित

निधि में एकत्रित उपकर में से लोक खाते में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण के लिए है।

17.02. **राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों को जारी:** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

17.03. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त की गई राशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के कारण

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों के मुआवजे के लिए है, जिसे जीएसटी मुआवजा उपकर कोष से पूरा किया जाना है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 36  
प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	8658.64	1182.10	9840.74	9025.42	1314.96	10340.38	9202.35	2372.82	11575.17	9473.29	1427.16	10900.45	
वसूलियां	-25.03	-0.22	-25.25	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>निवल</b>	<b>8633.61</b>	<b>1181.88</b>	<b>9815.49</b>	<b>9025.42</b>	<b>1312.96</b>	<b>10338.38</b>	<b>9202.35</b>	<b>2370.82</b>	<b>11573.17</b>	<b>9473.29</b>	<b>1425.16</b>	<b>10898.45</b>	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	7320.42	...	7320.42	7626.48	...	7626.48	7775.98	...	7775.98	8004.93	...	8004.93
1.02	कारपोरेट कर का संग्रहण	1122.38	...	1122.38	1173.30	...	1173.30	1196.31	...	1196.31	1231.53	...	1231.53
1.03	वास्तविक वसूलियां	-25.03	...	-25.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	<i>8417.77</i>	...	<i>8417.77</i>	<i>8799.78</i>	...	<i>8799.78</i>	<i>8972.29</i>	...	<i>8972.29</i>	<i>9236.46</i>	...	<i>9236.46</i>
2. संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	21.58	...	21.58	22.56	...	22.56	23.01	...	23.01	23.68	...	23.68
2.02	प्रतिभूतियां लेनदेन कर	43.17	...	43.17	45.13	...	45.13	46.01	...	46.01	47.37	...	47.37
2.03	अन्य करों का संग्रहण	151.09	...	151.09	157.95	...	157.95	161.04	...	161.04	165.78	...	165.78
2.04	तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	242.18	242.18	...	312.01	312.01	...	243.48	243.48	...	247.18	247.18
2.05	तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	61.64	61.64	...	184.51	184.51	...	317.61	317.61	...	290.98	290.98
	<i>जोड़- संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण</i>	<i>215.84</i>	<i>303.82</i>	<i>519.66</i>	<i>225.64</i>	<i>496.52</i>	<i>722.16</i>	<i>230.06</i>	<i>561.09</i>	<i>791.15</i>	<i>236.83</i>	<i>538.16</i>	<i>774.99</i>
	<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>8633.61</b>	<b>303.82</b>	<b>8937.43</b>	<b>9025.42</b>	<b>496.52</b>	<b>9521.94</b>	<b>9202.35</b>	<b>561.09</b>	<b>9763.44</b>	<b>9473.29</b>	<b>538.16</b>	<b>10011.45</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>													
<b>अन्य</b>													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.27	1.27	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	कम-बिक्री प्राप्तियां	...	...	...	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	<i>निवल</i>	...	<i>1.27</i>	<i>1.27</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	876.79	876.79	...	816.44	816.44	...	1809.73	1809.73	...	887.00	887.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	...	878.06	878.06	...	816.44	816.44	...	1809.73	1809.73	...	887.00	887.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	...	878.06	878.06	...	816.44	816.44	...	1809.73	1809.73	...	887.00	887.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>8633.61</b>	<b>1181.88</b>	<b>9815.49</b>	<b>9025.42</b>	<b>1312.96</b>	<b>10338.38</b>	<b>9202.35</b>	<b>2370.82</b>	<b>11573.17</b>	<b>9473.29</b>	<b>1425.16</b>	<b>10898.45</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	8417.77	...	8417.77	8799.78	...	8799.78	8972.29	...	8972.29	9236.46	...	9236.46
2. संपत्ति करों, प्रतिभूति लेन-देन संबंधी करों तथा अन्य करों का संग्रहण	215.84	...	215.84	225.64	...	225.64	230.06	...	230.06	236.83	...	236.83
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	242.18	242.18	...	312.01	312.01	...	243.48	243.48	...	247.18	247.18
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	878.06	878.06	...	816.44	816.44	...	1809.73	1809.73	...	887.00	887.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>8633.61</b>	<b>1120.24</b>	<b>9753.85</b>	<b>9025.42</b>	<b>1128.45</b>	<b>10153.87</b>	<b>9202.35</b>	<b>2053.21</b>	<b>11255.56</b>	<b>9473.29</b>	<b>1134.18</b>	<b>10607.47</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
5. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	61.64	61.64	...	184.51	184.51	...	317.61	317.61	...	290.98	290.98
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>61.64</b>	<b>61.64</b>	<b>...</b>	<b>184.51</b>	<b>184.51</b>	<b>...</b>	<b>317.61</b>	<b>317.61</b>	<b>...</b>	<b>290.98</b>	<b>290.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>8633.61</b>	<b>1181.88</b>	<b>9815.49</b>	<b>9025.42</b>	<b>1312.96</b>	<b>10338.38</b>	<b>9202.35</b>	<b>2370.82</b>	<b>11573.17</b>	<b>9473.29</b>	<b>1425.16</b>	<b>10898.45</b>

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **कारपोरेट कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूतियां लेनदेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए रेडी- बिल्ड कार्यालय/ भवन की खरीद / भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए रेडी- बिल्ड भूमि /आवासीय भवन की खरीद / भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC के तहत परिकल्पित केंद्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति की अग्रिम खरीद से संबंधित विक्री से प्राप्त आय एवं और पहले से अर्जित सुरक्षा शुल्क, संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए है।

4. **विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान आईसीटी उपकरणों, एमवी, मशीनरी एवं उपकरणों और फर्नीचर एवं फिक्सचर इत्यादि पर व्यय के लिए है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 37  
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	33080.47	1577.33	34657.80	38859.86	2238.62	41098.48	38379.78	2372.39	40752.17	40904.73	1984.60	42889.33	
<b>वसूलियां</b>	-12.80	-0.12	-12.92	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>निवल</b>	<b>33067.67</b>	<b>1577.21</b>	<b>34644.88</b>	<b>38859.36</b>	<b>2238.62</b>	<b>41097.98</b>	<b>38379.28</b>	<b>2372.39</b>	<b>40751.67</b>	<b>40904.23</b>	<b>1984.60</b>	<b>42888.83</b>	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	2629.15	...	2629.15	2803.54	...	2803.54	2972.33	...	2972.33	3183.96	...	3183.96
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	61.80	61.80	...	285.30	285.30	...	253.85	253.85	...	83.88	83.88
जोड़- सीमा शुल्क		2629.15	61.80	2690.95	2803.54	285.30	3088.84	2972.33	253.85	3226.18	3183.96	83.88	3267.84
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर													
2.01	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण	5124.32	...	5124.32	5273.81	...	5273.81	5660.85	...	5660.85	6004.91	...	6004.91
2.02	उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च	758.47	...	758.47	824.77	...	824.77	845.61	...	845.61	865.61	...	865.61
2.03	आवास - रख-रखाव और मरम्मत	11.20	...	11.20	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00
2.04	बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	525.31	525.31	...	501.98	501.98	...	545.59	545.59	...	476.57	476.57
2.05	बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	246.59	246.59	...	393.99	393.99	...	250.00	250.00	...	296.68	296.68
2.06	सीजीएसटी का स्थापना व्यय	...	743.63	743.63	...	1057.35	1057.35	...	1322.95	1322.95	...	1127.47	1127.47
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर		5893.99	1515.53	7409.52	6115.58	1953.32	8068.90	6523.46	2118.54	8642.00	6885.52	1900.72	8786.24
3. वास्तविक वसूलियां													
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>		<b>8510.34</b>	<b>1577.21</b>	<b>10087.55</b>	<b>8918.62</b>	<b>2238.62</b>	<b>11157.24</b>	<b>9495.29</b>	<b>2372.39</b>	<b>11867.68</b>	<b>10068.98</b>	<b>1984.60</b>	<b>12053.58</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>													
4. बकायों का एकमुश्त भुगतान													
4.01	भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस)	123.55	...	123.55	799.32	...	799.32	287.76	...	287.76	431.63	...	431.63
4.02	भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	1252.93	...	1252.93	1901.00	...	1901.00	684.36	...	684.36	1026.54	...	1026.54
4.03	राज्य और केन्द्रीय करों और उगाहियों पर छूट	18.98	...	18.98	63.76	...	63.76	19.13	...	19.13	44.63	...	44.63

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आरओएससीटीएल)												
4.04 लक्ष्य युक्त योजना	37.27	...	37.27	660.91	...	660.91	66.09	...	66.09	594.82	...	594.82
4.05 फोकस प्रोडक्ट स्कीम और मार्किट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	19.31	...	19.31	271.53	...	271.53	65.17	...	65.17	43.44	...	43.44
4.06 स्टेटस होल्डर्स प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस)	14.23	...	14.23	119.41	...	119.41	14.33	...	14.33	9.55	...	9.55
4.07 राज्य उगाहियों पर छूट संबंधी योजना (आरओएससीटीएल)	...	...	...	47.59	...	47.59	4.76	...	4.76	42.83	...	42.83
4.08 फोकस बाजार योजना	10.79	...	10.79	80.90	...	80.90	19.42	...	19.42	12.94	...	12.94
4.09 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	0.22	...	0.22	65.26	...	65.26	7.83	...	7.83	5.22	...	5.22
4.10 मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	...	...	...	2.13	...	2.13	2.13	...	2.13	...	...	...
4.11 वृद्धि संबंधी निर्यात प्रोत्साहन योजना (वार्षिक एवं तिमाही)	27.85	...	27.85	107.93	...	107.93	516.01	...	516.01	221.15	...	221.15
<i>जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान</i>	<i>1505.13</i>	<i>...</i>	<i>1505.13</i>	<i>4119.74</i>	<i>...</i>	<i>4119.74</i>	<i>1686.99</i>	<i>...</i>	<i>1686.99</i>	<i>2432.75</i>	<i>...</i>	<i>2432.75</i>
5. निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी)	15018.81	...	15018.81	16575.00	...	16575.00	17951.00	...	17951.00	18232.50	...	18232.50
6. राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल)	8033.39	...	8033.39	9246.00	...	9246.00	9246.00	...	9246.00	10170.00	...	10170.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>24557.33</b>	<b>...</b>	<b>24557.33</b>	<b>29940.74</b>	<b>...</b>	<b>29940.74</b>	<b>28883.99</b>	<b>...</b>	<b>28883.99</b>	<b>30835.25</b>	<b>...</b>	<b>30835.25</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>33067.67</b>	<b>1577.21</b>	<b>34644.88</b>	<b>38859.36</b>	<b>2238.62</b>	<b>41097.98</b>	<b>38379.28</b>	<b>2372.39</b>	<b>40751.67</b>	<b>40904.23</b>	<b>1984.60</b>	<b>42888.83</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सीमा शुल्क	27180.71	...	27180.71	32743.78	...	32743.78	31855.82	...	31855.82	34018.71	...	34018.71
2. केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	5875.80	...	5875.80	6098.58	...	6098.58	6506.46	...	6506.46	6870.52	...	6870.52
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	805.31	805.31	...	1342.65	1342.65	...	1576.80	1576.80	...	1211.35	1211.35
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	525.31	525.31	...	501.98	501.98	...	545.59	545.59	...	476.57	476.57
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>33056.51</b>	<b>1330.62</b>	<b>34387.13</b>	<b>38842.36</b>	<b>1844.63</b>	<b>40686.99</b>	<b>38362.28</b>	<b>2122.39</b>	<b>40484.67</b>	<b>40889.23</b>	<b>1687.92</b>	<b>42577.15</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
5. आवासन	11.16	...	11.16	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00
6. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	246.59	246.59	...	393.99	393.99	...	250.00	250.00	...	296.68	296.68
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>11.16</b>	<b>246.59</b>	<b>257.75</b>	<b>17.00</b>	<b>393.99</b>	<b>410.99</b>	<b>17.00</b>	<b>250.00</b>	<b>267.00</b>	<b>15.00</b>	<b>296.68</b>	<b>311.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>33067.67</b>	<b>1577.21</b>	<b>34644.88</b>	<b>38859.36</b>	<b>2238.62</b>	<b>41097.98</b>	<b>38379.28</b>	<b>2372.39</b>	<b>40751.67</b>	<b>40904.23</b>	<b>1984.60</b>	<b>42888.83</b>

1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमा शुल्क स्कंध के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।

1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करी रोधी उपकरणों, कंटेनर स्कैनर्स, मरीन फ्लीट और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है। सीमा शुल्क संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।



- 2.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय माल और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च के लिए है।
- 2.02. **उत्पाद शुल्क /केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से स्थापना और निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, कर दाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर अन्य खर्च के लिए किया गया है।
- 2.03. **आवास - रख-रखाव और मरम्मत:** यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए है।
- 2.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित रेडी- बिल्ड कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- 2.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित रेडी- बिल्ड आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- 2.06. **सीजीएसटी का स्थापना व्यय:** सीजीएसटी संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
4. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** अन्य स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।
5. **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी):** निर्यातित उत्पाद स्क्रिप आधारित योजनाओं पर शुल्कों और करों की छूट के लिए प्रावधान किया गया है।
6. **राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल):** राज्य और केंद्रीय करों और उगाहियों पर छूट के लिए प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 38  
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	6103.77	178.04	6281.81	6171.81	181.96	6353.77	6475.12	160.18	6635.30	6631.14	174.09	6805.23
<b>वसूलियां</b>	-359.45	-1.40	-360.85	-385.83	-6.46	-392.29	-389.84	-2.89	-392.73	-392.73	-1.48	-394.21
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>5744.32</b>	<b>176.64</b>	<b>5920.96</b>	<b>5785.98</b>	<b>175.50</b>	<b>5961.48</b>	<b>6085.28</b>	<b>157.29</b>	<b>6242.57</b>	<b>6238.41</b>	<b>172.61</b>	<b>6411.02</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	323.41	...	323.41	288.83	6.21	295.04	296.30	6.21	302.51	298.36	3.24	301.60
2. सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय												
2.01 सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	3162.92	...	3162.92	3226.00	39.74	3265.74	3441.65	37.62	3479.27	3537.59	31.01	3568.60
2.02 सिविल लेखा कार्यालय	1520.67	...	1520.67	1527.26	28.26	1555.52	1540.06	21.92	1561.98	1580.82	25.40	1606.22
2.03 केन्द्रीकृत खरीद	37.44	...	37.44	29.82	62.00	91.82	25.23	65.63	90.86	24.57	86.55	111.12
2.04 प्रशिक्षण	82.83	...	82.83	86.50	4.29	90.79	88.97	3.68	92.65	94.77	2.24	97.01
जोड़- सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय	4803.86	...	4803.86	4869.58	134.29	5003.87	5095.91	128.85	5224.76	5237.75	145.20	5382.95
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	184.31	...	184.31	195.15	1.29	196.44	210.27	1.28	211.55	219.81	0.82	220.63
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	301.64	...	301.64	324.08	6.12	330.20	324.08	2.53	326.61	323.93	1.26	325.19
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	161.68	...	161.68	163.40	3.52	166.92	188.04	2.39	190.43	187.33	1.10	188.43
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	285.21	...	285.21	285.91	5.43	291.34	315.72	3.83	319.55	316.82	2.22	319.04
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय	43.66	...	43.66	44.86	0.10	44.96	44.80	0.09	44.89	47.14	0.25	47.39
8. पहले से निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद	...	11.98	11.98	...	17.00	17.00	...	10.00	10.00	...	13.00	13.00
9. पहले से निर्मित रिहायशी भवनों की खरीद	...	5.73	5.73	...	8.00	8.00	...	5.00	5.00	...	7.00	7.00
10. निर्देशन एवं प्रशासन	...	160.33	160.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. किए गए व्यय की कमी में समायोजित वसूलियां												
11.01 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	-4.96	...	-4.96	-10.04	...	-10.04	-9.77	...	-9.77	-10.53	...	-10.53
11.02 लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय	-354.49	-1.40	-355.89	-375.79	-6.46	-382.25	-380.07	-2.89	-382.96	-382.20	-1.48	-383.68
जोड़	-359.45	-1.40	-360.85	-385.83	-6.46	-392.29	-389.84	-2.89	-392.73	-392.73	-1.48	-394.21
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>5744.32</b>	<b>176.64</b>	<b>5920.96</b>	<b>5785.98</b>	<b>175.50</b>	<b>5961.48</b>	<b>6085.28</b>	<b>157.29</b>	<b>6242.57</b>	<b>6238.41</b>	<b>172.61</b>	<b>6411.02</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>5744.32</b>	<b>176.64</b>	<b>5920.96</b>	<b>5785.98</b>	<b>175.50</b>	<b>5961.48</b>	<b>6085.28</b>	<b>157.29</b>	<b>6242.57</b>	<b>6238.41</b>	<b>172.61</b>	<b>6411.02</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लेखा परीक्षा	5744.32	...	5744.32	5785.98	...	5785.98	6085.28	...	6085.28	6238.41	...	6238.41
2. लेखापरीक्षा पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	150.50	150.50	...	142.29	142.29	...	152.61	152.61
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.98	11.98	...	17.00	17.00	...	10.00	10.00	...	13.00	13.00
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	159.00	159.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>5744.32</b>	<b>170.98</b>	<b>5915.30</b>	<b>5785.98</b>	<b>167.50</b>	<b>5953.48</b>	<b>6085.28</b>	<b>152.29</b>	<b>6237.57</b>	<b>6238.41</b>	<b>165.61</b>	<b>6404.02</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
5. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.66	5.66	...	8.00	8.00	...	5.00	5.00	...	7.00	7.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>...</b>	<b>5.66</b>	<b>5.66</b>	<b>...</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>...</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>...</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5744.32</b>	<b>176.64</b>	<b>5920.96</b>	<b>5785.98</b>	<b>175.50</b>	<b>5961.48</b>	<b>6085.28</b>	<b>157.29</b>	<b>6242.57</b>	<b>6238.41</b>	<b>172.61</b>	<b>6411.02</b>

1. **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक:** यह प्रावधान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
- 2.01. **सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान सिविल लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
- 2.02. **सिविल लेखा कार्यालय:** यह प्रावधान सिविल लेखा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
- 2.03. **केन्द्रीकृत खरीद:** यह प्रावधान आईएण्डएडी की सभी केन्द्रीकृत खरीद से संबंधित व्यय के लिए है।
- 2.04. **प्रशिक्षण:** यह प्रावधान आईएण्डएडी के सभी प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यय के लिए है।
3. **डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान डाक एवं दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
4. **रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
5. **रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
6. **वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
7. **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय:** यह प्रावधान विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।
8. **पहले से निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद:** यह प्रावधान कार्यालय भवनों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।
9. **पहले से निर्मित रिहायशी भवनों की खरीद:** यह प्रावधान खरीदने, सरकारी रिहायशी कॉलोनियों के नवीनीकरण कार्यों और उनमें दूसरी विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए है।
10. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह प्रावधान राजस्व खंड के तहत न्यूनतम सीमा (1 लाख रुपये या तीन साल का उपयोगी जीवन, दोनों में से कोई भी) के कारण पूंजीगत खंड के तहत व्यय को पूरा करने के लिए है।
- 11.01. **भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक:** संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा कार्यालयों तथा मुख्यालय में रेलवे लेखा परीक्षा विंग पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।
- 11.02. **लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय:** डाक तथा दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालयों और रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों पर किये गये व्यय के प्रति समायोजित वसूलियां।

वित्त मंत्रालय  
सं 39 (विनियोग)  
ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1102651.06	...	1102651.06	1208841.36	...	1208841.36	1185170.92	...	1185170.92	1352307.47	...	1352307.47
<b>वसूलियां</b>	-0.88	...	-0.88	-15901.07	...	-15901.07	...	...	...	-36469.49	...	-36469.49
<b>प्राप्तियां</b>	-38778.00	...	-38778.00	-30000.00	...	-30000.00	-47230.63	...	-47230.63	-39500.00	...	-39500.00
<b>निवल</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
1. ऋण की कमी के लिए भुगतान पूर्व प्रीमियम	782.30	...	782.30	2295.16	...	2295.16	2660.59	...	2660.59	2350.00	...	2350.00
2. आंतरिक ऋण पर ब्याज												
2.01 बाजार ऋण	726415.54	...	726415.54	806430.59	...	806430.59	786418.09	...	786418.09	878383.74	...	878383.74
2.02 उपार्जित ब्याज घटाएं	-38778.00	...	-38778.00	-30000.00	...	-30000.00	-47230.63	...	-47230.63	-39500.00	...	-39500.00
2.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36469.49	...	36469.49
2.04 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साथ-साथ मिले ऋण पर जीएसटी प्रतिपूर्क निधि से प्राप्त की गई राशि घटाएं	...	...	...	-15901.07	...	-15901.07	...	...	...	-36469.49	...	-36469.49
2.05 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	...	...	...	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
2.06 क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र	10015.13	...	10015.13	9832.65	...	9832.65	4630.72	...	4630.72	5234.15	...	5234.15
2.07 14 दिवसीय राजकोपीय बिल	1976.32	...	1976.32	2469.19	...	2469.19	2469.19	...	2469.19	2600.00	...	2600.00
2.08 91 दिवसीय राजकोपीय बिल	10809.07	...	10809.07	10140.44	...	10140.44	13354.10	...	13354.10	13607.50	...	13607.50
2.09 182 दिवसीय राजकोपीय बिल	19369.59	...	19369.59	14965.34	...	14965.34	14422.63	...	14422.63	14227.75	...	14227.75
2.10 364 दिवसीय राजकोपीय बिल पर छूट	30058.62	...	30058.62	30660.24	...	30660.24	23773.85	...	23773.85	23634.25	...	23634.25
2.11 ऋणों का प्रबंधन	2921.79	...	2921.79	3000.00	...	3000.00	3084.61	...	3084.61	3200.00	...	3200.00
2.12 अर्थोपाय अग्रिम	394.38	...	394.38	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	1000.00	...	1000.00
2.13 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	1243.07	...	1243.07	996.27	...	996.27	996.27	...	996.27	498.14	...	498.14
2.14 पुनर्पूंजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57	17689.57	...	17689.57
2.15 अन्य सरकार नियंत्रित बैंकिंग प्रतिभूति के पुनर्पूंजीकरण	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20	1603.20	...	1603.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
बॉण्ड पर व्याज												
2.16 साँवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2015 पर व्याज	1468.20	...	1468.20	2345.47	...	2345.47	1746.48	...	1746.48	1639.36	...	1639.36
2.17 स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015 पर व्याज	193.54	...	193.54	213.00	...	213.00	240.87	...	240.87	264.95	...	264.95
2.18 साँवरेन ग्रीन बॉण्ड पर व्याज	1151.20	...	1151.20	2837.90	...	2837.90	2671.26	...	2671.26	4118.32	...	4118.32
जोड़- आंतरिक ऋण पर व्याज	786531.22	...	786531.22	857482.79	...	857482.79	826020.21	...	826020.21	928300.93	...	928300.93
3. विदेशी ऋणों पर व्याज	29616.74	...	29616.74	32597.90	...	32597.90	34249.80	...	34249.80	37120.17	...	37120.17
4. लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज												
4.01 छोटी बचत जमा-प्रमाणपत्र तथा परिचालन व्ययों पर व्याज	185361.91	...	185361.91	210521.32	...	210521.32	212790.48	...	212790.48	247420.73	...	247420.73
4.02 राज्य भविष्य निधियां	18871.50	...	18871.50	20043.83	...	20043.83	20918.57	...	20918.57	20758.26	...	20758.26
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	7041.95	...	7041.95	7018.76	...	7018.76	7037.97	...	7037.97	6930.02	...	6930.02
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमाएं	3958.81	...	3958.81	4435.41	...	4435.41	4239.88	...	4239.88	4540.91	...	4540.91
4.05 अन्य विशेष जमा	18841.04	...	18841.04	17602.34	...	17602.34	19175.80	...	19175.80	20766.79	...	20766.79
जोड़- लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज	234075.21	...	234075.21	259621.66	...	259621.66	264162.70	...	264162.70	300416.71	...	300416.71
5. रिजर्व निधियों पर व्याज	1111.55	...	1111.55	1450.13	...	1450.13	1365.33	...	1365.33	1485.35	...	1485.35
6. अन्य दायित्वों पर व्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	6847.71	...	6847.71	5153.05	...	5153.05	5153.05	...	5153.05	2731.56	...	2731.56
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	911.74	...	911.74	911.76	...	911.76	911.76	...	911.76	510.26	...	510.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	604.00	...	604.00	282.29	...	282.29	282.29	...	282.29	282.29	...	282.29
6.04 एसबीआई राइट्स के लिए बांड	834.67	...	834.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 पीएलआई को विशेष बांड	1217.66	...	1217.66	1687.56	...	1687.56	1687.56	...	1687.56	1577.61	...	1577.61
6.06 अन्य पर व्याज	1340.26	...	1340.26	1457.99	...	1457.99	1447.00	...	1447.00	1563.10	...	1563.10
जोड़- अन्य दायित्वों पर व्याज	11756.04	...	11756.04	9492.65	...	9492.65	9481.66	...	9481.66	6664.82	...	6664.82
7. वास्तविक वसूलियां	-0.88	...	-0.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	782.30	...	782.30	2295.16	...	2295.16	2660.59	...	2660.59	2350.00	...	2350.00
2. व्याज भुगतान	1063089.88	...	1063089.88	1160645.13	...	1160645.13	1135279.70	...	1135279.70	1273987.98	...	1273987.98
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1063872.18</b>	...	<b>1063872.18</b>	<b>1162940.29</b>	...	<b>1162940.29</b>	<b>1137940.29</b>	...	<b>1137940.29</b>	<b>1276337.98</b>	...	<b>1276337.98</b>

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (ग) के अंतर्गत भारत के समेकित निधि पर 'प्रभारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस विनियोग में केंद्र सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियां, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा भविष्य निधियों, विशेष जमा राशियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्र सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के लिए जुटाए गए बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी-बारी के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरा किया जाता है।

वित्त मंत्रालय  
सं 40 (विनियोग)  
ऋण की अदायगी

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	...	7462492.87	7462492.87	...	7958130.77	7958130.77	...	8407558.01	8407558.01	...	9038648.16	9038648.16	
वसूलियां	...	...	...	...	-127176.94	-127176.94	...	...	...	...	...	...	
प्राप्तियां	...	-7462492.87	-7462492.87	...	-7830953.83	-7830953.83	...	-8407558.01	-8407558.01	...	-9038648.16	-9038648.16	
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>													
<b>अन्य</b>													
1. केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण													
1.01	बाजार ऋण जीएसटी प्रतिपूरक निधि से प्राप्त की गई राशि घटाएं	...	543639.77	543639.77	...	331174.36	331174.36	...	361422.24	361422.24	...	395666.06	395666.06
		...	...	...	...	-123604.00	-123604.00	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	543639.77	543639.77	...	207570.36	207570.36	...	361422.24	361422.24	...	395666.06	395666.06
1.02	वाईबैक/स्वीचिंग	...	...	...	...	180247.88	180247.88	...	235158.64	235158.64	...	250000.00	250000.00
1.03	14 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	4785271.93	4785271.93	...	5455210.00	5455210.00	...	5750288.24	5750288.24	...	6030452.65	6030452.65
1.04	91 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	624263.82	624263.82	...	588999.83	588999.83	...	687745.05	687745.05	...	606191.25	606191.25
1.05	182दिवसीय राजकोषीय बिल	...	555209.29	555209.29	...	457139.91	457139.91	...	446683.21	446683.21	...	484082.34	484082.34
1.06	364 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	445283.50	445283.50	...	457486.99	457486.99	...	457486.99	457486.99	...	360809.92	360809.92
1.07	नगद प्रबंधन बिल	...	...	...	...	20000.00	20000.00	...	...	...	...	50000.00	50000.00
1.08	अर्थोपाय अग्रिम	...	199313.00	199313.00	...	50000.00	50000.00	...	55000.00	55000.00	...	500000.00	500000.00
1.09	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	...	3294.79	3294.79	...	7815.94	7815.94	...	7785.54	7785.54	...	7776.91	7776.91
1.10	क्षतिपूर्तियां और अन्य बांड्स	...	23054.88	23054.88	...	4459.56	4459.56	...	1654.31	1654.31	...	3115.92	3115.92
1.11	एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों की अद्ययमी	...	232737.58	232737.58	...	342515.96	342515.96	...	340484.61	340484.61	...	279509.04	279509.04
1.12	पोस्टल जीवन बीमा निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.13	स्वर्ण मौद्रिकरण योजना	...	27.01	27.01	...	97.00	97.00	...	132.08	132.08	...	145.28	145.28
1.14	सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना गोल्ड रिजर्व फंड से प्राप्त की गई राशि घटाएं	...	3080.17	3080.17	...	7072.94	7072.94	...	8031.90	8031.90	...	5510.34	5510.34
		...	...	...	...	-3572.94	-3572.94	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	<i>निवल</i>	...	3080.17	3080.17	...	3500.00	3500.00	...	8031.90	8031.90	...	5510.34	5510.34
1.15	घटाएं प्राप्ति	...	-7415175.74	-7415175.74	...	-7775043.43	-7775043.43	...	-8351872.81	-8351872.81	...	-8973259.71	-8973259.71
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	बाह्य ऋण												
2.01	सकल बजटीय सहायता	...	47317.13	47317.13	...	55910.40	55910.40	...	55685.20	55685.20	...	65388.45	65388.45
2.02	घटाएं प्राप्ति	...	-47317.13	-47317.13	...	-55910.40	-55910.40	...	-55685.20	-55685.20	...	-65388.45	-65388.45
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-अन्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	ख. विकास शीर्ष												
	अन्य												
1.	केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	बाह्य ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-अन्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

आंतरिक और विदेशी ऋण: इस विनियोग में केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए आंतरिक और विदेशी ऋण की अदायगी हेतु प्रावधान शामिल है और इसमें विभिन्न परिपक्वताओं वाले ट्रेजरी बिलों की चुकौती, नकद प्रबंधन बिलों के माध्यम से अल्पावधिक उधार, अर्थोपाय अग्रिम, पुनर्खरीद/ऋण कटौती में परिवर्तन और ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।



वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 41  
पेंशन

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	75444.79	...	75444.79	80241.00	...	80241.00	93720.00	...	93720.00	98186.00	...	98186.00	
<b>वसूलियां</b>	-781.77	...	-781.77	...	...	...	...	...	...	-7000.00	...	-7000.00	
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	
<b>निवल</b>	<b>74663.02</b>	...	<b>74663.02</b>	<b>79241.00</b>	...	<b>79241.00</b>	<b>92720.00</b>	...	<b>92720.00</b>	<b>90186.00</b>	...	<b>90186.00</b>	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ													
1.01	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	36295.08	...	36295.08	36409.00	...	36409.00	39556.00	...	39556.00	41555.00	...	41555.00
1.02	पेंशन का परिवर्तित मूल्य	4790.52	...	4790.52	5035.00	...	5035.00	5135.00	...	5135.00	5330.00	...	5330.00
1.03	उपदान	6386.22	...	6386.22	6837.00	...	6837.00	7837.00	...	7837.00	8230.00	...	8230.00
1.04	परिवारिक पेंशन	9980.81	...	9980.81	11735.38	...	11735.38	12807.38	...	12807.38	14530.35	...	14530.35
1.05	छुट्टी नकदीकरण	3849.91	...	3849.91	4530.00	...	4530.00	4530.00	...	4530.00	5033.00	...	5033.00
1.06	भविष्य निधि में अंशदान	3.18	...	3.18	5.05	...	5.05	5.05	...	5.05	5.55	...	5.55
1.07	पेंशन संबंधी विविध भुगतान	9708.51	...	9708.51	10843.62	...	10843.62	11403.62	...	11403.62	17664.00	...	17664.00
1.08	अन्य	0.28	...	0.28	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
1.09	वास्तविक वसूलियां	-781.77	...	-781.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.10	आरक्षित निधि 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना' में अंतरित राशि	...	...	...	...	...	7000.00	...	7000.00	...	...	...	...
1.11	आरक्षित निधि 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना' से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	-7000.00	...	-7000.00	...
	<b>निवल</b>	<b>70232.74</b>	...	<b>70232.74</b>	<b>75395.55</b>	...	<b>75395.55</b>	<b>88274.55</b>	...	<b>88274.55</b>	<b>85348.40</b>	...	<b>85348.40</b>
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार													
2.01	दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान	4401.71	...	4401.71	4801.35	...	4801.35	5401.35	...	5401.35	5801.50	...	5801.50
2.02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली कम धनराशि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
	<b>निवल</b>	<b>4401.71</b>	...	<b>4401.71</b>	<b>3801.35</b>	...	<b>3801.35</b>	<b>4401.35</b>	...	<b>4401.35</b>	<b>4801.50</b>	...	<b>4801.50</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>												
3.01 जमा संबद्ध बीमा योजना	26.98	...	26.98	40.10	...	40.10	40.10	...	40.10	32.10	...	32.10
3.02 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.03 अन्य	0.75	...	0.75	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.70	...	1.70
3.04 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को देय जमा संबद्ध बीमा योजना	0.83	...	0.83	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.30	...	1.30
<b>जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>	<b>28.57</b>	<b>...</b>	<b>28.57</b>	<b>44.10</b>	<b>...</b>	<b>44.10</b>	<b>44.10</b>	<b>...</b>	<b>44.10</b>	<b>36.10</b>	<b>...</b>	<b>36.10</b>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>74663.02</b>	<b>...</b>	<b>74663.02</b>	<b>79241.00</b>	<b>...</b>	<b>79241.00</b>	<b>92720.00</b>	<b>...</b>	<b>92720.00</b>	<b>90186.00</b>	<b>...</b>	<b>90186.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>74663.02</b>	<b>...</b>	<b>74663.02</b>	<b>79241.00</b>	<b>...</b>	<b>79241.00</b>	<b>92720.00</b>	<b>...</b>	<b>92720.00</b>	<b>90186.00</b>	<b>...</b>	<b>90186.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	74634.45	...	74634.45	79196.90	...	79196.90	92675.90	...	92675.90	90149.90	...	90149.90
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>74634.45</b>	<b>...</b>	<b>74634.45</b>	<b>79196.90</b>	<b>...</b>	<b>79196.90</b>	<b>92675.90</b>	<b>...</b>	<b>92675.90</b>	<b>90149.90</b>	<b>...</b>	<b>90149.90</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	28.57	...	28.57	44.10	...	44.10	44.10	...	44.10	36.10	...	36.10
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>28.57</b>	<b>...</b>	<b>28.57</b>	<b>44.10</b>	<b>...</b>	<b>44.10</b>	<b>44.10</b>	<b>...</b>	<b>44.10</b>	<b>36.10</b>	<b>...</b>	<b>36.10</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>74663.02</b>	<b>...</b>	<b>74663.02</b>	<b>79241.00</b>	<b>...</b>	<b>79241.00</b>	<b>92720.00</b>	<b>...</b>	<b>92720.00</b>	<b>90186.00</b>	<b>...</b>	<b>90186.00</b>

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाने वाली अन्य मदों के साथ-साथ पेंशन और उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है, जो बाद में राज्य सरकारों से वसूला जाता है। इस प्रावधान में जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के पेंशन लाभों का भुगतान भी शामिल है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए है। मुख्य शीर्ष '0071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में अंशदान और वसूलियां' के तहत प्रामियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली देय राशि (1000 करोड़ रुपये) के कारण है।

3. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा संबद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 42  
राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	175544.45	140862.71	316407.16	184180.78	184000.00	368180.78	177530.31	159510.00	337040.31	178207.01	192830.00	371037.01
<b>वसूलियां</b>	-1048.50	...	-1048.50	-14342.60	...	-14342.60	-9610.00	...	-9610.00	-10380.00	...	-10380.00
<b>प्राप्तियां</b>	-8774.32	-17990.81	-26765.13	-9460.00	-21591.12	-31051.12	-9610.00	-20134.00	-29744.00	-10380.00	-22234.53	-32614.53
<b>निवल</b>	<b>165721.63</b>	<b>122871.90</b>	<b>288593.53</b>	<b>160378.18</b>	<b>162408.88</b>	<b>322787.06</b>	<b>158310.31</b>	<b>139376.00</b>	<b>297686.31</b>	<b>157447.01</b>	<b>170595.47</b>	<b>328042.48</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>वित्त आयोग अनुदान</b>												
<b>संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान</b>												
1. अंतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	51673.00	...	51673.00	24483.00	...	24483.00	24483.00	...	24483.00	13705.00	...	13705.00
2. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	19419.60	...	19419.60	20550.40	...	20550.40	20550.40	...	20550.40	21575.20	...	21575.20
3. राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान	4253.50	...	4253.50	5137.60	...	5137.60	5137.60	...	5137.60	5393.80	...	5393.80
4. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
4.01 ग्रामीण निकाय	47260.15	...	47260.15	49800.00	...	49800.00	45000.00	...	45000.00	48573.00	...	48573.00
4.02 शहरी निकाय	21223.04	...	21223.04	25653.00	...	25653.00	21000.00	...	21000.00	26158.00	...	26158.00
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	68483.19	...	68483.19	75453.00	...	75453.00	66000.00	...	66000.00	74731.00	...	74731.00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	4692.62	...	4692.62	6004.17	...	6004.17	10225.30	...	10225.30	15272.00	...	15272.00
6. नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
7. सांझा नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान	...	...	...	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	90.00	...	90.00
<b>जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान</b>	<b>148521.91</b>	...	<b>148521.91</b>	<b>132378.17</b>	...	<b>132378.17</b>	<b>127146.30</b>	...	<b>127146.30</b>	<b>132767.00</b>	...	<b>132767.00</b>
<b>जोड़-वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>148521.91</b>	...	<b>148521.91</b>	<b>132378.17</b>	...	<b>132378.17</b>	<b>127146.30</b>	...	<b>127146.30</b>	<b>132767.00</b>	...	<b>132767.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
8. विशेष सहायता	11695.21	...	11695.21	20000.00	...	20000.00	18000.00	...	18000.00	10000.00	...	10000.00
9. कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. पूंजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	...	109554.30	109554.30	...	150000.00	150000.00	...	125000.00	125000.00	...	150000.00	150000.00
11. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	5478.83	...	5478.83	8000.00	...	8000.00	9000.00	...	9000.00	10000.00	...	10000.00
12. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	31308.41	31308.41	...	33900.00	33900.00	...	34410.00	34410.00	...	42730.00	42730.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण)	...	-17990.81	-17990.81	...	-21491.12	-21491.12	...	-20034.00	-20034.00	...	-22134.53	-22134.53
<i>निवल</i>	...	13317.60	13317.60	...	12408.88	12408.88	...	14376.00	14376.00	...	20595.47	20595.47
<b>13. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरण</b>												
13.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण (एनडीआरएफ)	8800.00	...	8800.00	9460.00	...	9460.00	9610.00	...	9610.00	10380.00	...	10380.00
13.02 कम राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-962.07	...	-962.07	-940.00	...	-940.00	-1150.00	...	-1150.00	-1220.00	...	-1220.00
13.03 कम राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-7812.25	...	-7812.25	-8520.00	...	-8520.00	-8460.00	...	-8460.00	-9160.00	...	-9160.00
<i>निवल</i>	25.68	...	25.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>14. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता</b>												
14.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	1048.32	...	1048.32	11474.00	...	11474.00	11474.00	...	11474.00	12048.00	...	12048.00
14.02 राष्ट्रीय आपदा प्रथमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता	...	...	...	2868.60	...	2868.60	2300.00	...	2300.00	3012.00	...	3012.00
14.03 कम राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अंतरण से पूरी की गई राशि	-1048.32	...	-1048.32	-14342.60	...	-14342.60	-9610.00	...	-9610.00	-10380.00	...	-10380.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	4164.00	...	4164.00	4680.00	...	4680.00
<b>15. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम)</b>												
	...	...	...	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>17199.72</b>	<b>122871.90</b>	<b>140071.62</b>	<b>28000.01</b>	<b>162408.88</b>	<b>190408.89</b>	<b>31164.01</b>	<b>139376.00</b>	<b>170540.01</b>	<b>24680.01</b>	<b>170595.47</b>	<b>195275.48</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>165721.63</b>	<b>122871.90</b>	<b>288593.53</b>	<b>160378.18</b>	<b>162408.88</b>	<b>322787.06</b>	<b>158310.31</b>	<b>139376.00</b>	<b>297686.31</b>	<b>157447.01</b>	<b>170595.47</b>	<b>328042.48</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. प्राकृतिक आपदा राहत	25.68	...	25.68	...	...	...	1864.00	...	1864.00	1668.00	...	1668.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>25.68</b>	...	<b>25.68</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>1864.01</b>	...	<b>1864.01</b>	<b>1668.01</b>	...	<b>1668.01</b>
<b>अन्य</b>												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	165695.95	...	165695.95	160378.17	...	160378.17	156446.30	...	156446.30	155779.00	...	155779.00
4. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	122871.90	122871.90	...	162408.88	162408.88	...	139376.00	139376.00	...	170595.47	170595.47
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>165695.95</b>	<b>122871.90</b>	<b>288567.85</b>	<b>160378.17</b>	<b>162408.88</b>	<b>322787.05</b>	<b>156446.30</b>	<b>139376.00</b>	<b>295822.30</b>	<b>155779.00</b>	<b>170595.47</b>	<b>326374.47</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>165721.63</b>	<b>122871.90</b>	<b>288593.53</b>	<b>160378.18</b>	<b>162408.88</b>	<b>322787.06</b>	<b>158310.31</b>	<b>139376.00</b>	<b>297686.31</b>	<b>157447.01</b>	<b>170595.47</b>	<b>328042.48</b>

1. **अंतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी तय कर दी है तथा राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों पर आधारित प्रत्येक राज्य के राजस्व घाटा अनुदान को अनुमानित किया है। अनुमानित पूर्व अंतरण राजस्व घाटे तथा प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर आबंटन किया गया है।
2. **राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।
3. **राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान:** राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के लिए सहायता अनुदान
4. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए आबंटन किए गए हैं।
5. **स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटन कर दिया गया है।
6. **नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, नये शहरों को बसाने के लिए अनुदान का आबंटन किया गया है।
7. **सांझा नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान हेतु आबंटन किया गया है।
8. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता हेतु निर्धारित किया गया है।
9. **कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता:** यह प्रावधान कोविड-19 टीकाकरण में व्यय को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।
10. **पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता:** इसमें राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु ऋण में विस्तार का प्रावधान किया गया है।
11. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था, बैक-टू-बैक (बी2बी) आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह प्रदाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए निधियों का प्रावधान किया गया है।
12. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए निधियों का प्रावधान पूँजीगत भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मुख्य शीर्ष 6002 के तहत की जाती है।

- 13.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण (एनडीआरएफ):** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।
- 14.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से निधियों की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
- 14.02. **राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता
15. **राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम):** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मांग संख्या 43  
मत्स्यपालन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1329.20	4.09	1333.29	2597.44	19.00	2616.44	1656.82	9.65	1666.47	2681.05	22.62	2703.67
वसूलियां	-44.47	...	-44.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1284.73</b>	<b>4.09</b>	<b>1288.82</b>	<b>2597.44</b>	<b>19.00</b>	<b>2616.44</b>	<b>1656.82</b>	<b>9.65</b>	<b>1666.47</b>	<b>2681.05</b>	<b>22.62</b>	<b>2703.67</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	27.78	0.53	28.31	64.92	1.80	66.72	36.10	1.90	38.00	37.88	2.05	39.93
1.02 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.11	...	2.11	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.42	...	2.42
जोड़- सचिवालय	29.89	0.53	30.42	67.12	1.80	68.92	38.30	1.90	40.20	40.30	2.05	42.35
2. मात्स्यिकी संस्थान	106.74	3.56	110.30	125.82	17.20	143.02	80.62	4.15	84.77	125.45	16.57	142.02
3. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>136.62</b>	<b>4.09</b>	<b>140.71</b>	<b>192.94</b>	<b>19.00</b>	<b>211.94</b>	<b>118.92</b>	<b>6.05</b>	<b>124.97</b>	<b>165.75</b>	<b>18.62</b>	<b>184.37</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	24.40	...	24.40	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
5. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-2.18	...	-2.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>22.22</b>	<b>...</b>	<b>22.22</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>...</b>	<b>25.00</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
6. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	5.20	...	5.20	5.72	...	5.72	5.00	...	5.00	6.30	...	6.30
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	14.80	...	14.80	16.78	...	16.78	11.50	...	11.50	18.00	...	18.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>20.00</b>	<b>...</b>	<b>20.00</b>	<b>22.50</b>	<b>...</b>	<b>22.50</b>	<b>16.50</b>	<b>...</b>	<b>16.50</b>	<b>24.30</b>	<b>...</b>	<b>24.30</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>ब्लू रेवोल्यूशन</b>												
8. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1148.17	...	1148.17	2352.00	...	2352.00	1496.40	3.60	1500.00	2461.00	4.00	2465.00
9. वास्तविक बसूलियां	-42.28	...	-42.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>1105.89</b>	<b>...</b>	<b>1105.89</b>	<b>2352.00</b>	<b>...</b>	<b>2352.00</b>	<b>1496.40</b>	<b>3.60</b>	<b>1500.00</b>	<b>2461.00</b>	<b>4.00</b>	<b>2465.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1284.73</b>	<b>4.09</b>	<b>1288.82</b>	<b>2597.44</b>	<b>19.00</b>	<b>2616.44</b>	<b>1656.82</b>	<b>9.65</b>	<b>1666.47</b>	<b>2681.05</b>	<b>22.62</b>	<b>2703.67</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. मत्स्य पालन	272.75	...	272.75	606.39	...	606.39	517.22	...	517.22	712.25	...	712.25
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.88	...	29.88	67.12	...	67.12	38.30	...	38.30	40.30	...	40.30
3. मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.56	3.56	...	17.20	17.20	...	7.75	7.75	...	20.57	20.57
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.53	0.53	...	1.80	1.80	...	1.90	1.90	...	2.05	2.05
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>302.63</b>	<b>4.09</b>	<b>306.72</b>	<b>673.51</b>	<b>19.00</b>	<b>692.51</b>	<b>555.52</b>	<b>9.65</b>	<b>565.17</b>	<b>752.55</b>	<b>22.62</b>	<b>775.17</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	235.98	...	235.98	172.00	...	172.00	255.00	...	255.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	974.24	...	974.24	1598.46	...	1598.46	888.30	...	888.30	1573.50	...	1573.50
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	7.86	...	7.86	89.49	...	89.49	41.00	...	41.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>982.10</b>	<b>...</b>	<b>982.10</b>	<b>1923.93</b>	<b>...</b>	<b>1923.93</b>	<b>1101.30</b>	<b>...</b>	<b>1101.30</b>	<b>1928.50</b>	<b>...</b>	<b>1928.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1284.73</b>	<b>4.09</b>	<b>1288.82</b>	<b>2597.44</b>	<b>19.00</b>	<b>2616.44</b>	<b>1656.82</b>	<b>9.65</b>	<b>1666.47</b>	<b>2681.05</b>	<b>22.62</b>	<b>2703.67</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों को योगदान तथा उपग्रह के पट्टे किराये के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान के लिए है।

2. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थानों के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट ग्राव्हेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, सेंटरल इंस्टीट्यूट फॉर फिसर मैन नोटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

4. **मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ):** यह प्रावधान देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के लिए रखा जाता है। कैबिनेट नोट के अनुसार, इस योजना को 2024-25 में केंद्र प्रायोजित योजना से केंद्रीय क्षेत्र की योजना में पुनः वर्गीकृत किया गया है। चूंकि खाता शीर्ष पिछले वर्ष से अपरिवर्तित है, इसलिए सीएस के अंतर्गत 2023-24 के लिए वास्तविक आंकड़े भी इस योजना में शामिल किए गए हैं।

6. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है।

8. **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** इस योजना का उद्देश्य मछुआरों के कल्याण सहित भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मांग संख्या 44  
पशुपालन और डेयरी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	3310.83	174.67	3485.50	4693.57	237.67	4931.24	3787.11	227.14	4014.25	4469.45	585.95	5055.40	
वसूलियां	-144.46	...	-144.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
प्राप्तियां	-141.94	...	-141.94	-410.00	...	-410.00	-175.00	...	-175.00	-215.00	...	-215.00	
निवल	3024.43	174.67	3199.10	4283.57	237.67	4521.24	3612.11	227.14	3839.25	4254.45	585.95	4840.40	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. सचिवालय													
1.01	स्थापना व्यय	52.91	2.09	55.00	49.69	1.34	51.03	64.33	1.83	66.16	78.05	1.95	80.00
1.02	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.76	...	2.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- सचिवालय		55.67	2.09	57.76	49.69	1.34	51.03	64.33	1.83	66.16	78.05	1.95	80.00
2.	पशु स्वास्थ्य संस्थान	19.31	2.33	21.64	19.44	35.97	55.41	22.14	38.12	60.26	30.66	69.34	100.00
3.	लघु पशुधन संस्थान	31.32	2.03	33.35	36.89	3.21	40.10	35.51	2.49	38.00	43.74	6.26	50.00
4.	नस्ल सुधार संस्थान	26.73	10.47	37.20	33.69	4.03	37.72	30.40	7.60	38.00	35.05	14.95	50.00
5.	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र	18.65	0.41	19.06	23.01	11.12	34.13	22.00	4.00	26.00	29.69	15.20	44.89
6.	वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>		151.66	17.33	168.99	162.72	55.67	218.39	174.38	54.04	228.42	217.19	107.70	324.89
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>													
7.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1034.47	...	1034.47	2465.00	...	2465.00	1980.00	...	1980.00	1980.00	...	1980.00
8.	अवसंरचना विकास निधि	271.09	...	271.09	370.00	...	370.00	395.00	...	395.00	460.00	...	460.00
9.	डेयरी विकास	370.82	...	370.82	220.00	151.00	371.00	299.00	151.00	450.00	524.55	475.45	1000.00
10.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	869.13	...	869.13	700.00	...	700.00	268.00	...	268.00	0.01	...	0.01
11.	वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-87.01	...	-87.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>		2458.50	...	2458.50	3755.00	151.00	3906.00	2942.00	151.00	3093.00	2964.56	475.45	3440.01
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>													
सांविधिक और विनियामक निकाय													



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. पशु कल्याण बोर्ड	10.23	...	10.23	10.00	...	10.00	9.84	...	9.84	10.30	...	10.30
13. पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीपीसीएसईए)	1.51	...	1.51	1.61	...	1.61	1.61	...	1.61	1.70	...	1.70
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>11.74</b>	<b>...</b>	<b>11.74</b>	<b>11.61</b>	<b>...</b>	<b>11.61</b>	<b>11.45</b>	<b>...</b>	<b>11.45</b>	<b>12.00</b>	<b>...</b>	<b>12.00</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
14. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	4.00	...	4.00	13.74	...	13.74	8.13	...	8.13	10.00	...	10.00
<b>अन्य</b>												
15. दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)												
15.01 डीएमएस के व्यय	195.69	0.03	195.72	379.00	31.00	410.00	152.90	22.10	175.00	212.20	2.80	215.00
15.02 कम प्राप्तियां	-141.94	...	-141.94	-410.00	...	-410.00	-175.00	...	-175.00	-215.00	...	-215.00
	<i>निवल</i>	<i>0.03</i>	<i>53.78</i>	<i>-31.00</i>	<i>31.00</i>	<i>...</i>	<i>-22.10</i>	<i>22.10</i>	<i>...</i>	<i>-2.80</i>	<i>2.80</i>	<i>...</i>
16. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	2.50	...	2.50	3.25	...	3.25	3.50	...	3.50
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>53.75</b>	<b>0.03</b>	<b>53.78</b>	<b>-28.50</b>	<b>31.00</b>	<b>2.50</b>	<b>-18.85</b>	<b>22.10</b>	<b>3.25</b>	<b>0.70</b>	<b>2.80</b>	<b>3.50</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>69.49</b>	<b>0.03</b>	<b>69.52</b>	<b>-3.15</b>	<b>31.00</b>	<b>27.85</b>	<b>0.73</b>	<b>22.10</b>	<b>22.83</b>	<b>22.70</b>	<b>2.80</b>	<b>25.50</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
17. विकास कार्यक्रम												
17.01 पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	22.90	...	22.90	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	250.00	...	250.00
17.02 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	370.31	...	370.31	324.00	...	324.00	450.00	...	450.00	800.00	...	800.00
17.03 सहकारी समितियों द्वारा डेयरिंग (ईएपी)	9.00	157.31	166.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़- विकास कार्यक्रम</i>	<i>402.21</i>	<i>157.31</i>	<i>559.52</i>	<i>369.00</i>	<i>...</i>	<i>369.00</i>	<i>495.00</i>	<i>...</i>	<i>495.00</i>	<i>1050.00</i>	<i>...</i>	<i>1050.00</i>
18. वास्तविक वसूलियां	-57.43	...	-57.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>344.78</b>	<b>157.31</b>	<b>502.09</b>	<b>369.00</b>	<b>...</b>	<b>369.00</b>	<b>495.00</b>	<b>...</b>	<b>495.00</b>	<b>1050.00</b>	<b>...</b>	<b>1050.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3024.43</b>	<b>174.67</b>	<b>3199.10</b>	<b>4283.57</b>	<b>237.67</b>	<b>4521.24</b>	<b>3612.11</b>	<b>227.14</b>	<b>3839.25</b>	<b>4254.45</b>	<b>585.95</b>	<b>4840.40</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. पशु पालन	1982.01	...	1982.01	2693.98	...	2693.98	2210.33	...	2210.33	2287.17	...	2287.17
2. डेयरी विकास	587.74	...	587.74	377.00	...	377.00	464.90	...	464.90	697.75	...	697.75
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	55.65	...	55.65	49.69	...	49.69	64.33	...	64.33	78.05	...	78.05
4. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.24	15.24	...	54.33	54.33	...	52.21	52.21	...	105.75	105.75
5. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.03	0.03	...	31.00	31.00	...	22.10	22.10	...	2.80	2.80
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.09	2.09	...	1.34	1.34	...	1.83	1.83	...	1.95	1.95
7. डेयरी विकास के लिए ऋण	...	157.31	157.31	...	151.00	151.00	...	151.00	151.00	...	475.45	475.45

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2625.40</b>	<b>174.67</b>	<b>2800.07</b>	<b>3120.67</b>	<b>237.67</b>	<b>3358.34</b>	<b>2739.56</b>	<b>227.14</b>	<b>2966.70</b>	<b>3062.97</b>	<b>585.95</b>	<b>3648.92</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	431.50	...	431.50	153.93	...	153.93	270.96	...	270.96
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	389.35	...	389.35	696.30	...	696.30	693.98	...	693.98	875.59	...	875.59
10. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	9.68	...	9.68	35.10	...	35.10	24.64	...	24.64	44.93	...	44.93
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>399.03</b>	<b>...</b>	<b>399.03</b>	<b>1162.90</b>	<b>...</b>	<b>1162.90</b>	<b>872.55</b>	<b>...</b>	<b>872.55</b>	<b>1191.48</b>	<b>...</b>	<b>1191.48</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3024.43</b>	<b>174.67</b>	<b>3199.10</b>	<b>4283.57</b>	<b>237.67</b>	<b>4521.24</b>	<b>3612.11</b>	<b>227.14</b>	<b>3839.25</b>	<b>4254.45</b>	<b>585.95</b>	<b>4840.40</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय और मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली के व्यय के लिए है। इसमें पीएओ (डीएमएस) नई दिल्ली और पीएओ एचडीएंडएफ मुंबई की स्थापना व्यय का प्रावधान भी शामिल है।

2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान आदि के लिए है।

3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ पालन फार्म के लिए है।

4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय झुंड पंजीकरण योजना आदि के लिए है।

5. **पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र:** यह प्रावधान पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र के लिए है।

7. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और खुरपका के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक एकल योजना में मिला दिया गया है जिसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा अवसंरचना के सुजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों के कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियां रखी जाती हैं।

8. **अवसंरचना विकास निधि:** आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एचआईडीएफ) को डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के साथ विलय कर दिया गया है, ताकि व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी आदि की स्थापना की जा सके। बजट प्रावधान राज्य सहकारी डेयरी संघ (पूर्ववर्ती राज्य सहकारी डेयरी संघों को सहायता) की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की सहायता के लिए भी है।

9. **डेयरी विकास:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां निर्गत करने के लिए और डेयरी विकास योजना के सहकारिता घटक-बी के माध्यम से डेयरी के लिए है, जिसे जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से शुरू किया गया है, जो ओडीए ऋण सहायता प्रदान करेगा।

10. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।

12. **पशु कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना व्यय के लिए है।

13. **पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीपीसीएसईए):** यह प्रावधान कार्यालय के स्थापना व्यय और योजना के कार्यान्वयन के लिए है। यह कार्यालय पशु अधिनियम 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत क्रूरता की रोकथाम के लिए किया गया था और पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित किया गया था। पहले इस प्रावधान को एनआईएडब्ल्यू के बजट के साथ जोड़ा गया था।

14. **भारतीय पशु चिकित्सा परिषद:** यह प्रावधान वेतन, अन्य खर्चों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के भवन के निर्माण के लिए है।

15. **दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस):** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसकी प्रारंभ में सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।

16. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए रखा गया है।

17. **विकास कार्यक्रम:** श्वेत क्रांति के विभिन्न घटकों के पुनर्विलोकन और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद श्वेत क्रांति योजना का नाम बदलकर विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और ii) पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, विकास कार्यक्रम के घटक हैं। इस आबंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

17.01. **पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए है, जिसमें 20 वीं पशुधन जनगणना के लिए प्रारंभिक कार्य 2017 शुरू हो चुका है और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों अर्थात् दूध, अंडे, मांस और ऊन आदि के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।

17.02. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन क्षेत्र, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के सतत विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
मांग संख्या 45  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2942.59	1.92	2944.51	4016.46	2.54	4019.00	3423.78	3.01	3426.79	5264.96	2.64	5267.60
<b>वसूलियां</b>	-681.83	...	-681.83	-729.00	...	-729.00	-630.00	...	-630.00	-903.38	...	-903.38
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2260.76</b>	<b>1.92</b>	<b>2262.68</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>	<b>2793.78</b>	<b>3.01</b>	<b>2796.79</b>	<b>4361.58</b>	<b>2.64</b>	<b>4364.22</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	77.94	1.73	79.67	119.98	2.00	121.98	103.51	2.89	106.40	85.49	2.10	87.59
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	0.50	...	0.50	0.51	...	0.51	0.30	...	0.30
3. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>77.90</b>	<b>1.73</b>	<b>79.63</b>	<b>120.48</b>	<b>2.00</b>	<b>122.48</b>	<b>104.02</b>	<b>2.89</b>	<b>106.91</b>	<b>85.79</b>	<b>2.10</b>	<b>87.89</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना												
4.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	745.00	...	745.00	729.00	...	729.00	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38
4.02 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	666.21	...	666.21	729.00	...	729.00	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38
4.03 घटाइए- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि को	-666.21	...	-666.21	-729.00	...	-729.00	-630.00	...	-630.00	-903.38	...	-903.38
<b>निवल</b>	<b>745.00</b>	...	<b>745.00</b>	<b>729.00</b>	...	<b>729.00</b>	<b>630.00</b>	...	<b>630.00</b>	<b>903.38</b>	...	<b>903.38</b>
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	590.34	0.14	590.48	1443.98	0.04	1444.02	699.96	0.04	700.00	1199.96	0.04	1200.00
6. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-15.58	...	-15.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1319.76</b>	<b>0.14</b>	<b>1319.90</b>	<b>2172.98</b>	<b>0.04</b>	<b>2173.02</b>	<b>1329.96</b>	<b>0.04</b>	<b>1330.00</b>	<b>2103.34</b>	<b>0.04</b>	<b>2103.38</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली	51.00	...	51.00	65.00	...	65.00	67.55	...	67.55	74.07	...	74.07
8. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर	33.31	...	33.31	50.00	...	50.00	92.33	...	92.33	98.88	...	98.88

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	84.31	...	84.31	115.00	...	115.00	159.88	...	159.88	172.95	...	172.95
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	84.31	...	84.31	115.00	...	115.00	159.88	...	159.88	172.95	...	172.95
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
9. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना	778.79	0.05	778.84	879.00	0.50	879.50	1199.92	0.08	1200.00	1999.50	0.50	2000.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>2260.76</b>	<b>1.92</b>	<b>2262.68</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>	<b>2793.78</b>	<b>3.01</b>	<b>2796.79</b>	<b>4361.58</b>	<b>2.64</b>	<b>4364.22</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	1418.60	...	1418.60	2249.48	...	2249.48	1452.20	...	1452.20	2217.25	...	2217.25
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	77.90	...	77.90	119.98	...	119.98	103.51	...	103.51	85.49	...	85.49
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.19	0.19	...	0.54	0.54	...	0.12	0.12	...	0.54	0.54
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.73	1.73	...	2.00	2.00	...	2.89	2.89	...	2.10	2.10
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1496.50</b>	<b>1.92</b>	<b>1498.42</b>	<b>2369.46</b>	<b>2.54</b>	<b>2372.00</b>	<b>1555.71</b>	<b>3.01</b>	<b>1558.72</b>	<b>2302.74</b>	<b>2.64</b>	<b>2305.38</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	165.00	...	165.00	183.00	...	183.00	290.34	...	290.34
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	758.62	...	758.62	741.00	...	741.00	1013.07	...	1013.07	1744.00	...	1744.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.64	...	5.64	12.00	...	12.00	42.00	...	42.00	24.50	...	24.50
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>764.26</b>	<b>...</b>	<b>764.26</b>	<b>918.00</b>	<b>...</b>	<b>918.00</b>	<b>1238.07</b>	<b>...</b>	<b>1238.07</b>	<b>2058.84</b>	<b>...</b>	<b>2058.84</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2260.76</b>	<b>1.92</b>	<b>2262.68</b>	<b>3287.46</b>	<b>2.54</b>	<b>3290.00</b>	<b>2793.78</b>	<b>3.01</b>	<b>2796.79</b>	<b>4361.58</b>	<b>2.64</b>	<b>4364.22</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन और वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

4. **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की निम्नलिखित योजनाओं के

वित्तपोषण के लिए किया गया है:

(क)मेगा फूड पार्क योजना (80.40 करोड़ रुपये),

(ख) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा योजना (55.90 करोड़ रुपये),

(ग) एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (171.63 करोड़ रुपये),

(घ) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए योजना (347.28 करोड़ रुपये),

(ङ) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण के लिए योजना (11.10 करोड़ रुपये),

(च) फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना (55.91 करोड़ रुपये),

(छ) मानव संसाधन और संस्थानों के लिए योजना (3.60 करोड़ रुपये),

(ज) ऑपरेशन ग्रीन योजना (177.36 करोड़ रुपये) और

(घ) स्वच्छता कार्य योजना (0.20 करोड़ रुपये)

5. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना को भारत की विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को तैयार करने के लिए सहायता; अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड की सहायता; ऑफ-फार्म के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली:** राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) का नाम बदल कर एनआईएफटीईएम - कुंडली कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान है।

8. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर:** (1) संसद ने दिनांक 26.07.2021 को एनआईएफटीईएम अधिनियम, 2021 पारित किया, जिसके प्रवृत्त होने के बाद आईआईएफपीटी संस्थान, तंजावुर का नाम बदल कर एनआईएफटीईएम - तंजावुर कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है। (2) एनआईएफटीईएम, तंजावुर के विस्तार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु पृथक लेखा शीर्ष खोला गया है।

9. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना:** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई स्कीम के लिए है, जो पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और पांच साल की अवधि में क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	93534.56	2026.45	95561.01	105939.07	3612.29	109551.36	105553.07	2549.73	108102.80	119435.36	3624.44	123059.80
<b>वसूलियां</b>	-15239.95	-29.05	-15269.00	-21894.46	...	-21894.46	-21520.32	...	-21520.32	-27101.93	...	-27101.93
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>78294.61</b>	<b>1997.40</b>	<b>80292.01</b>	<b>84044.61</b>	<b>3612.29</b>	<b>87656.90</b>	<b>84032.75</b>	<b>2549.73</b>	<b>86582.48</b>	<b>92333.43</b>	<b>3624.44</b>	<b>95957.87</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	197.82	5.41	203.23	241.04	10.46	251.50	224.60	10.40	235.00	248.06	13.46	261.52
2. निर्देशन एवं प्रशासन	62.53	0.14	62.67	101.00	1.00	102.00	84.00	1.00	85.00	79.20	0.80	80.00
3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	1793.01	34.09	1827.10	2128.47	32.69	2161.16	2245.82	33.88	2279.70	2294.69	75.31	2370.00
4. सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली	1681.16	162.58	1843.74	1738.85	135.15	1874.00	1807.35	119.15	1926.50	1941.08	238.50	2179.58
5. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	877.54	317.75	1195.29	1051.83	558.17	1610.00	986.57	233.43	1220.00	1120.16	338.10	1458.26
6. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती एस. के. अस्पताल	558.66	13.86	572.52	649.00	101.00	750.00	578.50	51.50	630.00	699.00	101.00	800.00
7. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	144.42	4.83	149.25	172.06	7.94	180.00	151.94	3.91	155.85	174.66	8.50	183.16
8. अन्य अस्पताल / संस्थान	790.97	50.31	841.28	1022.73	96.03	1118.76	888.65	40.84	929.49	1066.53	76.28	1142.81
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>6106.11</b>	<b>588.97</b>	<b>6695.08</b>	<b>7104.98</b>	<b>942.44</b>	<b>8047.42</b>	<b>6967.43</b>	<b>494.11</b>	<b>7461.54</b>	<b>7623.38</b>	<b>851.95</b>	<b>8475.33</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना												
9.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	47.62	1342.40	1390.02	60.00	2140.00	2200.00	70.00	1666.00	1736.00	60.00	2140.00	2200.00
10. राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम												
10.01 एनएसीओ	2308.45	4.99	2313.44	2692.46	7.54	2700.00	2850.37	7.63	2858.00	3177.95	7.82	3185.77
10.02 रक्त संचारण सेवाएं	136.20	...	136.20	185.00	5.00	190.00	140.00	...	140.00	250.00	5.00	255.00
10.03 राष्ट्रीय/राज्य रक्त संचारण काउंसिल	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
<b>जोड़- राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम</b>	<b>2444.65</b>	<b>4.99</b>	<b>2449.64</b>	<b>2879.46</b>	<b>12.54</b>	<b>2892.00</b>	<b>2992.37</b>	<b>7.63</b>	<b>3000.00</b>	<b>3429.95</b>	<b>12.82</b>	<b>3442.77</b>
11. कोविड 19 रेस्पांस मैकेनिज्म 2021 के अंतर्गत वैश्विक निधि अनुदान (ईएपी)	6.13	...	6.13	16.79	108.21	125.00	8.00	117.00	125.00	7.00	348.07	355.07

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
12. परिवार कल्याण योजनाएं	616.59	...	616.59	694.72	...	694.72	619.37	...	619.37	620.48	...	620.48
13. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहल- जुनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	17.05	...	17.05	52.00	...	52.00	30.37	...	30.37	54.01	...	54.01
14. राष्ट्रीय भेषज सतर्कता कार्यक्रम	7.87	...	7.87	8.53	...	8.53	8.53	...	8.53	8.53	...	8.53
15. उपचर्या सेवाओं का विकास	22.86	...	22.86	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	28.74	...	28.74
16. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास	16.11	14.40	30.51	45.17	48.83	94.00	10.49	4.51	15.00	45.17	48.83	94.00
17. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	7.12	0.33	7.45	14.33	0.67	15.00	9.33	0.67	10.00	14.38	0.62	15.00
18. कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - जीवन बीमा स्कीम	15.50	...	15.50	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19. प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएमएवीएचआईएम) (स्वास्थ्य)	139.19	30.36	169.55	280.70	275.87	556.57	198.94	181.06	380.00	342.85	215.60	558.45
20. राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	32.90	...	32.90	90.00	...	90.00	45.00	...	45.00	79.60	...	79.60
21. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम	175.36	...	175.36	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00	340.11	...	340.11
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3548.95</b>	<b>1392.48</b>	<b>4941.43</b>	<b>4363.80</b>	<b>2586.12</b>	<b>6949.92</b>	<b>4239.41</b>	<b>1976.87</b>	<b>6216.28</b>	<b>5030.83</b>	<b>2765.94</b>	<b>7796.77</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
22. विनियामक और संवैधानिक निकाय	593.99	...	593.99	675.21	...	675.21	563.47	...	563.47	584.65	...	584.65
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
23. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली												
23.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से सहायता	4489.67	...	4489.67	4523.00	...	4523.00	5000.00	...	5000.00	5200.00	...	5200.00
24. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़												
24.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से समर्थन	2123.00	...	2123.00	2200.00	...	2200.00	2240.00	...	2240.00	2400.00	...	2400.00
25. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी												
25.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से समर्थन	1307.00	...	1307.00	1440.00	...	1440.00	1370.00	...	1370.00	1450.00	...	1450.00
26. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	750.54	...	750.54	850.00	...	850.00	780.00	...	780.00	860.00	...	860.00
27. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	416.30	...	416.30	500.00	...	500.00	475.00	...	475.00	530.00	...	530.00
28. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	611.00	...	611.00	619.00	...	619.00	632.30	...	632.30	650.00	...	650.00
29. क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं उपचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल	101.90	...	101.90	130.00	...	130.00	101.00	...	101.00	135.00	...	135.00
30. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	71.10	...	71.10	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	65.00	...	65.00
31. नए एम्स की स्थापना पर व्यय	6579.64	...	6579.64	6800.00	...	6800.00	7500.00	...	7500.00	7639.00	...	7639.00
32. अन्य स्वायत्त निकाय												
32.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से सहायता	765.56	...	765.56	891.62	...	891.62	830.42	...	830.42	1117.07	...	1117.07



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>17215.71</b>	...	<b>17215.71</b>	<b>18013.62</b>	...	<b>18013.62</b>	<b>18978.72</b>	...	<b>18978.72</b>	<b>20046.07</b>	...	<b>20046.07</b>
<b>अन्य</b>												
33. सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी)	4282.72	...	4282.72	5384.00	...	5384.00	5440.00	...	5440.00	5540.00	...	5540.00
34. भारत और विदेश में सामग्री की खरीद												
34.01 सकल बजटीय सहायता	292.73	...	292.73	390.00	...	390.00	380.00	...	380.00	380.00	...	380.00
34.02 घटाएं वसूलियां	-272.14	...	-272.14	-390.00	...	-390.00	-380.00	...	-380.00	-380.00	...	-380.00
<i>निवल</i>	<i>20.59</i>	...	<i>20.59</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	125.20	45.00	170.20	102.00	77.23	179.23	93.93	78.13	172.06	96.00	...	96.00
36. अन्य विविध व्यय												
36.01 सकल बजटीय सहायता	161.52	...	161.52	188.43	...	188.43	188.60	...	188.60	377.59	...	377.59
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>4590.03</b>	<b>45.00</b>	<b>4635.03</b>	<b>5674.43</b>	<b>77.23</b>	<b>5751.66</b>	<b>5722.53</b>	<b>78.13</b>	<b>5800.66</b>	<b>6013.59</b>	...	<b>6013.59</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>22399.73</b>	<b>45.00</b>	<b>22444.73</b>	<b>24363.26</b>	<b>77.23</b>	<b>24440.49</b>	<b>25264.72</b>	<b>78.13</b>	<b>25342.85</b>	<b>26644.31</b>	...	<b>26644.31</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</b>												
37. आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सीबल पूल												
37.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	29317.86	...	29317.86	32294.07	0.50	32294.57	32137.64	0.61	32138.25	35259.68	0.55	35260.23
	-4466.65	...	-4466.65	-6746.78	...	-6746.78	-6756.78	...	-6756.78	-9043.19	...	-9043.19
<i>निवल</i>	<i>24851.21</i>	...	<i>24851.21</i>	<i>25547.29</i>	<i>0.50</i>	<i>25547.79</i>	<i>25380.86</i>	<i>0.61</i>	<i>25381.47</i>	<i>26216.49</i>	<i>0.55</i>	<i>26217.04</i>
37.02 पीएमएसएसएन से सहायता	...	...	...	3235.21	...	3235.21	3235.21	...	3235.21	3373.12	...	3373.12
37.03 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	...	...	...	...	...	...	166.32	...	166.32	419.76	...	419.76
37.04 पीएमएसएसएन में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3373.12	...	3373.12
37.05 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-3373.12	...	-3373.12
<i>निवल</i>	<i>24851.21</i>	...	<i>24851.21</i>	<i>28782.50</i>	<i>0.50</i>	<i>28783.00</i>	<i>28782.39</i>	<i>0.61</i>	<i>28783.00</i>	<i>30009.37</i>	<i>0.55</i>	<i>30009.92</i>
38. अवसंरचना रखरखाव												
38.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	6077.20	...	6077.20	3831.32	...	3831.32	3831.32	...	3831.32	3569.38	...	3569.38
38.02 पीएमएसएसएन से सहायता	1900.00	...	1900.00	3168.68	...	3168.68	3168.68	...	3168.68	3430.62	...	3430.62
38.03 पीएमएसएसएन में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3430.62	...	3430.62
38.04 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-3430.62	...	-3430.62
<i>निवल</i>	<i>7977.20</i>	...	<i>7977.20</i>	<i>7000.00</i>	...	<i>7000.00</i>	<i>7000.00</i>	...	<i>7000.00</i>	<i>7000.00</i>	...	<i>7000.00</i>
39. एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण	214.21	...	214.21	217.00	...	217.00	217.00	...	217.00	217.00	...	217.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</b>	<b>33042.62</b>	...	<b>33042.62</b>	<b>35999.50</b>	<b>0.50</b>	<b>36000.00</b>	<b>35999.39</b>	<b>0.61</b>	<b>36000.00</b>	<b>37226.37</b>	<b>0.55</b>	<b>37226.92</b>
40. राज्य औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करना	48.58	...	48.58	75.00	...	75.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
41. विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम	258.83	...	258.83	364.26	5.00	369.26	322.90	...	322.90	478.54	5.00	483.54
<b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</b>												
42. <i>स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन</i>												
42.01 सकल बजटीय समर्थन	250.00	...	250.00	220.00	...	220.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
42.02 पीएमएसएसएन से समर्थन	928.78	...	928.78	1054.79	...	1054.79	379.12	...	379.12	1475.00	...	1475.00
42.03 पीएमएसएसएन में अंतरण	150.00	...	150.00	1054.79	...	1054.79	0.06	...	0.06	1475.00	...	1475.00
42.04 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	-7.00	...	-7.00	-1054.79	...	-1054.79	-0.06	...	-0.06	-1475.00	...	-1475.00
<i>निवल</i>	<i>1321.78</i>	...	<i>1321.78</i>	<i>1274.79</i>	...	<i>1274.79</i>	<i>579.12</i>	...	<i>579.12</i>	<i>1675.00</i>	...	<i>1675.00</i>
43. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम)	1805.78	...	1805.78	3200.00	...	3200.00	3000.00	...	3000.00	4200.00	...	4200.00
44. <i>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना</i>												
44.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	78.13	...	78.13	0.01	...	0.01	3.09	...	3.09	...	...	...
45. <i>आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)</i>												
45.01 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01	...	1.00	1.00
45.02 (पीएमएसएसएन) से सहायता	6551.47	...	6551.47	7299.00	...	7299.00	7600.53	...	7600.53	9400.00	...	9400.00
45.03 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
45.05 पीएमएसएसएन में अंतरण	6566.85	...	6566.85	...	...	...	6839.98	...	6839.98	9400.00	...	9400.00
45.07 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	-6447.85	...	-6447.85	...	...	...	-6839.98	...	-6839.98	-9400.00	...	-9400.00
<i>निवल</i>	<i>6670.47</i>	...	<i>6670.47</i>	<i>7299.00</i>	<i>1.00</i>	<i>7300.00</i>	<i>7605.53</i>	<i>0.01</i>	<i>7605.54</i>	<i>9405.00</i>	<i>1.00</i>	<i>9406.00</i>
46. <i>प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)</i>												
46.01 पीएमएसएसएन में अंतरण	7059.78	...	7059.78	14757.68	...	14757.68	7543.50	...	7543.50	...	...	...
46.02 पीएमएसएसएन से पूरी की गई राशि	-2821.78	...	-2821.78	-14757.68	...	-14757.68	-7543.50	...	-7543.50	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>4238.00</i>	...	<i>4238.00</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47. वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	0.16	...	0.16	0.01	...	0.01	1.16	...	1.16	...	...	...
48. वास्तविक वसूलियां	-1224.53	-29.05	-1253.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>46239.82</b>	<b>-29.05</b>	<b>46210.77</b>	<b>48212.57</b>	<b>6.50</b>	<b>48219.07</b>	<b>47561.19</b>	<b>0.62</b>	<b>47561.81</b>	<b>53034.91</b>	<b>6.55</b>	<b>53041.46</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>78294.61</b>	<b>1997.40</b>	<b>80292.01</b>	<b>84044.61</b>	<b>3612.29</b>	<b>87656.90</b>	<b>84032.75</b>	<b>2549.73</b>	<b>86582.48</b>	<b>92333.43</b>	<b>3624.44</b>	<b>95957.87</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. मंत्रि परिषद	0.40	...	0.40	2.00	...	2.00	1.13	...	1.13	2.00	...	2.00
2. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4227.67	...	4227.67	5384.00	...	5384.00	5440.00	...	5440.00	5540.00	...	5540.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>4228.07</b>	...	<b>4228.07</b>	<b>5386.00</b>	...	<b>5386.00</b>	<b>5441.13</b>	...	<b>5441.13</b>	<b>5542.00</b>	...	<b>5542.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	32530.45	...	32530.45	34548.24	...	34548.24	35528.00	...	35528.00	39690.82	...	39690.82
4. परिवार कल्याण	1047.09	...	1047.09	1578.63	...	1578.63	1426.46	...	1426.46	1536.97	...	1536.97
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	197.79	...	197.79	241.04	...	241.04	224.60	...	224.60	248.06	...	248.06
7. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	1966.66	1966.66	...	3510.49	3510.49	...	2462.05	2462.05	...	3420.64	3420.64
8. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.43	3.43	...	12.07	12.07	...	3.91	3.91	...	7.28	7.28
9. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.90	21.90	...	29.00	29.00	...	23.10	23.10	...	133.00	133.00
10. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.41	5.41	...	10.46	10.46	...	10.40	10.40	...	13.46	13.46
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>33775.33</b>	<b>1997.40</b>	<b>35772.73</b>	<b>36368.01</b>	<b>3562.02</b>	<b>39930.03</b>	<b>37179.07</b>	<b>2499.46</b>	<b>39678.53</b>	<b>41475.86</b>	<b>3574.38</b>	<b>45050.24</b>
<b>अन्य</b>												
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	6647.27	...	6647.27	6540.78	...	6540.78	7250.64	...	7250.64
12. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	39140.19	...	39140.19	34099.50	...	34099.50	33417.22	...	33417.22	36482.35	...	36482.35
13. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1151.02	...	1151.02	1543.83	...	1543.83	1454.55	...	1454.55	1582.58	...	1582.58
14. सहायता सामग्री और उपस्कर	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	50.27	50.27	...	50.27	50.27	...	50.06	50.06
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>40291.21</b>	...	<b>40291.21</b>	<b>42290.60</b>	<b>50.27</b>	<b>42340.87</b>	<b>41412.55</b>	<b>50.27</b>	<b>41462.82</b>	<b>45315.57</b>	<b>50.06</b>	<b>45365.63</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>78294.61</b>	<b>1997.40</b>	<b>80292.01</b>	<b>84044.61</b>	<b>3612.29</b>	<b>87656.90</b>	<b>84032.75</b>	<b>2549.73</b>	<b>86582.48</b>	<b>92333.43</b>	<b>3624.44</b>	<b>95957.87</b>

	बजट 2024-2025			बजट 2025-2026		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>						
1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	...	42.02	42.02	...	15.00	15.00
2. एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	...	49.73	49.73	...	38.31	38.31
3. गोवा प्रतिजीवी और भेषज लिमिटेड	...	0.03	0.03	...	5.67	5.67
<b>जोड़</b>	...	<b>91.78</b>	<b>91.78</b>	...	<b>58.98</b>	<b>58.98</b>

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय हेतु प्रावधान हैं।

2. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है और देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना को एकत्र करने, प्रसंस्कृत करने एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है।

3. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** यह सांसदों, पूर्व-सांसदों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के अलावा यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधा केंद्रों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/इकाइयों के नेटवर्क के जरिए बहिरंग रोगी परिचर्या शामिल है।

4. **सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का अस्पताल है जो चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। यह अपने परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी भी संचालित करता है। इस अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा कॉलेज वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज है।

5. **डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. अटल बिहारी बाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** यह एक केंद्रीय सरकार का अस्पताल जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, संसद सदस्यों आदि के लिए एक नर्सिंग होम है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्नातक छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक स्कूल ऑफ नर्सिंग भी चलाया जा रहा है। अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज है जो अटल बिहारी बाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान से संबद्ध है।

6. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती एस. के. अस्पताल:** इसे महिलाओं के लिए स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु, छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए और महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कॉलेज में संबद्ध अस्पताल अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय भी हैं। यह नर्सिंग स्कूल भी संचालित करता है जहां नर्सिंग एवं मिड-वार्डफ्री संबंधी पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** यह बच्चों के रोगों में विशेषज्ञता का अस्पताल है और इसका प्रबंधन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह बाल चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान में सुविधाएं तथा बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

8. **अन्य अस्पताल / संस्थान:** इसमें चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था है जैसे केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, रांची, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, आरएके नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, केंद्रीय/क्षेत्रीय कुछ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, वीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुडन्डी, चेन्नई, सीआरआई, कसौली, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता, सीसीटीसी सिंगूर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, बाम्बे, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ आदि।

9. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें देश के कम सेवा वाले क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक देखभाल में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना के दो व्यापक घटक हैं: (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ख) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। इस योजना के तहत अब तक 22 नए एम्स की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) की 75 उन्नयन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत छह एम्स (एम्स-भोपाल, एम्स-भुवनेश्वर, एम्स-जोधपुर, एम्स-पटना, एम्स-रायपुर और एम्स-ऋषिकेश) पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल द्वारा बाद के चरणों में 16 एम्स को स्वीकृति/मंजूरी

दी गई, जिनमें से 12 एम्स अर्थात् गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश), बीबीनगर (तेलंगाना), बठिंडा (पंजाब) देवघर (झारखंड), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), राजकोट (गुजरात), गुवाहाटी (असम) और त्रिजयपुर (जम्मू) कार्य कर रहे हैं। एम्स मदुरै (तमिलनाडु), दरभंगा (बिहार), अवंतीपुरा (कश्मीर) और रेवाड़ी (हरियाणा) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। उन्नयन कार्यक्रम में मोटे तौर पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ग्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से तृतीयक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार की परिकल्पना की गई है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की 69 उन्नयन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

10. **राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इनमें (क) रोकथाम (i) उच्च जोखिम समूहों और संक्रमण संवाही आबादी के बीच लक्षित कार्यक्रमलाप, (ii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां, (iii) एसटीआई का उपचार, (iv) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन, (v) माता-पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान, (vi) संपर्क कार्यकर्ता योजना के माध्यम से ग्रामीण जन सम्पर्क, (ख) एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की परिचर्या, सहयोग एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्रियाकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, तथा (घ) रणनीतिक सूचना प्रबंधन हेतु क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। (बीटीएस) इसमें देश में 3700 से अधिक सरकारी/ गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त रक्त केंद्र शामिल हैं, जिनमें से 1131 एनएसीओ समर्थित रक्त केंद्र अस्पताल आधारित या स्वतंत्र हैं। बीटीएस में शामिल हैं - 26 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, 34 मॉडल रक्त केंद्र, 367 रक्त घटक पृथक्करण इकाई (बीसीएसयू), 186 प्रमुख रक्त केंद्र 544 जिला स्तरीय रक्त बैंक (डीएलबीबी) एनबीटीसी देश के लिए एक स्थायी और सुरक्षित रक्त आधान सेवा के संगठन, संचालन, मानकों और प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों के लिए नीति बनाने वाला शीर्ष निकाय है।

11. **कोविड 19 रेस्पॉन्स मैकेनिज्म 2021 के अंतर्गत वैश्विक निधि अनुदान (ईएपी):** वैश्विक निधि मोबाइल पीएसए इकाइयों, एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, दबाव स्विग सोखने वाले संयंत्र, ट्रेनिंग कैजुअल बूस्टर पंप, सिलेंडर रिफिलिंग बूस्टर पंप के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और ऑक्सीजन प्रबंधन और प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए 100% अनुदान प्रदान कर रहा है।

12. **परिवार कल्याण योजनाएं:** इस योजना में स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, सामाजिक विपणन तथा निःशुल्क संवितरण हेतु गर्भनिरोधकों की खरीद, एनएसवी/रिकेनेलाइजेशन तकनीकों में डॉक्टरों के प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है।

13. **एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहल- जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** इस योजना में जन स्वास्थ्य महत्व के संचारी/संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण और अन्य स्वास्थ्य पहलों के सुदृढीकरण के क्षेत्र में जानकारी को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में परिकल्पना की गई है।

14. **राष्ट्रीय भेषज सतर्कता कार्यक्रम:** इसमें एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रावधान है जिसका उद्देश्य भारत में सामान्यतः निर्धारित दवाओं के प्रति प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) एकत्रित करना है तथा देश में नई दवाओं के आने के बाद उनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा पर डाटा बेस बनाए रखना है।

15. **उपचर्या सेवाओं का विकास:** इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजना का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिचर्या कर्मियों को परिचर्या शिक्षा, प्रशासन में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के क्रम में नर्सों को प्रशिक्षण देना तथा नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नर्सिंग कालेज करने के लिए नर्सिंग स्कूलों की अवसंरचना को सुदृढ करना/ उनका उन्नयन करना है।

16. **स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास:** इस योजना को आपदाओं के स्वास्थ्य पहलुओं से निपटने के लिए मानव संसाधन में क्षमता निर्माण, अस्पतालों हेतु आपदा समुत्थानशीलता के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेपों में क्षमता निर्माण, जोखिम में कमी के लिए जागरूकता पैदा करना जोखिम संचार को बढ़ावा देने और संवेदनशील राज्यों/जिलों में पहचाने गए अस्पतालों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीवीआरएन) आपदाओं के चिकित्सा पहलुओं से निपटने के लिए विशेष क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

17. **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत अंग प्रत्यारोपण हेतु पात्र मामलों के लिए अंग की खरीद करने तथा उनके वितरण की प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपलब्ध है।

18. **कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - जीवन बीमा स्कीम:** यह कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की बीमा योजना है, जिसे स्वास्थ्य कर्मियों को 50.00 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए दिनांक 30.3.2020 से लागू किया गया है। इस योजना को समय-समय पर आवधिक रूप से बढ़ाया गया है और यदि कोई लंबित बकाया राशि हो, को निपटाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़ाया जा रहा है। यह योजना कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले और कोविड-19 महामारी या आकस्मिक मृत्यु के कारण जानमाल के नुकसान के मामले में फ्रंट-लाइन के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए थी। पिछले वर्ष की देनदारियों को पूरा करने के लिए एक टोकन रखा जाता है।

19. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएवीएचआईएम) (स्वास्थ्य):** यह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम एवीएचआईएम के तहत उपाय वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

20. **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के एक डिजिटल घटक के रूप में 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।

21. **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम:** इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने हेतु व्यवस्था दी गई है, जो प्रभावशाली, सर्वसुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध रूप से और सुरक्षित तरीके से डाटा की विस्तृत रेंज, सूचना और अवसंरचना सेवाओं के प्रावधान, जैसे खुले, अंतर प्रचालनीय, मानकों पर आधारित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करता है।

22. **विनियामक और संवैधानिक निकाय:** एफएसएसआई- इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आईपीसी -यह भारतीय भेषज संग्रह और उसका परिशिष्ट प्रकाशित करने, भारतीय भेषज संग्रह संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) और अशुद्धता मानक तैयार करने तथा उन्हें वैध करने और औषधि विश्लेषक, औषधि निरीक्षकों तथा स्टेकहोल्डरों आदि का कौशल विकास का कार्य करता है। एनएमसी - यह सांविधिक निकाय है जिसे भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित करने और बनाए रखने तथा चिकित्सा अहंताओं को मान्यता प्रदान करने का

उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों को पंजीकृत करती है ताकि चिकित्सा पद्धति में समुचित मानक सुनिश्चित करके जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

डीसीआई- यह संपूर्ण भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के पेशे को विनियमित करने हेतु संसद के अधिनियम अर्थात् दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के अंतर्गत समावेशित एक सांविधिक निकाय है। पीसीआई- यह स्नातक स्तर तक फार्मसी शिक्षा तथा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु एवं फॉर्मासिस्ट के रूप में अर्हता के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु शासित एक सांविधिक निकाय है। आइएनसी - यह नर्सों, मिडवाइव और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के एकसमान मानदंड स्थापित करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। एनएमएस - यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत गठित ऐसा उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करता है और उपयोग में लाता है। एनबीई - यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देश में अपनी ही तरह का एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मानदंड स्थापित करने तथा उनके स्तर को उत्कृष्ट करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

23. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग और अनुसंधान संचालित करना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र इसके साथ संबद्ध है।

24. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। इसके कार्य भी एम्स, नई दिल्ली के कार्यों के समान ही है, किन्तु इसकी स्थापना स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए की गई है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अस्पताल सेवाओं का केंद्र है।

25. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी:** यह संस्थान शिक्षा, रोगी आधारित विशेष अनुसंधान, जनसमुदाय स्वास्थ्य एवं सेवा उत्कृष्टता द्वारा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से दयालु, नैतिकता से परिपूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायी को विकसित करना तथा स्वास्थ्य उपचार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान करना है।

26. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु:** यह मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह संस्थान एक मानद विश्वविद्यालय है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में इस क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।

27. **इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग:** इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को विशेष चिकित्सीय परिचर्या उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित चिकित्सा जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

28. **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल:** यह इम्फाल में स्थापित चिकित्सा संस्थान है जिसमें 1315 बिस्तरों का अस्पताल है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा यहां 125 एमबीबीएस, 50 बीडीएस, 50 बीएससी नर्सिंग और 166 स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) और संपूर्ण भारत से छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाते हैं।

29. **क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं उपचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल:** इस संस्थान की मौजूदा 5 डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने के लिए 9वें आरआईपीएस (क्षेत्रीय पैरा-मेडिकल विज्ञान संस्थान) के रूप में पहचान की गई है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को नर्सिंग, फार्मसी और पैरा-मेडिकल विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध कराना है।

30. **लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर:** यह पूर्वोत्तर में प्रमुख तृतीयक मनोचिकित्सा परिचर्या संस्थान है। यह संस्थान संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। रोगी परिचर्या सेवाओं के अलावा संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है।

31. **नए एम्स की स्थापना पर व्यय:** इसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों पर 22 नए एम्स स्थापित करने के लिए स्थापना व्यय का प्रावधान किया गया है।

32. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें विभिन्न स्वायत्त निकायों अर्थात् राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी), नई दिल्ली, बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा, सीएनसीआई, कोलकाता, अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई और चिकित्सा विज्ञान संस्थान - वीएचयू, वाराणसी आदि के लिए प्रावधान है।

33. **सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी):** इसमें सीजीएचएस पेंशनभोगियों और पूर्व सांसदों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उप राष्ट्रपतियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।

34. **भारत और विदेश में सामग्री की खरीद:** इसके तहत सरकारी अस्पतालों की जरूरत को पूरा करने के लिए चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा औषध, औषधियों एवं उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है।

35. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसायटी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समिति को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों पर अन्य व्यय का प्रावधान है।

36. **अन्य विविध व्यय:** इसमें विविध गैर-योजना संबंधी व्यय अर्थात् सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाओं, चोट या मृत्यु के कारण पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान, हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की खरीद, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आदि का प्रावधान है।

37. **आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सीबल पूल:** यह राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत योजना और समुदायनशील प्रोग्रामिंग का समर्थन करने के लिए राज्यों को अंतरण का प्रावधान करता है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिणामों और समुदाय आधारित निगरानी और मूल्यांकन पर ध्यान देने के साथ राज्य और जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) का विकास शामिल है। मिशन के तहत गतिविधियों में वेक्टर जनित रोगों, टीबी और कुछ रोग आदि पर नियंत्रण सहित ग्रामीण आवादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसमें शहरी गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देने के साथ शहरी आवादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के लिए अंतरण भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत हुए

आवंटन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम- जनमन): योजना के लिए सं. अ. 2024-25 में 143.39 करोड़ रुपये और व.अ. 2025-26 में 145.96 करोड़ रुपये शामिल हैं।

38. **अवसंरचना रखरखाव:** यह योजना निर्देशन और प्रशासन (राज्य और जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो), उप-केंद्र, शहरी परिवार कल्याण केंद्र, शहरी सुधार योजना (स्वास्थ्य पदों), सहायक और नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) और महिला स्वास्थ्य आंगतुक (एलएचवी) प्रशिक्षण स्कूल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र और बहुउद्देश्यीय श्रमिकों (पुरुष) का प्रशिक्षण के लिए वेतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। यह व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि, इस घटक के तहत किसी भी नए स्वास्थ्य उप-केंद्र (एसएचसी) या स्वास्थ्य पदों का समर्थन केवल भारत सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवंटन में 2024-25 में संशोधित अनुमान 46.23 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) हेतु 2025-26 में बजट अनुमान 46.23 करोड़ रुपये किया गया है।

39. **एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण:** इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, परिचालन अनुसंधान, अन्य संस्थानों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता प्रदान करने का प्रावधान है।

40. **राज्य औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करना:** इसमें देश में औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

41. **विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम:** इसमें तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजनाओं जैसे तंबाकू नियंत्रण और नशा मुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ट्रॉमा केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और टेली मेडिसिन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अंतरण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रावधान है।

42. **स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन:** इसमें नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों को उन्नत करना) और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक सीटों की वृद्धि आदि के लिए विधायिका वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण का प्रावधान है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान पर नर्सिंग शिक्षा को बढ़ाने और नर्सिंग के नए कॉलेजों (सीओएन) की स्थापना के लिए विधायिका वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतरण का प्रावधान है।

43. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम):** यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के उपायों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों में कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम एबीएचआईएम के तहत उपायों में वर्तमान और भविष्य की महामारियों / आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

44. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** आयुष्मान भारत के नाम से एक नई योजना - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के आरंभ के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को बंद कर दिया गया था, जिसमें आरएसबीवाई और एससीएचआईएस को पीएमजेएवाई योजना में शामिल किया गया था। पिछली देनदारियों को पूरा करने के लिए टोकन प्रावधान रखा गया है।

45. **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):** विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना होने के नाते, एबी पीएम-जेएवाई का लक्ष्य देश के गरीब और कमजोर लोगों को द्वितीय और तृतीय मामले में अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। प्रारंभ में, इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों के साथ, लाभार्थी आधार को देश भर में 37 लाख आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) / आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और लगभग 4.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करके आगे बढ़ाया गया है।

46. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन):** संशोधित अनुमान 2024-25 में पीएमएसएसएन को अंतरित 7543.50 करोड़ में शामिल हैं - क) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए समुत्थानशील पूल (₹3235.21 करोड़) ख) अवसंरचना रखरखाव (₹3168.68 करोड़), ग) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन (₹379.06 करोड़) और घ) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (₹760.55 करोड़)

47. **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना:** वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एसएचआईएस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार था, जिसे 01.04.2016 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नाम पर एक नई योजना के आरंभ होने तक लागू किया गया था, जिसमें आरएसबीवाई और एसएचआई को पीएमजेएवाई योजना में शामिल किया गया था। यह योजना 60 वर्ष तथा उसके ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है जोकि आरएसबीवाई के अंतर्गत पहले से ही कवर थे। इसने बीपीएल तथा असंगठित कामगारों की 11 अन्य परिभाषित श्रेणी से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने में सक्षम बनाया। इस योजना को बंद कर दिया गया है। पिछली देनदारियों को पूरा करने के लिए टोकन प्रावधान रखे जाते हैं।



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2857.37	0.11	2857.48	3300.87	0.86	3301.73	3390.62	1.02	3391.64	3899.43	1.26	3900.69
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2857.37</b>	<b>0.11</b>	<b>2857.48</b>	<b>3300.87</b>	<b>0.86</b>	<b>3301.73</b>	<b>3390.62</b>	<b>1.02</b>	<b>3391.64</b>	<b>3899.43</b>	<b>1.26</b>	<b>3900.69</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	38.37	0.11	38.48	51.55	0.80	52.35	41.97	0.96	42.93	44.12	1.15	45.27
2. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण	...	...	...	9.94	0.06	10.00	17.74	0.06	17.80	18.64	0.11	18.75
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>38.37</b>	<b>0.11</b>	<b>38.48</b>	<b>61.49</b>	<b>0.86</b>	<b>62.35</b>	<b>59.71</b>	<b>1.02</b>	<b>60.73</b>	<b>62.76</b>	<b>1.26</b>	<b>64.02</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास</b>												
3. महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.99	...	60.99	57.24	...	57.24
4. स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	69.12	...	69.12	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	150.18	...	150.18
5. महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास /समर्थन	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	3.49	...	3.49
<b>जोड़-स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास</b>	<b>139.12</b>	<b>...</b>	<b>139.12</b>	<b>148.00</b>	<b>...</b>	<b>148.00</b>	<b>148.99</b>	<b>...</b>	<b>148.99</b>	<b>210.91</b>	<b>...</b>	<b>210.91</b>
6. मानव संसाधन तथा क्षमता विकास	82.27	...	82.27	147.04	...	147.04	124.71	...	124.71	149.77	...	149.77
7. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण	254.43	...	254.43	212.21	...	212.21	187.22	...	187.22	350.49	...	350.49
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>475.82</b>	<b>...</b>	<b>475.82</b>	<b>507.25</b>	<b>...</b>	<b>507.25</b>	<b>460.92</b>	<b>...</b>	<b>460.92</b>	<b>711.17</b>	<b>...</b>	<b>711.17</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली	2343.18	...	2343.18	2732.13	...	2732.13	2869.99	...	2869.99	3125.50	...	3125.50
<b>कुल जोड़</b>	<b>2857.37</b>	<b>0.11</b>	<b>2857.48</b>	<b>3300.87</b>	<b>0.86</b>	<b>3301.73</b>	<b>3390.62</b>	<b>1.02</b>	<b>3391.64</b>	<b>3899.43</b>	<b>1.26</b>	<b>3900.69</b>



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2819.00	...	2819.00	3110.32	...	3110.32	3214.95	...	3214.95	3703.64	...	3703.64
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	38.37	...	38.37	51.55	...	51.55	41.97	...	41.97	44.12	...	44.12
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.11	0.11
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.11	0.11	...	0.80	0.80	...	0.96	0.96	...	1.15	1.15
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2857.37</b>	<b>0.11</b>	<b>2857.48</b>	<b>3161.87</b>	<b>0.86</b>	<b>3162.73</b>	<b>3256.92</b>	<b>1.02</b>	<b>3257.94</b>	<b>3747.76</b>	<b>1.26</b>	<b>3749.02</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	139.00	...	139.00	133.70	...	133.70	151.67	...	151.67
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>139.00</b>	<b>...</b>	<b>139.00</b>	<b>133.70</b>	<b>...</b>	<b>133.70</b>	<b>151.67</b>	<b>...</b>	<b>151.67</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2857.37</b>	<b>0.11</b>	<b>2857.48</b>	<b>3300.87</b>	<b>0.86</b>	<b>3301.73</b>	<b>3390.62</b>	<b>1.02</b>	<b>3391.64</b>	<b>3899.43</b>	<b>1.26</b>	<b>3900.69</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण:** प्रभावी लागत, सुरक्षा एवं इच्छिती सहित प्रभावी नैदानिक, आर्थिक विचार का मूल्यांकन करने हेतु स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण प्रणाली प्रदान करना।

3. **महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य वायरल महामारी का प्रबंधन तथा उत्पन्न और पुनःउत्पन्न होने वाले वायरल संक्रमण के लिए समय पर निदान सुनिश्चित करना है।

4. **स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास:** इस योजना में राजकीय चिकित्सा कॉलेजों में बहु-विषयक अनुसंधान इकाइयों और राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

5. **महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास/समर्थन:** यह प्रावधान महामारी के प्रकोपों को रोकने के लिए उपकरणों/सहायता के विकास और प्रकोपों / महामारी के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए है।

6. **मानव संसाधन तथा क्षमता विकास:** यह प्रावधान (i) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास की योजना के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्तिका; (ii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशासन सुदृढ़ों के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए सहायता अनुदान योजना और (iii) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए है।

7. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण:** पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत जैव सुरक्षा तत्परता और

महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों और एकल स्वास्थ्य मंच को सुदृढ करने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान घटकों का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने का प्रावधान।

8. **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वय और सूत्रबद्ध करने के लिए देश का एक शीर्षस्थ निकाय है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, पोषण, गैरसंचारी रोग और आधारभूत अनुसंधान में शोध हेतु परिषद को अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सूचना के प्रकाशन तथा प्रसार पर भी शोध कार्य करती है।

भारी उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 48

भारी उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4911.34	1.93	4913.27	7240.20	1.80	7242.00	4558.89	1.80	4560.69	7178.23	502.00	7680.23
वसूलियां	-238.86	...	-238.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	4672.48	1.93	4674.41	7240.20	1.80	7242.00	4558.89	1.80	4560.69	7178.23	502.00	7680.23
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	35.89	1.93	37.82	32.44	1.60	34.04	40.18	1.60	41.78	39.56	1.80	41.36
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास</b>												
2. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	83.34	...	83.34	250.00	...	250.00	184.00	...	184.00	120.00	...	120.00
<b>ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास</b>												
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फिम इंडिया )	3921.10	...	3921.10	2671.33	...	2671.33	2058.00	...	2058.00	...	...	...
4. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम-2024	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...
5. अभिनव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन	...	...	...	...	...	...	1870.76	...	1870.76	4000.00	...	4000.00
6. सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और प्रचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)	...	...	...	...	...	...	16.52	...	16.52	10.00	500.00	510.00
<b>ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास</b>												
7. ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना	2.63	...	2.63	3500.00	...	3500.00	346.87	...	346.87	2818.85	...	2818.85
8. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	7.73	...	7.73	250.00	...	250.00	15.42	...	15.42	155.76	...	155.76
<b>जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास</b>	<b>10.36</b>	<b>...</b>	<b>10.36</b>	<b>3750.00</b>	<b>...</b>	<b>3750.00</b>	<b>362.29</b>	<b>...</b>	<b>362.29</b>	<b>2974.61</b>	<b>...</b>	<b>2974.61</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>4014.80</b>	<b>...</b>	<b>4014.80</b>	<b>7171.33</b>	<b>...</b>	<b>7171.33</b>	<b>4491.57</b>	<b>...</b>	<b>4491.57</b>	<b>7104.61</b>	<b>500.00</b>	<b>7604.61</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)	20.78	...	20.78	21.40	...	21.40	18.89	...	18.89	20.03	...	20.03
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
10. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	839.87	...	839.87	2.03	0.20	2.23	2.09	0.20	2.29	2.03	0.20	2.23
<b>अन्य</b>												
11. भारत में इलेक्ट्रिक यानों के उत्पादन संवर्धन की योजना (एसएमईएस)	...	...	...	13.00	...	13.00	6.16	...	6.16	12.00	...	12.00
12. वास्तविक वसूली	-238.86	...	-238.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-238.86</b>	<b>...</b>	<b>-238.86</b>	<b>13.00</b>	<b>...</b>	<b>13.00</b>	<b>6.16</b>	<b>...</b>	<b>6.16</b>	<b>12.00</b>	<b>...</b>	<b>12.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>621.79</b>	<b>...</b>	<b>621.79</b>	<b>36.43</b>	<b>0.20</b>	<b>36.63</b>	<b>27.14</b>	<b>0.20</b>	<b>27.34</b>	<b>34.06</b>	<b>0.20</b>	<b>34.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4672.48</b>	<b>1.93</b>	<b>4674.41</b>	<b>7240.20</b>	<b>1.80</b>	<b>7242.00</b>	<b>4558.89</b>	<b>1.80</b>	<b>4560.69</b>	<b>7178.23</b>	<b>502.00</b>	<b>7680.23</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	4636.63	...	4636.63	7207.76	...	7207.76	4518.71	...	4518.71	7138.67	...	7138.67
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	35.85	...	35.85	32.44	...	32.44	40.18	...	40.18	39.56	...	39.56
3. अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.93	1.93	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.80	1.80
6. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
7. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	500.08	500.08
8. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>4672.48</b>	<b>1.93</b>	<b>4674.41</b>	<b>7240.20</b>	<b>1.80</b>	<b>7242.00</b>	<b>4558.89</b>	<b>1.80</b>	<b>4560.69</b>	<b>7178.23</b>	<b>502.00</b>	<b>7680.23</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4672.48</b>	<b>1.93</b>	<b>4674.41</b>	<b>7240.20</b>	<b>1.80</b>	<b>7242.00</b>	<b>4558.89</b>	<b>1.80</b>	<b>4560.69</b>	<b>7178.23</b>	<b>502.00</b>	<b>7680.23</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	287.00	287.00	...	227.00	227.00	...	229.00	229.00	...	234.00	234.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	...	...	...	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
4. एचएमटी लिमिटेड	...	4.64	4.64	0.02	6.65	6.67	0.02	9.33	9.35	0.02	7.03	7.05
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
6. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	20.27	20.27	...	38.00	38.00	...	34.44	34.44	...	36.50	36.50
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.44	0.44	...	1.20	1.20	...	1.00	1.00	...	1.50	1.50
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.17	0.17	...	...	...	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
9. त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	4.61	4.61	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
10. रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.48	0.48	...	1.00	1.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
12. नेपा लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	39.69	39.69	0.01	27.55	27.56	0.01	28.94	28.95	0.01	38.77	38.78
15. हिंदुस्तान फोटो फिल्म	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
<b>जोड़</b>	...	<b>357.30</b>	<b>357.30</b>	<b>0.20</b>	<b>304.40</b>	<b>304.60</b>	<b>0.20</b>	<b>309.21</b>	<b>309.41</b>	<b>500.20</b>	<b>324.30</b>	<b>824.50</b>

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के माध्यम से, विभाग ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) स्कीम 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है।

4. **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम-2024:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन योजना (इएमपीएस), 2024 का लक्ष्य वाणिज्यिक और विशिष्ट निजी उपयोग वाहनों पर ध्यान देकर, भारत में दो पहिया (इ-2डब्ल्यू) और तिपहिया (इ-3डब्ल्यू) इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तीव्रता से बढ़ाना है। इएमपीएस, 2024 का लक्ष्य इ-2डब्ल्यू (3,33,387) और इ-3डब्ल्यू ( 13,590 रिक्शा और ई-कार्ट एल-5 श्रेणी में 25,238 इ-3डब्ल्यू सहित 38,828) 3,72,215 ईवी का समर्थन करना है।

यह योजना उन्नत बैट्री-फिटेड ईवी के लिए सस्ती प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 माह की अवधि के लिए योजना का परिव्यय 500 करोड़ रूप है।

इएमपीएस, 2024 देश में हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के विकास में सहायता प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित होकर चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अपनाया गया है जिससे ईवी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। इससे ईवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार भी सृजित होगा।

5. **अभिनव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन:** पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रूप परिव्यय वाली इस स्कीम को 29 सितंबर,2024 को अधिसूचित किया गया था। यह द्विपरीय स्कीम है जिसका उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एंबुलेंस, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

6. **सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और प्रचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम):** पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रूप है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) से भुगतान करने में चूक की स्थिति में, ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

7. **ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत अक्षमताओं से उबरना, किफायती उत्पादन (इकोनोमी ऑफ स्केल) को प्रोत्साहित करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी सृजित होंगे। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग की मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में अंतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगी।

8. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि हासिल करने की संभावना है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहायता करेगी।

9. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई):** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए जानकारी का उपयोग करने तथा देश में तकनीकी विकास में सहायता करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

10. **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) में अनुदान और निवेश और (ii) वीपीसीएल को अनुदान: (i) एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए और इसके नमक उत्पादन को बढ़ाने और मशीनरी, अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान रखा गया है और (ii) बंद करने संबंधी व्यय के लिए, जिसमें वीपीसीएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक देय राशि का भुगतान, आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों / उपयोगिताओं के बकाये का भुगतान शामिल है।

11. **भारत में इलेक्ट्रिक यान्त्री कारों के उत्पादन संवर्धन की योजना (एसएमईएस):** भारत में इलेक्ट्रिक यान्त्री कारों के विनिर्माण का संवर्धन(एसएमईसी) करने हेतु यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माणकर्ताओं से निवेश प्राप्त करने में सहायता करेगी और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण के गंतव्य स्थान के रूप में भारत को बढ़ावा देगी तथा ईवी के विनिर्माण हेतु भारत को वैश्विक स्तर की प्रसिद्धि देगी, रोजगार सृजित करेगी और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। इस योजना में, अनुमोदित आवेदनकर्ता भारत में 4150 करोड़ रुपए (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के न्यूनतम निवेश के साथ ईवी यान्त्री कारों (इ-4डब्ल्यू) के विनिर्माण हेतु विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करेंगे। विनिर्माणकर्ता एमएचआइ के अनुमोदन पत्र के जारी होने की तिथि के 03 वर्ष की अवधि में 25% और 5 वर्ष की अवधि में 50 % न्यूनतम घरेलू मूल्य परिवर्धन (डीवीए) प्राप्त करेंगे।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 49  
गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4586.03	533.51	5119.54	6072.97	385.27	6458.24	5650.76	286.12	5936.88	4161.22	395.97	4557.19
वसूलियां	-53.50	...	-53.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4532.53</b>	<b>533.51</b>	<b>5066.04</b>	<b>6072.97</b>	<b>385.27</b>	<b>6458.24</b>	<b>5650.76</b>	<b>286.12</b>	<b>5936.88</b>	<b>4161.22</b>	<b>395.97</b>	<b>4557.19</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	887.03	234.50	1121.53	704.16	63.46	767.62	729.01	56.50	785.51	651.36	97.80	749.16
2. राजभाषा	67.57	0.08	67.65	78.72	3.21	81.93	77.26	2.45	79.71	89.35	6.49	95.84
3. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)	1511.42	153.38	1664.80	1474.81	132.14	1606.95	1722.33	116.05	1838.38	1779.54	143.05	1922.59
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>2466.02</b>	<b>387.96</b>	<b>2853.98</b>	<b>2257.69</b>	<b>198.81</b>	<b>2456.50</b>	<b>2528.60</b>	<b>175.00</b>	<b>2703.60</b>	<b>2520.25</b>	<b>247.34</b>	<b>2767.59</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास	624.15	...	624.15	539.72	...	539.72	689.00	...	689.00	123.66	...	123.66
5. स्वतंत्रता सेनानियों (पेंशन एवं अन्य लाभ)	586.52	...	586.52	603.33	...	603.33	603.00	...	603.00	588.00	...	588.00
6. <b>हेलिकाप्टर सेवाएं</b>												
6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	88.00	...	88.00	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
6.02 लद्दाख	9.15	...	9.15	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
6.03 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	4.77	...	4.77	11.00	...	11.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
<b>जोड़-हेलिकाप्टर सेवाएं</b>	<b>101.92</b>	<b>...</b>	<b>101.92</b>	<b>115.00</b>	<b>...</b>	<b>115.00</b>	<b>99.00</b>	<b>...</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	<b>...</b>	<b>99.00</b>
<b>आपदा प्रबंधन</b>												
7. आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना	...	84.38	84.38	...	152.00	152.00	...	81.67	81.67	...	100.00	100.00
8. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	0.67	...	0.67	136.63	...	136.63	16.00	...	16.00	...	...	...
<b>जोड़-आपदा प्रबंधन</b>	<b>0.67</b>	<b>84.38</b>	<b>85.05</b>	<b>136.63</b>	<b>152.00</b>	<b>288.63</b>	<b>16.00</b>	<b>81.67</b>	<b>97.67</b>	<b>...</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
9. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना	24.56	...	24.56	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
10. भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना	...	...	...	56.00	...	56.00	96.56	...	96.56	73.42	...	73.42
11. संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों का समग्र विकास	...	...	...	83.60	5.13	88.73	82.87	5.13	88.00	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1337.82</b>	<b>84.38</b>	<b>1422.20</b>	<b>1552.28</b>	<b>157.13</b>	<b>1709.41</b>	<b>1604.43</b>	<b>86.80</b>	<b>1691.23</b>	<b>904.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1004.09</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	62.46	...	62.46	75.53	...	75.53	71.90	...	71.90	75.53	...	75.53
<b>अन्य</b>												
13. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई)	510.99	61.17	572.16	1280.13	29.33	1309.46	547.68	24.32	572.00	526.17	48.63	574.80
14. अन्य केन्द्रीय विविध व्यय	134.75	...	134.75	228.46	...	228.46	254.81	...	254.81	64.17	...	64.17
15. वास्तविक वसूलियां	-4.76	...	-4.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>640.98</b>	<b>61.17</b>	<b>702.15</b>	<b>1508.59</b>	<b>29.33</b>	<b>1537.92</b>	<b>802.49</b>	<b>24.32</b>	<b>826.81</b>	<b>590.34</b>	<b>48.63</b>	<b>638.97</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>703.44</b>	<b>61.17</b>	<b>764.61</b>	<b>1584.12</b>	<b>29.33</b>	<b>1613.45</b>	<b>874.39</b>	<b>24.32</b>	<b>898.71</b>	<b>665.87</b>	<b>48.63</b>	<b>714.50</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
16. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना	...	...	...	10.87	...	10.87	4.33	...	4.33	...	...	...
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
17. होम गार्ड	18.30	...	18.30	566.01	...	566.01	566.01	...	566.01	30.01	...	30.01
	-39.79	...	-39.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>-21.49</i>	<i>...</i>	<i>-21.49</i>	<i>566.01</i>	<i>...</i>	<i>566.01</i>	<i>566.01</i>	<i>...</i>	<i>566.01</i>	<i>30.01</i>	<i>...</i>	<i>30.01</i>
18. नागरिक रक्षा (सिविल डिफेंस)	6.74	...	6.74	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	10.00	...	10.00
19. केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00
20. पूर्वोत्तर राज्यों की स्वायत्त परिषद को अनुदान	...	...	...	30.00	...	30.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>25.25</b>	<b>...</b>	<b>25.25</b>	<b>668.01</b>	<b>...</b>	<b>668.01</b>	<b>639.01</b>	<b>...</b>	<b>639.01</b>	<b>71.01</b>	<b>...</b>	<b>71.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4532.53</b>	<b>533.51</b>	<b>5066.04</b>	<b>6072.97</b>	<b>385.27</b>	<b>6458.24</b>	<b>5650.76</b>	<b>286.12</b>	<b>5936.88</b>	<b>4161.22</b>	<b>395.97</b>	<b>4557.19</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. मंत्रि परिषद	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	616.81	...	616.81	609.29	...	609.29	582.56	...	582.56	537.20	...	537.20
3. जेल	1.30	...	1.30	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	235.30	...	235.30	318.79	...	318.79	360.73	...	360.73	339.02	...	339.02
5. विविध सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04	0.08	...	0.08	0.04	...	0.04
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	5.09	5.09	...	5.09	5.09	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	272.98	272.98	...	87.31	87.31	...	63.15	63.15	...	115.46	115.46
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>853.42</b>	<b>272.98</b>	<b>1126.40</b>	<b>933.13</b>	<b>92.40</b>	<b>1025.53</b>	<b>948.37</b>	<b>68.24</b>	<b>1016.61</b>	<b>881.27</b>	<b>115.46</b>	<b>996.73</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	639.02	...	639.02	656.45	...	656.45	806.10	...	806.10	601.00	...	601.00
9. प्राकृतिक आपदा राहत	1823.62	...	1823.62	1844.55	...	1844.55	2019.70	...	2019.70	1868.20	...	1868.20
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	240.32	240.32	...	286.62	286.62	...	209.14	209.14	...	252.00	252.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2462.64</b>	<b>240.32</b>	<b>2702.96</b>	<b>2501.00</b>	<b>286.62</b>	<b>2787.62</b>	<b>2825.80</b>	<b>209.14</b>	<b>3034.94</b>	<b>2469.20</b>	<b>252.00</b>	<b>2721.20</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
12. नागर विमानन	97.15	...	97.15	104.00	...	104.00	94.00	...	94.00	94.00	...	94.00
13. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	...	...	...	83.60	...	83.60	82.87	...	82.87	0.01	...	0.01
14. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	510.99	...	510.99	1250.13	...	1250.13	522.09	...	522.09	509.86	...	509.86
15. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	...	...
16. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
17. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
18. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	20.21	20.21	...	6.21	6.21	...	8.70	8.70	...	28.51	28.51
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>608.14</b>	<b>20.21</b>	<b>628.35</b>	<b>1437.73</b>	<b>6.25</b>	<b>1443.98</b>	<b>698.96</b>	<b>8.74</b>	<b>707.70</b>	<b>603.87</b>	<b>28.51</b>	<b>632.38</b>
<b>अन्य</b>												
19. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	30.00	...	30.00	25.59	...	25.59	16.31	...	16.31
20. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	603.29	...	603.29	1160.61	...	1160.61	1132.59	...	1132.59	186.57	...	186.57
21. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.04	...	5.04	10.50	...	10.50	19.45	...	19.45	4.00	...	4.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>608.33</b>	<b>...</b>	<b>608.33</b>	<b>1201.11</b>	<b>...</b>	<b>1201.11</b>	<b>1177.63</b>	<b>...</b>	<b>1177.63</b>	<b>206.88</b>	<b>...</b>	<b>206.88</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4532.53</b>	<b>533.51</b>	<b>5066.04</b>	<b>6072.97</b>	<b>385.27</b>	<b>6458.24</b>	<b>5650.76</b>	<b>286.12</b>	<b>5936.88</b>	<b>4161.22</b>	<b>395.97</b>	<b>4557.19</b>

(₹ करोड़)

	बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026					
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड</b>												
1. दिल्ली पुलिस हाउसिंग लिमिटेड	...	4.13	4.13	...	...	...	...	5.00	5.00	...	6.50	6.50
<b>जोड़-दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>...</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>4.13</b>	<b>4.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>...</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>



1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, भुगतान एवं लेखा सचिवालय, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यावासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा पूर्ववर्ती पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार के लिए है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों (पेंशन एवं अन्य लाभ):** इसमें (i) पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) पूर्ववर्ती निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को दी जाने वाली पेंशन शामिल है।

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सस्मिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **लद्दाख:** इसमें लद्दाख में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु सस्मिडी के भुगतान के लिए प्रावधान है।

6.03. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** इसमें जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए यह प्रावधान है।

7. **आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** यह प्रावधान (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा), (ii) आपदा संबंधी सूचना, शिक्षण और संचार (आईईसी) और प्रशिक्षण हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और (vi) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान पर व्यय हेतु है।

9. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू और कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

10. **भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना:** यह प्रावधान विभिन्न भाषाओं से हिन्दी तथा विपरीत अनुवाद की सुविधा के मंच के विकास के लिए भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हेतु है।

11. **संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों का समग्र विकास:** ग्रेटर निकोबार के द्वीपों के समग्र विकास हेतु प्रावधान।

12. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई):** इसमें भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार (एनपीआर) सहित आरजीआई की विभिन्न योजनाओं और जनगणना 2021 पर व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

14. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय अभिदायों, पूर्वोत्तर (एनई) के लिए विधि विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा (आईएस) और जेलों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पहलों एवं ऑडियो/विजुअल फिल्मों आदि के माध्यम से सुधार संबंधी मामलों पर जागरूक करने हेतु, आपदा प्रतिरोधक संरचना सोसायटी (सीडीआरआईएस) के लिए गठबंधन के लिए प्रावधान शामिल हैं।

15. **वास्तविक वसूलियां:** अनुदान के अंतर्गत वास्तविक वसूली

16. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:** यह प्रावधान चक्रवात संकट संभावित तटीय राज्यों में खतरे को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रथमन परियोजना पर प्रशासनिक व्यय तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

17. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

18. **नागरिक रक्षा (सिविल डिफेंस):** यह प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

19. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में विदेशियों विषयक अधिकरण के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।

20. **पूर्वोत्तर राज्यों की स्वायत्त परिषद को अनुदान:** इसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कार्बी आंगलांग और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त परिषद के लिए अनुदान का प्रावधान है

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 50  
मंत्रिमंडल

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	883.08	165.78	1048.86	1152.68	96.23	1248.91	680.93	5007.67	5688.60	765.72	6396.84	7162.56
वसूलियां	-2.10	...	-2.10	...	...	...	...	-4666.77	-4666.77	...	-6138.26	-6138.26
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>880.98</b>	<b>165.78</b>	<b>1046.76</b>	<b>1152.68</b>	<b>96.23</b>	<b>1248.91</b>	<b>680.93</b>	<b>340.90</b>	<b>1021.83</b>	<b>765.72</b>	<b>258.58</b>	<b>1024.30</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता	1.29	...	1.29	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्री परिषद	435.95	132.15	568.10	752.36	76.00	828.36	340.95	200.00	540.95	419.04	200.00	619.04
3. मंत्रिमंडल सचिवालय	57.59	2.06	59.65	72.34	2.90	75.24	71.08	2.90	73.98	73.08	2.60	75.68
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	251.69	31.57	283.26	184.92	17.18	202.10	132.38	4804.47	4936.85	127.51	6193.50	6321.01
	...	...	...	...	...	...	...	-4666.77	-4666.77	...	-6138.26	-6138.26
<i>निवल</i>	<i>251.69</i>	<i>31.57</i>	<i>283.26</i>	<i>184.92</i>	<i>17.18</i>	<i>202.10</i>	<i>132.38</i>	<i>137.70</i>	<i>270.08</i>	<i>127.51</i>	<i>55.24</i>	<i>182.75</i>
5. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	73.88	...	73.88	71.96	0.15	72.11	65.57	0.15	65.72	69.54	0.58	70.12
6. प्रधानमंत्री का कार्यालय	56.58	...	56.58	65.30	...	65.30	65.15	0.15	65.30	70.75	0.16	70.91
7. आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>880.98</b>	<b>165.78</b>	<b>1046.76</b>	<b>1152.68</b>	<b>96.23</b>	<b>1248.91</b>	<b>680.93</b>	<b>340.90</b>	<b>1021.83</b>	<b>765.72</b>	<b>258.58</b>	<b>1024.30</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>880.98</b>	<b>165.78</b>	<b>1046.76</b>	<b>1152.68</b>	<b>96.23</b>	<b>1248.91</b>	<b>680.93</b>	<b>340.90</b>	<b>1021.83</b>	<b>765.72</b>	<b>258.58</b>	<b>1024.30</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1.29	...	1.29	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80
2. मंत्री परिषद	875.69	...	875.69	1146.88	...	1146.88	675.13	...	675.13	759.92	...	759.92
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	132.15	132.15	...	76.00	76.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
5. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.63	33.63	...	20.23	20.23	...	140.90	140.90	...	58.58	58.58
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>880.98</b>	<b>165.78</b>	<b>1046.76</b>	<b>1152.68</b>	<b>96.23</b>	<b>1248.91</b>	<b>680.93</b>	<b>340.90</b>	<b>1021.83</b>	<b>765.72</b>	<b>258.58</b>	<b>1024.30</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>880.98</b>	<b>165.78</b>	<b>1046.76</b>	<b>1152.68</b>	<b>96.23</b>	<b>1248.91</b>	<b>680.93</b>	<b>340.90</b>	<b>1021.83</b>	<b>765.72</b>	<b>258.58</b>	<b>1024.30</b>

1. **पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता:** यह प्रावधान भूतपूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतानों पर होने वाले व्यय के लिए है।

2. **मंत्री परिषद:** यह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतनों, आतिथ्य तथा अन्य भत्तों तथा उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र उद्घान संचालन का प्रावधान भी शामिल है।

3. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय तथा रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

4. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को वहन करने के लिए है।

5. **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

6. **प्रधानमंत्री का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को वहन करने के लिए है।

7. **आतिथ्य और मनोरंजन व्यय:** इसमें विदेशी राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर प्रीतिभोज, प्रत्यय पत्र प्रदान करने के लिए अधिष्ठापन और समारोह पर होने वाले व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 51  
पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	116151.63	9858.86	126010.49	130971.60	13351.60	144323.20	137345.11	10532.84	147877.95	144866.16	16579.21	161445.37	
<b>वसूलियां</b>	-1175.11	-120.35	-1295.46	-1037.30	-10.00	-1047.30	-1045.15	-0.30	-1045.45	-1054.29	-0.02	-1054.31	
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>निवल</b>	<b>114976.52</b>	<b>9738.51</b>	<b>124715.03</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>	<b>136299.96</b>	<b>10532.54</b>	<b>146832.50</b>	<b>143811.87</b>	<b>16579.19</b>	<b>160391.06</b>	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. <b>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल</b>													
1.01	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	30557.02	742.04	31299.06	30934.56	608.64	31543.20	33822.85	505.76	34328.61	34593.17	554.00	35147.17
1.02	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	1148.23	49.29	1197.52	1202.16	71.03	1273.19	1173.59	23.03	1196.62	1215.15	59.48	1274.63
1.03	सीमा सुरक्षा बल	24767.78	610.16	25377.94	24873.42	599.02	25472.44	27266.51	629.22	27895.73	27598.98	632.29	28231.27
1.04	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	8260.79	67.58	8328.37	8491.90	142.31	8634.21	9735.62	125.52	9861.14	10227.95	142.13	10370.08
1.05	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	13603.24	67.89	13671.13	14260.83	71.06	14331.89	15223.00	49.22	15272.22	16018.58	66.25	16084.83
		-649.70	...	-649.70	-775.00	...	-775.00	-775.00	...	-775.00	-775.00	...	-775.00
	<b>निवल</b>	<b>12953.54</b>	<b>67.89</b>	<b>13021.43</b>	<b>13485.83</b>	<b>71.06</b>	<b>13556.89</b>	<b>14448.00</b>	<b>49.22</b>	<b>14497.22</b>	<b>15243.58</b>	<b>66.25</b>	<b>15309.83</b>
1.06	असम रायफल	6979.88	309.98	7289.86	7100.08	328.25	7428.33	7513.01	342.22	7855.23	7921.73	352.56	8274.29
1.07	सशस्त्र सीमा बल	8338.69	78.88	8417.57	8764.50	117.31	8881.81	9660.89	173.70	9834.59	10117.20	120.08	10237.28
1.08	विभागीय लेखांकन	141.55	...	141.55	157.55	2.50	160.05	174.59	3.46	178.05	190.22	2.28	192.50
	<b>जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल</b>	<b>93147.48</b>	<b>1925.82</b>	<b>95073.30</b>	<b>95010.00</b>	<b>1940.12</b>	<b>96950.12</b>	<b>103795.06</b>	<b>1852.13</b>	<b>105647.19</b>	<b>107107.98</b>	<b>1929.07</b>	<b>109037.05</b>
2.	आसूचना व्यूरो	2929.39	218.17	3147.56	3326.83	497.00	3823.83	3659.21	307.00	3966.21	3662.59	230.76	3893.35
3.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	31.35	155.37	186.72	36.95	161.58	198.53	37.69	210.03	247.72	36.68	121.55	158.23
4.	विशेष रक्षा दल	377.62	56.05	433.67	430.82	75.50	506.32	462.12	48.85	510.97	430.00	59.00	489.00
5.	दिल्ली पुलिस	11123.14	991.56	12114.70	10291.28	889.05	11180.33	11020.25	447.37	11467.62	11315.63	616.03	11931.66
6.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस	...	...	...	9046.17	743.25	9789.42	8420.71	245.23	8665.94	8897.72	428.01	9325.73
7.	केंद्रीय पुलिस संगठन	1150.12	81.68	1231.80	1324.82	181.55	1506.37	1449.73	99.58	1549.31	1610.05	144.83	1754.88
8.	शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	283.62	109.01	392.63	811.93	536.42	1348.35	729.79	338.75	1068.54	871.94	242.53	1114.47
9.	अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान	66.86	6.27	73.13	71.73	13.14	84.87	72.26	6.51	78.77	80.36	14.99	95.35

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>109109.58</b>	<b>3543.93</b>	<b>112653.51</b>	<b>120350.53</b>	<b>5037.61</b>	<b>125388.14</b>	<b>129646.82</b>	<b>3555.45</b>	<b>133202.27</b>	<b>134012.95</b>	<b>3786.77</b>	<b>137799.72</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
10. आईवीएफआरटी (आप्रवासन, बीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग)	228.85	...	228.85	226.25	...	226.25	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00
11. बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिवर बोट और हेलीबेस	19.93	52.59	72.52	28.83	135.27	164.10	15.57	57.02	72.59	18.94	77.52	96.46
12. सीमा अवसंरचना और प्रबंधन												
12.01 रखरखाव और सीमा जांच चोकियां	275.72	...	275.72	319.03	...	319.03	275.18	...	275.18	359.32	...	359.32
12.02 पूंजी परिव्यय	...	3060.44	3060.44	...	3437.48	3437.48	...	2794.57	2794.57	...	5237.93	5237.93
जोड़- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन	275.72	3060.44	3336.16	319.03	3437.48	3756.51	275.18	2794.57	3069.75	359.32	5237.93	5597.25
13. पुलिस अवसंरचना												
13.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	2336.58	2336.58	...	2926.88	2926.88	...	1745.30	1745.30	...	4038.70	4038.70
13.02 दिल्ली पुलिस	...	111.18	111.18	...	220.48	220.48	...	235.98	235.98	...	327.50	327.50
13.03 स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	...	...	...	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	13.00	13.00
जोड़- पुलिस अवसंरचना	...	2447.76	2447.76	...	3152.36	3152.36	...	1986.28	1986.28	...	4379.20	4379.20
14. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
14.01 निर्भया निधि अंतरण	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00	180.00	...	180.00	200.00	...	200.00
14.02 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम और विविध योजनाएं	20.30	12.81	33.11	42.85	10.00	52.85	36.13	0.30	36.43	44.37	0.02	44.39
14.03 महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करि निवारण को मजबूत बनाना	1.67	...	1.67	5.01	...	5.01	19.58	...	19.58	19.58	...	19.58
14.04 निर्भया निधि से लिया गया	-21.97	-12.81	-34.78	-47.86	-10.00	-57.86	-55.71	-0.30	-56.01	-63.95	-0.02	-63.97
14.05 आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली	98.91	...	98.91	150.00	...	150.00	35.08	...	35.08	180.12	...	180.12
14.06 राष्ट्रीय फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन	...	...	...	5.00	50.00	55.00	0.67	9.00	9.67	6.00	74.00	80.00
14.07 फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	176.94	...	176.94	700.00	...	700.00	150.00	...	150.00	500.00	...	500.00
जोड़- महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	375.85	...	375.85	1055.00	50.00	1105.00	365.75	9.00	374.75	886.12	74.00	960.12
15. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV	15.47	82.33	97.80	22.30	158.91	181.21	15.89	95.18	111.07	62.91	290.01	352.92
16. अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली	66.59	...	66.59	250.00	...	250.00	123.10	...	123.10	300.20	...	300.20
17. जेलों का आधुनिकीकरण	86.95	...	86.95	300.00	...	300.00	75.00	...	75.00	300.00	...	300.00
18. गरीब कैदियों को सहायता	1.25	...	1.25	20.00	...	20.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
19. राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना	...	...	...	31.03	118.97	150.00	10.04	34.02	44.06	38.00	212.02	250.02
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1070.61</b>	<b>5643.12</b>	<b>6713.73</b>	<b>2252.44</b>	<b>7052.99</b>	<b>9305.43</b>	<b>1081.53</b>	<b>4976.07</b>	<b>6057.60</b>	<b>2220.49</b>	<b>10270.68</b>	<b>12491.17</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	532.12	...	532.12	330.00	...	330.00	329.00	...	329.00	341.00	...	341.00
21. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	120.00	...	120.00
22. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय	108.00	...	108.00	90.00	...	90.00	142.00	...	142.00	150.00	...	150.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>720.12</b>	<b>...</b>	<b>720.12</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>	<b>551.00</b>	<b>...</b>	<b>551.00</b>	<b>611.00</b>	<b>...</b>	<b>611.00</b>
<b>अन्य</b>												
23. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	39.11	...	39.11	125.30	1.00	126.30	70.43	1.00	71.43	115.24	1.00	116.24
24. कल्याण अनुदान और विविध	860.80	...	860.80	850.90	...	850.90	1182.44	...	1182.44	878.36	...	878.36
25. अनुसंधान	699.99	659.00	1358.99	750.00	1250.00	2000.00	825.00	2000.02	2825.02	750.00	2520.74	3270.74
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1599.90</b>	<b>659.00</b>	<b>2258.90</b>	<b>1726.20</b>	<b>1251.00</b>	<b>2977.20</b>	<b>2077.87</b>	<b>2001.02</b>	<b>4078.89</b>	<b>1743.60</b>	<b>2521.74</b>	<b>4265.34</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2320.02</b>	<b>659.00</b>	<b>2979.02</b>	<b>2226.20</b>	<b>1251.00</b>	<b>3477.20</b>	<b>2628.87</b>	<b>2001.02</b>	<b>4629.89</b>	<b>2354.60</b>	<b>2521.74</b>	<b>4876.34</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>पुलिस बल का आधुनिकीकरण</b>												
26. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
26.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस)	65.28	...	65.28	520.51	...	520.51	160.12	...	160.12	587.97	...	587.97
26.02 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	2593.31	...	2593.31	3199.62	...	3199.62	2463.62	...	2463.62	3481.27	...	3481.27
<b>जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण</b>	<b>2658.59</b>	<b>...</b>	<b>2658.59</b>	<b>3720.13</b>	<b>...</b>	<b>3720.13</b>	<b>2623.74</b>	<b>...</b>	<b>2623.74</b>	<b>4069.24</b>	<b>...</b>	<b>4069.24</b>
<b>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम</b>												
27. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	31.83	...	31.83	335.00	...	335.00	110.00	...	110.00	98.19	...	98.19
28. महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं)												
28.01 सुरक्षित शहर परियोजनाएं	143.18	...	143.18	214.44	...	214.44	214.44	...	214.44	215.34	...	215.34
28.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-144.18	...	-144.18	-214.44	...	-214.44	-214.44	...	-214.44	-215.34	...	-215.34
<i>निवल</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
29. वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम	146.15	...	146.15	1050.00	...	1050.00	209.00	...	209.00	1056.40	...	1056.40
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>2835.57</b>	<b>...</b>	<b>2835.57</b>	<b>5105.13</b>	<b>...</b>	<b>5105.13</b>	<b>2942.74</b>	<b>...</b>	<b>2942.74</b>	<b>5223.83</b>	<b>...</b>	<b>5223.83</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
30. वास्तविक वसूलियां	-359.26	-107.54	-466.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>114976.52</b>	<b>9738.51</b>	<b>124715.03</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>	<b>136299.96</b>	<b>10532.54</b>	<b>146832.50</b>	<b>143811.87</b>	<b>16579.19</b>	<b>160391.06</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. पुलिस	112431.20	...	112431.20	124984.55	...	124984.55	133476.15	...	133476.15	138802.46	...	138802.46
2. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	9738.51	9738.51	...	12827.76	12827.76	...	10093.70	10093.70	...	15768.19	15768.19
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>112431.20</b>	<b>9738.51</b>	<b>122169.71</b>	<b>124984.55</b>	<b>12827.76</b>	<b>137812.31</b>	<b>133476.15</b>	<b>10093.70</b>	<b>143569.85</b>	<b>138802.46</b>	<b>15768.19</b>	<b>154570.65</b>
<b>अन्य</b>												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1227.20	...	1227.20	3771.37	...	3771.37	1437.48	...	1437.48	3494.39	...	3494.39
4. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1318.12	...	1318.12	1178.38	...	1178.38	1386.33	...	1386.33	1515.02	...	1515.02
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	512.84	512.84	...	437.84	437.84	...	810.00	810.00
6. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2545.32</b>	<b>...</b>	<b>2545.32</b>	<b>4949.75</b>	<b>513.84</b>	<b>5463.59</b>	<b>2823.81</b>	<b>438.84</b>	<b>3262.65</b>	<b>5009.41</b>	<b>811.00</b>	<b>5820.41</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>114976.52</b>	<b>9738.51</b>	<b>124715.03</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>	<b>136299.96</b>	<b>10532.54</b>	<b>146832.50</b>	<b>143811.87</b>	<b>16579.19</b>	<b>160391.06</b>

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्स, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को करीबी सुरक्षा प्रदान करता है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तरदायित्व शहर में यातायात प्रबंधन भी है। इस प्रावधान में नियमित खर्चों के साथ-साथ एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिगनल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च शामिल हैं।

6. **जम्मू एवं कश्मीर पुलिस:** यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये है। जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को बनाए रखने और लागू करने के लिये जिम्मेदार है।

7. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अशु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

8. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण हस्तक्षेप, (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना (ग) राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी आदि।

9. **अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान:** यह फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। यह प्रावधान केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास योजनाओं और क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और डीएनए केंद्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है।

10. **आईवीएफआरटी (आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है, जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।



11. **बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिबर बोट और हेलीबेस:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

12.01. **रखरखाव और सीमा जांच चौकियां:** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

12.02. **पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ऑबजर्वेशन पोस्ट टावर (ओपी टावर) के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमा चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

13.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

13.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13.03. **स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण के लिये राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान लोक लेखा और व्यय संबंधी निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने और महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करी की रोकथाम को सुदृढ़ करने, आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली, राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर स्थापित करने और फोरेंसिक क्षमता के आधुनिकीकरण सहित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए है।

15. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना IV पर व्यय के लिए है।

16. **अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली:** यह प्रावधान अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर हुए खर्च के लिए है।

17. **जेलों का आधुनिकीकरण:** यह प्रावधान जेलों के आधुनिकीकरण पर हुए व्यय के लिए है।

18. **गरीब कैदियों को सहायता:** यह प्रावधान उन गरीब व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए है, जो कारागारों में बंद हैं और अर्थदण्ड अथवा जमानत राशि को वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना के तहत अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

19. **राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना:** यह प्रावधान एनएफएसयू के विभिन्न परिसरों और विभिन्न सीएफएसएल प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिये है।

20. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की निगरानी और उनका विनिमयन करने में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए है, ताकि सीमा-पार से लोगों और सामान की आवाजाही का बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन किया जा सके।

21. **राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए है।

22. **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

23. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन और रखरखाव तथा बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों के लिए प्रतिपूर्ति पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए है।

24. **कल्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान मुख्य रूप से सभी सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा सुविधाओं और क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज तैयार करने और अन्य सरकारों / विभागों को दिए गए शुल्क के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचे, आतंकवादी / काउंटर विद्रोह में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान संबंधी परिव्यय भी शामिल है।

25. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

26.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस):** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस अवसंरचना के उन्नयन संबंधी विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली जैसी योजनाओं का प्रावधान शामिल है।

26.02. **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों हेतु विशेष अवसंरचना स्कीम एवं विशेष केन्द्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता, विभिन्न राज्यों में सिविल एक्शन कार्यक्रम तथा मीडिया नियोजन संबंधी गतिविधियां आदि जैसी स्कीमों का प्रावधान शामिल है।

27. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

28. **महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं):** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्भया कोष से वित्तपोषित सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास के लिए है।

29. **वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम:** यह प्रावधान वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम के तहत चयनित सीमावर्ती गांवों के चरणबद्ध ढंग से समग्र विकास के लिए है। इसमें ग्रामीण अवसंरचना का विकास, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	5486.95	440.61	5927.56	5573.69	467.13	6040.82	5634.22	406.60	6040.82	5711.98	555.08	6267.06
<i>वसूलियां</i>	-55.47	-0.95	-56.42	-55.00	...	-55.00	-54.47	-0.53	-55.00	-55.00	...	-55.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>5431.48</b>	<b>439.66</b>	<b>5871.14</b>	<b>5518.69</b>	<b>467.13</b>	<b>5985.82</b>	<b>5579.75</b>	<b>406.07</b>	<b>5985.82</b>	<b>5656.98</b>	<b>555.08</b>	<b>6212.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	94.20	...	94.20	85.95	...	85.95	90.21	...	90.21	91.54	...	91.54
	-0.10	...	-0.10	-0.05	...	-0.05	-0.07	...	-0.07	-0.05	...	-0.05
<i>निवल</i>	<i>94.10</i>	<i>...</i>	<i>94.10</i>	<i>85.90</i>	<i>...</i>	<i>85.90</i>	<i>90.14</i>	<i>...</i>	<i>90.14</i>	<i>91.49</i>	<i>...</i>	<i>91.49</i>
2. अन्य स्थापना	2697.27	0.22	2697.49	2814.87	0.28	2815.15	2922.00	0.92	2922.92	3011.54	1.14	3012.68
	-10.97	...	-10.97	-3.31	...	-3.31	-4.55	-0.01	-4.56	-3.31	...	-3.31
<i>निवल</i>	<i>2686.30</i>	<i>0.22</i>	<i>2686.52</i>	<i>2811.56</i>	<i>0.28</i>	<i>2811.84</i>	<i>2917.45</i>	<i>0.91</i>	<i>2918.36</i>	<i>3008.23</i>	<i>1.14</i>	<i>3009.37</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>2780.40</b>	<b>0.22</b>	<b>2780.62</b>	<b>2897.46</b>	<b>0.28</b>	<b>2897.74</b>	<b>3007.59</b>	<b>0.91</b>	<b>3008.50</b>	<b>3099.72</b>	<b>1.14</b>	<b>3100.86</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.42	...	0.42	0.35	0.10	0.45	0.58	0.10	0.68	0.42	0.01	0.43
3.02 आपदा प्रबंधन	0.15	0.19	0.34	0.24	0.11	0.35	0.14	1.55	1.69	0.24	17.90	18.14
	-0.09	...	-0.09	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	<i>0.06</i>	<i>0.19</i>	<i>0.25</i>	<i>0.23</i>	<i>0.11</i>	<i>0.34</i>	<i>0.13</i>	<i>1.55</i>	<i>1.68</i>	<i>0.23</i>	<i>17.90</i>	<i>18.13</i>
3.03 कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	6.49	6.15	12.64	21.33	13.02	34.35	17.12	12.94	30.06	20.12	14.06	34.18
	-0.47	-0.08	-0.55	-2.14	...	-2.14	-2.15	-0.02	-2.17	-2.14	...	-2.14
<i>निवल</i>	<i>6.02</i>	<i>6.07</i>	<i>12.09</i>	<i>19.19</i>	<i>13.02</i>	<i>32.21</i>	<i>14.97</i>	<i>12.92</i>	<i>27.89</i>	<i>17.98</i>	<i>14.06</i>	<i>32.04</i>
3.04 जलापूर्ति और स्वच्छता	78.51	65.17	143.68	71.60	75.00	146.60	77.26	49.85	127.11	82.32	90.66	172.98
	-0.06	...	-0.06	...	...	...	-0.01	...	-0.01	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>78.45</i>	<i>65.17</i>	<i>143.62</i>	<i>71.60</i>	<i>75.00</i>	<i>146.60</i>	<i>77.25</i>	<i>49.85</i>	<i>127.10</i>	<i>82.32</i>	<i>90.66</i>	<i>172.98</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
3.05	ग्रामीण विकास	96.64	1.88	98.52	90.40	3.33	93.73	100.69	1.30	101.99	98.50	1.64	100.14
		-1.93	...	-1.93	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22
	निवल	94.71	1.88	96.59	90.18	3.33	93.51	100.47	1.30	101.77	98.28	1.64	99.92
3.06	विद्युत	732.99	22.65	755.64	650.24	16.89	667.13	735.87	18.27	754.14	676.92	32.06	708.98
		-0.35	-0.01	-0.36	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35
	निवल	732.64	22.64	755.28	649.89	16.89	666.78	735.52	18.27	753.79	676.57	32.06	708.63
3.07	वानिकी और वन्य जीव	6.03	79.82	85.85	8.68	28.96	37.64	8.01	23.72	31.73	6.79	29.08	35.87
		...	...	...	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...
	निवल	6.03	79.82	85.85	8.68	28.96	37.64	8.01	23.71	31.72	6.79	29.08	35.87
3.08	नागरिक आपूर्ति	16.52	1.02	17.54	17.81	2.00	19.81	15.95	1.15	17.10	16.54	2.45	18.99
		-14.64	...	-14.64	-20.45	...	-20.45	-19.36	...	-19.36	-20.45	...	-20.45
	निवल	1.88	1.02	2.90	-2.64	2.00	-0.64	-3.41	1.15	-2.26	-3.91	2.45	-1.46
3.09	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	79.12	26.22	105.34	92.02	26.54	118.56	87.71	29.74	117.45	96.57	37.02	133.59
		...	...	...	...	...	...	...	-0.49	-0.49	...	...	...
	निवल	79.12	26.22	105.34	92.02	26.54	118.56	87.71	29.25	116.96	96.57	37.02	133.59
3.10	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	34.84	30.00	64.84	39.09	28.59	67.68	34.10	26.98	61.08	49.38	28.29	77.67
		-0.41	-0.53	-0.94	-0.20	...	-0.20	-0.21	...	-0.21	-0.20	...	-0.20
	निवल	34.43	29.47	63.90	38.89	28.59	67.48	33.89	26.98	60.87	49.18	28.29	77.47
3.11	सामाजिक कल्याण	86.08	4.73	90.81	71.69	6.60	78.29	89.11	4.30	93.41	89.93	5.67	95.60
3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.89	0.71	2.60	1.82	1.65	3.47	2.04	0.85	2.89	5.24	2.68	7.92
		-1.00	...	-1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	0.89	0.71	1.60	1.82	1.65	3.47	2.04	0.85	2.89	5.24	2.68	7.92
3.13	सूचना और प्रचार	1.85	0.03	1.88	1.02	0.15	1.17	1.47	0.19	1.66	2.02	0.09	2.11
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	1.85	0.03	1.88	1.02	0.15	1.17	1.47	0.19	1.66	2.02	0.09	2.11
3.14	श्रम और रोजगार	0.23	5.45	5.68	0.23	3.10	3.33	0.35	3.20	3.55	0.50	2.82	3.32
3.15	सड़क परिवहन	43.29	14.16	57.45	34.75	17.90	52.65	34.65	16.76	51.41	37.75	14.03	51.78
		-0.13	...	-0.13	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02
	निवल	43.16	14.16	57.32	34.73	17.90	52.63	34.63	16.76	51.39	37.73	14.03	51.76
3.16	सड़कें और पुल	45.55	89.67	135.22	65.00	94.40	159.40	39.67	100.60	140.27	70.15	99.36	169.51
		-3.41	-0.25	-3.66	...	...	...	-0.06	...	-0.06	...	...	...
	निवल	42.14	89.42	131.56	65.00	94.40	159.40	39.61	100.60	140.21	70.15	99.36	169.51
3.17	पत्तन और प्रकाश स्तंभ	129.43	10.98	140.41	130.00	20.50	150.50	112.76	17.15	129.91	115.35	15.60	130.95
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	129.43	10.98	140.41	130.00	20.50	150.50	112.76	17.15	129.91	115.35	15.60	130.95

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.18 पोत परिवहन	462.69	2.75	465.44	484.80	25.80	510.60	430.70	10.91	441.61	487.30	16.62	503.92
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	-0.04	...	-0.04	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>462.68</i>	<i>2.75</i>	<i>465.43</i>	<i>484.80</i>	<i>25.80</i>	<i>510.60</i>	<i>430.66</i>	<i>10.91</i>	<i>441.57</i>	<i>487.30</i>	<i>16.62</i>	<i>503.92</i>
3.19 नागर विमानन	83.69	4.41	88.10	150.00	2.00	152.00	82.00	4.23	86.23	90.00	32.68	122.68
3.20 पर्यटन	11.50	7.00	18.50	10.60	8.55	19.15	7.05	7.45	14.50	11.30	12.01	23.31
	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>11.50</i>	<i>6.99</i>	<i>18.49</i>	<i>10.60</i>	<i>8.55</i>	<i>19.15</i>	<i>7.05</i>	<i>7.45</i>	<i>14.50</i>	<i>11.30</i>	<i>12.01</i>	<i>23.31</i>
3.21 लोक निर्माण कार्य	41.19	27.71	68.90	41.88	25.58	67.46	41.71	24.28	65.99	43.16	33.35	76.51
	-21.90	...	-21.90	-28.25	...	-28.25	-27.39	...	-27.39	-28.25	...	-28.25
<i>निवल</i>	<i>19.29</i>	<i>27.71</i>	<i>47.00</i>	<i>13.63</i>	<i>25.58</i>	<i>39.21</i>	<i>14.32</i>	<i>24.28</i>	<i>38.60</i>	<i>14.91</i>	<i>33.35</i>	<i>48.26</i>
3.22 आवासन	18.51	16.17	34.68	19.00	15.00	34.00	16.50	12.06	28.56	19.00	17.00	36.00
	...	...	...	...	...	...	-0.03	...	-0.03	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>18.51</i>	<i>16.17</i>	<i>34.68</i>	<i>19.00</i>	<i>15.00</i>	<i>34.00</i>	<i>16.47</i>	<i>12.06</i>	<i>28.53</i>	<i>19.00</i>	<i>17.00</i>	<i>36.00</i>
3.23 शहरी विकास	260.00	0.36	260.36	373.37	1.30	374.67	348.25	1.90	350.15	241.25	2.10	243.35
3.24 पुलिस और अप्रि नियंत्रण	...	16.53	16.53	...	18.87	18.87	...	19.17	19.17	...	22.74	22.74
	...	-0.07	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>16.46</i>	<i>16.46</i>	<i>...</i>	<i>18.87</i>	<i>18.87</i>	<i>...</i>	<i>19.17</i>	<i>19.17</i>	<i>...</i>	<i>22.74</i>	<i>22.74</i>
3.25 ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना	213.55	...	213.55	70.13	...	70.13	70.13	...	70.13	70.13	...	70.13
3.26 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां	0.26	...	0.26	0.89	...	0.89	0.79	...	0.79	0.83	...	0.83
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>2407.02</i>	<i>432.81</i>	<i>2839.83</i>	<i>2395.30</i>	<i>435.94</i>	<i>2831.24</i>	<i>2304.76</i>	<i>388.13</i>	<i>2692.89</i>	<i>2280.07</i>	<i>529.92</i>	<i>2809.99</i>
4. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	25.34	...	25.34	23.28	...	23.28	25.79	...	25.79	26.80	...	26.80
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	209.25	6.63	215.88	192.80	30.91	223.71	231.95	17.03	248.98	228.53	24.02	252.55
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>209.25</i>	<i>6.63</i>	<i>215.88</i>	<i>192.80</i>	<i>30.91</i>	<i>223.71</i>	<i>231.95</i>	<i>17.03</i>	<i>248.98</i>	<i>228.53</i>	<i>24.02</i>	<i>252.55</i>
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 सोवटेक	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	18.00	...	18.00
6.02 अन्य अनुदानग्राही निकाय	3.47	...	3.47	3.82	...	3.82	3.66	...	3.66	3.83	...	3.83
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	<i>9.47</i>	<i>...</i>	<i>9.47</i>	<i>9.82</i>	<i>...</i>	<i>9.82</i>	<i>9.66</i>	<i>...</i>	<i>9.66</i>	<i>21.83</i>	<i>...</i>	<i>21.83</i>
7. संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2651.08</b>	<b>439.44</b>	<b>3090.52</b>	<b>2621.23</b>	<b>466.85</b>	<b>3088.08</b>	<b>2572.16</b>	<b>405.16</b>	<b>2977.32</b>	<b>2557.26</b>	<b>553.94</b>	<b>3111.20</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2651.08</b>	<b>439.44</b>	<b>3090.52</b>	<b>2621.23</b>	<b>466.85</b>	<b>3088.08</b>	<b>2572.16</b>	<b>405.16</b>	<b>2977.32</b>	<b>2557.26</b>	<b>553.94</b>	<b>3111.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5431.48</b>	<b>439.66</b>	<b>5871.14</b>	<b>5518.69</b>	<b>467.13</b>	<b>5985.82</b>	<b>5579.75</b>	<b>406.07</b>	<b>5985.82</b>	<b>5656.98</b>	<b>555.08</b>	<b>6212.06</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंशमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कार्यक्रम, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ आदि।

3.01. **जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबद्ध कार्यक्रम:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा उक्त योजनाओं के तहत जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के लिए अनुदान का प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वानिकी और वन्य जीव:** इसमें वानिकी एवं वन्य जीव और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम तथा नागरिक आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें एएनआईएमईआरएस (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी) को चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा साथ ही जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु सहायता भी शामिल है।

3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें यूटीसीपीसीआर (संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग), एसडब्ल्यूएवी (समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड), वीएपी (सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना) हेतु अनुदान तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता भी शामिल है।

3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधान और केवीआईवी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) के लिए सहायता शामिल है।

3.13. **सूचना और प्रचार:** इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम एवं रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **सड़क परिवहन:** इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके रखरखाव के हेतु प्रावधान तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए अनुदान शामिल है।

3.17. **पत्तन और प्रकाश स्तंभ:** इसमें पत्तन एवं प्रकाश स्तंभ, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **पोत परिवहन:** इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.19. **नागर विमानन:** इसमें हेलीकाप्टर और विमानों की चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।

3.20. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.21. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों के निर्माण तथा रखरखाव, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री दीवारों के निर्माण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.22. **आवासन:** इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

3.23. **शहरी विकास:** इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आस्तियों के निर्माण एवं रखरखाव, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अनुदान और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिये यूटी से मिलान अनुदान के लिये प्रावधान शामिल है।

3.24. **पुलिस और अग्नि नियंत्रण:** इसमें पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) और अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.25. **ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना:** इसमें सेटलाईट ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेने के लिए प्रावधान शामिल है।

3.26. **अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों और राज्य सैनिक बोर्ड के लिए नकद अनुदान तथा संकट में फंसे परिवारों हेतु अनुग्रह राशि और श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे अपराहून भोजन (मिड डे मील) का कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषाहार आदि), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एनआरएचएम, एनयूएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए संघ राज्य क्षेत्र के बजट के अंतर्गत सहायता का प्रावधान शामिल है।

5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **सोवटेक:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी (सोवटेक) को अनुदान शामिल है।

6.02. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वफ्फ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण सोसायटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।

7. **संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय:** इसमें पेंशन प्रभारों, व्याज और मूल्य ह्रास आदि के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 53  
गृह मंत्रालय (चंडीगढ़)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5976.31	662.96	6639.27	5858.62	655.00	6513.62	5959.49	655.00	6614.49	6185.18	798.00	6983.18
वसूलियां	-528.37	-238.77	-767.14	-531.00	-120.00	-651.00	-591.81	-184.02	-775.83	-638.01	-157.69	-795.70
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5447.94	424.19	5872.13	5327.62	535.00	5862.62	5367.68	470.98	5838.66	5547.17	640.31	6187.48
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	29.51	...	29.51	32.41	...	32.41	34.70	...	34.70	38.93	...	38.93
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	29.50	...	29.50	32.41	...	32.41	34.70	...	34.70	38.93	...	38.93
2. अन्य स्थापना	3725.28	...	3725.28	3765.36	...	3765.36	3899.87	...	3899.87	4174.26	...	4174.26
	-515.41	...	-515.41	-510.00	...	-510.00	-577.02	...	-577.02	-631.19	...	-631.19
निवल	3209.87	...	3209.87	3255.36	...	3255.36	3322.85	...	3322.85	3543.07	...	3543.07
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>3239.37</b>	...	<b>3239.37</b>	<b>3287.77</b>	...	<b>3287.77</b>	<b>3357.55</b>	...	<b>3357.55</b>	<b>3582.00</b>	...	<b>3582.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस आवासीय और संबद्ध कार्य	...	96.89	96.89	...	33.09	33.09	...	25.44	25.44	...	83.26	83.26
	...	-0.89	-0.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	96.00	96.00	...	33.09	33.09	...	25.44	25.44	...	83.26	83.26
3.02 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा	1026.22	31.48	1057.70	957.66	81.96	1039.62	952.44	80.78	1033.22	833.68	84.19	917.87
	-7.46	...	-7.46	-12.50	...	-12.50	-4.20	...	-4.20	-2.00	...	-2.00
निवल	1018.76	31.48	1050.24	945.16	81.96	1027.12	948.24	80.78	1029.02	831.68	84.19	915.87
3.03 वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	39.94	2.76	42.70	35.11	2.82	37.93	27.41	2.42	29.83	27.76	2.35	30.11
	...	...	...	...	...	...	-6.76	...	-6.76	-0.88	...	-0.88
निवल	39.94	2.76	42.70	35.11	2.82	37.93	20.65	2.42	23.07	26.88	2.35	29.23
3.04 स्वास्थ्य सेवाएं	...	80.58	80.58	...	96.27	96.27	...	124.45	124.45	...	170.23	170.23



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.05 शिक्षा	1.86	101.77	103.63	2.18	108.05	110.23	1.90	107.70	109.60	1.90	142.45	144.35
3.06 महिला और बाल कल्याण	26.12	21.22	47.34	28.92	11.94	40.86	26.59	14.02	40.61	27.37	7.67	35.04
3.07 कला, संस्कृति और संग्रहालय	1.98	1.81	3.79	2.00	1.36	3.36	1.70	1.27	2.97	1.80	0.90	2.70
3.08 खादी और ग्रामीण उद्योग	0.04	...	0.04	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
3.09 सड़क और परिवहन	7.85	71.04	78.89	7.09	58.49	65.58	7.09	50.49	57.58	4.90	40.13	45.03
	-0.56	-0.05	-0.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>7.29</i>	<i>70.99</i>	<i>78.28</i>	<i>7.09</i>	<i>58.49</i>	<i>65.58</i>	<i>7.09</i>	<i>50.49</i>	<i>57.58</i>	<i>4.90</i>	<i>40.13</i>	<i>45.03</i>
3.10 सरकारी आवासन	...	15.75	15.75	...	22.95	22.95	...	22.94	22.94	...	25.04	25.04
3.11 शहरी विकास	...	177.32	177.32	...	179.06	179.06	...	157.07	157.07	...	142.89	142.89
	...	-219.20	-219.20	...	-120.00	-120.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>-41.88</i>	<i>-41.88</i>	<i>...</i>	<i>59.06</i>	<i>59.06</i>	<i>...</i>	<i>7.07</i>	<i>7.07</i>	<i>...</i>	<i>-7.11</i>	<i>-7.11</i>
3.12 दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण	25.80	0.51	26.31	21.08	0.10	21.18	20.15	0.10	20.25	19.50	0.35	19.85
3.13 अन्य योजनाएं	45.80	61.83	107.63	49.81	58.91	108.72	49.50	68.32	117.82	43.97	98.54	142.51
	-4.93	-18.63	-23.56	-8.50	...	-8.50	-3.83	-34.02	-37.85	-3.94	-7.69	-11.63
<i>निवल</i>	<i>40.87</i>	<i>43.20</i>	<i>84.07</i>	<i>41.31</i>	<i>58.91</i>	<i>100.22</i>	<i>45.67</i>	<i>34.30</i>	<i>79.97</i>	<i>40.03</i>	<i>90.85</i>	<i>130.88</i>
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं</i>	<i>1162.66</i>	<i>424.19</i>	<i>1586.85</i>	<i>1097.85</i>	<i>535.00</i>	<i>1632.85</i>	<i>1076.99</i>	<i>470.98</i>	<i>1547.97</i>	<i>964.06</i>	<i>640.31</i>	<i>1604.37</i>
4. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	10.93	...	10.93	16.20	...	16.20	16.20	...	16.20	16.70	...	16.70
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	1034.98	...	1034.98	925.80	...	925.80	916.94	...	916.94	984.41	...	984.41
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2208.57</b>	<b>424.19</b>	<b>2632.76</b>	<b>2039.85</b>	<b>535.00</b>	<b>2574.85</b>	<b>2010.13</b>	<b>470.98</b>	<b>2481.11</b>	<b>1965.17</b>	<b>640.31</b>	<b>2605.48</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2208.57</b>	<b>424.19</b>	<b>2632.76</b>	<b>2039.85</b>	<b>535.00</b>	<b>2574.85</b>	<b>2010.13</b>	<b>470.98</b>	<b>2481.11</b>	<b>1965.17</b>	<b>640.31</b>	<b>2605.48</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5447.94</b>	<b>424.19</b>	<b>5872.13</b>	<b>5327.62</b>	<b>535.00</b>	<b>5862.62</b>	<b>5367.68</b>	<b>470.98</b>	<b>5838.66</b>	<b>5547.17</b>	<b>640.31</b>	<b>6187.48</b>

1. **सचिवालय:** इसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् न्यायपालिका, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, पुलिस, परिवहन प्राधिकरण, कोपागार एवं लेखा, जेल, सतर्कता, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग विभाग, आतिथ्य, होम गार्ड, शिक्षा, खेल, संग्रहालय, पुस्तकालय एवं कला, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सम्पदा कार्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन और मत्स्यन, वानिकी एवं वन्य जीव, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक सेवाएं, पर्यटन, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति आदि की स्थापना संबंधी व्यय शामिल है।

3.01. **पुलिस आवासीय और संबद्ध कार्य:** इसमें पुलिस आवास और संबद्ध कार्यों अर्थात् अवसंरचना का विकास, भवन निर्माण, मौजूदा आवासों के नवीकरण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. **विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें विद्युत के पारेपण एवं वितरण, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, मोडल सोलर सिटी प्रोग्राम के संवर्धन तथा विद्युत विभाग के निर्माण कार्य के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं विकास, पौधारोपण योजना, संचार और भवन, वन्य जीव परिरक्षण, वानिकी के लिए भूमि के अधिग्रहण, बाँटनिकल गार्डन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **स्वास्थ्य सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, 50 विस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करके इसे 250 विस्तर वाला अस्पताल बनाने, 50 विस्तर वाले पॉलीक्लीनिक चंडीगढ़ के सुदृढीकरण, ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढीकरण, शहरी सहायक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुदृढीकरण, अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, आयुष होम्योपैथी एवं आयुर्वेद, क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर के निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सरकारी पुनर्वास संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **शिक्षा:** इसमें उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद, एनसीसी के लिए अवसंरचना के विकास, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, स्नातक पाठ्यक्रमों तथा नए पॉलीटेकनीक के आधुनिकीकरण और निर्माण, महिलाओं के लिए सरकारी पॉलीटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **महिला और बाल कल्याण:** इसमें सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/ निर्माण, वृद्ध तथा निराश्रित लोगों के लिए, घर छोड़ कर भागे दंपतियों के लिए संरक्षण केन्द्र, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच, चंडीगढ़ बाल एवं महिला कल्याण निगम को शेयर पूंजी में अंशदान, केन्द्र प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए बराबर का अंशदान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोग की स्थापना, सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/निर्माण तथा लड़कियों के लिए बाल गृह आदि प्रावधान शामिल है।

3.07. **कला, संस्कृति और संग्रहालय:** इसमें राजकीय कला महाविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, सेक्टर-15, तथा आर्टीटोरियम, के निर्माण और नवीकरण, सभी चारों विधाओं के कंप्यूटरीकरण तथा कार्यालय मशीनरी, उपकरण और भण्डार एवं फर्नीचर की अन्य मदों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. **खादी और ग्रामीण उद्योग:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **सड़क और परिवहन:** इसमें नई बसों की खरीद, खराब हुई बसों को बदलने तथा बस स्टैंड के उन्नयन, चंडीगढ़ ट्रासपोर्ट अन्डरटेकिंग के कंप्यूटरीकरण, लिंक रोड के निर्माण, इन्टरसिटी परिवहन के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **सरकारी आवासन:** इसमें आवासीय एवं गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **शहरी विकास:** इसमें भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण, निर्माण/अवसंरचना संबंधी विकास, शहरी सड़कों स्टोर्म वाटर ड्रेनेज, विद्युतीकरण, आईटी पार्क, सिविल कार्यों, मशीन एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, अनुसंधान संबंधी कार्यों, सुखना झील पर बांध और चौबीस घंटे पानी आपूर्ति आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण:** इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगता अधिनियम/कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल एवं डीजल पर सब्सिडी, दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी), दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **अन्य योजनाएं:** इसमें कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव, विरासत भवनों के परिरक्षण, पुनरुत्थान और उन पर रोशनी की व्यवस्था कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, सड़कों, एलईडी लाईटिंग, अंडर पास, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज, आईटी पार्क हेतु आवश्यक सेवाओं, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, चुनावों, अन्य, राजकोषीय सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में अपराह्न भोजन (मिड-डे मील) के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें नगर निगम, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों, पंजाब अभियांत्रिकी और अन्य अनुदानग्राही निकायों जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेअंत सिंह मेमोरियल एवं गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस, पाक कला

संस्थान, बाल कल्याण परिषद, दिल्ली वित्तीय निगम और पूरे चंडीगढ़ शहर में चौबीस घंटे पानी की आपूर्ति इत्यादि के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

गृह मंत्रालय (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1591.94	935.21	2527.15	1637.41	1016.26	2653.67	1635.21	1016.26	2651.47	1712.50	1070.00	2782.50
<i>वसूलियां</i>	-2.27	-24.40	-26.67	-4.70	...	-4.70	-2.50	...	-2.50	-2.50	...	-2.50
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1589.67</b>	<b>910.81</b>	<b>2500.48</b>	<b>1632.71</b>	<b>1016.26</b>	<b>2648.97</b>	<b>1632.71</b>	<b>1016.26</b>	<b>2648.97</b>	<b>1710.00</b>	<b>1070.00</b>	<b>2780.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	32.20	...	32.20	22.44	...	22.44	22.44	...	22.44	24.10	...	24.10
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>32.19</i>	<i>...</i>	<i>32.19</i>	<i>22.44</i>	<i>...</i>	<i>22.44</i>	<i>22.44</i>	<i>...</i>	<i>22.44</i>	<i>24.10</i>	<i>...</i>	<i>24.10</i>
2. अन्य स्थापना	734.66	...	734.66	779.27	...	779.27	782.26	...	782.26	825.36	...	825.36
	-0.81	...	-0.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>733.85</i>	<i>...</i>	<i>733.85</i>	<i>779.27</i>	<i>...</i>	<i>779.27</i>	<i>782.26</i>	<i>...</i>	<i>782.26</i>	<i>825.36</i>	<i>...</i>	<i>825.36</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>766.04</b>	<b>...</b>	<b>766.04</b>	<b>801.71</b>	<b>...</b>	<b>801.71</b>	<b>804.70</b>	<b>...</b>	<b>804.70</b>	<b>849.46</b>	<b>...</b>	<b>849.46</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 पुलिस कल्याण स्कीम	...	45.41	45.41	0.20	20.48	20.68	0.20	28.30	28.50	0.10	20.37	20.47
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं	0.20	...	0.20	0.43	...	0.43	0.43	...	0.43	0.23	...	0.23
3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2.72	...	2.72	1.32	...	1.32	1.32	...	1.32	1.69	...	1.69
3.04 अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन	0.38	0.83	1.21	0.18	6.32	6.50	0.18	4.81	4.99	0.16	3.52	3.68
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों के लिए योजनाएं	4.15	43.91	48.06	6.30	41.07	47.37	5.86	22.97	28.83	5.46	21.37	26.83
3.06 विद्युत का पारेषण और वितरण	28.23	29.36	57.59	18.04	40.02	58.06	17.71	40.02	57.73	16.29	40.02	56.31
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>28.23</i>	<i>29.36</i>	<i>57.59</i>	<i>18.04</i>	<i>40.02</i>	<i>58.06</i>	<i>17.71</i>	<i>40.02</i>	<i>57.73</i>	<i>16.29</i>	<i>40.02</i>	<i>56.31</i>
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	29.50	33.91	63.41	26.76	19.40	46.16	29.26	19.40	48.66	39.08	22.42	61.50
3.08 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3.91	...	3.91	4.20	...	4.20	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-1.45	...	-1.45	-4.20	...	-4.20	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00
<i>निवल</i>	<i>2.46</i>	<i>...</i>	<i>2.46</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.09 चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं	9.65	116.63	126.28	12.27	203.56	215.83	7.23	197.75	204.98	6.98	244.38	251.36
3.10 शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं	17.53	56.99	74.52	20.19	77.70	97.89	20.19	76.71	96.90	16.66	93.00	109.66
3.11 औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं	46.00	...	46.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
3.12 श्रम कल्याण	0.84	...	0.84	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.50	...	0.50
3.13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	...	0.22	0.22	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.20	0.20
3.14 सड़क और पुल	5.30	424.48	429.78	4.03	404.45	408.48	5.73	404.43	410.16	8.44	432.11	440.55
3.15 पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास	...	...	...	...	0.52	0.52	...	0.51	0.51	...	1.52	1.52
3.16 नागर विमानन से संबंधित योजनाएं	26.74	11.07	37.81	21.00	24.02	45.02	21.00	24.01	45.01	22.00	18.02	40.02
	...	-24.40	-24.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>26.74</i>	<i>-13.33</i>	<i>13.41</i>	<i>21.00</i>	<i>24.02</i>	<i>45.02</i>	<i>21.00</i>	<i>24.01</i>	<i>45.01</i>	<i>22.00</i>	<i>18.02</i>	<i>40.02</i>
3.17 पर्यटन के लिए योजनाएं	5.74	37.36	43.10	4.12	53.35	57.47	4.43	32.28	36.71	4.75	51.34	56.09
3.18 लोक निर्माण कार्य	16.68	106.05	122.73	8.04	88.42	96.46	7.86	126.39	134.25	11.04	49.49	60.53
	...	...	...	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50
<i>निवल</i>	<i>16.68</i>	<i>106.05</i>	<i>122.73</i>	<i>7.54</i>	<i>88.42</i>	<i>95.96</i>	<i>7.36</i>	<i>126.39</i>	<i>133.75</i>	<i>10.54</i>	<i>49.49</i>	<i>60.03</i>
3.19 जलापूर्ति और स्वच्छता	10.78	18.92	29.70	8.88	17.91	26.79	7.95	20.55	28.50	10.36	53.50	63.86
3.20 सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास	2.16	1.17	3.33	1.68	0.48	2.16	1.68	0.46	2.14	2.30	0.93	3.23
3.21 टोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
3.22 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.19	...	0.19	0.17	...	0.17
3.23 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	...	8.33	8.33	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
3.24 खेल विकास संबंधी योजना	...	0.07	0.07	...	0.17	0.17	...	...	...	...	0.07	0.07
3.25 दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>209.77</i>	<i>910.31</i>	<i>1120.08</i>	<i>184.00</i>	<i>1013.28</i>	<i>1197.28</i>	<i>181.57</i>	<i>1013.99</i>	<i>1195.56</i>	<i>196.21</i>	<i>1067.27</i>	<i>1263.48</i>
4. केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.60	...	0.60
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>0.35</i>	<i>...</i>	<i>0.35</i>	<i>0.35</i>	<i>...</i>	<i>0.35</i>	<i>0.35</i>	<i>...</i>	<i>0.35</i>	<i>0.60</i>	<i>...</i>	<i>0.60</i>
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	1.26	0.03	1.29	1.41	0.01	1.42	1.41	...	1.41	1.30	0.01	1.31
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	394.55	...	394.55	423.30	...	423.30	423.30	...	423.30	438.30	...	438.30
6.02 नगरपालिका परिषदों को अनुदान	134.17	...	134.17	124.80	...	124.80	124.80	...	124.80	122.00	...	122.00
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	83.27	...	83.27	97.03	...	97.03	96.47	...	96.47	102.02	...	102.02
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	<i>611.99</i>	<i>...</i>	<i>611.99</i>	<i>645.13</i>	<i>...</i>	<i>645.13</i>	<i>644.57</i>	<i>...</i>	<i>644.57</i>	<i>662.32</i>	<i>...</i>	<i>662.32</i>
7. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	0.26	0.47	0.73	0.11	2.97	3.08	0.11	2.27	2.38	0.11	2.72	2.83
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>823.63</b>	<b>910.81</b>	<b>1734.44</b>	<b>831.00</b>	<b>1016.26</b>	<b>1847.26</b>	<b>828.01</b>	<b>1016.26</b>	<b>1844.27</b>	<b>860.54</b>	<b>1070.00</b>	<b>1930.54</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>823.63</b>	<b>910.81</b>	<b>1734.44</b>	<b>831.00</b>	<b>1016.26</b>	<b>1847.26</b>	<b>828.01</b>	<b>1016.26</b>	<b>1844.27</b>	<b>860.54</b>	<b>1070.00</b>	<b>1930.54</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1589.67</b>	<b>910.81</b>	<b>2500.48</b>	<b>1632.71</b>	<b>1016.26</b>	<b>2648.97</b>	<b>1632.71</b>	<b>1016.26</b>	<b>2648.97</b>	<b>1710.00</b>	<b>1070.00</b>	<b>2780.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.01. **पुलिस कल्याण स्कीम:** इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियनों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय ईमारतों के निर्माण और अभिवर्धन/पुनरुद्धार हेतु प्रावधान शामिल है।

3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पूर्व- मैट्रिक छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति/वजीफा, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क यूनीफार्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के मददेनजर पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत का प्रावधान शामिल है।

3.04. **अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन:** इसमें अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन, अग्निशमन के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों के लिए योजनाएं:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत योजनाओं हेतु प्रावधान शामिल है।

3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्य भंडारण और माल गोदाम तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, बेटी बचाओ योजना, एचआईवी पॉजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं:** इसमें शिक्षा (प्रौढ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं:** इसमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आईटीआई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़क और पुल:** इसमें सड़कों और पुलों के रखरखाव और मरम्मत सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **नागर विमानन से संबंधित योजनाएं:** इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वीजीएफ (वाइविलीटी गैप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **पर्यटन के लिए योजनाएं:** इसमें पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण विभाग की भवनों के निर्माण/उन्नयन तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।

3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन/निर्माण तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।

- 3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी आवासो भवनों के निर्माण, उन्नयन तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** इसमें विधवाओं के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.23. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना आदि हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **खेल विकास संबंधी योजना:** इसमें खेल परिसरों के निर्माण, आवधिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करने, खेल परिषद को सहायता प्रदान करने तथा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.25. **दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना:** इसमें दिव्यांगजन और वृद्ध, विकलांग कल्याण तथा रेड क्रॉस सोसायटी को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें आईसीडीएस-मिड डे मील में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में कल्याण और विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।
- 6.02. **नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों, सड़कों, पुलों, जल संसाधनों, विद्युत आदि के विकास हेतु नगरपालिका परिषद को अनुदान का प्रावधान शामिल है।
- 6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।
7. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें प्रापण, नागर विमानन, कमांड क्षेत्र विकास, दमन गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेयर पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण तथा अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा सहकारी बैंक आदि को शेयर पूंजी अंशदानों हेतु प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 55  
गृह मंत्रालय (लद्दाख)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2248.57	2107.13	4355.70	2892.09	3076.16	5968.25	2434.59	2500.00	4934.59	2460.25	2242.15	4702.40
<i>वसूलियां</i>	-47.19	-8.22	-55.41	-10.25	...	-10.25	-14.25	...	-14.25	-10.25	...	-10.25
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2201.38</b>	<b>2098.91</b>	<b>4300.29</b>	<b>2881.84</b>	<b>3076.16</b>	<b>5958.00</b>	<b>2420.34</b>	<b>2500.00</b>	<b>4920.34</b>	<b>2450.00</b>	<b>2242.15</b>	<b>4692.15</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	40.21	...	40.21	78.72	...	78.72	47.76	...	47.76	47.65	...	47.65
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>40.17</i>	<i>...</i>	<i>40.17</i>	<i>78.72</i>	<i>...</i>	<i>78.72</i>	<i>47.76</i>	<i>...</i>	<i>47.76</i>	<i>47.65</i>	<i>...</i>	<i>47.65</i>
2. अन्य स्थापना	1568.51	...	1568.51	1956.77	...	1956.77	1737.91	...	1737.91	1848.33	...	1848.33
	-0.31	...	-0.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>1568.20</i>	<i>...</i>	<i>1568.20</i>	<i>1956.77</i>	<i>...</i>	<i>1956.77</i>	<i>1737.91</i>	<i>...</i>	<i>1737.91</i>	<i>1848.33</i>	<i>...</i>	<i>1848.33</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1608.37</b>	<b>...</b>	<b>1608.37</b>	<b>2035.49</b>	<b>...</b>	<b>2035.49</b>	<b>1785.67</b>	<b>...</b>	<b>1785.67</b>	<b>1895.98</b>	<b>...</b>	<b>1895.98</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.75	...	0.75	1.60	0.01	1.61	1.20	...	1.20	1.10	...	1.10
3.02 आपदा प्रबंधन	15.69	...	15.69	18.84	...	18.84	14.48	...	14.48	17.96	...	17.96
3.03 कृषि और संबद्ध योजनाएं	13.24	5.93	19.17	11.84	6.88	18.72	9.68	3.28	12.96	3.25	4.30	7.55
3.04 जल आपूर्ति और स्वच्छता	18.30	...	18.30	16.65	...	16.65	13.40	...	13.40	10.30	...	10.30
3.05 ग्रामीण विकास	2.85	28.15	31.00	0.02	60.30	60.32	0.11	49.35	49.46	3.00	40.01	43.01
3.06 विद्युत	141.02	32.26	173.28	165.76	23.49	189.25	149.30	26.65	175.95	64.86	19.78	84.64
3.07 वानिकी और वन्यजीव	1.63	0.04	1.67	2.20	0.23	2.43	1.05	...	1.05	1.09	0.10	1.19
	-0.48	...	-0.48	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25
<i>निवल</i>	<i>1.15</i>	<i>0.04</i>	<i>1.19</i>	<i>1.95</i>	<i>0.23</i>	<i>2.18</i>	<i>0.80</i>	<i>...</i>	<i>0.80</i>	<i>0.84</i>	<i>0.10</i>	<i>0.94</i>
3.08 सिविल आपूर्ति	28.36	0.97	29.33	49.20	1.50	50.70	40.13	0.45	40.58	32.04	1.00	33.04

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-43.91	...	-43.91	-9.00	...	-9.00	-12.00	...	-12.00	-9.00	...	-9.00
<i>निवल</i>	<i>-15.55</i>	<i>0.97</i>	<i>-14.58</i>	<i>40.20</i>	<i>1.50</i>	<i>41.70</i>	<i>28.13</i>	<i>0.45</i>	<i>28.58</i>	<i>23.04</i>	<i>1.00</i>	<i>24.04</i>
3.09 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	63.17	0.05	63.22	68.14	0.30	68.44	49.90	0.30	50.20	67.24	1.25	68.49
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	3.96	7.81	11.77	6.89	7.53	14.42	4.67	9.50	14.17	3.41	5.15	8.56
	...	-0.41	-0.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>3.96</i>	<i>7.40</i>	<i>11.36</i>	<i>6.89</i>	<i>7.53</i>	<i>14.42</i>	<i>4.67</i>	<i>9.50</i>	<i>14.17</i>	<i>3.41</i>	<i>5.15</i>	<i>8.56</i>
3.11 सामाजिक कल्याण	19.65	...	19.65	23.08	0.02	23.10	21.71	...	21.71	21.66	...	21.66
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	1.91	1.46	3.37	1.99	1.41	3.40	0.85	1.38	2.23	0.60	0.88	1.48
3.13 सूचना और प्रचार-प्रसार	0.94	0.11	1.05	1.02	0.08	1.10	0.43	...	0.43	0.45	0.02	0.47
3.14 श्रम और रोजगार	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
3.15 सड़कें और पुल	...	3.71	3.71	...	36.58	36.58	...	48.45	48.45	...	25.97	25.97
3.16 नागर विमानन	5.61	...	5.61	32.00	0.05	32.05	8.05	...	8.05	30.10	0.03	30.13
3.17 पर्यटन	1.03	28.06	29.09	1.30	20.00	21.30	0.52	16.00	16.52	0.11	13.65	13.76
3.18 लोक निर्माण कार्य	9.39	15.20	24.59	13.89	13.95	27.84	7.12	8.18	15.30	5.83	9.49	15.32
3.19 आवासन	2.25	...	2.25	6.00	...	6.00	2.78	...	2.78	2.78	...	2.78
3.20 शहरी विकास	23.25	2.37	25.62	27.33	3.02	30.35	26.43	2.31	28.74	26.12	2.05	28.17
3.21 पुलिस और अग्नि नियंत्रण	4.49	7.26	11.75	1.15	9.90	11.05	3.40	9.59	12.99	4.50	6.65	11.15
3.22 संचार	...	0.40	0.40	...	0.50	0.50	...	0.20	0.20	...	0.21	0.21
3.23 विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
3.24 यातायात	...	0.11	0.11	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>313.10</i>	<i>133.50</i>	<i>446.60</i>	<i>439.67</i>	<i>185.83</i>	<i>625.50</i>	<i>342.96</i>	<i>175.71</i>	<i>518.67</i>	<i>287.15</i>	<i>130.61</i>	<i>417.76</i>
4. केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	0.69	...	0.69	0.66	...	0.66	0.43	...	0.43	0.36	...	0.36
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	158.28	1973.22	2131.50	276.53	2890.33	3166.86	174.29	2324.29	2498.58	226.96	2111.54	2338.50
	-2.41	-7.81	-10.22	-1.00	...	-1.00	-2.00	...	-2.00	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>155.87</i>	<i>1965.41</i>	<i>2121.28</i>	<i>275.53</i>	<i>2890.33</i>	<i>3165.86</i>	<i>172.29</i>	<i>2324.29</i>	<i>2496.58</i>	<i>225.96</i>	<i>2111.54</i>	<i>2337.50</i>
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	123.35	...	123.35	130.49	...	130.49	118.99	...	118.99	40.55	...	40.55
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>593.01</b>	<b>2098.91</b>	<b>2691.92</b>	<b>846.35</b>	<b>3076.16</b>	<b>3922.51</b>	<b>634.67</b>	<b>2500.00</b>	<b>3134.67</b>	<b>554.02</b>	<b>2242.15</b>	<b>2796.17</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>593.01</b>	<b>2098.91</b>	<b>2691.92</b>	<b>846.35</b>	<b>3076.16</b>	<b>3922.51</b>	<b>634.67</b>	<b>2500.00</b>	<b>3134.67</b>	<b>554.02</b>	<b>2242.15</b>	<b>2796.17</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2201.38</b>	<b>2098.91</b>	<b>4300.29</b>	<b>2881.84</b>	<b>3076.16</b>	<b>5958.00</b>	<b>2420.34</b>	<b>2500.00</b>	<b>4920.34</b>	<b>2450.00</b>	<b>2242.15</b>	<b>4692.15</b>

1. **सचिवालय:** इसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, न्यायालयों, करों, कोषागार और लेखा प्रशासनिक स्थापना, पुलिस, जेल अन्य प्रशासनिक सेवाओं, जनजातीय कल्याण,

आपदा प्रबंधन, उद्योगों, जनगणना, सर्वेक्षण और राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी और वन्य जीव, सिविल आपूर्तियों, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा कार्यक्रम, कला और संस्कृति, ग्रामीण और लघु उद्योगों, सूचना और प्रचार-प्रसार, श्रम और रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, नागर विमानन, सड़क परिवहन, चुनाव, भू- विज्ञान और खनन आदि का स्थापना का प्रावधान शामिल है।



- 3.01. **जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- 3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों के समय राहत हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.03. **कृषि और संबद्ध योजनाएं:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई का प्रावधान शामिल है।
- 3.04. **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल है।
- 3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।
- 3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, पारेपण और वितरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.07. **वानिकी और वन्यजीव:** इसमें वन और वन्य जीव विकास, संरक्षण और पुनःउत्पादन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सिविल आपूर्ति:** इसमें खाद्य भंडारण और माल गोदाम तथा सिविल आपूर्ति, जनगणना और सांख्यिकी हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** इसमें चिकित्सा और जनस्वास्थ्य हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें शिक्षा (प्रारंभिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालयी, उच्चतर शिक्षा), खेलकूद, कला और संस्कृति हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **सामाजिक कल्याण:** इसमें वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांगजन कल्याण, महिला और बाल कल्याण और, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा कारीगरों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **सूचना और प्रचार-प्रसार:** इसमें सूचना और प्रचार-प्रसार तथा लेखन सामग्री और निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **श्रम और रोजगार:** इसमें श्रम और रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **सड़कें और पुल:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **नागर विमानन:** इसमें हेलीकॉप्टरों और वायुयानों की चार्टरिंग हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पर्यटन:** इसमें पर्यटन और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एलएएचडीसी और साथ ही विभिन्न अन्य विभागों के निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **आवासन:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **शहरी विकास:** इसमें भवनों का निर्माण और रखरखाव, तथा कारगिल एवं लेह के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **पुलिस और अग्नि नियंत्रण:** इसमें पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **संचार:** इसमें सिविल कार्य सहित सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तथा होस्टिंग के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.23. **विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण:** इसमें कार्यालय के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.24. **यातायात:** इसमें लर्नर लाइसेंस परीक्षण केंद्र, लेह और कारगिल तथा अन्य सिविल कार्य के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्यक्षेत्र के बजट के तहत पूरक हेतु प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें परिपद सचिवालय और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्राथमिक स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष केंद्रीय पैकेज के रूप में केंद्र से सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
6. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें विश्वविद्यालयों और कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 56  
गृह मंत्रालय (लक्षद्वीप)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1325.85	253.26	1579.11	1199.75	317.10	1516.85	1418.65	216.26	1634.91	1322.54	290.37	1612.91
<i>वसूलियां</i>	-23.25	-0.03	-23.28	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75	-26.50	-0.25	-26.75
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1302.60</b>	<b>253.23</b>	<b>1555.83</b>	<b>1173.25</b>	<b>316.85</b>	<b>1490.10</b>	<b>1392.15</b>	<b>216.01</b>	<b>1608.16</b>	<b>1296.04</b>	<b>290.12</b>	<b>1586.16</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	18.52	...	18.52	34.32	...	34.32	32.67	...	32.67	30.90	...	30.90
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>18.51</i>	...	<i>18.51</i>	<i>34.32</i>	...	<i>34.32</i>	<i>32.67</i>	...	<i>32.67</i>	<i>30.90</i>	...	<i>30.90</i>
2. अन्य स्थापना	409.23	...	409.23	419.96	...	419.96	414.48	...	414.48	437.13	...	437.13
	-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>409.11</i>	...	<i>409.11</i>	<i>419.96</i>	...	<i>419.96</i>	<i>414.48</i>	...	<i>414.48</i>	<i>437.13</i>	...	<i>437.13</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>427.62</b>	...	<b>427.62</b>	<b>454.28</b>	...	<b>454.28</b>	<b>447.15</b>	...	<b>447.15</b>	<b>468.03</b>	...	<b>468.03</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>अन्य</b>												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 आपदा प्रबंधन	0.17	...	0.17	0.26	...	0.26	0.18	...	0.18	0.23	...	0.23
3.02 सूचना प्रौद्योगिकी	2.93	160.97	163.90	4.85	65.01	69.86	1.85	65.01	66.86	2.68	65.01	67.69
3.03 पुलिस	3.28	3.15	6.43	2.25	10.43	12.68	2.25	7.33	9.58	2.25	8.38	10.63
3.04 विद्युत	216.66	6.66	223.32	174.04	11.76	185.80	214.04	11.76	225.80	218.06	14.51	232.57
3.05 कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	3.63	0.51	4.14	5.48	1.07	6.55	3.33	0.67	4.00	4.94	1.08	6.02
	-0.03	-0.03	-0.06	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25
<i>निवल</i>	<i>3.60</i>	<i>0.48</i>	<i>4.08</i>	<i>5.48</i>	<i>0.82</i>	<i>6.30</i>	<i>3.33</i>	<i>0.42</i>	<i>3.75</i>	<i>4.94</i>	<i>0.83</i>	<i>5.77</i>
3.06 पर्यावरण एवं वन	0.95	0.02	0.97	1.29	0.32	1.61	0.79	0.17	0.96	0.89	0.17	1.06
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>0.94</i>	<i>0.02</i>	<i>0.96</i>	<i>1.29</i>	<i>0.32</i>	<i>1.61</i>	<i>0.79</i>	<i>0.17</i>	<i>0.96</i>	<i>0.89</i>	<i>0.17</i>	<i>1.06</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.07 पंचायती राज	4.88	...	4.88	7.23	2.65	9.88	7.23	0.85	8.08	7.21	1.19	8.40
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>4.87</i>	<i>...</i>	<i>4.87</i>	<i>7.23</i>	<i>2.65</i>	<i>9.88</i>	<i>7.23</i>	<i>0.85</i>	<i>8.08</i>	<i>7.21</i>	<i>1.19</i>	<i>8.40</i>
3.08 नागरिक आपूर्ति	3.86	0.17	4.03	5.00	0.70	5.70	3.60	0.60	4.20	4.55	0.42	4.97
	-2.78	...	-2.78	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
<i>निवल</i>	<i>1.08</i>	<i>0.17</i>	<i>1.25</i>	<i>-1.50</i>	<i>0.70</i>	<i>-0.80</i>	<i>-2.90</i>	<i>0.60</i>	<i>-2.30</i>	<i>-1.95</i>	<i>0.42</i>	<i>-1.53</i>
3.09 स्वास्थ्य	23.71	1.81	25.52	34.33	77.70	112.03	23.95	26.05	50.00	39.95	75.05	115.00
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>23.67</i>	<i>1.81</i>	<i>25.48</i>	<i>34.33</i>	<i>77.70</i>	<i>112.03</i>	<i>23.95</i>	<i>26.05</i>	<i>50.00</i>	<i>39.95</i>	<i>75.05</i>	<i>115.00</i>
3.10 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	25.13	14.50	39.63	45.66	57.37	103.03	35.33	24.67	60.00	50.37	54.63	105.00
3.11 समाज कल्याण, महिला और बाल विकास	7.52	1.03	8.55	8.22	3.59	11.81	8.22	2.39	10.61	8.44	1.78	10.22
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>7.51</i>	<i>1.03</i>	<i>8.54</i>	<i>8.22</i>	<i>3.59</i>	<i>11.81</i>	<i>8.22</i>	<i>2.39</i>	<i>10.61</i>	<i>8.44</i>	<i>1.78</i>	<i>10.22</i>
3.12 ग्रामीण और लघु उद्योग	0.13	0.09	0.22	0.49	0.19	0.68	0.34	0.11	0.45	0.38	0.25	0.63
3.13 रोजगार और प्रशिक्षण	1.40	...	1.40	2.21	0.86	3.07	1.81	0.23	2.04	1.93	0.41	2.34
3.14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2.20	0.20	2.40	1.45	0.57	2.02	1.00	0.37	1.37	1.16	0.43	1.59
	-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>2.08</i>	<i>0.20</i>	<i>2.28</i>	<i>1.45</i>	<i>0.57</i>	<i>2.02</i>	<i>1.00</i>	<i>0.37</i>	<i>1.37</i>	<i>1.16</i>	<i>0.43</i>	<i>1.59</i>
3.15 शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण	27.05	40.48	67.53	16.62	43.07	59.69	12.94	40.24	53.18	12.31	33.69	46.00
	-19.57	...	-19.57	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
<i>निवल</i>	<i>7.48</i>	<i>40.48</i>	<i>47.96</i>	<i>-3.38</i>	<i>43.07</i>	<i>39.69</i>	<i>-7.06</i>	<i>40.24</i>	<i>33.18</i>	<i>-7.69</i>	<i>33.69</i>	<i>26.00</i>
3.16 सड़कें	...	2.99	2.99	0.30	13.00	13.30	0.20	9.00	9.20	0.14	4.00	4.14
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>2.99</i>	<i>2.99</i>	<i>0.30</i>	<i>13.00</i>	<i>13.30</i>	<i>0.20</i>	<i>9.00</i>	<i>9.20</i>	<i>0.14</i>	<i>4.00</i>	<i>4.14</i>
3.17 परिवहन	566.20	8.13	574.33	426.81	18.79	445.60	647.90	18.79	666.69	491.16	22.84	514.00
3.18 पर्यटन विकास	1.46	12.20	13.66	2.03	5.55	7.58	0.85	5.30	6.15	1.19	1.55	2.74
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>1.46</i>	<i>12.20</i>	<i>13.66</i>	<i>2.03</i>	<i>5.55</i>	<i>7.58</i>	<i>0.85</i>	<i>5.30</i>	<i>6.15</i>	<i>1.19</i>	<i>1.55</i>	<i>2.74</i>
	<i>868.59</i>	<i>252.88</i>	<i>1121.47</i>	<i>712.02</i>	<i>312.38</i>	<i>1024.40</i>	<i>939.31</i>	<i>213.29</i>	<i>1152.60</i>	<i>821.34</i>	<i>285.14</i>	<i>1106.48</i>
4. केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	2.01	...	2.01	2.79	...	2.79	1.94	...	1.94	2.32	...	2.32
5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय	2.95	...	2.95	2.80	...	2.80	2.59	...	2.59	2.85	...	2.85
6. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	1.46	0.35	1.81	1.36	4.47	5.83	1.16	2.72	3.88	1.50	4.98	6.48
	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>1.43</i>	<i>0.35</i>	<i>1.78</i>	<i>1.36</i>	<i>4.47</i>	<i>5.83</i>	<i>1.16</i>	<i>2.72</i>	<i>3.88</i>	<i>1.50</i>	<i>4.98</i>	<i>6.48</i>
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>874.98</b>	<b>253.23</b>	<b>1128.21</b>	<b>718.97</b>	<b>316.85</b>	<b>1035.82</b>	<b>945.00</b>	<b>216.01</b>	<b>1161.01</b>	<b>828.01</b>	<b>290.12</b>	<b>1118.13</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>874.98</b>	<b>253.23</b>	<b>1128.21</b>	<b>718.97</b>	<b>316.85</b>	<b>1035.82</b>	<b>945.00</b>	<b>216.01</b>	<b>1161.01</b>	<b>828.01</b>	<b>290.12</b>	<b>1118.13</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1302.60</b>	<b>253.23</b>	<b>1555.83</b>	<b>1173.25</b>	<b>316.85</b>	<b>1490.10</b>	<b>1392.15</b>	<b>216.01</b>	<b>1608.16</b>	<b>1296.04</b>	<b>290.12</b>	<b>1586.16</b>

1. **सचिवालय:** इसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।
2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् संचार, योजना एवं सांख्यिकी, न्यायालय, वेतन एवं लेखा, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सिविल आपूर्ति, विधिक माप-पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा सेवा, कला एवं संस्कृति, उद्योग, सूचना एवं प्रचार, रोजगार एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण कार्य, जलापूर्ति, आवास, सड़क परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन, नागर विमानन और पर्यटन विकास आदि की स्थापना का प्रावधान शामिल है।
  - 3.01. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।
  - 3.02. **सूचना प्रौद्योगिकी:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास तथा डाटा कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए प्रावधान शामिल हैं।
  - 3.03. **पुलिस:** इसमें भवनों, मशीन एवं उपकरण, पुलिस अग्निशमन बल और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए मोटर वाहनों जैसी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल हैं।
  - 3.04. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, वितरण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के विकास, स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग के लिए प्रावधान शामिल है।
  - 3.05. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-वाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल हैं।
  - 3.06. **पर्यावरण एवं वन:** इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।
  - 3.07. **पंचायती राज:** इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
  - 3.08. **नागरिक आपूर्ति:** इसमें खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम तथा सिविल आपूर्ति क्षेत्रों के अंतर्गत राशन तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रापण, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **स्वास्थ्य:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के सृजन और रखरखाव, स्वास्थ्य बीमा पैकेज तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति:** इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन एवं रखरखाव और विकास, खेल एवं युवा सेवाओं के विकास तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **समाज कल्याण, महिला और बाल विकास:** इसमें समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **ग्रामीण और लघु उद्योग:** इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **रोजगार और प्रशिक्षण:** इसमें श्रम प्रवर्तन, रोजगार सेवाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **शहरी विकास, आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण:** इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के सृजन, रिहायशी भवनों के निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए (समुद्री अपरदन-रोधी) अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.16. **सड़कें:** इसमें सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सड़क सुरक्षा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **परिवहन:** इसमें पत्तनों के निर्माण और रखरखाव, जहाजों से तट तक परिवहन सुविधाओं, जहाजों के अधिग्रहण एवं रखरखाव, हवाईअड्डों और हेलीपैड के निर्माण तथा उड़ान और हेलिकॉप्टर सेवा के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **पर्यटन विकास:** इसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता:** इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम/एकीकृत बाल विकास योजना (एसएनपी/आईसीडीएस) के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **अनुदानग्राही/अन्य निकाय:** इसमें लक्षद्वीप राज्य बक्फ बोर्ड (एलएसडब्ल्यूबी), विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), लक्षद्वीप कला अकादमी(एलकेए), लक्षद्वीप खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड (एलकेवीडीबी), प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), लक्षद्वीप गोताखोरी अकादमी (एलडीए), पर्यटन एवं खेल संवर्धन समिति (एसपीओआरटीएस) तथा लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एलएसएसडब्ल्यूबी) लिए प्रावधान शामिल है।

6. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें जेलों के रखरखाव, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्पों की खरीद, सूचना एवं प्रचार संबंधी सुविधाओं के मुजन एवं रखरखाव, जिला प्रशासन के भवनों के रखरखाव तथा लक्षद्वीप सरकारी प्रेस की स्थापना एवं रखरखाव आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 57  
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	951.00	...	951.00	968.01	200.00	1168.01	968.01	280.00	1248.01	968.01	380.00	1348.01
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>951.00</b>	<b>...</b>	<b>951.00</b>	<b>968.01</b>	<b>200.00</b>	<b>1168.01</b>	<b>968.01</b>	<b>280.00</b>	<b>1248.01</b>	<b>968.01</b>	<b>380.00</b>	<b>1348.01</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00
5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	...	...	...	0.01	200.00	200.01	0.01	280.00	280.01	0.01	380.00	380.01
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>951.00</b>	<b>...</b>	<b>951.00</b>	<b>968.01</b>	<b>200.00</b>	<b>1168.01</b>	<b>968.01</b>	<b>280.00</b>	<b>1248.01</b>	<b>968.01</b>	<b>380.00</b>	<b>1348.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>951.00</b>	<b>...</b>	<b>951.00</b>	<b>968.01</b>	<b>200.00</b>	<b>1168.01</b>	<b>968.01</b>	<b>280.00</b>	<b>1248.01</b>	<b>968.01</b>	<b>380.00</b>	<b>1348.01</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>अन्य</b>												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	951.00	...	951.00	968.01	...	968.01	968.01	...	968.01	968.01	...	968.01
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	200.00	200.00	...	280.00	280.00	...	380.00	380.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>951.00</b>	<b>...</b>	<b>951.00</b>	<b>968.01</b>	<b>200.00</b>	<b>1168.01</b>	<b>968.01</b>	<b>280.00</b>	<b>1248.01</b>	<b>968.01</b>	<b>380.00</b>	<b>1348.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>951.00</b>	<b>...</b>	<b>951.00</b>	<b>968.01</b>	<b>200.00</b>	<b>1168.01</b>	<b>968.01</b>	<b>280.00</b>	<b>1248.01</b>	<b>968.01</b>	<b>380.00</b>	<b>1348.01</b>

1. **1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति:** इसमें 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संबद्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

2. **केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान:** संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय करों और केंद्रीय सहायता में शेयर के बदले अनुदान को व. अ. 2023-24 से संघ राज्य क्षेत्रों के केंद्रीय सहायता में शामिल कर दिया गया है।

3. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान के संबंध में अनुदान के लिए है।
4. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए है।
5. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्राबल जल शोधन संयंत्र):** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 58  
जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	41604.44	...	41604.44	42277.74	...	42277.74	41000.07	...	41000.07	41000.07	...	41000.07
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	41604.44	...	41604.44	42277.74	...	42277.74	41000.07	...	41000.07	41000.07	...	41000.07
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00
2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता	40432.04	...	40432.04	40619.30	...	40619.30	40448.07	...	40448.07	40619.30	...	40619.30
3. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	...	...	...	...	...	...
4. रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इक्विटी हेतु अनुदान	66.33	...	66.33	476.44	...	476.44	...	...	...	...	...	...
5. जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान	353.00	...	353.00	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...
6. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77
7. 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान	242.30	...	242.30	171.23	...	171.23	171.23	...	171.23	...	...	...
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>41604.44</b>	...	<b>41604.44</b>	<b>42277.74</b>	...	<b>42277.74</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>41604.44</b>	...	<b>41604.44</b>	<b>42277.74</b>	...	<b>42277.74</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>अन्य</b>												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	41604.44	...	41604.44	42277.74	...	42277.74	41000.07	...	41000.07	41000.07	...	41000.07
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>41604.44</b>	...	<b>41604.44</b>	<b>42277.74</b>	...	<b>42277.74</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>41604.44</b>	...	<b>41604.44</b>	<b>42277.74</b>	...	<b>42277.74</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>	<b>41000.07</b>	...	<b>41000.07</b>

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान:** यह प्रावधान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के उपशमन के मद्देनजर व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र की संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए है।



3. **624 मेगावाट किरू एचईपी के लिए इकट्टी योगदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान किरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इकट्टी अंशदान पूरा करने के लिए है।
4. **रेटल 800 मेगावाट एचईपी के लिए इकट्टी हेतु अनुदान:** यह प्रावधान 800 मेगावाट रेटल जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इकट्टी अंशदान पूरा करने के लिए है।
5. **जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान:** यह प्रावधान झेलम तवी बाड पुनरुद्धार परियोजना (जेटीएफआरपी) के कारण होने वाले व्यय का पूरा करने के लिए है।
6. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** यह प्रावधान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन संबंधी कमी के वित्तपोषण की पूर्ति हेतु है।
7. **540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इकट्टी अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इकट्टी अंशदान पूरा करने के लिए है।

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 59  
पुदुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3388.75	...	3388.75	3268.99	0.01	3269.00	3329.99	0.01	3330.00	3432.19	0.01	3432.20
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	66.00	...	66.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	3383.75	...	3383.75	3263.98	...	3263.98	3263.98	...	3263.98	3427.18	...	3427.18
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>अन्य</b>												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3388.75	...	3388.75	3268.99	...	3268.99	3329.99	...	3329.99	3432.19	...	3432.19
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3388.75</b>	<b>...</b>	<b>3388.75</b>	<b>3268.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3269.00</b>	<b>3329.99</b>	<b>0.01</b>	<b>3330.00</b>	<b>3432.19</b>	<b>0.01</b>	<b>3432.20</b>

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान के संबंध में अनुदानों के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुदुचेरी सरकार की योजनाओं के संसाधनों और वित्तपोषणों में कमियों को दूर करने के लिए अनुदानों के संबंध में है।

3. **समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:** यह पुदुचेरी सरकार के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का प्रावधान है।

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:** यह पुदुचेरी सरकार के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का प्रावधान है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
मांग संख्या 60  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	42476.91	30050.39	72527.30	54107.30	31992.78	86100.08	32186.43	37228.19	69414.62	59322.61	42595.70	101918.31
वसूलियां	-353.14	-3609.28	-3962.42	-158.99	-3364.52	-3523.51	-178.25	-5566.44	-5744.69	-168.99	-4972.32	-5141.31
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	42123.77	26441.11	68564.88	53948.31	28628.26	82576.57	32008.18	31661.75	63669.93	59153.62	37623.38	96777.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	124.58	2.61	127.19	214.17	5.60	219.77	164.12	19.79	183.91	182.78	8.45	191.23
	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	124.49	2.61	127.10	214.17	5.60	219.77	164.12	19.79	183.91	182.78	8.45	191.23
1.02 संपदा निदेशालय	38.12	...	38.12	51.47	1.78	53.25	47.00	2.10	49.10	50.29	1.60	51.89
	-5.21	...	-5.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	32.91	...	32.91	51.47	1.78	53.25	47.00	2.10	49.10	50.29	1.60	51.89
1.03 भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	24.64	...	24.64	28.54	...	28.54	28.54	...	28.54	28.59	...	28.59
1.04 अंतरराष्ट्रीय अंशदान	1.26	...	1.26	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- सचिवालय	183.30	2.61	185.91	295.78	7.38	303.16	241.26	21.89	263.15	263.26	10.05	273.31
2. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन												
2.01 नगर और ग्राम योजना संगठन	12.48	...	12.48	15.24	...	15.24	13.47	...	13.47	14.86	...	14.86
2.02 राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	7.50	...	7.50	5.93	...	5.93	5.93	...	5.93	6.15	...	6.15
2.03 दिल्ली शहरी कला आयोग	4.59	...	4.59	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25
2.04 नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	11.53	...	11.53	10.48	...	10.48	10.48	...	10.48	10.48	...	10.48
2.05 एनसीआर आयोजना बोर्ड	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	45.00	...	45.00	55.00	...	55.00
2.06 विभागीय केंद्रों सहित राजघाट समाधि समिति	8.12	...	8.12	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.10	...	7.10
2.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
2.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
2.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	4.18	...	4.18	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35
2.10 स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण	3.50	...	3.50	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30
2.11 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	3225.28	1.29	3226.57	3399.95	3.10	3403.05	3393.93	2.23	3396.16	3472.72	2.39	3475.11
	-5.04	...	-5.04	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
निवल	3220.24	1.29	3221.53	3395.96	3.10	3399.06	3389.94	2.23	3392.17	3468.73	2.39	3471.12
निवल	3334.74	1.29	3336.03	3509.11	3.10	3512.21	3491.32	2.23	3493.55	3581.82	2.39	3584.21
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>3518.04</b>	<b>3.90</b>	<b>3521.94</b>	<b>3804.89</b>	<b>10.48</b>	<b>3815.37</b>	<b>3732.58</b>	<b>24.12</b>	<b>3756.70</b>	<b>3845.08</b>	<b>12.44</b>	<b>3857.52</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं</b>												
<b>3. मेट्रो परियोजनाएं</b>												
3.01 इक्विटी निवेश	...	4467.83	4467.83	...	3364.51	3364.51	...	6154.93	6154.93	...	4972.31	4972.31
3.02 सरकारी हरित निधि को अंतरण	...	3609.00	3609.00	...	3364.51	3364.51	...	5566.43	5566.43	...	4972.31	4972.31
3.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	...	-3609.00	-3609.00	...	-3364.51	-3364.51	...	-5566.43	-5566.43	...	-4972.31	-4972.31
3.04 गौण ऋण	...	1324.00	1324.00	...	1092.02	1092.02	...	1418.00	1418.00	...	2273.93	2273.93
3.05 पास थ्रू सहायता	...	13658.00	13658.00	...	16791.41	16791.41	...	17029.00	17029.00	...	23859.94	23859.94
3.06 महानगरीय और गैर-महानगरीय परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	56.37	...	56.37	88.04	...	88.04	89.54	...	89.54	133.10	...	133.10
3.07 निर्भया कोष में अंतरण	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00	9.00	...	9.00
3.08 निर्भया कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	-11.00	...	-11.00	-9.00	...	-9.00
निवल	56.37	19449.83	19506.20	88.04	21247.94	21335.98	89.54	24601.93	24691.47	133.10	31106.18	31239.28
4. मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान	...	...	...	...	...	...	67.02	...	67.02	649.72	...	649.72
<b>एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं</b>												
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	58.00	3538.00	3596.00	58.00	3538.00	3596.00	209.00	3646.00	3855.00	447.00	2471.00	2918.00
<b>सामान्य पूल आवास</b>												
<b>6. आवासीय</b>												
6.01 आवासीय	...	1017.41	1017.41	...	1100.00	1100.00	...	1274.11	1274.11	...	1034.45	1034.45
<b>7. गैर-आवासीय</b>												
7.01 गैर-आवासीय	...	2405.55	2405.55	...	2600.00	2600.00	...	2076.90	2076.90	...	2922.56	2922.56
	...	-0.08	-0.08	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	...	2405.47	2405.47	...	2599.99	2599.99	...	2076.89	2076.89	...	2922.55	2922.55
<b>जोड़-सामान्य पूल आवास</b>	<b>...</b>	<b>3422.88</b>	<b>3422.88</b>	<b>...</b>	<b>3699.99</b>	<b>3699.99</b>	<b>...</b>	<b>3351.00</b>	<b>3351.00</b>	<b>...</b>	<b>3957.00</b>	<b>3957.00</b>
8. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	444.64	...	444.64	326.32	...	326.32	450.32	...	450.32	373.00	...	373.00
9. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम	1.94	...	1.94	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
10. शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान	...	...	...	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. होम लोन पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>560.95</b>	<b>26410.71</b>	<b>26971.66</b>	<b>1475.37</b>	<b>28485.93</b>	<b>29961.30</b>	<b>1817.88</b>	<b>31598.93</b>	<b>33416.81</b>	<b>1604.82</b>	<b>37534.18</b>	<b>39139.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
12. लेखन सामग्री नियंत्रक	58.00	0.26	58.26	67.79	0.85	68.64	63.43	0.85	64.28	66.26	1.05	67.31
	-22.18	...	-22.18	-4.00	...	-4.00	-12.26	...	-12.26	-5.00	...	-5.00
<i>निवल</i>	<i>35.82</i>	<i>0.26</i>	<i>36.08</i>	<i>63.79</i>	<i>0.85</i>	<i>64.64</i>	<i>51.17</i>	<i>0.85</i>	<i>52.02</i>	<i>61.26</i>	<i>1.05</i>	<i>62.31</i>
13. मुद्रणालय	152.66	26.17	178.83	187.39	80.50	267.89	162.43	37.63	200.06	165.46	65.50	230.96
	-135.55	...	-135.55	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
<i>निवल</i>	<i>17.11</i>	<i>26.17</i>	<i>43.28</i>	<i>37.39</i>	<i>80.50</i>	<i>117.89</i>	<i>12.43</i>	<i>37.63</i>	<i>50.06</i>	<i>15.46</i>	<i>65.50</i>	<i>80.96</i>
14. अन्य संगठन	0.62	...	0.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>0.62</i>	<i>...</i>	<i>0.62</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>
15. प्रकाशन नियंत्रक	22.51	0.07	22.58	22.24	0.50	22.74	22.00	0.21	22.21	24.00	0.21	24.21
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>76.06</b>	<b>26.50</b>	<b>102.56</b>	<b>122.42</b>	<b>81.85</b>	<b>204.27</b>	<b>84.60</b>	<b>38.69</b>	<b>123.29</b>	<b>99.72</b>	<b>66.76</b>	<b>166.48</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
16. हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	...	...	...	...	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	10.00	10.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>76.06</b>	<b>26.50</b>	<b>102.56</b>	<b>122.42</b>	<b>131.85</b>	<b>254.27</b>	<b>84.60</b>	<b>38.70</b>	<b>123.30</b>	<b>99.72</b>	<b>76.76</b>	<b>176.48</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)</b>												
17. पीएमएवाई-शहरी												
17.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सन्निधी योजना (सीएलएसएस)-I	...	...	...	3000.00	...	3000.00	...	...	...	...	...	...
17.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सन्निधी योजना (सीएलएसएस)-II	...	...	...	1000.00	...	1000.00	...	...	...	...	...	...
17.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...	500.00	...	500.00
17.04 समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास	0.61	...	0.61	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
17.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	66.46	...	66.46	182.57	...	182.57	284.96	...	284.96	159.96	...	159.96
17.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	19844.32	...	19844.32	23712.04	...	23712.04	11609.04	...	11609.04	17357.04	...	17357.04
17.07 ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी	1772.94	...	1772.94	1771.00	...	1771.00	1771.00	...	1771.00	1772.00	...	1772.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पीएमएवाई-शहरी	21684.33	...	21684.33	30170.61	...	30170.61	13670.00	...	13670.00	19794.00	...	19794.00
18. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)												
18.01 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ब्याज सस्सिडी योजना-I (आईएसएस-I)	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00	2500.00	...	2500.00
18.02 एमआईजी के लिए ब्याज सस्सिडी योजना-II (आईएसएस-II)	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	1000.00	...	1000.00
जोड़- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)	...	...	...	...	...	...	1500.00	...	1500.00	3500.00	...	3500.00
19. औद्योगिक आवास हेतु स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2500.00	...	2500.00
<b>राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका</b>												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
20.01 केंद्रीय घटक	8.84	...	8.84	10.00	...	10.00	0.60	...	0.60	...	...	...
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	492.55	...	492.55	290.00	...	290.00	29.40	...	29.40	...	...	...
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	501.39	...	501.39	300.00	...	300.00	30.00	...	30.00	...	...	...
21. दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-एस))	...	...	...	...	...	...	180.00	...	180.00	...	...	...
<b>शहरी पुनर्जीवन अभियान : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन</b>												
22. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)												
22.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	5590.84	...	5590.84	8000.00	...	8000.00	6000.00	...	6000.00	10000.00	...	10000.00
23. स्मार्ट सिटी मिशन												
23.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	7706.00	...	7706.00	2237.00	...	2237.00	1910.32	...	1910.32	...	...	...
	-1.59	...	-1.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	7704.41	...	7704.41	2237.00	...	2237.00	1910.32	...	1910.32	...	...	...
23.02 नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	277.95	...	277.95	163.00	...	163.00	89.68	...	89.68	...	...	...
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	7982.36	...	7982.36	2400.00	...	2400.00	2000.00	...	2000.00	...	...	...
<b>जोड़-शहरी पुनर्जीवन अभियान : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन</b>	<b>13573.20</b>	...	<b>13573.20</b>	<b>10400.00</b>	...	<b>10400.00</b>	<b>8000.00</b>	...	<b>8000.00</b>	<b>10000.00</b>	...	<b>10000.00</b>
24. नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)	...	...	...	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	250.00	...	250.00
25. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)	...	...	...	1150.02	...	1150.02	108.70	...	108.70	1250.00	...	1250.00
<b>स्वच्छ भारत मिशन</b>												
26. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
26.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	...	...	...	...	...	...	159.42	...	159.42	...	...	...
26.02 सकल बजट सहायता	2392.28	...	2392.28	5000.00	...	5000.00	2000.00	...	2000.00	5000.00	...	5000.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	2392.28	...	2392.28	5000.00	...	5000.00	2159.42	...	2159.42	5000.00	...	5000.00
27. पीएम-ईवस सेवा योजना	1.00	...	1.00	1300.00	...	1300.00	500.00	...	500.00	1310.00	...	1310.00
28. अर्बन चैलेंज फंड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10000.00	...	10000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. वास्तविक वसूलियां	-183.48	...	-183.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>37968.72</b>	...	<b>37968.72</b>	<b>48545.63</b>	...	<b>48545.63</b>	<b>26373.12</b>	...	<b>26373.12</b>	<b>53604.00</b>	...	<b>53604.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>42123.77</b>	<b>26441.11</b>	<b>68564.88</b>	<b>53948.31</b>	<b>28628.26</b>	<b>82576.57</b>	<b>32008.18</b>	<b>31661.75</b>	<b>63669.93</b>	<b>59153.62</b>	<b>37623.38</b>	<b>96777.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	124.49	...	124.49	214.17	...	214.17	164.12	...	164.12	182.78	...	182.78
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	75.44	...	75.44	123.42	...	123.42	85.60	...	85.60	100.72	...	100.72
3. लोक निर्माण कार्य	2053.92	...	2053.92	2220.46	...	2220.46	2257.19	...	2257.19	2396.26	...	2396.26
4. लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	26.50	26.50	...	81.85	81.85	...	38.69	38.69	...	66.76	66.76
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2404.45	2404.45	...	2600.09	2600.09	...	2077.72	2077.72	...	2923.74	2923.74
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>2253.85</b>	<b>2430.95</b>	<b>4684.80</b>	<b>2558.05</b>	<b>2681.94</b>	<b>5239.99</b>	<b>2506.91</b>	<b>2116.41</b>	<b>4623.32</b>	<b>2679.76</b>	<b>2990.50</b>	<b>5670.26</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
6. सामान्य शिक्षा	0.62	...	0.62	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
7. आवासन	2955.83	...	2955.83	7736.94	...	7736.94	4792.10	...	4792.10	7111.26	...	7111.26
8. शहरी विकास	983.73	...	983.73	2327.64	...	2327.64	2172.07	...	2172.07	1972.46	...	1972.46
9. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1017.41	1017.41	...	1101.78	1101.78	...	1276.21	1276.21	...	1036.05	1036.05
10. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	4470.44	4470.44	...	3420.11	3420.11	...	6174.73	6174.73	...	4990.76	4990.76
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.78	1.78	...	1.50	1.50	...	0.90	0.90	...	0.70	0.70
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	18520.00	18520.00	...	21421.43	21421.43	...	22093.00	22093.00	...	28604.87	28604.87
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3940.18</b>	<b>24009.63</b>	<b>27949.81</b>	<b>10063.58</b>	<b>25944.82</b>	<b>36008.40</b>	<b>6963.17</b>	<b>29544.84</b>	<b>36508.01</b>	<b>9082.72</b>	<b>34632.38</b>	<b>43715.10</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	453.48	...	453.48	336.32	...	336.32	521.19	...	521.19	373.00	...	373.00
14. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.53	0.53	...	1.50	1.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>453.48</b>	<b>0.53</b>	<b>454.01</b>	<b>336.32</b>	<b>1.50</b>	<b>337.82</b>	<b>521.19</b>	<b>0.50</b>	<b>521.69</b>	<b>373.00</b>	<b>0.50</b>	<b>373.50</b>
<b>अन्य</b>												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1690.00	...	1690.00	908.00	...	908.00	1013.72	...	1013.72
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	34540.54	...	34540.54	37988.36	...	37988.36	20007.36	...	20007.36	45150.22	...	45150.22
17. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	935.72	...	935.72	1312.00	...	1312.00	1101.55	...	1101.55	854.20	...	854.20
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>35476.26</b>	...	<b>35476.26</b>	<b>40990.36</b>	...	<b>40990.36</b>	<b>22016.91</b>	...	<b>22016.91</b>	<b>47018.14</b>	...	<b>47018.14</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>42123.77</b>	<b>26441.11</b>	<b>68564.88</b>	<b>53948.31</b>	<b>28628.26</b>	<b>82576.57</b>	<b>32008.18</b>	<b>31661.75</b>	<b>63669.93</b>	<b>59153.62</b>	<b>37623.38</b>	<b>96777.00</b>

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	...	321.00	321.00	...	300.00	300.00	...	350.00	350.00	...	360.00	360.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	23062.85	23062.85	...	42219.80	42219.80	...	41744.72	41744.72	...	61846.96	61846.96
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	19449.83	...	19449.83	21247.94	...	21247.94	24601.93	...	24601.93	31106.18	...	31106.18
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	3538.00	...	3538.00	3538.00	...	3538.00	3646.00	...	3646.00	2471.00	...	2471.00
5. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	...	...	...	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00
<b>जोड़</b>	<b>22987.83</b>	<b>23383.85</b>	<b>46371.68</b>	<b>24835.94</b>	<b>42519.80</b>	<b>67355.74</b>	<b>28247.94</b>	<b>42094.72</b>	<b>70342.66</b>	<b>33587.18</b>	<b>62206.96</b>	<b>95794.14</b>

- 1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और पृथ्वी के प्रेक्षण तथा नौचालन उपग्रह मिशन की लागत की साझेदारी सहित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
- 1.02. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।
- 1.03. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 1.04. **अंतरराष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।
2. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 2.01-2.06
- यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन के लिए है, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना ; शहरी कार्य राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए संबंधित तकनीकी, सलाहकारी और सलाहकार संगठन हैं।
- 2.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।
- 2.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह अनुदान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन के लिए है।
- 2.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह अनुदान राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और अन्य व्यय के लिए है।

- 2.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को अनुदानों के लिए है।
- 2.11. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग:** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सचिवालय, स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
3. **मेट्रो परियोजनाएं:** 3.01-3.06
- यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण और पारगमन सहायता तथा परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण के लिए हैं।
4. **मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान:** यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के अनुदान के लिए है।
5. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में अनुदान, गौण ऋण और पारगमन सहायता लिए है।
6. **आवासीय:** यह प्रावधान सरकारी आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।
7. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सहित गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है।
8. **प्रधान मंत्री स्ट्रीट बेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री स्ट्रीट बेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए है।



9. **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम:** विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभागों/यूएलबी आदि के सेवारत अभियंत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. **शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान:** यह प्रावधान शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थान को पहचान करने के लिए है।
11. **होम लोन पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना:** यह योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह के लिए गृह ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता के लिए है।
12. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए है।
13. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी मुद्रणालय के लिए निर्धारित है इसमें पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।
14. **अन्य संगठन:** यह प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय ,फॉर्म स्टोर, निजी प्रेस के माध्यम से मुद्रण और पाठ्य पुस्तक मुद्रण के लिए व्यय शामिल है।
15. **प्रकाशन नियंत्रक:** यह प्रावधान प्रकाशन नियंत्रक के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।
16. **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचपीआईएल को सहायता प्रदान करने के लिए है जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित हुआ है।
17. **पीएमएवाई-शहरी:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका लक्ष्य हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 17.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान ऋण संबद्ध सस्मिडी योजना (सीएलएसएस) -I के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / कम आय वर्ग (एलआईजी वर्ग) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 17.02. **मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सीएलएसएस) -II के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 17.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपात्रिक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करता है।
- 17.04. **समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी शासन के संस्थागत विकास के लिए है।
- 17.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण कार्यकलापों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।
- 17.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं।
- 17.07. **ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण के ब्याज अदायगी के लिए है।
- 18.01. **ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ब्याज सस्मिडी योजना-I (आईएसएस-I):** यह प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 18.02. **एमआईजी के लिए ब्याज सस्मिडी योजना-II (आईएसएस-II):** यह प्रावधान पीएमएवाई 2.0 के तहत मध्य आय समूह (एमआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
19. **औद्योगिक आवास हेतु स्कीम:** यह प्रावधान औद्योगिक आवास हेतु नई योजना के लिए है।
20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** यह प्रावधान दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)-एनयूएलएम योजना के लिए है।
- 20.01. **केंद्रीय घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम की योजना हेतु स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए और अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 20.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है।
21. **दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेवाई-एस):** यह प्रावधान दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी-पायलट के लिए है।
22. **अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन):** यह प्रावधान अमृत योजना के लिए है।
- 23.01. **100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन:** यह प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए है।

- 23.02. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस):** यह प्रावधान नवाचार एकीकरण और संधारणीय-सीआईटीआईआईएस के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना शहरी निवेश संबंधी योजना है जिसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
24. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0):** यह प्रावधान फ्रेंच डेवलेपमेंट एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडराउबाउ (केएफडब्ल्यू) और यूरोपीय संघ (ईयू) की सहभागिता में सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के लिए है।
25. **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम):** यह प्रावधान राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) योजना के लिए है।
26. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** यह प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।
27. **पीएम-ईबस सेवा योजना:** यह प्रावधान भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसंरचना को बढ़ावा देन हेतु प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए है।
28. **अर्बन चैलेंज फंड:** यह प्रावधान 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' की नई पहल के कार्यान्वयन के लिए है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	4276.68	37.55	4314.23	4303.71	38.84	4342.55	4564.84	61.87	4626.71	4314.59	43.79	4358.38
<i>वसूलियां</i>	-3.63	...	-3.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4273.05</b>	<b>37.55</b>	<b>4310.60</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>	<b>4564.84</b>	<b>61.87</b>	<b>4626.71</b>	<b>4314.59</b>	<b>43.79</b>	<b>4358.38</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. स्थापना व्यय												
1.01 सचिवालय	105.51	1.72	107.23	117.18	2.30	119.48	115.26	21.50	136.76	124.16	18.54	142.70
	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>105.48</i>	<i>1.72</i>	<i>107.20</i>	<i>117.18</i>	<i>2.30</i>	<i>119.48</i>	<i>115.26</i>	<i>21.50</i>	<i>136.76</i>	<i>124.16</i>	<i>18.54</i>	<i>142.70</i>
1.02 कला और संस्कृति	41.89	0.07	41.96	36.93	0.10	37.03	36.92	0.19	37.11	38.12	0.15	38.27
	-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>41.83</i>	<i>0.07</i>	<i>41.90</i>	<i>36.93</i>	<i>0.10</i>	<i>37.03</i>	<i>36.92</i>	<i>0.19</i>	<i>37.11</i>	<i>38.12</i>	<i>0.15</i>	<i>38.27</i>
1.03 सूचना और प्रचार	365.26	10.00	375.26	399.22	10.68	409.90	378.23	12.72	390.95	391.53	10.00	401.53
	-1.49	...	-1.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>363.77</i>	<i>10.00</i>	<i>373.77</i>	<i>399.22</i>	<i>10.68</i>	<i>409.90</i>	<i>378.23</i>	<i>12.72</i>	<i>390.95</i>	<i>391.53</i>	<i>10.00</i>	<i>401.53</i>
<i>निवल</i>	<i>511.08</i>	<i>11.79</i>	<i>522.87</i>	<i>553.33</i>	<i>13.08</i>	<i>566.41</i>	<i>530.41</i>	<i>34.41</i>	<i>564.82</i>	<i>553.81</i>	<i>28.69</i>	<i>582.50</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	345.38	...	345.38	500.00	...	500.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
3. विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार	314.12	25.76	339.88	324.24	25.76	350.00	374.24	25.76	400.00	347.90	15.10	363.00
4. विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार	347.52	...	347.52	149.31	...	149.31	169.48	...	169.48	238.09	...	238.09
5. भारत में कम्प्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता	4.24	...	4.24	5.00	...	5.00	14.73	...	14.73	17.40	...	17.40
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1011.26</b>	<b>25.76</b>	<b>1037.02</b>	<b>978.55</b>	<b>25.76</b>	<b>1004.31</b>	<b>958.45</b>	<b>25.76</b>	<b>984.21</b>	<b>1103.39</b>	<b>15.10</b>	<b>1118.49</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
स्वायत्त निकाय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
6.01 प्रसार भारती	2554.41	...	2554.41	2509.94	...	2509.94	2448.81	...	2448.81	2379.70	...	2379.70
	-2.05	...	-2.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>2552.36</i>	...	<i>2552.36</i>	<i>2509.94</i>	...	<i>2509.94</i>	<i>2448.81</i>	...	<i>2448.81</i>	<i>2379.70</i>	...	<i>2379.70</i>
6.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	70.64	...	70.64	87.11	...	87.11	73.11	...	73.11	89.11	...	89.11
6.03 सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता	59.17	...	59.17	81.45	...	81.45	54.00	...	54.00	52.45	...	52.45
6.04 भारतीय जनसंचार संस्थान	35.90	...	35.90	54.69	...	54.69	80.53	...	80.53	108.65	...	108.65
6.05 भारतीय प्रेस परिषद	9.27	...	9.27	15.64	...	15.64	10.38	...	10.38	10.48	...	10.48
<i>जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता</i>	<i>2727.34</i>	...	<i>2727.34</i>	<i>2748.83</i>	...	<i>2748.83</i>	<i>2666.83</i>	...	<i>2666.83</i>	<i>2640.39</i>	...	<i>2640.39</i>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
7. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	23.37	...	23.37	23.00	...	23.00	18.00	...	18.00	17.00	...	17.00
8. राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र- विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एवीजीसी-एक्सआर)	...	...	...	...	...	...	391.15	1.70	392.85	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>23.37</b>	...	<b>23.37</b>	<b>23.00</b>	...	<b>23.00</b>	<b>409.15</b>	<b>1.70</b>	<b>410.85</b>	<b>17.00</b>	...	<b>17.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2750.71</b>	...	<b>2750.71</b>	<b>2771.83</b>	...	<b>2771.83</b>	<b>3075.98</b>	<b>1.70</b>	<b>3077.68</b>	<b>2657.39</b>	...	<b>2657.39</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4273.05</b>	<b>37.55</b>	<b>4310.60</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>	<b>4564.84</b>	<b>61.87</b>	<b>4626.71</b>	<b>4314.59</b>	<b>43.79</b>	<b>4358.38</b>
<b>ब. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. कला और संस्कृति	41.83	...	41.83	36.93	...	36.93	36.92	...	36.92	38.12	...	38.12
2. सूचना और प्रचार	1228.00	...	1228.00	1089.23	...	1089.23	1505.45	...	1505.45	1210.76	...	1210.76
3. प्रसारण	2897.74	...	2897.74	2959.94	...	2959.94	2808.81	...	2808.81	2829.70	...	2829.70
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	105.48	...	105.48	117.18	...	117.18	115.26	...	115.26	124.16	...	124.16
5. सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.55	37.55	...	38.84	38.84	...	61.87	61.87	...	43.79	43.79
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>4273.05</b>	<b>37.55</b>	<b>4310.60</b>	<b>4203.28</b>	<b>38.84</b>	<b>4242.12</b>	<b>4466.44</b>	<b>61.87</b>	<b>4528.31</b>	<b>4202.74</b>	<b>43.79</b>	<b>4246.53</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	100.43	...	100.43	98.40	...	98.40	111.85	...	111.85
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>100.43</b>	<b>...</b>	<b>100.43</b>	<b>98.40</b>	<b>...</b>	<b>98.40</b>	<b>111.85</b>	<b>...</b>	<b>111.85</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4273.05</b>	<b>37.55</b>	<b>4310.60</b>	<b>4303.71</b>	<b>38.84</b>	<b>4342.55</b>	<b>4564.84</b>	<b>61.87</b>	<b>4626.71</b>	<b>4314.59</b>	<b>43.79</b>	<b>4358.38</b>

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>राष्ट्रीय एनिमेशन दृश्य उत्कृष्टता केंद्र</b>												
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	10.91	10.91	...	9.28	9.28	...	6.70	6.70	...	14.50	14.50
<b>जोड़-राष्ट्रीय एनिमेशन दृश्य उत्कृष्टता केंद्र</b>	...	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	...	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	...	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>	...	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>
<b>जोड़</b>	...	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	...	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	...	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>	...	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>

(₹ करोड़)

1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को शामिल किया जाता है।

1.02. **कला और संस्कृति:** इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से संबंधित व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **सूचना और प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित मीडिया यूनिटों और सचिवालय पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है:-

(i) केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती लोक संपर्क और संचार ब्यूरो) - इसमें निम्नलिखित कार्यकलापों अर्थात् विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान, फिल्म शो, लाइव मनोरंजन कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों तथा लाइव मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से इंटरपर्सनल और विकासात्मक संचार शामिल हैं ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों सहित आम जनता में जागरूकता सृजन की जा सके।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) - यह सरकार और प्रेस के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करता है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु विजुअल प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) प्रकाशन प्रभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन प्रभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लायमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(iv) न्यू मीडिया विंग - यह मंत्रालय और उसकी मीडिया यूनिटों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकर एवं संकलित करता है। यह प्रावधान इस कार्य के निष्पादन के लिए है।

(v) प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) (पूर्ववर्ती आरएनआई) - यह समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। यह प्रावधान इन कार्यकलापों के निष्पादन के लिए है।

(vi) सचिवालय: इसमें संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान, एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईवीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठनों की सदस्यता का अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)- ईएमएमसी संबंधित संहिताओं के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापनों की निगरानी करता है। यह प्रावधान संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में टेलीविजन चैनलों/रेडियो की निगरानी के लिए है।

(viii) राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया केंद्र की स्थापना - यह मंत्रालय 12 राज्यों की राजधानियों में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को समायोजित करने के लिए अत्याधुनिक कार्यालय अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के साथ क्षेत्रीय सूचना भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है।

2. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसे प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना का उद्देश्य आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण और एफएमीकरण, अधिक चैनलों को समायोजित करने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता का उन्नयन और दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करना आदि है।

3. **विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार:** यह फिल्म समारोहों, नई फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण के माध्यम से भारतीय सिनेमा के प्रचार और संरक्षण के लिए है और यह भारतीय सिनेमा को अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।

4. **विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार:** इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों में जागरूकता सृजन करना है ताकि लक्षित लाभार्थियों को विकासवात्मक योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

5. **भारत में कम्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता:** इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता प्रदान करना है जो विशेषकर ऐसे समुदायों, जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, के लिए एक संचार का आवश्यक माध्यम है।

6.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में धारित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल हैं।

6.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे:** इसमें अब वित्त वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती योजना आवंटन शामिल हैं।

6.03. **सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता:** इसमें अब वित्त वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती योजना आवंटन शामिल है।

6.04. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्त वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन, (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।

6.05. **भारतीय प्रेस परिषद:** इसमें भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के गैर-योजना व्यय शामिल हैं।

7. **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी):** इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के गैर-योजना व्यय शामिल हैं।

8. **राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र-विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एबीजीसी-एक्सआर):** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधित अनुमान 2024-25 में राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र - विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एबीजीसी - एक्सआर) के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया था। तथापि, इसके लिए ब.अ. 2025-26 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय  
मांग संख्या 62  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23158.92	228.59	23387.51	29830.65	403.18	30233.83	27844.63	324.32	28168.95	32607.40	558.50	33165.90
वसूलियां	-4848.66	-0.01	-4848.67	-8909.50	-1.23	-8910.73	-6526.84	-1.23	-6528.07	-7886.91	-2.16	-7889.07
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	18310.26	228.58	18538.84	20921.15	401.95	21323.10	21317.79	323.09	21640.88	24720.49	556.34	25276.83
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	250.90	4.77	255.67	269.26	5.74	275.00	167.48	28.81	196.29	192.15	11.86	204.01
1.02 वसूलियां	-0.23	...	-0.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	250.67	4.77	255.44	269.26	5.74	275.00	167.48	28.81	196.29	192.15	11.86	204.01
<b>संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय</b>												
2. केन्द्रीय जल आयोग												
2.01 केन्द्रीय जल आयोग	390.38	1.96	392.34	379.28	12.05	391.33	426.29	14.25	440.54	437.63	13.50	451.13
2.02 वसूलियां	-0.81	...	-0.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	389.57	1.96	391.53	379.28	12.05	391.33	426.29	14.25	440.54	437.63	13.50	451.13
3. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र												
3.01 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र	87.37	0.13	87.50	89.64	0.36	90.00	98.41	0.59	99.00	96.72	1.28	98.00
3.02 वसूलियां	-15.35	...	-15.35	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00
निवल	72.02	0.13	72.15	74.64	0.36	75.00	83.41	0.59	84.00	81.72	1.28	83.00
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र												
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र	29.59	0.08	29.67	29.89	0.11	30.00	30.50	...	30.50	34.89	0.11	35.00
5. बाणसागर कंट्रोल बोर्ड												
5. बाणसागर कंट्रोल बोर्ड	0.02	...	0.02	0.30	...	0.30	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
6. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
6.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	1.13	2.40	3.53	5.98	3.31	9.29	4.34	1.23	5.57	4.91	2.16	7.07
6.02 वसूलियां	...	...	...	-1.80	-1.23	-3.03	-1.84	-1.23	-3.07	-0.91	-2.16	-3.07
निवल	1.13	2.40	3.53	4.18	2.08	6.26	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
7. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड												
7. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	278.76	11.42	290.18	296.50	13.50	310.00	311.40	1.60	313.00	322.00	8.00	330.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-2.45	...	-2.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	276.31	11.42	287.73	296.50	13.50	310.00	311.40	1.60	313.00	322.00	8.00	330.00
8. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण	3.64	0.14	3.78	19.78	5.22	25.00	7.00	2.41	9.41	18.00	5.91	23.91
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	48.98	...	48.98	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
10. राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र	3.30	...	3.30	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	7.24	...	7.24	8.81	0.19	9.00	8.81	0.19	9.00	10.81	0.19	11.00
12. पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम)	23.43	...	23.43	24.00	...	24.00	23.00	...	23.00	25.50	...	25.50
13. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)	50.99	...	50.99	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	51.00	...	51.00
14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	52.09	...	52.09	50.00	...	50.00	63.00	...	63.00	62.00	...	62.00
15. राष्ट्रीय जल अकादमी	10.95	0.15	11.10	13.27	0.73	14.00	8.77	0.26	9.03	15.37	20.82	36.19
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	2.39	0.04	2.43	3.85	0.15	4.00	2.94	0.06	3.00	3.44	0.06	3.50
<b>जोड़-संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय</b>	<b>971.65</b>	<b>16.32</b>	<b>987.97</b>	<b>1008.50</b>	<b>34.39</b>	<b>1042.89</b>	<b>1076.68</b>	<b>19.36</b>	<b>1096.04</b>	<b>1125.92</b>	<b>49.87</b>	<b>1175.79</b>
17. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	12.00	...	12.00	55.00	...	55.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1222.32</b>	<b>21.09</b>	<b>1243.41</b>	<b>1277.76</b>	<b>40.13</b>	<b>1317.89</b>	<b>1256.16</b>	<b>48.17</b>	<b>1304.33</b>	<b>1373.07</b>	<b>61.73</b>	<b>1434.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>मुख्य सिंचाई परियोजनाएं</b>												
18. फरक्का बैराज परियोजना												
18.01 फरक्का बैराज परियोजना	67.37	43.86	111.23	79.78	47.22	127.00	79.68	49.32	129.00	88.11	51.89	140.00
18.02 वसूलियां	-69.64	...	-69.64	-47.00	...	-47.00	-70.00	...	-70.00	-71.00	...	-71.00
<i>निवल</i>	-2.27	43.86	41.59	32.78	47.22	80.00	9.68	49.32	59.00	17.11	51.89	69.00
19. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
19.01 इएपी घटक	25.96	0.13	26.09	22.82	0.12	22.94	19.47	0.47	19.94	20.15	9.50	29.65
19.02 कार्यक्रम घटक	27.40	0.13	27.53	23.92	0.12	24.04	22.22	0.12	22.34	20.15	0.50	20.65
<i>जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम</i>	<i>53.36</i>	<i>0.26</i>	<i>53.62</i>	<i>46.74</i>	<i>0.24</i>	<i>46.98</i>	<i>41.69</i>	<i>0.59</i>	<i>42.28</i>	<i>40.30</i>	<i>10.00</i>	<i>50.30</i>
<b>जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजनाएं</b>	<b>51.09</b>	<b>44.12</b>	<b>95.21</b>	<b>79.52</b>	<b>47.46</b>	<b>126.98</b>	<b>51.37</b>	<b>49.91</b>	<b>101.28</b>	<b>57.41</b>	<b>61.89</b>	<b>119.30</b>
<b>नमामी गंगे मिशन-II</b>												
20. राष्ट्रीय गंगा योजना												
20.01 ईएपी घटक	899.79	...	899.79	1000.00	...	1000.00	600.00	...	600.00	500.00	...	500.00
20.02 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1496.31	...	1496.31	2345.70	...	2345.70	2400.00	...	2400.00	2900.00	...	2900.00
20.03 गैर-ईएपी घटक	1496.31	...	1496.31	2345.70	...	2345.70	2400.00	...	2400.00	2900.00	...	2900.00
20.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1496.31	...	-1496.31	-2345.70	...	-2345.70	-2400.00	...	-2400.00	-2900.00	...	-2900.00
20.05 वसूलियां	-473.78	...	-473.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	1922.32	...	1922.32	3345.70	...	3345.70	3000.00	...	3000.00	3400.00	...	3400.00
<b>नदी बेसिन प्रबंधन</b>												



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. नदी बेसिन प्रबंधन	63.42	0.17	63.59	154.16	0.63	154.79	142.56	0.44	143.00	242.37	0.63	243.00
<b>जल संसाधन प्रबंधन</b>												
22. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	151.65	17.02	168.67	97.39	17.61	115.00	150.72	19.28	170.00	61.16	2.23	63.39
23. भू-जल प्रबंधन और विनियमन												
23.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	87.89	114.43	202.32	101.95	223.05	325.00	91.12	148.88	240.00	97.64	411.36	509.00
23.02 वसूलियां	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>87.89</i>	<i>114.42</i>	<i>202.31</i>	<i>101.95</i>	<i>223.05</i>	<i>325.00</i>	<i>91.12</i>	<i>148.88</i>	<i>240.00</i>	<i>97.64</i>	<i>411.36</i>	<i>509.00</i>
24. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
24.01 इएपी घटक	156.91	17.13	174.04	302.50	28.10	330.60	224.36	22.04	246.40	6.49	0.01	6.50
24.02 कार्यक्रम घटक	146.95	0.27	147.22	302.50	28.10	330.60	224.36	22.04	246.40	6.49	0.01	6.50
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	<i>303.86</i>	<i>17.40</i>	<i>321.26</i>	<i>605.00</i>	<i>56.20</i>	<i>661.20</i>	<i>448.72</i>	<i>44.08</i>	<i>492.80</i>	<i>12.98</i>	<i>0.02</i>	<i>13.00</i>
25. राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन	29.57	13.10	42.67	52.02	15.04	67.06	34.97	10.03	45.00	53.80	16.20	70.00
26. अटल भू-जल योजना												
26.01 इएपी घटक	967.98	...	967.98	985.00	...	985.00	400.00	...	400.00	468.00	...	468.00
26.02 कार्यक्रम घटक	770.22	0.36	770.58	793.00	...	793.00	199.60	0.40	200.00	1312.00	0.40	1312.40
जोड़- अटल भू-जल योजना	<i>1738.20</i>	<i>0.36</i>	<i>1738.56</i>	<i>1778.00</i>	<i>...</i>	<i>1778.00</i>	<i>599.60</i>	<i>0.40</i>	<i>600.00</i>	<i>1780.00</i>	<i>0.40</i>	<i>1780.40</i>
<b>जोड़-जल संसाधन प्रबंधन</b>	<b>2311.17</b>	<b>162.30</b>	<b>2473.47</b>	<b>2634.36</b>	<b>311.90</b>	<b>2946.26</b>	<b>1325.13</b>	<b>222.67</b>	<b>1547.80</b>	<b>2005.58</b>	<b>430.21</b>	<b>2435.79</b>
27. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	800.00	...	800.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>5148.00</b>	<b>206.59</b>	<b>5354.59</b>	<b>6213.74</b>	<b>359.99</b>	<b>6573.73</b>	<b>4519.06</b>	<b>273.02</b>	<b>4792.08</b>	<b>5705.36</b>	<b>492.73</b>	<b>6198.09</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>												
28. हर खेत को पानी	811.20	...	811.20	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	1100.00	...	1100.00
29. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	174.39	...	174.39	1400.00	...	1400.00	100.00	...	100.00	850.00	...	850.00
30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं												
30.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1333.85	...	1333.85	2500.00	...	2500.00	2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00
30.02 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	1333.85	...	1333.85	2500.00	...	2500.00	2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00
30.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1333.85	...	-1333.85	-2500.00	...	-2500.00	-2040.00	...	-2040.00	-2500.00	...	-2500.00
<i>निवल</i>	<i>1333.85</i>	<i>...</i>	<i>1333.85</i>	<i>2500.00</i>	<i>...</i>	<i>2500.00</i>	<i>2040.00</i>	<i>...</i>	<i>2040.00</i>	<i>2500.00</i>	<i>...</i>	<i>2500.00</i>
31. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की चुकौती												
31.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज अदायगी	2171.94	...	2171.94	2114.00	...	2114.00	2114.00	...	2114.00	2043.00	...	2043.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
31.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण हेतु मूलधन का पुनर्भूगतान	1023.82	...	1023.82	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00
31.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए व्याज आर्थिक सहायता	572.41	...	572.41	611.80	...	611.80	742.85	...	742.85	742.85	...	742.85
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की चुकौती	3768.17	...	3768.17	3749.80	...	3749.80	3880.85	...	3880.85	3809.85	...	3809.85
<b>जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>	<b>6087.61</b>	<b>...</b>	<b>6087.61</b>	<b>8249.80</b>	<b>...</b>	<b>8249.80</b>	<b>6620.85</b>	<b>...</b>	<b>6620.85</b>	<b>8259.85</b>	<b>...</b>	<b>8259.85</b>
32. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमवीएपी)	197.49	0.90	198.39	447.74	1.83	449.57	398.10	1.90	400.00	448.12	1.88	450.00
	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>197.40</i>	<i>0.90</i>	<i>198.30</i>	<i>447.74</i>	<i>1.83</i>	<i>449.57</i>	<i>398.10</i>	<i>1.90</i>	<i>400.00</i>	<i>448.12</i>	<i>1.88</i>	<i>450.00</i>
33. सिंचाई गणना	18.06	...	18.06	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
34. महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता	699.99	...	699.99	600.00	...	600.00	400.00	...	400.00	...	...	...
35. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य वेसिन												
35.01 ईएपी घटक	84.82	...	84.82	232.87	...	232.87	382.75	...	382.75	346.64	...	346.64
35.02 कार्यक्रम घटक	326.75	...	326.75	359.24	...	359.24	208.37	...	208.37	211.45	...	211.45
35.03 वसूलियां	-65.42	...	-65.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>346.15</i>	<i>...</i>	<i>346.15</i>	<i>592.11</i>	<i>...</i>	<i>592.11</i>	<i>591.12</i>	<i>...</i>	<i>591.12</i>	<i>558.09</i>	<i>...</i>	<i>558.09</i>
36. नदियों को आपस में जोड़ना												
36.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1390.73	...	1390.73	3500.00	...	3500.00	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00
36.02 नदियों को परस्पर जोड़ना	1390.73	...	1390.73	4000.00	...	4000.00	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00
36.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1390.73	...	-1390.73	-4000.00	...	-4000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2400.00	...	-2400.00
<i>निवल</i>	<i>1390.73</i>	<i>...</i>	<i>1390.73</i>	<i>3500.00</i>	<i>...</i>	<i>3500.00</i>	<i>2000.00</i>	<i>...</i>	<i>2000.00</i>	<i>2400.00</i>	<i>...</i>	<i>2400.00</i>
37. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	3200.00	...	3200.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत	...	...	...	...	...	...	5512.50	...	5512.50	5936.00	...	5936.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>11939.94</b>	<b>0.90</b>	<b>11940.84</b>	<b>13429.65</b>	<b>1.83</b>	<b>13431.48</b>	<b>15542.57</b>	<b>1.90</b>	<b>15544.47</b>	<b>17642.06</b>	<b>1.88</b>	<b>17643.94</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>18310.26</b>	<b>228.58</b>	<b>18538.84</b>	<b>20921.15</b>	<b>401.95</b>	<b>21323.10</b>	<b>21317.79</b>	<b>323.09</b>	<b>21640.88</b>	<b>24720.49</b>	<b>556.34</b>	<b>25276.83</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. वृहत सिंचाई	3190.73	...	3190.73	3500.00	...	3500.00	215.20	...	215.20	969.00	...	969.00
2. मुख्य और मध्यम सिंचाई	6711.97	...	6711.97	6928.53	...	6928.53	5934.62	...	5934.62	6550.15	...	6550.15
3. लघु सिंचाई	366.59	...	366.59	402.34	...	402.34	405.50	...	405.50	423.16	...	423.16
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	101.73	...	101.73	33.17	...	33.17	30.59	...	30.59	38.02	...	38.02

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. अन्य परिवहन सेवाएं	-2.27	...	-2.27	32.78	...	32.78	9.68	...	9.68	17.11	...	17.11
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2749.89	...	2749.89	3381.50	...	3381.50	3035.80	...	3035.80	3437.80	...	3437.80
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	254.31	...	254.31	289.04	...	289.04	174.48	...	174.48	210.15	...	210.15
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	53.03	53.03	...	103.29	103.29	...	88.88	88.88	...	64.97	64.97
9. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	125.88	125.88	...	236.70	236.70	...	150.54	150.54	...	419.42	419.42
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.90	0.90	...	1.83	1.83	...	1.90	1.90	...	1.88	1.88
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	43.86	43.86	...	47.22	47.22	...	49.32	49.32	...	51.89	51.89
12. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.91	4.91	...	10.96	10.96	...	31.22	31.22	...	17.77	17.77
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>13372.95</b>	<b>228.58</b>	<b>13601.53</b>	<b>14567.36</b>	<b>400.19</b>	<b>14967.55</b>	<b>9805.87</b>	<b>322.05</b>	<b>10127.92</b>	<b>11645.39</b>	<b>556.12</b>	<b>12201.51</b>
<b>अन्य</b>												
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	323.98	...	323.98	306.73	...	306.73	497.66	...	497.66
15. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4956.44	...	4956.44	5946.79	...	5946.79	11172.21	...	11172.21	12524.24	...	12524.24
16. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-19.13	...	-19.13	83.02	...	83.02	32.98	...	32.98	53.20	...	53.20
17. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.76	1.76	...	1.04	1.04	...	0.22	0.22
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>4937.31</b>	<b>...</b>	<b>4937.31</b>	<b>6353.79</b>	<b>1.76</b>	<b>6355.55</b>	<b>11511.92</b>	<b>1.04</b>	<b>11512.96</b>	<b>13075.10</b>	<b>0.22</b>	<b>13075.32</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>18310.26</b>	<b>228.58</b>	<b>18538.84</b>	<b>20921.15</b>	<b>401.95</b>	<b>21323.10</b>	<b>21317.79</b>	<b>323.09</b>	<b>21640.88</b>	<b>24720.49</b>	<b>556.34</b>	<b>25276.83</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड</b>												
1. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	...	0.98	0.98	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	
<b>जोड़-डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>...</b>	<b>1.50</b>	

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना के लिए है।

2. **केन्द्रीय जल आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निदेशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों का आधुनिकीकरण,

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूतान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।

3. **केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल आधारित परिवहन और पर्यावरणीय पहलुओं सहित जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की

आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देता है।

4. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) का कार्य-क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला संबंधी जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मामले जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।

5. **बाणसागर कंट्रोल बोर्ड:** यह प्रावधान बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं का निर्माण करना है।

6. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** यह प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा वापसी प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

7. **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड:** यह प्रावधान, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) यह एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भू-जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं संधारणीय विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और इनका कार्यान्वयन करना है जिसमें भू-जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा अन्वेषण, भू-जल प्रणाली की निगरानी, देश के भू-जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

8. **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के तहत सचिवालय व्यय के लिए है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। यह संस्थान दिसंबर, 1979 में भारत सरकार द्वारा स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाती थी।

इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, उनमें सहायता करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुरूप एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना एवं उसका रखरखाव करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाओं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि की व्यवस्था करना है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र:** यह प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र( एनडब्ल्यूआईसी) के स्थापना व्यय के लिए है। सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना मंत्रिमंडल के अनुमोदन से की गई थी। ईएफसी की बैठक दिनांक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह

माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को एनडब्ल्यूआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनआरसीडी को बजट 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थानांतरित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 तक यह प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

12. **पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम):** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) की नियमित स्थापना हेतु वेतन के भुगतान के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

13. **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए):** एनडब्ल्यूडीए के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

14. **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** ब्रह्मपुत्र बोर्ड के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

15. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केन्द्रीय जल आयोग की राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और जिसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार गैर-योजना के अंतर्गत एनडब्ल्यूए के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार, गैर-योजना के अंतर्गत आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

17. **पोलावरम परियोजना प्राधिकरण:** पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) का प्रावधान उन कर्मचारियों के स्थापना व्यय के लिए है जो पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के तहत किए जाने वाले कार्यों की देखभाल करते हैं।

18. **फरक्का बैराज परियोजना:** यह प्रावधान फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसे भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज फीडर नहर का प्रचालन एवं अनुरक्षण, नेविगेशन लॉक्स तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की हिस्सेदारी के संबंध में समझौते को सुगम बनाना और उसका कार्यान्वयन शामिल है।

19. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** यह प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, ताकि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

20. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** राष्ट्रीय गंगा योजना: यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

20.01. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

20.03. **गैर-ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं/ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

21. **नदी बेसिन प्रबंधन:** यह प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य योजनाओं के सर्वेक्षण, जांच और तैयारी/अद्यतन, जल निकासी विकास योजना, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन संबंधी कार्यों जैसी अपनी नियमित गतिविधियों/कार्यों को पूरा करने; (ii) जल संसाधन विकास योजना की जांच जिसमें सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच एवं डीपीआर तैयार करने और एनडब्ल्यूडी को इसकी नियमित स्थापना तथा नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और डीपीआर तैयार करने के लिए अनुदान प्राप्त करने और (iii) नदी घाटी प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

22. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** यह प्रावधान, मौजूदा केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों को सुदृढ़ करने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार करके डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

23. **भू-जल प्रबंधन और विनियमन:** यह प्रावधान, भूजल प्रबंधन और बेहतर भूजल प्रशासन हेतु विनियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसमें उक्त योजना के तहत एकमात्र एनएक्यूयूआईएम परियोजना शामिल है।

24. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित) के पुनरावलोकन तथा उसके समेकन, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के बारे में राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करने, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी), बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली), सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के लिए है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

25. **राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन:** यह प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत

जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयनकारी योजनाओं/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए है।

26. **अटल भू-जल योजना:** यह प्रावधान भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन हेतु परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अटल भूजल योजना के लिए है।

28. **हर खेत को पानी:** यह प्रावधान पीएमकेएसवाई की अनुमोदित योजना के घटक- हर खेत को पानी के अंतर्गत (i) जल निकासी की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार, (ii) सतही लघु सिंचाई योजनाएं, और (iii) भूमि जल सिंचाई की योजनाओं के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। जबकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जिसमें प्राथमिकता वाली चिह्नित 99 परियोजनाओं के संबंध में बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और सिंचाई क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं, का वित्तपोषण एलटीआईएफ से ईबीआर के माध्यम से किया जा रहा है, उपर्युक्त घटक बजट माध्यम के अंतर्गत जारी हैं।

29. **कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) घटकों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

30. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना संबंधी घटकों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

31.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज अदायगी:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के ब्याज अदायगी के लिए प्रावधान किया गया है।

31.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण हेतु मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के मूलधन की चुकौती के लिए प्रावधान है।

31.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों को नाबार्ड के ब्याज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

32. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी):** बाढ़ के प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच समान/सीमावर्ती नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के लिए प्रावधान है।

33. **सिंचाई गणना:** यह प्रावधान, लघु सिंचाई संगणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई संगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

34. **महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा क्रमिक रूप से सूखा संभावित अन्य क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।
35. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का मुख्य उद्देश्य नदियों में पहुंचने वाले प्रदूषण लोड में विभिन्न प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों को आरंभ करते हुए उसमें कमी करते हुए नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।
36. **नदियों को आपस में जोड़ना:** यह प्रावधान केन-बेतवा नदी परियोजना के अंतर संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।
38. **ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत:** आंध्र प्रदेश (एपी) के गांव और जिले को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने वाले मौजूदा अयाकट के स्थिरीकरण नए अयाकट के विकास के परिकल्पित लाभ को अर्जित करने के लिए बांध और नहर प्रणाली के निर्माण के लिए प्रावधान है। यह प्रस्ताव पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए 30436.95 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के लिए है, जिसमें ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल) तक जल भंडारण है और परियोजना के लिए शेष केंद्रीय अनुदान 12157.53 करोड़ रुपये तक सीमित है।

जल शक्ति मंत्रालय  
मांग संख्या 63  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	76824.18	2.57	76826.75	77389.18	1.50	77390.68	29915.18	1.50	29916.68	74224.82	1.20	74226.02
<b>वसूलियां</b>	-256.62	...	-256.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>76567.56</b>	<b>2.57</b>	<b>76570.13</b>	<b>77389.18</b>	<b>1.50</b>	<b>77390.68</b>	<b>29915.18</b>	<b>1.50</b>	<b>29916.68</b>	<b>74224.82</b>	<b>1.20</b>	<b>74226.02</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	29.26	2.57	31.83	34.28	1.50	35.78	29.18	1.50	30.68	32.82	1.20	34.02
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन</b>												
2. जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2.01 डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएस)-पूर्व राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र	0.50	...	0.50	95.00	...	95.00	56.34	...	56.34	89.53	...	89.53
2.02 मिशन प्रबंधन	1.90	...	1.90	17.75	...	17.75	5.12	...	5.12	13.50	...	13.50
2.03 संस्थानों इत्यादि को सहायता	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
2.04 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.38	...	0.38	2.00	...	2.00	2.09	...	2.09	2.00	...	2.00
2.05 मानव संसाधन विकास	14.04	...	14.04	5.00	...	5.00	8.63	...	8.63	2.00	...	2.00
2.06 निगरानी एवं मूल्यांकन	13.33	...	13.33	10.00	...	10.00	21.50	...	21.50	10.00	...	10.00
2.07 सूचना, शिक्षा एवं संचार	55.50	...	55.50	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00
2.08 प्रबंधन सूचना प्रणाली	7.40	...	7.40	11.00	...	11.00	8.50	...	8.50	11.00	...	11.00
2.09 अनुसंधान	1.72	...	1.72	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.10 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	12.48	...	12.48	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50
2.11 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - कार्यक्रम घटक	69884.99	...	69884.99	69926.65	...	69926.65	22505.22	...	22505.22	66770.47	...	66770.47

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
जोड़- जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	69992.34	...	69992.34	70162.90	...	70162.90	22694.00	...	22694.00	67000.00	...	67000.00
<b>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)</b>												
3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
3.01 निगरानी एवं मूल्यांकन	...	...	...	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
3.02 मानव संसाधन विकास	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
3.03 अनुसंधान	0.40	...	0.40	5.15	...	5.15	0.55	...	0.55	5.30	...	5.30
3.04 सूचना - शिक्षा एवं संचार	23.96	...	23.96	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79
3.05 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	2.79	...	2.79	4.00	...	4.00	1.50	...	1.50	4.00	...	4.00
3.06 व्यावसायिक सेवाएं	3.09	...	3.09	4.00	...	4.00	5.50	...	5.50	7.90	...	7.90
3.07 ऋण पर ब्याज	1033.09	...	1033.09	1033.30	...	1033.30	1033.05	...	1033.05	1033.30	...	1033.30
3.08 कार्यक्रम घटक	5482.63	...	5482.63	6055.76	...	6055.76	6062.51	...	6062.51	6049.71	...	6049.71
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	6545.96	...	6545.96	7192.00	...	7192.00	7192.00	...	7192.00	7192.00	...	7192.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>76538.30</b>	...	<b>76538.30</b>	<b>77354.90</b>	...	<b>77354.90</b>	<b>29886.00</b>	...	<b>29886.00</b>	<b>74192.00</b>	...	<b>74192.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>76567.56</b>	<b>2.57</b>	<b>76570.13</b>	<b>77389.18</b>	<b>1.50</b>	<b>77390.68</b>	<b>29915.18</b>	<b>1.50</b>	<b>29916.68</b>	<b>74224.82</b>	<b>1.20</b>	<b>74226.02</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. जल आपूर्ति और स्वच्छता	71061.78	...	71061.78	64302.85	...	64302.85	21260.01	...	21260.01	2630.94	...	2630.94
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>71061.78</b>	...	<b>71061.78</b>	<b>64302.85</b>	...	<b>64302.85</b>	<b>21260.01</b>	...	<b>21260.01</b>	<b>2630.94</b>	...	<b>2630.94</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.26	...	29.26	34.28	...	34.28	29.18	...	29.18	32.82	...	32.82
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.57	2.57	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.20	1.20
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>29.26</b>	<b>2.57</b>	<b>31.83</b>	<b>34.28</b>	<b>1.50</b>	<b>35.78</b>	<b>29.18</b>	<b>1.50</b>	<b>30.68</b>	<b>32.82</b>	<b>1.20</b>	<b>34.02</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	7632.19	...	7632.19	3189.38	...	3189.38	6828.59	...	6828.59
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	5235.20	...	5235.20	5169.86	...	5169.86	5185.61	...	5185.61	62594.96	...	62594.96
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	241.32	...	241.32	250.00	...	250.00	251.00	...	251.00	2137.51	...	2137.51
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>5476.52</b>	...	<b>5476.52</b>	<b>13052.05</b>	...	<b>13052.05</b>	<b>8625.99</b>	...	<b>8625.99</b>	<b>71561.06</b>	...	<b>71561.06</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>76567.56</b>	<b>2.57</b>	<b>76570.13</b>	<b>77389.18</b>	<b>1.50</b>	<b>77390.68</b>	<b>29915.18</b>	<b>1.50</b>	<b>29916.68</b>	<b>74224.82</b>	<b>1.20</b>	<b>74226.02</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय हेतु है।

2. **जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घेरलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।



भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सबसे कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 344.35 करोड़ रु. का अलग से प्रावधान किया गया है तथा बजट अनुमान 2025-26 में 341.70 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 से भारत सरकार ने धरती आवा जनजातीय उत्कर्ष अभियान योजना की शुरुआत की है। तदनुसार, बजट अनुमान 2025-26 में 0.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य भारत को स्वच्छ बनाना है। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के बाद, कार्यक्रम को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा सुनिश्चित करने और देश के सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में शामिल करने के लिए लागू किया जा रहा है। इस अनुसंधान घटक में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देय कमीशन शुल्क भी शामिल है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 64

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	11508.18	31.44	11539.62	22481.88	49.59	22531.47	18268.93	38.29	18307.22	32606.92	39.27	32646.19
वसूलियां	-154.00	...	-154.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>11354.18</b>	<b>31.44</b>	<b>11385.62</b>	<b>22481.88</b>	<b>49.59</b>	<b>22531.47</b>	<b>18268.93</b>	<b>38.29</b>	<b>18307.22</b>	<b>32606.92</b>	<b>39.27</b>	<b>32646.19</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	85.26	4.21	89.47	99.38	5.08	104.46	93.66	4.39	98.05	102.62	3.92	106.54
2. श्रम ब्यूरो	25.67	...	25.67	29.90	0.17	30.07	25.99	0.10	26.09	27.57	0.10	27.67
3. मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	107.60	3.39	110.99	117.70	6.82	124.52	107.17	4.01	111.18	115.70	7.00	122.70
4. महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएसएलआई)	28.50	5.84	34.34	31.78	7.56	39.34	30.40	3.68	34.08	32.65	6.36	39.01
5. महानिदेशालय, खान सुरक्षा (डीजीएमएस)	105.39	7.95	113.34	99.63	19.37	119.00	107.78	8.58	116.36	113.68	12.85	126.53
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	41.64	...	41.64	43.14	...	43.14	41.87	...	41.87	41.99	...	41.99
7. रोजगार महानिदेशालय	61.82	6.38	68.20	68.93	7.93	76.86	64.08	15.40	79.48	69.10	3.93	73.03
8. श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय	146.74	3.26	150.00	154.31	2.05	156.36	150.65	1.52	152.17	158.42	3.00	161.42
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>602.62</b>	<b>31.03</b>	<b>633.65</b>	<b>644.77</b>	<b>48.98</b>	<b>693.75</b>	<b>621.60</b>	<b>37.68</b>	<b>659.28</b>	<b>661.73</b>	<b>37.16</b>	<b>698.89</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	33.76	...	33.76	50.00	...	50.00	26.58	...	26.58	71.22	1.50	72.72
10. श्रम कल्याण योजनाएं	81.31	...	81.31	50.68	...	50.68	50.68	...	50.68	50.68	...	50.68
<b>श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं</b>												
11. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	9127.00	...	9127.00	10950.00	...	10950.00	10235.00	...	10235.00	11250.00	...	11250.00
12. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	59.87	...	59.87	66.20	...	66.20	63.39	...	63.39	66.87	...	66.87
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन	162.51	...	162.51	177.24	...	177.24	242.73	...	242.73	244.02	...	244.02
14. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	5.10	...	5.10
15. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	1221.06	...	1221.06	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...
16. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	28.96	...	28.96	176.84	...	176.84	26.93	...	26.93	27.80	...	27.80

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं</b>	<b>10599.40</b>	...	<b>10599.40</b>	<b>11520.29</b>	...	<b>11520.29</b>	<b>10568.06</b>	...	<b>10568.06</b>	<b>11593.79</b>	...	<b>11593.79</b>
17. स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	2.02	...	2.02	6.00	...	6.00	6.68	...	6.68	6.00	...	6.00
18. अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश	23.47	0.41	23.88	19.99	0.61	20.60	19.99	0.61	20.60	20.00	0.61	20.61
19. राष्ट्रीय करियर सेवाएं	46.90	...	46.90	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	77.00	...	77.00
20. नई रोजगार सृजन स्कीम	...	...	...	10000.00	...	10000.00	6799.43	...	6799.43	20000.00	...	20000.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>10786.86</b>	<b>0.41</b>	<b>10787.27</b>	<b>21704.96</b>	<b>0.61</b>	<b>21705.57</b>	<b>17529.42</b>	<b>0.61</b>	<b>17530.03</b>	<b>31818.69</b>	<b>2.11</b>	<b>31820.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
21. कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड	105.12	...	105.12	117.00	...	117.00	103.26	...	103.26	110.85	...	110.85
22. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	13.58	...	13.58	15.15	...	15.15	14.65	...	14.65	15.65	...	15.65
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>118.70</b>	...	<b>118.70</b>	<b>132.15</b>	...	<b>132.15</b>	<b>117.91</b>	...	<b>117.91</b>	<b>126.50</b>	...	<b>126.50</b>
<b>अन्य</b>												
23. वास्तविक वसूली	-154.00	...	-154.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-35.30</b>	...	<b>-35.30</b>	<b>132.15</b>	...	<b>132.15</b>	<b>117.91</b>	...	<b>117.91</b>	<b>126.50</b>	...	<b>126.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>11354.18</b>	<b>31.44</b>	<b>11385.62</b>	<b>22481.88</b>	<b>49.59</b>	<b>22531.47</b>	<b>18268.93</b>	<b>38.29</b>	<b>18307.22</b>	<b>32606.92</b>	<b>39.27</b>	<b>32646.19</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	23.46	...	23.46	18.60	...	18.60	18.60	...	18.60	18.80	...	18.80
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	10729.14	...	10729.14	19627.44	...	19627.44	15869.76	...	15869.76	28717.72	...	28717.72
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	601.74	...	601.74	644.77	...	644.77	621.60	...	621.60	661.73	...	661.73
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.41	0.41	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	31.03	31.03	...	48.98	48.98	...	37.68	37.68	...	38.66	38.66
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>11354.34</b>	<b>31.44</b>	<b>11385.78</b>	<b>20290.81</b>	<b>49.59</b>	<b>20340.40</b>	<b>16509.96</b>	<b>38.29</b>	<b>16548.25</b>	<b>29398.25</b>	<b>39.27</b>	<b>29437.52</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2191.07	...	2191.07	1758.97	...	1758.97	3208.67	...	3208.67
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-0.16</b>	...	<b>-0.16</b>	<b>2191.07</b>	...	<b>2191.07</b>	<b>1758.97</b>	...	<b>1758.97</b>	<b>3208.67</b>	...	<b>3208.67</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>11354.18</b>	<b>31.44</b>	<b>11385.62</b>	<b>22481.88</b>	<b>49.59</b>	<b>22531.47</b>	<b>18268.93</b>	<b>38.29</b>	<b>18307.22</b>	<b>32606.92</b>	<b>39.27</b>	<b>32646.19</b>

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।
2. **श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।
3. **मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** सीएलसी (सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए स्थापना व्यय से संबंधित प्रावधान है।
4. **महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएसएलआई):** इसमें कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीएफएसएलआई) के लिए स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान है।
5. **महानिदेशालय , खान सुरक्षा (डीजीएमएस):** इसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।
6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक अभिदान के भुगतान और आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय और एशियन रिजनल टीम फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन को आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निधि शामिल है।
7. **रोजगार महानिदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।
8. **श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय:** श्रम कल्याण महानिदेशालय का स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।
9. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एनईएसएस):** इसमें सांख्यिकी का संग्रहण और प्रकाशन, जाँच,सर्वेक्षणों का संचालन और एनईएसएस योजना के तहत विभिन्न श्रम विषयों से संबंधित अनुसंधान अध्ययन हेतु प्रावधान शामिल है।
10. **श्रम कल्याण योजनाएं:** इन योजनाओं में वीड्री कामगारों, सिने कामगारों और श्रम कामगारों (i) अन्नक खानों (ii) लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (iii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रमिक कल्याण योजना संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
11. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** ईपीएस योजना के तहत औद्योगिक कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन और जीवन बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान योजनाओं में सरकार के अंशदान के लिए है।
12. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस योजना में असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा, असम में चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप संबद्ध बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। ये योजनाएं असम में बागान कामगारों के संबंध में असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं। यह प्रावधान योजना के लिए केंद्र सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
13. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को प्रतिमाह 3000/-रुपये की निश्चित राशि की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है जो इस योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।
14. **प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन:** यह उन दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 3000/-रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करने वाली पेंशन योजना है, जो योजना के तहत हर महीने निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।
15. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:** लॉकडाउन अवधि के बाद नए रोजगार सृजन करने के लिए नई योजना के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह योजना 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से के लिए वेतन का 12 प्रतिशत और 15000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ कर्मचारी अंशदान के नियोक्ताओं और हिस्से के लिए वेतन का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान है। यह योजना अब बंद हो गई है।
16. **असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस:** असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर व्यय का प्रावधान किया गया है।
17. **स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। एनसीएलपी योजना को अब शिक्षा मंत्रालय के एसएसए में शामिल कर दी गई है।
18. **अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश:** इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच आत्मविश्वास सृजन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें और उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य योजना भी शुरू की गई है।
19. **राष्ट्रीय करियर सेवाएं:** राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना की गई है जो रोजगार ढूँढने वालों और नियोक्ताओं के लिए गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से रोजगार मिलान(जॉब मैचिंग) के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इसमें 3000 से अधिक व्यवसायों की करियर सामग्री का समृद्ध भंडार है। यह योजना रोजगार मेलों के आयोजन को भी बढ़ावा देती है जहाँ नियोक्ता और रोजगार ढूँढने वाले, दोनों परस्पर संवाद कर सकते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रोजगार सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
20. **नई रोजगार सृजन स्कीम:** देश भर में रोजगार सृजन में वृद्धि करने हेतु नई योजना अर्थात् ,नवीन रोजगार सृजन शुरू की गई है।
21. **कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड:** डीटीएनबीडब्ल्यूईडी को अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए काम करता है। इस

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए देश भर में फैले 50 क्षेत्रीय और 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क तथा मुंबई स्थित शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान नामतः भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

22. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वीवीजीएनएलआई के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है जो श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद से संस्थान ने अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से उन सभी तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 65

विधि और न्याय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	6050.30	2443.10	8493.40	5973.79	167.16	6140.95	6759.61	93.95	6853.56	5007.22	191.02	5198.24
<i>वसूलियां</i>	-216.61	...	-216.61	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>5833.69</b>	<b>2443.10</b>	<b>8276.79</b>	<b>5773.79</b>	<b>167.16</b>	<b>5940.95</b>	<b>6559.61</b>	<b>93.95</b>	<b>6653.56</b>	<b>4807.22</b>	<b>191.02</b>	<b>4998.24</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	244.70	6.92	251.62	258.55	6.88	265.43	280.29	7.35	287.64	292.30	6.95	299.25
	-6.43	...	-6.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>238.27</i>	<i>6.92</i>	<i>245.19</i>	<i>258.55</i>	<i>6.88</i>	<i>265.43</i>	<i>280.29</i>	<i>7.35</i>	<i>287.64</i>	<i>292.30</i>	<i>6.95</i>	<i>299.25</i>
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
3. कर न्यायाधिकरण	128.87	86.95	215.82	120.76	49.00	169.76	131.36	31.80	163.16	138.42	41.70	180.12
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>128.83</i>	<i>86.95</i>	<i>215.78</i>	<i>120.76</i>	<i>49.00</i>	<i>169.76</i>	<i>131.36</i>	<i>31.80</i>	<i>163.16</i>	<i>138.42</i>	<i>41.70</i>	<i>180.12</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>367.15</b>	<b>93.87</b>	<b>461.02</b>	<b>379.41</b>	<b>55.88</b>	<b>435.29</b>	<b>411.75</b>	<b>39.15</b>	<b>450.90</b>	<b>430.82</b>	<b>48.65</b>	<b>479.47</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>												
4. भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम हेतु नवाचार समाधान प्रारूपित करना (दिशा)	46.36	...	46.36	48.00	...	48.00	35.00	...	35.00	48.00	...	48.00
5. ई-कोर्ट फेज़-II	-10.13	...	-10.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. ई-कोर्ट फेज़ III	768.25	...	768.25	1500.00	...	1500.00	1200.00	...	1200.00	1500.00	...	1500.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन</b>	<b>804.48</b>	<b>...</b>	<b>804.48</b>	<b>1548.00</b>	<b>...</b>	<b>1548.00</b>	<b>1235.00</b>	<b>...</b>	<b>1235.00</b>	<b>1548.00</b>	<b>...</b>	<b>1548.00</b>
7. कानूनी सहायता प्रतिवाद परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस)	...	...	...	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00
8. उच्चतम न्यायालय भवन का विस्तार	...	...	...	...	86.63	86.63	...	46.63	46.63	...	123.75	123.75
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>804.48</b>	<b>...</b>	<b>804.48</b>	<b>1748.00</b>	<b>86.63</b>	<b>1834.63</b>	<b>1385.00</b>	<b>46.63</b>	<b>1431.63</b>	<b>1748.00</b>	<b>123.75</b>	<b>1871.75</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	24.50	...	24.50	20.00	...	20.00	20.78	...	20.78	21.66	...	21.66
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	399.32	...	399.32	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
11. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)	4.50	...	4.50	3.18	...	3.18	5.00	...	5.00	4.26	...	4.26
12. भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50	3.56	...	3.56
13. भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई)	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.51	...	0.51
14. भारतीय मध्यस्थता परिषद	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.51	...	0.51
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>431.32</b>	<b>...</b>	<b>431.32</b>	<b>228.18</b>	<b>...</b>	<b>228.18</b>	<b>231.28</b>	<b>...</b>	<b>231.28</b>	<b>230.50</b>	<b>...</b>	<b>230.50</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>431.32</b>	<b>...</b>	<b>431.32</b>	<b>228.18</b>	<b>...</b>	<b>228.18</b>	<b>231.28</b>	<b>...</b>	<b>231.28</b>	<b>230.50</b>	<b>...</b>	<b>230.50</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं</b>												
15. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं												
15.01 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा	1060.17	...	1060.17	998.00	...	998.00	1123.40	...	1123.40	998.00	...	998.00
15.02 ग्राम न्यायालय	0.80	...	0.80	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00
<b>जोड़- न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं</b>	<b>1060.97</b>	<b>...</b>	<b>1060.97</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>	<b>1133.40</b>	<b>...</b>	<b>1133.40</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>
<b>महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन</b>												
16. फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट												
16.01 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
16.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>1060.97</b>	<b>...</b>	<b>1060.97</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>	<b>1133.40</b>	<b>...</b>	<b>1133.40</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
17. चुनाव के घटक												
17.01 लोकसभा चुनाव	1550.94	...	1550.94	1000.00	...	1000.00	1500.00	...	1500.00	500.00	...	500.00
17.02 मतदाताओं के लिए पहचान पत्र	85.23	...	85.23	404.81	...	404.81	404.81	...	404.81	300.00	...	300.00
17.03 चुनाव संबंधी अन्य व्यय	1511.48	...	1511.48	1003.20	...	1003.20	1492.90	...	1492.90	597.80	...	597.80
<b>जोड़- चुनाव के घटक</b>	<b>3147.65</b>	<b>...</b>	<b>3147.65</b>	<b>2408.01</b>	<b>...</b>	<b>2408.01</b>	<b>3397.71</b>	<b>...</b>	<b>3397.71</b>	<b>1397.80</b>	<b>...</b>	<b>1397.80</b>
18. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	22.12	2349.23	2371.35	10.19	24.65	34.84	0.47	8.17	8.64	0.10	18.62	18.72
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>3169.77</b>	<b>2349.23</b>	<b>5519.00</b>	<b>2418.20</b>	<b>24.65</b>	<b>2442.85</b>	<b>3398.18</b>	<b>8.17</b>	<b>3406.35</b>	<b>1397.90</b>	<b>18.62</b>	<b>1416.52</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5833.69</b>	<b>2443.10</b>	<b>8276.79</b>	<b>5773.79</b>	<b>167.16</b>	<b>5940.95</b>	<b>6559.61</b>	<b>93.95</b>	<b>6653.56</b>	<b>4807.22</b>	<b>191.02</b>	<b>4998.24</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	1310.40	...	1310.40	1893.74	...	1893.74	1578.79	...	1578.79	1923.06	...	1923.06
2. चुनाव	3169.77	...	3169.77	2418.20	...	2418.20	3398.18	...	3398.18	1397.90	...	1397.90
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	128.83	...	128.83	120.76	...	120.76	131.36	...	131.36	138.42	...	138.42
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	145.27	...	145.27	166.67	...	166.67	168.61	...	168.61	177.94	...	177.94
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20.29	...	20.29	21.32	...	21.32	19.66	...	19.66	21.80	...	21.80
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	86.63	86.63	...	46.63	46.63	...	123.75	123.75
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2434.33	2434.33	...	71.55	71.55	...	37.92	37.92	...	58.32	58.32
8. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.77	8.77	...	8.98	8.98	...	9.40	9.40	...	8.95	8.95
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>4774.56</b>	<b>2443.10</b>	<b>7217.66</b>	<b>4620.69</b>	<b>167.16</b>	<b>4787.85</b>	<b>5296.60</b>	<b>93.95</b>	<b>5390.55</b>	<b>3659.12</b>	<b>191.02</b>	<b>3850.14</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.05</b>	<b>...</b>	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	<b>...</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>...</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>...</b>	<b>0.10</b>
<b>अन्य</b>												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	255.00	...	255.00	256.51	...	256.51	250.00	...	250.00
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1047.08	...	1047.08	845.00	...	845.00	958.40	...	958.40	845.00	...	845.00
12. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	12.00	...	12.00	53.00	...	53.00	48.00	...	48.00	53.00	...	53.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1059.08</b>	<b>...</b>	<b>1059.08</b>	<b>1153.00</b>	<b>...</b>	<b>1153.00</b>	<b>1262.91</b>	<b>...</b>	<b>1262.91</b>	<b>1148.00</b>	<b>...</b>	<b>1148.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5833.69</b>	<b>2443.10</b>	<b>8276.79</b>	<b>5773.79</b>	<b>167.16</b>	<b>5940.95</b>	<b>6559.61</b>	<b>93.95</b>	<b>6653.56</b>	<b>4807.22</b>	<b>191.02</b>	<b>4998.24</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधिक कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा प्रकोष्ठ, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उपाय के लिए है।

3. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपील न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के सचिवालय व्यय के लिए है।

4. **भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम हेतु नवाचार समाधान प्रारूपित करना (विशा):** यह प्रावधान एनईजेके और एनईजेके के अलावा न्याय तक पहुंच के कार्यान्वयन के लिए है (जिसमें 3 कार्यक्रम टेली लॉ, न्याय बंधु और न्याय मित्र शामिल हैं) जिसमें विधायकों और सांसदों के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान भी शामिल है।

6. **ई-कोर्ट फेज़ III:** यह प्रावधान ई-कोर्ट चरण III परियोजना को लागू करने के लिए है।

7. **कानूनी सहायता प्रतिवाद परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस):** यह प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र योजना विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) के कार्यान्वयन के लिए है।

8. **उच्चतम न्यायालय भवन का विस्तार:** यह प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना उच्चतम न्यायालय के भवन का विस्तार के कार्यान्वयन के लिए है।

9. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

10. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

11. **भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई):** यह प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

12. **भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र:** यह प्रावधान मध्यस्थता केंद्र को अनुदान प्रदान करने के लिए है।



13. **भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई):** यह प्रावधान एसीआई को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
14. **भारतीय मध्यस्थता परिषद:** यह प्रावधान भारतीय मध्यस्थता परिषद को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
- 15.01. **न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा:** यह प्रावधान विधान मंडल वाले या विधान मंडल रहित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत तथा सिक्किम में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 15.02. **ग्राम न्यायालय:** यह प्रावधान राज्यों को उनके राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए है।
16. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** यह प्रावधान बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित पड़े मामलों के त्वरित अभियोजन और निपटान हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु किया गया है।
- 17.01. **लोकसभा चुनाव:** यह प्रावधान लोकसभा के आम चुनाव के आयोजन से संबंधित प्रभारों के संबंध में अग्रणीत देनदारी को पूरा करने के लिए है।
- 17.02. **मतदाताओं के लिए पहचान पत्र:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।
- 17.03. **चुनाव संबंधी अन्य व्यय:** यह प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य चुनावी व्यय तथा मतपत्रों की तैयारी एवं छपाई आदि के संबंध में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।
18. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** यह प्रावधान चुनाव आयोग को बैलेट इकाई, कंट्रोल इकाई और वोटर वेरिफिएबल पेपर,लेखा-परीक्षा परीक्षण इकाइयों की खरीद के लिए निधि उपलब्ध कराने और ईवीएम तथा पुरानी ईवीएम को नष्ट करने संबंधी आनुपंगिक व्यय के लिए है।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 66

निर्वाचन आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	366.34	72.76	439.10	306.06	15.83	321.89	333.85	27.91	361.76	302.98	2.00	304.98
वसूलियां	-1.05	...	-1.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>365.29</b>	<b>72.76</b>	<b>438.05</b>	<b>306.06</b>	<b>15.83</b>	<b>321.89</b>	<b>333.85</b>	<b>27.91</b>	<b>361.76</b>	<b>302.98</b>	<b>2.00</b>	<b>304.98</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. भारत निर्वाचन आयोग	366.34	72.76	439.10	306.06	15.83	321.89	333.85	27.91	361.76	302.98	2.00	304.98
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
अन्य												
2. वास्तविक वसूलियां	-1.05	...	-1.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>365.29</b>	<b>72.76</b>	<b>438.05</b>	<b>306.06</b>	<b>15.83</b>	<b>321.89</b>	<b>333.85</b>	<b>27.91</b>	<b>361.76</b>	<b>302.98</b>	<b>2.00</b>	<b>304.98</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. चुनाव	365.29	...	365.29	306.06	...	306.06	333.85	...	333.85	302.98	...	302.98
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.70	58.70	...	2.01	2.01	...	21.48	21.48	...	0.03	0.03
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	14.06	14.06	...	13.82	13.82	...	6.43	6.43	...	1.97	1.97
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>365.29</b>	<b>72.76</b>	<b>438.05</b>	<b>306.06</b>	<b>15.83</b>	<b>321.89</b>	<b>333.85</b>	<b>27.91</b>	<b>361.76</b>	<b>302.98</b>	<b>2.00</b>	<b>304.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>365.29</b>	<b>72.76</b>	<b>438.05</b>	<b>306.06</b>	<b>15.83</b>	<b>321.89</b>	<b>333.85</b>	<b>27.91</b>	<b>361.76</b>	<b>302.98</b>	<b>2.00</b>	<b>304.98</b>

- भारत निर्वाचन आयोग:** यह प्रावधान मुख्य रूप से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना संबंधी व्यय, मतदाताओं के जागरूकता, प्रशिक्षण और आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के लिए है।

विधि और न्याय मंत्रालय

सं 67 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	456.00	58.00	514.00	456.54	68.95	525.49	490.46	98.09	588.55	490.58	56.57	547.15
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>456.00</b>	<b>58.00</b>	<b>514.00</b>	<b>456.54</b>	<b>68.95</b>	<b>525.49</b>	<b>490.46</b>	<b>98.09</b>	<b>588.55</b>	<b>490.58</b>	<b>56.57</b>	<b>547.15</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. भारतीय उच्चतम न्यायालय	456.00	58.00	514.00	456.54	68.95	525.49	490.46	98.09	588.55	490.58	56.57	547.15
<b>कुल जोड़</b>	<b>456.00</b>	<b>58.00</b>	<b>514.00</b>	<b>456.54</b>	<b>68.95</b>	<b>525.49</b>	<b>490.46</b>	<b>98.09</b>	<b>588.55</b>	<b>490.58</b>	<b>56.57</b>	<b>547.15</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	456.00	...	456.00	456.54	...	456.54	490.46	...	490.46	490.58	...	490.58
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	58.00	58.00	...	68.95	68.95	...	98.09	98.09	...	56.57	56.57
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>456.00</b>	<b>58.00</b>	<b>514.00</b>	<b>456.54</b>	<b>68.95</b>	<b>525.49</b>	<b>490.46</b>	<b>98.09</b>	<b>588.55</b>	<b>490.58</b>	<b>56.57</b>	<b>547.15</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>456.00</b>	<b>58.00</b>	<b>514.00</b>	<b>456.54</b>	<b>68.95</b>	<b>525.49</b>	<b>490.46</b>	<b>98.09</b>	<b>588.55</b>	<b>490.58</b>	<b>56.57</b>	<b>547.15</b>

1. **भारतीय उच्चतम न्यायालय:** यह विनियोग भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय का प्रावधान, सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा के लिए शुल्क और लेखन-सामग्री सहित स्थापना संबंधी जरूरतों पर व्यय, कार्यालय उपकरण, सुरक्षा उपकरण, सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण, सीसीटीवी का रखरखाव और भारतीय उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट की छपाई संबंधी व्यय का प्रावधान शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
मांग संख्या 68  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	21499.91	594.26	22094.17	21549.87	588.08	22137.95	16718.15	588.55	17306.70	22452.42	715.73	23168.15
<i>वसूलियां</i>	-310.89	...	-310.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>21189.02</b>	<b>594.26</b>	<b>21783.28</b>	<b>21549.87</b>	<b>588.08</b>	<b>22137.95</b>	<b>16718.15</b>	<b>588.55</b>	<b>17306.70</b>	<b>22452.42</b>	<b>715.73</b>	<b>23168.15</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	33.59	...	33.59	35.10	...	35.10	35.25	...	35.25	35.53	...	35.53
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	188.98	14.81	203.79	209.72	12.58	222.30	187.22	13.55	200.77	200.48	15.73	216.21
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>222.57</b>	<b>14.81</b>	<b>237.38</b>	<b>244.82</b>	<b>12.58</b>	<b>257.40</b>	<b>222.47</b>	<b>13.55</b>	<b>236.02</b>	<b>236.01</b>	<b>15.73</b>	<b>251.74</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास</b>												
3. परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)	2.41	...	2.41	260.00	...	260.00	70.00	...	70.00	362.00	...	362.00
4. क्रायर विकास योजना	92.15	...	92.15	103.10	...	103.10	75.10	...	75.10	104.39	...	104.39
5. <i>खादी ग्रामोद्योग विकास योजना</i>												
5.01 खादी अनुदान (केजी)	287.56	...	287.56	461.00	0.50	461.50	395.50	...	395.50	464.00	...	464.00
5.02 खादी विकास योजना	343.19	...	343.19	515.19	...	515.19	420.61	...	420.61	541.77	...	541.77
5.03 ग्रामोद्योग विकास योजना	30.23	...	30.23	60.50	...	60.50	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
<i>जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना</i>	<i>660.98</i>	<i>...</i>	<i>660.98</i>	<i>1036.69</i>	<i>0.50</i>	<i>1037.19</i>	<i>866.11</i>	<i>...</i>	<i>866.11</i>	<i>1065.77</i>	<i>...</i>	<i>1065.77</i>
<b>जोड़-खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास</b>	<b>755.54</b>	<b>...</b>	<b>755.54</b>	<b>1399.79</b>	<b>0.50</b>	<b>1400.29</b>	<b>1011.21</b>	<b>...</b>	<b>1011.21</b>	<b>1532.16</b>	<b>...</b>	<b>1532.16</b>
<b>प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन</b>												
6. एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन)	2.84	...	2.84	20.00	...	20.00	8.68	...	8.68	20.00	...	20.00
7. एमएसएमई चैम्पियन्स योजना	88.77	...	88.77	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72
<b>जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन</b>	<b>91.61</b>	<b>...</b>	<b>91.61</b>	<b>74.72</b>	<b>...</b>	<b>74.72</b>	<b>63.40</b>	<b>...</b>	<b>63.40</b>	<b>74.72</b>	<b>...</b>	<b>74.72</b>
<b>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें</b>												
8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	3106.18	...	3106.18	2300.00	...	2300.00	1918.00	...	1918.00	2954.42	...	2954.42
9. ऋण सहायता कार्यक्रम	500.00	...	500.00	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा	14000.00	...	14000.00	9812.93	...	9812.93	7500.00	...	7500.00	9000.00	...	9000.00
<b>जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें</b>	<b>17606.18</b>	...	<b>17606.18</b>	<b>12112.97</b>	...	<b>12112.97</b>	<b>9418.00</b>	...	<b>9418.00</b>	<b>11954.42</b>	...	<b>11954.42</b>
11. ऋण आधारित पूंजीगत सन्निधि (सीएलसीएस)	2.22	...	2.22	0.55	...	0.55	...	...	...	...	...	...
<b>विपणन संवर्धन स्कीम</b>												
12. खरीद और विपणन सहायता स्कीम	68.70	...	68.70	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00
13. अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी)	26.22	...	26.22	27.00	...	27.00	29.00	...	29.00	27.00	...	27.00
<b>उद्यमिता और कौशल विकास</b>												
14. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	13.75	...	13.75	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
15. निधियों के लिए निधि	...	579.45	579.45	...	575.00	575.00	...	575.00	575.00	...	700.00	700.00
16. उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	62.84	...	62.84	99.00	...	99.00	75.00	...	75.00	96.00	...	96.00
<b>जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास</b>	<b>76.59</b>	<b>579.45</b>	<b>656.04</b>	<b>129.00</b>	<b>575.00</b>	<b>704.00</b>	<b>105.00</b>	<b>575.00</b>	<b>680.00</b>	<b>136.00</b>	<b>700.00</b>	<b>836.00</b>
<b>अवसंरचना विकास कार्यक्रम</b>												
17. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	9.99	...	9.99	450.00	...	450.00	97.76	...	97.76	591.00	...	591.00
18. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	94.10	...	94.10	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	400.00	...	400.00
19. एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएएमपी	1319.41	...	1319.41	1170.00	...	1170.00	750.00	...	750.00	1500.00	...	1500.00
20. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)	178.66	...	178.66	400.00	...	400.00	300.00	...	300.00	410.00	...	410.00
21. उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई)	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	160.00	...	160.00
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.39	...	49.39	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	95.00	...	95.00
<b>जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम</b>	<b>1791.55</b>	...	<b>1791.55</b>	<b>2560.00</b>	...	<b>2560.00</b>	<b>1687.76</b>	...	<b>1687.76</b>	<b>3156.00</b>	...	<b>3156.00</b>
<b>अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन</b>												
23. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	100.00	...	100.00	99.92	...	99.92	99.92	...	99.92	151.21	...	151.21
24. पीएम विश्वकर्मा	745.92	...	745.92	4824.00	...	4824.00	4000.00	...	4000.00	5100.00	...	5100.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>21264.53</b>	<b>579.45</b>	<b>21843.98</b>	<b>21292.95</b>	<b>575.50</b>	<b>21868.45</b>	<b>16479.29</b>	<b>575.00</b>	<b>17054.29</b>	<b>22196.51</b>	<b>700.00</b>	<b>22896.51</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
25. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान	12.76	...	12.76	12.10	...	12.10	16.39	...	16.39	19.90	...	19.90
<b>अन्य</b>												
26. वास्तविक बसूली	-310.84	...	-310.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-298.08</b>	...	<b>-298.08</b>	<b>12.10</b>	...	<b>12.10</b>	<b>16.39</b>	...	<b>16.39</b>	<b>19.90</b>	...	<b>19.90</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>21189.02</b>	<b>594.26</b>	<b>21783.28</b>	<b>21549.87</b>	<b>588.08</b>	<b>22137.95</b>	<b>16718.15</b>	<b>588.55</b>	<b>17306.70</b>	<b>22452.42</b>	<b>715.73</b>	<b>23168.15</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	21155.43	...	21155.43	19385.25	...	19385.25	15029.40	...	15029.40	20196.81	...	20196.81

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	33.59	...	33.59	35.10	...	35.10	35.25	...	35.25	35.53	...	35.53
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	594.26	594.26	...	530.08	530.08	...	531.05	531.05	...	645.73	645.73
4. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.50	0.50	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>21189.02</b>	<b>594.26</b>	<b>21783.28</b>	<b>19420.35</b>	<b>530.58</b>	<b>19950.93</b>	<b>15064.65</b>	<b>531.05</b>	<b>15595.70</b>	<b>20232.34</b>	<b>645.73</b>	<b>20878.07</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2129.52	...	2129.52	1653.50	...	1653.50	2220.08	...	2220.08
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	57.50	57.50	...	57.50	57.50	...	70.00	70.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2129.52</b>	<b>57.50</b>	<b>2187.02</b>	<b>1653.50</b>	<b>57.50</b>	<b>1711.00</b>	<b>2220.08</b>	<b>70.00</b>	<b>2290.08</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>21189.02</b>	<b>594.26</b>	<b>21783.28</b>	<b>21549.87</b>	<b>588.08</b>	<b>22137.95</b>	<b>16718.15</b>	<b>588.55</b>	<b>17306.70</b>	<b>22452.42</b>	<b>715.73</b>	<b>23168.15</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	134.99	134.99	...	240.00	240.00	...	240.00	240.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>134.99</b>	<b>134.99</b>	<b>...</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>...</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>...</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>...</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>...</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>

1. **सचिवालय:** सचिवालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय, वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू यात्रा/विदेशी यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य आदि के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध विभाग है, जो देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण, समन्वय और अनुवीक्षण से संबंधित कई पहलुओं की निगरानी करता है। बजट प्रावधान मुख्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय एवं एमएसएमई-डीएफओ तथा एमएसएमई-टीसी के स्थापना संबंधी व्ययों जैसे वेतन, भत्ते, आकस्मिक व्यय, घरेलू यात्रा/विदेश यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य, कार्यालयी व्यय आदि के लिए हैं। इसमें सचिवालय एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई-डीएफओ तथा एमएसएमई-टीसी के लिए स्थापना संबंधी पूंजीगत व्यय जैसे मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण, सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, भवन निर्माण और संरचना कार्य, फर्नीचर और फिक्स्चर, भूमि, अवसंरचना संबंधी आस्तियां, अन्य अचल आस्ति आदि का व्यय भी प्रदान किया जाता है।

3. **परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति):** पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना(स्फूर्ति): इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और शिल्पकारों को सामूहिक रूप से संगठित करना और उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करना

है, जिससे उन्हें बड़ी हुई और संधारणीय आय प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत शिल्पकारों को सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, नई मशीनरी और कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, विपणन और डिजाइन संबंधी कार्यों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण, शहद, बांस आदि भी शामिल हैं। वर्ष 2015-16 से 'स्फूर्ति' के अंतर्गत कुल 513 क्लस्टरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें भारत सरकार की कुल सहायता लगभग 1,332.96 करोड़ रुपए है, जिससे देश भर के लगभग 3.03 लाख पारंपरिक शिल्पकारों को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इन 513 क्लस्टरों में से 374 क्लस्टर पहले से ही क्रियाशील हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ कुल 176 नए स्फूर्ति क्लस्टर संस्वीकृत किए जाने का अनुमान है और इससे 1,07,184 शिल्पकारों को लाभ प्राप्त होगा।

4. **कॉयर विकास योजना:** कॉयर विकास योजना का कार्यान्वयन कॉयर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो कॉयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने तथा इस पारंपरिक उद्योग में कार्यरत कारीगरों की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय है। कॉयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ नए उत्पादों और डिजाइनों के विकास हेतु वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को समर्थन करना तथा भारत एवं विदेशों में कॉयर व कॉयर उत्पादों का विपणन करना शामिल है। यह भूसी, कॅयर फाइबर, कॉयर सूत के उत्पादकों तथा कॉयर उत्पादों के विनिर्माताओं के मध्य सहयोगी संगठनों

को भी बढ़ावा देता है; उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए लाभदायी प्रतिफल सुनिश्चित करता है। कॉयर विकास योजना के तहत और अधिक उद्यमियों को कॉयर क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के तहत विभिन्न कार्यक्रम जैसे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, बाजार विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, ज्ञानवर्धक (एक्सपोजर) दौरे आदि का आयोजन किया जाता है। कॉयर उद्योग के लिए अपेक्षित कौशलयुक्त श्रमशक्ति सृजित करने के उद्देश्य से बोर्ड मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कौशल विकास तथा रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना के जरिए), पीएमईजीपी योजनाओं के माध्यम से नई इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना तथा कॉयर कारीगरों के लिए कल्याणकारी उपाय करना भी इसमें शामिल है। कॉयर क्षेत्र में निर्यात और घरेलू बाजार संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

**5.01. खादी अनुदान (केजी):** खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कई स्वतंत्र योजनाएं हैं, जिन्हें पिछली योजनावधियों में केवीआई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। नवंबर, 2019 में सभी मौजूदा केवीआई योजनाओं/उप-योजनाओं/घटकों का विलय कर दिया गया था और उन्हें खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) नामक अंब्रेला योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया था, जिसे फरवरी, 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा इसे 5 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 5035.36 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखा गया है। केजीवीवाई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा इस योजना में राज्य का कोई घटक शामिल नहीं है।

**5.02. खादी विकास योजना:** खादी विकास योजना (केवीवाई) खादी क्षेत्र अर्थात् सूत, ऊन, सिल्क तथा मौजूदा योजनाओं जैसे संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी), खादी शिल्पकारों के लिए कार्यशेड योजना, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के अवसंरचना संबंधी सुदृढीकरण तथा विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, खादी (एसएंडटी) तथा खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के संवर्धन और विकास के लिए है।

**5.03. ग्रामोद्योग विकास योजना:** सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन और विकास तथा अन्य सहायता और ग्रामोद्योग के संवर्धन के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

"ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)" सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए अन्य सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जीवीवाई में ग्रामोद्योग के अंतर्गत कार्यकलापों में निम्न घटक/कार्यक्षेत्र शामिल हैं:-

क. आरोग्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)

ख. हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)

ग. कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एवीएफपीआई)

घ. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)

ङ. ग्रामीण इंजीनियरिंग और नए प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)

च. सेवा उद्योग

खादी अनुदान में केवीआईसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी प्रकार के स्थापना व्यय को शामिल किया गया है।

**6. एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एस्पायर (नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना) नामक योजना, माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा दिनांक 16.03.2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि ग्रामोद्योग में नवोन्मेष और उद्यमिता हेतु उद्यमशीलता को गति प्रदान करना तथा स्टार्ट-अप का संवर्धन करना है। इस योजना को वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत तीन मुख्य घटकों के साथ (क) लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्र (टीबीआई) तथा (ग) सिडबी के अंतर्गत निधियों की निधि (एफओएफ) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई थी।

एस्पायर योजना को 194.87 करोड़ रुपए के कुल वजटीय परिव्यय के साथ आगामी पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस योजना के तहत कुल 125 एलबीआई को संस्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। टीबीआई घटक को विकास आयुक्त, एमएसएमई की इन्क्यूबेशन योजना के साथ अभिसरण के कारण समाप्त कर दिया गया था। वेतन आधारित रोजगार के अवसर सृजित करने के अतिरिक्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

**7. एमएसएमई चैम्पियन्स योजना:** एमएसएमई चैम्पियंस योजना स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के माध्यम से शुरू की गई है। यह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को एकीकृत, समन्वित और अभिसारित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य उद्यमों को आगे बढ़ाना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना तथा उनकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। एमएसएमई चैम्पियंस योजना के तहत 3 घटक अर्थात् एमएसएमई संधारणीयता (जेड), एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन), एमएसएमई इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन, आईपीआर, डिजिटल एमएसएमई) हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल बजट आवंटन 254.44 करोड़ रुपए है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 54.72 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। एमएसएमई चैम्पियंस योजना के तहत घटक-वार उपलब्धियां इस प्रकार हैं: 28 अप्रैल, 2022 को शुरू की गई एमएसएमई-संधारणीयता (जेड) प्रमाणन योजना के तहत कुल 2,37,912 एमएसएमई प्रमाणित किए गए हैं। 10 मार्च, 2023 को शुरू की गई एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना के लिए 9,032 एमएसएमई ने आधारभूत प्रमाणन प्राप्त किया है। 10 मार्च, 2022 को शुरू की गई एमएसएमई-इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना के तहत उपलब्धियों में इन्क्यूबेशन घटक के तहत 930 विचारों को अनुमोदन प्रदान करने के साथ 697 मेजबान संस्थानों (एचआई) का अनुमोदन शामिल है। डिजाइन घटक में आईआईएससी, बैंगलुरु, सात आईटीआई और 12 एनआईटी के साथ 47 पेशेवर और छात्र डिजाइन परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईपीआर घटक में 730 आईपी प्रतिपूर्ति के साथ 77 आईपी सुविधा केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का विलय करके वर्ष 2008-09 में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। पीएमईजीपी का उद्देश्य शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से जुड़े लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्र में यह 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में यह लागत 20 लाख रुपए है। अच्छा निष्पादन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों को उनके उद्यम के विस्तार/उन्नयन के लिए सभी श्रेणियों के लिए 15% (पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपए तक की दूसरी वित्तीय सहायता स्वीकार्य है। वित्त वर्ष 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 21.10.2024 तक) तक 9.82 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 25,935.24 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित करके

सहायता प्रदान की गई है। सहायता प्राप्त इकाइयों में से लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50% इकाइयां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के स्वामित्व वाली हैं।

9. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना क्रेडिट सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के जरिए क्रियाशील है। इस योजना के माध्यम से नए तथा साथ ही मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा दी जाने वाली कोलेटरल निशुल्क क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण की सीमा को 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया है। इस निधि का कॉर्पस 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार की साझेदारी अर्थात् 7,000 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है और सीजीटीएमएसई को जारी की गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) का नवीकरण किया गया था तथा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के पश्चात् सीजीटीएमएसई के पूंजीनिवेश में, 9,000 करोड़ रुपए (भारत सरकार द्वारा 8,500 करोड़ रुपए का अंशदान तथा सिडबी द्वारा 500 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया) समाविष्ट किए गए हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए नवीकृत क्रेडिट गारंटी योजना, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है, के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

गारंटी की सीमा को 2.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.00 करोड़ रुपए करना।

गारंटी शुल्क में कमी: दिनांक 01.04.2023 से सभी क्षेत्रों में वार्षिक गारंटी शुल्क को 50 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले क्रेडिट की समग्र लागत में कमी आई है।

10.00 लाख रुपए तक के बकाया ऋण के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटारे के लिए किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

10. **योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा (जीईसीएल):** आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में योग्य एमएसएमई तथा अन्य व्यावसायिक उद्यमों की प्रचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न हुए दबाव में मद्देनजर उनके व्यवसाय को पुनः बहाल करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.05.2020 को आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अंतर्गत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा योग्य ऋण प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में उन संस्थानों को 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान की जाती है। ईसीएलजीएस का कार्यान्वयन वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी।

11. **ऋण आधारित पूंजीगत सस्मिडी (सीएलसीएस):** इस योजना को मंत्रिमंडल द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह दिनांक 31.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में सुस्थापित और अनुभूत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसएमई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत एमएसएमई को अभिज्ञात क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रुपए तक के संस्थागत ऋण पर 15% की सस्मिडी (अर्थात् 15.00 लाख रुपए की सीमा तक सस्मिडी) प्रदान की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से किया गया था, तथापि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों, महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण तथा प्रौद्योगिकी

उत्पन्न के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए भी सस्मिडी की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त हुए सभी उपयुक्त सस्मिडी दावों का निपटान कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीईक्यूपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि योजना (टीएडीएफ) को इस योजना में विलय किया गया है। आकस्मिक देनदारियों के लिए बजट प्रावधान को प्रतिधारित रखा जा सकता है।

12. **खरीद और विपणन सहायता स्कीम:** राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि का आयोजन/उनमें प्रतिभागिता जैसी बाजार तक पहुंच संबंधी नई पहलों को बढ़ावा देना। विपणन में पैकेजिंग की प्रक्रिया, अद्यतन पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति तथा कार्यविधि, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में हुए आधुनिक विकास तथा बाजार तक पहुंच संबंधी नए घटनाक्रमों से जुड़े अन्य संगत विषयों के महत्व/पद्धतियों के बारे में एमएसएमई में जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें शिक्षित करना।

खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना का उद्देश्य एमएसएमई की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और एक्सपो में उनकी सहभागिता को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाकर उनके लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना प्रमुख विपणन पहलुओं जैसे नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों, आयात-निर्यात नीतियों और प्रक्रियाएं, जेम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल का उपयोग, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार में विकास और बाजार पहुंच तथा व्यापार विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर एमएसएमई को जागरूक करने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

इन पहलों को विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी), राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाओं जैसे घटकों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा, यह योजना बारकोड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आधुनिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करके सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण पर बल देती है, जिससे उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

13. **अध्ययन, प्रचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी):** इस योजना को निम्नलिखित योजनाओं के विलय से तैयार किया गया है: अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान एवं राष्ट्रीय पुरस्कार व राष्ट्रीय बोर्ड योजनाओं का विलय करके वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार तैयार किया गया है। अब इस योजना में निम्नलिखित उप-घटक हैं:-

i. अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना अध्ययन, प्रचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी) की एक उप-योजना है। इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/विदेशी व्यापार मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की सहभागिता को सुविधाजनक बनाकर निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु क्षमता निर्माण करना तथा साथ ही साथ उन्हें व्यावहारिक बाजार-आसूचना प्रदान करना और वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में शामिल विविध प्रकार की लागतों की प्रतिपूर्ति करना है। यह योजना एमएसएमई को अपने-आप को सतत रूप से अद्यतित करने का अवसर प्रदान करती है ताकि वे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, नए बाजार के उभर कर आने आदि के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना कर सके। इस योजना में तीन घटक अर्थात् एमएसएमई की बाजार विकास सहायता (एमडीए), प्रथम बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार सूचना प्रचार-प्रसार संबंधी फ्रेमवर्क (आईएमआईडी) शामिल हैं।

ii. सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) : इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करना है, जिन्हें एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने और उनका उन्नयन करने, अवसरचना विकास, कौशल विकास करने, प्रशिक्षण और बाजार सहायता प्रदान करने आदि के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

iii. सर्वेक्षण, अध्ययन नीतिगत अनुसंधान- इस घटक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित/आवधिक तौर पर संतोषजनक और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएसएमई के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ-साथ इन एमएसएमई को उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा इन सर्वेक्षणों के



परिणामों का प्रयोग इस मंत्रालय के लिए इस योजना मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के लिए करना तथा सरकार द्वारा नीतिगत अनुसंधानों हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययनों के लिए उपर्युक्त कार्यनीतियों और पहलों के उपायों की रूपरेखा तैयार करना है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व और/अथवा प्रबंधन वाले उद्यमों के आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं।

iv. राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय बोर्ड : इस घटक का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए एमएसएमई उद्यमियों के योगदान को मान्यता देना तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है। वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1983 में शुरू किए गए जिसमें 19 उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पिछले पुरस्कार 30 जून, 2022 को प्रदान किए गए थे जिसमें 35 पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

14. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** संशोधित दिशा-निर्देशों (दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी) में (i) एमएसएमई मंत्रालय और मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई के प्रशिक्षण संस्थानों को अवसरचन सहायता और उनकी क्षमता निर्माण (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना (कौशल विकास कार्यक्रमों/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित योजना के तहत नए ईडीआई की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। वित्तीय सहायता संबंधी इस योजना के तहत निजी प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ को शामिल नहीं किया जाता है।

15. **निधियों के लिए निधि:** भारत सरकार ने उन एमएसएमई में जिनमें संवृद्धि करने की संभावना और व्यवहार्यता है तथा जो बड़ी इकाइयों का रूप ले सकती हैं, में 50,000 करोड़ रुपए इकटिटी निधियन के रूप में समावेशन के लिए आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष नामक निधियों की निधि की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कुल 50,000 करोड़ रुपए की सहायता निधि में 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से तथा 40,000 करोड़ रुपए निजी इकटिटी/वेंचर कैपिटल निधियों के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य, एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराना है। अब तक, एमएसएमई मंत्रालय ने एसबीपी/मदर फंड अर्थात एनबीसीएफएल में 1405.36 करोड़ रुपए की राशि (वित्त वर्ष 2024-25 में 252.78 करोड़ रुपए) संस्वीकृत और जारी किए गए हैं। 56 डॉटर फंड को भी मदर फंड एनबीसीएफएल के साथ सूचीबद्ध किया गया है। इन डॉटर फंड से सभी निवेशकों से एमएसएमई में लगभग 9,106 करोड़ रुपए के निवेश से 480 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

16. **उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिक वीपीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों वाले युवाओं को स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को करिअर विकल्प के रूप में चयन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, नए उद्यमों का संवर्धन, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है।

17. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** देशभर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 विस्तार केंद्रों की स्थापना द्वारा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों की पहुंच को बढ़ाने के लिए दिनांक 01.11.2018 को सीसीईए द्वारा नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना योजना को अनुमोदित किया था और जिसकी घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 02.11.2018 को की गई थी। प्रारम्भ में योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए और इसकी वैधता 31 मार्च, 2022 तक थी। योजना को 3,500 करोड़ रुपए (टीसी के लिए 2500 करोड़ रुपए तथा ईसी के लिए 1000 करोड़ रुपए) के संशोधित परिव्यय के साथ जुलाई, 2022 में वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

18. **प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी:** देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय देशभर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना और मौजूदा टीसी के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ऋण सहायता सहित 2402 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन 15 नए टीसी में से 9 टीसी को राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। शेष प्राद्योगिकी केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नए टीसी के कार्य स्थलों पर 614 नग मशीनों और प्रयोगशाला (प्रशिक्षण और उत्पादन) वितरित कर दी गई है।

19. **एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएमपी:** रैम्प(आरएमपी) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य एमएसएमई का बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य स्तर पर संस्थानों का सुदृढीकरण तथा केन्द्र - राज्य के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस रैम्प योजना से प्रौद्योगिकीय उन्नयन, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, बाजार तक पहुंच, ऋण व्यवस्था, हरित पहलों आदि के संवर्धन द्वारा एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जाएगा। योजना का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 की पांच वर्षीय अवधि के लिए 3,750 करोड़ रुपए (500 मिलियन अमरीकी डॉलर) की विश्व बैंक सहायता के साथ 6062.45 करोड़ रुपए है। रैम्प योजना कार्यात्मक निवेश योजना (एसआईपी) के तहत अंतराल निधियन के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने के अलावा एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा निम्न एमएसएमई चैम्पियंस योजना, खरीद और विपणन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, रैम्प कार्यक्रम के तहत चार नए उप योजनाएं डिजाइन और लागू की गई हैं। ये हैं (i) एम एस ई हरित निवेश और परिवर्तन योजना हेतु निधियन (एमएसई जीआईएफटी योजना)

(ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश हेतु एमएसई योजना(एमएसई एसपीआईसीई योजना)

(iii) लंबित भुगतानों हेतु एमएसई संबंधी ऑनलाईन विवाद समाधान योजना(ओडीआर)

(iv) एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीईएम) पहल। रैम्प कार्यक्रम की अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27) के दौरान 5.5 लाख एमएसएमई के लाभान्वित किए जाने की परिकल्पना है।

20. **सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) : विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना अर्थात एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इस योजना के तहत, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना की जाती है और नए औद्योगिक अवसरचन विकास परियोजनाओं (उदाहरणार्थ औद्योगिक सम्पदा) की स्थापना तथा मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एमएसई-सीडीपी मांग आधारित योजना है जिसका उद्देश्य सामान्य सहायता प्रदान करना, औद्योगिक सम्पदाओं/क्लस्टरों में अवसरचन सुविधाओं का सृजन/उन्नयन, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए सामान्य कठिनाइयों का समाधान करके, एमएसएमई का क्षमता निर्माण के द्वारा एमएसएमई के स्थायित्व, इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। एमएसई-सीडीपी योजना को 1744.87 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक जारी रखा गया है। सीएफसी के लिए, भारत सरकार (जीओआई) की अनुदान सहायता 80 प्रतिशत तक है, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, जबकि आईडी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की अनुदान सहायता 70 प्रतिशत तक है, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

21. **उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआरटीआई):** उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थान एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं और उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। बजट में सिविल अवसरचन का उन्नयन और तकदी संबंधी कमी, यदि कोई हो को पूरा करने सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी की मशीनरी और उपकरण की खरीद हेतु सहायता अनुदान जारी करने के लिए निधि दी जाती है। प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति एससीएसपी/टीएसपी शीर्ष के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा की जाती है।

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन:** पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र में एमएसएमई संवर्धन योजना, पूर्वोत्तर और सिक्किम क्षेत्र के एमएसएमई के विकास के लिए पूर्णतया समर्पित है। यह योजना निम्नलिखित तीन घटकों के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके क्षमता निर्माण के लिए अवसरचना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (भारत सरकार अनुदान) प्रदान करती है:

I. नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना तथा मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केन्द्रों का आधुनिकीकरण।

II. नये और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास

III. पर्यटन क्षेत्र का विकास

घटक (i) और (ii) के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता 13.5 करोड़ रुपये , और घटक (iii) के लिए 4.5 करोड़ रुपये या, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। शेष और कोई भी आधिक्य राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

23. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना को अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने और अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या के बीच "उद्यमशीलता संस्कृति" के संवर्धन के उद्देश्य के साथ औपचारिक रूप से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अक्टूबर, 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सहभागिता और मंत्रालयों, विभागों तथा सीपीएसई लक्षित 4 प्रतिशत खरीद को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय के तहत सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। हब के कार्य संचालन में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमों और उद्यमिता के आंकड़ों का संग्रहण करना और सूचनाओं की जानकारी प्रदान करना, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा एवं संभावित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण करना शामिल है।

24. **पीएम विश्वकर्मा:** पीएम विश्वकर्मा एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 17.09.2023 को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा अथवा अपने हाथों और औजारों से कारीगरों तथा शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के साथ परिवार आधारित प्रथाओं को सुदृढ़ और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ पहुंच को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना कि विश्वकर्माओं को घरेलू तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना भी है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र, 5 प्रतिशत की रियायती दरों पर 1 लाख रुपए तक (प्रथम किश्त) और 2 लाख रुपए तक (दूसरी किश्त) के लिए क्रेडिट सहायता, कौशल उन्नयन, टूल-किट प्रोत्साहन, डिजिटल संयवहार के लिए प्रोत्साहन तथा विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।

यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कारीगरों तथा शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रथम बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। इन व्यापारों में (i) कारपेंटर (बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) ब्लैकस्मिथ (लोहार); (v) हथौड़ा और टूलकिट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) कॉबलर (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) बास्केट/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कैंयर बुनने वाले; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारम्परिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलैंड मेकर (मालाकार); (xvi) वाशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) मछली पकड़ने के लिए जाली निर्माता शामिल है।

25. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, जोकि एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्तशासी निकाय है, की स्थापना जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा के पुनर्गठन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। एमजीआईआरआई का उद्देश्य गांधीजी के स्थायी और आत्म-निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन के लिए एसएंडटी सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में स्वीकार्यता बढ़ सके।

खान मंत्रालय  
मांग संख्या 69  
खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3043.41	75.66	3119.07	2295.14	45.92	2341.06	3486.84	46.16	3533.00	3458.91	79.09	3538.00
वसूलियां	-302.90	-0.01	-302.91	-400.00	...	-400.00	-400.00	...	-400.00	-500.00	...	-500.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2740.51</b>	<b>75.65</b>	<b>2816.16</b>	<b>1895.14</b>	<b>45.92</b>	<b>1941.06</b>	<b>3086.84</b>	<b>46.16</b>	<b>3133.00</b>	<b>2958.91</b>	<b>79.09</b>	<b>3038.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	43.57	0.38	43.95	69.93	0.55	70.48	76.56	0.79	77.35	81.30	0.55	81.85
2. भारतीय खान ब्यूरो	92.50	...	92.50	109.67	...	109.67	105.97	...	105.97	116.42	...	116.42
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	884.25	...	884.25	910.55	...	910.55	922.44	...	922.44	954.44	...	954.44
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1020.32</b>	<b>0.38</b>	<b>1020.70</b>	<b>1090.15</b>	<b>0.55</b>	<b>1090.70</b>	<b>1104.97</b>	<b>0.79</b>	<b>1105.76</b>	<b>1152.16</b>	<b>0.55</b>	<b>1152.71</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	410.00	...	410.00
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. स्वायत्त निकायों को सहायता	28.30	...	28.30	27.58	...	27.58	27.88	...	27.88	30.70	...	30.70
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	5.58	...	5.58	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
<b>अन्य</b>												
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	384.95	71.41	456.36	354.69	34.76	389.45	467.31	34.76	502.07	419.00	74.01	493.01
8. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	11.49	3.87	15.36	14.72	10.61	25.33	12.67	10.61	23.28	14.05	4.53	18.58
<b>राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां</b>												
9. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण	1296.50	...	1296.50	400.00	...	400.00	1466.00	...	1466.00	925.00	...	925.00
10. कार्यक्रम घटक	296.27	...	296.27	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से प्राप्त राशि	-296.27	...	-296.27	-400.00	...	-400.00	-400.00	...	-400.00	-500.00	...	-500.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां</b>	<b>1296.50</b>	<b>...</b>	<b>1296.50</b>	<b>400.00</b>	<b>...</b>	<b>400.00</b>	<b>1466.00</b>	<b>...</b>	<b>1466.00</b>	<b>925.00</b>	<b>...</b>	<b>925.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. वास्तविक वसूली	-6.63	-0.01	-6.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1686.31</b>	<b>75.27</b>	<b>1761.58</b>	<b>769.41</b>	<b>45.37</b>	<b>814.78</b>	<b>1945.98</b>	<b>45.37</b>	<b>1991.35</b>	<b>1358.05</b>	<b>78.54</b>	<b>1436.59</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1720.19</b>	<b>75.27</b>	<b>1795.46</b>	<b>804.99</b>	<b>45.37</b>	<b>850.36</b>	<b>1981.86</b>	<b>45.37</b>	<b>2027.23</b>	<b>1396.75</b>	<b>78.54</b>	<b>1475.29</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2740.51</b>	<b>75.65</b>	<b>2816.16</b>	<b>1895.14</b>	<b>45.92</b>	<b>1941.06</b>	<b>3086.84</b>	<b>46.16</b>	<b>3133.00</b>	<b>2958.91</b>	<b>79.09</b>	<b>3038.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2696.94	...	2696.94	1758.00	...	1758.00	2943.07	...	2943.07	2809.45	...	2809.45
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	43.57	...	43.57	69.93	...	69.93	76.56	...	76.56	81.30	...	81.30
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	75.27	75.27	...	45.22	45.22	...	45.22	45.22	...	78.44	78.44
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.38	0.38	...	0.55	0.55	...	0.79	0.79	...	0.55	0.55
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2740.51</b>	<b>75.65</b>	<b>2816.16</b>	<b>1827.93</b>	<b>45.77</b>	<b>1873.70</b>	<b>3019.63</b>	<b>46.01</b>	<b>3065.64</b>	<b>2890.75</b>	<b>78.99</b>	<b>2969.74</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	67.21	...	67.21	67.21	...	67.21	68.16	...	68.16
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>67.21</b>	<b>0.15</b>	<b>67.36</b>	<b>67.21</b>	<b>0.15</b>	<b>67.36</b>	<b>68.16</b>	<b>0.10</b>	<b>68.26</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2740.51</b>	<b>75.65</b>	<b>2816.16</b>	<b>1895.14</b>	<b>45.92</b>	<b>1941.06</b>	<b>3086.84</b>	<b>46.16</b>	<b>3133.00</b>	<b>2958.91</b>	<b>79.09</b>	<b>3038.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	...	13.56	13.56	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	480.87	480.87	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	1957.26	1957.26	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>2451.69</b>	<b>2451.69</b>	<b>...</b>	<b>2362.00</b>	<b>2362.00</b>	<b>...</b>	<b>2362.00</b>	<b>2362.00</b>	<b>...</b>	<b>2362.00</b>	<b>2362.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालयी व्यय हेतु है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) एवं प्रधानमंत्री

खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान की निगरानी का प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय खान ब्यूरो:** इसमें आईबीएम के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु प्रावधान

शामिल है।

3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** यह प्रावधान जीएसआई के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु है।

4. **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम):** वित्त वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, और महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का सीमापर अतिक्रमण करना है। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, दक्ष कार्यबल सृजन, विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क की स्थापना और एक अनुकूल निधीयन तंत्र का कार्यान्वयन शामिल है।

5. **स्वायत्त निकायों को सहायता:** इसमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त एवं वैज्ञानिक निकायों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय रॉक मेकनिक्स संस्थान, भारतीय खदान-कर्मि स्वास्थ्य संस्थान, जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र नामक तीन स्वायत्त निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार योजनाएं एवं इनको एकमुश्त अनुदान देने हेतु प्रावधान शामिल है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के प्रावधान भी शामिल हैं।

6. **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड:** यह प्रावधान आवश्यक सेवाओं एवं अन्य के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति के लिए है।

7. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** यह प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है तथा इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।

8. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** इस प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए हैं जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का परिष्करण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल हैं।

10. **कार्यक्रम घटक:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास ( एनएमईटी) का गठन खान और खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग के तहत किया गया था। इस न्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण के प्रयोजनों से न्यास के द्वारा प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना है। खनन पट्टे या सम्भावित लाइसेंस सह खनन पट्टा धारक न्यास को एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार अदा की गई 2 प्रतिशत रॉयल्टी के समकक्ष राशि अदा करेगा। एनएमईटी में प्राप्त निधियों का उपयोग क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के प्रयोजन से भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा ताकि देश में खनिज अन्वेषण संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	970.26	62.38	1032.64	3179.49	3.75	3183.24	1865.39	2.79	1868.18	3346.28	3.72	3350.00
<b>वसूलियां</b>	-878.47	...	-878.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	28.21	1.38	29.59	33.62	2.00	35.62	41.33	2.48	43.81	36.10	1.71	37.81
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	83.51	...	83.51	95.25	1.75	97.00	129.15	0.31	129.46	140.99	2.01	143.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>111.72</b>	<b>1.38</b>	<b>113.10</b>	<b>128.87</b>	<b>3.75</b>	<b>132.62</b>	<b>170.48</b>	<b>2.79</b>	<b>173.27</b>	<b>177.09</b>	<b>3.72</b>	<b>180.81</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. कौमी बक्फ बोर्ड तरङ्गियाती योजना और शहरी बक्फ संपत्ति विकास योजना	0.10	...	0.10	16.00	...	16.00	3.07	...	3.07	13.00	...	13.00
4. शिक्षा सशक्तिकरण												
4.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	95.83	...	95.83	326.16	...	326.16	90.00	...	90.00	195.70	...	195.70
4.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	85.02	...	85.02	1145.38	...	1145.38	343.91	...	343.91	413.99	...	413.99
4.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	152.74	...	152.74	33.80	...	33.80	19.41	...	19.41	7.34	...	7.34
4.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	83.45	...	83.45	45.08	...	45.08	45.08	...	45.08	42.84	...	42.84
4.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	11.70	...	11.70	10.00	...	10.00	3.50	...	3.50	10.00	...	10.00
4.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर व्याज समिन्डी	...	...	...	15.30	...	15.30	15.30	...	15.30	8.16	...	8.16
<b>जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण</b>	<b>428.74</b>	...	<b>428.74</b>	<b>1575.72</b>	...	<b>1575.72</b>	<b>517.20</b>	...	<b>517.20</b>	<b>678.03</b>	...	<b>678.03</b>
5. कौशल विकास और आजीविका												
5.01 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
5.02 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	...	61.00	61.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एनएमडीएफसी) को इकटिरी का अंशदान												
जोड़- कौशल विकास और आजीविका	3.00	61.00	64.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
<b>6. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम</b>												
6.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	13.27	...	13.27	20.00	...	20.00	12.20	...	12.20	20.00	...	20.00
6.02 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00	5.53	...	5.53	6.00	...	6.00
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	14.27	...	14.27	26.00	...	26.00	17.73	...	17.73	26.00	...	26.00
<b>7. पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)</b>												
7.01 पीएम-विकास	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	267.29	...	267.29
7.02 पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं	209.42	...	209.42	500.00	...	500.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00
जोड़- पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)	209.42	...	209.42	500.00	...	500.00	230.00	...	230.00	517.29	...	517.29
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>655.53</b>	<b>61.00</b>	<b>716.53</b>	<b>2120.72</b>	...	<b>2120.72</b>	<b>770.00</b>	...	<b>770.00</b>	<b>1237.32</b>	...	<b>1237.32</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	12.18	...	12.18	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.89	...	14.89
9. भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.59	...	1.59	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>13.77</b>	...	<b>13.77</b>	<b>17.00</b>	...	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	...	<b>16.00</b>	<b>17.89</b>	...	<b>17.89</b>
<b>अन्य</b>												
10. वास्तविक वसूलियां	-878.47	...	-878.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-864.70</b>	...	<b>-864.70</b>	<b>17.00</b>	...	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>	...	<b>16.00</b>	<b>17.89</b>	...	<b>17.89</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>												
11. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	189.23	...	189.23	910.90	...	910.90	908.90	...	908.90	1913.97	...	1913.97
12. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>	<b>189.24</b>	...	<b>189.24</b>	<b>912.90</b>	...	<b>912.90</b>	<b>908.91</b>	...	<b>908.91</b>	<b>1913.98</b>	...	<b>1913.98</b>
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>189.24</b>	...	<b>189.24</b>	<b>912.90</b>	...	<b>912.90</b>	<b>908.91</b>	...	<b>908.91</b>	<b>1913.98</b>	...	<b>1913.98</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और	-375.17	...	-375.17	1667.44	...	1667.44	739.76	...	739.76	812.12	...	812.12

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अल्पसंख्यकों का कल्याण												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	307.29	...	307.29	602.55	...	602.55	377.09	...	377.09	653.71	...	653.71
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	28.20	...	28.20	33.62	...	33.62	41.33	...	41.33	36.10	...	36.10
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	61.00	61.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.38	1.38	...	3.75	3.75	...	2.79	2.79	...	3.72	3.72
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>-39.68</b>	<b>62.38</b>	<b>22.70</b>	<b>2303.61</b>	<b>3.75</b>	<b>2307.36</b>	<b>1158.18</b>	<b>2.79</b>	<b>1160.97</b>	<b>1501.93</b>	<b>3.72</b>	<b>1505.65</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	318.70	...	318.70	167.89	...	167.89	315.98	...	315.98
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	131.47	...	131.47	527.12	...	527.12	518.27	...	518.27	1518.31	...	1518.31
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	30.06	...	30.06	21.05	...	21.05	10.06	...	10.06
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>131.47</b>	<b>...</b>	<b>131.47</b>	<b>875.88</b>	<b>...</b>	<b>875.88</b>	<b>707.21</b>	<b>...</b>	<b>707.21</b>	<b>1844.35</b>	<b>...</b>	<b>1844.35</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>91.79</b>	<b>62.38</b>	<b>154.17</b>	<b>3179.49</b>	<b>3.75</b>	<b>3183.24</b>	<b>1865.39</b>	<b>2.79</b>	<b>1868.18</b>	<b>3346.28</b>	<b>3.72</b>	<b>3350.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	61.00	...	61.00	...	800.00	800.00	...	742.00	742.00	...	780.00	780.00	...	780.00	780.00			
<b>जोड़</b>	<b>61.00</b>	<b>...</b>	<b>61.00</b>	<b>...</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>...</b>	<b>742.00</b>	<b>742.00</b>	<b>...</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	<b>...</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>			

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सीजेआई, जेद्दाह, सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।

3. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने और इसे व्यावसायिक आय को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों में विस्तार किया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फबोर्डों को डब्ल्यूएसएसआई मॉड्यूल में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटरिंग फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन हेतु

जनशक्ति की तैनाती, एसडब्ल्यूबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने हेतु विधिक और लेखा खंड को सुदृढ बनाने हेतु क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों जैसे कि वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

4.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX और X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।



4.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा XI व XII स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों।

4.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

4.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम. फिल. तथा पी. एच. डी. जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल. तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

4.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोर्सेज और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करके उन्हें सरकारी/ निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

4.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.01. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

6.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य 15 सूत्रीय कार्यक्रम और अध्ययन के अन्य क्षेत्रों सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और अनुवीक्षण करना तथा साथ ही इस मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना है।

6.02. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें अनुदान सहायता के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन चयनित पारसी पंचायत/अंजुमन के सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसमें संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को आधार से जुड़ी प्रणाली के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना है।

7. **पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास):** प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक कौशल-वर्धन पहल है जो देश भर के अल्पसंख्यक और शिल्पकार समुदायों के कौशल-वर्धन, उद्यमशीलता और नेतृत्व प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर बल देती है। इस योजना को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अभिसरण से तथा स्किल इंडिया

पोर्टल (एसआईपी) के साथ समेकन के माध्यम से लागू करने का इरादा है। इस योजना में 15वें वित्त आयोग की अवधि में से लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित घटक शामिल हैं

1. कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण घटक :-

क. पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक (पूर्व में उस्ताद और हमारी धरोहर के रूप में ज्ञात)

ख. गैर-पारंपरिक कौशल संवर्धन उप-घटक (पूर्व में सीखो और कमाओ के रूप में ज्ञात)

2. नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक (पूर्व में नई रोशनी)

3. शिक्षा घटक (पूर्व में नई मंजिल)

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

9. **भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

11. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवीके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवीके का उद्देश्य , चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए अर्थात् चिन्हित जिलों के मुख्यालयों/ ब्लॉकों / कस्बों / गांवों के समूह जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी अधिक है और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं) में विकास की कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्गठित और पुनर्निर्मित किया गया है

12. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल की अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	12583.94	10.87	12594.81	32608.90	17.45	32626.35	21898.90	7.00	21905.90	31742.18	7.20	31749.38
<i>वसूलियां</i>	-4665.92	...	-4665.92	-13526.35	...	-13526.35	-4607.46	...	-4607.46	-5200.00	...	-5200.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>7918.02</b>	<b>10.87</b>	<b>7928.89</b>	<b>19082.55</b>	<b>17.45</b>	<b>19100.00</b>	<b>17291.44</b>	<b>7.00</b>	<b>17298.44</b>	<b>26542.18</b>	<b>7.20</b>	<b>26549.38</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	49.07	2.67	51.74	69.79	5.45	75.24	65.58	2.00	67.58	69.41	2.20	71.61
	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>48.92</i>	<i>2.67</i>	<i>51.59</i>	<i>69.79</i>	<i>5.45</i>	<i>75.24</i>	<i>65.58</i>	<i>2.00</i>	<i>67.58</i>	<i>69.41</i>	<i>2.20</i>	<i>71.61</i>
2. कार्यालय भवन	...	8.20	8.20	...	12.00	12.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>48.92</b>	<b>10.87</b>	<b>59.79</b>	<b>69.79</b>	<b>17.45</b>	<b>87.24</b>	<b>65.58</b>	<b>7.00</b>	<b>72.58</b>	<b>69.41</b>	<b>7.20</b>	<b>76.61</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>सौर ऊर्जा</b>												
3. सौर विद्युत (ऑफ-ग्रिड)	34.42	...	34.42	24.01	...	24.01	12.00	...	12.00	0.01	...	0.01
4. ब्याज भुगतान और बांड्स पर खर्च जारी करना	124.42	...	124.42	124.39	...	124.39	124.35	...	124.35	124.35	...	124.35
5. <i>सौर विद्युत (ग्रिड)</i>												
5.01 कार्यक्रम घटक	3670.65	...	3670.65	10000.35	...	10000.35	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00
5.02 सरकारी हरित निधि में अन्तरण	4000.00	...	4000.00	8500.35	...	8500.35	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00
5.03 सरकारी हरित निधि से राशि पूरी की गई	-2661.48	...	-2661.48	-10000.35	...	-10000.35	-1300.00	...	-1300.00	-1500.00	...	-1500.00
<i>निवल</i>	<i>5009.17</i>	<i>...</i>	<i>5009.17</i>	<i>8500.35</i>	<i>...</i>	<i>8500.35</i>	<i>1300.00</i>	<i>...</i>	<i>1300.00</i>	<i>1500.00</i>	<i>...</i>	<i>1500.00</i>
6. <i>किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)</i>												
6.01 सरकारी हरित निधि में अंतरण	1100.00	...	1100.00	1496.00	...	1496.00	1500.00	...	1500.00	1600.00	...	1600.00
6.02 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई	-1000.58	...	-1000.58	-1996.00	...	-1996.00	-1500.00	...	-1500.00	-1600.00	...	-1600.00
6.03 कार्यक्रम घटक	1000.58	...	1000.58	1996.00	...	1996.00	2525.00	...	2525.00	2600.00	...	2600.00
<i>जोड़- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)</i>	<i>1100.00</i>	<i>...</i>	<i>1100.00</i>	<i>1496.00</i>	<i>...</i>	<i>1496.00</i>	<i>2525.00</i>	<i>...</i>	<i>2525.00</i>	<i>2600.00</i>	<i>...</i>	<i>2600.00</i>
7. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	...	...	...	6250.00	...	6250.00	11100.00	...	11100.00	20000.00	...	20000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकारी हरित निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	707.46	...	707.46	1000.00	...	1000.00
9. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकारी हरित निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-707.46	...	-707.46	-1000.00	...	-1000.00
<b>जोड़-सौर ऊर्जा</b>	<b>6268.01</b>	...	<b>6268.01</b>	<b>16394.75</b>	...	<b>16394.75</b>	<b>15061.35</b>	...	<b>15061.35</b>	<b>24224.36</b>	...	<b>24224.36</b>
<b>पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम</b>												
10. पवन विद्युत (ग्रिड)												
10.01 कार्यक्रम घटक	916.30	...	916.30	930.00	...	930.00	800.00	...	800.00	500.00	...	500.00
10.02 सरकारी हरित निधि में अंतरण	916.30	...	916.30	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	500.00	...	500.00
10.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	-916.30	...	-916.30	-930.00	...	-930.00	-800.00	...	-800.00	-500.00	...	-500.00
<i>निवल</i>	<i>916.30</i>	...	<i>916.30</i>	<i>800.00</i>	...	<i>800.00</i>	<i>800.00</i>	...	<i>800.00</i>	<i>500.00</i>	...	<i>500.00</i>
11. जल विद्युत (ग्रिड)	13.45	...	13.45	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00
12. जल विद्युत (ऑफ-ग्रिड)	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
<b>जोड़-पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम</b>	<b>929.75</b>	...	<b>929.75</b>	<b>851.00</b>	...	<b>851.00</b>	<b>846.00</b>	...	<b>846.00</b>	<b>551.00</b>	...	<b>551.00</b>
<b>भंडारण और पारेषण</b>												
13. हरित ऊर्जा कोरिडोर	413.15	...	413.15	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
<b>हाइड्रोजन मिशन</b>												
14. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन												
14.01 कार्यक्रम घटक	0.11	...	0.11	600.00	...	600.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00
14.02 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई	100.00	...	100.00	600.00	...	600.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00
14.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	-0.11	...	-0.11	-600.00	...	-600.00	-300.00	...	-300.00	-600.00	...	-600.00
<i>निवल</i>	<i>100.00</i>	...	<i>100.00</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>
<b>जैव ऊर्जा कार्यक्रम</b>												
15. जैव विद्युत (ग्रिड)	4.97	...	4.97	80.00	...	80.00	...	...	...	30.00	...	30.00
16. जैव विद्युत (ऑफ- ग्रिड)	20.00	...	20.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00
17. बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ- ग्रिड)	45.54	...	45.54	95.00	...	95.00	60.00	...	60.00	95.00	...	95.00
<b>जोड़-जैव ऊर्जा कार्यक्रम</b>	<b>70.51</b>	...	<b>70.51</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>185.00</b>	...	<b>185.00</b>	<b>325.00</b>	...	<b>325.00</b>
<b>सहायता कार्यक्रम</b>												
18. निगरानी और मूल्यांकन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
19. सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आईएंडपीए)	5.48	...	5.48	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	9.50	...	9.50
20. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	23.65	...	23.65	47.00	...	47.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
21. अंतरराष्ट्रीय संबंध	2.24	...	2.24	4.00	...	4.00	3.01	...	3.01	3.51	...	3.51
22. अनुसंधान और विकास	1.96	...	1.96	46.00	...	46.00	30.00	...	30.00	46.00	...	46.00
<b>जोड़-सहायता कार्यक्रम</b>	<b>33.33</b>	...	<b>33.33</b>	<b>107.01</b>	...	<b>107.01</b>	<b>71.01</b>	...	<b>71.01</b>	<b>99.01</b>	...	<b>99.01</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>7814.75</b>	...	<b>7814.75</b>	<b>18852.76</b>	...	<b>18852.76</b>	<b>17063.36</b>	...	<b>17063.36</b>	<b>26399.37</b>	...	<b>26399.37</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
23. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	12.25	...	12.25	30.50	...	30.50	25.95	...	25.95	31.00	...	31.00
24. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान	11.40	...	11.40	9.50	...	9.50	11.00	...	11.00	14.00	...	14.00
25. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00	25.55	...	25.55	28.40	...	28.40
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>41.65</b>	<b>...</b>	<b>41.65</b>	<b>60.00</b>	<b>...</b>	<b>60.00</b>	<b>62.50</b>	<b>...</b>	<b>62.50</b>	<b>73.40</b>	<b>...</b>	<b>73.40</b>
<b>अन्य</b>												
26. अंतरराष्ट्रीय सौर संघ को सहायता	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	...	...	...
27. अधिभुगतान की वसूली की कटौती	-87.30	...	-87.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>12.70</b>	<b>...</b>	<b>12.70</b>	<b>100.00</b>	<b>...</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>...</b>	<b>100.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>54.35</b>	<b>...</b>	<b>54.35</b>	<b>160.00</b>	<b>...</b>	<b>160.00</b>	<b>162.50</b>	<b>...</b>	<b>162.50</b>	<b>73.40</b>	<b>...</b>	<b>73.40</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>7918.02</b>	<b>10.87</b>	<b>7928.89</b>	<b>19082.55</b>	<b>17.45</b>	<b>19100.00</b>	<b>17291.44</b>	<b>7.00</b>	<b>17298.44</b>	<b>26542.18</b>	<b>7.20</b>	<b>26549.38</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	7869.10	...	7869.10	17553.33	...	17553.33	15533.04	...	15533.04	23846.77	...	23846.77
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	48.92	...	48.92	69.79	...	69.79	65.58	...	65.58	69.41	...	69.41
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.20	8.20	...	12.00	12.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.67	2.67	...	5.45	5.45	...	2.00	2.00	...	2.20	2.20
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>7918.02</b>	<b>10.87</b>	<b>7928.89</b>	<b>17623.12</b>	<b>17.45</b>	<b>17640.57</b>	<b>15598.62</b>	<b>7.00</b>	<b>15605.62</b>	<b>23916.18</b>	<b>7.20</b>	<b>23923.38</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1459.43	...	1459.43	1692.82	...	1692.82	2626.00	...	2626.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1459.43</b>	<b>...</b>	<b>1459.43</b>	<b>1692.82</b>	<b>...</b>	<b>1692.82</b>	<b>2626.00</b>	<b>...</b>	<b>2626.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>7918.02</b>	<b>10.87</b>	<b>7928.89</b>	<b>19082.55</b>	<b>17.45</b>	<b>19100.00</b>	<b>17291.44</b>	<b>7.00</b>	<b>17298.44</b>	<b>26542.18</b>	<b>7.20</b>	<b>26549.38</b>

(₹ करोड़)

	बजट 2025-2026			बजट 2025-2026			बजट 2025-2026			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)	...	35777.35	35777.35	...	30130.06	30130.06	...	31132.58	31132.58	...	34974.99	34974.99

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)			
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		
2. भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)	...	2050.80	2050.80	...	585.00	585.00	...	568.88	568.88	...	485.00	485.00	...	485.00	485.00	
<b>जोड़</b>	...	<b>37828.15</b>	<b>37828.15</b>	...	<b>30715.06</b>	<b>30715.06</b>	...	<b>31701.46</b>	<b>31701.46</b>	...	<b>35459.99</b>	<b>35459.99</b>	...	<b>35459.99</b>	<b>35459.99</b>	

2. **कार्यालय भवन:** यह प्रावधान अटल अक्षय ऊर्जा भवन के कार्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए है।
3. **सौर विद्युत (ऑफ-ग्रिड):** इस आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए भी प्रावधान शामिल है।
6. **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम):** यह प्रावधान भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में सिंचाई और गैर-डीजलीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पीएम-कुसुम योजना के लिए है। इस योजना के तहत, एकल सौर्य पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यकरण हेतु सस्मिडी शामिल है।
7. **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई जिसका लक्ष्य प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्रदान करके एक करोड़ परिवारों का सौर्यकरण करना है।
11. **जल विद्युत (ग्रिड):** अनुकूल पर्यावरण तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकास से संबंधित लघु जल विद्युत परियोजना कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
12. **जल विद्युत (ऑफ-ग्रिड):** अनुकूल पर्यावरण तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकास से संबंधित लघु जल विद्युत परियोजना कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
13. **हरित ऊर्जा कोरिडोर:** केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान का उपयोग अंतःराज्यीय हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत संचयी रूप से 6000 सीकेएम पारेषण अवसंरचना क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।
14. **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** इस प्रावधान का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना तथा स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करना है।
16. **जैव विद्युत (ऑफ- ग्रिड):** वर्ष 2024-25 में ऑफ-ग्रिड/वितरित जैव ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
17. **बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ- ग्रिड):** बैकल्पिक रसोई ईंधन प्रदान करने के लिए बायोगैस संयंत्र लगाना।
21. **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** आवंटन में निवेश संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भवन एवं सचिवालय स्थापना को सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग की परिकल्पना की गई है।

22. **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान और विकास परियोजनाएं सतत प्रकृति की होती हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न आरई क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की जाएगी।
23. **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान:** एनआईडब्ल्यूई पवन ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
24. **राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान:** एनआईबीई जैव ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
25. **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान:** एनआईएसई, सौर ऊर्जा में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 72

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	977.95	2.54	980.49	1161.20	22.44	1183.64	857.56	22.44	880.00	1170.90	14.10	1185.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>977.95</b>	<b>2.54</b>	<b>980.49</b>	<b>1161.20</b>	<b>22.44</b>	<b>1183.64</b>	<b>857.56</b>	<b>22.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1170.90</b>	<b>14.10</b>	<b>1185.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	39.78	1.04	40.82	48.57	1.40	49.97	43.60	1.40	45.00	49.63	1.70	51.33
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. स्वामित्व	52.87	...	52.87	50.46	19.54	70.00	50.46	19.54	70.00	59.10	10.90	70.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)												
3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	885.30	1.50	886.80	1062.17	1.50	1063.67	763.50	1.50	765.00	1062.17	1.50	1063.67
<b>कुल जोड़</b>	<b>977.95</b>	<b>2.54</b>	<b>980.49</b>	<b>1161.20</b>	<b>22.44</b>	<b>1183.64</b>	<b>857.56</b>	<b>22.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1170.90</b>	<b>14.10</b>	<b>1185.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	140.79	...	140.79	223.13	...	223.13	166.96	...	166.96	161.80	...	161.80
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	39.78	...	39.78	48.57	...	48.57	43.60	...	43.60	49.63	...	49.63
3. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.50	1.50	...	21.04	21.04	...	21.04	21.04	...	12.40	12.40
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.04	1.04	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40	...	1.70	1.70
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>180.57</b>	<b>2.54</b>	<b>183.11</b>	<b>271.70</b>	<b>22.44</b>	<b>294.14</b>	<b>210.56</b>	<b>22.44</b>	<b>233.00</b>	<b>211.43</b>	<b>14.10</b>	<b>225.53</b>
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	113.37	...	113.37	90.33	...	90.33	113.37	...	113.37
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	732.38	...	732.38	726.13	...	726.13	491.67	...	491.67	796.10	...	796.10
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>797.38</b>	<b>...</b>	<b>797.38</b>	<b>889.50</b>	<b>...</b>	<b>889.50</b>	<b>647.00</b>	<b>...</b>	<b>647.00</b>	<b>959.47</b>	<b>...</b>	<b>959.47</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>977.95</b>	<b>2.54</b>	<b>980.49</b>	<b>1161.20</b>	<b>22.44</b>	<b>1183.64</b>	<b>857.56</b>	<b>22.44</b>	<b>880.00</b>	<b>1170.90</b>	<b>14.10</b>	<b>1185.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।

2. **स्वामित्व:** स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवादी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति काई जारी करना है। यह क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय आस्तियों के मुद्रीकरण को सक्षम बनाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

3. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):** दिनांक 13.04.2022 को अनुमोदन प्राप्त संशोधित आरजीएसए योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक (XVवें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ) किया जाएगा जिसकी कुल लागत 5,911 करोड़ रुपये है जिसमें 3,700 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश और 2,211 करोड़ रुपये का राज्य अंश शामिल है। यह योजना गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है। योजना के केंद्रीय घटक का पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जाता है। हालांकि, पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र जहां केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 90: 10 है, को छोड़कर राज्यों के घटकों के लिए वित्तपोषण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय अंश 100% है। आरजीएसए की संशोधित योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय (वाइब्रेंट) केंद्रों के रूप में फिर से विचार करने पर होगा, जिसमें सभी स्तरों पर सरकार के पूर्ण सहयोग से केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य के संबंधित विभागों के संगठित एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विषयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष बल दिया जाएगा।

आरजीएसए की संशोधित योजना के केंद्रीय घटक निम्नलिखित हैं (i) ई- पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करना (iii) कार्य अनुसंधान एवं प्रचार और (iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

भारत सरकार ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है जो वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी है। तदनुसार, संशोधित अनुमान 2024-25 में 5.00 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2025-26 में 15.00 करोड़ रुपए के मूल्य का प्रावधान किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 73

संसदीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	52.63	6.07	58.70	59.70	4.30	64.00	58.40	6.36	64.76	59.90	6.66	66.56
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>52.63</b>	<b>6.07</b>	<b>58.70</b>	<b>59.70</b>	<b>4.30</b>	<b>64.00</b>	<b>58.40</b>	<b>6.36</b>	<b>64.76</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	24.06	6.07	30.13	25.30	4.30	29.60	25.95	6.36	32.31	28.61	6.66	35.27
2. राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग	28.57	...	28.57	34.40	...	34.40	32.45	...	32.45	31.29	...	31.29
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>52.63</b>	<b>6.07</b>	<b>58.70</b>	<b>59.70</b>	<b>4.30</b>	<b>64.00</b>	<b>58.40</b>	<b>6.36</b>	<b>64.76</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>52.63</b>	<b>6.07</b>	<b>58.70</b>	<b>59.70</b>	<b>4.30</b>	<b>64.00</b>	<b>58.40</b>	<b>6.36</b>	<b>64.76</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	52.63	...	52.63	59.70	...	59.70	58.40	...	58.40	59.90	...	59.90
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.07	6.07	...	4.30	4.30	...	6.36	6.36	...	6.66	6.66
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>52.63</b>	<b>6.07</b>	<b>58.70</b>	<b>59.70</b>	<b>4.30</b>	<b>64.00</b>	<b>58.40</b>	<b>6.36</b>	<b>64.76</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>52.63</b>	<b>6.07</b>	<b>58.70</b>	<b>59.70</b>	<b>4.30</b>	<b>64.00</b>	<b>58.40</b>	<b>6.36</b>	<b>64.76</b>	<b>59.90</b>	<b>6.66</b>	<b>66.56</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों, पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग:** सभी राज्यों के विधान मंडलों को डिजिटल सदनों में बदलने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन-एनईवीए, एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ताकि इनकी कार्य प्रणाली को पेपरलेस बनाया जा सके।



कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2146.29	212.02	2358.31	2052.63	275.93	2328.56	2298.98	277.17	2576.15	2408.69	247.77	2656.46
वसूलियां	-5.75	...	-5.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	178.15	8.35	186.50	219.28	12.18	231.46	214.47	15.54	230.01	240.61	12.07	252.68
2. संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	863.80	104.19	967.99	867.94	83.52	951.46	935.88	51.05	986.93	1003.14	67.91	1071.05
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	616.76	1.10	617.86	415.97	2.18	418.15	583.02	1.90	584.92	513.15	2.00	515.15
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	132.39	17.06	149.45	134.29	23.43	157.72	143.64	23.02	166.66	149.50	15.12	164.62
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए)	101.37	3.70	105.07	95.62	7.43	103.05	94.97	4.85	99.82	99.56	6.43	105.99
2.05 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी)	34.19	0.93	35.12	37.36	2.08	39.44	37.12	4.39	41.51	40.52	1.97	42.49
2.06 लोकपाल	16.75	45.98	62.73	18.30	15.02	33.32	24.13	43.52	67.65	31.18	13.14	44.32
जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	1765.26	172.96	1938.22	1569.48	133.66	1703.14	1818.76	128.73	1947.49	1837.05	106.57	1943.62
3. अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण	...	0.63	0.63	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1943.41</b>	<b>181.94</b>	<b>2125.35</b>	<b>1788.76</b>	<b>147.84</b>	<b>1936.60</b>	<b>2033.23</b>	<b>145.27</b>	<b>2178.50</b>	<b>2077.66</b>	<b>120.64</b>	<b>2198.30</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. प्रशिक्षण योजनाएं	30.63	17.56	48.19	56.17	64.39	120.56	33.20	106.40	139.60	49.97	68.49	118.46
5. राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम	81.66	5.00	86.66	77.93	8.20	86.13	104.60	5.40	110.00	109.36	0.64	110.00
6. प्रशासनिक सुधार योजना	36.88	...	36.88	80.00	...	80.00	69.90	0.10	70.00	97.00	3.00	100.00
7. पेंशनर्स पोर्टल	3.70	...	3.70	3.50	...	3.50	5.05	...	5.05	...	...	...
8. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक	...	7.52	7.52	...	55.50	55.50	...	20.00	20.00	...	55.00	55.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन												
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>152.87</b>	<b>30.08</b>	<b>182.95</b>	<b>217.60</b>	<b>128.09</b>	<b>345.69</b>	<b>212.75</b>	<b>131.90</b>	<b>344.65</b>	<b>256.33</b>	<b>127.13</b>	<b>383.46</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजी)	42.80	...	42.80	29.07	...	29.07	35.50	...	35.50	51.50	...	51.50
10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय	4.00	...	4.00	14.60	...	14.60	14.90	...	14.90	20.20	...	20.20
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>46.80</b>	<b>...</b>	<b>46.80</b>	<b>43.67</b>	<b>...</b>	<b>43.67</b>	<b>50.40</b>	<b>...</b>	<b>50.40</b>	<b>71.70</b>	<b>...</b>	<b>71.70</b>
<b>अन्य</b>												
11. सूचना का अधिकार (आरटीआई)	3.21	...	3.21	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	3.00	...	3.00
12. वास्तविक वसूलियां	-5.75	...	-5.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-2.54</b>	<b>...</b>	<b>-2.54</b>	<b>2.60</b>	<b>...</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>...</b>	<b>2.60</b>	<b>3.00</b>	<b>...</b>	<b>3.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>44.26</b>	<b>...</b>	<b>44.26</b>	<b>46.27</b>	<b>...</b>	<b>46.27</b>	<b>53.00</b>	<b>...</b>	<b>53.00</b>	<b>74.70</b>	<b>...</b>	<b>74.70</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	132.31	...	132.31	134.29	...	134.29	143.64	...	143.64	149.50	...	149.50
2. लोक सेवा आयोग	616.71	...	616.71	415.97	...	415.97	583.02	...	583.02	513.15	...	513.15
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	179.18	...	179.18	233.88	...	233.88	229.37	...	229.37	260.81	...	260.81
4. पुलिस	862.82	...	862.82	867.94	...	867.94	935.88	...	935.88	1003.14	...	1003.14
5. सतर्कता	16.75	...	16.75	18.30	...	18.30	24.13	...	24.13	31.18	...	31.18
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	332.77	...	332.77	382.25	...	382.25	382.94	...	382.94	450.91	...	450.91
7. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	92.43	92.43	...	55.12	55.12	...	38.72	38.72	...	42.91	42.91
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	91.32	91.32	...	158.38	158.38	...	193.19	193.19	...	141.89	141.89
9. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	24.91	24.91	...	55.09	55.09	...	39.61	39.61	...	56.47	56.47
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.73	2.73	...	5.34	5.34	...	4.65	4.65	...	4.50	4.50
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>2140.54</b>	<b>211.39</b>	<b>2351.93</b>	<b>2052.63</b>	<b>273.93</b>	<b>2326.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>276.17</b>	<b>2575.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>245.77</b>	<b>2654.46</b>
<b>अन्य</b>												
11. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	0.63	0.63	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निम्नलिखित के संबंध में होने वाले व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम एवं विनियम बनाने/ब्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के सभी स्तरों के पदों/ग्रेडों हेतु प्रवेश, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिसे केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों के सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जिसके द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो:** यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए समग्र आधुनिकीकरण एवं कार्यालय/आवास परिसरों की भूमि की खरीद/निर्माण, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.03. **केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न न्यायपीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण संबंधी प्रावधान भी शामिल है।

2.04. **प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए):** इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) एवं प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें बुनियादी (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमों तथा विनियमों, अभिक्षमता आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके जिससे केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आधुनिकीकरण सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।

2.05. **केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी):** यह प्रावधान केन्द्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और निर्माण से संबंधित भारित व्यय के लिए है।

3. **अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति के लिए है।

4. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेश में प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण, एलबीएसएनएए का एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन, आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है।

5. **राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी के लिए है।

6. **प्रशासनिक सुधार योजना:** इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए योजना प्रावधान शामिल हैं। यह योजना सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाओं के लिए है जिसमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहन देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि और लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली भी शामिल है।

7. **पेंशनर्स पोर्टल:** इसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की योजना पेंशनभोगियों के पोर्टल हेतु आवंटन शामिल है।

8. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन:** यह प्रावधान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अन्य संस्थानों के एकीकृत भवन हेतु है।

9. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी):** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को सहायता अनुदान आवंटन भी शामिल है।

10. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केंद्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड तथा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।

11. **सूचना का अधिकार (आरटीआई):** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार के संबंध में निधि का आवंटन।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

सं 75 (विनियोग)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	43.48	1.12	44.60	49.69	1.62	51.31	49.69	1.62	51.31	50.45	1.62	52.07
वसूलियां	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>43.47</b>	<b>1.12</b>	<b>44.59</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>50.45</b>	<b>1.62</b>	<b>52.07</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग	43.48	1.12	44.60	49.69	1.62	51.31	49.69	1.62	51.31	50.45	1.62	52.07
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>43.47</i>	<i>1.12</i>	<i>44.59</i>	<i>49.69</i>	<i>1.62</i>	<i>51.31</i>	<i>49.69</i>	<i>1.62</i>	<i>51.31</i>	<i>50.45</i>	<i>1.62</i>	<i>52.07</i>
<b>कुल जोड़</b>	<b>43.47</b>	<b>1.12</b>	<b>44.59</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>50.45</b>	<b>1.62</b>	<b>52.07</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सतर्कता	43.47	...	43.47	49.69	...	49.69	49.69	...	49.69	50.45	...	50.45
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.12	1.12	...	1.62	1.62	...	1.62	1.62	...	1.62	1.62
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>43.47</b>	<b>1.12</b>	<b>44.59</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>50.45</b>	<b>1.62</b>	<b>52.07</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>43.47</b>	<b>1.12</b>	<b>44.59</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>49.69</b>	<b>1.62</b>	<b>51.31</b>	<b>50.45</b>	<b>1.62</b>	<b>52.07</b>

1. **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** यह प्रावधान केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिवालय व्यय हेतु है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
मांग संख्या 76  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	14287.53	2980.44	17267.97	14801.29	1128.97	15930.26	19126.84	1178.77	20305.61	14379.80	12323.13	26702.93
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	-2100.00	-30.00	-2130.00	-1679.03	-5697.00	-7376.03
<i>प्राप्तियां</i>	...	-2939.67	-2939.67	...	...	...	...	-807.91	-807.91	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>14287.53</b>	<b>40.77</b>	<b>14328.30</b>	<b>14801.29</b>	<b>1128.97</b>	<b>15930.26</b>	<b>17026.84</b>	<b>340.86</b>	<b>17367.70</b>	<b>12700.77</b>	<b>6626.13</b>	<b>19326.90</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	41.90	0.76	42.66	61.29	0.95	62.24	59.08	160.86	219.94	63.49	2.13	65.62
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान	20.31	...	20.31	0.01	...	0.01	25.00	...	25.00	16.36	...	16.36
<b>महत्वपूर्ण तेल भंडार</b>												
3. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण II (कंदराओं का निर्माण)	...	...	...	...	408.00	408.00	...	30.00	30.00	...	100.00	100.00
4. कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5597.00	5597.00
5. महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल भंडार (ओ एंड एम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	152.94	...	152.94	220.04	...	220.04	100.00	...	100.00	179.00	...	179.00
6. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	100.00	30.00	130.00	179.00	5697.00	5876.00
7. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-100.00	-30.00	-130.00	-179.00	-5697.00	-5876.00
<b>जोड़-महत्वपूर्ण तेल भंडार</b>	<b>152.94</b>	<b>...</b>	<b>152.94</b>	<b>220.04</b>	<b>408.00</b>	<b>628.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30.00</b>	<b>130.00</b>	<b>179.00</b>	<b>5697.00</b>	<b>5876.00</b>
<b>तेलशोधक और संरक्षण</b>												
8. प्रधान मंत्री जी-वन योजना	75.75	...	75.75	117.41	...	117.41	30.00	...	30.00	117.41	...	117.41
<b>एलपीजी सप्लाय</b>												
9. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी	1460.00	...	1460.00	1500.00	...	1500.00	500.00	...	500.00	1500.00	...	1500.00
10. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	8500.00	...	8500.00	9094.00	...	9094.00	12700.00	...	12700.00	9100.00	...	9100.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सप्लाय सहित अन्य देय सप्लाय	1633.00	...	1633.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00
12. बीसीपीएल/असम गैस क्रेकर परिसर को फीडस्टॉक सप्लाय	563.00	...	563.00	131.00	...	131.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. परियोजना प्रबंधन व्यय	84.00	...	84.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) को अंतरण	...	...	...	...	...	...	2000.00	...	2000.00	500.03	...	500.03
15. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-2000.00	...	-2000.00	-500.03	...	-500.03
<b>जोड़-एलपीजी सस्मिडी</b>	<b>12240.00</b>	...	<b>12240.00</b>	<b>11925.01</b>	...	<b>11925.01</b>	<b>14700.01</b>	...	<b>14700.01</b>	<b>12100.01</b>	...	<b>12100.01</b>
16. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि. (आईजीजीएल)- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग												
16.01 कार्यक्रम घटक	1043.38	...	1043.38	1000.00	...	1000.00	611.92	...	611.92	700.00	...	700.00
17. नुमाली रिफाईनरी विस्तार परियोजना	475.50	...	475.50	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	24.50	...	24.50
18. तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
19. भारत में वाणिज्यिक पोतों की शुरूआत को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	87.75	...	87.75	387.26	...	387.26	87.75	...	87.75	100.00	...	100.00
20. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन	60.00	...	60.00	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
21. बायोमास संग्रहण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	...	...	...	150.00	...	150.00	20.00	...	20.00	150.00	...	150.00
22. भूमि खरीद हेतु आईएसपीआरएल को भुगतान	...	40.00	40.00	...	0.01	0.01	...	50.00	50.00	...	235.00	235.00
23. सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) लगाने के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास की योजना	...	...	...	497.25	...	497.25	30.00	...	30.00	250.00	...	250.00
24. मिशन अन्वेषण	...	...	...	...	332.00	332.00	...	50.00	50.00	...	592.00	592.00
25. भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ईसीएस) में क्षेत्रों का मूल्यांकन	...	...	...	...	388.00	388.00	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00
<b>एलपीजी सस्मिडी</b>												
26. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
26.01 तेल उद्योग विकास निधि	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00	...	...	...
27. अतिरिक्त राशि को आरक्षित निधि से पूरा करना												
27.01 तेल उद्योग विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
<b>जोड़-एलपीजी सस्मिडी</b>	...	...	...	...	...	...	<b>1000.00</b>	...	<b>1000.00</b>	<b>-1000.00</b>	...	<b>-1000.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>14155.63</b>	<b>40.00</b>	<b>14195.63</b>	<b>14571.99</b>	<b>1128.02</b>	<b>15700.01</b>	<b>16879.68</b>	<b>180.00</b>	<b>17059.68</b>	<b>12637.28</b>	<b>6624.00</b>	<b>19261.28</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
28. भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान	90.00	...	90.00	168.00	...	168.00	88.08	...	88.08	...	...	...
29. पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>90.00</b>	...	<b>90.00</b>	<b>168.01</b>	...	<b>168.01</b>	<b>88.08</b>	...	<b>88.08</b>	...	...	...
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
30. बोनस शेयर जारी करना												
30.01 भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड	...	2840.49	2840.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30.02 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	...	99.19	99.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30.03 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	...	...	...	...	...	...	...	807.91	807.91	...	...	...
30.04 कम प्राप्तियां	...	-2939.67	-2939.67	...	...	...	...	-807.91	-807.91	...	...	...
निवल	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>90.00</b>	<b>0.01</b>	<b>90.01</b>	<b>168.01</b>	<b>...</b>	<b>168.01</b>	<b>88.08</b>	<b>...</b>	<b>88.08</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>14287.53</b>	<b>40.77</b>	<b>14328.30</b>	<b>14801.29</b>	<b>1128.97</b>	<b>15930.26</b>	<b>17026.84</b>	<b>340.86</b>	<b>17367.70</b>	<b>12700.77</b>	<b>6626.13</b>	<b>19326.90</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. पेट्रोलियम	14137.57	...	14137.57	14352.73	...	14352.73	16855.01	...	16855.01	12520.92	...	12520.92
2. उद्योग	87.75	...	87.75	387.26	...	387.26	87.75	...	87.75	100.00	...	100.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	41.90	...	41.90	61.29	...	61.29	59.08	...	59.08	63.49	...	63.49
4. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	...	40.01	40.01	...	1128.02	1128.02	...	180.00	180.00	...	6624.00	6624.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.76	0.76	...	0.95	0.95	...	160.86	160.86	...	2.13	2.13
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>14267.22</b>	<b>40.77</b>	<b>14307.99</b>	<b>14801.28</b>	<b>1128.97</b>	<b>15930.25</b>	<b>17001.84</b>	<b>340.86</b>	<b>17342.70</b>	<b>12684.41</b>	<b>6626.13</b>	<b>19310.54</b>
<b>अन्य</b>												
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.31	...	20.31	0.01	...	0.01	25.00	...	25.00	16.36	...	16.36
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>20.31</b>	<b>...</b>	<b>20.31</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>25.00</b>	<b>...</b>	<b>25.00</b>	<b>16.36</b>	<b>...</b>	<b>16.36</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>14287.53</b>	<b>40.77</b>	<b>14328.30</b>	<b>14801.29</b>	<b>1128.97</b>	<b>15930.26</b>	<b>17026.84</b>	<b>340.86</b>	<b>17367.70</b>	<b>12700.77</b>	<b>6626.13</b>	<b>19326.90</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>अन्वेषण और उत्पादन</b>												
1. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	...	37494.17	37494.17	...	30800.00	30800.00	...	34725.00	34725.00	...	34900.00	34900.00
2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	7698.55	7698.55	...	4886.00	4886.00	...	6193.00	6193.00	...	5706.00	5706.00
3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	1325.00	1325.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
4. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	250.66	250.66	...	236.48	236.48	...	156.07	156.07	...	270.81	270.81
5. ऑयल इंडिया लिमिटेड	...	5906.92	5906.92	...	6880.00	6880.00	...	6880.00	6880.00	...	7860.00	7860.00
6. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड	...	3259.00	3259.00	...	5580.01	5580.01	...	5147.00	5147.00	...	5590.00	5590.00
<b>जोड़-अन्वेषण और उत्पादन</b>	<b>...</b>	<b>55934.30</b>	<b>55934.30</b>	<b>...</b>	<b>50382.49</b>	<b>50382.49</b>	<b>...</b>	<b>55101.07</b>	<b>55101.07</b>	<b>...</b>	<b>56326.81</b>	<b>56326.81</b>
<b>तेल शोधक और विपणन क्षेत्र</b>												
7. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	36563.09	36563.09	...	27374.04	27374.04	...	31821.05	31821.05	...	32054.60	32054.60
8. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	12643.79	12643.79	...	10770.00	10770.00	...	10770.00	10770.00	...	10005.00	10005.00
9. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	10360.74	10360.74	...	9000.00	9000.00	...	9000.00	9000.00	...	13000.00	13000.00

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
10. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	611.15	611.15	...	501.00	501.00	...	501.00	501.00	...	303.00	303.00
11. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	475.50	8025.39	8500.89	275.00	8711.00	8986.00	275.00	9375.00	9650.00	24.50	9109.85	9134.35
12. मंगलौर रिफायनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	...	1599.52	1599.52	...	820.00	820.00	...	820.00	820.00	...	827.00	827.00
<b>जोड़-तेल शोधक और विपणन क्षेत्र</b>	<b>475.50</b>	<b>69803.68</b>	<b>70279.18</b>	<b>275.00</b>	<b>57176.04</b>	<b>57451.04</b>	<b>275.00</b>	<b>62287.05</b>	<b>62562.05</b>	<b>24.50</b>	<b>65299.45</b>	<b>65323.95</b>
<b>पेट्रोसायन क्षेत्र</b>												
13. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	5422.00	5422.00	...	3298.94	3298.94	...	3846.22	3846.22	...	2968.44	2968.44
14. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	3727.00	3727.00	...	3158.00	3158.00	...	3814.00	3814.00	...	2671.00	2671.00
15. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	16.31	16.31	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	3500.00	3500.00
16. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	1768.00	1768.00	...	1730.00	1730.00	...	1730.00	1730.00	...	1495.00	1495.00
17. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	...	...	...	...	664.00	664.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-पेट्रोसायन क्षेत्र</b>	<b>...</b>	<b>10933.31</b>	<b>10933.31</b>	<b>...</b>	<b>10850.94</b>	<b>10850.94</b>	<b>...</b>	<b>11390.22</b>	<b>11390.22</b>	<b>...</b>	<b>10634.44</b>	<b>10634.44</b>
<b>अभियांत्रिकी क्षेत्र</b>												
18. वामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	...	58.57	58.57	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
19. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	...	132.15	132.15	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
<b>जोड़-अभियांत्रिकी क्षेत्र</b>	<b>...</b>	<b>190.72</b>	<b>190.72</b>	<b>...</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>...</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>...</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
<b>पूंजी निक्षेप</b>												
20. तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
21. इण्डियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	...	...	...	628.04	...	628.04	180.00	...	180.00	5932.00	...	5932.00
<b>जोड़-पूंजी निक्षेप</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>628.05</b>	<b>...</b>	<b>628.05</b>	<b>180.00</b>	<b>...</b>	<b>180.00</b>	<b>5932.00</b>	<b>...</b>	<b>5932.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>475.50</b>	<b>136862.01</b>	<b>137337.51</b>	<b>903.05</b>	<b>118499.47</b>	<b>119402.52</b>	<b>455.00</b>	<b>128868.34</b>	<b>129323.34</b>	<b>5956.50</b>	<b>132350.70</b>	<b>138307.20</b>

टिप्पणी: बजट अनुमान 2025-26 में मांग हेतु कुल निवल आवंटन 20,326.90 करोड़ रुपये (19,326.90 करोड़ रुपये प्लस 1,000 करोड़ रुपये) है। अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी योजना के वित्तपोषण हेतु तेल उद्योग विकास निधि के शेष से पूरे किए जाने का प्रावधान है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान:** यह प्रावधान कच्चे तेल पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार दरों और अधिसूचित रॉयल्टी के बीच के अंतर का संबंधित राज्य सरकारों को ब्लॉक के लिए भुगतान करने के लिए है।

3. **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण II (कंदराओं का निर्माण):** चरण II के अंतर्गत स्थानों पर 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता वाली कंदराओं का निर्माण करना।

4. **कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान:** भारत की तेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में भूमिगत रॉक कंदराओं में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता के महत्वपूर्ण कच्चा तेल भंडार का निर्माण किया गया है। कंदराओं को कच्चे तेल से भरने का प्रावधान है।

5. **महत्वपूर्ण कूड ऑयल भंडार (ओ एंड एम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में कंदराओं के प्रचालन और रखरखाव की लागत।

8. **प्रधान मंत्री जी-वन योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना लियो-सेलूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक पर आधारित एकीकृत बायोएथेनोल परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।



9. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को एलपीजी नकद सस्मिडी के सीधे अंतरण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भुगतान करना।
10. **गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन:** यह गरीब परिवारों को मिट्टी के तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गोबर, फसलों के अवशेषों, आदि जैसे जीवाश्म ईंधनों से एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों को सहायता प्रदान करने की योजना है। बीपीएल परिवारों को नये कनेक्शन प्रदान करते समय, विशेष रूप से देश के पूर्वी भागों वाले सुविधारहित राज्यों और क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी।
11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सस्मिडी सहित अन्य देय सस्मिडी:** यह प्रावधान पिछले वर्षों/योजनाओं की बकाया राशि (माल दुलाई सस्मिडी और पीडीएस के लिए एलपीजी तथा मिट्टी के तेल पर सस्मिडी), और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु सस्मिडी के संबंध में तेल कंपनियों को भुगतान इत्यादि के लिए किया गया है।
13. **परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटी) एलपीजी योजना के तहत नकद सस्मिडी के सीधे अंतरण के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए ओएमसी को भुगतान करना।
16. **इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि. (आईजीजीएल)- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग:** यह योजना एक नई परियोजना है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2020-21 में की गई थी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर, परियोजना को व्यवहार्यता अंतराल निधियन (बीजीएफ) अंशदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है।
- 26.01. **तेल उद्योग विकास निधि:** संशोधित अनुमान 2024-25 में तेल उद्योग विकास निधि में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये के अंतरण का प्रावधान है।
- 27.01. **तेल उद्योग विकास निधि:** बजट अनुमान 2025-26 में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये एलपीजी सस्मिडी योजना के वित्तपोषण हेतु तेल उद्योग विकास निधि के शेष से पूरे किए जाने का प्रावधान है।

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 77

योजना मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	284.83	5.99	290.82	818.30	18.96	837.26	978.39	22.63	1001.02	972.35	33.71	1006.06
वसूलियां	-2.92	...	-2.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>281.91</b>	<b>5.99</b>	<b>287.90</b>	<b>818.30</b>	<b>18.96</b>	<b>837.26</b>	<b>978.39</b>	<b>22.63</b>	<b>1001.02</b>	<b>972.35</b>	<b>33.71</b>	<b>1006.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	137.00	5.86	142.86	185.71	7.88	193.59	197.64	8.09	205.73	179.05	13.70	192.75
2. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	15.36	...	15.36	...	0.37	0.37	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>152.36</b>	<b>5.86</b>	<b>158.22</b>	<b>185.71</b>	<b>8.25</b>	<b>193.96</b>	<b>197.64</b>	<b>8.09</b>	<b>205.73</b>	<b>179.05</b>	<b>13.70</b>	<b>192.75</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम)	96.70	0.13	96.83	144.30	10.70	155.00	94.82	14.53	109.35	380.00	20.00	400.00
4. चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें	2.55	...	2.55	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
5. सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक)	...	...	...	433.00	...	433.00	208.55	...	208.55	0.01	...	0.01
6. राज्य सहायता मिशन	21.58	...	21.58	39.99	0.01	40.00	43.69	0.01	43.70	44.99	0.01	45.00
7. आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एबीपी)	...	...	...	...	...	...	412.00	...	412.00	353.00	...	353.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>120.83</b>	<b>0.13</b>	<b>120.96</b>	<b>621.29</b>	<b>10.71</b>	<b>632.00</b>	<b>763.06</b>	<b>14.54</b>	<b>777.60</b>	<b>782.00</b>	<b>20.01</b>	<b>802.01</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30	17.69	...	17.69	11.30	...	11.30
<b>अन्य</b>												
9. वास्तविक वसूलियां	-2.58	...	-2.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>8.72</b>	<b>...</b>	<b>8.72</b>	<b>11.30</b>	<b>...</b>	<b>11.30</b>	<b>17.69</b>	<b>...</b>	<b>17.69</b>	<b>11.30</b>	<b>...</b>	<b>11.30</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>281.91</b>	<b>5.99</b>	<b>287.90</b>	<b>818.30</b>	<b>18.96</b>	<b>837.26</b>	<b>978.39</b>	<b>22.63</b>	<b>1001.02</b>	<b>972.35</b>	<b>33.71</b>	<b>1006.06</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	137.00	...	137.00	185.71	...	185.71	197.64	...	197.64	179.05	...	179.05
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	144.91	...	144.91	632.59	...	632.59	780.75	...	780.75	793.30	...	793.30
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.99	5.99	...	18.96	18.96	...	22.63	22.63	...	33.71	33.71
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>281.91</b>	<b>5.99</b>	<b>287.90</b>	<b>818.30</b>	<b>18.96</b>	<b>837.26</b>	<b>978.39</b>	<b>22.63</b>	<b>1001.02</b>	<b>972.35</b>	<b>33.71</b>	<b>1006.06</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>281.91</b>	<b>5.99</b>	<b>287.90</b>	<b>818.30</b>	<b>18.96</b>	<b>837.26</b>	<b>978.39</b>	<b>22.63</b>	<b>1001.02</b>	<b>972.35</b>	<b>33.71</b>	<b>1006.06</b>

1. **सचिवालय:** इसमें नीति आयोग सहित मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय:** इसमें विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के व्यय का प्रावधान है।

3. **स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच है जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया गया है और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का उपयोग करता है। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम शामिल होंगे।

4. **चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें:** इस प्रावधान का उद्देश्य नीति आयोग को विचारों के आदान-प्रदान का समर्थन करने और नए विचारों को बढ़ावा देने के अलावा बाहरी पेशेवर/विशेषज्ञ एजेंसियों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य करने में सक्षम बनाना है। 'नीति आयोग की अनुसंधान योजना, 2021' का उद्देश्य नीति आयोग के अधिदेश के अनुसार विभिन्न डोमेन में ऐसे शोध अध्ययनों में सहायता करना है।

5. **सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी षटक):** आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को मुक्त निधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है।

6. **राज्य सहायता मिशन:** राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) - नीति आयोग की व्यापक अम्बेला पहल है, जिसका प्रयोजन साझा विज्ञान 2047 के परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों के साथ जारी अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग आईआईटी या आईआईएम जैसे अग्रणी ज्ञान संस्थानों, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और नागरिक समुदायों के समन्वय से इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य परिवर्तन संस्थान स्थापित करने में सहायता कर रहा है जो राज्यों में विकास संबंधी कार्यनीतियों की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है।

7. **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एवीपी):** आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एवीपी) मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के अपेक्षाकृत दुर्गम और कम विकसित 500 आकांक्षी ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है।

8. **राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) को सहायता का प्रावधान करता है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1540.33	1249.44	2789.77	1749.56	1202.93	2952.49	1966.15	1432.39	3398.54	2184.23	1851.35	4035.58
<i>वसूलियां</i>	-32.42	-100.81	-133.23	...	-125.00	-125.00	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-90.00
<i>प्राप्तियां</i>	-425.91	...	-425.91	-450.00	...	-450.00	-450.00	...	-450.00	-475.00	...	-475.00
<b>निवल</b>	<b>1082.00</b>	<b>1148.63</b>	<b>2230.63</b>	<b>1299.56</b>	<b>1077.93</b>	<b>2377.49</b>	<b>1516.15</b>	<b>1342.39</b>	<b>2858.54</b>	<b>1709.23</b>	<b>1761.35</b>	<b>3470.58</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	61.15	2.84	63.99	77.33	2.17	79.50	77.87	4.44	82.31	77.39	2.54	79.93
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>61.12</b>	<b>2.84</b>	<b>63.96</b>	<b>77.33</b>	<b>2.17</b>	<b>79.50</b>	<b>77.87</b>	<b>4.44</b>	<b>82.31</b>	<b>77.39</b>	<b>2.54</b>	<b>79.93</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>पत्तनों का विकास</b>												
3. अनुसंधान एवं विकास (पत्तन)	0.71	...	0.71	1.51	...	1.51	1.88	...	1.88	0.71	...	0.71
<b>सागरमाला</b>												
4. सागरमाला												
4.01 सागरमाला योजनाएं और परियोजनाएं	368.04	33.02	401.06	660.00	40.00	700.00	669.00	40.00	709.00	810.00	56.00	866.00
4.02 सागरमाला विकास कंपनी	...	90.00	90.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़- सागरमाला</i>	<i>368.04</i>	<i>123.02</i>	<i>491.06</i>	<i>660.00</i>	<i>40.00</i>	<i>700.00</i>	<i>669.00</i>	<i>40.00</i>	<i>709.00</i>	<i>810.00</i>	<i>56.00</i>	<i>866.00</i>
<b>पत्तन और पोत निर्माण</b>												
5. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	99.12	...	99.12	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00	365.00	...	365.00
<b>अंतर्देशीय जल परिवहन</b>												
6. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>467.87</b>	<b>123.02</b>	<b>590.89</b>	<b>766.51</b>	<b>40.00</b>	<b>806.51</b>	<b>825.88</b>	<b>40.00</b>	<b>865.88</b>	<b>1190.71</b>	<b>56.00</b>	<b>1246.71</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	9.00	...	9.00	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	11.00	...	11.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	87.85	...	87.85	98.54	...	98.54	99.54	...	99.54	100.62	...	100.62
9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता	269.61	...	269.61	...	...	...	145.00	...	145.00	0.01	...	0.01
10. छोटे बंदरगाहों का विकास	68.76	...	68.76	70.00	...	70.00	72.83	...	72.83	80.00	...	80.00
11. भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण												
11.01 निवेश	...	1010.50	1010.50	...	1010.00	1010.00	...	1113.61	1113.61	...	1675.81	1675.81
11.02 ईवीआर के अंतर्गत व्याज	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़- भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण	76.50	1010.50	1087.00	76.50	1010.00	1086.50	76.50	1113.61	1190.11	76.50	1675.81	1752.31
12. चैनई पत्तन प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	...	146.72	146.72	...	...	...
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>511.72</b>	<b>1010.50</b>	<b>1522.22</b>	<b>254.54</b>	<b>1010.00</b>	<b>1264.54</b>	<b>403.37</b>	<b>1260.33</b>	<b>1663.70</b>	<b>268.13</b>	<b>1675.81</b>	<b>1943.94</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
13. भारतीय पोत परिवहन निगम	2.00	...	2.00	15.00	...	15.00	34.71	...	34.71	...	...	...
<b>अन्य</b>												
14. पोत परिवहन महानिदेशालय	124.16	13.19	137.35	186.18	25.76	211.94	174.32	37.62	211.94	173.00	27.00	200.00
15. दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय												
15.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	373.43	99.89	473.32	450.00	125.00	575.00	450.00	90.00	540.00	475.00	90.00	565.00
15.02 वसूलियां	...	-100.81	-100.81	...	-125.00	-125.00	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-90.00
15.03 प्राप्तियां	-425.91	...	-425.91	-450.00	...	-450.00	-450.00	...	-450.00	-475.00	...	-475.00
निवल	-52.48	-0.92	-53.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. वास्तविक वसूलियां	-32.39	...	-32.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>39.29</b>	<b>12.27</b>	<b>51.56</b>	<b>186.18</b>	<b>25.76</b>	<b>211.94</b>	<b>174.32</b>	<b>37.62</b>	<b>211.94</b>	<b>173.00</b>	<b>27.00</b>	<b>200.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>553.01</b>	<b>1022.77</b>	<b>1575.78</b>	<b>455.72</b>	<b>1035.76</b>	<b>1491.48</b>	<b>612.40</b>	<b>1297.95</b>	<b>1910.35</b>	<b>441.13</b>	<b>1702.81</b>	<b>2143.94</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1082.00</b>	<b>1148.63</b>	<b>2230.63</b>	<b>1299.56</b>	<b>1077.93</b>	<b>2377.49</b>	<b>1516.15</b>	<b>1342.39</b>	<b>2858.54</b>	<b>1709.23</b>	<b>1761.35</b>	<b>3470.58</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	99.12	...	99.12	104.00	...	104.00	154.00	...	154.00	370.00	...	370.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	636.23	...	636.23	741.01	...	741.01	898.21	...	898.21	901.72	...	901.72
3. पोत परिवहन	213.87	...	213.87	299.72	...	299.72	308.57	...	308.57	273.62	...	273.62
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	61.12	...	61.12	73.33	...	73.33	73.87	...	73.87	72.39	...	72.39
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	...	122.10	122.10	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	56.00	56.00
7. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	13.19	13.19	...	25.76	25.76	...	37.62	37.62	...	27.00	27.00
8. अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1010.50	1010.50	...	690.00	690.00	...	707.61	707.61	...	1254.81	1254.81
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.84	2.84	...	2.17	2.17	...	4.44	4.44	...	2.54	2.54
10. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	146.72	146.72	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1086.84</b>	<b>1148.63</b>	<b>2235.47</b>	<b>1294.56</b>	<b>757.93</b>	<b>2052.49</b>	<b>1511.15</b>	<b>936.39</b>	<b>2447.54</b>	<b>1694.23</b>	<b>1340.35</b>	<b>3034.58</b>
<b>अन्य</b>												
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	15.00	...	15.00
12. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-4.84	...	-4.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	320.00	320.00	...	406.00	406.00	...	421.00	421.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-4.84</b>	<b>...</b>	<b>-4.84</b>	<b>5.00</b>	<b>320.00</b>	<b>325.00</b>	<b>5.00</b>	<b>406.00</b>	<b>411.00</b>	<b>15.00</b>	<b>421.00</b>	<b>436.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1082.00</b>	<b>1148.63</b>	<b>2230.63</b>	<b>1299.56</b>	<b>1077.93</b>	<b>2377.49</b>	<b>1516.15</b>	<b>1342.39</b>	<b>2858.54</b>	<b>1709.23</b>	<b>1761.35</b>	<b>3470.58</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>ऋण सहकारी समितियों को उधार</b>												
1. कोचीन पत्तन न्यास	...	14.02	14.02	...	77.55	77.55	...	14.62	14.62	...	29.56	29.56
2. पाराद्वीप पत्तन न्यास	...	190.83	190.83	...	250.35	250.35	...	700.36	700.36	...	866.16	866.16
3. वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास	...	65.13	65.13	...	185.51	185.51	...	644.65	644.65	...	337.02	337.02
4. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	...	769.32	769.32	...	2034.68	2034.68	...	3659.19	3659.19	...	2005.15	2005.15
5. नव मंगलोर पत्तन न्यास	...	22.81	22.81	...	40.92	40.92	...	165.84	165.84	...	184.58	184.58
6. चेन्नई पत्तन न्यास	...	78.12	78.12	...	162.37	162.37	146.72	56.94	203.66	...	178.38	178.38
7. मुम्बई पत्तन न्यास	...	253.29	253.29	...	203.29	203.29	...	409.24	409.24	...	204.26	204.26
8. दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला	...	719.43	719.43	...	1018.42	1018.42	...	884.81	884.81	...	830.57	830.57
9. मोरमुगाव पत्तन न्यास	...	115.05	115.05	...	64.67	64.67	...	293.68	293.68	...	46.74	46.74
10. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	...	279.25	279.25	...	150.00	150.00	...	285.00	285.00	...	730.00	730.00
11. कामराजर पत्तन न्यास	...	327.39	327.39	...	325.00	325.00	...	475.00	475.00	...	460.00	460.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	1010.50	...	1010.50	1010.00	...	1010.00	1113.61	...	1113.61	1675.81	...	1675.81
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	561.58	561.58	...	355.00	355.00	...	355.00	355.00	...	275.00	275.00
14. भारतीय पोत परिवहन निगम	...	517.39	517.39	...	213.00	213.00	...	213.00	213.00	...	213.00	213.00
15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता	...	182.77	182.77	...	137.31	137.31	...	339.93	339.93	...	751.76	751.76
16. सागरमाला विकास कंपनी	90.00	...	90.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. भारतीय पोत परिवहन निगम भूमि और आस्ति लिमिटेड	...	7.72	7.72	...	...	...	...	11.28	11.28	...	11.28	11.28
<b>जोड़-ऋण सहकारी समितियों को उधार</b>	<b>1100.50</b>	<b>4104.10</b>	<b>5204.60</b>	<b>1010.00</b>	<b>5218.07</b>	<b>6228.07</b>	<b>1260.33</b>	<b>8508.54</b>	<b>9768.87</b>	<b>1675.81</b>	<b>7123.46</b>	<b>8799.27</b>
<b>जोड़</b>	<b>1100.50</b>	<b>4104.10</b>	<b>5204.60</b>	<b>1010.00</b>	<b>5218.07</b>	<b>6228.07</b>	<b>1260.33</b>	<b>8508.54</b>	<b>9768.87</b>	<b>1675.81</b>	<b>7123.46</b>	<b>8799.27</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय हेतु है।
3. **अनुसंधान एवं विकास (पत्तन):** यह प्रावधान पोत प्रावधान के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजनाओं पर व्यय के लिए है।
4. **सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही के संवर्धन हेतु अवसंरचना संबंधी सहायता, अनूठी नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित इन परियोजनाओं से अवसंरचना के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जुटने, मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का हिस्सा दोगुना होने, लॉजिस्टिक लागत में बचत होने, माल निर्यात को बढ़ावा मिलने और नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसमें छोटे बंदरगाहों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
5. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं हेतु सहायता अनुदान देने के लिए है। इसमें सभी भारतीय शिपयार्डों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
6. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई की परियोजनाओं के लिए है।
7. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये अनुदान बड़े पत्तनों आदि के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना के लिए हैं।
8. **भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय:** इसमें इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) को वेतन सहायता अनुदान शामिल है। इसमें आईएमयू की अवसंरचना के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल है।
9. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता:** यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग हेतु सन्डिडी के भुगतान के लिए है।
10. **छोटे बंदरगाहों का विकास:** इसमें अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए सहायता शामिल है, जो इस मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
11. **भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण:** यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) का गठन अक्टूबर, 1986 में पोत परिवहन और नेविगेशन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। आईडब्ल्यूआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) की अवसंरचना के विकास और विनियमन का कार्य करता है। एनडब्ल्यू में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रावधान में जेएमवीपी के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कमीशनिंग सहित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की ईएपी परियोजनाओं पर व्यय शामिल है। इसमें : (i) एमएमटी, वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नए नेविगेशन लॉक का निर्माण; (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण; (v) वाराणसी-गाजीपुर के बीच 2.2 मीटर, गाजीपुर-बार्थ के बीच 2.5 मीटर और बार्थ-हल्दिया

के बीच 3.0 मीटर की सुनिश्चित गहराई; (vi) रो-रो टर्मिनलों का विकास; (vii) आरआईएस और डीजीपीएस सहित सूचना और संचार सुविधाएं; और अन्य सहायक घटक शामिल हैं।

12. **चेन्नई पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई पोर्ट से मदुराबोयल तक नई फोरलेन एलिवेटेड लिंक रोड हेतु एलए और आर एंड आर गतिविधियों के संबंध में चेन्नई पोत प्राधिकरण को 146.72 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए है।
13. **भारतीय पोत परिवहन निगम:** यह प्रावधान भारत और अन्य देशों के बीच समुद्र द्वारा कार्गो और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
14. **पोत परिवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान पोत परिवहन महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्य पोत परिवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। निदेशालय नाविकों के कल्याण संबंधी कार्यों की देखरेख भी कर रहा है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी सहित समुद्री आपात कोष और डीजी शिपिंग ऑनलाइन परीक्षा व्यय के संचालन के लिए भी है।
15. **दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन, सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नेविगेशन सहायता प्रदान करता है, जैसे कि प्रकाश जलयान, ध्वनि संकेत, बाँय, रेडियो बीकन इत्यादि। यह दीपस्तंभ के निर्माण और रखरखाव तथा जहाजों के मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। पूंजीगत प्रावधान दीपस्तंभों के निर्माण और अन्य नेविगेशन सहायता प्रदान करने के लिए है। यह भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए प्रकाश शुल्क से पूरा किया जाता है। यह व्यय वसूली और प्राप्तियों से किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय  
मांग संख्या 79  
विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	17704.41	1944.17	19648.58	20700.50	1086.50	21787.00	20003.45	2644.85	22648.30	22388.67	658.41	23047.08
<b>वसूलियां</b>	-1502.72	...	-1502.72	-1285.00	...	-1285.00	-1285.00	...	-1285.00	-1200.08	...	-1200.08
<b>प्राप्तियां</b>	...	-1819.25	-1819.25	...	...	...	...	-1518.30	-1518.30	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>16201.69</b>	<b>124.92</b>	<b>16326.61</b>	<b>19415.50</b>	<b>1086.50</b>	<b>20502.00</b>	<b>18718.45</b>	<b>1126.55</b>	<b>19845.00</b>	<b>21188.59</b>	<b>658.41</b>	<b>21847.00</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	58.02	4.00	62.02	69.14	4.18	73.32	67.13	11.65	78.78	72.64	6.03	78.67
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>57.98</i>	<i>4.00</i>	<i>61.98</i>	<i>69.14</i>	<i>4.18</i>	<i>73.32</i>	<i>67.13</i>	<i>11.65</i>	<i>78.78</i>	<i>72.64</i>	<i>6.03</i>	<i>78.67</i>
2. सांविधिक प्राधिकरण												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	124.21	1.92	126.13	150.26	2.64	152.90	148.09	2.75	150.84	152.89	2.16	155.05
	-0.05	...	-0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>124.16</i>	<i>1.92</i>	<i>126.08</i>	<i>150.26</i>	<i>2.64</i>	<i>152.90</i>	<i>148.09</i>	<i>2.75</i>	<i>150.84</i>	<i>152.89</i>	<i>2.16</i>	<i>155.05</i>
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	11.77	...	11.77	14.75	...	14.75	10.35	...	10.35	15.50	...	15.50
2.03 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	2.33	...	2.33	3.94	...	3.94	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
2.04 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	33.23	...	33.23	42.00	0.75	42.75	33.60	0.40	34.00	49.00	1.00	50.00
2.05 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	108.47	...	108.47	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	100.00	...	100.00
2.06 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-207.05	...	-207.05	-85.00	...	-85.00	-85.00	...	-85.00	-100.00	...	-100.00
<i>निवल</i>	<i>72.91</i>	<i>1.92</i>	<i>74.83</i>	<i>210.95</i>	<i>3.39</i>	<i>214.34</i>	<i>193.54</i>	<i>3.15</i>	<i>196.69</i>	<i>220.39</i>	<i>3.16</i>	<i>223.55</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>130.89</b>	<b>5.92</b>	<b>136.81</b>	<b>280.09</b>	<b>7.57</b>	<b>287.66</b>	<b>260.67</b>	<b>14.80</b>	<b>275.47</b>	<b>293.03</b>	<b>9.19</b>	<b>302.22</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता</b>												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	30.40	...	30.40	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00	44.35	...	44.35



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण</b>												
4. विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण												
4.01 स्मार्ट ग्रिड	6.08	...	6.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	...	...	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	453.71	...	453.71	500.00	...	500.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00
4.04 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार, (कार्यक्रम घटक)	203.66	...	203.66	600.00	...	600.00	218.27	...	218.27	304.67	...	304.67
4.05 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार (ईएपी घटक)	171.74	...	171.74	0.01	...	0.01	181.73	...	181.73	295.33	...	295.33
4.06 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढीकरण	1110.67	...	1110.67	1315.01	...	1315.01	1214.66	...	1214.66	0.01	...	0.01
<b>जोड़- विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण</b>	<b>1945.86</b>	<b>...</b>	<b>1945.86</b>	<b>2415.02</b>	<b>1.00</b>	<b>2416.02</b>	<b>1814.66</b>	<b>0.01</b>	<b>1814.67</b>	<b>850.01</b>	<b>0.01</b>	<b>850.02</b>
<b>पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड</b>												
5. विद्युत प्रणाली विकास निधि												
5.01 विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) में अंतरण	1000.00	...	1000.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1100.08	...	1100.08
5.02 विद्युत प्रणाली विकास स्कीम	464.94	...	464.94	747.38	...	747.38	730.80	...	730.80	647.46	...	647.46
5.03 ऋण पर ब्याज का भुगतान	539.49	...	539.49	452.62	...	452.62	469.20	...	469.20	452.62	...	452.62
5.04 घटाएं- विद्युत प्रणाली विकास निधि से प्राप्त राशि	-1000.00	...	-1000.00	-1200.00	...	-1200.00	-1200.00	...	-1200.00	-1100.08	...	-1100.08
<i>निवल</i>	<i>1004.43</i>	<i>...</i>	<i>1004.43</i>	<i>1200.00</i>	<i>...</i>	<i>1200.00</i>	<i>1200.00</i>	<i>...</i>	<i>1200.00</i>	<i>1100.08</i>	<i>...</i>	<i>1100.08</i>
6. सुधार आधारित वितरण स्कीम												
6.01 सुधार आधारित वितरण योजना	10064.05	...	10064.05	12585.00	...	12585.00	12665.00	...	12665.00	16021.00	...	16021.00
	-295.58	...	-295.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>9768.47</i>	<i>...</i>	<i>9768.47</i>	<i>12585.00</i>	<i>...</i>	<i>12585.00</i>	<i>12665.00</i>	<i>...</i>	<i>12665.00</i>	<i>16021.00</i>	<i>...</i>	<i>16021.00</i>
7. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए योजना	31.56	...	31.56	40.00	...	40.00	37.00	...	37.00	40.00	...	40.00
8. बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन	...	...	...	96.00	...	96.00	46.00	...	46.00	200.00	...	200.00
9. ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	72.00	...	72.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>12780.72</b>	<b>...</b>	<b>12780.72</b>	<b>16361.02</b>	<b>1.00</b>	<b>16362.02</b>	<b>15797.66</b>	<b>0.01</b>	<b>15797.67</b>	<b>18327.44</b>	<b>0.01</b>	<b>18327.45</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
10.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	143.95	...	143.95	180.00	...	180.00	140.00	...	140.00	80.00	...	80.00
10.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	22.94	...	22.94	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान</b>	<b>166.89</b>	<b>...</b>	<b>166.89</b>	<b>230.00</b>	<b>...</b>	<b>230.00</b>	<b>165.00</b>	<b>...</b>	<b>165.00</b>	<b>130.00</b>	<b>...</b>	<b>130.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
11. सीपीएसयू को सहायता												
11.01 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	604.22	...	604.22	...	568.68	568.68	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00
11.02 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
11.03 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1945.56	...	1945.56	1943.59	...	1943.59	1943.59	...	1943.59	1943.59	...	1943.59
11.04 एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	36.12	...	36.12	80.40	...	80.40	52.12	...	52.12	80.12	...	80.12
11.05 सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत के लिए अनुदान	56.98	...	56.98	51.98	...	51.98	40.00	...	40.00	13.00	...	13.00
<b>जोड़- सीपीएसयू को सहायता</b>	<b>3019.27</b>	<b>...</b>	<b>3019.27</b>	<b>2452.37</b>	<b>568.68</b>	<b>3021.05</b>	<b>2412.11</b>	<b>568.68</b>	<b>2980.79</b>	<b>2413.11</b>	<b>300.00</b>	<b>2713.11</b>
12. बोनस शेयर जारी करना												
12.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	...	957.72	957.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	861.53	861.53	...	...	...	...	1148.72	1148.72	...	...	...
12.03 विद्युत वित्त निगम (पीएफसी)	...	...	...	...	...	...	...	369.58	369.58	...	...	...
12.04 विविध पूंजीगत प्राप्ति	...	-1819.25	-1819.25	...	...	...	...	-1518.30	-1518.30	...	...	...
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>3019.27</b>	<b>...</b>	<b>3019.27</b>	<b>2452.37</b>	<b>568.68</b>	<b>3021.05</b>	<b>2412.11</b>	<b>568.68</b>	<b>2980.79</b>	<b>2413.11</b>	<b>300.00</b>	<b>2713.11</b>
<b>अन्य</b>												
13. एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	2.72	...	2.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. सड़कों/पुलों आदि जैसी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता	...	10.00	10.00	...	60.00	60.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
16. बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	...	109.00	109.00	...	449.25	449.25	...	493.06	493.06	...	299.20	299.20
17. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	20.36	...	20.36	12.01	...	12.01	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
18. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	16.84	...	16.84	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	20.00	...	20.00
19. पीएमआरपी (जे एंड के) के लिए अतिरिक्त निधि	64.00	...	64.00	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
20. इक्रिटी सहभागिता हेतु सहायता - पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>103.92</b>	<b>119.00</b>	<b>222.92</b>	<b>92.02</b>	<b>509.25</b>	<b>601.27</b>	<b>83.01</b>	<b>543.06</b>	<b>626.07</b>	<b>25.01</b>	<b>349.21</b>	<b>374.22</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>3290.08</b>	<b>119.00</b>	<b>3409.08</b>	<b>2774.39</b>	<b>1077.93</b>	<b>3852.32</b>	<b>2660.12</b>	<b>1111.74</b>	<b>3771.86</b>	<b>2568.12</b>	<b>649.21</b>	<b>3217.33</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>16201.69</b>	<b>124.92</b>	<b>16326.61</b>	<b>19415.50</b>	<b>1086.50</b>	<b>20502.00</b>	<b>18718.45</b>	<b>1126.55</b>	<b>19845.00</b>	<b>21188.59</b>	<b>658.41</b>	<b>21847.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. विद्युत	16143.71	...	16143.71	16173.34	...	16173.34	16000.66	...	16000.66	18960.95	...	18960.95
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	57.98	...	57.98	69.14	...	69.14	67.13	...	67.13	72.64	...	72.64
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	124.92	124.92	...	517.82	517.82	...	557.87	557.87	...	358.40	358.40
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	568.68	568.68	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>16201.69</b>	<b>124.92</b>	<b>16326.61</b>	<b>16242.48</b>	<b>1086.50</b>	<b>17328.98</b>	<b>16067.79</b>	<b>1126.55</b>	<b>17194.34</b>	<b>19033.59</b>	<b>658.40</b>	<b>19691.99</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	3173.02	...	3173.02	2650.66	...	2650.66	2155.00	...	2155.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>3173.02</b>	<b>...</b>	<b>3173.02</b>	<b>2650.66</b>	<b>...</b>	<b>2650.66</b>	<b>2155.00</b>	<b>0.01</b>	<b>2155.01</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>16201.69</b>	<b>124.92</b>	<b>16326.61</b>	<b>19415.50</b>	<b>1086.50</b>	<b>20502.00</b>	<b>18718.45</b>	<b>1126.55</b>	<b>19845.00</b>	<b>21188.59</b>	<b>658.41</b>	<b>21847.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
<b>पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>																		
1. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	157.22	157.22	...	30.00	30.00	...	298.00	298.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
<b>जोड़-पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>157.22</b>	<b>157.22</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	<b>...</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>...</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>...</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>																		
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	7370.90	7370.90	...	11193.19	11193.19	...	10394.00	10394.00	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00
<b>जोड़-नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>7370.90</b>	<b>7370.90</b>	<b>...</b>	<b>11193.19</b>	<b>11193.19</b>	<b>...</b>	<b>10394.00</b>	<b>10394.00</b>	<b>...</b>	<b>13000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>...</b>	<b>13000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>...</b>	<b>13000.00</b>	<b>13000.00</b>
<b>दामोदर घाटी निगम लिमिटेड</b>																		
3. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	2370.95	2370.95	...	3262.00	3262.00	...	3116.30	3116.30	...	3394.83	3394.83	...	3394.83	3394.83	...	3394.83	3394.83
<b>जोड़-दामोदर घाटी निगम लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>2370.95</b>	<b>2370.95</b>	<b>...</b>	<b>3262.00</b>	<b>3262.00</b>	<b>...</b>	<b>3116.30</b>	<b>3116.30</b>	<b>...</b>	<b>3394.83</b>	<b>3394.83</b>	<b>...</b>	<b>3394.83</b>	<b>3394.83</b>	<b>...</b>	<b>3394.83</b>	<b>3394.83</b>
<b>पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>																		
4. पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	...	1133.77	1133.77	...	1841.18	1841.18	...	1387.00	1387.00	...	2600.00	2600.00	...	2600.00	2600.00	...	2600.00	2600.00
<b>जोड़-पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>1133.77</b>	<b>1133.77</b>	<b>...</b>	<b>1841.18</b>	<b>1841.18</b>	<b>...</b>	<b>1387.00</b>	<b>1387.00</b>	<b>...</b>	<b>2600.00</b>	<b>2600.00</b>	<b>...</b>	<b>2600.00</b>	<b>2600.00</b>	<b>...</b>	<b>2600.00</b>	<b>2600.00</b>
<b>सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड</b>																		
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	7581.53	7581.53	...	12000.00	12000.00	...	7000.00	7000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	12000.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>जोड़-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड</b>	...	<b>7581.53</b>	<b>7581.53</b>	...	<b>12000.00</b>	<b>12000.00</b>	...	<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>	...	<b>12000.00</b>	<b>12000.00</b>
<i>टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>												
6. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	5168.68	5168.68	...	3440.96	3440.96	...	5814.35	5814.35	...	3543.65	3543.65
<b>जोड़-टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>	...	<b>5168.68</b>	<b>5168.68</b>	...	<b>3440.96</b>	<b>3440.96</b>	...	<b>5814.35</b>	<b>5814.35</b>	...	<b>3543.65</b>	<b>3543.65</b>
<i>पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</i>												
7. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	11219.00	11219.00	...	12250.00	12250.00	...	20000.00	20000.00	...	25000.00	25000.00
<b>जोड़-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</b>	...	<b>11219.00</b>	<b>11219.00</b>	...	<b>12250.00</b>	<b>12250.00</b>	...	<b>20000.00</b>	<b>20000.00</b>	...	<b>25000.00</b>	<b>25000.00</b>
<i>नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</i>												
8. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	19443.53	19443.53	...	22700.00	22700.00	...	22700.00	22700.00	...	26000.00	26000.00
<b>जोड़-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड</b>	...	<b>19443.53</b>	<b>19443.53</b>	...	<b>22700.00</b>	<b>22700.00</b>	...	<b>22700.00</b>	<b>22700.00</b>	...	<b>26000.00</b>	<b>26000.00</b>
<i>चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड</i>												
9. चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	604.22	...	604.22	568.68	...	568.68	568.68	...	568.68	300.00	...	300.00
<b>जोड़-चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड</b>	<b>604.22</b>	...	<b>604.22</b>	<b>568.68</b>	...	<b>568.68</b>	<b>568.68</b>	...	<b>568.68</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>604.22</b>	<b>54445.58</b>	<b>55049.80</b>	<b>568.68</b>	<b>66717.33</b>	<b>67286.01</b>	<b>568.68</b>	<b>70709.65</b>	<b>71278.33</b>	<b>300.00</b>	<b>85838.48</b>	<b>86138.48</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विद्युत मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए किया जाता है।

रासेट-आईबी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और विद्युत मंत्रालय के आवंटन को वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में भी रखा गया है।

2.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा संबंधी जर्नरों, ग्रिड मानकों और देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने गोवा एवं दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का बहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना की है।

2.04. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्र सरकार ने विद्युत अपील अधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की

सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, एपीटीईएल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपील अधिकरण है।

2.05. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि:** सीईआरसी पूर्ववर्ती विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है) के अंतर्गत कार्य करता है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक से अधिक राज्यों में दर्ज हों या इनके पास बिजली का उत्पादन और बिक्री की समग्र योजना हो, ट्रांसमिशन युटिलिटीज के टैरिफ सहित बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन को विनियमित करना, अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन और व्यापक हेतु लाइसेंस प्रदान करना तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग (i) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता लाने, (ii) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (iii) नेशनल मिशन फॉर इन्वैस्ट एनर्जी एफिसिएंसी (एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (iv) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने वाले प्रयासों को बढ़ाने (v) प्रचालन, परियोजना प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मान देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादन स्टेशनों, ट्रांसमिशन और वितरण सेवा केंद्रों और ग्रामीण वितरण प्रैक्टाइजी को शीलड और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किया जाता है।

4.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

4.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सस्मिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी योजना (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की जा रही है।

4.04. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार, (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और नागालैंड में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाती है। इन संवेदनशील सीमाओं वाले राज्यों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अलग कर दिया गया है।

4.06. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्रांसमिशन, सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक व्यापक योजना की परिकल्पना की गई है।

5. **विद्युत प्रणाली विकास निधि:** इस स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं ट्रांसमिशन अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत खरीदकर डिस्कॉम के लिए सस्मिडी के प्रावधान (गैस घटक) की परिकल्पना की गई है।

6. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 सवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के मिश्रण के रूप में संवितरण उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना में संवितरण कंपनियों के सार्वजनिक निजी स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्तर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिरूपों के अंगीकरण समेत सुधार पैकेजों को अपनाने के मामले में डिस्कॉम को मदद करने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने जनजातीय आबादी के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) नामक योजना शुरू की है। तदनुसार, सुधार संबद्ध वितरण योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के कारगर कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024-25 में 150 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2025-26 में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों और गांवों के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आकांक्षी ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करना है। तदनुसार, सुधार से जुड़ी वितरण योजना के तहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024-25 में 4.23 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का समर्पित प्रावधान किया गया है।

7. **भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना:** घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और लेवलिंग उपकरणों, कृषि या नगर पालिकाओं, एमएमई और बड़े उद्योगों में मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्रों में

विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन, औद्योगिक उप-क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास की प्रक्रिया, एसडीए, डिस्कॉम आदि की क्षमता निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सीईई) को निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

8. **बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन:** पंप भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास संबंधी योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से व्यवहारिक ग्रिड-स्केल, लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास तथा ऊर्जा भंडारण सेवाओं की नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन करना है।

9. **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता):** विद्युत संभालने उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाने संबंधी सहायता के लिए एक ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण योजना तैयार की है। यह योजना एमएसएमई को वित्तीय लिखतों के माध्यम से ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों/उपायों के साथ अपग्रेड करने और निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यान्वयन की निगरानी और जांच करने में उन्हें संभालने की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है।

10.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु, विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और विद्युत उपकरण एवं घटकों की जांच के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

10.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

11.01. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इसमें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी के लिए सहायता दी गई है।

11.02. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** इस आवंटन की आवश्यकता व्यय और बांडों के निर्गम, विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा जुटाए गए अवसंरचना बांडों पर देय ब्याज के लिए है।

11.03. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ईबीआर के ब्याज के भुगतान के लिए 4000 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए 15000 करोड़ रुपए जुटाए गए।

11.04. **एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में अवाई के वितरण के लिए है।

11.05. **सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य पर व्यय। दिनांक 24.09.2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है।

15. **सड़कों/पुलों आदि जैसी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता:** हाइड्रो परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए आवंटन।
16. **बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं पर बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज हेतु सहायता के लिए आवंटन।
17. **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की तरफ से मुकदमे एवं विवाद के बचाव के लिए भारत कोरिया सीईपीए एवं भारत कोरिया बीआईटी के तहत विधि फर्म को भुगतान।
18. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना 3 विभिन्न राज्यों में विद्युत् एवं नवीकरणीय उपकरणों हेतु स्थापित किए जाने वाले 3 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए है। इन जोनों में विनिर्माण सुविधाएं, अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी, जो विद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु आवश्यक उपकरणों, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्चे माल, महत्वपूर्ण पुरजों आदि पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

सं 80 (विनियोग)

राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	90.16	4.09	94.25	108.09	36.09	144.18	118.30	15.31	133.61	125.63	16.20	141.83
<i>वसूलियां</i>	-0.78	...	-0.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>89.38</b>	<b>4.09</b>	<b>93.47</b>	<b>108.09</b>	<b>36.09</b>	<b>144.18</b>	<b>118.30</b>	<b>15.31</b>	<b>133.61</b>	<b>125.63</b>	<b>16.20</b>	<b>141.83</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. राष्ट्रपति	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
2. सचिवालय	52.31	2.68	54.99	69.93	20.94	90.87	76.06	11.16	87.22	82.25	11.05	93.30
3. अन्य व्यय	37.25	1.41	38.66	37.56	15.15	52.71	41.64	4.15	45.79	42.78	5.15	47.93
4. वास्तविक वसूलियां	-0.78	...	-0.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>89.38</b>	<b>4.09</b>	<b>93.47</b>	<b>108.09</b>	<b>36.09</b>	<b>144.18</b>	<b>118.30</b>	<b>15.31</b>	<b>133.61</b>	<b>125.63</b>	<b>16.20</b>	<b>141.83</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>89.38</b>	<b>4.09</b>	<b>93.47</b>	<b>108.09</b>	<b>36.09</b>	<b>144.18</b>	<b>118.30</b>	<b>15.31</b>	<b>133.61</b>	<b>125.63</b>	<b>16.20</b>	<b>141.83</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	89.38	...	89.38	108.09	...	108.09	118.30	...	118.30	125.63	...	125.63
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.09	4.09	...	36.09	36.09	...	15.31	15.31	...	16.20	16.20
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>89.38</b>	<b>4.09</b>	<b>93.47</b>	<b>108.09</b>	<b>36.09</b>	<b>144.18</b>	<b>118.30</b>	<b>15.31</b>	<b>133.61</b>	<b>125.63</b>	<b>16.20</b>	<b>141.83</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>89.38</b>	<b>4.09</b>	<b>93.47</b>	<b>108.09</b>	<b>36.09</b>	<b>144.18</b>	<b>118.30</b>	<b>15.31</b>	<b>133.61</b>	<b>125.63</b>	<b>16.20</b>	<b>141.83</b>

1. **राष्ट्रपति:** मांग संख्या 80 एसएचएपी - एमएच 2012 राजस्व अनुभाग के तहत - भारत के माननीय राष्ट्रपति के संबंध में वेतन और भत्ते प्रदान करता है

2. **सचिवालय:** मांग संख्या 80 एसएचएपी - 1. एमएच 2012 के तहत राजस्व अनुभाग - राष्ट्रपति सचिवालय के संबंध में स्थापना और संबद्ध खर्चों का प्रावधान करता है। इसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय के लिए अनुदान सहायता शामिल है। 2. इसमें 01 - राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित एमएच 4075 के तहत पूंजीगत खंड का प्रावधान भी शामिल है।

3. **अन्य व्यय:** मांग संख्या 80 एसएचएपी - 1. एमएच 2012 के तहत राजस्व अनुभाग - कर्मचारियों के वेतन सहित माननीय राष्ट्रपति की घरेलू स्थापना पर व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय राष्ट्रपति का विवेकाधीन अनुदान शामिल है। 2. इसमें 02 - राष्ट्रपति की घरेलू स्थापना से संबंधित एमएच 4075 के तहत पूंजीगत खंड का प्रावधान भी शामिल है।



राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 81

लोक सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	691.55	20.10	711.65	782.77	79.23	862.00	813.46	41.89	855.35	878.10	24.90	903.00
वसूलियां	-0.87	...	-0.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>690.68</b>	<b>20.10</b>	<b>710.78</b>	<b>782.77</b>	<b>79.23</b>	<b>862.00</b>	<b>813.46</b>	<b>41.89</b>	<b>855.35</b>	<b>878.10</b>	<b>24.90</b>	<b>903.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	0.37	...	0.37	1.56	...	1.56	1.56	...	1.56	1.56	...	1.56
2. सदस्य	243.73	...	243.73	293.57	...	293.57	291.11	...	291.11	338.79	...	338.79
3. सचिवालय	445.10	20.10	465.20	484.43	79.23	563.66	516.11	41.89	558.00	533.91	24.90	558.81
4. सचिवालय (चीफ व्हीप)	0.32	...	0.32	0.34	...	0.34	0.34	...	0.34	0.34	...	0.34
5. अन्य व्यय	2.03	...	2.03	2.87	...	2.87	4.34	...	4.34	3.50	...	3.50
6. वास्तविक वसूलियां	-0.87	...	-0.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>690.68</b>	<b>20.10</b>	<b>710.78</b>	<b>782.77</b>	<b>79.23</b>	<b>862.00</b>	<b>813.46</b>	<b>41.89</b>	<b>855.35</b>	<b>878.10</b>	<b>24.90</b>	<b>903.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>690.68</b>	<b>20.10</b>	<b>710.78</b>	<b>782.77</b>	<b>79.23</b>	<b>862.00</b>	<b>813.46</b>	<b>41.89</b>	<b>855.35</b>	<b>878.10</b>	<b>24.90</b>	<b>903.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	690.68	...	690.68	782.77	...	782.77	813.46	...	813.46	878.10	...	878.10
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	20.10	20.10	...	79.23	79.23	...	41.89	41.89	...	24.90	24.90
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>690.68</b>	<b>20.10</b>	<b>710.78</b>	<b>782.77</b>	<b>79.23</b>	<b>862.00</b>	<b>813.46</b>	<b>41.89</b>	<b>855.35</b>	<b>878.10</b>	<b>24.90</b>	<b>903.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>690.68</b>	<b>20.10</b>	<b>710.78</b>	<b>782.77</b>	<b>79.23</b>	<b>862.00</b>	<b>813.46</b>	<b>41.89</b>	<b>855.35</b>	<b>878.10</b>	<b>24.90</b>	<b>903.00</b>

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों, अन्य सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।

3. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद टीवी से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय के लिए है।
4. **सचिवालय (चीफ व्हीप):** यह प्रावधान चीफ व्हीप के सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्तों के लिए है।
5. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 82

राज्य सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	392.04	9.64	401.68	425.74	15.68	441.42	401.89	15.00	416.89	400.89	13.00	413.89
वसूलियां	-0.24	...	-0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>391.80</b>	<b>9.64</b>	<b>401.44</b>	<b>425.74</b>	<b>15.68</b>	<b>441.42</b>	<b>401.89</b>	<b>15.00</b>	<b>416.89</b>	<b>400.89</b>	<b>13.00</b>	<b>413.89</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सभापति तथा उपसभापति	1.70	...	1.70	2.63	...	2.63	2.51	...	2.51	2.52	...	2.52
2. विपक्ष के नेता और सचिवालय	2.46	...	2.46	3.24	...	3.24	2.94	...	2.94	3.00	...	3.00
3. सदस्य	108.22	...	108.22	107.99	...	107.99	102.20	...	102.20	98.84	...	98.84
4. सचिवालय	278.45	9.64	288.09	310.49	15.68	326.17	292.82	15.00	307.82	295.00	13.00	308.00
5. मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेता, उप-नेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय	0.07	...	0.07	0.14	...	0.14	0.27	...	0.27	0.38	...	0.38
6. अन्य व्यय	1.14	...	1.14	1.25	...	1.25	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15
7. वास्तविक वसूलियां	-0.24	...	-0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>391.80</b>	<b>9.64</b>	<b>401.44</b>	<b>425.74</b>	<b>15.68</b>	<b>441.42</b>	<b>401.89</b>	<b>15.00</b>	<b>416.89</b>	<b>400.89</b>	<b>13.00</b>	<b>413.89</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>391.80</b>	<b>9.64</b>	<b>401.44</b>	<b>425.74</b>	<b>15.68</b>	<b>441.42</b>	<b>401.89</b>	<b>15.00</b>	<b>416.89</b>	<b>400.89</b>	<b>13.00</b>	<b>413.89</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	391.80	...	391.80	425.74	...	425.74	401.89	...	401.89	400.89	...	400.89
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.64	9.64	...	15.68	15.68	...	15.00	15.00	...	13.00	13.00
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>391.80</b>	<b>9.64</b>	<b>401.44</b>	<b>425.74</b>	<b>15.68</b>	<b>441.42</b>	<b>401.89</b>	<b>15.00</b>	<b>416.89</b>	<b>400.89</b>	<b>13.00</b>	<b>413.89</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>391.80</b>	<b>9.64</b>	<b>401.44</b>	<b>425.74</b>	<b>15.68</b>	<b>441.42</b>	<b>401.89</b>	<b>15.00</b>	<b>416.89</b>	<b>400.89</b>	<b>13.00</b>	<b>413.89</b>

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय में सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
2. **विपक्ष के नेता और सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों, उनकी सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था शामिल है।
4. **सचिवालय:** इस प्रावधान में राज्य सभा सचिवालय, राज्य सभा और वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए है। अन्य व्यय में स्थापना प्रभार (कैंटीन), आकस्मिक व्यय, किराया, दरों एवं करों, पेशेवर के शुल्क के भुगतान, मजदूरी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय जैसी स्थापना संबंधी ज़रूरतों पर व्यय शामिल है।
5. **मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेता, उप-नेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय:** यह प्रावधान मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं, उप-नेताओं एवं चीफ व्हीप को सचिवालय सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए निजी सचिवों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।
6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय और पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 83

उप-राष्ट्रपति सचिवालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	8.91	0.30	9.21	11.30	0.31	11.61	12.68	0.31	12.99	12.11	0.31	12.42
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>8.91</b>	<b>0.30</b>	<b>9.21</b>	<b>11.30</b>	<b>0.31</b>	<b>11.61</b>	<b>12.68</b>	<b>0.31</b>	<b>12.99</b>	<b>12.11</b>	<b>0.31</b>	<b>12.42</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	8.84	0.30	9.14	11.22	0.31	11.53	12.61	0.31	12.92	12.04	0.31	12.35
2. अन्य	0.07	...	0.07	0.08	...	0.08	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>8.91</b>	<b>0.30</b>	<b>9.21</b>	<b>11.30</b>	<b>0.31</b>	<b>11.61</b>	<b>12.68</b>	<b>0.31</b>	<b>12.99</b>	<b>12.11</b>	<b>0.31</b>	<b>12.42</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>8.91</b>	<b>0.30</b>	<b>9.21</b>	<b>11.30</b>	<b>0.31</b>	<b>11.61</b>	<b>12.68</b>	<b>0.31</b>	<b>12.99</b>	<b>12.11</b>	<b>0.31</b>	<b>12.42</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	8.91	...	8.91	11.30	...	11.30	12.68	...	12.68	12.11	...	12.11
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.30	0.30	...	0.31	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31	0.31
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>8.91</b>	<b>0.30</b>	<b>9.21</b>	<b>11.30</b>	<b>0.31</b>	<b>11.61</b>	<b>12.68</b>	<b>0.31</b>	<b>12.99</b>	<b>12.11</b>	<b>0.31</b>	<b>12.42</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>8.91</b>	<b>0.30</b>	<b>9.21</b>	<b>11.30</b>	<b>0.31</b>	<b>11.61</b>	<b>12.68</b>	<b>0.31</b>	<b>12.99</b>	<b>12.11</b>	<b>0.31</b>	<b>12.42</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और उपराष्ट्रपति के आकस्मिक व्यय की व्यवस्था के लिए है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं. 82 से प्रदान किया जाता है।

2. **अन्य:** यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान पर व्यय के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

सं 84 (विनियोग)

संघ लोक सेवा आयोग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	404.65	16.83	421.48	404.17	21.54	425.71	406.08	21.54	427.62	414.12	21.64	435.76
वसूलियां	-0.37	...	-0.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>404.28</b>	<b>16.83</b>	<b>421.11</b>	<b>404.17</b>	<b>21.54</b>	<b>425.71</b>	<b>406.08</b>	<b>21.54</b>	<b>427.62</b>	<b>414.12</b>	<b>21.64</b>	<b>435.76</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. प्रशासनिक व्यय	178.94	16.83	195.77	187.45	21.54	208.99	195.40	21.54	216.94	202.62	21.64	224.26
2. परीक्षा एवं चयन	225.34	...	225.34	216.72	...	216.72	210.68	...	210.68	211.50	...	211.50
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>404.28</b>	<b>16.83</b>	<b>421.11</b>	<b>404.17</b>	<b>21.54</b>	<b>425.71</b>	<b>406.08</b>	<b>21.54</b>	<b>427.62</b>	<b>414.12</b>	<b>21.64</b>	<b>435.76</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>404.28</b>	<b>16.83</b>	<b>421.11</b>	<b>404.17</b>	<b>21.54</b>	<b>425.71</b>	<b>406.08</b>	<b>21.54</b>	<b>427.62</b>	<b>414.12</b>	<b>21.64</b>	<b>435.76</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. लोक सेवा आयोग	404.28	...	404.28	404.17	...	404.17	406.08	...	406.08	414.12	...	414.12
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	16.83	16.83	...	21.54	21.54	...	21.54	21.54	...	21.64	21.64
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>404.28</b>	<b>16.83</b>	<b>421.11</b>	<b>404.17</b>	<b>21.54</b>	<b>425.71</b>	<b>406.08</b>	<b>21.54</b>	<b>427.62</b>	<b>414.12</b>	<b>21.64</b>	<b>435.76</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>404.28</b>	<b>16.83</b>	<b>421.11</b>	<b>404.17</b>	<b>21.54</b>	<b>425.71</b>	<b>406.08</b>	<b>21.54</b>	<b>427.62</b>	<b>414.12</b>	<b>21.64</b>	<b>435.76</b>

1. **प्रशासनिक व्यय:** यह प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्थापना के वेतन एवं भत्तों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च के लिए है।

2. **परीक्षा एवं चयन:** यह प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं और चयन के संबंध में हुए व्यय के लिए है।

रेल मंत्रालय  
मांग संख्या 85  
रेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	321856.37	411703.45	733559.82	350495.01	439323.54	789818.55	351067.12	436765.38	787832.50	376033.19	444277.56	820310.75
<i>वसूलियां</i>	-62550.28	-169054.99	-231605.27	-68602.01	-187323.54	-255925.55	-68719.31	-184388.08	-253107.39	-70488.01	-192277.56	-262765.57
<i>प्राप्तियां</i>	-256093.42	-69.83	-256163.25	-278500.00	...	-278500.00	-279000.00	-377.30	-279377.30	-302100.00	...	-302100.00
<b>निवल</b>	<b>3212.67</b>	<b>242578.63</b>	<b>245791.30</b>	<b>3393.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>255393.00</b>	<b>3347.81</b>	<b>252000.00</b>	<b>255347.81</b>	<b>3445.18</b>	<b>252000.00</b>	<b>255445.18</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. कार्य संचालन व्यय												
1.01 कर्मचारी लागत	108809.28	...	108809.28	117592.36	...	117592.36	116615.56	...	116615.56	127975.36	...	127975.36
1.02 कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)	1625.79	...	1625.79	2209.18	...	2209.18	2129.34	...	2129.34	2334.50	...	2334.50
1.03 घटाइए-प्राप्तियां	...	...	...	-2700.00	...	-2700.00	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>110435.07</i>	...	<i>110435.07</i>	<i>117101.54</i>	...	<i>117101.54</i>	<i>118744.90</i>	...	<i>118744.90</i>	<i>130309.86</i>	...	<i>130309.86</i>
2. अन्य सामान्य कार्य संचालन व्यय												
2.01 कर्षण हेतु डीजल	15171.91	...	15171.91	10817.34	...	10817.34	11878.17	...	11878.17	9528.53	...	9528.53
2.02 कर्षण हेतु बिजली	20118.80	...	20118.80	23744.94	...	23744.94	21124.31	...	21124.31	24707.17	...	24707.17
2.03 मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सामग्री	13045.44	...	13045.44	12725.76	...	12725.76	12626.66	...	12626.66	10371.33	...	10371.33
2.04 संविदागत भुगतान	10566.77	...	10566.77	11167.29	...	11167.29	12408.78	...	12408.78	13586.35	...	13586.35
2.05 भारतीय रेल वित्त निगम इत्यादि को पट्टे/किराए के लिए देय प्रभार	16944.13	...	16944.13	21806.47	...	21806.47	25340.33	...	25340.33	31432.50	...	31432.50
2.06 अंतररेलवे वित्तीय समायोजन (नामे/जमा का अंतरण)	1351.28	...	1351.28	1113.00	...	1113.00	1542.23	...	1542.23	1542.20	...	1542.20
2.07 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए बिजली	2005.41	...	2005.41	2035.14	...	2035.14	2080.38	...	2080.38	2173.73	...	2173.73
2.08 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए ईंधन	1632.98	...	1632.98	1681.54	...	1681.54	1738.53	...	1738.53	1849.99	...	1849.99
2.09 वस्तु एवं सेवा कर आदि	1170.45	...	1170.45	1236.08	...	1236.08	1246.01	...	1246.01	1319.81	...	1319.81
2.10 सुरक्षा- सरकारी रेलवे पुलिस इत्यादि	1726.02	...	1726.02	1577.45	...	1577.45	1695.24	...	1695.24	1947.04	...	1947.04
2.11 प्रतिपूर्ति दावे तथा कर्मकार प्रतिपूर्ति दावा	607.33	...	607.33	870.94	...	870.94	831.62	...	831.62	784.10	...	784.10
2.12 खान-पान	522.99	...	522.99	590.13	...	590.13	849.17	...	849.17	892.17	...	892.17
2.13 वार्षिक रख-रखाव संविदा/ स्पैक्ट्रम शुल्क इत्यादि	368.53	...	368.53	470.18	...	470.18	441.36	...	441.36	478.03	...	478.03
2.14 विविध व्यय	1779.15	...	1779.15	1564.21	...	1564.21	2571.62	...	2571.62	2421.20	...	2421.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.15 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	800.00	...	800.00	1000.00	...	1000.00	800.00	...	800.00	1500.00	...	1500.00
2.16 पेंशन निधि में विनियोग	59100.00	...	59100.00	67100.00	...	67100.00	65100.00	...	65100.00	67344.00	...	67344.00
2.17 पेंशन पर व्यय	58037.76	...	58037.76	65000.00	...	65000.00	64000.00	...	64000.00	66000.00	...	66000.00
2.18 कोविड से संबंधित ऋणों का पुनः भुगतान	...	...	...	...	...	...	1358.69	...	1358.69	1358.69	...	1358.69
2.19 पेंशन निधि से प्राप्त राशि को कम करना	-58037.76	...	-58037.76	-65000.00	...	-65000.00	-64000.00	...	-64000.00	-66000.00	...	-66000.00
2.20 घटाइए-वसूलियां	-4512.52	...	-4512.52	-3602.01	...	-3602.01	-4719.31	...	-4719.31	-4488.01	...	-4488.01
<i>निवल</i>	<i>142398.67</i>	<i>...</i>	<i>142398.67</i>	<i>155898.46</i>	<i>...</i>	<i>155898.46</i>	<i>158913.79</i>	<i>...</i>	<i>158913.79</i>	<i>168748.83</i>	<i>...</i>	<i>168748.83</i>
<b>3. अधिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग</b>												
3.01 विकास निधि में विनियोग	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	421.31	...	421.31	1041.31	...	1041.31
3.02 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए विनियोजन	1759.68	...	1759.68	1800.00	...	1800.00	920.00	...	920.00	2000.00	...	2000.00
3.03 घटाइए-प्राप्तियां	...	...	...	-2800.00	...	-2800.00	...	...	...	...	...	...
3.04 पूंजीगत निधि में विनियोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़- अधिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग</i>	<i>3259.68</i>	<i>...</i>	<i>3259.68</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>1341.31</i>	<i>...</i>	<i>1341.31</i>	<i>3041.31</i>	<i>...</i>	<i>3041.31</i>
<b>4. रेलवे राजस्व प्राप्तियां</b>												
4.01 यात्री	-70693.33	...	-70693.33	-80000.00	...	-80000.00	-80000.00	...	-80000.00	-92800.00	...	-92800.00
4.02 अन्य कोचिंग	-6727.25	...	-6727.25	-7500.00	...	-7500.00	-7500.00	...	-7500.00	-8500.00	...	-8500.00
4.03 माल	-168199.62	...	-168199.62	-174500.00	...	-174500.00	-180000.00	...	-180000.00	-188000.00	...	-188000.00
4.04 फुटकर	-9652.44	...	-9652.44	-10500.00	...	-10500.00	-11000.00	...	-11000.00	-12000.00	...	-12000.00
4.05 उच्चत	...	...	...	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00
4.06 अन्य विविध प्राप्तियां	-820.78	...	-820.78	-400.00	...	-400.00	-400.00	...	-400.00	-700.00	...	-700.00
<i>जोड़</i>	<i>-256093.42</i>	<i>...</i>	<i>-256093.42</i>	<i>-273000.00</i>	<i>...</i>	<i>-273000.00</i>	<i>-279000.00</i>	<i>...</i>	<i>-279000.00</i>	<i>-302100.00</i>	<i>...</i>	<i>-302100.00</i>
<b>5. सामान्य राजस्व से बजट सहायता</b>												
5.01 रणनीतिक लाईनों के प्रचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	2491.84	...	2491.84	2648.00	...	2648.00	2602.81	...	2602.81	2739.18	...	2739.18
5.02 2018-19 में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु लिए गए बाजार ऋण की अदायगी (व्याज घटक)	720.83	...	720.83	745.00	...	745.00	745.00	...	745.00	706.00	...	706.00
<i>जोड़- सामान्य राजस्व से बजट सहायता</i>	<i>3212.67</i>	<i>...</i>	<i>3212.67</i>	<i>3393.00</i>	<i>...</i>	<i>3393.00</i>	<i>3347.81</i>	<i>...</i>	<i>3347.81</i>	<i>3445.18</i>	<i>...</i>	<i>3445.18</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>3212.67</b>	<b>...</b>	<b>3212.67</b>	<b>3393.00</b>	<b>...</b>	<b>3393.00</b>	<b>3347.81</b>	<b>...</b>	<b>3347.81</b>	<b>3445.18</b>	<b>...</b>	<b>3445.18</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
6. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	...	11000.00	11000.00	...	11000.00	11000.00	...	11000.00	11000.00	...	13000.00	13000.00
7. राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	11100.00	11100.00	...	14800.00	14800.00	...	12000.00	12000.00	...	14000.00	14000.00
8. नई लाइनें	...	33702.18	33702.18	...	34602.75	34602.75	...	31458.83	31458.83	...	32235.24	32235.24
9. गेज परिवर्तन	...	4487.62	4487.62	...	4719.50	4719.50	...	4536.45	4536.45	...	4550.00	4550.00
10. दोहरी लाइन बिछाना	...	36806.07	36806.07	...	29312.19	29312.19	...	31031.86	31031.86	...	32000.00	32000.00
11. कंप्यूटरीकरण	...	480.89	480.89	...	735.62	735.62	...	308.62	308.62	...	428.00	428.00
12. यातायात सुविधाएं - यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य	...	7374.67	7374.67	...	8982.94	8982.94	...	8598.50	8598.50	...	8601.00	8601.00



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. रेल अनुसंधान	...	28.34	28.34	...	72.01	72.01	...	63.64	63.64	...	60.60	60.60
14. रॉलिंग स्टॉक	...	44028.53	44028.53	...	40313.78	40313.78	...	46251.70	46251.70	...	45530.15	45530.15
15. पट्टागत परिसंपत्तियां - पूंजी भाग का भुगतान	...	20741.37	20741.37	...	24270.00	24270.00	...	24920.00	24920.00	...	27904.65	27904.65
16. सड़क संरक्षा कार्य - समपार	...	564.62	564.62	...	705.18	705.18	...	710.00	710.00	...	706.00	706.00
17. सड़क संरक्षा कार्य - उपरी/निचले सड़क पुल	...	6097.39	6097.39	...	9274.69	9274.69	...	7474.27	7474.27	...	7000.00	7000.00
18. रेलपथ नवीकरण	...	17850.25	17850.25	...	17651.98	17651.98	...	22669.05	22669.05	...	22800.00	22800.00
19. पुल संबंधी कार्य, सुरंग कार्य एवं पहुंच मार्ग	...	1906.52	1906.52	...	2137.46	2137.46	...	2129.54	2129.54	...	2169.00	2169.00
20. सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्य	...	3750.97	3750.97	...	4647.28	4647.28	...	6006.05	6006.05	...	6800.00	6800.00
21. विद्युतीकरण परियोजनाएं	...	5806.98	5806.98	...	6472.30	6472.30	...	6072.30	6072.30	...	6150.00	6150.00
22. बिजली संबंधी अन्य कार्य	...	1434.41	1434.41	...	1681.87	1681.87	...	1632.92	1632.92	...	1650.50	1650.50
23. मशीनरी और संयंत्र	...	523.61	523.61	...	715.02	715.02	...	436.29	436.29	...	505.00	505.00
24. कारखाने, उत्पादन इकाइयों सहित	...	4514.70	4514.70	...	4903.68	4903.68	...	4546.00	4546.00	...	4623.50	4623.50
25. कर्मचारी कल्याण	...	669.46	669.46	...	815.32	815.32	...	737.04	737.04	...	833.00	833.00
26. यात्री सुविधाएँ	...	8121.73	8121.73	...	15510.75	15510.75	...	12993.97	12993.97	...	12118.39	12118.39
27. पीएसयू/जेवी/एसपीवी इत्यादि में निवेश	...	31839.54	31839.54	...	32760.58	32760.58	...	27570.77	27570.77	...	22444.33	22444.33
28. अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	...	794.60	794.60	...	1222.26	1222.26	...	1135.61	1135.61	...	1241.00	1241.00
29. प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	...	101.93	101.93	...	416.83	416.83	...	197.42	197.42	...	301.00	301.00
30. भंडार उच्चत	...	24017.34	24017.34	...	25809.21	25809.21	...	23840.39	23840.39	...	24528.72	24528.72
31. विनिर्माण उच्चत	...	51284.71	51284.71	...	59298.89	59298.89	...	60859.34	60859.34	...	64224.28	64224.28
32. विविध अग्रिम	...	710.37	710.37	...	401.33	401.33	...	667.40	667.40	...	505.20	505.20
33. महानगर परिवहन परियोजनाएं	...	1936.84	1936.84	...	1090.12	1090.12	...	1540.12	1540.12	...	2368.00	2368.00
34. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण												
34.01 सकल बजट सहायता से	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
35. रेलवे सुरक्षा निधि में अंतरण	...	45000.00	45000.00	...	45000.00	45000.00	...	45000.00	45000.00	...	45000.00	45000.00
36. सरकारी हरित निधि												
36.01 सरकारी हरित निधि को अंतरण	...	12478.99	12478.99	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00
36.02 ऊर्जा दक्ष तीन चरण में विद्युत लोको का उत्पादन	...	9928.99	9928.99	...	12000.00	12000.00	...	12600.00	12600.00	...	13364.78	13364.78
36.03 दमदम एयरपोर्ट न्यू गरिया बाया राजेरहाट मेट्रो रेलवे न्यू गरिया (कवि सुभाष) विमान बांदर का निर्माण	...	...	...	...	1791.39	1791.39	...	1550.00	1550.00	...	720.72	720.72
36.04 जोका विनॉय बादल दिनेश बाग बाया मानेरहाट मेट्रो रेल का निर्माण	...	2550.00	2550.00	...	1208.61	1208.61	...	850.00	850.00	...	914.50	914.50
36.05 सरकारी हरित निधि से राशि पूरी की गई	...	-12478.99	-12478.99	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00
<i>निवल</i>	...	<i>12478.99</i>	<i>12478.99</i>	...	<i>15000.00</i>	<i>15000.00</i>	...	<i>15000.00</i>	<i>15000.00</i>	...	<i>15000.00</i>	<i>15000.00</i>
37. बोनस शेयर जारी करना												
37.01 मै. आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड	...	68.83	68.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37.02 मै. महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एमआरआईडीसी) लिमिटेड												
37.03 प्राप्तिमान ली गई	...	-69.83	-69.83	...	...	...	...	-377.30	-377.30	...	...	...
37.04 मेसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (आरआईटीईएस)	...	...	...	...	...	...	...	317.20	317.20	...	...	...
37.05 मेसर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकोर)	...	...	...	...	...	...	...	60.10	60.10	...	...	...
जोड़- बोनस शेयर जारी करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>38. राशि के स्रोत</b>												
38.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00	...	-13000.00	-13000.00
38.02 राष्ट्रीय निवेश निधि	...	-11100.00	-11100.00	...	-14800.00	-14800.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-14000.00	-14000.00
38.04 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	...	-667.94	-667.94	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
38.05 विकास निधि	...	-952.66	-952.66	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
38.06 जमा / वसूलियाँ	...	-76532.89	-76532.89	...	-88323.54	-88323.54	...	-88188.08	-88188.08	...	-92077.56	-92077.56
38.07 निर्भया निधि	...	...	...	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00
38.08 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	...	-11322.18	-11322.18	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00
38.09 रेलवे सुरक्षा निधि	...	-45000.33	-45000.33	...	-45000.00	-45000.00	...	-45000.00	-45000.00	...	-45000.00	-45000.00
जोड़	...	-156576.00	-156576.00	...	-172323.54	-172323.54	...	-169388.08	-169388.08	...	-177277.56	-177277.56
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	...	<b>242578.63</b>	<b>242578.63</b>	...	<b>252000.00</b>	<b>252000.00</b>	...	<b>252000.00</b>	<b>252000.00</b>	...	<b>252000.00</b>	<b>252000.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3212.67</b>	<b>242578.63</b>	<b>245791.30</b>	<b>3393.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>255393.00</b>	<b>3347.81</b>	<b>252000.00</b>	<b>255347.81</b>	<b>3445.18</b>	<b>252000.00</b>	<b>255445.18</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय रेलवे-रणनीतिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. रेलवे अधिशेष से विनियोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य परिवहन सेवाएं	3212.67	...	3212.67	3393.00	...	3393.00	3347.81	...	3347.81	3445.18	...	3445.18
6. भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	...	242468.08	242468.08	...	251893.08	251893.08	...	251960.54	251960.54	...	251950.81	251950.81
7. भारतीय रेल - रणनीतिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	...	110.55	110.55	...	106.92	106.92	...	39.46	39.46	...	49.19	49.19
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3212.67</b>	<b>242578.63</b>	<b>245791.30</b>	<b>3393.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>255393.00</b>	<b>3347.81</b>	<b>252000.00</b>	<b>255347.81</b>	<b>3445.18</b>	<b>252000.00</b>	<b>255445.18</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3212.67</b>	<b>242578.63</b>	<b>245791.30</b>	<b>3393.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>255393.00</b>	<b>3347.81</b>	<b>252000.00</b>	<b>255347.81</b>	<b>3445.18</b>	<b>252000.00</b>	<b>255445.18</b>

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>भारतीय रेल</b>												
1. भारतीय रेल वित्त निगम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लि0	12241.00	...	12241.00	8155.00	200.00	8355.00	5499.00	...	5499.00	500.00	...	500.00
3. कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0	500.00	...	500.00	906.00	...	906.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
4. नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लि0	18295.00	...	18295.00	21000.00	...	21000.00	19000.00	...	19000.00	19000.00	...	19000.00
5. राज्य संयुक्त उपक्रम तथा अन्य में इक्विटी	423.37	...	423.37	2349.58	1000.00	3349.58	2221.77	...	2221.77	2094.33	...	2094.33
6. भारतीय रेल	210739.09	2942.75	213681.84	219239.42	3000.00	222239.42	224429.23	3000.00	227429.23	229555.67	3000.00	232555.67
7. सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं अन्य	...	16625.36	16625.36	...	8800.00	8800.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
8. के राइड द्वारा बंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना	450.00	...	450.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
<b>जोड़-भारतीय रेल</b>	<b>242648.46</b>	<b>19568.11</b>	<b>262216.57</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>242648.46</b>	<b>19568.11</b>	<b>262216.57</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>	<b>252000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>265000.00</b>

रेलवे का निवल राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2024-25 में 2,79,000 करोड़ रु. की तुलना में बजट अनुमान 2025-26 में 3,02,100 करोड़ रु. रखा गया है।

रणनीतिक मार्गों पर प्रचालन पर हुए घाटे की प्रतिपूर्ति को संशोधित अनुमान 2024-25 में 2,602.81 करोड़ रु. की तुलना में बजट अनुमान 2025-26 में 2739.18 करोड़ रु. रखा गया है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के बाजार ऋण शोधन के लिए बजट अनुमान 2025-26 में 706 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

इस मांग के पूंजीगत भाग में प्रावधान आस्तियों, अधिग्रहण, निर्माण एवं परिवर्तन पर व्यय के लिए है, जिसकी पूर्ति सकल बजटीय सहायता के रूप में सामान्य राजस्व की निधियों (रेल सुरक्षा निधि एवं राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सहित) और रेलवे के आंतरिक संसाधनों में की गई है। इसमें निर्भया निधि से प्रावधान भी शामिल हैं। बजट अनुमान 2025-26 में प्रदत्त पूंजीगत व्यय के 2,65,200 करोड़ रु. के परिव्यय में सामान्य राजस्व से 2,52,000 करोड़ रु., निर्भया निधि से 200 करोड़ रु, आंतरिक संसाधन से 3000 करोड़ रु. और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 10,000 करोड़ रु. शामिल हैं।

यात्री, माल, अन्य कोचिंग, अन्य विविध शीर्ष और रेलवे भर्ती बोर्डों आदि सहित रेलवे की कुल प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2024-25 के 2,79,000 करोड़ रु. की तुलना में बजट अनुमान 2025-26 में 3,02,100 करोड़ रु. रखी गई हैं।

रेलवे की मुख्य शीर्षवार प्राप्तियां रेलवे की अनुदान मांगों में दर्शायी गई हैं।

2.18. **कोविड से संबंधित ऋणों का पुनः भुगतान:** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 'कोविड से संबंधित संसाधन अंतराल के लिए विशेष ऋण' के रूप में रेल मंत्रालय को दिए गए ऋणों का भुगतान।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
मांग संख्या 86  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23222.00	321045.84	344267.84	17390.70	339657.30	357048.00	21947.59	334389.11	356336.70	30047.98	332325.18	362373.16
वसूलियां	-11148.28	-57133.84	-68282.12	-11631.85	-67416.15	-79048.00	-13909.75	-61908.15	-75817.90	-14955.97	-60084.03	-75040.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	12073.72	263912.00	275985.72	5758.85	272241.15	278000.00	8037.84	272480.96	280518.80	15092.01	272241.15	287333.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	155.46	1.77	157.23	167.00	2.91	169.91	168.09	2.91	171.00	176.04	4.00	180.04
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.10	...	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>155.36</b>	<b>1.77</b>	<b>157.13</b>	<b>167.00</b>	<b>2.91</b>	<b>169.91</b>	<b>168.09</b>	<b>2.91</b>	<b>171.00</b>	<b>176.04</b>	<b>4.00</b>	<b>180.04</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</b>												
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
3.01 एनएचएआई में निवेश	...	167393.24	167393.24	...	168464.00	168464.00	...	169371.00	169371.00	...	170266.00	170266.00
3.02 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	2400.00	2400.00	...	3464.00	3464.00	...	3571.00	3571.00	...	...	...
3.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-2394.94	-2394.94	...	-3464.00	-3464.00	...	-3571.00	-3571.00	...	...	...
3.04 स्थायी पुन शुल्क निधि (पीवीएफएफ) में अंतरण	...	25000.00	25000.00	...	30000.00	30000.00	...	30000.00	30000.00	...	33000.00	33000.00
3.05 पीवीएफएफ से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-25000.00	-25000.00	...	-30000.00	-30000.00	...	-30000.00	-30000.00	...	-33000.00	-33000.00
3.06 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के लिए अंतरण	...	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00
3.07 राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रीकरण निधि से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-10000.00	-10000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00
निवल	...	167398.30	167398.30	...	168464.00	168464.00	...	169371.00	169371.00	...	170266.00	170266.00
<b>सड़कें एवं पुल</b>												
4. सड़क निर्माण कार्य												
4.01 सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य	...	72184.27	72184.27	...	78349.00	78349.00	...	78774.00	78774.00	...	78295.00	78295.00
4.02 कार्यक्रम घटक	...	1600.07	1600.07	...	1549.00	1549.00	...	1313.00	1313.00	...	1310.00	1310.00
4.03 ईएपी घटक	...	3633.13	3633.13	...	3898.19	3898.19	...	3035.00	3035.00	...	2291.00	2291.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
4.04	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्तीय योजनाएं	8344.84	...	8344.84	8493.21	...	8493.21	8493.21	...	8493.21	9342.53	...	9342.53
4.05	सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	216.61	84.78	301.39	176.74	360.05	536.79	176.74	360.05	536.79	194.42	396.06	590.48
4.06	सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्तीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	...	258.57	258.57	...	250.00	250.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
4.07	विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित	70.21	...	70.21	79.00	...	79.00	119.00	...	119.00	219.00	...	219.00
4.08	सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-	2518.56	...	2518.56	2600.00	...	2600.00	4710.00	...	4710.00	4595.00	...	4595.00
4.09	राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी .)	...	10561.61	10561.61	...	13508.00	13508.00	...	8000.00	8000.00	...	11000.00	11000.00
4.10	एनईआर के लिए एसएआरडीपी जीवीएस से वित्तपोषण	...	8579.90	8579.90	...	5830.00	5830.00	...	11445.00	11445.00	...	8499.09	8499.09
4.11	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	11404.12	8725.13	20129.25	5348.95	5414.15	10763.10	7498.95	5307.15	12806.10	14350.95	1054.03	15404.98
4.12	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरा किया गया	-10879.93	-8626.97	-19506.90	-11348.95	-5414.15	-16763.10	-13498.95	-5307.15	-18806.10	-14350.95	-1054.03	-15404.98
4.13	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	10565.00	10565.00	...	13508.00	13508.00	...	8000.00	8000.00	...	11000.00	11000.00
4.14	राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	-10561.61	-10561.61	...	-13508.00	-13508.00	...	-8000.00	-8000.00	...	-11000.00	-11000.00
	<i>निवल</i>	<i>11674.41</i>	<i>97003.88</i>	<i>108678.29</i>	<i>5348.95</i>	<i>103744.24</i>	<i>109093.19</i>	<i>7498.95</i>	<i>103077.05</i>	<i>110576.00</i>	<i>14350.95</i>	<i>10194.15</i>	<i>116292.10</i>
<b>सड़क परिवहन एवं सुरक्षा</b>													
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं													
5.01	सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	247.79	28.37	276.16	242.90	30.00	272.90	370.80	30.00	400.80	565.02	30.00	595.02
5.02	सीआरआईएफ को अंतरण	249.00	30.00	279.00	242.90	30.00	272.90	370.80	30.00	400.80	565.02	30.00	595.02
5.03	सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-247.79	-28.37	-276.16	-242.90	-30.00	-272.90	-370.80	-30.00	-400.80	-565.02	-30.00	-595.02
	<i>निवल</i>	<i>249.00</i>	<i>30.00</i>	<i>279.00</i>	<i>242.90</i>	<i>30.00</i>	<i>272.90</i>	<i>370.80</i>	<i>30.00</i>	<i>400.80</i>	<i>565.02</i>	<i>30.00</i>	<i>595.02</i>
6. महिला सुरक्षा संबंधी योजना													
6.01	सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	15.41	...	15.41	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
6.02	निर्भया निधि से वित्तपोषित	-15.41	...	-15.41	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00
	<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
<b>जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा</b>													
7. वास्तविक वसूलियां		-5.05	-521.95	-527.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>		<b>11918.36</b>	<b>263910.23</b>	<b>275828.59</b>	<b>5591.85</b>	<b>272238.24</b>	<b>277830.09</b>	<b>7869.75</b>	<b>272478.05</b>	<b>280347.80</b>	<b>14915.97</b>	<b>272237.15</b>	<b>287153.12</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>12073.72</b>	<b>263912.00</b>	<b>275985.72</b>	<b>5758.85</b>	<b>272241.15</b>	<b>278000.00</b>	<b>8037.84</b>	<b>272480.96</b>	<b>280518.80</b>	<b>15092.01</b>	<b>272241.15</b>	<b>287333.16</b>
<b>ख. विकास शीर्ष आर्थिक सेवाएं</b>													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सड़क और पुल	2921.42	...	2921.42	2679.00	...	2679.00	4829.00	...	4829.00	4814.00	...	4814.00
2. सड़क परिवहन	248.99	...	248.99	242.90	...	242.90	370.80	...	370.80	565.02	...	565.02
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	155.36	...	155.36	167.00	...	167.00	168.09	...	168.09	176.04	...	176.04
4. सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	263880.23	263880.23	...	252870.24	252870.24	...	253003.05	253003.05	...	252708.06	252708.06
5. सड़क परिवहन के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.77	1.77	...	2.91	2.91	...	2.91	2.91	...	4.00	4.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3325.77</b>	<b>263912.00</b>	<b>267237.77</b>	<b>3088.90</b>	<b>252903.15</b>	<b>255992.05</b>	<b>5367.89</b>	<b>253035.96</b>	<b>258403.85</b>	<b>5555.06</b>	<b>252742.06</b>	<b>258297.12</b>
<b>अन्य</b>												
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8493.21	...	8493.21	2493.21	...	2493.21	2493.21	...	2493.21	9342.53	...	9342.53
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	254.74	...	254.74	176.74	...	176.74	176.74	...	176.74	194.42	...	194.42
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	19338.00	19338.00	...	19445.00	19445.00	...	19499.09	19499.09
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>8747.95</b>	<b>...</b>	<b>8747.95</b>	<b>2669.95</b>	<b>19338.00</b>	<b>22007.95</b>	<b>2669.95</b>	<b>19445.00</b>	<b>22114.95</b>	<b>9536.95</b>	<b>19499.09</b>	<b>29036.04</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12073.72</b>	<b>263912.00</b>	<b>275985.72</b>	<b>5758.85</b>	<b>272241.15</b>	<b>278000.00</b>	<b>8037.84</b>	<b>272480.96</b>	<b>280518.80</b>	<b>15092.01</b>	<b>272241.15</b>	<b>287333.16</b>

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	167393.24	...	167393.24	168464.00	...	168464.00	169371.00	...	169371.00	187803.00	...	187803.00
<b>जोड़</b>	<b>167393.24</b>	<b>...</b>	<b>167393.24</b>	<b>168464.00</b>	<b>...</b>	<b>168464.00</b>	<b>169371.00</b>	<b>...</b>	<b>169371.00</b>	<b>187803.00</b>	<b>...</b>	<b>187803.00</b>

रोपवे का विकास, एक्सप्रेस वे/राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास और सामरिक और सीमावर्ती सड़कों का विकास भी शामिल है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** यह प्रावधान एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सेस कन्ट्रोल्ड कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं, भारतमाला परियोजना (एनएचडीपी में शामिल) के तहत लंबित देनदारियों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है। व्यय केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, स्थायी पुल शुल्क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण और जीबीएस से पूरा किया जाता है।

4.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) द्वारा सड़क विंग वित्तपोषण के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए किया गया है।

4.01. **सड़क स्क्वैड के अंतर्गत कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें दो/चार लेन के कार्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना शामिल है। इसमें एक या अधिक समीपवर्ती आदिवासी जिलों तक सीमित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित जनजातीय घटक के लिए प्रावधान भी शामिल है। इस प्रावधान में

4.03. **ईएपी घटक:** इस प्रावधान में सड़क विंग के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं। यह व्यय बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

4.04. **केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्यीय योजनाएं:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य सड़कों के विकास एवं रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। राज्यों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालांकि, भारत सरकार केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

4.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सीआरआईएफ योजना के तहत विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में यूटी सड़कों के विकास और रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालांकि, भारत सरकार केवल संबंधित यूटी सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी संबंधित यूटी सरकार द्वारा दी जाती है।

4.06. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान:** यह बेहतर सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए चयनित अंतर-राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य सड़कों के विकास के लिए है। हालांकि, वर्ष 2019 में सीआरआईएफ अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2021-22 से ईआईएंडआईएससी (आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय संपर्क) योजना को बंद कर दिया गया है और इस योजना के तहत किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, योजना के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए ईआईएंडआईएससी योजना के तहत अभी भी आवंटन किया जा रहा है।

4.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आम्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

4.08. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-:** यह प्रावधान मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय के लिए है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की रखरखाव एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

4.09. **राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी.):** यह प्रावधान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हार्डवे और राजधानी संपर्क, जिला संपर्क, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण सहित अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए है। इसे राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित किया जाता है।

4.10. **एनईआर के लिए एसएआरडीपी जीबीएस से वित्तपोषण:** यह प्रावधान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हार्डवे और राजधानी संपर्क, जिला संपर्क, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण सहित अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए है। इसका वित्तपोषण जीबीएस से किया जाता है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण जांच उपकरण, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं स्थापित करने, पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने और यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने, राष्ट्रीय

डेटाबेस नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने आदि के लिए है। इस प्रावधान में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को केशलेस उपचार भी शामिल है। व्यय का वित्तपोषण सीआरआईएफ से किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुरूप, सरकार मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को केशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

6. **महिला सुरक्षा संबंधी योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	265374.35	2.16	265376.51	282562.05	4.14	282566.19	271907.83	4.28	271912.11	286750.29	4.24	286754.53
<i>वसूलियां</i>	-103444.91	...	-103444.91	-105000.00	...	-105000.00	-98000.00	...	-98000.00	-99000.00	...	-99000.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>161929.44</b>	<b>2.16</b>	<b>161931.60</b>	<b>177562.05</b>	<b>4.14</b>	<b>177566.19</b>	<b>173907.83</b>	<b>4.28</b>	<b>173912.11</b>	<b>187750.29</b>	<b>4.24</b>	<b>187754.53</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	100.49	2.16	102.65	101.54	4.14	105.68	103.82	4.28	108.10	108.28	4.24	112.52
	-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>100.37</i>	<i>2.16</i>	<i>102.53</i>	<i>101.54</i>	<i>4.14</i>	<i>105.68</i>	<i>103.82</i>	<i>4.28</i>	<i>108.10</i>	<i>108.28</i>	<i>4.24</i>	<i>112.52</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	90.23	...	90.23	153.00	...	153.00	105.00	...	105.00	153.00	...	153.00
3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	...	...	...	97.53	...	97.53	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>90.23</b>	<b>...</b>	<b>90.23</b>	<b>250.53</b>	<b>...</b>	<b>250.53</b>	<b>105.00</b>	<b>...</b>	<b>105.00</b>	<b>153.00</b>	<b>...</b>	<b>153.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	78.77	...	78.77	10.84	...	10.84	73.68	...	73.68	0.01	...	0.01
<b>अन्य</b>												
5. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-3.08	...	-3.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>75.69</b>	<b>...</b>	<b>75.69</b>	<b>10.84</b>	<b>...</b>	<b>10.84</b>	<b>73.68</b>	<b>...</b>	<b>73.68</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
6.01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6778.46	...	6778.46	6645.90	...	6645.90	7014.90	...	7014.90	6645.90	...	6645.90



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आईजीएनओएपीएस)												
6.02 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	336.42	...	336.42	659.00	...	659.00	300.00	...	300.00	659.00	...	659.00
	-14.65	...	-14.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>321.77</i>	...	<i>321.77</i>	<i>659.00</i>	...	<i>659.00</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>659.00</i>	...	<i>659.00</i>
6.03 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2009.80	...	2009.80	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99
(आईजीएनडब्ल्यूवीएस)												
6.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	310.46	...	310.46	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00
(आईजीएनडीपीएस)												
6.05 अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
6.06 प्रशासनिक व्यय	55.95	...	55.95	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11
<i>जोड़- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>	<i>9476.44</i>	...	<i>9476.44</i>	<i>9652.00</i>	...	<i>9652.00</i>	<i>9652.00</i>	...	<i>9652.00</i>	<i>9652.00</i>	...	<i>9652.00</i>
<b>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम</b>												
7. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	89268.31	...	89268.31	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
8. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	89262.67	...	89262.67	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
9. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-89377.27	...	-89377.27	-86000.00	...	-86000.00	-86000.00	...	-86000.00	-86000.00	...	-86000.00
<b>जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम</b>	<b>89153.71</b>	...	<b>89153.71</b>	<b>86000.00</b>	...	<b>86000.00</b>	<b>86000.00</b>	...	<b>86000.00</b>	<b>86000.00</b>	...	<b>86000.00</b>
<b>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</b>												
10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
10.01 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	13449.27	...	13449.27	16100.00	...	16100.00	12100.00	...	12100.00	16600.00	...	16600.00
10.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1900.00	...	1900.00	1400.00	...	1400.00	1900.00	...	1900.00
10.03 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	600.00	...	600.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00
10.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	13969.41	...	13969.41	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00
10.05 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि को घटाएं	-12690.00	...	-12690.00	-12000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-12000.00	-12000.00	...	-12000.00
10.06 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	78.16	...	78.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.07 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-27.25	...	-27.25	-7000.00	...	-7000.00	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>15379.59</i>	...	<i>15379.59</i>	<i>12000.00</i>	...	<i>12000.00</i>	<i>14500.00</i>	...	<i>14500.00</i>	<i>19000.00</i>	...	<i>19000.00</i>
<b>राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका</b>												
11. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)												
11.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	13435.03	...	13435.03	13244.30	...	13244.30	13244.30	...	13244.30	17104.00	...	17104.00
11.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	499.10	...	499.10	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	...	...	...
11.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1582.70	...	1582.70	1582.70	...	1582.70	1901.00	...	1901.00
<i>जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)</i>	<i>13934.13</i>	...	<i>13934.13</i>	<i>15047.00</i>	...	<i>15047.00</i>	<i>15047.00</i>	...	<i>15047.00</i>	<i>19005.00</i>	...	<i>19005.00</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)												
12.01 पीएमएवाई-कार्यक्रम घटक	23049.60	...	23049.60	54500.13	...	54500.13	32426.32	...	32426.32	54831.99	...	54831.99
12.02 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12.03 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.04 घटाइए-केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से प्राप्त	-1279.41	...	-1279.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>21770.19</i>	<i>...</i>	<i>21770.19</i>	<i>54500.14</i>	<i>...</i>	<i>54500.14</i>	<i>32426.33</i>	<i>...</i>	<i>32426.33</i>	<i>54832.00</i>	<i>...</i>	<i>54832.00</i>
13. कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण	12002.22	...	12002.22	...	...	...	16000.00	...	16000.00	...	...	...
14. आरक्षित निधि से मिली हुई अतिरिक्त राशि												
14.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	-53.13	...	-53.13	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>161663.15</b>	<b>...</b>	<b>161663.15</b>	<b>177199.14</b>	<b>...</b>	<b>177199.14</b>	<b>173625.33</b>	<b>...</b>	<b>173625.33</b>	<b>187489.00</b>	<b>...</b>	<b>187489.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>161929.44</b>	<b>2.16</b>	<b>161931.60</b>	<b>177562.05</b>	<b>4.14</b>	<b>177566.19</b>	<b>173907.83</b>	<b>4.28</b>	<b>173912.11</b>	<b>187750.29</b>	<b>4.24</b>	<b>187754.53</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. आवासन	3858.06	...	3858.06	3919.48	...	3919.48	3845.78	...	3845.78	3919.45	...	3919.45
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	41.30	...	41.30	25.33	...	25.33	25.00	...	25.00	25.33	...	25.33
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3899.36</b>	<b>...</b>	<b>3899.36</b>	<b>3944.81</b>	<b>...</b>	<b>3944.81</b>	<b>3870.78</b>	<b>...</b>	<b>3870.78</b>	<b>3944.78</b>	<b>...</b>	<b>3944.78</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3793.24	...	3793.24	3124.13	...	3124.13	3124.13	...	3124.13	3402.25	...	3402.25
4. ग्रामीण रोजगार	89153.71	...	89153.71	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00	85851.06	...	85851.06
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	166.89	...	166.89	246.53	...	246.53	175.38	...	175.38	147.01	...	147.01
6. सड़क और पुल	12091.70	...	12091.70	201.08	...	201.08	16250.58	...	16250.58	193.23	...	193.23
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	100.37	...	100.37	101.54	...	101.54	103.82	...	103.82	108.28	...	108.28
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.16	2.16	...	4.14	4.14	...	4.28	4.28	...	4.24	4.24
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>105305.91</b>	<b>2.16</b>	<b>105308.07</b>	<b>89673.28</b>	<b>4.14</b>	<b>89677.42</b>	<b>105653.91</b>	<b>4.28</b>	<b>105658.19</b>	<b>89701.83</b>	<b>4.24</b>	<b>89706.07</b>
<b>अन्य</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	9062.40	...	9062.40	5222.12	...	5222.12	9029.23	...	9029.23
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	49896.16	...	49896.16	72700.49	...	72700.49	57013.11	...	57013.11	83106.19	...	83106.19
11. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2828.01	...	2828.01	2181.07	...	2181.07	2147.91	...	2147.91	1968.26	...	1968.26
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>52724.17</b>	<b>...</b>	<b>52724.17</b>	<b>83943.96</b>	<b>...</b>	<b>83943.96</b>	<b>64383.14</b>	<b>...</b>	<b>64383.14</b>	<b>94103.68</b>	<b>...</b>	<b>94103.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>161929.44</b>	<b>2.16</b>	<b>161931.60</b>	<b>177562.05</b>	<b>4.14</b>	<b>177566.19</b>	<b>173907.83</b>	<b>4.28</b>	<b>173912.11</b>	<b>187750.29</b>	<b>4.24</b>	<b>187754.53</b>

नोट: बजट अनुमान 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 1,88,754.53 करोड़ रुपए (1,87,754.53 करोड़ रुपए प्लस 1,000 करोड़ रुपए ) है। इसके अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान पीएम ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि की शेष राशि से किया जाना है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सामान्य सहायता व्यय के लिए है।
2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रबंधन सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक शीर्ष संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।
  - 6.01. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस):** इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200/- रुपए प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - 6.02. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत एक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार अपने 18 से 59 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता का हकदार है। सहायता राशि 20,000/- रुपए है।
  - 6.03. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस):** योजना के तहत 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद, पेंशन की राशि बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह कर दी जाती है।
  - 6.04. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** योजना के तहत गंभीर या एकाधिक विकलांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद, पेंशन की प्रति माह राशि बढ़ाकर 500/- रुपए कर दी जाती है।
  - 6.05. **असंपूर्ण योजना:** योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जो पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
  - 6.06. **प्रशासनिक व्यय:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के लिए 20.11 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

8. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। सहमत श्रम बजट में वृद्धि के लिए संशोधन किया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार, किए गए कार्य के 15 दिनों के भीतर 100% मजदूरी का भुगतान करना केंद्र सरकार का दायित्व है।

10. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) निर्दिष्ट जनसंख्या आकार की सभी पात्र वस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने वाली ग्रामीण भारत में सबसे सफल पहलों में से एक है। पीएमजीएसवाई विभिन्न वटिकल अर्थात् पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क प्रदान करने के समर्पित उद्देश्य के साथ काम करता है। पीएमजीएसवाई सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 100% केंद्रीय हिस्से के अनुपात के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सबसे कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार, इस योजना के तहत पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024-2025 में 750 करोड़ रुपये की राशि और बजट अनुमान 2025-26 में 1260 करोड़ रुपये की राशि का समर्पित प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने आकांक्षी ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी समुदायों और गांवों के समग्र विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी योजना धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। तदनुसार, इस योजना के तहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में बजट अनुमान 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये की राशि का समर्पित प्रावधान किया गया है।

11. **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):** डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है, और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे समयावधि में आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेती हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं करती हैं और घोर गरीबी से बाहर नहीं आती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) है जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। डीएवाई-एनआरएलएम में महिला एसएचजी को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंकों से 3.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज सबवेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा, महिला एसएचजी संबंधित उधार देने वाले बैंकों के 1 वर्ष के एमसीएलआर (फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत) के बराबर ब्याज दर पर 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण का लाभ उठा सकती हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएपी) डीएवाई-एनआरएलएम की उप योजना में से एक है। यह गरीबों की मौजूदा कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करना और कृषि में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता में सुधार करना चाहता है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों की सहायता करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों की सहायता करने के लिए इसे एक इको-सिस्टम स्थापित करके किया जाता है।

देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य सौंपा गया है। डीडीयू-जीकेवाई 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट लिंकड कौशल विकास योजना है।

12. **प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):** इस योजना का उद्देश्य मार्च 2029 तक अभिसरण के माध्यम से सभी वास्तविक गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घर प्रदान करके सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में, मैदानी इलाकों में लाभार्थी परिवारों को 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों सहित) को 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण के लिए इकाई सहायता की मौजूदा दर को अनुमोदित कर दिया है। इस आवंटन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण:** संशोधित अनुमान 2024-25 में कृषि अवसंरचना और विकास निधि के लिए अतिरिक्त 16,000 रुपए अंतरित किए जाने का प्रावधान है।

14. **आरक्षित निधि से मिली हुई अतिरिक्त राशि:** बजट अनुमान 2025-26 में पीएम ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि की शेष राशि से अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	3496.22	1.16	3497.38	5147.23	1.01	5148.24	3753.36	1.01	3754.37	4781.19	1.01	4782.20
<i>वसूलियां</i>	-1786.49	...	-1786.49	-2481.00	...	-2481.00	-1788.37	...	-1788.37	-2131.20	...	-2131.20
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1709.73</b>	<b>1.16</b>	<b>1710.89</b>	<b>2666.23</b>	<b>1.01</b>	<b>2667.24</b>	<b>1964.99</b>	<b>1.01</b>	<b>1966.00</b>	<b>2649.99</b>	<b>1.01</b>	<b>2651.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	20.77	1.16	21.93	24.23	1.01	25.24	23.99	1.01	25.00	24.99	1.01	26.00
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम</b>												
2. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	124.33	...	124.33	141.00	...	141.00	141.00	...	141.00	120.00	...	120.00
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</b>												
3. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3.01 कार्यक्रम घटक	1681.35	...	1681.35	2481.00	...	2481.00	1788.37	...	1788.37	2486.20	...	2486.20
3.02 ईएपी घटक	7.58	...	7.58	20.00	...	20.00	11.63	...	11.63	18.80	...	18.80
3.03 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	1661.43	...	1661.43	2481.00	...	2481.00	1788.37	...	1788.37	2131.20	...	2131.20
3.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-1785.73	...	-1785.73	-2481.00	...	-2481.00	-1788.37	...	-1788.37	-2131.20	...	-2131.20
<i>निवल</i>	<i>1564.63</i>	<i>...</i>	<i>1564.63</i>	<i>2501.00</i>	<i>...</i>	<i>2501.00</i>	<i>1800.00</i>	<i>...</i>	<i>1800.00</i>	<i>2505.00</i>	<i>...</i>	<i>2505.00</i>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1709.73</b>	<b>1.16</b>	<b>1710.89</b>	<b>2666.23</b>	<b>1.01</b>	<b>2667.24</b>	<b>1964.99</b>	<b>1.01</b>	<b>1966.00</b>	<b>2649.99</b>	<b>1.01</b>	<b>2651.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35.87	...	35.87	75.21	...	75.21	59.83	...	59.83	69.57	...	69.57
2. भूमि सुधार	124.33	...	124.33	126.90	...	126.90	126.90	...	126.90	108.00	...	108.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.77	...	20.77	24.23	...	24.23	23.99	...	23.99	24.99	...	24.99
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.16	1.16	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>180.97</b>	<b>1.16</b>	<b>182.13</b>	<b>226.34</b>	<b>1.01</b>	<b>227.35</b>	<b>210.72</b>	<b>1.01</b>	<b>211.73</b>	<b>202.56</b>	<b>1.01</b>	<b>203.57</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	264.11	...	264.11	194.11	...	194.11	227.01	...	227.01
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1491.95	...	1491.95	2121.78	...	2121.78	1522.03	...	1522.03	2173.05	...	2173.05
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	36.81	...	36.81	54.00	...	54.00	38.13	...	38.13	47.37	...	47.37
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1528.76</b>	<b>...</b>	<b>1528.76</b>	<b>2439.89</b>	<b>...</b>	<b>2439.89</b>	<b>1754.27</b>	<b>...</b>	<b>1754.27</b>	<b>2447.43</b>	<b>...</b>	<b>2447.43</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1709.73</b>	<b>1.16</b>	<b>1710.89</b>	<b>2666.23</b>	<b>1.01</b>	<b>2667.24</b>	<b>1964.99</b>	<b>1.01</b>	<b>1966.00</b>	<b>2649.99</b>	<b>1.01</b>	<b>2651.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सामान्य स्थापना व्यय के लिए है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में एक गतिविधि के रूप में जोड़ा गया है। (iv) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1.05 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।

2. **भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** 1. भूमि संसाधन विभाग का मुख्य प्रयास और जोर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तत्वाधान में देश के सभी जिलों में ऐसी उपयुक्त समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करना है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ जो लाभ होंगे वे हैं (i) भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार (ii) भूमि संसाधनों का अनुकूल उपयोग (iii) भूस्वामियों एवं संभावित भूस्वामियों दोनों को लाभ; (iv) नीति और योजना में सहायता; (v) भूमि विवादों को कम करना; (vi) धोखाधड़ी/बेनामी के लेन-देन की रोकथाम (vii) सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और संबंधों को सुविधाजनक और सक्षम बनाएगा और (viii) भूखंड के मालिक, संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों और इच्छुक व्यक्तियों/उद्यमियों को जमीन के किसी भी भूखंड की निष्पक्ष और व्यापक स्थिति दर्शाने के लिए सभी उपलब्ध और प्रासंगिक जानकारी तक ऑनलाइन एकल-खिड़की पहुंच प्रदान करना। 2. विभाग का प्रयास विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रशासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है, जो कि भूमि पार्सल पहचान की एक एकीकृत प्रणाली है, जो नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भूमि पार्सल या संपत्ति की जानकारी का एक आधिकारिक स्रोत है। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक सामान्य, जेनरिक और कॉन्फ़िगरेबल एप्लिकेशन है।

3. **वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** (i) विभाग वर्षा पोषित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। (ii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के तहत, विभाग ने 6382 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय अनुदानों की सहायता दी। वर्ष 2009-10 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में लगभग 19,926 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कुल 6382 परियोजनाओं में से 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। (iii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की विस्तारित परियोजना अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की निरंतरता को भारत सरकार द्वारा 2021-2026 की परियोजना अवधि के लिए 8,134 करोड़ रुपये के सांकेतिक केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सिंगरशेड विकास को

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4072.98	40.13	4113.11	7965.71	64.50	8030.21	5588.09	73.36	5661.45	8413.05	20095.85	28508.90
वसूलियां	-110.44	...	-110.44	-1.20	...	-1.20	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3962.54</b>	<b>40.13</b>	<b>4002.67</b>	<b>7964.51</b>	<b>64.50</b>	<b>8029.01</b>	<b>5588.09</b>	<b>73.36</b>	<b>5661.45</b>	<b>8413.05</b>	<b>20095.85</b>	<b>28508.90</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	106.21	3.83	110.04	105.26	17.35	122.61	110.50	7.09	117.59	115.50	10.95	126.45
2. भारतीय सर्वेक्षण	414.97	31.34	446.31	489.89	43.75	533.64	480.52	63.87	544.39	515.74	81.75	597.49
	...	...	...	-1.20	...	-1.20	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>414.97</i>	<i>31.34</i>	<i>446.31</i>	<i>488.69</i>	<i>43.75</i>	<i>532.44</i>	<i>480.52</i>	<i>63.87</i>	<i>544.39</i>	<i>515.74</i>	<i>81.75</i>	<i>597.49</i>
3. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन	27.99	4.96	32.95	27.79	3.40	31.19	34.34	2.40	36.74	31.06	3.15	34.21
4. विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता	7.39	...	7.39	8.50	...	8.50	12.53	...	12.53	13.70	...	13.70
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>556.56</b>	<b>40.13</b>	<b>596.69</b>	<b>630.24</b>	<b>64.50</b>	<b>694.74</b>	<b>637.89</b>	<b>73.36</b>	<b>711.25</b>	<b>676.00</b>	<b>95.85</b>	<b>771.85</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	367.73	...	367.73	900.00	...	900.00	543.91	...	543.91	...	...	...
6. अनुसंधान और विकास	67.87	...	67.87	391.00	...	391.00	49.13	...	49.13	...	...	...
7. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	89.01	...	89.01	536.61	...	536.61	326.21	...	326.21	...	...	...
8. अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन	435.00	...	435.00	564.46	...	564.46	815.00	...	815.00	900.00	...	900.00
9. राष्ट्रीय क्वॉंटम मिशन (एनक्यूएम)	...	...	...	427.00	...	427.00	86.00	...	86.00	600.00	...	600.00
10. विज्ञान धारा	...	...	...	...	...	...	330.75	...	330.75	1425.00	...	1425.00
11. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00	265.00	...	265.00
12. अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20000.00	20000.00
13. राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>959.61</b>	<b>...</b>	<b>959.61</b>	<b>2819.07</b>	<b>...</b>	<b>2819.07</b>	<b>2351.00</b>	<b>...</b>	<b>2351.00</b>	<b>3290.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>23290.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
14. विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	1004.50	...	1004.50	803.00	...	803.00	766.00	...	766.00	693.25	...	693.25
15. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	4.70	...	4.70	100.00	...	100.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>1009.20</b>	<b>...</b>	<b>1009.20</b>	<b>903.00</b>	<b>...</b>	<b>903.00</b>	<b>772.00</b>	<b>...</b>	<b>772.00</b>	<b>700.25</b>	<b>...</b>	<b>700.25</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
16. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	1547.61	...	1547.61	1612.20	...	1612.20	1627.20	...	1627.20	1746.80	...	1746.80
<b>अन्य</b>												
17. राष्ट्रीय अनुसंधान संघ	...	...	...	2000.00	...	2000.00	200.00	...	200.00	2000.00	...	2000.00
18. वास्तविक वसूलियां	-110.44	...	-110.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-110.44</b>	<b>...</b>	<b>-110.44</b>	<b>2000.00</b>	<b>...</b>	<b>2000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>...</b>	<b>2000.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>2446.37</b>	<b>...</b>	<b>2446.37</b>	<b>4515.20</b>	<b>...</b>	<b>4515.20</b>	<b>2599.20</b>	<b>...</b>	<b>2599.20</b>	<b>4447.05</b>	<b>...</b>	<b>4447.05</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3962.54</b>	<b>40.13</b>	<b>4002.67</b>	<b>7964.51</b>	<b>64.50</b>	<b>8029.01</b>	<b>5588.09</b>	<b>73.36</b>	<b>5661.45</b>	<b>8413.05</b>	<b>20095.85</b>	<b>28508.90</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3856.35	...	3856.35	7859.25	...	7859.25	5477.59	...	5477.59	8297.55	...	8297.55
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	106.19	...	106.19	105.26	...	105.26	110.50	...	110.50	115.50	...	115.50
3. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	40.13	40.13	...	64.50	64.50	...	73.36	73.36	...	95.85	95.85
4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20000.00	20000.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3962.54</b>	<b>40.13</b>	<b>4002.67</b>	<b>7964.51</b>	<b>64.50</b>	<b>8029.01</b>	<b>5588.09</b>	<b>73.36</b>	<b>5661.45</b>	<b>8413.05</b>	<b>20095.85</b>	<b>28508.90</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3962.54</b>	<b>40.13</b>	<b>4002.67</b>	<b>7964.51</b>	<b>64.50</b>	<b>8029.01</b>	<b>5588.09</b>	<b>73.36</b>	<b>5661.45</b>	<b>8413.05</b>	<b>20095.85</b>	<b>28508.90</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के स्थापना व्यय के लिए है।

2. **भारतीय सर्वेक्षण:** यह प्रावधान भारतीय सर्वेक्षण के तहत निर्देशन और प्रशासन (महा सर्वेक्षक), प्रशिक्षण संगठनों और नक्शे, चार्ट, रिपोर्ट आदि के प्रकाशन के लिए है।

3. **राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन के तहत अंग्रेजी और हिन्दी में भारत के राष्ट्रीय एटलस के संकलन, समस्त भारत को समावेश करने वाली स्वर्णिम मानचित्र सेवा और भौगोलिक/कार्टोग्राफिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया गया है।

4. **विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता:** यह प्रावधान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में तैनात परामर्शदाताओं के लिए किया गया है।

5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण:** इसमें आर एंड डी सहायता, राज्य एस एंड टी कार्यक्रम, नीति अनुसंधान प्रकल्प, विज्ञान में महिलाओं के लिए डीआईएसएचए कार्यक्रम, अलाइन्स और आर एंड डी मिशन (इंस्पायर पुरस्कार और इंस्पायर कार्यक्रम) के लिए आवंटन शामिल है।

6. **अनुसंधान और विकास:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन, आधारभूत अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं, अलाइन्स तथा आर एंड डी मिशन (जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम), सुपर कंप्यूटिंग सुविधा एवं क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी संलयन और अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए आवंटन शामिल है।

7. **नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन:** इसमें प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम (प्रदर्शनी एवं मेले), औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के लिए आवंटन शामिल है।



8. **अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** साइबर फिजिकल सिस्टम (सीपीएस) इंजिनियर्ड सिस्टम की नई श्रेणी है जो एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। सीपीएस साइबरनेटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, डिजाइन और एंबेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी), बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बहुत से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल करता है। सीपीएस सिस्टम बुद्धिमान, स्वायत्त और कुशल हैं और इनसे कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार लाने की उम्मीद है। इस प्रकार, इसे प्रौद्योगिकी में अगला प्रतिमान बदलाव कहा जाता है जो तेजी से विकास और संवृद्धि को गति दे सकता है।

9. **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम):** यह मिशन वैज्ञानिक और औद्योगिक आरएंडडी की शुरूआत करने, उसका पोषण करने और पैमाना बढ़ाने पर तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यू टी) में एक जीवंत और इनोवेटिव इकोसिस्टम के सृजन पर लक्षित है। इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी में इनोवेटिव इकोसिस्टम पर आधारित आर्थिक संवृद्धि होगी, देश के इकोसिस्टम का पोषण होगा और भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग (क्यू टी ए) के विकास में एक अग्रणी देश बनेगा।

10. **विज्ञान धारा:** इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं, (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, (ii) अनुसंधान और विकास और (iii) नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजना। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेटिव इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। योजनाओं के एकल योजना में विलय से निधि उपयोग में दक्षता बढ़ेगी और उप-योजनाओं/कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित होगा।

11. **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:** राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है, सीडीएससी और आईआईएससी इसके कार्यान्वयन में भागीदार हैं। एनएसएम कार्यान्वयन में चार कार्यक्षेत्र शामिल हैं: अवसंरचना, अनुप्रयोग, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास।

12. **अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना:** निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक आधारभूत निधि (कॉर्पस) है।

13. **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन:** इसमें भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा संबंधी बुनियादी विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन हेतु प्रावधान शामिल है।

14. **विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड:** इसमें विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के सतत क्रियाकलापों हेतु प्रावधान शामिल है।

15. **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:** इसमें तकनीकी विकास बोर्ड (टीडीबी), जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने और व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु प्रावधान शामिल है।

16. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्त संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए प्रावधान शामिल है:-

(i) एमएसीएस- अधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे ;

(ii) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एआरआईईएस), नैनीताल;

(iii) वीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान (वीएसआईपीएस) , लखनऊ;

(iv) बोस संस्थान, कोलकाता;

(v) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र (सीईएनएस), बंगलौर;

(vi) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसी आई), हैदराबाद;

(vii) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली;

(viii) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साईंस (आईएसीएस), कोलकाता;

(ix) भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई;

(x) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु;

(xi) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर;

(xii) रामन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई), बंगलौर;

(xiii) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता;

(xiv) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम;

(xv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी), गुवाहाटी;

(xvi) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी), नई दिल्ली;

(xvii) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून;

(xviii) विज्ञान प्रसार , नोएडा;

(xix) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहबाद;

(xx) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता;

(xxi) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली;

(xxii) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलौर;

(xxiii) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी , गुडगाँव;

(xxiv) भारतीय तारा भौतिक संस्थान, बंगलौर;

(xxv) पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (एनईसीटीएआर), शिलांग।

17. **राष्ट्रीय अनुसंधान संघ:** (एनआरएफ) इसमें एक ऐसे पेशेवर और समग्र अनुसंधान कार्य ढांचे की पुरजोर आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनआरएफ हेतु प्रावधान शामिल है, जो सभी प्रकार के संस्थानों और विषयों में सुसम्बन्धित अनुसंधान चलाने के लिए मानव और सामग्री संबंधी संसाधनों को निदेशित करता है। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को रोपित, वर्धित और प्रोत्साहित करना तथा अनुसंधान एवं नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1537.81	...	1537.81	2275.70	...	2275.70	2460.13	...	2460.13	3446.64	...	3446.64
वसूलियां	-70.47	...	-70.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	38.06	...	38.06	71.04	...	71.04	75.89	...	75.89	55.48	...	55.48
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	498.09	...	498.09	1100.00	...	1100.00	662.90	...	662.90	...	...	...
3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	...	...	...	74.00	...	74.00	...	...	...	...	...	...
4. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)	...	...	...	...	...	...	672.10	...	672.10	2300.00	...	2300.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>498.09</b>	<b>...</b>	<b>498.09</b>	<b>1174.00</b>	<b>...</b>	<b>1174.00</b>	<b>1335.00</b>	<b>...</b>	<b>1335.00</b>	<b>2300.00</b>	<b>...</b>	<b>2300.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता	901.20	...	901.20	940.66	...	940.66	959.24	...	959.24	994.16	...	994.16
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	50.46	...	50.46	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	42.00	...	42.00
<b>अन्य</b>												
7. अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईवी)	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
8. वास्तविक वसूलियां	-70.47	...	-70.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-20.47</b>	<b>...</b>	<b>-20.47</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>55.00</b>	<b>...</b>	<b>55.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>931.19</b>	<b>...</b>	<b>931.19</b>	<b>1030.66</b>	<b>...</b>	<b>1030.66</b>	<b>1049.24</b>	<b>...</b>	<b>1049.24</b>	<b>1091.16</b>	<b>...</b>	<b>1091.16</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1429.28	...	1429.28	2087.26	...	2087.26	2250.74	...	2250.74	3161.16	...	3161.16
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.06	...	38.06	71.04	...	71.04	75.89	...	75.89	55.48	...	55.48
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2158.30</b>	<b>...</b>	<b>2158.30</b>	<b>2326.63</b>	<b>...</b>	<b>2326.63</b>	<b>3216.64</b>	<b>...</b>	<b>3216.64</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	117.40	...	117.40	133.50	...	133.50	230.00	...	230.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>117.40</b>	<b>...</b>	<b>117.40</b>	<b>133.50</b>	<b>...</b>	<b>133.50</b>	<b>230.00</b>	<b>...</b>	<b>230.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद</b>												
1. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	...	27.24	27.24	...	20.50	20.50	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00
<b>जोड़-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद</b>	<b>...</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>...</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>...</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>

- सचिवालय:** यह प्रावधान जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीवीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के तहत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना विज्ञान, बायोटेक सुविधाएं, उत्कृष्टता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें चिन्हित प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल हैं।
- औद्योगिक और उद्यमिता विकास:** वे स्कीमें जिनके लिए सहायता दी जाती है उनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम, बायो-क्लस्टर और बायोटेक पार्क शामिल हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड):** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) मौजूदा दो योजनाओं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा औद्योगिक और उद्यमिता विकास

(आई एंड ईडी) की एक एकीकृत योजना है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री नामक एक नया घटक है।

5. **स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान हैं अर्थात : (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; ii) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव; v) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि -खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली; xiii) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगालुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; और xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली।

6. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद:** यह प्रावधान इस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर-लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; नामतः जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के लिए किया गया है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी):** "आईसीजीईबी यूएनआईडीओ की एक विशेष परियोजना के रूप में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। आईसीजीईबी केंद्र, नई दिल्ली को आईसीजीईबी संगठन के एक हिस्से के रूप में आईसीजीईबी संविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आईसीजीईबी, नई दिल्ली केंद्र अपनी गतिविधियों के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग से वित्तपोषण प्राप्त करता है। आईसीजीईबी, नई दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन नहीं है और इसका लेखा संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
मांग संख्या 91  
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	6141.57	10.75	6152.32	6321.71	1.70	6323.41	6348.69	1.85	6350.54	6656.17	1.61	6657.78
<i>वसूलियां</i>	-63.75	...	-63.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>6077.82</b>	<b>10.75</b>	<b>6088.57</b>	<b>6321.71</b>	<b>1.70</b>	<b>6323.41</b>	<b>6348.69</b>	<b>1.85</b>	<b>6350.54</b>	<b>6656.17</b>	<b>1.61</b>	<b>6657.78</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	15.72	0.22	15.94	17.16	0.60	17.76	16.73	0.40	17.13	16.93	0.40	17.33
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास	3.35	...	3.35	15.90	0.60	16.50	9.47	0.91	10.38	15.59	0.91	16.50
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	8.25	10.20	18.45	15.50	...	15.50	11.69	0.46	12.15	15.50	...	15.50
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>11.60</b>	<b>10.20</b>	<b>21.80</b>	<b>31.40</b>	<b>0.60</b>	<b>32.00</b>	<b>21.16</b>	<b>1.37</b>	<b>22.53</b>	<b>31.09</b>	<b>0.91</b>	<b>32.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)												
4.01 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	5690.07	...	5690.07	5835.80	...	5835.80	5877.24	...	5877.24	6127.57	...	6127.57
4.02 क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास	417.00	...	417.00	430.00	...	430.00	426.21	...	426.21	473.08	...	473.08
जोड़- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	6107.07	...	6107.07	6265.80	...	6265.80	6303.45	...	6303.45	6600.65	...	6600.65
<b>अन्य</b>												
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान	7.18	0.33	7.51	7.35	0.50	7.85	7.35	0.08	7.43	7.50	0.30	7.80
6. वास्तविक वसूलियां	-63.75	...	-63.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-56.57</b>	<b>0.33</b>	<b>-56.24</b>	<b>7.35</b>	<b>0.50</b>	<b>7.85</b>	<b>7.35</b>	<b>0.08</b>	<b>7.43</b>	<b>7.50</b>	<b>0.30</b>	<b>7.80</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>6050.50</b>	<b>0.33</b>	<b>6050.83</b>	<b>6273.15</b>	<b>0.50</b>	<b>6273.65</b>	<b>6310.80</b>	<b>0.08</b>	<b>6310.88</b>	<b>6608.15</b>	<b>0.30</b>	<b>6608.45</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>6077.82</b>	<b>10.75</b>	<b>6088.57</b>	<b>6321.71</b>	<b>1.70</b>	<b>6323.41</b>	<b>6348.69</b>	<b>1.85</b>	<b>6350.54</b>	<b>6656.17</b>	<b>1.61</b>	<b>6657.78</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	6062.10	...	6062.10	6304.55	...	6304.55	6331.96	...	6331.96	6639.24	...	6639.24
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	15.72	...	15.72	17.16	...	17.16	16.73	...	16.73	16.93	...	16.93
3. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	10.20	10.20	...	...	...	...	0.46	0.46	...	...	...
4. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.33	0.33	...	0.50	0.50	...	0.08	0.08	...	0.30	0.30
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.22	0.22	...	0.60	0.60	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
6. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	...	...	...	0.60	0.60	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>6077.82</b>	<b>10.75</b>	<b>6088.57</b>	<b>6321.71</b>	<b>1.70</b>	<b>6323.41</b>	<b>6348.69</b>	<b>1.85</b>	<b>6350.54</b>	<b>6656.17</b>	<b>1.61</b>	<b>6657.78</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>6077.82</b>	<b>10.75</b>	<b>6088.57</b>	<b>6321.71</b>	<b>1.70</b>	<b>6323.41</b>	<b>6348.69</b>	<b>1.85</b>	<b>6350.54</b>	<b>6656.17</b>	<b>1.61</b>	<b>6657.78</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान केन्द्र के स्थापना व्यय के अंतर्गत सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास:** इसमें विभाग के कार्यक्रमों अर्थात् व्यक्तियों, स्टार्टअप और एमएसएमई में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन (प्रिज्म), पेटेंट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई), औद्योगिक अनुसंधान और विकास एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का सृजन (बीआईआरडी) तथा प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए सूचना तक पहुंच से संबंधित योजना (ए2के प्लस) के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

3. **अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (सीईएल) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के लिए आवंटन शामिल हैं।

4.01. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्कीम : राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, प्रशासन, सीएसआईआर 800 स्कीमें, समावेशी, भागीदारी तथा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास के लिए सीएसआईआर पहल, बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबन्धन, नई सहस्राब्दी भारतीय नेत्रत्व पहल, राष्ट्रीय नागर वायुयान विकास, मुक्त नवोन्मेष के लिए सीएसआईआर स्कीम के लिए प्रावधान शामिल हैं।

4.02. **क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास:** इसमें सीएसआईआर स्कीमों: अनुसंधान स्कीमो, छात्रवृत्तियों तथा अद्यतावृत्तियों और वैज्ञानिक पूल के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (एपीसीटीटी) को योगदान:** इसमें एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी) के लिए अंशदान शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

मांग संख्या 92

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	4391.19	89.07	4480.26	7095.27	110.37	7205.64	5558.85	59.98	5618.83	8217.04	83.06	8300.10
<i>वसूलियां</i>	-1498.09	...	-1498.09	-2685.64	...	-2685.64	-2318.00	...	-2318.00	-2200.00	...	-2200.00
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	217.73	89.07	306.80	265.72	110.37	376.09	234.61	59.98	294.59	248.01	83.06	331.07
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. स्किल इंडिया कार्यक्रम												
2.01 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण	1733.33	...	1733.33	2685.64	...	2685.64	2318.00	...	2318.00	2200.00	...	2200.00
2.02 स्किल इंडिया कार्यक्रम	1300.50	...	1300.50	2685.64	...	2685.64	2318.00	...	2318.00	2700.00	...	2700.00
2.03 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) से प्राप्त राशि	-1300.50	...	-1300.50	-2685.64	...	-2685.64	-2318.00	...	-2318.00	-2200.00	...	-2200.00
<i>निवल</i>	<i>1733.33</i>	<i>...</i>	<i>1733.33</i>	<i>2685.64</i>	<i>...</i>	<i>2685.64</i>	<i>2318.00</i>	<i>...</i>	<i>2318.00</i>	<i>2700.00</i>	<i>...</i>	<i>2700.00</i>
3. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) को अतिरिक्त अंतरण	600.00	...	600.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2333.33</b>	<b>...</b>	<b>2333.33</b>	<b>2685.64</b>	<b>...</b>	<b>2685.64</b>	<b>2318.00</b>	<b>...</b>	<b>2318.00</b>	<b>2700.00</b>	<b>...</b>	<b>2700.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)	12.48	...	12.48	17.56	...	17.56	14.19	...	14.19	13.87	...	13.87
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईटी)	0.73	...	0.73	4.00	...	4.00	3.90	...	3.90	4.00	...	4.00
6. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसवीयूडी)	0.73	...	0.73	1.75	...	1.75	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25
7. राष्ट्रीय अनुशासक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1.46</b>	<b>...</b>	<b>1.46</b>	<b>5.76</b>	<b>...</b>	<b>5.76</b>	<b>4.91</b>	<b>...</b>	<b>4.91</b>	<b>5.26</b>	<b>...</b>	<b>5.26</b>
<b>अन्य</b>												



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. वास्तविक वसूलियां	-197.59	...	-197.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-183.65</b>	...	<b>-183.65</b>	<b>23.32</b>	...	<b>23.32</b>	<b>19.10</b>	...	<b>19.10</b>	<b>19.13</b>	...	<b>19.13</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
9. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी	213.46	...	213.46	380.00	...	380.00	350.00	...	350.00	...	...	...
10. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी	245.67	...	245.67	5.05	...	5.05	5.14	...	5.14	...	...	...
11. संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ बनाना	66.56	...	66.56	49.90	...	49.90	20.00	...	20.00	49.90	...	49.90
12. नई आईटीआई उन्नयन स्कीम	...	...	...	1000.00	...	1000.00	294.00	...	294.00	3000.00	...	3000.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>525.69</b>	...	<b>525.69</b>	<b>1434.95</b>	...	<b>1434.95</b>	<b>669.14</b>	...	<b>669.14</b>	<b>3049.90</b>	...	<b>3049.90</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2446.54	...	2446.54	2833.99	...	2833.99	2598.61	...	2598.61	3767.39	...	3767.39
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	217.38	...	217.38	265.72	...	265.72	234.61	...	234.61	248.01	...	248.01
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	89.07	89.07	...	104.12	104.12	...	53.73	53.73	...	79.71	79.71
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2663.92</b>	<b>89.07</b>	<b>2752.99</b>	<b>3099.71</b>	<b>104.12</b>	<b>3203.83</b>	<b>2833.22</b>	<b>53.73</b>	<b>2886.95</b>	<b>4015.40</b>	<b>79.71</b>	<b>4095.11</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	425.06	...	425.06	213.27	...	213.27	506.50	...	506.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	223.13	...	223.13	471.14	...	471.14	187.88	...	187.88	1286.14	...	1286.14
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	6.05	...	6.05	413.72	...	413.72	6.48	...	6.48	209.00	...	209.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	6.25	6.25	...	6.25	6.25	...	3.35	3.35
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>229.18</b>	...	<b>229.18</b>	<b>1309.92</b>	<b>6.25</b>	<b>1316.17</b>	<b>407.63</b>	<b>6.25</b>	<b>413.88</b>	<b>2001.64</b>	<b>3.35</b>	<b>2004.99</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2893.10</b>	<b>89.07</b>	<b>2982.17</b>	<b>4409.63</b>	<b>110.37</b>	<b>4520.00</b>	<b>3240.85</b>	<b>59.98</b>	<b>3300.83</b>	<b>6017.04</b>	<b>83.06</b>	<b>6100.10</b>

1. **सचिवालय:** यह मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (जेएसएस के निदेशालय), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ) के लिए व्यय का प्रावधान करता है।

2. **स्किल इंडिया कार्यक्रम:** इस मिश्रित केन्द्रीय क्षेत्र योजना में तीन घटक शामिल हैं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)। इसके अंतर्गत

एमयूएसके में अंतरण शामिल है तथा कार्यक्रम घटक एमयूएसके से पूरा किया जाएगा। इस आबंटन में 'धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी):** व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए व्यापक नियामक निकाय।

5. **भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईईई):** प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है।
6. **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईईएसबीयूडी):** उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन से जुड़ा संगठन।
7. **राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई):** यह एक ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, आधुनिक युग के शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई-सामग्री विकसित करना और जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाना है।
9. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी:** आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी- विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का पूल बनाना, राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच संकेन्द्रण स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है।
10. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी: विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी संबंधित चुनतियों का समाधान करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक मंडलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है।
11. **संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसरचना को सुदृढ़ बनाना:** इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं (i) उत्तर-पूर्व राज्यों में कौशल विकास की मौजूदा अवसरचना को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास का संवर्धन करना, (ii) 10 राज्यों के वामपंथी उपवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वामपंथी उपवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए कौशल विकास (iii) मौजूदा आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन और (iv) पॉलिटैक्रिक के लिए योजना।
12. **नई आईटीआई उन्नयन स्कीम:** हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 आईटी आई के उन्नयन हेतु 'नई आईटीआई उन्नयन योजना'

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	9501.78	78.19	9579.97	13478.60	61.04	13539.64	10400.17	40.00	10440.17	14152.84	11.58	14164.42
<b>वसूलियां</b>	-1018.60	...	-1018.60	-539.44	...	-539.44	-413.77	...	-413.77	-553.42	...	-553.42
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>8483.18</b>	<b>78.19</b>	<b>8561.37</b>	<b>12939.16</b>	<b>61.04</b>	<b>13000.20</b>	<b>9986.40</b>	<b>40.00</b>	<b>10026.40</b>	<b>13599.42</b>	<b>11.58</b>	<b>13611.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	66.32	5.58	71.90	61.89	5.11	67.00	71.29	4.96	76.25	65.25	4.96	70.21
<b>राष्ट्रीय आयोग</b>												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	24.29	0.49	24.78	35.50	2.50	38.00	68.99	1.80	70.79	38.50	2.50	41.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	7.01	...	7.01	18.50	2.50	21.00	17.71	2.50	20.21	19.00	3.00	22.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	5.20	...	5.20	12.04	0.71	12.75	12.29	0.51	12.80	13.29	0.71	14.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय आयोग</b>	<b>36.50</b>	<b>0.49</b>	<b>36.99</b>	<b>66.04</b>	<b>5.71</b>	<b>71.75</b>	<b>98.99</b>	<b>4.81</b>	<b>103.80</b>	<b>70.79</b>	<b>6.21</b>	<b>77.00</b>
5. विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.95	...	0.95	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
6. राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है	0.34	0.12	0.46	1.86	0.19	2.05	2.15	0.19	2.34	4.14	0.36	4.50
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>104.11</b>	<b>6.19</b>	<b>110.30</b>	<b>134.79</b>	<b>11.01</b>	<b>145.80</b>	<b>176.43</b>	<b>9.96</b>	<b>186.39</b>	<b>145.18</b>	<b>11.53</b>	<b>156.71</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
7. अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
7.01 एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति	183.14	...	183.14	188.00	...	188.00	212.00	...	212.00	212.00	...	212.00
7.02 एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	7.76	...	7.76	35.00	...	35.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
7.03 एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	83.84	...	83.84	110.00	...	110.00	103.00	...	103.00	110.00	...	110.00
7.04 एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	88.58	...	88.58	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	130.00	...	130.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	363.32	...	363.32	428.00	...	428.00	428.00	...	428.00	472.00	...	472.00
8. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना	81.59	...	81.59	133.07	...	133.07	110.00	...	110.00	140.00	...	140.00
9. वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएसएस) योजना	...	...	...	10.02	...	10.02	23.44	...	23.44	50.27	...	50.27
10. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना	58.34	...	58.34	130.00	...	130.00	80.00	...	80.00	130.00	...	130.00
11. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि	...	32.00	32.00	...	50.00	50.00	...	30.01	30.01	...	0.02	0.02
12. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति												
12.01 ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	89.64	...	89.64	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	190.13	...	190.13
12.02 ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सस्मिडी	56.22	...	56.22	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	60.00	...	60.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति	145.86	...	145.86	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	250.13	...	250.13
13. डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड)	15.00	...	15.00	39.40	...	39.40	39.40	...	39.40	39.40	...	39.40
14. वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)												
14.01 भीख मांगने के कार्य से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास	5.26	...	5.26	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	30.00	...	30.00
14.02 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास	6.59	...	6.59	68.46	...	68.46	45.00	...	45.00	76.87	...	76.87
जोड़- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)	11.85	...	11.85	98.46	...	98.46	60.00	...	60.00	106.87	...	106.87
15. सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	22.33	...	22.33	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	6.11	...	6.11
16. यांत्रिक स्वच्छता परि-प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएएमएसटीई)	30.06	...	30.06	116.94	...	116.94	50.00	...	50.00	130.00	...	130.00
17. अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)-सीएस												
17.01 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि को सहायता (एससीडब्ल्यूएफ)	...	...	...	279.44	...	279.44	268.77	...	268.77	289.69	...	289.69
17.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से पूरी की गई राशि	...	...	...	-279.44	...	-279.44	-268.77	...	-268.77	-289.69	...	-289.69
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>728.35</b>	<b>32.00</b>	<b>760.35</b>	<b>1045.89</b>	<b>50.00</b>	<b>1095.89</b>	<b>880.84</b>	<b>30.01</b>	<b>910.85</b>	<b>1324.78</b>	<b>0.02</b>	<b>1324.80</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
18. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	17.50	...	17.50	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
19. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	14.09	...	14.09	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>31.59</b>	<b>...</b>	<b>31.59</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>57.00</b>	<b>...</b>	<b>57.00</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
20. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	15.00	15.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
22. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम	...	15.00	15.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	...	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	...	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
<b>अन्य</b>												
23. अन्य विविध व्यय	8.39	...	8.39	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>39.98</b>	<b>40.00</b>	<b>79.98</b>	<b>58.50</b>	<b>0.03</b>	<b>58.53</b>	<b>58.50</b>	<b>0.03</b>	<b>58.53</b>	<b>65.50</b>	<b>0.03</b>	<b>65.53</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना</b>												
24. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति	5476.22	...	5476.22	6359.98	...	6359.98	5500.00	...	5500.00	6360.00	...	6360.00
25. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति	446.64	...	446.64	500.00	...	500.00	450.00	...	450.00	577.96	...	577.96
26. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	471.12	...	471.12	2140.00	...	2140.00	800.00	...	800.00	2140.00	...	2140.00
27. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण	535.19	...	535.19	550.00	...	550.00	500.00	...	500.00	463.00	...	463.00
<b>जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना</b>	<b>6929.17</b>	...	<b>6929.17</b>	<b>9549.98</b>	...	<b>9549.98</b>	<b>7250.00</b>	...	<b>7250.00</b>	<b>9540.96</b>	...	<b>9540.96</b>
<b>अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम</b>												
28. अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम												
28.01 अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	988.45	...	988.45	921.00	...	921.00	921.00	...	921.00	1250.00	...	1250.00
28.02 ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति	195.66	...	195.66	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00	300.00	...	300.00
28.03 ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास	14.41	...	14.41	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
28.04 उच्च स्तरीय कॉलेज	111.40	...	111.40	515.00	...	515.00	159.63	...	159.63	500.00	...	500.00
28.05 उच्च स्तरीय स्कूल	6.73	...	6.73	150.00	...	150.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम</b>	<b>1316.65</b>	...	<b>1316.65</b>	<b>1836.00</b>	...	<b>1836.00</b>	<b>1380.63</b>	...	<b>1380.63</b>	<b>2190.00</b>	...	<b>2190.00</b>
29. अटल बयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)												
29.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	141.42	...	141.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से सहायता	69.06	...	69.06	260.00	...	260.00	145.00	...	145.00	263.73	...	263.73
29.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से राशि को पूरा करना	-69.06	...	-69.06	-260.00	...	-260.00	-145.00	...	-145.00	-263.73	...	-263.73
	<i>निवल</i>	...	<i>141.42</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30. ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	173.04	...	173.04	314.00	...	314.00	240.00	...	240.00	333.00	...	333.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एनएपीडीडीआर)												
<b>जोड़-अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम</b>	<b>1631.11</b>	...	<b>1631.11</b>	<b>2150.00</b>	...	<b>2150.00</b>	<b>1620.63</b>	...	<b>1620.63</b>	<b>2523.00</b>	...	<b>2523.00</b>
31. वास्तविक वसूलियां	-949.54	...	-949.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>7610.74</b>	...	<b>7610.74</b>	<b>11699.98</b>	...	<b>11699.98</b>	<b>8870.63</b>	...	<b>8870.63</b>	<b>12063.96</b>	...	<b>12063.96</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>8483.18</b>	<b>78.19</b>	<b>8561.37</b>	<b>12939.16</b>	<b>61.04</b>	<b>13000.20</b>	<b>9986.40</b>	<b>40.00</b>	<b>10026.40</b>	<b>13599.42</b>	<b>11.58</b>	<b>13611.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. मंत्रि परिषद	0.02	...	0.02	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>0.02</b>	...	<b>0.02</b>	<b>0.04</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	...	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	...	<b>0.04</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	840.31	...	840.31	1900.94	...	1900.94	1321.37	...	1321.37	2013.62	...	2013.62
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	274.50	...	274.50	377.06	...	377.06	301.60	...	301.60	393.38	...	393.38
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	66.26	...	66.26	61.85	...	61.85	71.25	...	71.25	65.21	...	65.21
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	72.00	72.00	...	50.03	50.03	...	30.04	30.04	...	0.05	0.05
6. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.19	6.19	...	11.01	11.01	...	9.96	9.96	...	11.53	11.53
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1181.07</b>	<b>78.19</b>	<b>1259.26</b>	<b>2339.85</b>	<b>61.04</b>	<b>2400.89</b>	<b>1694.22</b>	<b>40.00</b>	<b>1734.22</b>	<b>2472.21</b>	<b>11.58</b>	<b>2483.79</b>
<b>अन्य</b>												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	456.59	...	456.59	200.00	...	200.00	498.11	...	498.11
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7297.19	...	7297.19	10081.68	...	10081.68	8035.14	...	8035.14	10561.06	...	10561.06
9. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.90	...	4.90	61.00	...	61.00	57.00	...	57.00	68.00	...	68.00
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>7302.09</b>	...	<b>7302.09</b>	<b>10599.27</b>	...	<b>10599.27</b>	<b>8292.14</b>	...	<b>8292.14</b>	<b>11127.17</b>	...	<b>11127.17</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>8483.18</b>	<b>78.19</b>	<b>8561.37</b>	<b>12939.16</b>	<b>61.04</b>	<b>13000.20</b>	<b>9986.40</b>	<b>40.00</b>	<b>10026.40</b>	<b>13599.42</b>	<b>11.58</b>	<b>13611.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और	15.00	717.34	732.34	0.01	845.00	845.01	0.01	927.47	927.48	0.01	968.23	968.24

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
विकास निगम												
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम	10.00	191.97	201.97	0.01	259.11	259.12	0.01	14.50	14.51	0.01	15.25	15.26
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम	15.00	510.09	525.09	0.01	531.58	531.59	0.01	481.37	481.38	0.01	552.84	552.85
<b>जोड़</b>	<b>40.00</b>	<b>1419.40</b>	<b>1459.40</b>	<b>0.03</b>	<b>1635.69</b>	<b>1635.72</b>	<b>0.03</b>	<b>1423.34</b>	<b>1423.37</b>	<b>0.03</b>	<b>1536.32</b>	<b>1536.35</b>

(₹ करोड़)

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु किया गया है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु किया गया है।
- विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए किया गया है।
- राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है:** नए व्यक्तियों, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं लेकिन समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत धर्म के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग।
- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** यह चार उप-योजनाओं सहित व्यापक स्कीम है, नामतः:
  - एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और/या पीएचडी करने के लिए उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी यूजीसी है।
  - एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये सक्षम बन सकें।
- एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** यह योजना उत्कृष्टता हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष श्रेणी के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस, जीविका व्यय, किताबें और कंप्यूटर के लिए बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।
- एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जातियों, गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री या पीएच.डी. जैसे उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।
- अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना:** श्रेष्ठा का उद्देश्य विकास में सरकारी पहलों तक पहुंच को बढ़ाना और अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सेवा की कमी को पूरा करना, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) के प्रयासों के माध्यम से तथा आवासीय उच्च विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जातियों (एस सी) के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।
- वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (बीआईएसवीएस) योजना:** इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य सृष्ट वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के पात्र गरीब सदस्यों और विभाग के दोनों निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी) के व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को कम दर पर ब्याज का लाभ प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है ताकि इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर प्रौद्योगिकियों के आने से वे कारीगर जो पहले के मुकाबले अकुशल हो गए हैं, को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपेक्षाकृत नई प्रक्रियाओं को अपना सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि:** यह योजना एससी और ओबीसी उद्यमियों को नए भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रोत्साहित करने और उन्हें देश के संसाधन जुटाने में सहायता करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहल है।

12. **अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एबीवर स्कीम छात्रवृत्ति:** इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सन्मिडी प्राप्त करने में अध्येतावृत्ति (वित्तीय सहायता) प्रदान करके अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना है।

12.01. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल/पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति मुहैया करना है।

12.02. **ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सन्मिडी:** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सन्मिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर मिल सके। अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र विदेश अध्ययन के लिए संस्वीकृत शिक्षा ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पर सन्मिडी के रूप में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं।

13. **डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड):** इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं i. डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना; ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना; iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

14. **बंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल):** स्माइल केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक व्यापक उपाय शामिल किए गए हैं जो भीख मांगने के कार्य से जुड़े हुए हैं तथा उनके पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संयोजनों आदि पर काफी ध्यान दिया गया है। स्माइल में निम्नलिखित दो उप-योजनाएँ हैं:

14.01. **भीख मांगने के कार्य से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास:** देश को भिक्षावृत्ति मुक्त भारत(भीख-मुक्त) बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर आम-जन जैसे विभिन्न हितधारकों के समन्वय कार्य के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्स्थापन के लिए कार्यनीति बनाना।

14.02. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास:** इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण स्कीम और कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है।

15. **सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ योजना का नाम बदलकर सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए) कर दिया गया है: - इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं: i) सूचना प्रसार ii) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा फील्ड स्तरीय विवादों की निगरानी। iii) आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना जिसका डिजाइन और रखरखाव प्रौद्योगिकी सेवा समूह (टीएसजी) द्वारा किया जाएगा। iv) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) की स्थापना v) विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा 5 वर्षों में एक बार योजनाओं का मूल्यांकन और अध्ययन। vi) हितधारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की गहराई से जांच करके योजनाओं के परिणामों की सामाजिक लेखा-परीक्षा करना।

16. **यांत्रिक स्वच्छता परि-प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएमएसटीई):** यंत्रिक सफाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र लाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना।

17. **अटल बयो अभ्युदय योजना (एबीवाईवाई)-सीएस:** यह योजना निम्न घटकों को कार्यान्वित करती है: (i) राष्ट्रीय बयोश्री योजना (आरबीवाई), (ii) राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (iii) वरिष्ठ देखभाल एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) (iv) वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण (v) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल

18. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** डॉ अंबेडकर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेशों में जनता के बीच डॉ अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। फाउंडेशन को डॉ बी आर अंबेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान पहचान की गई महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

19. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन है, जो सामाजिक रक्षा के क्षेत्र से संबंधित पहल के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान मुख्य रूप से राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों (जो पहले क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के रूप में जाना जाता था), स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनवाईके, एसआईआरडी, पीआरआई, पुलिस अकादमियां और अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कार्यों में कार्यरत है।

20. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

21. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

22. **राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

23. **अन्य विविध व्यय:** इसका उद्देश्य उन बच्चों, जिन्होंने दोनों माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या दोनों जीवित माता-पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है, को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना है।

24. **अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैट्रिक उपरांत या माध्यमिक स्तर के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, ताकि वे शिक्षा पूरी कर सकें।

25. **अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य बंचित श्रेणियों से संबंधित बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है जिससे उनकी शिक्षा के लिए मैट्रिक-पूर्व चरण में पढ़ने वाले बच्चों की भागीदारी में सुधार हो सके, इसकी उनकी ड्रॉप-आउट घटनाओं - विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्रारंभिक स्तर



तक परिवर्तन में द्वितीयक चरण - को न्यूनतम किया जा सके, वे बेहतर प्रदर्शन कर सके और शिक्षा में मैट्रिक के उपरांत चरण की ओर प्रगति करने में उनकी संभावना बेहतर हो सके।

26. **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय):** पीएमएजेएवाई की योजना, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए से एससीएसपी), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता की 3 मौजूदा योजनाओं का विलय करती है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करके अनुसूचित जाति समुदायों और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसररचना और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करके गरीबी को कम करना है।

27. **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण:** पीसीआर अधिनियम, 1995 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए इस केंद्र प्रायोजित योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: i) अंतर्जातीय विवाह जहां पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का सदस्य है ii) अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास, iii) अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों को सुदृढ करना v) जागरूकता सृजित करना और प्रचार करना।

28. **अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम:** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पांच केंद्र प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति और ओबीसी के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की पांच उप-योजनाओं का ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

28.01. **अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को मैट्रिक/माध्यमिक चरण के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

28.02. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

28.03. **ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास:** इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

28.04. **उच्च स्तरीय कॉलेज:** इस योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता और इसे बढ़ावा देना है। यह योजना बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को लाभान्वित करेगी।

28.05. **उच्च स्तरीय स्कूल:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करने तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके प्रीमियम शिक्षा प्रदान करना है।

29. **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई):** इस योजना के दो घटक हैं: (i) वरिष्ठ नागरिक गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों, डिमेंशिया/अल्जाइमर रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर देखभाल गृहों की सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)। ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसपीएसआरसी) में पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति शामिल है। केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्यिक कार्य योजनाओं के सृजन और कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं की निधि का उपयोग करें।

30. **ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर):** एनएपीडीडीआर केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है: i) निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भरशील व्यक्तियों के पुनर्वास, केंद्र और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके देश में ड्रग की मांग में कमी करना ii) व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन करना और लोगों को शिक्षित करना और दवाओं पर निर्भरशील समूहों और व्यक्तियों को समाज में पुनः वापस लाने के लिए उन्हें समाज से जोड़ना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 94

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1142.93	0.96	1143.89	1224.07	1.20	1225.27	1166.07	1.20	1167.27	1273.80	1.20	1275.00
वसूलियां	-1.65	...	-1.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	29.90	0.81	30.71	41.55	1.00	42.55	35.30	1.00	36.30	36.80	1.00	37.80
2. संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी	...	0.15	0.15	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>29.90</b>	<b>0.96</b>	<b>30.86</b>	<b>41.55</b>	<b>1.20</b>	<b>42.75</b>	<b>35.30</b>	<b>1.20</b>	<b>36.50</b>	<b>36.80</b>	<b>1.20</b>	<b>38.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम</b>												
3. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	290.60	...	290.60	315.00	...	315.00	350.00	...	350.00	316.70	...	316.70
4. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	129.98	...	129.98	165.00	...	165.00	139.00	...	139.00	165.00	...	165.00
5. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	76.79	...	76.79	135.33	...	135.33	111.00	...	111.00	115.10	...	115.10
<b>जोड़-राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम</b>	<b>497.37</b>	...	<b>497.37</b>	<b>615.33</b>	...	<b>615.33</b>	<b>600.00</b>	...	<b>600.00</b>	<b>596.80</b>	...	<b>596.80</b>
6. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	130.07	...	130.07	142.68	...	142.68	80.00	...	80.00	145.00	...	145.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>627.44</b>	...	<b>627.44</b>	<b>758.01</b>	...	<b>758.01</b>	<b>680.00</b>	...	<b>680.00</b>	<b>741.80</b>	...	<b>741.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
8. भारतीय पुनर्वास परिषद	6.40	...	6.40	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
9. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	35.34	...	35.34	25.00	...	25.00	23.30	...	23.30	25.00	...	25.00
10. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	408.85	...	408.85	370.00	...	370.00	391.97	...	391.97	430.19	...	430.19
11. राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>485.59</b>	...	<b>485.59</b>	<b>424.51</b>	...	<b>424.51</b>	<b>450.77</b>	...	<b>450.77</b>	<b>495.20</b>	...	<b>495.20</b>
<b>अन्य</b>												
12. वास्तविक वसूलियां	-1.65	...	-1.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>483.94</b>	...	<b>483.94</b>	<b>424.51</b>	...	<b>424.51</b>	<b>450.77</b>	...	<b>450.77</b>	<b>495.20</b>	...	<b>495.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1115.35	...	1115.35	1112.02	...	1112.02	1068.07	...	1068.07	1172.62	...	1172.62
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	25.93	...	25.93	36.25	...	36.25	30.00	...	30.00	31.50	...	31.50
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.96	0.96	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1148.27</b>	<b>1.20</b>	<b>1149.47</b>	<b>1098.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1099.27</b>	<b>1204.12</b>	<b>1.20</b>	<b>1205.32</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	75.80	...	75.80	68.00	...	68.00	69.68	...	69.68
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>75.80</b>	...	<b>75.80</b>	<b>68.00</b>	...	<b>68.00</b>	<b>69.68</b>	...	<b>69.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	109.00	109.00	...	114.00	114.00	...	118.00	118.00	...	128.00	128.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	70.90	70.90	...	80.00	80.00	...	92.00	92.00	...	112.00	112.00
<b>जोड़</b>	...	<b>179.90</b>	<b>179.90</b>	...	<b>194.00</b>	<b>194.00</b>	...	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	...	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी:** यह प्रावधान दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) के स्थापना व्यय के लिए है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संबद्ध कार्यालय है।

3. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** यह प्रावधान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मजबूत, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता एवं उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है जो दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।

4. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** यह योजना शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध कार्यकलापों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
5. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस योजना के अंतर्गत स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को सुलभ भारत अभियान और दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह विशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त पहुँच के प्रावधान से संबंधित है।
6. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका अर्जित करने और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थान पाने के लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई और जीवन यापन करने में कई -शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
7. **राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगजन अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किया गया है।
8. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण में देश में समान मानको को लागू करने के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है।
9. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
10. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** इसमें दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जाती हैं।
11. **राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता:** राष्ट्रीय न्यास विभाग का सांविधिक निकाय है जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन के लाभ के लिये राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय विभाग के अनुमोदन और ईएफसी की सिफारिशों से इस योजना को सीएस से अन्य सीएस के रूप में परिवर्तित किया गया है।

अंतरिक्ष विभाग

मांग संख्या 95

अंतरिक्ष विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6320.13	4406.65	10726.78	7475.22	5567.53	13042.75	6997.38	4728.37	11725.75	7312.57	6103.63	13416.20
वसूलियां	-12.81	-9.90	-22.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	<b>6307.32</b>	<b>4396.75</b>	<b>10704.07</b>	<b>7475.22</b>	<b>5567.53</b>	<b>13042.75</b>	<b>6997.38</b>	<b>4728.37</b>	<b>11725.75</b>	<b>7312.57</b>	<b>6103.63</b>	<b>13416.20</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	136.18	...	136.18	161.49	...	161.49	132.00	...	132.00	113.80	...	113.80
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय	199.86	10.30	210.16	210.14	10.93	221.07	215.08	11.00	226.08	203.19	11.86	215.05
3. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस)	18.20	34.64	52.84	52.13	43.87	96.00	36.15	21.85	58.00	37.25	32.75	70.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>354.24</b>	<b>44.94</b>	<b>399.18</b>	<b>423.76</b>	<b>54.80</b>	<b>478.56</b>	<b>383.23</b>	<b>32.85</b>	<b>416.08</b>	<b>354.24</b>	<b>44.61</b>	<b>398.85</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	4237.27	3846.16	8083.43	5104.50	4983.02	10087.52	4813.18	4172.42	8985.60	4842.30	5387.91	10230.21
5. अंतरिक्ष अनुप्रयोग	1148.58	326.85	1475.43	1265.31	346.40	1611.71	1186.04	341.93	1527.97	1403.12	303.67	1706.79
6. अंतरिक्ष विज्ञान	72.01	37.50	109.51	96.01	37.56	133.57	81.36	45.88	127.24	126.82	244.18	371.00
7. इन्सैट उपग्रह प्रणालियां	83.54	151.20	234.74	131.25	144.75	276.00	83.15	135.29	218.44	83.75	123.25	207.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>5541.40</b>	<b>4361.71</b>	<b>9903.11</b>	<b>6597.07</b>	<b>5511.73</b>	<b>12108.80</b>	<b>6163.73</b>	<b>4695.52</b>	<b>10859.25</b>	<b>6455.99</b>	<b>6059.01</b>	<b>12515.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
8. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.)	115.31	...	115.31	129.50	...	129.50	130.00	...	130.00	150.00	...	150.00
9. पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-सैक)	40.04	...	40.04	51.49	...	51.49	41.94	...	41.94	50.00	...	50.00
10. राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.)	42.84	...	42.84	52.00	...	52.00	51.40	...	51.40	55.34	...	55.34
11. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.)	211.00	...	211.00	217.00	...	217.00	220.08	...	220.08	240.00	...	240.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>409.19</b>	<b>...</b>	<b>409.19</b>	<b>449.99</b>	<b>...</b>	<b>449.99</b>	<b>443.42</b>	<b>...</b>	<b>443.42</b>	<b>495.34</b>	<b>...</b>	<b>495.34</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
12. न्यूसपेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.)	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
13. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	15.30	...	15.30	4.40	...	4.40	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
14. वास्तविक वसूलियां	-12.81	-9.90	-22.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2.49</b>	<b>-9.90</b>	<b>-7.41</b>	<b>4.40</b>	<b>...</b>	<b>4.40</b>	<b>7.00</b>	<b>...</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>...</b>	<b>7.00</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>411.68</b>	<b>-9.90</b>	<b>401.78</b>	<b>454.39</b>	<b>1.00</b>	<b>455.39</b>	<b>450.42</b>	<b>...</b>	<b>450.42</b>	<b>502.34</b>	<b>0.01</b>	<b>502.35</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>6307.32</b>	<b>4396.75</b>	<b>10704.07</b>	<b>7475.22</b>	<b>5567.53</b>	<b>13042.75</b>	<b>6997.38</b>	<b>4728.37</b>	<b>11725.75</b>	<b>7312.57</b>	<b>6103.63</b>	<b>13416.20</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	6171.14	...	6171.14	7313.73	...	7313.73	6865.38	...	6865.38	7198.77	...	7198.77
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	136.18	...	136.18	161.49	...	161.49	132.00	...	132.00	113.80	...	113.80
3. अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	4396.75	4396.75	...	5567.53	5567.53	...	4728.37	4728.37	...	6103.63	6103.63
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>6307.32</b>	<b>4396.75</b>	<b>10704.07</b>	<b>7475.22</b>	<b>5567.53</b>	<b>13042.75</b>	<b>6997.38</b>	<b>4728.37</b>	<b>11725.75</b>	<b>7312.57</b>	<b>6103.63</b>	<b>13416.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>6307.32</b>	<b>4396.75</b>	<b>10704.07</b>	<b>7475.22</b>	<b>5567.53</b>	<b>13042.75</b>	<b>6997.38</b>	<b>4728.37</b>	<b>11725.75</b>	<b>7312.57</b>	<b>6103.63</b>	<b>13416.20</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																	
<b>न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड</b>																		
1. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	...	849.26	849.26	...	...	...	...	950.00	950.00	...	1030.00	1030.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड</b>	<b>...</b>	<b>849.26</b>	<b>849.26</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>...</b>	<b>1030.00</b>	<b>1030.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>849.26</b>	<b>849.26</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>...</b>	<b>1030.00</b>	<b>1030.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

- सचिवालय:** सचिवालय: आर्थिक सेवाएं: यह प्रावधान अंतरिक्ष विभाग के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय:** इसरो मुख्यालय: इसके अंतर्गत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय के व्यय, स्पेसनेट संवर्धन की स्थापना, सम्मेलनों, संगोष्ठी, क्षमता निर्माण तथा संपर्क कार्यकलापों की सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस):** इन-स्पेस: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र एकल विंडो नोडल एजेंसी है, जो गैर सरकारी निजी इकाइयों के क्रिया-कलापों की अनुमति प्रदान करेगा तथा उसका निरीक्षण करेगा,

जिसमें प्रमोचक रॉकेटों तथा उपग्रहों का निर्माण, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को प्रदान करना, परीक्षण सुविधा केन्द्रों को साझा करना तथा उड़ान केन्द्र की स्थापना आदि शामिल है।

4. **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्रों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट, द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, यू.आर. राव उपग्रह केंद्र, विद्युत-प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, मुख्य नियंत्रण सुविधा एवं समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के क्रिया-कलापों, इसरो केंद्रों में सामान्य सिविल कार्य एवं आवासीय कार्यों, विभाग द्वारा शुरू की गई विकासात्मक एवं प्रचालनात्मक परियोजनाओं सहित प्रमोचक रॉकेट परियोजनाओं तथा उपग्रह परियोजनाओं जैसी विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

5. **अंतरिक्ष अनुप्रयोग:** अंतरिक्ष अनुप्रयोग: इसके अंतर्गत, इसरो केन्द्रों नामतः अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, विकास तथा शैक्षिक संचार इकाई, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, भू-प्रेक्षण अनुप्रयोग मिशन एवं आपदा प्रबंधन सहायता सहित विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
6. **अंतरिक्ष विज्ञान:** अंतरिक्ष विज्ञान: इसके अंतर्गत, इसरो द्वारा किए गए अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें शिक्षा जगत तथा उद्योग के लिए प्रायोजित अनुसंधान, संवेदक नीतभार विकास/ग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम, जलवायु एवं वायुमंडलीय कार्यक्रम, वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु लघु उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन, आदित्य-एल1, चंद्रयान-III, एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह एवं अंतरिक्ष डॉकिंग परीक्षण मिशन शामिल हैं।
7. **इन्सैट उपग्रह प्रणालियां:** इन्सैट उपग्रह प्रणालियां: इसके अंतर्गत, विभिन्न इन्सैट/जीसैट श्रेणी के उपग्रहों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें ट्रांसपोंडरों को पट्टे पर देने पर सेवा शुल्क का व्यय शामिल है।
8. **भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.):** भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी): आईआईएसटी, अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है, जिसका उद्देश्य उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थान का निर्माण करना और डीओएस/इसरो के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली मानव संसाधन तैयार करना है। इस संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
9. **पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-सैक):** पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-सैक): एनई-सैक की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद के साथ संयुक्त रूप से स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई है, जो सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इनपुट का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और निगरानी, अवसंरचना विकास की योजना और इंटरैक्टिव प्रशिक्षण पर सूचना प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता कर रहा है।
10. **राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.):** राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.): एन.ए.आर.एल., जो एक पंजीकृत सोसाइटी है और जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान तथा संबंधित विषयों में उन्नत अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है।
11. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.):** भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.): पी.आर.एल. सहायता अनुदान के माध्यम से अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त-पोषित स्वायत्त संस्था है, जो देश में परीक्षणात्मक एवं सैद्धांतिक भौतिकी तथा भू-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाली अग्रणी अनुसंधान संस्था है। पी.आर.एल., उदयपुर सौर वेधशाला के प्रशासनिक कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।
12. **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.):** न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल): एनएसआईएल की स्थापना अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लाभों का उपयोग करने हेतु की गई है। यह कंपनी प्रमोचक राकेटों के उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन सहित विविध अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का संवर्धन करेगी।
13. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग: इसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा एशिया एवं प्रशांत सागर में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण केंद्र के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	<b>2450.13</b>	<b>19.35</b>	<b>2469.48</b>	<b>5408.85</b>	<b>44.98</b>	<b>5453.83</b>	<b>5290.15</b>	<b>43.74</b>	<b>5333.89</b>	<b>5426.19</b>	<b>44.87</b>	<b>5471.06</b>
<i>वसूलियां</i>	-1.58	...	-1.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2448.55</b>	<b>19.35</b>	<b>2467.90</b>	<b>5408.85</b>	<b>44.98</b>	<b>5453.83</b>	<b>5290.15</b>	<b>43.74</b>	<b>5333.89</b>	<b>5426.19</b>	<b>44.87</b>	<b>5471.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	34.95	0.15	35.10	40.16	0.41	40.57	40.21	0.16	40.37	42.11	0.24	42.35
2. <i>संबद्ध कार्यालय</i>												
2.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन	65.57	...	65.57	73.52	0.16	73.68	72.28	...	72.28	75.49	...	75.49
2.02 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	425.10	0.39	425.49	464.46	0.66	465.12	463.65	0.38	464.03	486.09	0.48	486.57
<i>जोड़- संबद्ध कार्यालय</i>	<i>490.67</i>	<i>0.39</i>	<i>491.06</i>	<i>537.98</i>	<i>0.82</i>	<i>538.80</i>	<i>535.93</i>	<i>0.38</i>	<i>536.31</i>	<i>561.58</i>	<i>0.48</i>	<i>562.06</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>525.62</b>	<b>0.54</b>	<b>526.16</b>	<b>578.14</b>	<b>1.23</b>	<b>579.37</b>	<b>576.14</b>	<b>0.54</b>	<b>576.68</b>	<b>603.69</b>	<b>0.72</b>	<b>604.41</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
3. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	1200.57	...	1200.57	3954.75	0.25	3955.00	3947.54	0.25	3947.79	3952.00	0.25	3952.25
4. <i>क्षमता विकास (सीडी)</i>												
4.01 सीएसओ और एनएसएस का क्षमता विकास	403.40	18.81	422.21	487.90	43.50	531.40	422.05	42.95	465.00	506.10	43.90	550.00
4.02 आर्थिक गणना	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4.03 सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता	7.71	...	7.71	12.46	...	12.46	7.02	...	7.02	15.00	...	15.00
<i>जोड़- क्षमता विकास (सीडी)</i>	<i>411.13</i>	<i>18.81</i>	<i>429.94</i>	<i>500.37</i>	<i>43.50</i>	<i>543.87</i>	<i>429.08</i>	<i>42.95</i>	<i>472.03</i>	<i>521.11</i>	<i>43.90</i>	<i>565.01</i>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1611.70</b>	<b>18.81</b>	<b>1630.51</b>	<b>4455.12</b>	<b>43.75</b>	<b>4498.87</b>	<b>4376.62</b>	<b>43.20</b>	<b>4419.82</b>	<b>4473.11</b>	<b>44.15</b>	<b>4517.26</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)	312.81	...	312.81	375.59	...	375.59	337.39	...	337.39	349.39	...	349.39
<b>अन्य</b>												
6. वास्तविक वसूलियां	-1.58	...	-1.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...



(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>311.23</b>	...	<b>311.23</b>	<b>375.59</b>	...	<b>375.59</b>	<b>337.39</b>	...	<b>337.39</b>	<b>349.39</b>	...	<b>349.39</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2448.55</b>	<b>19.35</b>	<b>2467.90</b>	<b>5408.85</b>	<b>44.98</b>	<b>5453.83</b>	<b>5290.15</b>	<b>43.74</b>	<b>5333.89</b>	<b>5426.19</b>	<b>44.87</b>	<b>5471.06</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	6.14	...	6.14	8.80	...	8.80	6.44	...	6.44	6.78	...	6.78
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>6.14</b>	...	<b>6.14</b>	<b>8.80</b>	...	<b>8.80</b>	<b>6.44</b>	...	<b>6.44</b>	<b>6.78</b>	...	<b>6.78</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1200.57	...	1200.57	3954.75	...	3954.75	3947.54	...	3947.54	3952.00	...	3952.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	28.76	...	28.76	31.36	...	31.36	33.77	...	33.77	35.33	...	35.33
4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1214.10	...	1214.10	1394.94	...	1394.94	1285.46	...	1285.46	1413.43	...	1413.43
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	19.35	19.35	...	44.98	44.98	...	43.74	43.74	...	44.87	44.87
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2443.43</b>	<b>19.35</b>	<b>2462.78</b>	<b>5381.05</b>	<b>44.98</b>	<b>5426.03</b>	<b>5266.77</b>	<b>43.74</b>	<b>5310.51</b>	<b>5400.76</b>	<b>44.87</b>	<b>5445.63</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	19.00	...	19.00	16.94	...	16.94	18.65	...	18.65
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.02	...	-1.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-1.02</b>	...	<b>-1.02</b>	<b>19.00</b>	...	<b>19.00</b>	<b>16.94</b>	...	<b>16.94</b>	<b>18.65</b>	...	<b>18.65</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2448.55</b>	<b>19.35</b>	<b>2467.90</b>	<b>5408.85</b>	<b>44.98</b>	<b>5453.83</b>	<b>5290.15</b>	<b>43.74</b>	<b>5333.89</b>	<b>5426.19</b>	<b>44.87</b>	<b>5471.06</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **संबद्ध कार्यालय:** मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है जिसका नाम केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) है और एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है, इसमें सीएसओ के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय खातों की मानकीकरण, प्रस्तुतिकरण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण सहित पद्धतिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसमें सीएसओ के विभागीय कैंटीन के वेतन संबंधी व्यय, अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और राष्ट्रीय आय और धन में अनुसंधान के लिए भारतीय संघ को अनुदान सहायता को पूरा करने के लिए भी प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए प्रावधान भी शामिल है जो नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में डेटा संबंधी अंतर को पूरा करने के लिए तैयार किए गए डेटा संग्रह के उपयुक्त और मौलिक संबद्ध कार्यक्रमों के विकास से जुड़ा है। यह डेटा के पूरक संग्रह द्वारा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से डेटा एकत्र और सारणीबद्ध भी करता है।

3. **संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी):** यह प्रावधान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए किया गया है।

4. **क्षमता विकास (सीडी):** क्षमता विकास समावेशी योजना है जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ और अन्य दो उप-योजनाओं, आर्थिक जनगणना और सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता की आवश्यकता को शामिल किया गया है।

5. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई):** भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वायत्त संस्थान है, को सहायता अनुदान के तहत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व वाला संस्थान है।

इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 97

इस्पात मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	50.42	1.45	51.87	324.19	1.47	325.66	131.64	8429.36	8561.00	364.22	2997.78	3362.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>50.42</b>	<b>1.45</b>	<b>51.87</b>	<b>324.19</b>	<b>1.47</b>	<b>325.66</b>	<b>131.64</b>	<b>8429.36</b>	<b>8561.00</b>	<b>364.22</b>	<b>2997.78</b>	<b>3362.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	38.05	1.45	39.50	63.31	1.47	64.78	62.67	6.35	69.02	43.86	2.78	46.64
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. भारत में विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	2.35	...	2.35	245.82	...	245.82	55.00	...	55.00	305.00	...	305.00
3. लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना	2.94	...	2.94	7.00	...	7.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
4. भारत में वाणिज्यिक पोतों का आरंभ	5.14	...	5.14	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>10.43</b>	<b>...</b>	<b>10.43</b>	<b>258.82</b>	<b>...</b>	<b>258.82</b>	<b>67.00</b>	<b>...</b>	<b>67.00</b>	<b>318.00</b>	<b>...</b>	<b>318.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
5. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	...	...	...	...	...	...	...	8423.00	8423.00	...	2995.00	2995.00
6. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>8423.01</b>	<b>8423.01</b>	<b>...</b>	<b>2995.00</b>	<b>2995.00</b>
<b>अन्य</b>												
7. अन्य कार्यक्रम	1.94	...	1.94	2.06	...	2.06	1.97	...	1.97	2.36	...	2.36
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1.94</b>	<b>...</b>	<b>1.94</b>	<b>2.06</b>	<b>...</b>	<b>2.06</b>	<b>1.97</b>	<b>8423.01</b>	<b>8424.98</b>	<b>2.36</b>	<b>2995.00</b>	<b>2997.36</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>50.42</b>	<b>1.45</b>	<b>51.87</b>	<b>324.19</b>	<b>1.47</b>	<b>325.66</b>	<b>131.64</b>	<b>8429.36</b>	<b>8561.00</b>	<b>364.22</b>	<b>2997.78</b>	<b>3362.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	12.37	...	12.37	260.88	...	260.88	68.97	...	68.97	320.36	...	320.36
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.05	...	38.05	63.31	...	63.31	62.67	...	62.67	43.86	...	43.86
3. लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	7283.01	7283.01	...	2995.00	2995.00
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.45	1.45	...	1.47	1.47	...	6.35	6.35	...	2.78	2.78
5. लौह और इस्पात उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	1140.00	1140.00	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>50.42</b>	<b>1.45</b>	<b>51.87</b>	<b>324.19</b>	<b>1.47</b>	<b>325.66</b>	<b>131.64</b>	<b>8429.36</b>	<b>8561.00</b>	<b>364.22</b>	<b>2997.78</b>	<b>3362.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>50.42</b>	<b>1.45</b>	<b>51.87</b>	<b>324.19</b>	<b>1.47</b>	<b>325.66</b>	<b>131.64</b>	<b>8429.36</b>	<b>8561.00</b>	<b>364.22</b>	<b>2997.78</b>	<b>3362.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	...	5646.00	5646.00	...	6300.00	6300.00	...	5700.00	5700.00	...	7500.00	7500.00
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	...	636.46	636.46	...	620.00	620.00	8423.00	199.00	8622.00	2995.00	300.00	3295.00
3. एन एम डी सी लिमिटेड	...	2066.00	2066.00	...	2200.00	2200.00	...	4083.00	4083.00	...	3517.00	3517.00
4. के आई ओ सी एल लिमिटेड	...	97.42	97.42	...	237.00	237.00	...	40.00	40.00	...	137.00	137.00
5. मँगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	...	316.09	316.09	...	309.30	309.30	...	309.30	309.30	...	275.50	275.50
6. मेकॉन लिमिटेड	...	15.25	15.25	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	15.00	15.00
7. एमएसटीसी लिमिटेड	...	107.88	107.88	...	10.00	10.00	...	35.00	35.00	...	10.00	10.00
8. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	...	24.12	24.12	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00
9. एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	...	1226.00	1226.00	...	615.00	615.00	...	337.00	337.00	...	150.00	150.00
10. सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	...	4.37	4.37	...	...	...	...	9.11	9.11	...	...	...
11. द ओ एम डी सी लिमिटेड	...	0.02	0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	...	<b>10139.61</b>	<b>10139.61</b>	...	<b>10325.30</b>	<b>10325.30</b>	<b>8423.00</b>	<b>10746.41</b>	<b>19169.41</b>	<b>2995.00</b>	<b>11922.50</b>	<b>14917.50</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

2. **भारत में विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** विशिष्ट ग्रेड के इस्पात के लिए पीएलआई स्कीम का उद्देश्य देश के भीतर इस तरह की श्रेणियों के इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। पीएलआई प्रोत्साहन से विशिष्ट इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और देश में विशिष्ट इस्पात के उत्पादन के लिए पर्याप्त निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

3. **लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना:** इस्पात मंत्रालय लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. **भारत में वाणिज्यिक पोतों का आरंभ:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई द्वारा दी गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सन्मिडी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

5. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):** वित्त मंत्रालय द्वारा आरआईएनएल की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश के रूप में निधि प्रदान की जाती है।

6. **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल):** खराब ऋणों, इन ऋणों पर जमा व्याज और गारंटी शुल्क की छूट के कारण एचएससीएल के संचित घाटे को इस्पात मंत्रालय की लेखा बही से अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से परिवर्तित करने और बट्टे खाते में डालने के लिए संसद से अनुमोदन मांगा गया है।

7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट धातुकर्मियों को वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार, ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क के भुगतान और विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रावधान किया गया हैं।

वस्त्र मंत्रालय

मांग संख्या 98

वस्त्र मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3042.62	16.61	3059.23	4373.38	43.65	4417.03	3299.52	42.48	3342.00	5252.89	19.11	5272.00
वसूलियां	-43.99	...	-43.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2998.63</b>	<b>16.61</b>	<b>3015.24</b>	<b>4373.38</b>	<b>43.65</b>	<b>4417.03</b>	<b>3299.52</b>	<b>42.48</b>	<b>3342.00</b>	<b>5252.89</b>	<b>19.11</b>	<b>5272.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	38.95	0.92	39.87	73.18	2.00	75.18	71.00	2.00	73.00	54.30	2.70	57.00
2. वस्त्र आयुक्त	55.17	0.08	55.25	61.00	0.66	61.66	50.94	0.56	51.50	51.52	0.48	52.00
3. जूट आयुक्त	12.25	0.02	12.27	15.40	0.43	15.83	13.37	0.12	13.49	15.57	0.43	16.00
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)	96.42	14.66	111.08	100.50	14.50	115.00	100.50	14.50	115.00	100.50	14.50	115.00
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	94.16	0.93	95.09	101.00	1.56	102.56	95.20	0.80	96.00	103.00	1.00	104.00
6. निर्यात संवर्धन अध्ययन और गतिविधियां	44.10	...	44.10	5.00	...	5.00	39.80	...	39.80	48.60	...	48.60
7. सीओपी और सीओपी जूट	0.09	...	0.09	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>341.14</b>	<b>16.61</b>	<b>357.75</b>	<b>356.26</b>	<b>19.15</b>	<b>375.41</b>	<b>371.01</b>	<b>17.98</b>	<b>388.99</b>	<b>373.69</b>	<b>19.11</b>	<b>392.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
8. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	577.75	...	577.75	635.00	...	635.00	390.00	...	390.00	635.00	...	635.00
9. कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	...	...	...	600.00	...	600.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम</b>												
10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	186.37	...	186.37	200.00	...	200.00	198.84	...	198.84	200.00	...	200.00
<b>राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम</b>												
11. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	158.85	...	158.85	206.00	...	206.00	175.00	...	175.00	200.00	...	200.00
12. हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	16.60	...	16.60	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	60.00	...	60.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम</b>	<b>175.45</b>	<b>...</b>	<b>175.45</b>	<b>236.00</b>	<b>...</b>	<b>236.00</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>260.00</b>	<b>...</b>	<b>260.00</b>
<b>ऊनी वस्त्र का विकास</b>												
13. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	11.28	...	11.28	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	18.28	...	18.28
<b>रेशम वस्त्र का विकास</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	875.00	...	875.00	900.00	...	900.00	945.56	...	945.56	956.84	...	956.84
<b>जूट उद्योग का विकास</b>												
15. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	73.10	...	73.10	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	90.00	...	90.00
16. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सस्मिडी	28.00	...	28.00	30.00	...	30.00	32.25	...	32.25	38.00	...	38.00
<b>जोड़-जूट उद्योग का विकास</b>	<b>101.10</b>	<b>...</b>	<b>101.10</b>	<b>80.00</b>	<b>...</b>	<b>80.00</b>	<b>92.25</b>	<b>...</b>	<b>92.25</b>	<b>128.00</b>	<b>...</b>	<b>128.00</b>
<b>वस्त्र अवसंरचना</b>												
17. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	12.86	...	12.86	30.00	...	30.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
<b>अनुसंधान और क्षमता निर्माण</b>												
18. वस्त्र हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	4.13	...	4.13	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	1148.00	...	1148.00
19. एकीकृत कौशल विकास योजना	114.99	...	114.99	166.00	...	166.00	331.00	...	331.00	330.00	...	330.00
20. वस्त्र अनुसंधान एवं विकास	5.99	...	5.99	...	...	...	3.60	...	3.60	...	...	...
21. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	62.23	...	62.23	375.00	...	375.00	250.00	...	250.00	370.00	...	370.00
22. वस्त्र क्लस्टर विकास योजना	33.05	...	33.05	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण</b>	<b>220.39</b>	<b>...</b>	<b>220.39</b>	<b>686.00</b>	<b>...</b>	<b>686.00</b>	<b>679.60</b>	<b>...</b>	<b>679.60</b>	<b>1948.00</b>	<b>...</b>	<b>1948.00</b>
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना</b>												
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल्स के उपयोग हेतु योजना	1.36	...	1.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. पीएम-सित्र	0.13	...	0.13	275.50	24.50	300.00	19.50	24.50	44.00	300.00	...	300.00
25. हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन योजना	6.23	...	6.23	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
26. कच्चा माल आपूर्ति योजना	159.72	...	159.72	172.17	...	172.17	172.17	...	172.17	190.99	...	190.99
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>2327.64</b>	<b>...</b>	<b>2327.64</b>	<b>3841.67</b>	<b>24.50</b>	<b>3866.17</b>	<b>2734.93</b>	<b>24.50</b>	<b>2759.43</b>	<b>4659.12</b>	<b>...</b>	<b>4659.12</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
27. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	77.76	...	77.76	98.67	...	98.67	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00
28. वस्त्र समिति को सहायता	54.80	...	54.80	51.77	...	51.77	51.77	...	51.77	42.07	...	42.07
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>132.56</b>	<b>...</b>	<b>132.56</b>	<b>150.44</b>	<b>...</b>	<b>150.44</b>	<b>151.77</b>	<b>...</b>	<b>151.77</b>	<b>192.07</b>	<b>...</b>	<b>192.07</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
29. टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00
30. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	6.80	...	6.80	9.00	...	9.00
31. सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>22.50</b>	<b>...</b>	<b>22.50</b>	<b>23.50</b>	<b>...</b>	<b>23.50</b>	<b>24.30</b>	<b>...</b>	<b>24.30</b>	<b>26.50</b>	<b>...</b>	<b>26.50</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
32. पीएसयू को सहायता	217.34	...	217.34	0.01	...	0.01	16.01	...	16.01	0.01	...	0.01
<b>अन्य</b>												
33. अंतरराष्ट्रीय कपास संस्थान एवं कपास सलाहकार समिति को अंशदान	1.44	...	1.44	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
34. वास्तविक वसूलियां	-43.99	...	-43.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-42.55</b>	...	<b>-42.55</b>	<b>1.50</b>	...	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	...	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	...	<b>1.50</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>329.85</b>	...	<b>329.85</b>	<b>175.45</b>	...	<b>175.45</b>	<b>193.58</b>	...	<b>193.58</b>	<b>220.08</b>	...	<b>220.08</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2998.63</b>	<b>16.61</b>	<b>3015.24</b>	<b>4373.38</b>	<b>43.65</b>	<b>4417.03</b>	<b>3299.52</b>	<b>42.48</b>	<b>3342.00</b>	<b>5252.89</b>	<b>19.11</b>	<b>5272.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1593.70	...	1593.70	1631.04	...	1631.04	1627.44	...	1627.44	1722.72	...	1722.72
2. उद्योग	1365.98	...	1365.98	2556.53	...	2556.53	1485.45	...	1485.45	3350.98	...	3350.98
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.95	...	38.95	73.18	...	73.18	71.00	...	71.00	54.30	...	54.30
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.59	15.59	...	40.56	40.56	...	39.80	39.80	...	15.50	15.50
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.02	1.02	...	3.09	3.09	...	2.68	2.68	...	3.61	3.61
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2998.63</b>	<b>16.61</b>	<b>3015.24</b>	<b>4260.75</b>	<b>43.65</b>	<b>4304.40</b>	<b>3183.89</b>	<b>42.48</b>	<b>3226.37</b>	<b>5128.00</b>	<b>19.11</b>	<b>5147.11</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	112.63	...	112.63	115.63	...	115.63	124.89	...	124.89
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>112.63</b>	<b>...</b>	<b>112.63</b>	<b>115.63</b>	<b>...</b>	<b>115.63</b>	<b>124.89</b>	<b>...</b>	<b>124.89</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2998.63</b>	<b>16.61</b>	<b>3015.24</b>	<b>4373.38</b>	<b>43.65</b>	<b>4417.03</b>	<b>3299.52</b>	<b>42.48</b>	<b>3342.00</b>	<b>5252.89</b>	<b>19.11</b>	<b>5272.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **बख आयुक्त:** बख आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत करघा सेवा केंद्रों का प्रशासन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर करता है, बख आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।

3. **जूट आयुक्त:** जूट आयुक्त भारत में जूट उद्योग के विकास की देखरेख करता है और जूट बख (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का प्रशासन भी करता है, जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे जूट एवं जूट बख (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **विकास आयुक्त (हथकरघा):** यह व्यय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

5. **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प):** यह व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

6. **निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां:** इसका कार्य निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श करना बख और बख मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और डेटा संग्रह करना है।

7. **सीओपी और सीओपी जूट:** भुगतान आयुक्त एवं जूट कंपनियों के भुगतान आयुक्त के व्यय की स्थापना।

8. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** इस योजना में पात्र मशीनरी के लिए एकवारगी पूंजी सन्निधि के साथ बख उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रावधान है।

9. **कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और एमएसपी पर कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण यदि कोई हानि होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

10. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** इस योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाक्लस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल हैं।

11. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों और कारीगरों का विकास।
12. **हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाक्लस्टर की स्थापना हेतु।
13. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक का उन्नयन करने के लिए, सफाई, कार्वनीकरण, धुनाई, रंगाई, कताई, बुनाई जैसी ऊन प्रसंस्करण और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए लद्दाख क्षेत्र में पशमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसमें ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए।
14. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है।
15. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** इस योजना में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान है। यह व्यय पहले जूट उपकर संग्रह के लिए किए गए भुगतान से पूरा किया जा रहा था।
16. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सन्धिडी:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता।
17. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना।
18. **वस्त्र हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है।
19. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना।
20. **वस्त्र अनुसंधान एवं विकास:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
21. **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** तकनीकी वस्त्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।
22. **टेक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना:** वस्त्र क्लस्टर विकास योजना
23. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो -टेक्सटाइल्स के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में जियो -टेक्सटाइल का उपयोग करना
24. **पीएम-मित्र:** पीएम -मित्र वस्त्र श्रमिकों के कौशल विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना है।
25. **हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन स्कीम:** हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन स्कीम।
26. **कच्चा माल आपूर्ति योजना:** कच्चा माल की आपूर्ति योजना एनएचडीपी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए है।
27. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
28. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को सहायता
29. **टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए:** वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) संस्थानों आदि के आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए जूट उद्योग अनुसंधान संघ का प्रशासनिक व्यय।
30. **भारतीय कालीन (कारपेट) प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** कालीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और संस्थागत खर्चों के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)।
31. **सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता:** सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता।
32. **पीएसयू को सहायता:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वीआरएस के कार्य प्रचालन और अनुदान को समाप्त करने के लिए
33. **अंतरराष्ट्रीय कपास संस्थान एवं कपास सलाहकार समिति को अंशदान:** अंतरराष्ट्रीय कपास संस्थान एवं कपास सलाहकार समिति को अंशदान



पर्यटन मंत्रालय  
मांग संख्या 99  
पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	810.14	...	810.14	2483.12	1.77	2484.89	851.14	4.49	855.63	2534.94	6.13	2541.07
वसूलियां	-8.32	...	-8.32	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-0.01	...	-0.01
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	801.82	...	801.82	2477.85	1.77	2479.62	845.87	4.49	850.36	2534.93	6.13	2541.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	10.93	...	10.93	11.50	...	11.50	11.96	...	11.96	12.14	...	12.14
2. पर्यटन महानिदेशक	83.52	...	83.52	87.01	1.77	88.78	96.64	4.49	101.13	92.78	6.13	98.91
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>94.45</b>	...	<b>94.45</b>	<b>98.51</b>	<b>1.77</b>	<b>100.28</b>	<b>108.60</b>	<b>4.49</b>	<b>113.09</b>	<b>104.92</b>	<b>6.13</b>	<b>111.05</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>पर्यटन अवसंरचना</b>												
3. विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	349.87	...	349.87	1750.00	...	1750.00	350.00	...	350.00	1900.00	...	1900.00
4. तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)	125.90	...	125.90	240.00	...	240.00	100.00	...	100.00	240.00	...	240.00
5. पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता	50.62	...	50.62	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
6. चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना	2.81	...	2.81	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
<b>जोड़-पर्यटन अवसंरचना</b>	<b>529.20</b>	...	<b>529.20</b>	<b>2080.03</b>	...	<b>2080.03</b>	<b>540.00</b>	...	<b>540.00</b>	<b>2230.03</b>	...	<b>2230.03</b>
<b>संवर्धन एवं प्रचार</b>												
7. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	51.04	...	51.04	33.02	...	33.02	33.00	...	33.00	3.07	...	3.07
	-3.05	...	-3.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>47.99</i>	...	<i>47.99</i>	<i>33.02</i>	...	<i>33.02</i>	<i>33.00</i>	...	<i>33.00</i>	<i>3.07</i>	...	<i>3.07</i>
8. बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	71.51	...	71.51	176.97	...	176.97	92.95	...	92.95	136.90	...	136.90
<b>जोड़-संवर्धन एवं प्रचार</b>	<b>119.50</b>	...	<b>119.50</b>	<b>209.99</b>	...	<b>209.99</b>	<b>125.95</b>	...	<b>125.95</b>	<b>139.97</b>	...	<b>139.97</b>
<b>प्रशिक्षण एवं कौशल विकास</b>												
9. आई.एच.एम/ एंफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम/ एन. आई. डब्ल्यू.एस.	31.71	...	31.71	50.00	...	50.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
को सहायता												
10. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	21.69	...	21.69	34.05	...	34.05	34.05	...	34.05	25.00	...	25.00
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	<b>53.40</b>	...	<b>53.40</b>	<b>84.05</b>	...	<b>84.05</b>	<b>66.05</b>	...	<b>66.05</b>	<b>60.00</b>	...	<b>60.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>702.10</b>	...	<b>702.10</b>	<b>2374.07</b>	...	<b>2374.07</b>	<b>732.00</b>	...	<b>732.00</b>	<b>2430.00</b>	...	<b>2430.00</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
11. महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल												
11.01 निर्भया निधि में अंतरण	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
11.02 कार्यक्रम घटक	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
11.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-5.27	...	-5.27	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01
<b>कुल जोड़</b>	<b>801.82</b>	...	<b>801.82</b>	<b>2477.85</b>	<b>1.77</b>	<b>2479.62</b>	<b>845.87</b>	<b>4.49</b>	<b>850.36</b>	<b>2534.93</b>	<b>6.13</b>	<b>2541.06</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. विविध सामान्य सेवाएं	...	...	...	0.50	...	0.50	0.20	...	0.20	0.25	...	0.25
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	...	...	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.20</b>	...	<b>0.20</b>	<b>0.25</b>	...	<b>0.25</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	...	...	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	10.93	...	10.93	11.50	...	11.50	11.96	...	11.96	12.14	...	12.14
4. पर्यटन	790.89	...	790.89	2227.84	...	2227.84	759.70	...	759.70	2282.53	...	2282.53
5. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.77	1.77	...	4.49	4.49	...	6.13	6.13
जोड़-आर्थिक सेवाएं	<b>801.82</b>	...	<b>801.82</b>	<b>2239.34</b>	<b>1.77</b>	<b>2241.11</b>	<b>771.66</b>	<b>4.49</b>	<b>776.15</b>	<b>2294.67</b>	<b>6.13</b>	<b>2300.80</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	238.00	...	238.00	74.00	...	74.00	240.00	...	240.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	...	...	...	<b>238.00</b>	...	<b>238.00</b>	<b>74.00</b>	...	<b>74.00</b>	<b>240.00</b>	...	<b>240.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>801.82</b>	...	<b>801.82</b>	<b>2477.85</b>	<b>1.77</b>	<b>2479.62</b>	<b>845.87</b>	<b>4.49</b>	<b>850.36</b>	<b>2534.93</b>	<b>6.13</b>	<b>2541.06</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	71.86	71.86	...	...	...	...	70.42	70.42	...	70.42	70.42
2. कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्रा.लि.	...	8.18	8.18	...	12.00	12.00	...	9.00	9.00	...	10.00	10.00
<b>जोड़</b>	...	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>	...	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	...	<b>79.42</b>	<b>79.42</b>	...	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>

- सचिवालय:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।
- पर्यटन महानिदेशक:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना तथा इसके अधीन आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है। पर्यटक सूचना का प्रसार, पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, होटल, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों, आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों का विनियमन उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें बेहतर पर्यटक सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए भी प्रावधान किया गया है।
- विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** इस योजना का उद्देश्य उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांत पर विषय आधारित पर्यटक सर्किट का विकास करना, पर्यटन अनुभव और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता और धारणा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास से एकीकृत रूप में प्रतिस्पर्धात्मक और संधारणीयता विकसित करना है। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 थीमेटिक सर्किटों को शामिल करते हुए 76 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।
- तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद):** प्रसाद योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक/आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर ध्यान देते हुए प्रयासों में तालमेल कायम करके एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धात्मक एवं संधारणीयता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है।
- पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास इसके लक्षित उद्देश्यों तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का समग्र विकास संभव नहीं होगा क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पत्तन न्यास, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में हैं, और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटक रूचि के स्थलों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों से सम्भव नहीं होगा तथा विकास के पश्चात विशेषज्ञता और अनुसंधान और प्रबंधन अनुभव की अभिसारिता की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्व वाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक रूचि वाले स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संवर्धित करने हेतु प्रावधान किया गया है।

- चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना:** चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य स्थान बनाने और घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए अधिक समृद्ध अनुभव वाला स्थल बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से तैयार की गई है।
- बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पसंदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के अंतर्गत अत्यधिक प्रचार और विपणन अभियान चलाए जाते हैं। मंत्रालय इंफ्लुएंसिबल इंडिया ब्रांड के विपणन के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए तथा नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है।
- बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत, घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटक स्थल के रूप में संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।
- आई.एच.एम/ एंफ.सी.आई./आई.आई.टी.एम/ एन. आई.डब्ल्यू.एस. को सहायता:** देश में पर्यटन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की भारी कमी है। पर्यटन मंत्रालय मौजूदा होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) का विस्तार और उन्नयन करने तथा होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई) जैसे नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए भी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए योजना के तहत आवंटित निधि का उपयोग किया जा सके।
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका शीर्षक हुनर से रोजगार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए है। कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को प्रमाणित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने तथा सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप को सुविधा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है।

11. **महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के आसपास सुरक्षित, भय रहित और महिला अनुकूल परिवेश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और अपराध और उत्पीड़न के डर के बिना यात्रा कर सकेंगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	7528.85	16.38	7545.23	12968.17	31.83	13000.00	10235.22	2.11	10237.33	14894.08	31.73	14925.81
<b>वसूलियां</b>	-33.59	...	-33.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	39.74	1.38	41.12	40.21	1.70	41.91	43.80	1.69	45.49	42.57	1.60	44.17
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	15.79	...	15.79	19.64	0.13	19.77	19.87	0.42	20.29	19.55	0.13	19.68
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>55.53</b>	<b>1.38</b>	<b>56.91</b>	<b>59.85</b>	<b>1.83</b>	<b>61.68</b>	<b>63.67</b>	<b>2.11</b>	<b>65.78</b>	<b>62.12</b>	<b>1.73</b>	<b>63.85</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय जनजाति कल्याण कार्यक्रम</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास	...	...	...	107.52	...	107.52	2.00	...	2.00	...	...	...
<b>एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)</b>												
4. एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)	2447.06	...	2447.06	6399.00	...	6399.00	4748.92	...	4748.92	7088.60	...	7088.60
<b>राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम</b>												
5.01 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता	149.95	...	149.95	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	175.00	...	175.00
5.02 अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि	...	...	...	...	30.00	30.00	...	...	...	...	30.00	30.00
5.03 प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	137.10	...	137.10	152.32	...	152.32	152.32	...	152.32	380.40	...	380.40
5.04 जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम	32.04	...	32.04	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	27.00	...	27.00
5.05 निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा)	8.80	...	8.80	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00
5.06 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	230.00	...	230.00	165.00	...	165.00	240.00	...	240.00	0.02	...	0.02
5.07 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.08 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	9.97	...	9.97	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
जोड़- राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम	574.86	...	574.86	560.32	30.00	590.32	620.32	...	620.32	619.43	30.00	649.43
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3021.92</b>	<b>...</b>	<b>3021.92</b>	<b>7066.84</b>	<b>30.00</b>	<b>7096.84</b>	<b>5371.24</b>	<b>...</b>	<b>5371.24</b>	<b>7708.03</b>	<b>30.00</b>	<b>7738.03</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. राष्ट्रीय/ राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	...	15.00	15.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>अन्य</b>												
7. वास्तविक वसूलियां	-33.59	...	-33.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>-33.59</b>	<b>15.00</b>	<b>-18.59</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम</b>												
8. अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)												
8.01 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	308.60	...	308.60	440.36	...	440.36	200.00	...	200.00	313.79	...	313.79
8.02 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	2668.83	...	2668.83	2432.68	...	2432.68	2462.68	...	2462.68	2462.68	...	2462.68
8.03 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	43.53	...	43.53	111.00	...	111.00	90.00	...	90.00	111.00	...	111.00
8.04 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	...	...	...	20.00	...	20.00	74.55	...	74.55	...	...	...
8.05 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	149.93	...	149.93	1000.00	...	1000.00	127.51	...	127.51	335.97	...	335.97
8.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक लागत	8.41	...	8.41	55.96	...	55.96	25.00	...	25.00	59.01	...	59.01
8.07 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	100.00	...	100.00	240.00	...	240.00	150.00	...	150.00	300.00	...	300.00
8.08 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
जोड़- अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)	3279.30	...	3279.30	4300.00	...	4300.00	3629.74	...	3629.74	5582.45	...	5582.45
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
<b>संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान</b>												
9. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1172.10	...	1172.10	1541.47	...	1541.47	1170.57	...	1170.57	1541.47	...	1541.47
10. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
<b>जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान</b>	<b>1172.10</b>	<b>...</b>	<b>1172.10</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>	<b>1170.57</b>	<b>...</b>	<b>1170.57</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>1172.10</b>	<b>...</b>	<b>1172.10</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>	<b>1170.57</b>	<b>...</b>	<b>1170.57</b>	<b>1541.48</b>	<b>...</b>	<b>1541.48</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	3046.27	...	3046.27	6611.69	...	6611.69	5011.21	...	5011.21	7083.52	...	7083.52
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	39.72	...	39.72	40.21	...	40.21	43.80	...	43.80	42.57	...	42.57
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.00	15.00	...	30.00	30.00	...	...	...	...	30.00	30.00
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.38	1.38	...	1.83	1.83	...	2.11	2.11	...	1.73	1.73
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3085.99</b>	<b>16.38</b>	<b>3102.37</b>	<b>6651.90</b>	<b>31.83</b>	<b>6683.73</b>	<b>5055.01</b>	<b>2.11</b>	<b>5057.12</b>	<b>7126.09</b>	<b>31.73</b>	<b>7157.82</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1303.85	...	1303.85	1134.22	...	1134.22	1498.33	...	1498.33
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4394.10	...	4394.10	4993.40	...	4993.40	4021.76	...	4021.76	6204.76	...	6204.76
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	15.17	...	15.17	19.02	...	19.02	24.23	...	24.23	64.90	...	64.90
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>4409.27</b>	<b>...</b>	<b>4409.27</b>	<b>6316.27</b>	<b>...</b>	<b>6316.27</b>	<b>5180.21</b>	<b>...</b>	<b>5180.21</b>	<b>7767.99</b>	<b>...</b>	<b>7767.99</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>7495.26</b>	<b>16.38</b>	<b>7511.64</b>	<b>12968.17</b>	<b>31.83</b>	<b>13000.00</b>	<b>10235.22</b>	<b>2.11</b>	<b>10237.33</b>	<b>14894.08</b>	<b>31.73</b>	<b>14925.81</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	15.00	...	15.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास योजना के तहत कारीगरों की पहचान करने और उनके उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने, पूर्वोत्तर उत्पादों की बिक्री को मुख्यधारा में लाने और बढ़ाने तथा पूर्वोत्तर की जनजातियों की आय में वृद्धि व समुदाय के लिए सालभर की आजीविका की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस):** देश में सभी क्षेत्रों और पर्यावासों (हैबीटेड) में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के बराबर महत्व रखते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो सकें बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति आवादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

5.01. **अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वेच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता:** सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में सहायता के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले आदिवासी क्षेत्रों में अंतराल को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि:** सामाजिक क्षेत्र की पहल के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि की योजना का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों की आवादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख है। इस योजना का उद्देश्य एसटी उद्यमियों द्वारा नए इंक्यूबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को पथ-प्रदर्शन प्रदान करना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करती है, जो समाज के लिए समृद्धि और मूल्य सृजन करेगा और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.03. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना का उद्देश्य जनजातीय आजीविका में परिवर्तनकारी रूपान्तरण लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनजातीय उद्यमों की क्षमता का उपयोग करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि/फूलों की खेती/बागवानी/औषधीय और सुगंधित पौधों/अन्य के आधार पर गैर-एमएफपी कार्यक्रमों को शुरू करके जनजातियों के लिए साल भर आय सृजन करने का अवसर सुनिश्चित करना होगा। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.04. **जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम:** यह योजना उन राज्यों में लागू की गई है जहां अनुसूची V वाले क्षेत्र हैं। जनजातियों से संबंधित मुद्दों के संबंध में जनजातीय उत्सवों के आयोजन और अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया जाता है। देश में जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए उनको शामिल करने हेतु उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी गई है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.05. **निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा):** इस मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन पर व्यय का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.06. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भारत में उच्च अध्ययन अर्थात् एम.फिल और पीएचडी के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च

शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित श्रेणी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.07. **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना:** विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए चयनित एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-2024 से इस उप-योजना को 'राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत लाया गया है।

5.08. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का उद्देश्य स्थायी आजीविका के अवसर सृजन करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

8.01. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.03. **जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता:** जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी प्रथाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, एफआरए, पीईएसए, संवैधानिक प्रावधान संबंधी अधिकारियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के तहत लाया गया है।

8.04. **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास:** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की पिछड़ी आवादी के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों का प्रावधान किया गया है। चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए संबंधित राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए उनका समग्र रूप से विकास किया जा सके। वर्ष 2022-2023 से, इस उप-योजना को अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है।

8.05. **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई):** जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना पूर्व में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करती थी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतराल को भरने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों सहित अनुसूचित जनजाति आवादी अधिसूचित की है।



8.07. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का लक्ष्य पीवीटीजी, परिवारों और निवास से संबंधित सुविधा जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेय जल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और सड़क और दूरसंचार संपर्क प्रदान करते हुए पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

8.08. **धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए):** धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य 63843 गांवों में अवसंरचना की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

9. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत, जनजातीय बहुल राज्यों सहित अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले राज्यों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के मुजन हेतु और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बाकी राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान:** यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान प्रदान करने के लिए किया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	25509.98	8.48	25518.46	26588.81	3.38	26592.19	23679.60	3.38	23682.98	27384.99	4.70	27389.69
<b>वसूलियां</b>	-822.90	...	-822.90	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>24687.08</b>	<b>8.48</b>	<b>24695.56</b>	<b>26088.81</b>	<b>3.38</b>	<b>26092.19</b>	<b>23179.60</b>	<b>3.38</b>	<b>23182.98</b>	<b>26884.99</b>	<b>4.70</b>	<b>26889.69</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	59.13	8.48	67.61	80.41	3.38	83.79	74.80	3.38	78.18	80.30	4.70	85.00
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	15.17	...	15.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>74.30</b>	<b>8.48</b>	<b>82.78</b>	<b>80.41</b>	<b>3.38</b>	<b>83.79</b>	<b>74.80</b>	<b>3.38</b>	<b>78.18</b>	<b>80.30</b>	<b>4.70</b>	<b>85.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	63.04	...	63.04	88.87	...	88.87	79.50	...	79.50	90.00	...	90.00
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	8.67	...	8.67	11.40	...	11.40	23.47	...	23.47	14.49	...	14.49
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	34.85	...	34.85	24.79	...	24.79	23.63	...	23.63	25.00	...	25.00
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	30.16	...	30.16	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	50.10	...	50.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>186.82</b>	<b>...</b>	<b>186.82</b>	<b>153.06</b>	<b>...</b>	<b>153.06</b>	<b>154.60</b>	<b>...</b>	<b>154.60</b>	<b>157.49</b>	<b>...</b>	<b>157.49</b>
<b>अन्य</b>												
8. राष्ट्रीय पुरस्कार	1.32	...	1.32	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
9. यूनिसेफ के लिए अंशदान	...	...	...	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>1.32</b>	<b>...</b>	<b>1.32</b>	<b>7.20</b>	<b>...</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	<b>...</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	<b>...</b>	<b>7.20</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>188.14</b>	<b>...</b>	<b>188.14</b>	<b>160.26</b>	<b>...</b>	<b>160.26</b>	<b>161.80</b>	<b>...</b>	<b>161.80</b>	<b>164.69</b>	<b>...</b>	<b>164.69</b>
<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन</b>												
10. निर्भया निधि से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	25.55	...	25.55	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
11. निर्भया निधि को अंतरण	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
12. निर्भया निधि से पूरी की गयी राशि	-25.55	...	-25.55	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
<b>जोड़-महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>...</b>	<b>30.00</b>
13. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं , पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना)	21809.64	...	21809.64	21200.00	...	21200.00	20070.90	...	20070.90	21960.00	...	21960.00
14. मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा)	1390.71	...	1390.71	1472.17	...	1472.17	1391.00	...	1391.00	1500.00	...	1500.00
15. मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)												
15.01 सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन-स्टॉप केन्द्र , नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि)	356.51	...	356.51	629.00	...	629.00	422.36	...	422.36	629.00	...	629.00
15.02 सामर्थ्य ( शक्ति सदन(स्वाधार, उज्वला, विधवा गृह) सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल), पालना राष्ट्रीय क्रेच योजना), प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना/राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र/ लैंगिक बजट/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया आदि)	1165.13	...	1165.13	2516.97	...	2516.97	1028.74	...	1028.74	2521.00	...	2521.00
जोड़- मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)	1521.64	...	1521.64	3145.97	...	3145.97	1451.10	...	1451.10	3150.00	...	3150.00
16. वास्तविक वसूलियां	-797.35	...	-797.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>24424.64</b>	<b>...</b>	<b>24424.64</b>	<b>25848.14</b>	<b>...</b>	<b>25848.14</b>	<b>22943.00</b>	<b>...</b>	<b>22943.00</b>	<b>26640.00</b>	<b>...</b>	<b>26640.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>24687.08</b>	<b>8.48</b>	<b>24695.56</b>	<b>26088.81</b>	<b>3.38</b>	<b>26092.19</b>	<b>23179.60</b>	<b>3.38</b>	<b>23182.98</b>	<b>26884.99</b>	<b>4.70</b>	<b>26889.69</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	696.23	...	696.23	1226.29	...	1226.29	977.86	...	977.86	1095.96	...	1095.96
2. पोषण	15.14	...	15.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	50.11	...	50.11	80.41	...	80.41	74.80	...	74.80	80.30	...	80.30
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.48	8.48	...	3.38	3.38	...	3.38	3.38	...	4.70	4.70
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>761.48</b>	<b>8.48</b>	<b>769.96</b>	<b>1306.70</b>	<b>3.38</b>	<b>1310.08</b>	<b>1052.66</b>	<b>3.38</b>	<b>1056.04</b>	<b>1176.26</b>	<b>4.70</b>	<b>1180.96</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2733.90	...	2733.90	2300.00	...	2300.00	2615.38	...	2615.38
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	23145.45	...	23145.45	21235.88	...	21235.88	18922.79	...	18922.79	22195.95	...	22195.95
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	780.15	...	780.15	812.33	...	812.33	904.15	...	904.15	897.40	...	897.40
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>23925.60</b>	<b>...</b>	<b>23925.60</b>	<b>24782.11</b>	<b>...</b>	<b>24782.11</b>	<b>22126.94</b>	<b>...</b>	<b>22126.94</b>	<b>25708.73</b>	<b>...</b>	<b>25708.73</b>

(₹ करोड़)

कुल जोड़	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	24687.08	8.48	24695.56	26088.81	3.38	26092.19	23179.60	3.38	23182.98	26884.99	4.70	26889.69

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस संबंधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता भी शामिल है।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास व्यूरो के अंतर्गत एक तकनीकी सहायता शाखा है। एफएनबी पोषण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। यह पोषण शिक्षा और विस्तार सेवाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से पोषण शिक्षा और जागरूकता के लिए सूचना प्रदान करता है। एफएनबी अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बंद हो गया है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी):** एनआईपीसीसीडी जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बेंगलूर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यकता को भी पूरा करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए):** केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है और इसको देश में और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की देखरेख और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएआरए प्राथमिक रूप से अपनी संबद्ध मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित कार्य करती है। किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 (ग) के तहत यथा अधिदेशित 'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' द्वारा तैयार किए गए दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 को दिनांक 04 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया गया है। दत्तक-ग्रहण विनियमन, 2017 ने दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित किया है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** एनसीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों के जीवन, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बाल अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। इसको संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण एवं जांच के लिए अधिदेश दिया गया है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के वंचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्ल्यूवी ने महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में - महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा का संघनित

पाठ्यक्रम, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह योजना, परिवार परामर्श केंद्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं। ये योजनाएं राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। सीएसडब्ल्यूवी अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बंद हो गया है।

8. **राष्ट्रीय पुरस्कार:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

9. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** इसका उद्देश्य यूनिसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान पर होने वाले व्यय को पूरा करना है।

13. **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं , पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना):** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - इस योजना का उद्देश्य कुपोषण के बीच स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली कार्यप्रणालियों का विकास करना है। पोषण परिणामों को अधिक बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरियों और पोषण अभियान की योजनाओं को पोषण 2.0 के तहत फिर से संरेखित किया गया है। योजनाओं के तहत घटकों को 3 प्राथमिक वर्गों में पुनर्गठित किया गया है, जैसे पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

योजना के तहत आवंटन में पीएम-जनमन के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 120 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 120 करोड़ रुपये और धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 30.00 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 75.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

14. **मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा):** मिशन वात्सल्य - यह योजना देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और अन्य संवेदनशील बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के घटकों में बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन, पालन-पोषण और दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल शामिल हैं। यह चाइल्ड लाइन और चाइल्ड ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से आफ्टर केयर कार्यक्रम और आपातकालीन आउटरीच सेवा को भी सहायता प्रदान करता है।

15.01. **सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन-स्टॉप केन्द्र , नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि):** मिशन शक्ति (संबल) - इस उप-स्कीम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहुंच में सुधार करना है और सभी प्रयासों और विभिन्न सरकारी पहलों को एकीकृत करना है, साथ ही हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं के अधिकारों और उनकी हकदारी को निरंतर आधार पर समग्र रूप में सुरक्षित करना और राष्ट्र निर्माण में एकीकृत भागीदारों के रूप में फिर से उबरने में उनकी सहायता करना है।

15.02. **सामर्थ्य ( शक्ति सदन(स्वाधार, उज्वला, विधवा गृह) सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल), पालना राष्ट्रीय क्रेच योजना), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र/ लैंगिक बजट/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया**

**आदि):** मिशन शक्ति (सामर्थ्य) – इस उप-योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए सुदृढीकरण और अभिसरण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार लाना है। इस उप-योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास और सशक्तीकरण करना है। इस उप-योजना के घटक शक्ति सदन, सखी निवास, पालना-क्रेच सुविधा, प्रधान मंत्री मातृवंदना योजना, महिला सशक्तीकरण केन्द्र, लैंगिक बजट और अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया समर्थन है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
मांग संख्या 102  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3021.52	2.51	3024.03	3435.85	6.47	3442.32	3226.87	5.98	3232.85	3788.49	5.81	3794.30
वसूलियां	-41.43	...	-41.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2980.09</b>	<b>2.51</b>	<b>2982.60</b>	<b>3435.85</b>	<b>6.47</b>	<b>3442.32</b>	<b>3226.87</b>	<b>5.98</b>	<b>3232.85</b>	<b>3788.49</b>	<b>5.81</b>	<b>3794.30</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	37.53	2.36	39.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. सचिवालय खेल	...	...	...	22.74	1.66	24.40	...	...	...	...	...	...
3. सचिवालय युवा मामले	...	...	...	18.99	1.26	20.25	37.66	2.43	40.09	39.53	2.26	41.79
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>37.53</b>	<b>2.36</b>	<b>39.89</b>	<b>41.73</b>	<b>2.92</b>	<b>44.65</b>	<b>37.66</b>	<b>2.43</b>	<b>40.09</b>	<b>39.53</b>	<b>2.26</b>	<b>41.79</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. राष्ट्रीय सेवा योजना	185.58	0.03	185.61	249.55	0.45	250.00	249.55	0.45	250.00	449.55	0.45	450.00
5. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
5.01 राष्ट्रीय युवा कोर	50.45	...	50.45	75.00	...	75.00	18.25	...	18.25	65.00	...	65.00
5.02 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	23.26	...	23.26	22.00	...	22.00	45.00	...	45.00	25.00	...	25.00
5.03 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	32.14	...	32.14	11.70	...	11.70	11.70	...	11.70	55.00	...	55.00
5.04 युवा छात्रावास	0.70	0.12	0.82	1.90	3.10	5.00	1.90	3.10	5.00	1.90	3.10	5.00
5.05 स्काउटिंग और गाईडिंग	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75
5.06 राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम	7.93	...	7.93	9.00	...	9.00	6.00	...	6.00	9.25	...	9.25
5.07 युवा पोर्टल-युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता	...	...	...	13.30	...	13.30	13.30	...	13.30	90.00	...	90.00
<b>जोड़- राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम</b>	<b>115.23</b>	<b>0.12</b>	<b>115.35</b>	<b>133.65</b>	<b>3.10</b>	<b>136.75</b>	<b>96.90</b>	<b>3.10</b>	<b>100.00</b>	<b>246.90</b>	<b>3.10</b>	<b>250.00</b>
6. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	83.01	...	83.01	39.00	...	39.00	42.65	...	42.65	37.00	...	37.00
7. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण	0.78	...	0.78	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
8. राष्ट्रीय खेल विकास निधि	46.00	...	46.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
9. राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता	321.58	...	321.58	340.00	...	340.00	340.00	...	340.00	400.00	...	400.00
10. खेलों में मानव संसाधन विकास योजना	3.04	...	3.04	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	4.00	...	4.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र	8.33	...	8.33	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
12. खेलो इंडिया	872.20	...	872.20	900.00	...	900.00	800.00	...	800.00	1000.00	...	1000.00
13. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी	...	...	...	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00	20.00	...	20.00
14. राष्ट्रमंडल खेल	9.60	...	9.60	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>1645.35</b>	<b>0.15</b>	<b>1645.50</b>	<b>1701.31</b>	<b>3.55</b>	<b>1704.86</b>	<b>1566.21</b>	<b>3.55</b>	<b>1569.76</b>	<b>2187.46</b>	<b>3.55</b>	<b>2191.01</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
15. नेहरू युवा केंद्र संगठन	334.40	...	334.40	426.00	...	426.00	412.00	...	412.00	423.50	...	423.50
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	19.50	...	19.50	26.50	...	26.50	23.50	...	23.50	26.00	...	26.00
17. मेरा युवा भारत	...	...	...	200.00	...	200.00	74.76	...	74.76	82.48	...	82.48
18. भारतीय खेल प्राधिकरण	795.76	...	795.76	822.60	...	822.60	815.00	...	815.00	830.00	...	830.00
19. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	64.45	...	64.45	78.51	...	78.51	66.65	...	66.65	85.00	...	85.00
20. राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला	17.85	...	17.85	22.00	...	22.00	18.70	...	18.70	23.00	...	23.00
21. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी	21.73	...	21.73	22.30	...	22.30	20.30	...	20.30	24.30	...	24.30
22. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय	81.95	...	81.95	91.90	...	91.90	189.09	...	189.09	63.72	...	63.72
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1335.64</b>	<b>...</b>	<b>1335.64</b>	<b>1689.81</b>	<b>...</b>	<b>1689.81</b>	<b>1620.00</b>	<b>...</b>	<b>1620.00</b>	<b>1558.00</b>	<b>...</b>	<b>1558.00</b>
<b>अन्य</b>												
23. विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी को अंशदान	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
24. वास्तविक वसूलियां	-41.43	...	-41.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-38.43</b>	<b>...</b>	<b>-38.43</b>	<b>3.00</b>	<b>...</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>...</b>	<b>3.00</b>	<b>3.50</b>	<b>...</b>	<b>3.50</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1297.21</b>	<b>...</b>	<b>1297.21</b>	<b>1692.81</b>	<b>...</b>	<b>1692.81</b>	<b>1623.00</b>	<b>...</b>	<b>1623.00</b>	<b>1561.50</b>	<b>...</b>	<b>1561.50</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2980.09</b>	<b>2.51</b>	<b>2982.60</b>	<b>3435.85</b>	<b>6.47</b>	<b>3442.32</b>	<b>3226.87</b>	<b>5.98</b>	<b>3232.85</b>	<b>3788.49</b>	<b>5.81</b>	<b>3794.30</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. खेल और युवा मामले	2942.63	...	2942.63	3062.87	...	3062.87	2767.90	...	2767.90	3403.17	...	3403.17
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	37.46	...	37.46	41.73	...	41.73	37.66	...	37.66	39.53	...	39.53
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.51	2.51	...	3.09	3.09	...	3.09	3.09	...	3.09	3.09
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.37	3.37	...	2.88	2.88	...	2.71	2.71
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2980.09</b>	<b>2.51</b>	<b>2982.60</b>	<b>3104.60</b>	<b>6.46</b>	<b>3111.06</b>	<b>2805.56</b>	<b>5.97</b>	<b>2811.53</b>	<b>3442.70</b>	<b>5.80</b>	<b>3448.50</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	331.25	...	331.25	421.31	...	421.31	345.79	...	345.79
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>331.25</b>	<b>0.01</b>	<b>331.26</b>	<b>421.31</b>	<b>0.01</b>	<b>421.32</b>	<b>345.79</b>	<b>0.01</b>	<b>345.80</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2980.09</b>	<b>2.51</b>	<b>2982.60</b>	<b>3435.85</b>	<b>6.47</b>	<b>3442.32</b>	<b>3226.87</b>	<b>5.98</b>	<b>3232.85</b>	<b>3788.49</b>	<b>5.81</b>	<b>3794.30</b>

3. **सचिवालय युवा मामले:** यह प्रावधान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

4. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थी/युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एनएसएस का संचालन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर किया जाता है। एनएसएस का लक्ष्य छात्रों के सामाजिक विवेक को जाग्रत करना और उन्हें सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।

5.01. **राष्ट्रीय युवा कोर:** राष्ट्रीय युवा कोर उप-योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यकलापों में युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्रावधान मानदेय के भुगतान लिए किया गया है।

5.02. **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:** राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम उप-योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामतः युवा कार्यकलापों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य समान उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर निधि की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है। बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने की बजाय समेकित बजट का प्रावधान किया गया है। इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम को बढ़ाने में सहक्रियाशीलता और समाभिरूपता होगी।

5.03. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत प्रावधान बहुपक्षीय निकायों, युवा आदान-प्रदान प्रतिनिधिमंडलों आदि में अंशदान के लिए है।

5.04. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। यह प्रावधान युवा छात्रावासों के सतत निर्माण पर व्यय को पूरा करने और मौजूदा छात्रावासों की मामूली मरम्मत और छात्रावास प्रबंधकों और वार्डन को पारिश्रमिक के भुगतान करने के लिए है।

5.05. **स्काउटिंग और गाईडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु किया गया है।

5.06. **राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम:** राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम उप-योजना का लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।

5.07. **युवा पोर्टल-युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता:** यह प्रशिक्षित और कुशल युवा स्वयंसेवकों का राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए है।

6. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु नकद पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को सराहनीय पेंशन दी जाती है। इसमें खिलाड़ियों को विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि देने का प्रावधान भी शामिल है। इसमें बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 2024-25 तथा बजट अनुमान 2025-26 में सराहनीय पेंशन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट शामिल है।

7. **खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण:** यह विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता के लिए है, जिन्होंने खेल में देश का गौरव बढ़ाया था।

8. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि:** इस निधि को 1998 में चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1890 के तहत सामान्य रूप से खेलों को बढ़ावा देने और विशेष रूप से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

9. **राष्ट्रीय खेल संघ की सहायता:** मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. **खेलों में मानव संसाधन विकास योजना:** खेलों में मानव संसाधन विकास योजना, खेल विकास के शैक्षणिक और बौद्धिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के तहत खेल और खेलों से संबंधित विशिष्ट विषयों में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। संगोष्ठी, क्लिनिकल ट्रेनिंग, कार्यशाला, योग्यता परीक्षा और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11. **राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र:** देश में खेलों और क्रीड़ा के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान केंद्र विकसित किया जा रहा है जिसकी हब और स्पोक मॉडल के तहत देश के अन्य हिस्सों में शाखाएं होंगी।

12. **खेलो इंडिया:** खेलों इंडिया योजना समावेशी योजना है, जिसका उद्देश्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जो कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनसंख्या को इसके लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो बच्चों और युवाओं का सामुदायिक विकास, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

13. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढोत्तरी:** यह योजना शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जम्मू और कश्मीर में खेल अवसंरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को उन्नत तथा विकसित किया जाएगा।

15. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र संगठन एक स्वायत्त निकाय है जो समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के अब 29 राज्यों में कार्यालय हैं जो देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 623 जिलों में कार्य कर रहे हैं।



16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी कार्यक्रमों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। आरजीएनआईवाईडी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संसद से अधिनियम संख्या 35/2012 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

17. **मेरा युवा भारत:** मेरा युवा भारत का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करके उनके व्यक्तित्व और चरित्र को सुदृढ़ और विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यक्रमों में शामिल करना है।

18. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने वर्ष 1984 में एसएआई की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसरचना तथा उपकरण सहायता, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। एसएआई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के अनुरक्षण और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है।

19. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) की स्थापना वर्ष 1957 में स्वालियर में की गई थी और इसे वर्ष 1995 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

20. **राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला:** राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित प्रमुख विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान संगठन है। यह मानव खेल डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार देश की एकमात्र प्रयोगशाला है।

21. **नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी:** नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (एनएडीए) की स्थापना दिनांक 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए अधिदेशित पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमावली को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन करना है।

22. **राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 के अधिनियमन द्वारा की गई थी। यह भारत में पहला पूर्ण विकसित खेल विश्वविद्यालय होगा, जिसका विशेष ध्यान खेल विज्ञान के विकास और एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए उच्च मानक अवसरचना के निर्माण पर होगा।

23. **विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय एंटी-डोपिंग निकाय वाडा में अंशदान के लिए किया गया है।

